सप्तम माला, खंड 45, अंक 11, बुधवार, 7 मार्च, 1984/17 फाल्गुन, 1905 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(चौदहवां संस्करण)

(खंड 45 में अंक 11 से 20 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य चार रुपये

विषय सूची

सप्तम माला, खण्ड 45, चौदहवां सत्र, 1984/1905 (शक)

अंक 11, बुधवार, 7 मार्च, 1984/17 फाल्गुन 1905 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—24
*तारांकित प्रश्न संख्या : 141 से 144 तक, 146 और 147	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	24—264
तारांकित प्रश्न संख्या : 145 और 148 से 161 तक	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1621 से 1669 तक, 1671 से 1739 तक, 1741 से 1780 तक और 1782 से 1865 तक	
दिनांक 24 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4813 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	264—265
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	267—281
राज्य सभा से संदेश	281
एशियाटिक सोसाइटी विधेयक	282—285
राज्य सभा द्वारा यथापारित	
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	285—303
पाकिस्तान द्वारा आधुनिकतम शास्त्रास्त्रों और गोलाबारूद की खरीद के लिए संयुक्त राज्य अमरीका के साथ करोड़ों डालर का कथित करार	
श्री राम विलास पासवान	285

*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

श्री आर० वेंकटरामन 288

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी 295

प्रो० सैफुद्दीन सोज 297

श्री हरीश रावत 300

2 मार्च, 1984 को दिल्ली में तीस हजारी टेलीफोन एक्सचेंज में आग लगने के बारे में वक्तव्य 303—304

श्री वी० एन० गाडगिल 303

नियम 377 के अधीन मामले 305—310

(एक) उत्तर प्रदेश के कालेजों तथा विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा परीक्षाओं का बहिष्कार

श्री चन्द्रपाल शैलानी 305

(दो) अल्कोहल युक्त औषधियों पर प्रतिबंध लगाने हेतु औषधि अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता

श्री हरीश रावत 305

(तीन) बकिंघम एंड कर्नाटक मिल्स, मद्रास का सरकार द्वारा प्रबन्ध ग्रहण करने की आवश्यकता

श्री सुनील मैत्रा 306

(चार) रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली में रह रहे कुछ तमिल परिवारों को आवासीय सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता

डा० वी० कुलनदईवेलू 307

(पांच) हिमाचल प्रदेश में कुछ पुलों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

प्रो० नारायण चन्द पराशर 307

(छः) उड़ीसा के ठेका श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए तुरन्त संरक्षणात्मक उपाय करने की आवश्यकता

श्रीमती जयन्ती पटनायक 308

(सात) शिक्षा प्रणाली में सुधार करने हेतु उपाय करने की आवश्यकता

श्री बी० डी० सिंह 308

(आठ) पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादी गतिविधियों पर काबू पाने हेतु उपाय करने की आवश्यकता

प्रो० अजित कुमार मेहता 309

(नौ) सीतापुर में एक कृषि कालेज खोलने की आवश्यकता

श्री राम लाल राही 309

(दस) श्री चन्द्रशेखर आजाद की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने की आवश्यकता

श्री रामावतार शास्त्री 310

रेल बजट, 1984-85—सामान्य चर्चा 311—385

प्रो० सैफुद्दीन सोज 311

आचार्य भगवान देव 314

श्री उत्तम राठौर 317

श्री हरिकेश बहादुर 319

प्रो० सत्यदेव सिंह 323

श्री अर्जुन सेठी 324

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर 327

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति 331

श्री ईरा अनबारासु 334

श्री बाबूराव परांजपे 337

प्रो० पी० जे० कुरियन 339

डा० गोलम याजदानी 342

श्री के० मायातेवर	345
श्रीमती केशरबाई क्षीरसागर	349
श्री मूलचन्द डागा	353
श्री रामावतार शास्त्री	355
श्री दीनबन्धु वर्मा	356
श्री प्रताप भानु शर्मा	357
श्री चन्द्रपाल शैलानी	359
श्रीमती गीता मुखर्जी	361
श्री चिन्तामणि जेना	362
श्रीमती गुरब्रिन्दर कौर ब्रार	366
श्री हरिहर सोरन	368
श्री ए० जी० सुब्बुरमण	371
श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी	373

लोक सभा

बुधवार, 7 मार्च 1984, 17 फाल्गुन 1905 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री पासवान को आप दो बार प्रथम स्थान मिला है; प्रश्न सूची में उनका नाम सर्वप्रथम है और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में भी उनका नाम प्रथम स्थान पर है ।

अध्यक्ष महोदय : तो उन्होंने सदन की कार्यवाही पर एकाधिकार कर लिया है । एकाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही कीजिये ।

प्रो० मधु दण्डवते : सदन की कार्यवाही के विषय में इसकी अनुमति है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 141 ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली के लिए विधान सभा

*141. **श्री राम विलास पासवान :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक विधान सभा बनाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) विधान सभा कब तक गठित कर दी जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) सरकार ने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक विधान सभा बनाने के प्रस्ताव पर सभी पहलुओं से विचार किया है । विधिवत विचार के बाद यह निर्णय किया गया है कि दिल्ली, राष्ट्र की राजधानी होने के कारण यहां वर्तमान व्यवस्था बनी रहनी चाहिए ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, पहली बार सरकार ने सदन में स्पष्ट रूप से कैटेगोरीकली डिनाइ किया है और इस मांग को रिजेक्ट कर दिया है । दिल्ली में कई संस्थाएं चल रही हैं । दिल्ली मैट्रोपोलिटन काउन्सिल, दिल्ली एक्जीक्युटिव काउन्सिल, लेफ्टीनेंट गवर्नर यहां हैं, दिल्ली डवलपमेंट अथारिटी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, दिल्ली मिल्क स्कीम... (व्यवधान) मैं

क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे कुछ कारण हैं। ऐसे थोड़े ही बक-बक कर रहा हूं। उसके बाद एन० डी० एम० सी० और दिल्ली केन्टोन्मेंट बोर्ड आदि। इस तरह के दर्जनों आरगेनाइजेशन यहां चल रहे हैं। ये सबके सब अलग-अलग मिनिस्ट्री से गाइड होते हैं। यहाँ का लेफ्टीनेंट गवर्नर मैट्रोपोलिटन काउन्सिल के प्रति जिम्मेदार नहीं है और आपको इस काउन्सिल के प्रति कोई लेजिस्लेटिव पावर भी नहीं है। आपके जो मिनिस्टर हैं श्री बूटासिंह जी, उनके मुताबिक डी० डी० ए० का जो मास्टर प्लान बना है, उसके अनुसार दो हजार ईसवी में यहां की जनसंख्या एक करोड़ 47 लाख हो जायगी। यहाँ के लोगों को आप उनके सारे अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। दिल्ली मैट्रोपोलिटन काउन्सिल की बैठक 6 महीने से नहीं हुई है और जो बैठक होती है, वह 15 दिन के लिए होती है। एन० डी० एम० सी० में जो नोमिनेट करने की प्रथा है, वह भी पिछले तीन-चार साल से नहीं हुआ है। दिल्ली की डेढ़ करोड़ जनता यानी जो अभी एक करोड़ के लगभग है। इसका कोई मां बाप है कि नहीं? इसको कोई अधिकार होंगे कि नहीं? आज सरकार ने आउट राइट रिजेक्ट कर दिया है, जबकि यह सभी पॉलिटिकल पार्टीज की, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी की भी डिमांड है कि दिल्ली की जनता को अधिकार मिलने चाहिए। यह अधिकार आप यहाँ की जनता को दिलाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? और क्या सरकार ने जो आज साफ इन्कार कर दिया है उस पर आप पुनर्विचार करेंगे?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : दिल्ली की जनता की माई-बाप तो सारी पार्लियामेंट है।

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय वाजपेयी भी माई-बाप हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : अध्यक्ष जी, यह मामला अभी तक गौर तलब था, इसका परीक्षण किया जा रहा था। लेकिन अन्ततोगत्वा यह फैसला कर लिया गया कि इसकी जरूरत नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को ...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : चुनाव वायदे का क्या हुआ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान प्रधान मंत्री, श्री जवाहर लाल नेहरू ने जो दिल्ली के बारे में कहा था उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और कोट करना चाहता हूं।

> "तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि दिल्ली भारत की राजधानी है। यहां बहुत बड़ी संख्या में विदेशी प्रतिनिधि मण्डल आते हैं और विदेशी दूतावास आदि स्थित हैं। दिल्ली के लिए किसी भी ढांचे पर इस संदर्भ को ध्यान में रख कर विचार करना होगा।"

इसके पश्चात्, तत्कालीन गृह मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) का विचार था कि राजधानी में दो

सरकारों के कार्य करने से अजीब स्थिति पैदा हो जायेगी। क्योंकि हो सकता है वे एक-दूसरे के विपरीत कार्य करें।

इसके पश्चात् 1978 में प्रधानमंत्री श्री मोरार जी देसाई ने अपने विचार इस प्रकार रिकार्ड कराए :

मैं इस बात से आश्वस्त हो गया हूं कि प्रशासन को राज्य का दर्जा दिया जाने की मांग मानना सम्भव नहीं है। उसे छोड़कर यही सर्वोत्तम है जो हम उसे प्रदान कर सकते हैं।"

मूलतः, 1958 में, इसे नगर-निगम दिया गया था। किन्तु बाद में सन् 1961 में इसे परिषद का दर्जा दिया गया, और परिषद कार्य कर रहा है। उसे सभी अधिकार हैं; और अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है, तो वे इसे गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को भेज देते हैं।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैं पुरानी बात में नहीं जाना चाहता कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने क्या कहा था, लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा था या मोरार जी भाई ने क्या कहा था। लेकिन यदि पुराना रिकार्ड उल्टेंगे तो इसी दिल्ली में 1918 में जो नेशनल कांफ्रेंस हुई थी कांग्रेस की तब भी उसने अपने प्रस्ताव में कहा था कि दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जायेगा, और अपने मैनीफेस्टो में भी आपने कहा है कि दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जायेगा। तो आप समझ सकते हैं इस दिल्ली में 75 हजार एकड़ जमीन किसानों की ली गई 2 रु० गज से और उसको 2,000 रु० गज की दर से बेचा गया, और फिर अभी सरकार का प्लान है, मैं डी० डी० ए० एडवाइजरी काउन्सिल का मेम्बर हूं इसलिए मुझे पता है कि 50,000 एकड़ और जमीन लेने का प्लान है। दिल्ली की जनता को आप कोई अधिकार देना चाहते हैं कि नहीं ? दिल्ली के सम्बन्ध में आपने कहा था कि पार्लियामेंट जवाबदेह है, मैं जानना चाहता हूं यहां दिल्ली के कितने बिलों पर बहस होती है, कितनी इसके विकास के लिए बहस होती है ? इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पुराने प्रधान मंत्री ने क्या कहा था इसको छोड़ें, जो प्रधान मंत्री अभी बैठी हुई हैं और गृह मंत्री हैं तमाम लोग अपने को प्रोग्रेसिव कहते हैं और लोगों के अधिकार के प्रति बड़े चिन्तित हैं तो दिल्ली की जनता को अधिकार दिलाने के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : यद्यपि महानगर परिषद का नाम विधान सभा नहीं ? पर वह विधान सभा के लगभग सभी कार्य करती है। जिस रूप में महानगर परिषद आज गठित हुई है, उसके विषय में यह कहा गया है कि जब दिल्ली भाग 'ग' राज्य था, तो कतिपय विषय विधान सभा के क्षेत्राधिकार से बाहर रखे गये थे। उदाहरण के लिए, पानी, जल-निकास, विद्युत तथा अन्य सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं महानगर परिषद के पास हैं। इसलिए हम जो कहना चाहते हैं वह यह है कि जो कुछ भी सीमित कार्य विधान सभा करती है वही महानगर परिषद द्वारा कराये जा रहे हैं।

बहुत से अन्य देशों में ऐसे उदाहरण हैं जहां पर इस प्रकार की राष्ट्रीय राजधानियां

विद्यमान हैं। कोलम्बिया राज्य में, जहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन स्थित है, किसी भी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है, जबकि दिल्ली के 10 प्रतिनिधि संसद में हैं। और ये व्यक्ति वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित हुए हैं। ये संसद सदस्य हैं। इसी लिए महानगर परिषद के सदस्य भी वयस्क मताधिकार द्वारा ही निर्वाचित घोषित किये जाते हैं। लंदन तथा पेरिस की राजधानियों में भी यही प्रणाली है। राज्यों के पुनर्गठन सम्बन्धी आयोग इस विषय में सुस्पष्ट है। आयोग ने यह भी कहा है कि "दिल्ली में संसद और केन्द्र सरकार के साथ-साथ विधान सभा और मंत्री परिषद का गठन का अर्थ है संघीय राजधानी पर केन्द्र का नियन्त्रण और सबसे निचले स्तर पर स्वायत्ता।' इस व्यवस्था में कार्य सुचारू रूप से नहीं हुआ। और उसने आगे कहा है—हमारे विचार से केन्द्र तथा दिल्ली सरकार के बीच दायित्व के बंटवारे से न केवल दिल्ली का विकास ही रुका बल्कि इस प्रकार के दोहरे नियंत्रण के परिणामस्वरूप प्रशासनिक स्तर में बहुत अधिक गिरावट आई है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या ये राज्य पुनर्गठन आयोग की टिप्पणियां हैं ?

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : जी, हाँ। (**व्यवधान**)

"आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राष्ट्र की राजधानी अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय सरकार के प्रभावी नियंत्रण में रहनी चाहिए।" उन्होंने इस प्रकार के विचार प्रकट किये हैं। इन सभी बातों पर विचार किया गया है; और हमारा विचार है कि वर्तमान व्यवस्था दिल्ली के लोगों की आवश्यकताओं की देखरेख के लिए पर्याप्त हैं।

श्री रामविलास पासवान : मैट्रोपोलिटन कौंसिल के सम्बन्ध में मैंने पूछा था कि उसके क्या अधिकार हैं और साल में कितने दिन वह बैठती है ? असेम्बली के मुकाबले में मैट्रोपोलिटन कौंसिल के क्या अधिकार हैं और अगर असेम्बली नहीं देनी थी तो आपने अपने मैनिफैस्टों में क्यों लिखा था ?

श्री धर्मदास शास्त्री : इसी सदन में मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि लिमिटेड पावर के साथ दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जायेगा, मैं जानना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट उनकी फाइल में है या नहीं ?

फाइनेन्शियल पावर्स के बिना कोई भी हो चाहे मैट्रोपोलिटन कौंसिल हो या कार्पोरेशन हो, कोई फंक्शन नहीं कर सकती और दिल्ली के लिए कानून भी नहीं बना सकती और न दिल्ली के लोगों का हित कर सकती। यहां इतनी मल्टीफेरियस अथोरिटीज हैं, जिनसे हम डील नहीं कर सकते। क्या मन्त्री महोदय इस बात से परिचित नहीं हैं कि एक नक्शा पास करने के लिए दिल्ली कार्पोरेशन, डी० डी० ए० और एल० एण्ड डी० ओ० जाना पड़ता है ? एक रोड का कुछ भाग सी० पी० डब्लू० डी० ठीक करती है, कुछ डी० डी० ए० करती है। डी० डी० ए० थोड़ा पोर्शन

बना देती है और बाकी छोड़ देती है कि कार्पोरेशन बनायेगी। कार्पोरेशन कहती है कि डी० डी० ए० बनायेगी। एक सड़क को 5, 5 अथोरिटी बनाती हैं। मुझे बतायें कि ऐसी स्थिति में किस तरह से हम लोगों की सेवा कर सकते हैं ? मन्त्री महोदय इसके बारे में स्पष्टीकरण करें ? मुझे मालूम है कि गृह मन्त्री तो हमेशा यहां पर हैं और रहेंगे लेकिन दिल्ली के लोगों के कल्याण के बारे में वह स्पष्टीकरण करें। गृह मन्त्री के होते हुए हमको कठिनाइयां आ रही हैं जिसकी वजह से हम कटिबद्ध होते हुए भी दिल्ली के लोगों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। मन्त्री महोदय स्पष्ट करें, वह कभी कहते हैं राज्य का दर्जा देंगे, कभी कहते हैं कि नहीं। हम जानना चाहते हैं कि क्या लिमिटेड पावर्स के साथ दिल्ली को राज्य का दर्जा देंगे ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जैसा मैंने कहा, यह जरूर कहा गया था कि हमारे विचाराधीन है। यह भी सही है कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस (आई०) पार्टी ने अपने इलैक्शन मैनिफैस्टो में उसका उद्धरण किया था और कहा था कि उसका प्रयास करेंगे। माननीय सदस्य की जितनी कठिनाइयां हैं, उनको हल करने के लिए सारी गवर्नमेंट तैयार बैठी हुई है। ऐसी सूरत में मैं उनसे निवेदन करूंगा कि फिलहाल वह यह प्रश्न न उठायें। असेम्बली भी देश में कई ऐसी हैं जो नाममात्र को हैं और बैठी नहीं हैं और अगर बैठी हैं तो दो-चार रोज बैठकर उठ जाती हैं। असेम्बलीज के हो जाने से ही सारा वातावरण सही और समस्यायें हल नहीं हो जाती हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : 1980 के चुनाव में सरकारी पार्टी ने यह स्पष्ट वादा किया था कि दिल्ली में एक लेजिस्लेटिव असेम्बली बनाई जायेगी। मैं मानता हूं कि वादा सैपरेट स्टेट का नहीं था, असेम्बली बनाने का था। अब सरकार उस वादे से भी मुकर रही है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं वह गाना—"वादा किया, तो निभाना पड़ेगा" ? वर्ना जनता पार्टी के रास्ते बाहर जाना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा गाना आपने नहीं सुना "वह वादा क्या, जो वफा हो गया।"

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बीच मे एक प्रस्ताव आया था कि मेयर-इन-कौंसिल बनाई जायेगी। अभी हमारे मित्र, श्री धर्मदास शास्त्री, शिकायत कर रहे थें कि दिल्ली में इतनी अथारिटीज हैं, सत्ता बंटी हुई है, कहीं एकीकृत प्रशासन का संचालन नहीं होता। अगर सरकार असेम्बली के लिए तैयार नहीं है, तो क्या वह मेयर-इन-कौंसिल बनाने के लिए तैयार है जो निर्वाचित होगी, जो राजधानी के परिसर को अपने अधिकार-क्षेत्र से छोड़ देगी, मगर परिवहन, अस्पताल, बिजली और दूध आदि के सारे मामले देखेगी ? क्या सरकार ने इस सुझाव पर भी गौर किया है ? अगर असेम्बली नहीं, तो क्या वह आंसू पोंछने के लिए मेयर-इन-कौंसिल दिल्ली को देगी ? अध्यक्ष महोदय, संसद दिल्ली के साथ न्याय नहीं कर सकती।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यह तो माननीय सदस्य ने बिल्कुल नई बात कही है। यहां तो कौंसिल भी है और मेयर भी है। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेयर अलग है, कौंसिल अलग है। मैं मेयर-इन-कौंसिल की बात कर रहा हूं, मेयर एंड कौंसिल की नहीं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मेयर के अधीन ये सारे कार्पोरेशन हैं। डेसू और वाटर सप्लाई वगैरह सब उनके अधीन हैं। इसके अलावा जो कौंसिल है, उसको सब विषयों पर चर्चा करने का अधिकार है। ऐसी सूरत में जो माननीय सदस्य का कथन है कि एक नई संस्था का गठन किया जाए, यह तो एक नया सुझाव आया है। इसको देखना पड़ेगा।

रोहतास इण्डस्ट्रीज लि० का बन्द होना

* 142. **श्री ए० के० राय :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें मालूम है कि बिहार में डालमिया नगर उद्योग समूह (रोहतास इंडस्ट्रीज लि०) लम्बे समय से बन्द पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस उद्योग ने अपने आपको रुग्ण उद्योग घोषित किया है;

(घ) यदि हां, तो उद्योग के रुग्ण होने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार उद्योग और कर्मचारियों दोनों को बर्बादी से बचाने के लिए इस उद्योग को अपने नियंत्रण में लेने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) मै० रोहतास इण्डस्ट्रीज लि०, डालमिया नगर के विभिन्न एकक नवम्बर, 1982 से आंशिक रूप में और रुक-रुक कर कार्य कर रहे हैं।

(ग) सीमेंट का लेवी कोटा निर्धारण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 28-2-82 से 28-2-84 तक की दो वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के सीमेंट एकक को "रुग्ण" मान लिया गया है।

(घ) वित्तीय संस्थानों के अनुसार, यह कम्पनी मुख्यतया कमजोर प्रचालन क्षमता व कम क्षमतोपयोग, आधुनिकीकरण और नवीनीकरण पर ध्यान न देने, बिजली की कमी व प्रबन्धकीय खामियों के कारण रुग्ण हो गई।

(ङ) इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री ए० के० राय : माननीय अध्यक्ष महोदय। हो सकता है उद्योग मन्त्री जी को उद्योग की बीमारियों के बारे में जानकारी न हो, किन्तु उन्हें उद्योग के सम्पूर्ण चित्र को प्रस्तुत करना चाहिए। मैसर्स रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड पश्चिमी बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक काम्प्लैक्स है। इसमें 15,000 श्रमिक कार्यरत हैं, और यह एस्बेसटोस, सीमेंट, कागज तथा वनस्पति जैसी चीजों का उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त इसकी इन्जीनियरिंग तथा फाउंड्री इकाईयां भी हैं। इन सभी उत्पादनों की बाजार में अत्यधिक मांग है और ये देश में काफी अधिक मात्रा में उपयोग में लायी जाती हैं। यह उद्योग जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया। 1982 से रुक-रुक कर कार्य कर रहा है और पिछले दस वर्षों से यह स्वयं को रुग्ण घोषित करता आ रहा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस उद्योग की प्रदत्त पूंजी 6 करोड़ रुपये है और आस्थियों का मूल्य 14 करोड़ रुपये है। किंतु इसने 6 करोड़ रुपये का संस्थागित हज़म कर लिया हैं। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को इससे 4 करोड़ रुपये लेने हैं। इसने दूसरों के भी 20 करोड़ रुपये देने हैं और अभी भी यह 40 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक की मांग कर रही है।

इसलिए, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने इसके बार-बार रुग्ण हो जाने के कारणों की गहराई से जांच की है। क्योंकि इसने 1982 में तथा फिर 1983 में स्वयं को रुग्ण घोषित किया था। फैक्ट्री को 1 नवम्बर 1982 से नुकसान हो रहा है और बहुत से कर्मचारियों को सेवामुक्त कर दिया गया है। इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपने बार-बार जबरी छुट्टी किए जाने, रुक-रुक कर कार्य किए जाने तथा रुग्णता की गहराई से जांच-पड़ताल की है ? दूसरे, क्या आपको यह मालूम है कि इसकी ईकाई अशोक स्टील, बिना कोई सूचना दिए बन्द पड़ी है ? आपकी उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ? श्रमिकों की मांग क्या थीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : वित्तीय संस्थाएं इस कम्पनी की रुग्णता के प्रश्न की जांच कर रही हैं तथा पुनर्वास योजना विचाराधीन है जिसकी लागत लगभग 59 करोड़ रुपये होगी। इस पुनर्वास तथा आधुनिकीकरण की योजना में कागज फैक्ट्री का आधुनिकीकरण एवं 60,000 टन से 67,500 टन का विस्तार तथा वनस्पति इकाई का आधुनिकीकरण एवं 100 टन से 125 टन विस्तार, सीमेंट विभाग का आधुनिकीकरण, नवीनीकरण, अड़चनें दूर करना तथा डालमियां नगर में वनस्पति ईकाई शामिल है। इस योजना में देयता को चरणबद्ध रूप में धन के लिए भी प्रावधान हैं। वितीय संस्थाओं ने भी कम्पनी के बोर्ड का पुनर्गठन करने के लिए कदम उठाए हैं। डा० सुबोध चन्द्र भट्टाचर्जी, जो कि पहले राज्य व्यापार निगम के चेयरमेन तथा प्रबन्ध निदेशक थे, अब वित्तीय संस्था के नए मनोनीत प्रबन्ध निदेशक हैं हमारे देश के बहुत ही सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री डा० सी० के० हजारे अब वित्त निदेशक हैं। बोर्ड में आई० एफ० सी० आई०, आई० डी० बी० आई० तथा आई० सी० आई० सी० आई० के अलग-अलग अनुभवी मनोनीत व्यक्ति हैं। पुनर्वास योजना विचाराधीन है। राज्य सरकार को इस बारे में अपनी औपचारिक मंजूरी देनी बाकी है। मुझे आशा है कि राज्य सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी। उसके बाद हम इन प्रस्तावों को क्रियान्वित करेंगे।

मुझे आशा है कि अगर एक बार यह योजना क्रियान्वित हो जाती है, तो कम्पनी सफलतापूर्वक चल सकेगी ।

श्री ए० के० राय : यह कम्पनी एम० आर० टी० जी० के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों में से थी । इसकी परिसम्पत्ति 1972 में 19·84 करोड़ रुपये थी । 1982 में यह बढ़कर 8.·47 करोड़ रुपये हो गई --500 गुना । क्या कारण है कि उद्योगपति समृद्ध होते जा रहे हैं एवं उद्योग रुग्ण बनते जा रहे हैं ? क्या आप कम्पनी के प्रबन्ध में हस्तक्षेप कर रहे हैं अथवा नहीं जैसा कि आपने कमानी समूह के उद्योगों में किया था ? अन्यथा, आपके औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम का फायदा क्या है ? धारा 18ए में, इस प्रकार के उद्योगों जो कि आम व्यक्तियों के काम में आने वाले सामान का उत्पादन करती हों, का अधिग्रहण करने का प्रावधान है । अगर आप हस्तक्षेप नहीं करते, प्रबन्ध का अधिग्रहण नहीं करते तो इन सभी 15 प्रावधानों का फायदा क्या है ? मैं आपके हस्तक्षेप न करने का कारण जानना चाहता हूं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : माननीय सदस्य यह जानते हैं कि किसी कारणवश अगर कोई फैक्ट्री किसी अवधि में रुग्ण हो जाती है तो उसका अर्जन औद्योगिक (विकास एवं विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत स्वतः ही नहीं हो जाता है । ऐसा कोई भी सरकार नहीं कर सकती तथा कोई भी संसद ऐसी प्रक्रिया को स्वीकृति नहीं दे सकती है । जो कुछ हमने किया है वह है वित्तीय संस्थानों द्वारा हस्तक्षेप । यह वित्तीय संस्थानों की प्रारम्भ में जिम्मेदारी है कि वे उचित वैधानिक अध्ययन के बाद पुनर्वास योजना को तैयार कर लागू करें । यह किया जा चुका है । अन्य प्रस्ताव भी सक्रिय रूप में विचाराधीन हैं । राज्य सरकार को अपनी भूमिका निभानी है । नियमित विद्युत आपूर्ति, बुनियादी सहायता की उपलब्धता आदि के बारे में उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं । हम आशा करते हैं कि जैसे ही राज्य सरकार प्रस्तावों पर निर्णय लेगी, वित्तीय संस्थाएं आगे आयेंगी । योजना पहले ही आंशिक रूप से लागू की जा रही है । मैं आशा करता हूं । जब यह पूर्ण लागू होगा, तो परिणाम मिलने लगेंगे ।

कर्नाटक राज्य में किसान आंदोलन

* 143. **श्री के० मालन्ना**
श्री जी० वाई० कृष्णन } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने कर्नाटक राज्य से किसान आंदोलन के बारे में जानकारी मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि बहुत अधिक संख्या में किसानों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ लोग हताहत भी हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो किसानों की मांगों और उन पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया का ब्योरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां श्रीमान्।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 26 जनवरी, और 2 फरवरी, 1984 के बीच कर्नाटक रयोथा संघ के रेल-रास्ता रोको आंदोलन के दौरान किसानों ने कुछ स्थानों पर सड़क और रेल यातायात को अस्त-व्यस्त कर दिया और हिंसा तथा आगजनी भी की। पुलिस ने आंदोलन के दौरान 32,735 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और तीन तथा पांच अवसरों पर क्रमश: अश्रु गैस के गोले छोड़े और लाठी चार्ज किया। किंतु किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली।

(ग) किसानों की मांगों के सम्बन्ध में रिपोर्ट राज्य सरकार से प्रत्याशित है।

जहां तक प्रश्न के भाग (ग) का सम्बन्ध है, हमारे सभा में आने तक संगठन द्वारा की गई मांगों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी। अभी-अभी हमें टेलेक्स पर संदेश मिला है और हम उसकी जांच करेंगे।

श्री जी० वाई० कृष्णन् : आपने जो गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या बताई है वह वास्तव में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तुलना में बहुत कम है··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वे केवल राज्य सरकार से सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

श्री जी० वाई० कृष्णन् : खैर यह कहा गया कि रिपोर्ट की राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है। उस घटना को पहले ही डेढ़ महीना हो चुका है किन्तु रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। मैं माननीय मन्त्री से जो जानना चाहता हूं कि सरकार ने क्या पग उठाने का विचार किया है ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : जहां तक गिरफ्तार व्यक्तियों का सम्बन्ध है। राज्य सरकार ने गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या 32,735 बतायी है, जो हमारी रिपोर्ट से भी पुष्ट हो चुकी है। संगठन द्वारा की गई मांगों के बारे में हमें राज्य सरकार ने कोई सूचना नहीं भेजी है किन्तु जहां तक हमारे अपने स्रोतों से प्राप्त जानकारी का सम्बन्ध है, किसानों की सात मांगें हैं—

(i) वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए।

(ii) सत्याग्रहियों पर गोली नहीं चलाई जानी चाहिए।

(iii) किसानों की सम्पत्ति की कुर्की न की जाए और पहले जब्त की जा चुकी सम्पत्ति को वापस लौटाया जाए।

(iv) राज्य के लिए औद्योगिक और कृषि मूल्य आयोग बनाया जाना चाहिए।

(v) चिकमगलूर और तुमकुर जिले में किसानों पर पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों की न्यायिक जांच और दोषी पाए गए अधिकारियों को निलंबित किया जाए।

(vi) भू-विखण्डन अधिनियम को निरस्त किया जाए; तथा

(vii) किसानों को हुई असुविधा के लिए मुख्य-मन्त्री को उनसे सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए।

श्री जी० वाई० कृष्णन् : इस बात के बावजूद कि 20 सूत्री कार्यक्रम में कृषि और रैयत को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और यह एक सरकारी कार्यक्रम है। क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कोई प्रयास किया है और यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

इस्पात के मूल्य

*144. **श्री सुशील भट्टाचार्य :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस्पात के मूल्यों में और वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने ऐसे क्या उपाय किए हैं ताकि लागत मूल्य कम रख कर कार्य में तेजी लाकर, उत्पादकता बढ़ाकर और कुल बिक्री तथा पूंजी के अनुपात को सुधार कर लाभ में वृद्धि का जा सके ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) संयुक्त संयंत्र समिति उत्पादन लागत, मांग और सप्लाई तथा अन्य सम्बन्धित बातों (जिनमें राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम पर इस्पात के मूल्यों का प्रभाव भी शामिल है) को ध्यान में रखकर समय-समय पर मुख्य उत्पादकों द्वारा उत्पादित इस्पात की सामान्य श्रेणियों के मूल्य निश्चित करती है तथा उनकी घोषणा करती हैं।

(ग) अर्थ-क्षमता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित मुख्य उपाय किये गए हैं—

1. मांग के अनुरूप प्रॉडक्ट-मिक्स में विविधता लाकर आयात प्रतिस्थापन करना तथा निर्यात के लिए अधिक माल तैयार करना : इस प्रकार वर्ष 1983-84 में "सेल" द्वारा लगभग 280 करोड़ रुपये की लागत से 5.5 लाख टन इस्पात का आयात करने की

सम्भावना है जबकि वर्ष 1982-83 में 501 करोड़ रुपये की लागत से 13.2 लाख टन इस्पात का आयात किया गया था।

2. बिक्री में तेजी लाने की नीति अपना कर इस्पात के स्टाक में कमी करना : इस्पात का स्टाक जो 1-4-1983 को 14.5 लाख टन था 1-3-1984 को घटकर 9 लाख टन रह गया है। इस तरह कार्यकर पूंजी की आवश्यकता में लगभग 180 करोड़ रुपये की कमी हुई है।

3. संयंत्र स्तर पर लागत नियंत्रण समितियां गठित की गई हैं। लागत में कमी लाने के लिए इन समितियों की नियमित रूप से बैठकें की जाती हैं।

4. कच्चे माल, स्टोर, फालतू पुर्जों आदि की माल-सूचियों पर कड़ा नियंत्रण रखा जा रहा है। इससे अप्रैल, 1983 जनवरी, 1984 की अवधि में लगभग 19 करोड़ रुपये की बचत की गई है।

5. मितव्ययिता लाने और जिन उत्पादों की सप्लाई माँग से कम है उनका विकास करने और उनकी क्वालिटी में सुधार लाने के काम में सहायता करने के लिए अनुसंधान और विकास वैज्ञानिकों का सहयोग प्राप्त किया गया है। जैसा कि नीचे दी गई तालिका को देखने से पता चलेगा वर्ष 1983-84 में कुछ श्रेणियों के इस्पात के उत्पादन में काफी वृद्धि होने की सम्भावना है—

(मात्रा टनों में)

उत्पाद	वर्ष 1982-83 के दौरान उत्पादन	वर्ष 1983-84 में प्रत्याशित उत्पादन
एल० पी० जी० शीट	17,744	62,500
डी० डी०/इ० डी० डी० शीट	6,409	18,000
बायलर क्वालिटी की प्लेटें	6,730	14,000
भारतीय मानक-2062 की प्लेटें	44,240	54,000
पोत-निर्माण के काम में आने वाली प्लेटें	24,638	25,000
जस्ती सादी/जस्ती नालीदार चादरें (0.4/0.5 मि० मी०)	16,613	29,000
इलेक्ट्रोड क्वालिटी वायर रॉड	10,353	22,000
90 यू० टी० एस० रेल की पटरी	—	2,500

इसके अलावा 'सेल' के कारखानों ने कार्टन स्टील और मार्जन स्टील प्लेटों का विकास किया है।

6. इस्पात कारखानों में रक्षित विद्युत संयंत्रों से अधिकाधिक बिजली पैदा करना।

7. कच्ची सामग्री की क्वालिटी में गिरावट के बावजूद उपकरणों के परिचालन में प्रौद्योगिकीय मानदंडों का पालन करने और कार्यकुशलता सम्बन्धी तकनीकी-आर्थिक मान दण्डों का पालन करने के लिए विशेष प्रयास करना;

8. विचार-गोष्ठियों और कार्यशालाओं आदि द्वारा कार्यरत सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के परस्पर सामंजस्य से उत्पादिता में वृद्धि लाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता की भावना उत्पन्न करना;

9. उत्पादिता में वृद्धि लाने के उपायों के बारे में संयंत्र स्तर और निगम स्तर पर मजदूर संघों के साथ नियमित रूप से विचार विमर्श करना; और

10. बिक्रेय इस्पात का उत्पादन मांग के अनुरूप करना जिससे बाजार की आवश्यकताओं की कारगर ढंग से पूर्ति की जा सके।

श्री सुशील भट्टाचार्य : इस्पात उद्योग सारे विश्व में संकट का सामना कर रहा है। पश्चिमी देश, जो इस्पात के मूल्यों में अचानक गिरावट आने से परेशान हैं, भारत को मनचाही इस्पात का आयात करने के लिए सहमत करने में सफल हो गये हैं। यद्यपि माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि इस वर्ष इस्पात का कम आयात किया जायेगा किन्तु सच्चाई यह है कि हम इस्पात का आयात कर रहे हैं जबकि हमारे देश में इस्पात का आधिक्य है। ऐसी स्थिति में इस्पात का मूल्य बढ़ाने से सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों को सक्षम बनाने में कोई सहायता नहीं मिलेगी। अत: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या पिछले दो वर्षों में तीन बार इस्पात के मूल्य बढ़ाए गए थे और क्या अखिल भारतीय निर्माता संगठन ने सरकार से इस्पात का मूल्य घटाने की अपील की है।

श्री एन० के० पी० साल्वे ; जहां तक प्रश्न के पहले पहलू का सम्बन्ध है। माननीय सदस्य एक आरोप लगा रहे हैं कि विदेश सस्ते मूल्य पर भारत में अपना इस्पात खपा रहे हैं और उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए हम मूल्यों को बढ़ा रहे हैं। यह तथ्यात्मक रूप से गलत है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण के माध्यम से किये जाने वाले आयात में काफी मात्रा में कमी आई है। 1981-82 में आयात 1,048.2 हजार मीटरी टन था, 1982-83 में 1,317.2 था और 1983-84 में जनवरी 84 तक केवल 486 6 रहा है। हम इसे आगे भी घटाना चाहते हैं। अत:, आयातित इस्पात के सस्ते मूल्य का सामना करने के लिए आंतरिक मूल्य में वृद्धि करने की बात गलत है। यह भी सच है कि 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में इस्पात का मूल्य बढ़ाया गया था। संयुक्त संयंत्र समिति कुछ पहलुओं उत्पादन की लागत, संयुक्त संयंत्र समिति का योगदान तथा बाजार कितना मूल्य सहन कर सकता है इत्यादि बातों को ध्यान में रखकर समय-समय पर मूल्य नियत करती है। अन्य किसी बात के अलावा हम यह भी ध्यान में रखते हैं कि इस्पात मूल्यों में

तनिक सी भी वृद्धि विकास योजनाओं को तत्काल प्रभावित करती है। इसलिए जब मूल्य में वृद्धि की जाती है तो संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा इन सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है।

श्री सुशील भट्टाचार्य : मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस्पात संयंत्रों को राजस्व की हानि मूल्यों की वृद्धि करने की बजाय उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाकर पूरा किया जा सकता है ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : यह बहुत ही परिकल्पित प्रश्न है कि राजस्व में हुई हानि को स्टील के मूल्यों को बढ़ाकर या अन्य किसी तरीके से पूरा किया जा सकता है जब तक हम यह नहीं जानते कि संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निर्धारित मूल्य क्या हैं और उत्पादन की बढ़ी हुई लागत क्या है, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। सभा पटल पर रखा गया विवरण बताता है कि संयंत्रों की वित्तीय सक्षमता और वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए हम दस बड़े पग उठा चुके हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि पिछली बार जब इस्पात का मूल्य बढ़ाया गया था, बढ़े हुए मूल्यों की घोषणा के ठीक पहले क्योंकि इस्पात का मूल्य बढ़ाए जाने की पहले ही जानकारी मिल गयी थी, कुछ एजेंसियों ने भारी मात्रा में इस्पात खरीद लिया था। उन खरीदारियों में कितना नुकसान हुआ था। क्या आप इसकी जांच करेंगे कि उस पूरे मामले के लिए कौन उत्तरदायी था ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : यद्यपि समाचार पत्रों में यह छप गया था कि इस्पात का मूल्य बढ़ने वाला है तथापि सच्चाई यह है कि इस्पात का मूल्य बढ़ने वाला नहीं था। यह पहली बार नहीं हुआ है कि समाचार पत्रों में छपी बात सच सिद्ध नहीं हो पायी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने वक्तव्य दिया था।

श्री एन० के० पी० साल्वे : मैंने ऐसा वक्तव्य कभी नहीं दिया था। वास्तव में, मैंने इसके विपरीत एक स्पष्ट वक्तव्य दिया था, जो श्री इन्द्रजीत गुप्त ने नहीं पढ़ा था। मैंने यह कभी नहीं कहा था कि मूल्य बढ़ेंगे। 'रि-रोलर एसोशियेशन' की बैठक में मूल्य घटाने के बारे में कहा गया था, मैंने कहा था कि मैं मूल्य घटा नहीं सकता क्योंकि मैं पहले ही नुकसान उठा रहा हूं। उसके परिणामस्वरूप, समाचार-पत्रों ने यह निष्कर्ष निकाला कि मूल्यों में वृद्धि होने जा रही है। प्रश्न के अन्तिम भाग के सम्बन्ध में, बहुतायत में खरीद करने वाली किसी एजेंसी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूं। किसी भी प्रकार से, मूल्य नहीं बढ़ाए गए। अतः फिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी हमें जांच करनी होगी ?

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन, वह मेरे प्रश्न का ठीक से उत्तर नहीं दे रहे हैं। मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता है। प्रश्न का दूसरा भाग मूल्य-वृद्धि के बारे में था। मूल्यों में वृद्धि करते समय, कुछ लोगों द्वारा बहुतायत में खरीद की गयी थी, उसकी क्या मात्रा थी ? क्या वह उन खरीदों की मात्रा और उसमें हुए नुकसान के बारे में विवरण सभा पटल पर रखेंगे ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में मूल्य

बढ़ाए गए थे । वह किसके बारे में कह रहे हैं ? किसने वह खरीदारी की और किसने उसे रखा ? मुझसे पूछने लिए यह बहुत ही अनुचित प्रश्न है ।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन्, उस प्रकार का अर्थ निकालना अनुचित है । वह स्वयं ही यह स्वीकार कर चुके हैं कि तीन बार मूल्यों में वृद्धि की गयी थी । मैं पहली बार मूल्य बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में कह रहा था ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । श्री कादरी ।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन्, आप मुझे अपना संरक्षण प्रदान नहीं कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको काफी समय दिया है ।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप मेरी ओर दृष्टि डालेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : न केवल मेरी आंखें वरन् मेरे कान भी आपकी ओर लगे हुए हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं इसके लिए भी तैयार हूं । मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह आप पहले ही कर चुके हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : यह बहुत ही अनुचित है कि वह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं । वह स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि मूल्यों में वृद्धि हुई । मेरी बात बहुत ही विशिष्ट थी, मैं प्रथम बार मुल्य वृद्धि किए जाने के बारे में कह रहा था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं सोचता कि आपने विशिष्ट प्रश्न पूछा है ।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि वह इसका उत्तर अभी देने के लिए तैयार नहीं हैं तो वह इसे सभा पटल पर रख सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप निश्चित तिथि बताइए और तब वह आपको उसके बारे में बतायेंगे ।

प्रो० मधु दण्डवते : 1980-81 ।

अध्यक्ष महोदय : किसके द्वारा ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : 1980-81 में मूल्य तीन बार बढ़ाए गए थे । उनका मतलब किस मूल्य वृद्धि से है ।

प्रो० मधु दण्डवते : पहली से, मैं बहुत विशिष्ट प्रश्न पूछ रहा हूं क्योंकि मैं उस घटना को जानता हूं । मैं उत्तर देना नहीं चाहता हूं क्योंकि आप मंत्री हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार से नहीं, आप इसके लिए अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं पहले ही इसे पूरक प्रश्न के रूप में रख चुका हूं। यह एक विशिष्ट प्रश्न है। मैंने उन्हें अभी-अभी बताया कि यह 1980-81 के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार से नहीं, प्रोफेसर साहब।

प्रो० मधु दण्डवते : वह उत्तर को टालने की कोशिश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह दूसरी सूचना दे सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन्, मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें सरकार के बहुत से गुप्त भेद हैं।

अध्यक्ष महोदय : गुप्त भेद हो सकते हैं, मैं नहीं जानता।

प्रो० मधु दण्डवते : किन्तु गुप्त भेदों को सभा-पटल पर रखा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु वह उन सभी को प्रकट नहीं कर सकते हैं। कुछ भेद ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रकट करने के योग्य न हों।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन्, आपका क्या निदेश है ?

अध्यक्ष महोदय : विशिष्ट उत्तर के लिए आप मुझे अगला प्रश्न दे सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं पहले ही प्रश्न दे चुका हूं। अगली बार उन्हें सभा-पटल पर रखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वह आपको सूचना दे सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन्, मैंने व्यक्तिगत रूप से जानकारी चाहने के लिए नहीं कहा है। यह सरकारी क्षेत्र के संगठन के बारे में है।

प्रो० एन० जी० रंगा : जब आपको जानकारी दी जा रही है तो क्या वह सार्वजनिक जानकारी नहीं है ? यह सार्वजनिक जानकारी ही है।

प्रो० मधु दण्डवते : इसीलिए, उसे सभा-पटल पर रखा जाना चाहिए। श्रीमन् मैं नहीं चाहता हूं कि यह जानकारी वह मुझे पत्र लिख कर दें। मैं चाहता हूं कि सभा उससे अवगत हो। यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। यह सार्वजनिक मामला है।

प्रो० एन० जी० रंगा : जब वह आपको यह जानकारी देते हैं, तो यह एक सार्वजनिक उत्तर है।

प्रो० मधु दण्डवते : यह कोई सार्वजनिक उत्तर नहीं है। श्रीमन्, यह स्पष्ट होना चाहिए कि जब मंत्री द्वारा सदस्य को उत्तर भेजा जाता है तो वह कोई सार्वजनिक दस्तावेज नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर सभा-पटल पर रखा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप एक अन्य प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं उसकी अनुमति दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने प्रश्न पूछा है और उन्हें जानकारी सदन के पटल पर रखनी चाहिए।

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, आज मंत्री महोदय की बल्लेबाजी बहुत कमजोर है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, वे एक अच्छे बल्लेबाज हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : जी नहीं, महोदय।

श्री एस० टी० कादरी : श्रीमन्, मंत्री महोदय ने लागतों को कम करने, संयंत्र की लागत घटाने तथा क्षमता के बेहतर उपयोग के लिए कई कदम उठाने के बारे में उल्लेख किया है ताकि संयंत्रों में उत्पादन लागत कम हो सके। लेकिन, मुख्य प्रश्न यह है कि क्या सरकार मूल्य बढ़ाने के बारे में सोच रही है या नहीं। इस प्रश्न का माननीय मंत्री ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। एक क्षेत्र, जिसमें मंत्री महोदय को ध्यान देना है, वह है संयंत्र में क्षमता का उपयोग ताकि लागतों को और कम किया जा सके और सरकार को मूल्य बढ़ाने की आवश्यकता न पड़े। क्या मंत्री महोदय कृपया इस भाग का उत्तर देंगे ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : श्रीमन्, मैं स्पष्ट उत्तर दे चुका हूं कि जहां तक कीमतों में वृद्धि का सम्बन्ध है, यह कार्य कुछ छोटी मदों, जैसे टिन प्लेट्स, पाइप, रद्दी माल मिश्रधातु इस्पात को छोड़कर संयुक्त संयंत्र समिति को सौंपा गया है तथा सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती। जहां तक संयंत्र की सर्वोत्तम क्षमता के उपयोग का सम्बन्ध है, इस बारे में सर्वाधिक प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हम एक उत्पाद-मिश्र बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं जो बिक्री योग्य इस्पात के मामले में मांग-अभिमुख होगा तथा जो बाजार की आवश्यकताओं को प्रभावकारी ढंग से पूरा करेगा। अतएव, हम न केवल क्षमता को अधिकतम बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि ऐसा माल भी तैयार करना चाहते हैं जिसकी मांग हो।

शस्त्रों की दुकानों से अत्याधुनिक हथियारों की चोरी

*146. **श्री नवल किशोर शर्मा**+
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसफअली रोड, नई दिल्ली की शस्त्रों की एक दुकान से आठ अत्याधुनिक हथियार चोरी हो गये थे;

(ख) क्या इससे पहले भी देश के विभिन्न भागों में शस्त्रों की दुकानों और थानों से अत्याधुनिक हथियारों की चोरी हुई थी;

(ग) क्या चुराये गये ये हथियार खतरनाक अपराधियों के पास पहुंच जाते हैं;

(घ) क्या इस बीच चुराये गये कोई हथियार बरामद हुए हैं और चोरों का पता लगा लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) शस्त्रों की दुकानों से इस प्रकार की चोरी न होने देने हेतु क्या सुरक्षा उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) 1983 के दौरान, पंजाब में ऐसे दो मामले, राजस्थान में एक और बिहार में एक, सरकार के ध्यान में आए हैं ।

(ग) सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई निश्चित सूचना नहीं है ।

(घ) और (ङ) दिल्ली में चुराये गये कथित 8 हथियारों में से 6 परित्यक्त पाये गये हैं । राजस्थान में मालखाना से चुराये गये 23 आग्नेयस्त्रों में से भी 13 को बरामद कर लिया गया है । दिल्ली में चोरी के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों का अभी पता लगाना है । अन्य राज्यों से इन मामलों में अंतर्ग्रस्त चोरों का पता लगाने और पकड़े जाने के बारे में सूचना प्रत्याशित हैं ।

(च) संबंधित राज्य सरकारों को राज्यों में शस्त्रागारों की जांच करने और सुरक्षा के लिए समुचित प्रबंध कराने की सलाह दी गयी है । दिल्ली पुलिस ने शस्त्र व्यापारियों को, विश्वसनीय रात्री चौकीदारों को नियुक्त करने, लोहे की ग्रिल और रोलिंग शटर लगाने, सेंधमारी अलार्म लगाने और अपनी दुकानों में अच्छे किस्म के ताले लगाने की सलाह दी है । पुलिस गश्ती दल को निदेश दिए गए हैं कि गश्त के दौरान बंदूक की दुकानों पर कड़ी निगरानी रखें ।

श्री नवल किशोर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हथियारों की चोरी का मामला चाहे रेलों में डकैती हो, चाहे बैंकों की लूटपाट की घटनायें हों, चाहे आतंकवादियों द्वारा मारपीट की घटनायें हों, उससे सम्बन्धित प्रश्न बन गया है । पिछले दिनों इस देश में जितनी भी लूटपाट की घटनायें या आतंकवादियों द्वारा जो हत्यायें की गई हैं उनमें आधुनिकतम हथियारों का इस्तेमाल किया गया । इस सन्दर्भ में मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा—इस चिन्ता के विषय पर जो पुलिस का रवैया रहा है या इन्वेस्टीगेशन द्वारा जो सफलता मिली है, वह सफलता काफी चिन्ता का विषय है । बिहार, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में ऐसी घटनायें हुई हैं और उन में से खाली राजस्थान के मालखाने की चोरी का पता लग पाया है । तो इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहूंगा कि जब आपका

प्रशासन इतना नाकारा साबित हो रहा है, तो ऐसी चोरी की घटनाओं के बारे में उनको रोकने के लिए आप क्या कोई स्पेशल ढंग की व्यवस्था करेंगे ? यह मेरे क्वेश्चन का (ए) पार्ट है ।

(बी) पार्ट मेरे प्रश्न का यह है कि हथियारों के मामले में जिस तरह की इजाजत आज गन फैक्ट्रीज को दी हुई है, इन गन फैक्ट्रीज के दुरुपयोग के बहुत से मसले सामने आए हैं और मैं यह चाहूंगा कि सरकार इस बात पर विचार करे और क्या सरकार इन तमाम गन फैक्टरीज को, जो कि प्राइवेट लोगों के हाथों में हैं, अपने हाथ में ले लेगी और अपने स्तर पर इस तरह की सामग्री के निर्माण को नियंत्रित करेगी । वह मेरे क्वेश्चन का (बी) पार्ट है ।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : महोदय, जहां तक दिल्ली की कथित चोरी के मामले का सम्बन्ध है, इसमें कुछ प्रगति हुई है और श्री शमसुद्दीन नाम के एक व्यक्ति ने बताया है कि उनकी 1231, रकाब गंज में हथियारों की मरम्मत करने की एक दुकान है । 27-1-1984 को उसने सदैव की भांति शाम साढ़े छह बजे अपनी दुकान बन्द की । अगले दिन 28-1-1984 को जब वह सुबह दुकान पर आया तो उसने देखा कि दुकान के ताले टूटे पड़े हैं और जांच-पड़ताल के बाद पता चला कि कुछ हथियार गायब हैं ।

विभिन्न प्रकार के हथियार गायब थे । हमने दुकान-मालिक से पूछताछ की है और वास्तव में चोरी होने से पहले ही पुलिस ने उसे अनेकों बार यह चेतावनी दी थी कि उसे पर्याप्त एहतियाती कदम उठाने चाहिए ताकि इस प्रकार की चोरी को रोका जा सके तथा पुलिस को सन्देह है कि यह अपराधियों या कुछ असामाजिक तत्वों का मामला नहीं है, बल्कि दो व्यक्तियों में शत्रुता का मामला है तथा पुलिस द्वारा पूछताछ चल रही है ।

श्रीमन्, राजस्थान और अन्य राज्यों के मामले में मैं बता चुका हूं कि क्या प्रगति हुई है ।

पंजाब में फिरोजपुर में 6 तथा 7 अप्रैल 1983 की रात को इसी तरह की एक चोरी हुई थी तथा मामले की पूछताछ चल रही है । तलवंडी का भी ऐसा ही मामला है । बिहार सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गया के अन्य मामले में गया के दो आग्नेयास्त्र विक्रेताओं के लाइसेंस गया के जिलाधीश ने 1976 तथा 1978 में निलम्बित कर दिए थे । इन दो आग्नेयास्त्र विक्रेताओं से जब्त किए गए 5401 कारतूसों सहित आग्नेयास्त्र एक अन्य लाइसेंसधारी आग्नेयास्त्र विक्रेता मैसर्ज इंडिया आर्म्स स्टोर्स के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गए थे । मैसर्स इण्डिया आर्म्स स्टोर्स के लाइसेंस का कुछ समय के लिए नवीकरण नहीं किया गया था तथा बाद में दिसम्बर, 1982 में इसे रद्द कर दिया गया था तथा जिलाधीश ने एक कार्यकारी दंडाधिकारी को मैसर्स इंडिया आर्म्स स्टोर्स का ताला तोड़ने के लिए नियुक्त किया । यह कार्य 11 जून, 1983 को किया गया तथा उपलब्ध हथियारों की सूची तैयार की गई । 5401 कारतूसों सहित 74 आग्नेयास्त्र गायब पाए गए । भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ख/406 तथा आयुद्ध अधिनियम की धारा 25 ङ/29 ख/30 के अधीन थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई । मैसर्स इण्डिया आर्म्स स्टोर्स के मालिक तथा लाइसेंसधारी को गिरफ्तार कर लिया गया है । अब तक की पूछताछ से पता चला है कि

जिलाधीश के आदेशों से समय-समय पर कुछ आग्नेयास्त्र मालिकों को सौंप दिए गए थे।

महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मालखाना शास्त्रागार के बारे में भी मुनसिफ दंडाधिकारी, गंगानगर के न्यायालय के एक लिपिक ने 12 अप्रैल, 1983 को गंगानगर में घटना की सूचना पुलिस को दे दी थी। यह सूचना दी गई थी कि कलक्टरी के आहाते में स्थित अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश गंगानगर के मालखाना शास्त्रागार की कुंडी काट दी गई थी।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रखें।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : जी, श्रीमान्, मैं इसे सभा पटल पर रख दूंगा।

महोदय, शर्मा जी ने हथियारों के विक्रेताओं तथा अन्य सभी चीजों पर कड़ी नजर रखने के बारे में कुछ कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि क्या सरकार इन हथियारों के निर्माण को अपने हाथों में लेगी। यह कार्यवाही के लिए सुझाव है।

श्री नवल किशोर शर्मा : महत्वपूर्ण यह है कि तुरन्त कदम उठाने तथा चुराए गए हथियारों को पर्याप्त मात्रा में बरामद करने के मामले में पुलिस प्रशासन असफल रहा है। मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर में यह नहीं कहा गया है कि इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को पकड़ने में पुलिस प्रभावकारी रही है। इसे दृष्टिगत रखते हुए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे मेरे सुझाव पर विचार करें।

हथियारों के लाइसेंस सभी को दे दिए गए हैं। मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय मेरे इस सुझाव पर विचार करें कि कमजोर वर्ग के लोगों को छोड़कर, जिन्हें अपनी सुरक्षा के लिए जरूरत होती है, हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाने चाहिएं तथा भविष्य में किसी को भी हथियार नहीं दिए जाने चाहिएं।

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : यह सच है कि यद्यपि पुलिस ने दिल्ली, मालखाना तथा गया के मामलों में कार्यवाही की है तथा कुछ हथियार बरामद किए हैं, लेकिन उन्हें और अधिक सतर्क होना चाहिए था। मैं माननीय सदस्य की बात मानता हूं। हमने पुलिस को अधिक सतर्क रहने के अनुदेश दिए हैं। तभी तो सभी शस्त्र-विक्रेताओं तथा शस्त्र-निर्माताओं की बैठक बुलाई गई थी। उनकी संख्या 47 है। यह निर्णय किया कि उनके तथा पुलिस के बीच और निकट सम्पर्क होना चाहिए।

जहां तक हथियारों के लाइसेंसों को रद्द किए जाने का प्रश्न है, यह एक प्रशासनिक मामला है, क्योंकि व्यक्तियों को लाइसेंस जांच-पड़ताल के बाद दिए जाते हैं। तथापि एक नया आयुद्ध अधिनियम बनाया गया है तथा किसी भी व्यक्ति को तीन से अधिक हथियार रखने की अनुमति नहीं है, जैसा कि संसद का विचार रहा है, जिसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मन्त्री जी ने कहा है कि कुछ हथियार अपसर्जित कर दिए गए थे। क्या वे अक्षत थे या खराब किए हुए तथा क्षतिग्रस्त थे ? जब पुलिस को पता चलता है कि कोई व्यक्ति दुकानों में आवश्यक सावधानियां बरत नहीं रहा है तो क्या सम्बन्धित अधिकारी लाइसेंस रद्द करते हैं या नहीं। यदि सम्बन्धित अधिकारी कार्यवाही नहीं करते, तो हथियारों की ऐसी चोरियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए मंत्री महोदय क्या कार्यवाही करने का सुझाव देते हैं ? जब हथियार एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए भेजे जाते हैं तो कौन से सुरक्षा कदम उठाए जाते हैं ? क्या इस सम्बन्ध में दिए गए अनुदेशों का अनुसरण किया जा रहा है या नहीं ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि क्या अपसर्जित हथियार अक्षत थे या नहीं ? दो पिस्तौल गायब पाए गए। अन्य अपसर्जित किए गए मिले। उनके साथ छेड़खानी नहीं की गई थी। वे अक्षत थे। जहां तक दिल्ली की चोरी का सम्बन्ध है, यह स्थिति है। जहां तक राजस्थान के शास्त्रागार के हथियारों का सम्बन्ध है, वे भी एक बोरी में रेलगाड़ी में अपसर्जित किए गए मिले। हमारे पास इस बारे में सूचना नहीं है कि वे अक्षत थे या उनके साथ कोई छेड़खानी की गई थी। हमने राजस्थान सरकार को यह सूचना देने के लिए कहा है। जैसे ही यह जानकारी मिलेगी, उसे माननीय सदस्य के पास भेज दिया जाएगा।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : पुलिस से यह रिपोर्ट मिलने पर कि अमुक व्यक्ति सावधानी नहीं बरत रहा है, क्या उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है ? हर बार हम पुलिस को दोष देते हैं। सम्बन्धित अधिकारियों को भ्रान्त व्यक्ति के विरुद्ध अवश्य कार्यवाही करनी चाहिए।

डा० कर्ण सिंह : कुछ समय से बन्दूक कारखानों तथा आयुद्ध कारखानों से हथियारों तथा गोला-बारूद की बढ़ती हुई चोरी की क्षुब्ध करने वाली खबरें मिलती रही हैं। हमें सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा। असली समस्या बिना लाइसेंस के हथियारों की है, इनके निर्माण की है तथा उस तरीके की है जिसमें समूची जनता को ये मिल रहे हैं—समस्या लाइसेंसशुदा हथियारों का नहीं है।

अब, इन बिना लाइसेंस के हथियारों पर नियन्त्रण पाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हमने दिल्ली प्रशासन तथा सभी राज्य सरकारों से कहा है कि बिना लाइसेंस के हथियारों के निर्माण पर तुरन्त नजर रखी जाए और जहां भी ऐसे हथियारों के निर्माण का पता चले, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। यह ठीक है कि शास्त्रागारों तथा भंडारों से हथियार चुराए गए हैं और इसलिए अब रक्षा मंत्रालय के साथ समन्वय करके कड़ी सतर्कता बरती जा रही है।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में भी इस तरह के प्रश्न आए थे कि बिना लाईसेंस के शस्त्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह खुशी की बात है कि पहले मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया था कि राज्य सरकारों को निदश दिया गया है कि वे स्ट्रांग रूम्स बनाएं

और अलार्म्स भी लगाएं । मैं यह जानना चाहती हूं कि देश के विभिन्न भागों में प्रखण्ड स्तर पर पुलिस थाने के अपने मकान नहीं हैं और जिस अनुपात में पुलिस बल की आवश्यकता है, वह भी पूरी नहीं है । ऐसी जगहों पर जो हथियार रखे रहते हैं, उनके बारे में सरकार क्या सोच रही है ? जिला स्तर पर माल-खाना और स्ट्रांग रूम्स भी ठीक हैं । लेकिन प्रखण्ड में जहां पर अपराधों की बढ़ोत्तरी की संख्या अखबारों में आ रही है, उस संबंध में सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक पुलिस की संख्या बढ़ाने का सवाल है, दिल्ली की फीगर्स मैंने पहले भी दी थी कि 1980 में 23 हजार थी और अब 35 हजार से ऊपर है । इसी प्रकार से सब राज्यों ने पुलिस की संख्या बढ़ाई है । उनका वेतनमान भी बढ़ा हैं । इन सब बातों को देखते हुए राज्य सरकारों पर जो पुलिस का व्यय भार पड़ रहा है, वह काफी नहीं है । वे अपनी आवश्यकता के अनुसार जितना बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं । दिल्ली में पुलिस बल को माडर्नाइज करने के प्रयत्न किये गए हैं । वह प्रयत्न पूरी तरह से लागू हैं ।

बलात्कार के मामले की जांच में पुलिस की उदासीनता

***147. श्री सुनील मैत्रा†**
श्री विजय कुमार यादव : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 जनवरी, 1984 के "स्टेट्समैन" के दिल्ली संस्करण में "एक्यूज्ड एक्विटेड, जज क्रिटिसाइजेज पुलिस एपेथी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या एक ऐसे अपराधी को, जिस पर अपहरण और बलात्कार के आरोप थे, अपराध की जांच सम्बन्धी कार्यवाही में विशेष रूप से हास्पिटल से "मेडिकल रिपोर्ट" प्राप्त न करने और उसे न्यायालय में पेश करने में पुलिस द्वारा दिखाई गई उदासीनता के कारण रिहा कर दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) सरकार ने निर्णय में की गई टिप्पणियों को गंभीर माना है । जांच के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी उप-निरीक्षक को मुअत्तल कर दिया गया है और उसके तथा इस मामले में अन्तर्ग्रस्त अन्य पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है ।

श्री सुनील मैत्रा : महोदय, एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब समाचार पत्रों में स्त्री पर

किए गए अपराधों का उल्लेख न किया जाता हो। दिल्ली में स्थिति ज्यादा चिंताजनक है तथा ऐसे अपराधों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मन्त्री महोदय ने एक उत्तर में बताया है कि एक पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि जहां तक पुलिस अधिकारी विशेष का संबंध है सरकार के विश्वास के आधार पर ही कर्त्तव्य में लापरवाही का एक प्रत्यक्ष मामला बनना चाहिए। लेकिन अतिरिक्त सेशन जज, श्री एस० एम० अग्रवाल के फैसले में कहा गया है :

"जांच पड़ताल के दौरान हमें यह देखकर दुःख हुआ है कि सब-इंस्पेक्टर श्री अखिल अहमद और उसके उत्तराधिकारी सब इंस्पेक्टर राम कुमार और इंस्पेक्टर राम किशन ने जिन्हें आरोप पत्र की जानकारी थी। अस्पताल से 'मेडीकल रिपोर्ट' प्राप्त न करके और उसे न्यायालय में पेश न करके जांच पड़ताल अधिकारी का कर्त्तव्य निभाने में असफल रहे हैं।

न्यायाधीश के स्पष्ट निर्णय को ध्यान में रखते हुए तीनों संबंधित अधिकारियों को निलंबित क्यों नहीं किया है और सरकार यह क्यों कहती है कि केवल एक ही अधिकारी को निलंबित किया गया है।

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : जहां तक इस मामले का संबंध है यह बहुत बुरा मामला है और हमें स्वयं माननीय न्यायाधीश की टिप्पणियां सुनकर दुःख हुआ हैं। उन्होंने एक अधिकारी श्री अली के बारे में कहा है, जो आयु की जांच कराने के लिये 11 बार अस्पताल गया। मामले की डायरी के अनुसार वह जांच के लिए एक्स-रे रिपोर्ट प्राप्त करने के लिये गया लेकिन उसे वह तारीखें नहीं मिल सकीं। लेकिन उसके बावजूद भी उसके विरुद्ध कार्यवाही की गई हैं। जहां तक अन्य दो पुलिस अधिकारियों का सम्बन्ध हैं, उनके पास एक महीने तक मामला रहा और उसके बाद चालान किया गया और इसलिये कोई कार्रवाही नहीं की गई है। लेकिन साथ ही, इस बात की जांच की जा रही है कि क्या इन दो अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

श्री सुनील मैत्रा : क्या मैं माननीय मन्त्री से यह जान सकता हूं कि बलात्कार जैसे घृणित अपराध में जांच पड़ताल करने की क्या प्रक्रिया है? क्या यह सच है कि इस मामले विशेष में प्राथमिक जांच पड़ताल का कार्य एक हैड कांस्टेबल को सौंपा गया था? यदि यह सच है तो क्या यह लापरवाही नहीं थी और यदि ऐसा था तो क्या थानाध्यक्ष को दंड नहीं दिया जाना चाहिये? यदि थानाध्यक्ष के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है, तो उसका विवरण और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : इस पूरे मामले के सम्बन्ध में कुछ कमियां पाई गई हैं। इसीलिये जांच के आदेश दिये गये हैं। अब पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त भी मामले की जांच कर रहे हैं। मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि जहां भी कमियां तथा कर्त्तव्यहीनता पाई जायेगी। जांच समाप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायेगी। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही हैं।

श्री सुनील मैत्रा : फैसले में कहा गया है कि मामला एक हैड कांस्टेबल को सौंपा गया था । इस बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यह मामला हैड कांस्टेबल को नहीं अपितु किसी उच्च स्तर के अधिकारी को सौंपा जाना चाहिये था । अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वारा जांच की जा रही है, और मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि रिपोर्ट मिलते ही, आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री सुनील मैत्रा : क्या आप मुझे यह आश्वासन भी दे रहे हैं कि थानाध्यक्ष के विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इसकी जांच की जा रही है । यदि रिपोर्ट उसके विरुद्ध हुई तो हम निश्चित रूप से उसके तथा अन्य सम्बन्धित दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ।

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष जी, किडनैपिंग और रेप के जो केस हैं यह हीनियस आफेंसिज हैं वह एस० आर० केस के रूप में ट्रीट किये जाते हैं जिसमें जो इन्वेस्टीगेटिंग अफसर होता है उसके अलावा जो ऊपर के अफसर होते हैं वो डी० एस० सी०, एस० पी० उनको भी केस के इंवेस्टीगेशन को सुपरवाइज करना होता है । तो मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कोर्ट का जो जजमेंट हुआ वह तो एक अलग हिस्सा है उसका लेकिन आम तौर ।र जो ऊपर के अफसरों की जिम्मेदारी इस केस को सुपरवाइज करने की होती है, और उस दौर में सारे कामों को देखा जाता है जिससे केस बनता है कि नहीं, मैटीरियल और एवीडेंस इकट्ठा हुआ कि नहीं । तो इस आसपेक्ट पर भी जब सरकार विचार कर रही है और थौरो इनक्वायरी चल रही है तो क्या सरकार इस आसपेक्ट पर भी विचार करेगी कि एस० पी०, डी० एस० पी० की क्या ड्यूटी थी ? और इस मामले में अगर उनको फेल्योर समझा जायेगा तो क्या उन पर भी कार्यवाही की बात सरकार सोचेगी ?

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : हम इन सभी मामलों की जांच करेंगे । सदन की जानकारी के लिये वर्ष 1980, 1981, तथा 1982 के दौरान मामलों की जांच करते समय 39 अधिकारी चूकें करने के दोषी पाए गये थे । इन 39 अधिकारियों में से वर्ष 1980 में 14 अधिकारी 1981 में 12 अधिकारी दोषी पाए गए तथा वर्ष 1982 में 13 अधिकारियों ने भूलें की थी । हम इस मामले में कार्यवाही कर रहे हैं । मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि हम इसकी जाँच करेंगे ।

श्री विजय कुमार यादव : मैंने एस० आर० केस के बारे में पूछा है, उसका जवाब मन्त्री जी ने नहीं दिया ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इस बारे में जो माननीय सदस्य ने कहा है कि डी० एस० पी० और एस०पी० ने प्रोपर सुपरवीजन किया है कि नहीं यह भी सबजेक्ट मैटर आफ इनक्वायरी है । और अगर उन्होंने प्रौपर सुपरवीजन नहीं किया होगा तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही होगी ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैंने पश्चिम बंगाल में एक समाचार पत्र में पढ़ा कि दिल्ली में दहेज के कारण होने वाली मौतों के मामले में 9 कथित अपराधियों को रिहा कर दिया गया हैं। यह स्थिति है। यहां तक कि यदि न्यायाधीश भी कोई उपबन्ध नहीं लगाता है तो इससे पता चलता है कि पुलिस क्या कर रही है? क्या माननीय मन्त्री कृपया हमें बतायेंगे कि वह विशेष रूप से क्या कार्यवाही करेंगे ताकि स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों के मामलों की उचित रूप से जांच की जा सके, उसके लिये वह कौन से विशेष तंत्र नियुक्त करेंगे और इस सम्बन्ध में पुलिस को क्या अनुदेश जारी किये जा रहे हैं?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इससे दहेज से होने वाली मौतों के मामले नहीं उठते। तथापि मैं सदन को बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने बताया है, कि जहां तक दहेज से होने वाली मौतों का संम्बन्ध है उसकी जांच के लिये एक महिला अधिकारी की अध्यक्षता में पृथक कक्ष स्थापित किया गया है। इसके लिये एक विशेष कक्ष कार्य कर रहा है।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दक्षिण ध्रुव प्रदेश के लिए तीसरा भारतीय अभियान दल

* 145. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "दक्षिण गंगोत्री" नाम से एक स्थायी प्रयोगशाला स्थापित करने के उद्देश्य से दक्षिण ध्रुव प्रदेश में एक तीसरा भारतीय अभियान दल पहले ही अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंच चुका है;

(ख) यदि हां, तो प्रयोगशाला को स्थापित करने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा;

(ग) प्रयोगशाला द्वारा वहां पर किस प्रकार का अनुसंधान कार्य किया जायेगा;

(घ) उस अनुसंधान कार्य से भारत को क्या ठोस लाभ प्राप्त होगा; और

(ङ) प्रयोगशाला स्थापित करने तथा अनुसंधान कार्य करने सम्बन्धी इस अभियान पर कितना व्यय होगा?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। स्थायी केन्द्र "दक्षिण गंगोत्री" कार्यरत प्रयोगशालाओं सहित स्थापित कर लिया गया है।

(ग) इन प्रयोगशालाओं में पर्यावरण, मौसम-विज्ञान, भौगोलिक, भूभौतिक एवं जैविक विज्ञान से संबंधित अनुसंधान किए जायेंगे।

(घ) अन्टार्कटिका महाद्वीप कई प्रकार से अद्वितीय है। यह पृथ्वी के वायुमंडल और खास तौर से हिन्द महासागर क्षेत्र के मौसम को प्रभावित करता है। इसके बर्फ के घने जमाव, चट्टानें तथा अन्य खनिज पदार्थ का काफी वैज्ञानिक महत्व है, व ऐसा ही महत्व बर्फीले महाद्वीप के चारों तरफ के महासागरों में जैविक तथा अजैविक, संसाधनों का है। अभियान विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों का मौका प्रदान करते हैं, जैसे कि क्षेत्र का भू-विज्ञान, भू-भौतिकी, भू-चुम्बकत्व, हिमनद् विज्ञान, रेडियो तरंग प्रसारण इत्यादि।

(ङ) स्थायी केन्द्र की स्थापना सहित इस कार्य पर अनुमानित व्यय करीब 5 करोड़ रुपये है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स से जनरेटर खरीदने के लिए महाराष्ट्र की शर्तें

*** 148. श्री अटल बिहारी वाजपेयी**
श्री सूरज भान } क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान, दिनांक 17 जनवरी, 1981 के "हिंदुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार "भेल" से 500 मेगावाट का जनरेटर खरीदने को तैयार है बशर्ते कि इसके 80 प्रतिशत पुर्जे आयातित हों;

(ख) क्या महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने पहले कई अवसरों पर "भेल" के जनरेटरों के कार्य-निष्पादन के बारे में शिकायतें की हैं;

(ग) तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड की शिकायतों पर भेल ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने बी० एच० ई० एल० द्वारा सप्लाई किए गये कुछ उपकरणों के कार्य करने के बारे में कुछ कठिनाइयां बताई थीं। इस मामले का सम्बन्ध कन्ट्रोल वाल्व, स्लिप रिंग, जनरेटर वेज, मिल डस्ट गार्ड आदि जैसे उपकरणों और अधिष्ठापन तथा कार्य-संचालन में कमियां होने से था जिनमें न केवल बी० एच० ई० एल० बल्कि अनेक अन्य संगठन अन्तर्ग्रस्त हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए एक कृतिक बल गठित किया गया था जिसमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, बी० एच० ई० एल०, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड तथा केल्ट्रान के इंजीनियर शामिल हैं। कृतिक बल की टीमों ने राज्य बिजली बोर्ड के इंजीनियरों के साथ विचार-

विमर्श के पश्चात् समयबद्ध उपचारात्मक कार्रवाई योजनाएं तैयार की हैं। तैयार किए गए कार्यक्रमों के अनुसार बी० एच० ई० एल० ने पहले ही आवश्यक उपाय शुरू कर दिए हैं।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० (सेल) के पास बिना बिके पड़ा आयातित इस्पात

* 149. **श्री जगपाल सिंह : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1983 के अन्त तक भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० (सेल) के पास बिना बिका कितना आयातित इस्पात (मूल्य सहित) था;

(ख) इस्पात के आयातित भंडार के न बिकने के क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० (सेल) को कितनी हानि होने का अनुमान है; और

(ग) हानि को न्यूनतम करने के लिए आयातित भंडार के निपटान हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) 31 दिसम्बर, 1983 को "सेल" के पास आयातित इस्पात का स्टाक 68,000 टन था जिसका मूल्य लगभग 30.6 करोड़ रुपये था। इसके मुकाबले इसके पास 1 अप्रैल, 1983 को आयातित इस्पात का स्टाक 102,600 टन था जिसका मूल्य लगभग 46.2 करोड़ रुपये था। इस स्टाक में और कमी हुई है और 1 मार्च, 1984 को इस्पात का स्टाक 53,800 टन रह गया था जिसका मूल्य लगभग 24.2 करोड़ रुपये था।

(ख) "सेल" ने इस्पात का आयात प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों द्वारा अपनी मांग के सम्बन्ध में बताए गए अनुमानों के आधार पर किया था। इन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों ने अपनी मांग के सम्बन्ध में बताए गये अनुमानों की तुलना में काफी कम माल उठाया और मुख्यत: इसी कारण स्टाक जमा हुआ। "सेल" को इसके कारण कोई हानि नहीं उठानी पड़ी क्योंकि पूरी लागत वसूल कर ली गई हैं।

(ग) स्टाक में कमी करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गए हैं :—

(i) वर्ष 1983-84 में आयात काफी कम किया गया है। माध्यम अभिकरण के प रूमें वर्ष 1983-84 के दौरान 'सेल' द्वारा 5,50,000 टन इस्पात का आयात करने की सम्भावना है जबकि वर्ष 1982-83 के दौरान 13,17,000 टन इस्पात का आयात किया गया था।

(ii) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को माल जल्दी उठाने के लिए जोर देना; और

(iii) इस सामग्री को अन्य वास्तविक उपभोक्ताओं को सप्लाई करना।

बंगाल पाटरीज और नेशनल टैनरी का राष्ट्रीयकरण

*150. **श्री नीरेन घोष** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है नेशनल टैनरी और बंगाल पाटरीज में 80 प्रतिशत शेयर पूंजी सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों की लगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी मालूम है कि इन कम्पनियों का उत्पादन कच्चे माल के अभाव, धन की कमी और कुप्रबन्ध के कारण ठप्प पड़ गया है जिसके कारण इनके लगभग 6000 कर्मचारियों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार बंगाल पाटरीज और नेशनल टैनरी फैक्ट्रियों का राष्ट्रीयकरण कब तक करेगी;

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) बैंकों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और राज्य व्यापार निगम के मै० नेशनल टैनरी कम्पनी लि० में 76.75 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं। कंपनी को गम्भीर वित्तीय कठिनाइयों और भारी संचलनात्मक हानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनवरी, 1983 में उत्पादन बंद कर दिया गया था, किन्तु मई, 1983 से उत्पादन आंशिक रूप से पुनः शुरू हो गया है। इसके राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मै० बंगाल पाटरीज़ लिमिटेड में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के 18 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं। उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 एफ० ए० के उपबन्धों के अधीन इस कम्पनी के औद्योगिक उपक्रमों का प्रबंध भारतीय औद्योगिक पुन-निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा है। उपक्रमों में लगातार उत्पादन हो रहा है। वर्तमान नीति विषयक मार्गदर्शी सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुये सरकार द्वारा उपक्रमों को अन्तिम निपटारा करने के लिये विभिन्न विकल्पों की जांच की जा रही है।

सरकारी कर्मचारियों के पेंशन मामले निपटाने में विलम्ब

*151. **श्री अजित बाग** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी के संयुक्त पेंशन मामले पर विचार करने में बहुत समय लगता है जिसकी सेवा केन्द्रीय सरकार के अधीन 33 वर्ष की अधिकतम सेवा से कम है और उसकी पहले की सेवा किसी राज्य सरकार के अधीन है और सम्बन्धित राज्य सरकार पेंशन सम्बन्धी अनुपातिक दायित्व को वहन करने के लिये सहमत है;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित नियमों में क्या त्रुटि है, जिसके कारण पेंशन के ऐसे मामलों को निपटाने में अत्यधिक बिलम्ब होता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार, यदि सिविल पेंशन नियमों में कोई त्रुटि है, तो उसको दूर करने के लिये उनमें संशोधन करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) नियमो में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि जिस मामले में कोई राज्य सरकार सेवा-हिस्से के आधार पर पेंशन सम्बन्धी दायित्व की साझेदारी के लिए सहमत हो जाती है वहां राज्य सरकार के अधीन की गई सेवा केंद्रीय सरकार के अधीन सिविल पेंशन के लिए अर्हक सेवा मानी जाएगी। इस उद्देश्य के लिये केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच पारस्परिक व्यवस्था विद्यमान है। इसलिये ऐसे पेंशन सम्बन्धी मामलों को निपटाने में साधारणतः देरी का प्रश्न नहीं उठना चाहिये; अतः विद्यमान नियमों में इस प्रकार का कोई संशोधन करना आवश्यक नहीं समझा जाता।

खादी आयोग और बोर्डों से वर्दी खरीदने के लिए आदेश

*152. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने विभागों, निगमों, स्वायत्त-शासी निकायों को इस आशय के अनुदेश जारी किये हैं कि उनको अपने कर्मचारियों की वर्दियों और कार्यालयों के लिये अन्य आवश्यक सामग्री केंद्रीय खादी आयोग और राज्य के खादी बोर्डों से खरीदनी चाहिये;

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गए अनुदेशों की प्रतियां सभा पलट पर रखी जाएंगी;

(ग) क्या यह सच है कि कोई भी विभाग उपरोक्त अनुदेशों का परिपालन नहीं कर रहा है; और

(घ) क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकारें खादी विकास कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने हेतु इन आदेशों को क्रियान्वित करने के लिए प्रभावी और ठोस कार्यवाही करेंगी, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) कार्मिक विभाग, रेलवे बोर्ड तथा सरकारी उद्यमी ब्यूरो ने अपने विभागों/स्वायतशासी निकायों को समय-समय पर ये निदेश किये हैं कि वे अपने कर्मचारियों की वर्दियों के लिए खादी खरीदें। आपूर्ति विभाग ने भी कुछ खादी की वस्तुओं जैसे चादरों, दुसूती, डस्टरों इत्यादि को खादी और ग्रामोद्योग आयोग से खरीदने के लिये आरक्षित किया है। कुछ राज्यों जैसे तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा गुजरात ने भी सरकारी विभागों में खादी खरीदने/खादी को प्राथमिकता देने/खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों का प्रयोग करने के निर्देश जारी किये हैं।

(ख) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, रेलवे बोर्ड तथा सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा जारी किये गए निर्देशों की प्रतियां अनुबन्ध I, II और III सभा पटल पर रखी जाती हैं। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7853/84]

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को वर्ष 1971-72 तक सूती खादी की आपूर्ति के लिए डाक व तार विभाग, रेलवे तथा अन्य सरकारी विभागों से क्रयादेश मिला करते थे। 1971-72 में डाक व तार विभाग ने खादी की खरीद को बन्द कर दिया। 1978-79 के दौरान डाक व तार विभाग ने खादी खरीदने के लिए फिर से क्रयादेश दिए थे किन्तु इसके बाद खरीदना बन्द कर दिया। 1973 और 1982 में रेलवे ने अपने वर्दी सम्बन्धी विनियमों में संशोधन कर दिया था, किन्तु कर्मचारियों की जिस श्रेणी के लिए पहले खादी का प्रयोग जारी रखा। केन्द्र सरकार के श्रेणी 'ग' और 'घ के कर्मचारियों तथा उसके सम्बद्ध कार्यालयों के कर्मचारियों को भी खादी की वर्दी दी जाती है।

(घ) खादी विकास कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं, किन्तु केन्द्र सरकार के कर्मचारी वर्दी के लिए खादी के प्रयोग का सामान्य रूप से विरोध कर रहे हैं।

जम्मू और काश्मीर में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति

*153. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जम्मू और काश्मीर में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) सरकार को जम्मू तथा काश्मीर की स्थिति के बारे में एक ज्ञापन जो एक छ: सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने जनवरी, 1984 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया था, प्राप्त हुआ है।

(ख) भारत सरकार राज्य सरकार से राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता और प्रभुसत्ता से पूर्ण रूप से सम्बन्धित विभिन्न मामलों पर पत्र व्यवहार करती ही है। राज्य सरकार ने हाल में राष्ट्र-विरोधी और अलगाववादी समूहों/संगठनों के कुछ सदस्यों/कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करना आरंभ कर दिया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाती है और समीक्षा की जाती है।

देश में इलैक्ट्रानिक उद्योग

*154. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देश के इलैक्ट्रोनिक उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए इसके विकास

हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) क्या देश में ही अथवा किसी दूसरे देश के सहयोग से बनाई जा रही इलैक्ट्रौनिक वस्तुओं की एक सूची सभा पटल पर रखी जाएगी; और

(ग) क्या सरकार, कोरिया और जापान जैसे अन्य देशों की तरह ही लघु उद्योग क्षेत्र में इलैक्ट्रोनिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए लोगों को शिक्षित करने पर विचार करेगी ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) एक आधुनिक तथा स्वावलम्बी इलेक्ट्रानिकी उद्योग के विकास के लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग ने समूची नीति के एक भाग के रूप में कई उपाय किए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं : औद्योगिक लाइसेंसिंग नीतियां जो तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से उत्पादन-क्षमताएं स्थापित करने तथा न्यूनतम किफायती लागत पर अधिक मात्रा में उत्पादन को बढ़ावा देती है, बड़े/बहुत बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथ (एल० एस० आई०/वी० एल० एस० आई०) सूक्ष्मतरंग ट्यूबें, सिलिकन तथा मुख्य ढांचे वाले मध्यम आकार के कम्प्यूटर/जैसी उच्च प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन और अनुसंधान तथा विकास के लिए सरकार द्वारा पूंजी-निवेश, देश की दूर संचार व्यवस्था के लिए अद्यतन (स्टेट आफ आर्ट) इलेक्ट्रोनिक स्विचन प्रणाली का एक विकासात्मक इंजीनियरी कार्यक्रम, कई प्रकार की प्रणालियों, उपस्करों, संघटक-पुर्जों तथा सामग्रियों में अनुसंधान तथा विकास को प्रोत्साहन देना तथा प्रौद्योगिकी विकास करना तन्तु (फाइबर) प्रकाशिकी, दूरमिति, कृषि तथा शिक्षा में इलेक्ट्रॉनिकी, कम्प्यूटरों में जनशक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम, नियंत्रण तथा यंत्रीकरण, संचार एवं सेमीकण्डक्टर जैसी अग्रणी प्रौद्योगिकियों/इलेक्ट्रानिकी के अनुप्रयोगों में उत्तमता केन्द्र।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का विनिर्माण हजारों कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है। इस सूचना के एकत्रित करने में काफी समय तथा प्रयास की आवश्यकता होगी। किन्तु, यदि किसी विशिष्ट कम्पनी/इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के सम्बन्ध में जानकारी आवश्यक हो तो उसे एकत्रित करके उपलब्ध कराया जा सकता है।

(ग) इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उत्पादन में लघु क्षेत्र के उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है और इसलिए तकनीकी एवं आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग की आवश्यकता के अनुसार लघु क्षेत्र की इलेक्ट्रानिक इकाइयों के गठन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। लघु उद्योग क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा विनिर्माण हेतु उनके लिए आरक्षित लगभग 24 इलेक्ट्रॉमिक उत्पादों के अलावा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा 14 राज्यों में इलेक्ट्रानिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य लघु क्षेत्र की इकाइयों को उनके उत्पादों की गुणवत्ता को उन्नत बनाने के लिए परीक्षण तथा अंशांकन सुविधाएं उपलब्ध कराना है। हैदराबाद में एक सोल्डर स्कूल भी स्थापित किया गया है। औद्योगिकी इकाइयों विशेषकर लघु उद्योग क्षेत्र में गठित इकाइयों में गुणवत्ता के प्रति जागरूकता पैदा

करने तथा उसे बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्रों द्वारा संगोष्ठियां भी आयोजित की जाती हैं।

तांबे का उत्पादन

*155. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की **कृपा करेंगे** कि :

(क) क्या सरकार देश में तांबे की कुल मांग के केवल 38 प्रतिशत भाग का ही उत्पादन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार, कितने मूल्य के ताँबे का आयात किया गया;

(ग) क्या तांबे के मामले में आत्मनिर्भर बनने हेतु कोई व्यापक योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पाय और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) तांबे के वर्तमान देशी उत्पादन से देश में तांबे की कुल मांग का लगभग 32 प्रतिशत भाग पूरा हो पाता है।

(ख) खनिज व धातु व्यापार निगम की मार्फत गत तीन वर्षों में आयातित तांबा धातु का मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मूल्य (लाख रुपयों में)
1980-81	6940.24
1981-82	7037.60
1982-83	7551.10

इसके अतिरिक्त ओपन जनरल लायसेंस के अन्तर्गत कापर स्क्रैप तथा आर० ई० पी० लायसेंसों पर भी तांबे का आयात किया जाता है।

(ग) तथा (घ) देश में तांबा के ज्ञात अयस्क भंडार सीमित होने के कारण तांबा में आत्मनिर्भरता की योजना बनाना संभव नहीं हुआ है। फिर भी, हिन्दुस्तान कापर लि० में शुद्ध तांबे की वार्षिक उत्पादन क्षमता 39.400 टन से बढ़ाकर 65,000 टन करने की योजना बनाई गई है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे : —

1. ग्रहीत बिजली उत्पादन को सुदृढ़ बनाना।

2. 900 टन अयस्क के दैनिक अतिरिक्त उत्पादन के लिए सुरदा तथा राखा खानों का विस्तार ।

3. इंडियन कापर कम्पलैक्स में 3000 टन दैनिक अयस्क शोधन क्षमता के नए सान्द्रक की स्थापना ।

4. घटशिला प्रद्रावक की क्षमता 16,500 से बढ़ाकर 20,000 टन प्रति वर्ष करना ।

5. घट शिला शोधनशाला की क्षमता को 8,400 टन से बढ़ाकर 20.000 टन प्रति वर्ष करना ।

6. खेतड़ी में प्रद्रावक तथा शोधनशाला की क्षमता को 31,000 टन से बढ़ाकर 45,000 टन प्रति वर्ष करना ।

तांबा अयस्क भंडारों में वृद्धि के लिए गवेषण कार्य तेज कर दिए गए हैं । तांबा उत्पादन में और वृद्धि की योजनाओं का निर्माण गवेषण परिणामों पर निर्भर करेगा ।

सांतवीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी के सन्दर्भ में योजना आयोग द्वारा गठित अलौह धातु कार्यकारी दल तांबे के विकास के लिए परिपेक्ष्य योजनायें बनाने के लिए कार्रवाई कर रहा है।

दिल्ली में पुलिस थानों में व्यक्तियों/अपराधियों की यातना दिए जाने से मृत्यु

* 156. **श्री बाल कृष्ण वासनिक**
श्री गुफरान आजम } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 1983 के दौरान विभिन्न पुलिस थानों में भारी संख्या में व्यक्तियों/अपराधियों को यातना दिए जाने से मृत्यु होने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन घटनाओं से सम्बद्ध पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है तथा जांच आदि के लिए पुलिस थानों में बुलाए जाने वाले अपराधियों पर इस प्रकार के अत्याचारों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) 1983 के दौरान दिल्ली में पुलिस की हिरासत में मृत्यु के छः मामले हुए हैं। प्राथमिक जांच पड़ताल से संकेत होता है कि इनमें से तीन मौतें पुलिस हिरासत के समय लगी चोटों के कारण हुई थीं ।

(ग) इनमें से एक मामले में थाना सुलतानपुरी के एक पुलिस कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके विरुद्ध भा० द० सं० की धारा 304/343/348/330/34 के अधीन मामला

दर्ज किया गया है। शेष मामलों में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा की गई/की जा रही जांच रिपोर्ट की परीक्षा पूरी होने के बाद कार्यवाही की जाएगी।

समय-समय पर उपयुक्त अनुदेश दिए गए हैं, जिनमें यह जोर दिया गया है कि पुलिस हिरासत में व्यक्तियों पर शारीरिक हिंसा न की जाय और पूछताछ का काम वैज्ञानिक ढंग से किया जाए।

जम्मू और काश्मीर घाटी में हिंसा

* 157. श्री अनन्त रामुलु मल्लु
श्री लक्ष्मण मलिक } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मकबूल बटट को फांसी दिए जाने के अवसर पर जम्मू और काश्मीर घाटी की शांति भंग करने के प्रयोजन से जम्मू और काश्मीर में कुछ हिंसक घटनाएं हुई थीं;

(ख) क्या यह भी सच है कि काश्मीर मुक्ति मोर्चे के दो युवकों ने 10 फरवरी, 1984 को केन्द्रीय सूचना और प्रसारण उप मंत्री के आवास पर अपहरण करने का एक असफल प्रयास किया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) हमारी सूचना के अनुसार घाटी में मकबूल बट्ट की निर्धारित फांसी के विरोध में कुछ एक स्थानों पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दुकानों को जबरदस्ती बंद कराने के प्रयत्न किए गए।

(ख) जी हां, श्रीमान्। तथापि व्यक्तियों या जिस संगठन से वे संबंध रखते हैं उसका पता नहीं है।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, श्रीमती गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट के अनुसार, 10 फरवरी, 1984 को सायं लगभग 12·15 बजे 35/40 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति आया था। उसका स्वर पंजाबी लग रहा था। उसने कहा कि मंत्रालय में एक समारोह हो रहा है और उप मंत्री ने अपने लड़के को लेने के लिए उसे भेजा है। श्रीमती आजाद ने घुसपैठी को बताया कि बच्चा बहुत छोटा है और अधिक समय तक उनसे अलग नहीं रह सकता है अतः वह भी उसके साथ जायेगी। श्रीमती आजाद ने उससे इन्तजार करने के लिए कहा और अपने पति से टेलीफोन

पर सम्पर्क स्थापित करने के लिए अन्दर गयी। जब वह मंत्रा महोदय से सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश कर रही थी, तो घुसपैठिया उस स्थान से चला गया। उसने यह भी देखा कि घुसपैठी के साथ एक दूसरा व्यक्ति भी था जो बरामदे के बाहर इन्तजार कर रहा था और बंगले के मुख्य दरवाजे के बाहर, सड़क के किनारे एक काले रंग की कार खड़ी थी।

हाथी अभयारण्य परियोजना

* 158. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में कितनी हाथी अभयारण्य परियोजनाएं स्थापित की गई हैं;

(ख) क्या भुवनेश्वर के समीप हाथी अभयारण्य परियोजना स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजना के कार्यान्वियन को शीघ्रता से पूरा करने के लिए केन्द्र ने क्या कदम उठाए हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) वन्य प्राणी सुरक्षा के लिए विभिन्न राज्यों में अनेक राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य स्थापित किए गए हैं, इसमें जंगली हाथी भी शामिल हैं। जंगली हाथियों सहित राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों की एक सूची विवरण के रूप में सभा पटल पर रखी जाती है।

(ख) और (ग) उड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर के पास चान्दका में हाल ही में एक अभयारण्य की स्थापना की है। राज्य सरकार ने अभयारण्यों के विकास के लिए 508·00 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक परियोजना भी तैयार की है। परियोजना का कार्यान्वियन चालू वित्तीय वर्ष से चालू हो गया है, जिसके दौरान राज्य सरकार ने केवल 23.75 लाख रुपये का प्रावधान किया है।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	राष्ट्रीय पार्क	अभयारण्य
असम	काजीरंगा	मानस
		ओरंग
		सोनाई-रूप
		गरम-पानी

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	राष्ट्रीय पार्क	अभयारण्य
अरुणाचल प्रदेश	नामडाफा	इटानगर
		लाली
		पक्कई
बिहार		डालमा
		पालमाऊ
		बामिपाबुरू
		टाबू
मेघालय		सिजू
		नौंग्ख्यालय
नागालैण्ड		इटांगी
		पूलिक वडजे
मिजोरम		डाम्पा
उत्तर प्रदेश	कारबेट	राजाजी
		मोतीचूर
		चीला
कर्नाटक	बान्दीपुर	भद्रा
	नगेरहोल	शीटीहाली
	बानरघाटा	सहारावती
		मूकाम्बिका
		डांडेली
		नागू
		बिलीगिड़ी रंगासामी
तमिलनाडु		अन्नामलाई
		मदुमलाई
केरल	इराविकुलम	नेयरा
	पेरियार	इदुकी
		पीचीवजानी
		पीराम्बिकुलम
		वाइनाद

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	राष्ट्रीय पार्क	अभयारण्य
उड़ीसा	उत्तरी सिमलीपाल	सिमलीपाल
		खालासुनी
		चान्दका
पश्चिम बंगाल		महानन्दा
		गोरूमारा
		छपरामारा
		जलदापारा

परमाणु कार्यक्रम के सम्बन्ध में प्रसाद समिति द्वारा की गई सिफारिशें

* 159. डा० बसंत कुमार पंडित : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के भारी (हेवी) जल तथा हल्का (लाइट) जल परमाणु कार्यक्रम के तुलनात्मक उपयोग के सम्बन्ध में श्री एन० बी० प्रसाद की अध्यक्षता में नियुक्त विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं तथा उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ख) क्या संचालित संयंत्रों में भारी (हैवी) जल सम्बन्धी मूल अधिकतम लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं;

(ग) क्या सरकार हल्के जल रिएक्टरों पर आधारित विद्युत आवश्यकता के बारे में पुनः मूल्यांकन कर रही है;

(घ) क्या सरकार प्रसाद विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) राजस्थान परमाणु बिजलीघर का मूल्यांकन तकनीकी दृष्टि से करने के लिए डा० एन० बी० प्रसाद की अध्यक्षता में गठित समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि दाबित भारी पानी किस्म के रिऐक्टर लगाने का निर्णय बुद्धिमत्तापूर्ण तथा दूरदर्शितापूर्ण रहा है ।

(ख) हाल ही का यह अनुभव कि चालू भारी पानी संयंत्रों का उपयोग निरन्तर किया जा सका है यह सिद्ध करता है कि इन संयंत्रों से आरम्भ में जो आशा रखी गई थी वह सही रही है ।

(ग) जी, नहीं । दाबित भारी पानी किस्म के रिऐक्टरों का चुनाव हमारे परमाणु बिजली

संबंधी कार्यक्रम के सन्दर्भ में सही रहा है।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

योजना आयोग को स्वायत्तशासी बनाना

* 160. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान योजना आयोग के पुनर्गठन के लिए दिए सुझाव की ओर आकर्षित किया गया है ताकि राज्यों को वर्तमान स्थिति से बचाया जा सके, और यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है;

(ख) क्या सरकार उपर्युक्त भाग (क) में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग को पूर्ण रूप से स्वायत्तशासी बनायेगी और उसे राष्ट्रीय विकास परिषद् के अधीन रखेगी; और

(ग) क्या सरकार ऊपर से चलने वाली वर्तमान पद्धति के स्थान पर इसे ब्लाक स्तर से शुरू करके समूची योजना प्रक्रिया और नीति का विकेन्द्रीकरण करेगी और उन्हें नया स्वरूप देगी ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने 'योजना के तंत्र' से संबंधित अपनी अन्तरिम रिपोर्ट (अप्रैल, 1967) में यह सिफारिश की थी कि योजना आयोग के स्तर को असांविधानिक निकाय के रूप में जारी रखा जाना चाहिए, केन्द्र के साथ इसका निकट संबंध बनाए रखा जाए फिर भी यह इससे स्वतन्त्र रहे। सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग की यह सिफारिश स्वीकार कर ली और लोक सभा के सभा पटल पर 31 जुलाई, 1970 को प्रस्तुत विवरण के जरिए सदन को तदनुसार सूचित कर दिया।

इस संबंध में सरकार की विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) योजना आयोग पहले ही राष्ट्रीय विकास परिषद् के सचिवालय के रूप में काम करता है और राष्ट्रीय योजना से संबंधित मामलों में राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय के निर्णयों के आधारस्वरूप के भीतर कार्य करता है।

(ग) योजना आयोग के विकेन्द्रीकरण की हिमायत की है और इस संबंध में समय-समय पर राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धांत और परिपत्र भेजे गए हैं। वर्तमान योजना में, केन्द्र ने जिला योजना तंत्र को मजबूत करने के लिए एक स्कीम आरम्भ की है। स्कीम पर व्यय से केन्द्र और

राज्यों का बराबर-बराबर भाग है। हाल ही में प्रधान मंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भी राज्यों में विकास योजना और प्रशासन के विकेन्द्रीकरण के बारे में लिखा है।

1984-85 के योजना परिव्यय में वृद्धि

* 161. **श्री अजित बाग** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984-85 के परिव्यय में वृद्धि के लिए प्राथमिकता देने के मामले में सरकार की नीति ठीक-ठीक क्या है; और

(ख) वर्ष 1981 से 1984 तक की अवधि में बिजली, रेलवे और परिवहन क्षेत्रों के लिए योजना खर्चों में प्रतिशत वृद्धि कम होने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) 1984-85 की वार्षिक योजना छठी पंचवर्षीय योजना में दिए गए उद्देश्यों, प्राथमिकताओं तथा कार्यक्रमों के बल और पहले तीन वर्षों में अर्थव्यवस्था के निष्पादन के आधार स्वरूप के भीतर तैयार की गई है। सरकार ने उपलब्ध संसाधनों के भीतर यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रकों को धनराशियों का आबंटन करने का प्रयत्न किया है कि ऐसी जारी परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाए जिन्हें शीघ्र पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण क्षेत्रकों के लिए अधिक परिव्ययों की व्यवस्था की गई है कि ताकि अर्थव्यवस्था की भावी संवृद्धि के लिए आधार बनाए रखे जा सकें। इस प्रकार, विद्युत, रेलवे, उद्योग तथा खनिज और ग्रामीण विकास के लिए परिव्ययों में 1983-84 के बजट स्तरों की तुलना में वर्ष 1984-85 में क्रमश: 15 प्रतिशत, 23 प्रतिशत, 31.6 प्रतिशत और 41 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

(ख) संसाधनों की उपलब्धता और विभिन्न क्षेत्रकों की प्रतियोगी मांगों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रकीय परिव्ययों का निर्णय किया जाता है। इन बाध्यकारिताओं के भीतर ऊर्जा और परिवहन (रेलवे क्षेत्रकों सहित) को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। इन दो क्षेत्रकों के लिए परिव्यय छठी योजना के कुल परिव्ययों का लगभग 43.1 प्रतिशत होंगे। वर्षानुवर्ष मामूली परिवर्तन होते हुए भी इन क्षेत्रकों के लिए छठी योजना में परिकल्पित समग्र परिव्ययों को सामान्यत: कायम रखा गया है।

20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति

1621. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष 1983-84 की तीन तिमाहियों में 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की कोई समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के विभिन्न सूत्रों के कार्यान्वयन में प्रत्येक राज्य/संघ

राज्य क्षेत्र ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है;

(ग) क्या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का कार्य निष्पादन असंतोषजनक पाया गया है; और

(घ) इस संबंध में संतोषजनक स्तर प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यक्रम के विभिन्न सूत्रों के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्य निष्पादन को बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 7854/84]

(ग) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम जिनके कार्य निष्पादन को "अच्छा नहीं" की श्रेणी में रखा गया है, उत्तर के भाग (ख) के विवरण में भी दिया गया है।

(घ) स्थिति से राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों को अवगत कराया जाता है और कार्य निष्पादन के संतोषजनक स्तर को प्राप्त करने के लिए उचित कदम उठाने का अनुरोध किया जाता है।

भालुओं की संख्या में कमी होना

1622. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भालुओं की संख्या में काफी कमी हो गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कर्नाटक के कुछ छोटे-छोटे हिस्सों में शिकार और धमाकों के कारण पशु बिखर गए हैं;

(ग) क्या देश में भालुओं के संरक्षण और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए एक परियोजना शुरू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) इस प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) तथा (घ) वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत भालुओं को पहले ही कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है तथा इसकी जातियों और वास-स्थलों को देश के कुछेक राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों में सुरक्षा प्रदान की जाती है। फिलहाल इनके संरक्षण के लिए अलग से कोई परियोजना विचाराधीन नहीं है।

भारत बांगलादेश सीमा पर झड़पें

1623. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में नादिया जिले में भारत बांगलादेश सीमा पर हुई एक घटना में बांगलादेश के एक अपराधी गिरोह ने दो जवानों को मार दिया था और एक अन्य को गम्भीर रूप से जख्मी कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि दिसम्बर, 1983 और जनवरी, 1984 के महीनों के दौरान भारतीय सुरक्षा सेनाओं और बांगलादेश की सीमावर्ती सुरक्षा सेनाओं के बीच कई बार झड़पें हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो ये झड़पें होने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) भारत और बांगलादेश सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) भारत बांगलादेश सीमा पर सतत सतर्कता और निगरानी रखी जाती है । पश्चिम बंगाल बांगलादेश सीमा पर सुरक्षा बल की दो अतिरिक्त बटालियनें और त्रिपुरा-बांगलादेश सीमा पर एक और बटालियन तैनात की गई है । पश्चिम बंगाल-बांगलादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की दो और बटालियनें तैनात किए जाने की सम्भावना है । सीमा सुरक्षा बल की ओर बाह्य चौकियां खोली गई हैं और अनेक निरीक्षण बुर्ज खड़े किए गए हैं ।

खनिजों की रायल्टी की दरों में संशोधन करना

1624. **श्री हरिहर सोरन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खनिजों की रायल्टी की दरों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो उनमें अन्तिम बार कब संशोधन किया गया था;

(ग) क्या खनिजों की रायल्टी की दर में और आगे संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधन का ब्यौरा क्या है और यह कब तक कर दिया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०के० पी० साल्वे) : (क) तथा (ख) स्वर्ण, चांदी, गोमेद, क्रोमाइट, डोलोमाइट, चूनापत्थर, कंकर व चूनाश्म सहित ग्रेफाइट, चीनीमिट्टी,

कायनाइट, जिप्सम, फायरक्ले, सीसा अयस्क, जस्ता अयस्क, गारनेट (अपघर्षी), [सिलिमेनाइट, बैराइट, क्वार्टजाइट, क्वार्टज, सिलिका सैंड, कोरंडम, बाक्साइट, सेलखड़ी (टाक)] स्टेटाइट तथा सोपस्टोन, एपेटाइट तथा राकफास्फेट, एसबेसटस, कैडमियम, केलसाइट, गेरू (ओकर), डायस्पोर फेलस्पार, फ्लोरस्पार, पायराइट्स, पायरोफ्लाइट, वर्मिक्युलाइट, टंगस्टन अयस्क तथा वोलस्टोनाइट की रायल्टी दरें 23-7-1981 को तथा कोयला और भराई रेत (सैंडफारस्टोइंग) की दरें 13-2-1981 को परिवर्द्धित की गई थी।

(ग) तथा (घ) कीमती तथा अर्ध-कीमती पत्थरों (गोमेद के अलावा) की रायल्टी दरों में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई क्योंकि रायल्टी दरें मूल्यानुसार थी। और न अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट नहीं किए गये खनिजों, जिनके लिए खान मुहानों पर मूल्यानुसार दरें ली जाती हैं, के सम्बन्ध में रायल्टी दरें संशोधित करना वांछनीय समझा गया।

जहां तक स्टाइल, इलिमेनाइट तथा निकिल का सम्बन्ध है, इनकी दरों में संशोधन इस कारण नहीं किया गया क्योंकि इनका उत्पादन बहुत कम था।

अभ्रक की रायल्टी दरें भी संशोधित नहीं की जा सकी, क्योंकि 1978 में भारत सरकार द्वारा गठित अध्ययन दल के सुझावों के अनुसार अभ्रक के सभी ग्रेडों तथा किस्मों हेतु समान दर पर रायल्टी संशोधन के लिए कुछ अभ्रक उत्पादक राज्य तैयार नहीं थे।

कुछ अन्य खनिजों जैसे लोह, तांबा, मैंगनीज तथा मैगनेटाइट की रायल्टी दरों में संशोधन, कुछ राज्य सरकारों के संदर्भानुसार, विचाराधीन है।

गोरखपुर जिले में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की योजनाएं

1625. **श्री अशफाक हुसैन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की कितनी योजनाएं चल रही हैं;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान गोरखपुर जिले की यूनिटों में यूनिट-वार और वर्ष-वार उनमें कितने लोगों को रोजगार दिया गया तथा इन यूनिटों को कितना ऋण और अनुदान स्वीकृत और वितरित किया गया; और

(ग) वर्ष 1983-84 हेतु उक्त जिले के लिए यूनिट-वार क्या प्रस्ताव है और उस प्रस्ताव के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

लघु क्षेत्र की प्रगति में आने वाली बाधाएं

1626. **डा० ए० यू० आजमी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र की प्रगति में अड़चन डालने की कठिनाइयों का पता लगाने और उन्हें दूर करने के लिए मुख्य कार्यक्रमों और नीतियों की समीक्षा तथा उनका मूल्यांकन करने की संकल्पना दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में किए गए प्रयत्नों का ब्यौरा क्या है और उनसे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए उत्तरदायी इस मंत्रालय के अधीन एजेंसियों अर्थात् लघु उद्योग विकास संगठन, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग एवं केयर बोर्ड के कार्य-निष्पादन पर तिमाही समीक्षाओं द्वारा जो लक्ष्यों के संबंध में उनकी उपलब्धताओं का मूल्यांकन करने के लिए की जाती हैं, अवलोकन किया जाता है और जहां-कहीं आवश्यक होता है वहां सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। हाथ में लिए गए कार्यक्रमों/योजनाओं के मूल्यांकन और मुख्य रुकावटों को दूर करने के लिए किए गए उपायों तथा ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र के विकास के संवर्द्धन में सहायता करने के लिए योजना आयोग द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि-मूल्यांकन के सम्बन्ध में विस्तृत कार्य किए गए हैं।

मानस और संकोश नदियों पर बांध के निर्माण से असम में बाघ अभयारण्यों को खतरा

1627. **श्री मोहन लाल पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार भूटान में मानस और सांकोश नदियों के ऊपरी क्षेत्रों में एक बांध के निर्माण करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस बांध से असम में बाघ अभयारण्यों जो कि विश्व की विरल और समृद्ध पर्यावरण संतुलन व्यवस्था है, को खतरा होगा;

(ग) इस अभयारण्य में रह रहे वन्य जीवन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को विशेषज्ञों के इस मत की जानकारी है कि एक बार जब यह बांध और नहरें अस्तित्व में आ जायेंगी तो, इस क्षेत्र की पर्यावरण संतुलन व्यवस्था नष्ट हो जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस अभयारण्य को बचाने और वन्य जीवन के परिरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हां। फिलहाल, सिंचाई मंत्रालय तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के लिए विस्तृत क्षेत्रीय सर्वेक्षण तथा जांच-पड़ताल कर रहा है।

(ख) जी, हां। एक विशेषज्ञ कार्यकारी दल का गठन कर लिया गया है, जो आजकल मानस-संकोश पारितंत्र पर संभावित प्रतिकूल पर्यावरणीय अनुप्रभाव का पता लगा रहा है।

(ग) मानस बाघ रिजर्व, वन्य जीवन (सुरक्षा) अधिनियम की अनुसूची-1 में उल्लिखित, वन्य जानवरों की अति संकटापन्न 19 उप-जातियों (स्पीसीज) को आश्रय देता है। बाघों के अलावा इसमें बड़े भारतीय गेंडे, जंगली हाथी, जंगली भैंसे, दलदल वाले हिरण, क्षुद्र सूकर, चकत्ते वाले तेंदुआ, सुनहरी बिल्ली, ऋक्ष बिडाल, दृढ़लोमी खरगोश, सुनहरी लंगूर, बंगाल फ्लोरीकन, गंगैटिक डोल्फिन आते हैं। पादप जीवन के संबंध में फैनेरोगैम्स की 383 स्पीसीज (उप-जातियों) को लेखबद्ध किया गया है, जिसमें डाइकोटलीडन 285 स्पीसीज तथा मोनोकोटलीडन की 98 जातियां (स्पीसीज) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त वहां जमीन पर पाई जाने वाली, अधिपादपीय तथा जलीय फर्नों की 18 जातियां (स्पीसीज) तथा आर्किडों की 15 स्पीसीज हैं। वहां घास की भी 43 जातियां (स्पीसीज) हैं।

(घ) तथा (ङ) प्रतिकूल पर्यावरणीय अनुप्रभाव की सीमा का आंकलन विशेषज्ञ दल कर रहा है। विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट के प्राप्त होने तथा विचार के बाद ही आगे की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

चालू वार्षिक योजना के अधीन रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करना

1628. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वार्षिक योजना 1983-84 और 1984-85 के लिए परिकल्पित वार्षिक योजना के अन्तगत अनुमानतः रोजगार के कितने अतिरिक्त अवसर पैदा होने की संभावना है;

(ख) प्रत्येक वर्ष के शुरू में अनुमानतः कितने बेरोजगार व्यक्ति थे; और

(ग) बेरोजगारों विशेषकर शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत कौन सी बड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) छठी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में छठी योजना की अवधि (1980-83) में अर्थव्यवस्था में संभावित रोजगार सृजन के अनुमान और

1981-82 तक उपलब्धियां दी गई हैं। 1983-84 और 1984-85 के लिए रोजगार सृजन संबंधी इसी प्रकार के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन रोजगार तथा बेरोजगारी संबंधी पंचवर्षीय सर्वेक्षण करता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 32वें दौर (1977-78) के परिणामों और सरकारी जनसंख्या अनुमानों के आधार पर छठी योजना के दस्तावेज में मार्च, 1980 के बेरोजगारी के अनुमान दिए गये थे। रोजगार तथा बेरोजगारी से संबंधित अद्यतन सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा अपने 38वें दौर (जनवरी-दिसम्बर, 1983) में किए गए थे। उसके आंकड़े इस समय तैयार किए जा रहे हैं। जहां तक रोजगार कार्यालयों के रिक्ति रजिस्टरों में दर्ज रोजगार तलाश करने वालों की संख्या का सम्बन्ध है, सूचना निम्नलिखित हैं। तथापि रोजगार कार्यालयों में दर्ज रोजगार तलाश करने वाले सभी व्यक्ति आवश्यक रूप से बेरोजगार नहीं हैं।

निम्नलिखित तारीख को	रोजगार कार्यालयों के रिक्ति रजिस्टरों में दर्ज व्यक्तियों की संख्या
	(मिलियन)
31.12.1982	19·75
31.3.1983	20·12
31.12.1983	21·95

(ग) रोजगार/लाभग्राही पूर्वाभिमुख प्रमुख स्कीमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (रा० ग्रा० रो० का०), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (ग्रा० भू० रो० ग्रा० का०), स्वीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (रा० ग्रा० वि० का०) स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण की स्कीम (स्वरो० ग्रा० यु० प्र० स्कीम) और शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने की स्कीम हैं।

योजना आयोग द्वारा बंधुआ मजदूरों के बारे में किया गया सर्वेक्षण

1629. **श्री नवीन रावणी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बंधुआ मजदूरों का पता लगाने के लिए योजना आयोग द्वारा 1983 में कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या है;

(ग) उन मजदूरों की स्थिति किस प्रकार की है; और

(घ) उन मजदूरों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) योजना आयोग ने, विशेष रूप से बंधुआ मजदूरों के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि सांख्यिकी विभाग में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने अपने 38 वें दौर में बंधुआ मजदूरों के सर्वेक्षण को शामिल किया।

(ख) से (घ) क्षेत्रीय कार्य दिसम्बर, 1983 में पूरा कर लिया गया था। विश्लेषण का संगणन दिसम्बर, 1984 तक करने की आशा है।

अनुशासनात्मक प्राधिकारियों के आदेशों को प्राधिकृत करने वाले अधिकारी

1630. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में जहां राष्ट्रपति अनुशासक प्राधिकारी हैं, वहां निलम्बन के आदेश देने, बड़े दण्डों के लिए आरोप पत्र देने, जांच अधिकारी और उपस्थापन प्रजेंटिंग अधिकारी की नियुक्ति, निर्वाह भत्ते की राशि में घटबढ़ करने, अपील और याचिकाओं आदि के उत्तर देने के मामलों में संविधान की धारा 77 (2) के अंतर्गत राष्ट्रपति अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की ओर से कोई अन्य अधिकारी तत्सम्बन्धी आदेशों से प्राधिकृत कर सकता है;

(ख) क्या ऐसे आदेश की वैधता को चुनौती दी जा सकती है, जिनको उक्त विधि से प्राधिकृत नहीं किया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या अनुदेश जारी किए गए हैं और उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें राष्ट्रपति की ओर से आदेशों को प्राधिकृत करने के अधिकार हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) निलम्बन के आदेश, भारी शास्ति के लिए आरोप पत्र, जांच अधिकारी और उपस्थापन अधिकारी की नियुक्ति, निर्वाह भत्ते की राशि में घटबट, अपीलों के सम्बन्ध में आदेश आदि जैसी अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में आदेश सम्बन्धित नियमों में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अपने हस्ताक्षरों से जारी करने होते हैं। किन्तु ऐसे मामलों में जहां राष्ट्रपति अनुशासनिक प्राधिकारी हैं वहां, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 77 की धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाई गई अधिप्रमाणन (आदेश तथा अन्य दस्तावेज) नियमावली, 1958 के अधीन ऐसा करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आदेश अधिप्रमाणित किए जा सकते हैं।

(ख) जी, हाँ।

(ग) अधिप्रमाणन (आदेश तथा अन्य दस्तावेज) नियमावली, 1958 तथा उसमें किए गए संशोधनों को जिसमें ऐसे अधिकारियों के ब्यौरे दिए गए हैं जो राष्ट्रपति की ओर से आदेशों को अधिप्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत हैं, भारत के असाधारण राजपत्र भाग 11 खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशित किया है।

देश में इस्पात उद्योग के समक्ष संकट

1631. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ इस्पात कारखाने संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस्पात उद्योग में संकट को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) 'सेल' के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों को बिजली की सप्लाई पर लगे प्रतिबन्धों, अपेक्षित क्वालिटी के कोककर कोयले की अपर्याप्त उपलब्धि तथा प्राथमिक क्षेत्रों द्वारा अपनी मांग के मुकाबले में काफी कम खरीद करने के परिणामस्वरूप इस्पात की कुछ श्रेणियों का स्टाक जमा हो जाने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

कुछ राज्यों में बिजली की कमी के कारण लघु इस्पात कारखानों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ग) और (घ) बिक्री में तेजी लाने की नीति अपना कर तथा मांग के अनुरूप प्रॉडक्ट-मिक्स में विविधता लाकर जमा हुए स्टाक को कम करने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं, जिनके परिणामस्वरूप कारखानों और घरेलू बिक्री के स्टाकयार्डों में इस्पात/का स्टाक, जो 1.4.1983 को 14,44,100 टन था, 1.2.1984 को घटकर 9,86,200 टन रह गया था। सम्भरक संगठनों के सतत् सहयोग से बिजली तथा अपेक्षित क्वालिटी के कोककर कोयले की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

इस्पात कारखाने भी अपनी बिजली की सीमित सप्लाई जो अधिकाधिक करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। दीर्घावधि उपाए के रूप में बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई में बिजली की अतिरिक्त इकाइयां लगायी जा रही हैं।

लोहिया मशीन द्वारा निर्मित स्कूटरों का आवंटन

1632. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार लोहिया मशीन लिमिटेड कानपुर द्वारा स्कूटर बुक करके कुल कितनी धनराशि जमा की गई है;

(ख) इस कम्पनी द्वारा कुल कितने स्कूटर बुक किए गए हैं और उनमें से कितने स्कूटर आवंटित कर दिए गए हैं;

(ग) लोहिया कारखाने के 10 दिसम्बर, 1983 को उद्घाटन से लेकर 20 फरवरी, 1984 तक कितने स्कूटरों की सप्लाई की जा चुकी है और कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं;

(घ) वर्तमान उत्पादन की गति को देखते हुए सम्पूर्ण प्रतीक्षा सूची अनुमानतः कब तक पूरी हो जाने की आशा है; और

(ङ) वर्तमान उत्पादन की खेप में से निदेशकों के कोटे में से कितने स्कूटर आवंटित किए गए हैं।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जैसा लोहिया मशीन्स लिमिटेड, कानपुर ने बताया है, कम्पनी द्वारा 29-2-1984 तक स्कूटरों की बुकिंग के लिए 112.74 करोड़ रुपए की कुल जमा राशि प्राप्त की गई थी।

(ख) 64,211 रद्द की गई बुकिंगों को निकालने के बाद कम्पनी के पास 22,54,819 स्कूटरों के लिए बुकिंग शेष रह गई है। अब तक 223 आवेदकों को आवंटन पत्र जारी किए गए हैं।

(ग) संयंत्र के उद्घाटन के बाद कम्पनी ने उपभोक्ताओं को 90 स्कूटरों का सम्भरण किया है और इस समय प्रतीक्षा सूची में 22,54,729 आवेदक हैं।

(घ) कम्पनी को 7 से 8 वर्षों के समय में सम्पूर्ण प्रतीक्षा सूची पूरी करने की आशा है।

(ङ) कम्पनी ने बताया है कि विवेकाधीन आवंटन कुल उत्पादन के पांच प्रतिशत के अंतर्गत है।

कुशाल आयोग पर होने वाला व्यय

1633. **श्री रवीन्द्र वर्मा :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुशाल आयोग में प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने अधिकारी और अन्य कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) उक्त आयोग पर 21 जनवरी, 1984 तक कुल कितना व्यय हुआ; और

(ग) यह आयोग कब तक अपना काम पूरा कर लेगा और अपनी रिपोर्ट सरकार को संभवत: कब तक प्रस्तुत कर देगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) अधिकारियों और कर्मचारियों की वर्गवार स्वीकृत संख्या निम्न प्रकार से है :—

राजपत्रित—26

अराजपत्रित—108

कुल —134

(ख) 31 जनवरी, 1984 तक आयोग पर किया गया व्यय 38, 83, 303.74 रुपए है।

(ग) आयोग का विचार यथा सम्भव अपनी रिपोर्ट पूर्ण करने और सरकार को प्रस्तुत करने का है।

दुर्लभ संसाधनों का लाभप्रद उपयोग

1634. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आम धारणा की जानकारी है कि छठी पंचवर्षीय योजना अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही है (24 जनवरी, 1984 के 'बिनैस स्टेन्डर्ड' में प्रकाशित समाचार के अनुसार);

(ख) क्या सरकार सरकारी कोष से पानी की तरह धन खर्च करने की स्थिति की समीक्षा करेगी; और

(ग) क्या सरकार इस कार्यवाही में काफी देरी होने के बावजूद भी उत्पादकता में सुधार करने और, रोजगार क्षमता बढ़ाने के प्रयोजन से दुर्लभ संसाधनों के लाभपूर्ण उपयोग पर अधिक जोर देगी तथा निर्भर करेगी ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) सरकार को उल्लिखित समाचार पत्र रिपोर्ट की जानकारी है। वर्तमान संकेतों के अनुसार छठी योजना को अपने लगभग 5 प्रतिशत की समग्र संवृद्धि दर के उद्देश्य को प्राप्त कर लेने की आशा है।

छठी योजना के पहले तीन वर्षों में क्षेत्रकवार विस्तृत मूल्यांकन छठी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में दिया गया है जिस पर संसद में बहस हो चुकी है। जैसा कि उक्त दस्तावेज में दिया गया है अनेक क्षेत्रकों में योजना के लक्ष्य/उपलब्धियां पूरी हो जाएंगी अथवा लगभग पूरी हो जाएंगी।

(ख) मुद्रास्फीति के दबाव को रोकने की कार्यनीति के भाग के रूप में सरकार ने योजनेतर व्यय को कम करने और वर्तमान वर्ष में योजना व्यय में प्रस्तावित वृद्धि को कम करने के लिए भी उपाय किए हैं।

(ग) केन्द्रीय और राज्यों की वार्षिक योजनाएं तैयार करते समय सरकार विकास के प्रत्येक क्षेत्रक में वास्तविक निष्पादन और सम्बन्धित वित्तीय परिव्ययों दोनों ही का विवेचनात्मक रूप में समीक्षा करती है। इस प्रक्रिया में उत्पादकता में सुधार और रोजगार सृजन की भी समीक्षा की जाती है · 1984-85 की केन्द्रीय योजना में ग्रामीण विकास के लिए (1983-84 की तुलना में) (41 प्रतिशत) अधिक परिव्यय, विद्युत के लिए (15 प्रतिशत) अधिक परिव्यय और रेलवे के लिए (23 प्रतिशत) अधिक परिव्यय की व्यवस्था की गई है। अन्य सहित इन बढ़े हुए प्रावधानों से अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रकों में रोजगार सम्भाव्यता और क्षमता उपयोग में सुधार होने की आशा है।

नई दिल्ली में हुई राष्ट्रीय एकता समिति की बैठक में सदस्यों द्वारा भाग लिया जाना

1635. श्री एन० ई० होरो : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज के कुछ वर्गों द्वारा धार्मिक आधार पर उत्पन्न की गई स्थिति की समीक्षा करने के लिए हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय एकता समिति की बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान्। राष्ट्रीय एकता परिषद की दूसरी बैठक प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में 21-1-1984 को हुई थी।

(ख) इस बैठक में 45 सदस्यों ने भाग लिया।

आसाम के पिछड़े क्षेत्रों के लिये लाइसेंस जारी करना

1636. श्री सन्तोष मोहन देव : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहन देनें की नीति के परिणामस्वरूप आसाम के पिछड़े क्षेत्रों को कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं और उनका ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने की दृष्टि से सरकार ने अप्रैल 1983 में कुछ नए प्रोत्साहनों की घोषणा की थी। पूर्वोत्तर अंचल के अन्य राज्यों संघ क्षेत्रों के साथ-साथ असम को भी औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों को श्रेणी 'क' में रखा गया था। अप्रैल 1983 से 31 जनवरी 1984 के

दौरान असम में उद्योगों की स्थापना के लिए 3 आशय पत्र और 13 औद्योगिक लाइसेंस स्वीकार किए गए थे। उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अधीन जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों के ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मंथली न्यूज लेटर" में प्रकाशित किए जा रहे हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

पश्चिम बंगाल और बिहार की रिफ्रैक्टरी यूनिटों को इस्पात मंत्रालय को अन्तरित करना

1637. **श्री अजित बाग**
श्री मोहम्मद इस्माइल } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "फजल समिति" की सिफारिशों के अनुसार पश्चिम बंगाल और बिहार की रिफ्रैक्टरी यूनिटों को इस्पात मंत्रालय को अन्तरित करने के प्रश्न पर सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) प्रश्नास्पद उष्मसह इकाइयां (रिफ्रैक्टरी यूनिटें) न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि बिहार, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु में भी स्थित हैं। इन उष्मसह इकाइयों को अंतरित करने तथा किस उपक्रम को ये इकाइयां अंतरित की जाएं और इनके कार्यकरण में सुधार लाने के क्या उपाए किए जाएं, से सम्बन्धित प्रश्न इस उद्देश्य के लिए गठित किए गए विशेष दल के विचाराधीन हैं।

लेवी सीमेंट की सप्लाई और उसका राज्यों को आवंटन

1638. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट निर्माताओं को सरकार द्वारा दी गई विभिन्न रियायतों और सहायता के बावजूद भी "लेवी" सीमेंट की सप्लाई में कोई सुधार नहीं हुआ है और विभिन्न राज्यों को सीमेंट के आवंटन में कमी हुई है;

(ख) क्या सरकार द्वारा सीमेंट निर्माताओं को अपने रक्षित विद्युत संयंत्र लगाने तथा खुले बाजार में अधिक सीमेंट को बेचने की अनुमति दिए जाने के बावजूद भी उत्पादन आंकड़ों में कोई प्रत्यक्ष सुधार दिखाई नहीं दिया है;

(ग) क्या सीमेंट निर्माता और स्टाकिस्ट खुले आम मिलावट करने, तौल में कम—सीमेंट भरना, गोदामों में बोरियों से सीमेंट की चोरी जैसे कदाचार कर रहे हैं और इन्हें रोकने के लिए

कोई कार्यवाही नहीं की गई है; और

(घ) इस प्रकार के सीमेंट विक्रेताओं का ब्योरा क्या है जिन्हें राजधानी में और अन्य स्थानों पर भी तरह-तरह के भ्रष्ट कार्य करते हुए पकड़ा गया है और उनके विरुद्ध 1983-84 के दौरान (आज तक) क्या-क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) 28 फरवरी 1982 से सीमेंट आंशिक विनियंत्रण की योजना लागू हो जाने के उपरान्त देश में सीमेंट का उत्पादन बढ़ा है। वर्ष 1981-82 के दौरान सीमेंट का देशी उत्पादन 210.6 लाख मी० टन था जिसकी तुलना में 1982-83 के दौरान 233 लाख मी० टन सीमेंट का उत्पादन हुआ और 1983-84 तक इसके बढ़ कर 270 लाख मी० टन हो जाने की आशा है। सीमेंट की समग्र उपलब्धता में सुधार होने के फलस्वरूप लेवी सीमेंट की आपूर्ति में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 1983-84 के प्रथम 10 महीनों में लेवी सीमेंट की आपूर्ति 141.2 लाख मी० टन रही जबकि इसकी तुलना में 1982-83 की इसी अवधि में 123.9 लाख मी० टन की आपूर्ति हुई थी।

(ग) तथा (घ) जैसा कि उल्लेख किया गया है कदाचारों के मामलों में राज्य सरकारें/संघ क्षेत्र प्रशासन, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और तौल एवं माप के मानक (पैकेजिंग वस्तुएं) नियमावली 1977 के सम्बन्धित उपबन्धों के अधीन कार्यवाही करने के लिए सक्षम हैं। दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि खाद्य तथा आपूर्ति विभाग की एनफोर्समेंट शाखा ने 1983-84 के दौरान 27 फरवरी, 1984 तक सीमेंट के 153 स्टाकिस्टों की जांच की है। 11 मामलों में गम्भीर अनियमितताएं देखी गई जिनके लिए अपराध सम्बन्धी कानूनी कार्यवाही आरम्भ की गई और 53 मामलों में विभागीय कार्यवाही आरम्भ की गई है। तौल एवं माप कार्यालय, दिल्ली प्रशासन ने भी सीमेंट व्यापारियों/स्टाकिस्टों की जांच की और 1983-84 (27.2.84 तक) में 8 व्यापारियों पर कम तौल के लिए मुकदमा चलाया। इन व्यापारियों के नाम व पते संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

इन सीमेंट व्यापारियों के नाम व पते जिन पर 1983-84 के दौरान दिल्ली के संघ क्षेत्र में मुकदमा किया गया था :

1. मैसर्स विजय ब्रदर्स, बी-99-ए मानसरोवर गार्डन
   नई दिल्ली।

2. मैसर्स सलूजा एण्ड कम्पनी डब्ल्यू जेड-103, राजागार्डन, रिंग रोड,
   नई दिल्ली।

3. मैसर्स वन्दना एन्टरप्राइजेस डब्ल्यू जेड-96, राजागार्डन, रिंग रोड,
   नई दिल्ली।

4. मैसर्स गुप्ता सेल्स कारपोरेशन 5/3500, प्यारेलाल रोड, करौल बाग, नई दिल्ली ।

5. मैसर्स बिल्डर्स सिंडीकेट, 24, जंगपुरा रोड, भोगल, नई दिल्ली ।

6. मैसर्स आदर्श ट्रेडिंग कम्पनी, 4/2437, ए, बिहारी कालोनी, भोलानाथ नगर, शाहदरा, दिल्ली ।

7. मैसर्स कुमार एजेन्सीज, एफ-65, जगतपुरी, परवाना रोड़, दिल्ली ।

8. मैसर्स विकास ट्रेडिंग कम्पनी, 495, पटपड़गंज, शकरपुर, दिल्ली ।

दिल्ली पुलिस द्वारा न्यायालयों में ले जाए गये आपराधिक मामले

1639. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस गत तीन वर्षों में कितने मामले न्यायालयों में ले गयी है और उन में से कितने मामलों को खारिज कर दिया गया, कितने में दण्डित किया गया और कितने अभी लम्बित पड़े हैं; और

(ख) क्या सरकार के पास देश में पुलिस और न्यायालयों को सुव्यवस्थित करने की कोई योजना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) अपेक्षित आंकड़े इस प्रकार है :

न्यायालय को भेजे गए मामले		खारिज/बरी किए गए मामलों की संख्या	दंडित मामलों की संख्या	लम्बित पड़े मामलों की संख्या
1981	20183	3050	4949	12184
1982	19031	2032	3989	13010
1983	13211	806	2367	10038

(ख) संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन जिला न्यायालयों और उसके अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण हैं ।

9वें विधि आयोग ने विचारण न्यायालयों में विलम्ब तथा बकाया कार्य सम्बन्धी अपनी

77वीं रिपोर्ट में मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों को कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों को भेज दिया गया है।

राज्य सरकारों को नए अधीनस्थ न्यायालय स्थापित करने के 7वें वित्त आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए सिफारिश किए गए परिव्यय में से धन दिया गया है।

दिल्ली में मामलों के शीघ्र निपटान के लिए पुलिस और न्याय पालिका द्वारा निकट का सम्पर्क रखा जाता है। जिला तथा सत्र न्यायाधीश भी कार्य को सुव्यवस्थित करने के लिए बैठकें आयोजित करते हैं।

गैर-मान्यता प्राप्त सेवा संघों द्वारा उठाए गये सेवा सम्बन्धी मामलों पर विचार करना

1640. **श्री मनोहर लाल सैनी**
श्री कुम्भा राम आर्य } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर-मान्यता प्राप्त सेवा संघों द्वारा उठाए गए सेवा-सम्बन्धी मुद्दों पर भी विचार करेगी;

(ख) यदि हां, तो उन पर किस नियम/अनुदेश के अधीन विचार करेगी;

(ग) यदि कोई सरकारी कर्मचारी यह समझता है कि कोई सेवा संबन्धी अनुदेश जिनका या तो कार्यान्वयन नहीं हो रहा है अथवा उन्हें उपेक्षित किया जा रहा है, तो क्या वह तत्सम्बन्धी तथ्यों को सरकार की जानकारी में लाने के लिए उण्हें संसद सदस्य के ध्यान में ला सकता है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 20 में "सेवा" शब्द का क्या अर्थ है; क्या इसका अर्थ कर्मचारी का सेवा सम्बन्धी वैयक्तिक-हित है अथवा जिस संवर्ग से वह सम्बन्धित है उसकी सेवा का हित है और क्या इस विषय पर कोई स्पष्टीकरण आदेश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उन आदेशों की प्रतियां पटल पर रखी जाएंगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) इस आशय का न तो कोई नियम बनाया गया है और न कोई अनुदेश ही जारी किए गए हैं कि गैर मान्यता-प्राप्त एसोसिएशनों द्वारा उठाए गये सेवा सम्बन्धी मामलों के मुद्दों पर सरकार द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

(ग) जी, नहीं। किसी सरकारी कर्मचारी को अपनी शिकायतें अपने विभागीय प्राधिकारियों की जानकारी में लाने के लिए, विभागीय माध्यमों के द्वार खुले हुए हैं और अगर उसे

कोई उत्तर नहीं मिलता है तो वह अपनी शिकायतें अपने मामले से सम्बन्धित उच्चतम सरकारी प्राधिकारी की जानकारी में ला सकता है। आचरण नियमों में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी सरकारी सेवक सरकार के अधीन अपनी सेवा से सम्बन्धित मामलों में अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी उच्च प्राधिकारी पर राजनैतिक या अन्य बाहरी दबाव न डलवाएगा और न ऐसा दबाव डलवाने का प्रयास ही करेगा।

(घ) तथा (ड) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 का नियम 20 यह स्पष्ट कर देता है कि किसी सरकारी सेवक को सरकार के अधीन अपनी सेवा से सम्बन्धित मामलों में अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए किसी भी उच्च प्राधिकारी पर राजनैतिक या अन्य बाहरी प्रभाव नहीं डलवाना चाहिए। "अपनी सेवा" शब्दों में सरकार के अधीन उसके नियोजन से सम्बन्धित वे सभी पहलू निहित हैं जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये विभिन्न नियमों और प्रादेशों द्वारा नियंत्रित होते हैं। चूंकि इस सम्बन्ध में नियम का प्रावधान सुस्पष्ट है, अतः कोई स्पष्टीकरण जारी करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

इस्पात और खान मन्त्रालय द्वारा हिंदी में लिखे गये पत्र

1641. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय द्वारा देश के "क" "ख" और "ग" क्षेत्रों के राज्यों में स्थित अपने विभागों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों को राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों के अनुसार वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान अलग-अलग हिन्दी और अंग्रेजी में भेजे गए मूल पत्रों की कुल संख्या क्या है;

(ख) उनमें से राज्यवार और वर्षवार अलग-अलग हिन्दी और अंग्रेजी में भी भेजे गए मूल पत्रों की संख्या क्या है;

(ग) मंत्रालय को राज्यों की उपर्युक्त तीन श्रेणियों में स्थित अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा उपक्रमों से इन वर्षों के दौरान वर्षवार कुल कितने मूल पत्र प्राप्त हुए; और

(घ) उनमें से राज्य-वार अंग्रेजी और हिन्दी में लिखे गए मूल पत्रों की अलग-अलग संख्या क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) इस्पात और खान मंत्रालय द्वारा 1 अक्तूबर, 1982 से 30 सितम्बर, 1983 की अवधि में केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों को, जिसमें मंत्रालय के सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय तथा

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी शामिल हैं, लिखे गए मूल-पत्रों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

	हिन्दी में	अंग्रेजी में	कुल
"क" क्षेत्र	816	1094	1910
"ख" क्षेत्र	668	317	985
"ग" क्षेत्र	189	830	1019

आंकड़े राजभाषा विभाग के दिनांक 5 अगस्त 1982 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार रखे जाते हैं। इस कार्यालय ज्ञापन में प्रत्येक राज्य के बारे में इस प्रकार के अलग-अलग आंकड़े रखने की व्यवस्था नहीं है।

(ग) और (घ) मंत्रालय के "क", "ख" तथा "ग" क्षेत्र में स्थित विभागों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त मूल-पत्रों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में इस प्रकार के आंकड़े रखने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए इन आंकड़ों को नहीं रखा जाता है।

उत्पादन में वृद्धि और सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कमी

1642 **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में समग्र उत्पादन में वृद्धि हुई है जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कमी आई है; और

(ख) उसके कारण क्या हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं। (ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

समुद्री सम्पदा का लाभ उठाने के लिए उठाए गए कदम

1643. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्र सम्पदा का लाभ उठाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक की उपलब्धियां क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज बी० पाटिल) : (क) समुद्र सम्पदा का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित कदम लिये जा रहे हैं :

(1) जलयानों की अधिप्राप्ति—एक वैज्ञानिक जलयान सागर कन्या पहले ही क्रिया-

शील है। दूसरा वैज्ञानिक जलयान सागर सम्पदा इस वर्ष पहुंचने की संभावना है ।

(2) महाद्वीपीय शेल्फ तथा अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर जैविक एवं खनिज संसाधनों के सर्वेक्षण सक्रिय रूप से जारी हैं।

(3) बहुधात्विक पिंडों के लिए भी गहरे समुद्र का सर्वेक्षण सुचारू रूप से चल रहा है।

(4) समुद्र जल से सामुद्रिक रसायन एवं स्वच्छ जल प्राप्त करने का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा है।

(ख) इन सभी क्षेत्रों की उपलब्धियां निम्नलिखित रही हैं :

(1) जैविक संसाधनों के उपयोग में भारत का काफी ऊंचा स्थान है और हमारी समुद्री भोजन की निर्यात क्षमता लगातार बढ़ रही है।

(2) समुद्री रसायनों में आत्मनिर्भरता की तरफ भी काफी प्रगति हासिल हुई है और अनेक लघु उद्योग समुद्र जल से समुद्री रसायन निकाल रहे हैं। इसी तरह स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करके समुद्र जल से स्वच्छ जल भी तैयार किया जा रहा है।

(3) भारत में हुई प्रगति के परिणामस्वरूप, समुद्र कानून पर संयुक्त राष्ट्र संगोष्ठी द्वारा हमारे देश को गहरे समुद्र खनन के क्षेत्र में "अग्रणी निवेशक" का दर्जा दिया गया है।

दिल्ली नगर निगम द्वारा जनकपुरी में एम० आई० जी० फ्लैटों पर सम्पत्ति कर लगाना

1644. **श्री भीखा भाई :** क्या गृह मन्त्री दिल्ली नगर निगम द्वारा जनकपुरी में एम०आई० जी० फ्लैटों पर सम्पत्ति कर लगाने के बारे में 7 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2333 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों ने उन्हें यह उल्लेख करते हुए पत्र लिखे हैं कि उनके द्वारा सभा में स्पष्ट रूप से यह विवरण देने के बावजूद कि जनकपुरी में एम० आई० जी० फ्लैटों के आबंटितियों को फ्लैटों का वास्तव में कब्जा दिए जाने से पहले की अवधि के लिए उनसे कोई सम्पत्ति कर नहीं लिया जाएगा, दिल्ली नगर निगम के कर निर्धारण प्राधिकारियों ने बहुत कड़ा रुख अपनाया है और वे सम्बन्धित आबंटितियों को पहले भेजे गए बिलों में लगाए गए ऐसे अवैध सम्पत्ति कर की धनराशि को लिखित रूप से वापस न लेने पर अड़े हुए थे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा दिल्ली नगर निगम को इस मामले को डी॰ डी॰ ए॰ के साथ स्थायी रूप से तय करने और सम्बन्धित आवंटितियों से सन्दिग्ध सम्पत्ति कर की वसूली वापस लेने को कहने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या): (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान् कुछ संसद सदस्यों ने इस सम्बन्ध में इस मन्त्रालय को पत्र लिखे थे। दिल्ली नगर निगम जिनके साथ यह मामला उठाया गया था, ने सूचित किया है कि पश्चिम क्षेत्र जिसमें जनकपुरी (पंखा रोड) का क्षेत्र शामिल है, के क्षेत्रीय प्राधिकारियों को वर्तमान आवंटितियों द्वारा कब्जा लेने की तारीख से पहले की अवधि के लिए सम्पत्ति कर की अदायगी की मांग न करने के अनुदेश दिए गए हैं। चूंकि मांग सदैव किसी विशेष सम्पत्ति के लिए की जाती है इसलिए वह वापस नहीं ली जा सकती। फिर भी, वर्तमान आवंटितियों के लिए उनके द्वारा जनकपुरी के फ्लैटों का कब्जा लेने की तारीख से पहले की अवधि के लिए करों की अदायगी करना आवश्यक नहीं होगा। संसद सदस्य को भी स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

नेशनल अल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड परियोजना की प्रगति

1645. **श्री के० प्रधानी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कोरापुट जिले में नेशनल अल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड परियोजना के क्रियान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस परियोजना को पूरा करने में कितना समय लगेगा; और

(ग) इसके क्रियान्वयन को तेज करने और इसके लिए यदि कोई समय सीमा निर्धारित की गई, तो उसका पालन करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० (नालको) उड़ीसा में बौक्साइट खान, एल्यूमिना संयंत्र एल्यूमिनियम संयंत्र तथा ग्रहीत बिजली घर के एकीकृत एल्यूमिनियम कम्पलैक्स, का निर्माण कर रही है, जिसमें से बौक्साइट खान और एल्यूमिना संयंत्र कोरापुट जिले में है।

कोरापुट जिले में खान और एल्यूमिना संयंत्र के सम्बन्ध में प्रगति संक्षेप में निम्नलिखित है :

— तकनीकी जानकारी और आधारभूत इंजीनियरी पैकेज प्राप्त हो गया है।

— अधिकांश भूमि प्राप्त कर ली गई है तथा यह परियोजना अधिकारियों के कब्जे में है।

— आधारभूत सुविधायें जैसे साइट ग्रेडिंग निर्माणकारी विद्युत, जल आदि का काम साइट की आवश्यकताओं के अनुरूप पूरा हो गया है।

— साइट वर्क के लिए तथा अधिकांश महत्वपूर्ण और दीर्घकालीन सुपुर्दगी वाले उपकरणों के लिए आदेश दिए जा चुके हैं। सिविल और संरचना कार्य शुरू किए जा चुके हैं तथा निर्माण कार्य पूरे जोरों पर हैं।

(ख) बौक्साइट खानों में 1985 में खनन कार्य शुरू हो जाने की आशा है जबकि एल्यूमिनियम संयंत्र 1986 में चालू हो जायेगा तथा यह 1987-88 में निर्धारित क्षमता प्राप्त कर लेगा।

(ग) परियोजना की समय अनुसूची का पालन करने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिक एजेन्सियों को काम पर लगाया जा रहा है तथा अधिक जनशक्ति और मशीनों को गतिशील किया जा रहा है। परियोजना की प्रगति पर आधुनिक तकनीकी कम्प्यूटर विश्लेषण प्रणाली अपनाकर निगरानी रखी जा रही है।

सरकार और कम्पनी स्तर पर प्रगति की निगरानी वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप की जा रही है। शेष भूमि अर्जन हेतु तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सामग्री के संचलन के बारे में राज्य सरकार से नालको को सहायता देने के लिए कहा गया है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्रेणी एक के अधिकारियों की उप सचिव के पद पर पदोन्नति

1646. **प्रो० अजित कुमार मेहता :** क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्रेणी एक के उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्हें 1977 में चयन समिति द्वारा सेलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया था और जिन्हें उप सचिव के पद पर नियुक्त किया गया और ये नियुक्तियां किस-किस तारीख से की गई थीं; और

(ख) क्या चयन समिति द्वारा पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाए गए सभी अधिकारियों के नाम 1977 को उपरोक्त चयन तालिका (पेनल) में जो गृह मन्त्रालय ने 28 फरवरी, 1978 को घोषित की थी, में सम्मिलित किये गए थे?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) चयन समिति ने 1977 की चयन ग्रेड सूची में 48 अधिकारियों के नामों को शामिल करने की सिफारिश की। बाद में चयन सूची के आकार में वृद्धि की सम्भावना को ध्यान में रखकर चयन समिति ने चयन सूची में शामिल करने के लिए 9 और अधिकारियों की सूची तैयार की।

28 फरवरी, 1978 को जारी की गई चयन सूची में 48 नाम शामिल किए गए। बाद में

चयन सूची में दो किश्तों में आठ और नाम जोड़े गए थे ।

जिन तारीखों से नियमित आधार पर लगातार नियुक्तियां हुई हैं, उन्हें दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड के लिए 1977 की चयन सूची में शामिल किए गए अधिकारियों की सूची

क्रम संख्या	नाम	नियमित आधार पर लगातार नियुक्ति की तारीख
1	2	3
	सर्वश्री/	
1.	एस० एस० एल० मल्होत्रा	28.2.78
2.	आर० सी० जैन	6.7.78
3.	तख्त राम	1.8.78
4.	एम० के० रामास्वामी	31.7.78
5.	आर० लुईखम (अनु० ज० जा०)	7.9.78
6.	परमातम सिंह	1.1.79
7.	रामऋषि सिंह	13.9.78
8.	टी० एन० कृष्णामूर्ति	7.9.78
9.	दर्शन सिंह	(31.12.78 को सेवानिवृत्त)
10.	आर० एस० साहनी	7.9.78
11.	परवार राम अहीर (अनु० जा०)	4.8.78
12.	एस० सी० रे (अनु० जा०)	1.8.78
13.	जे० आर० जैन	12.10.78
14.	एम० ई० थोमस	13.2.79
15.	एस० एन० दुग्गल	1.9.79
16.	वी० रामचन्द्रन	6.8.78
17.	रूपराम	1.9.78
18.	ए० वी० श्रीनिवासन	7.9.78

क्रम संख्या	नाम	नियमित आधार पर लगातार नियुक्ति की तारीख
1	2	3
	सर्वश्री/	
19.	एस० एस० क्षेत्री	(31.3.79 को सेवानिवृत्त)
20.	एस० रंगास्वामी	31.8.78
21.	वी० डी० खेर	13.9.78
22.	टी० वी० नायर	1.8.78
23.	शीशपाल सिंह	21.11.78
24.	आर० एस० अहलुवालिया	1.9.78
25.	कुमारी पी० एस० शकुन्तला	21.8.78
26.	पी० बी० कुलकर्णी	31.8.78
27.	ए० के० वर्मा	6.9.78
28.	के० सी० कनकन	15.2.79
29.	आई० ए० रशीद	3.3.79 (अपराह्न)
30.	वी० पी० पांडे	26.8.78
31.	ओ० पी० एस० भाटिया	1.12.78
32.	ओ० पी० कोहली	13.8.79
33.	वी० आर० अय्यर	1.9.78
34.	बी० आर० चव्हाण	18.12.78
35.	एन० के० अग्रवाल	5.8.78
36.	पी० जी० लेले	1.9.78
37.	पी० आर० चन्द्रन	1.9.78
38.	टी० सी० ए० श्रीनिवासन	1.9.79
39.	वी० एस० राघवन	1.9.79
40.	पी० एस० परवानी	(31.10.78 को सेवानिवृत्त)
41.	टी० के० रामचन्द्रन	(30.4.79 को सेवानिवृत्त)

क्रम संख्या	नाम	नियमित आधार पर लगातार नियुक्ति की तारीख
1	2	3
42.	बी० के०डे०	27.10.78
43.	पी० बी० सक्सेना	15.3.79
44.	ए० के० गारडे	1.1.79
45.	एस० भार० शर्मा	1.1.79
46.	के० वी० बालासुब्राह्मण्यम	1.10.79
47.	एस० एल० कौशल	1.2.79
48.	के० बी० अय्यर	21.2.79
49.	के० के० खुल्लर	1.5.79
50.	बी० एम० राव	1.3.79
51.	देवी प्रसाद दास (अनु० जा०)	23.2.79
52.	ए० एस० बेदी	2.10.79
53.	प्रेम कुमार	31.3.79 अपराह्न
54.	बी० पी० गुप्ता	1.4.79
55.	एन० बालासुब्राह्मण्यम	18.4.79
56.	एन० एस० बक्शी	22.1.79

सीमेंट अखबारी कागज, सफेद कागज और नमक के मूल्य

1647. श्री चतुर्भुज : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (1) मार्च, 1977; (2) मार्च, 1979; (3) जनवरी, 1980; (4) दिसम्बर, 1983 में सीमेंट, अखबारी कागज, सफेद कागज और नमक के थोक मूल्य क्या थे और (5) इस समय क्या हैं;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : सीमेंट, अखबारी कागज, सफेद कागज तथा नमक के मूल्यों के सम्बन्ध में सूचना देने वाले तीन विवरण संलग्न हैं। विवरण-1 में सीमेंट के मूल्य दिए गए हैं : विवरण-2 अखबारी कागज और सफेद कागज के सम्बन्ध में है और विवरण-3 में महत्वपूर्ण नमक उपभोक्ता केन्द्रों के खुदरा मूल्य दिये हुए हैं।

विवरण-1

सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट और पोर्टलैण्ड स्लैग सीमेंट के रेल भाड़े से मुक्त मूल्य (प्रति मी० टन)

मास	खाली सीमेंट का रेल भाड़े से मुक्त प्रति मी० टन मूल्य	प्रति मी० टन उत्पादन शुल्क	प्रति मी० टन पैकिंग भाड़ा	रेल भाड़े से मुक्त कुल मूल्य
मार्च, 1977	231.65	85.00	40.95	337.60
मार्च, 1979	293.26	68.25	50.79	421·30
जनवरी, 1980	318.94	68.25	66.94	454.13
दिसम्बर, 1983	492.00	205.00	89.93	786.93
फरवरा, 1984	492.00	205.00	99.73	796·73.

28 जनवरी, 1982 से लेवी तथा गैर-लेवी सीमेंट की एक धारण का लागू किया गया है। सीमेंट उत्पादकों को अपने उत्पादन का एक निश्चित प्रतिशत लेवी सीमेंट के कोटे के रूप में देना आवश्यक होता है और इनके शेष उत्पादन की बिक्री पर किसी प्रकार का मूल्य एवं वितरण सम्बन्धी नियन्त्रण नहीं है। दिसम्बर, 1983 और फरवरी, 1984 के महीनों के लिए ऊपर दर्शाए गए मूल्य लेवी सीमेंट के सम्बन्ध में हैं।

लेवी सीमेंट के खुदरा मूल्य राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश के प्रशासनों द्वारा निश्चित किए जाते हैं।

विवरण-2

छपाई के सफेद कागज और अखबारी कागज के मूल्य

वस्तु	के दौरान प्रति मी० टन मूल्य (रुपयों में)				
	मार्च 77	मार्च 79	जनवरी, 80	दिसम्बर, 83	इस समय
छपाई का सफेद कागज	2750	2750	3000	5400	5400
अखबारी कागज					
(क) नेपा मिल्स	2700	2700	3200	5600	5600
(ख) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि०	...	...	...	7000	7000
(ग) मैसूर पेपर मिल्स	...	...	...	7200	7650

विवरण-3

महत्वपूर्ण नमक उपभोक्ता केन्द्रों के खुदरा मूल्य

क्रमांक	राज्य का नाम	शहर का नाम	के दौरान खुदरा मूल्य (प्रति किलोग्राम पैसों में)				
			3/77	3/79	1/80	12/83	2/84
1.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	28	54	70	75/80	77
2.	बिहार	पटना	उपलब्ध नहीं	40/50	40/70	60/80	*
3.	त्रिपुरा	अगरतला	30/35	50	40/95	70	70
4.	मणिपुर	इम्फाल	55	75	100	उ० न०	*
5.	सिक्किम	गंगटोक	45	60	70	80	80
6.	मिजोरम	ऐजल	54	75/150	64	150	*
7.	मेघालय	शिलांग	35/40	70/80	80/100	75/100	*
8.	अरूणाचल प्रदेश	इटानगर	44/55	50	75	07	*
9.	नागालैंड	कोहिमा	45	80	80	100	*
10.	असम	गोहाटी	30/35	40/80	48	70	*
11.	मध्य प्रदेश	भोपाल	उपलब्ध नहीं	20/25	25/28	30/35	*
12.	दिल्ली	दिल्ली	17/43	30	40	उ० न०	*
13.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	25	35	40/50	42	*
14.	तमिलनाडु	मद्रास	उपलब्ध नहीं	30	30	35	35
15.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	वही	40	50	50	50
16.	पंजाब	अमृतसर	वही	40	40	उ० न०	*
17.	गोआ, दमन और दीव	पणजी	वही	40	50	75	75
18.	महाराष्ट्र	अकोला	वही	25/30	30/40	35/45	*
19.	गुजरात	अहमदाबाद	वही	20	20	उ० न०	*
20.	उड़ीसा	कटक	वही	35/40	40/50	40/60	*
21.	केरल	त्रिवेन्द्रम	वही	30	30	35	*
22.	जम्मू तथा कश्मीर	जम्मू श्रीनगर	वही	32	उ० न०	75	*
23.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	वही	28/30	40	45	*
24.	कर्नाटक	चिकमगलूर	वही	35/40	30/40	उ० न०	*
25.	अंडमान और निकोबार	पोर्ट ब्लेयर	वही	50	50	60	*
26.	हरियाणा	अम्बाला	वही	25	45/50	35	*

(*) सूचना प्राप्त नहीं हुई।

उ० न० उपलब्ध नहीं।

मैसूर पेपर मिल्स में अखबारी कागज का उत्पादन

1648. **श्री निहाल सिंह : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) मैसूर पेपर मिल में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है और जुलाई, 1981 से 31 दिसम्बर, 1983 तक की अवधि के दौरान इस मिल में कितने अखबारी कागज का उत्पादन किया गया;

(ख) उक्त मिल द्वारा अखबारी कागज के उत्पादन के परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई; और

(ग) क्या इस कागज मिल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कर्नाटक में यूकेलिप्टस और बांस का उत्पादन पर्याप्त है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) मैसूर पेपर मिल्स में 1 जनवरी, 1984 को कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 3283 है। इस कारखाने में जुलाई, 1981 से 31 दिसम्बर, 1983 तक की अवधि में 79,491 मी० टन अखबारी कागज का उत्पादन हुआ है।

(ख) मैसूर पेपर मिल्स द्वारा अखबारी कागज के उत्पादन के परिणामस्वरूप जुलाई, 1981 से 31 दिसम्बर, 1983 तक की अवधि में आयातित कागज के लागत बीमा भाड़ा मूल्य का औसत 570 अमरीकी डालर प्रति टन मानते हुए 453.1 लाख डालर मूल्य की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।

(ग) कर्नाटक में पैदा होने वाला यूके लिप्टस और बांस, इस कच्चे माल की प्रतिस्पर्धात्मकता को ध्यान में रखते हुए, ऐसा समझा जाता है कि मैसूर पेपर मिल्स द्वारा अपनी क्षमता का समग्रतः उपयोग करने की स्थिति में इसकी आवश्यकताओं को पूरा कर पाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। सम्भवतः इस कमी को लुग्दी के आयात द्वारा और कम्पनी द्वारा स्थापित की जा रही चीनी मिल की खोई के उपयोग द्वारा पूरा करने का कम्पनी का प्रस्ताव है। दीर्घकालीन अभ्युपाय के रूप में कम्पनी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक केप्टिव प्लांटेशन परियोजना अपने हाथ में ले रही है।

महिलाओं को फ्लैटेड फैक्टरियों का आवंटन

1649. **श्री बाबू राव परांजपे : क्या उद्योग मन्त्री** यह 2 फरवरी, 1984 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "गेस्वर-टू वूमेन इन्टरप्रेन्योर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झंडेवालान में 571 फ्लैटेड फैक्टरियों में से 10 प्रतिशत कारखानों का महिला उद्यमियों को आवंटन करने की प्रक्रिया क्या है;

(ख) महिला उद्यमियों को इन कारखानों के आवंटन का मानदण्ड क्या है; और

(ग) महिला उद्यमियों से इन कारखानों का कितना मूल्य/किराया लिया जावेगा और क्या आस्थगित भुगतान की शर्तें भी रखी गई हैं।'

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन के अनुसार झंडेवालान में 10 प्रतिशत फ्लैटेड फैक्टरियां महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित करने का तो निर्णय ले लिया गया है और अन्य श्रेणियों के लिए आवंटन नीति तथा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिए जाने की सम्भावना है।

मंत्रालयों में श्रेणी एक से श्रेणी चार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारी

1650. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, 1984 को केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/सचिवालयों में श्रेणीवार (श्रेणी एक से श्रेणी चार) कितने कर्मचारी कार्य कर रहे थे;

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने पद आरक्षित थे और उनकी प्रतिशतता क्या थी; और

(ग) 1 मार्च, 1984 को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति वास्तव में कार्य कर रहे थे और उनकी प्रतिशतता क्या थी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ग) जैसा कि सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की आरक्षण सम्बन्धी विवरणिका (छठा संस्करण) के अध्याय 5 में उल्लिखित है, केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित वार्षिक विवरणियां प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी को, एकत्रित की जाती है जो कि पूर्ववर्ती वर्ष के लिए होती हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार 1-1-1982 को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की स्थिति संलग्न विवरण में निर्दिष्ट की गई है। 1-1-1983 की स्थिति के अनुसार आंकड़ों का संकलन अभी पूर्ण नहीं हुआ है।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण भिन्न-भिन्न प्रवर्गों और ग्रेडों में समय-समय पर होने वाली अलग-अलग रिक्तियों से जुड़ा हुआ है। चूंकि आरक्षण की योजना खुद ही पदों में आरक्षण की इजाजत नहीं देती है, इसलिए इसके बारे में सूचना संकलित नहीं की जाती है, अतः वह उपलब्ध नहीं है।

विवरण

1-1-1982 को सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनके बीच अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण*

क्रम संख्या	श्रेणी	योग	अनुसूचित जातियां	प्रतिशत	अनुसूचित जन जातियां	प्रतिशत
1.	समूह "क"	54078	2971	5.49	632	1.17
2.	समूह "ख"	65540	5914	9.02	943	1.44
3.	समूह "ग"	1909247	255064	13.39	66271	3.47
4.	समूह "घ" (सफाई वालों को छोड़कर)	1094403	256228	23.41	81486	7.45

*व्यय विभाग को छोड़कर सभी मंत्रालयों/विभागों के सम्बन्ध में।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में जांच कराना

1651. **श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई नियम अथवा सरकारी नीति है कि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा कोई प्रक्रिया सम्बन्धी अथवा तकनीकी लघु अनियमितता किए जाने का मामला सरकार के ध्यान में आने पर, जो उसके सरकारी कार्य अथवा निष्ठा पर कोई प्रभाव न डालती हो (उदाहरणार्थ सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों के कतिपय प्रावधानों का पालन न करना, जिसके अन्तर्गत कतिपय वस्तुओं की खरीद और बिक्री की सूचना देना अपेक्षित है), बिना कोई जांच किए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है;

(ख) क्या कुछ उच्चाधिकारियों द्वारा एक अधीनस्थ कर्मचारी के विरुद्ध जिसे वे दण्डित करना चाहते हों, अनुशासनात्मक कार्यवाही करके प्राधिकारों और अधिकारों अथवा विवेकाधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई मार्ग निर्देश हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) सरकारी कर्मचारियों को शासित करने वाले अनुशासनिक नियमों में उन शास्तियों की सूची दी गई है जो कि उचित और पर्याप्त कारणों से सरकारी कर्मचारियों पर लगाई जा सकती हैं। शास्तियों के स्वरूप के आधार पर इन शास्तियों को दो श्रेणियों अर्थात भारी तथा लघु शास्ति के रूप में

विभाजित किया गया है। भारी शास्ति लगाने के लिए विस्तृत जांच करना आवश्यक होता है जबकि लघु शास्ति लगाने से पूर्व ऐसी विस्तृत जांच शुरू करना सदैव आवश्यक नहीं होता। तथापि, लघु शास्ति के मामले में भी अनुशासनिक प्राधिकारी अपने विवेक पर विस्तृत जांच करा सकता है। कुछ प्रकार की लघु शास्तियों में ऐसी विस्तृत जांच करना भी आवश्यक होता है। इस विषय से सम्बन्धित नियमों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया है इसलिए प्राधिकार का दुरुपयोग एवं शक्तियों के दुरुपयोग अथवा उत्पीड़न की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है।

अन्तर मंत्रालय इलेक्ट्रानिक अनुसंधान और विकास परिषद की स्थापना की योजना

1652. **श्री अर्जुन सेठी : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या प्रयासों के दोहराये जाने को रोकने हेतु सरकारी और गैर-सरकारी प्रयासों को सम्बन्वित करने के लिए सरकार की एक अंतर मन्त्रालय इलेक्ट्रानिक्स अनुसंधान और विकास परिषद की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस०संजीवी राव): (क) तथा (ख) दिनांक 1 मार्च, 1983 से 3 मार्च, 1983 तक नई दिल्ली में "इलैक्ट्रॉनिकी में उत्तमता" विषय पर आयोजित कार्यशाला में दी गई निम्नलिखित सिफारिश सरकार के विचाराधीन है :—

> उत्तमता हासिल करने का लक्ष्य इस बात को सुनिश्चित करने के लिए है कि इसमें अन्तर्ग्रस्त अभिकरणों के बीच अंतर्मन्त्रालयी सहयोग स्थापित हो जिसमें इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा सुदृढ़ समन्वयकारी सहयोग उपलब्ध कराया जाए। उत्तमता हासिल करने के लिए एक ओर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं/केन्द्रों के कार्यकलापों को सुदृढ़ करना है तो दूसरी ओर इन पर निगरानी रखने के लिए तथा की जा रही कार्रवाईयों एवं इन पर हुई प्रगति में समन्वय स्थापित करने के लिए एक अन्तर्मन्त्रालयी इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास परिषद (ई० आर० डी० सी०) की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त यह नोट किया गया कि न्यूनतम आवश्यक से कम मात्रा में वित्तपोषण करने से जो ऐसी प्रक्रिया बार-बार करनी पड़ती है तथा साथ ही प्रौद्योगिकी जानकारी का जो बार-बार आयात करना पड़ता है, उससे बचा जा सकता है यदि इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास निगम स्वयं इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर लगाई जाने वाली धनराशि किए जाने वाले पूंजी-निवेश में समन्वय स्थापित करें।

आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना

1653. श्री हरिकेश बहादुर : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रो० सुकुमोय चक्रवर्ती की अध्यक्षता में एक आर्थिक सलाहकार परिषद की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ग) समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं और क्या उन्हें सरकार द्वारा स्वीकृत और क्रियान्वित कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां, परिषद ने दो रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं।

(ग) और (घ) परिषद ने अपनी रिपोर्टों में विविध विषयों की जांच की है जिनका भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान प्रकार्य से संबंध है। ये सिफारिशें सरकार के सभी विभागों को उनके विचारों के लिए परिचालित कर दी गई हैं।

वायु प्रदूषण का सर्वेक्षण

1654. श्री रेणु पद दास : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में मोटरगाडियों (आटोमोबाइल्स) से वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा किए गए हाल में सर्वेक्षण की रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) सम्बन्धित राज्य सरकारों से अब तक क्या सिफारिशें की गई हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) 20 जनवरी 1984 से 9 फरवरी, 1984 तक आयोजित "ट्रैफिक आइलैंड पोलूशन एण्ड सर्वेलैंस प्रोग्राम" शीर्षक नामक वायु प्रदूषण सर्वेक्षण कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं ये हैं :—

1. यातायात संगणना सर्वेक्षण और

2. 5 चुने हुए चौराहों पर वायु गुणवत्ता की निगरानी

(ख) एकत्रित आंकडों पर कार्यवाही तथा उनका विश्लेषण किया जा रहा है तथा बाद में सिफारिशों को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

औद्योगिक एककों द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन

1655. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कुछ औद्योगिक एकक जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार को जिन औद्योगिक एककों द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन किए जाने का पिछले दो वर्षों में पता चला है, उनकी संख्या और नाम क्या हैं; और

(ग) ऐसे औद्योगिक एककों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) 1700 जल प्रदूषण से संबद्ध उद्योगों में से लगभग 710 उद्योग उपचार संयंत्र स्थापित कर रहे हैं। शेष उद्योगों को प्रदूषण उपशमन उपाय स्थापित करने के लिए मनाया जा रहा है। अवहेलना करने वाली 415 इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही आरम्भ की गई है।

मध्य प्रदेश में वनवासी क्षेत्रों के विकास की योजनाओं का ब्यौरा

1656. **श्री राम प्रसाद अहिरवार :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनवासी क्षेत्रों के विकास की योजनाओं की घोषणा की है और इस सम्बन्ध में एजेंसियां भी स्थापित कर दी गई हैं;

(ख) मध्य प्रदेश में वनवासी क्षेत्रों के विकास के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस प्रयोजन से मध्य प्रदेश में भी एजेंसियों की स्थापना कर दी गई है और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए, 62 एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाएं और आदिम जन-जातियों के लिए 6 विशेष परियोजनाएं तैयार की गई है।

(ग) जी हां, श्रीमान। प्रत्येक एकीकृत जनजाति विकास परियोजना के लिए परियोजना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

बोकारो स्टील लिमिटेड द्वारा लघु क्षेत्र के उद्योगों से फालतू पुर्जों की खरीद

1657. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाकारो स्टील लिमिटेड लघु क्षेत्र के उद्योगों का काम सन्तोषजनक होते हुए भी उनसे फालतू पुर्जे, उपकरण आदि नहीं खरीदता है और वहां पर स्थित विद्यमान 184 लघु उद्योगों को चालू रखने के लिए केवल मरम्मत आदि का कार्य देता है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं और क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या बिहार के उद्योग मन्त्री ने 15 जनवरी, 1984 को इस सम्बन्ध में बोकारो स्टील लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक से भेंट की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) जैसा कि नीचे दी गई तालिका से पता चलेगा बोकारो इस्पात कारखाने द्वारा अनुषंगी उद्योगों तथा लघु उद्योगों को दिए गए आर्डरों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है :—

वर्ष	(जितने मूल्य के आर्डर किए गए) (लाख रुपए)
1980-81	510.00
1981-82	635.30
1982-83	755.00
1983-84 (अप्रैल-सितम्बर, 1983)	419.86

इसके अतिरिक्त इन उद्योगों को निविदा दस्तावेज निःशुल्क जारी करके, प्रतिभूति तथा अग्रिम राशि की अदायगी से छूट देकर, खरीद तथा मूल्य में तरजीह, तकनीकी सलाह तथा परीक्षण सुविधाओं जैसी विशेष रियायतें देकर इनकी सहायता की जा रही है ।

(ग) और (घ) लघु उद्योगों के विकास के लिए कारखाने द्वारा किए गए प्रयासों की

समीक्षा करने के लिए बिहार के उद्योग मन्त्री बोकारो इस्पात कारखाने के प्रबन्ध निदेशक से मिले थे। वह कारखाने द्वारा अपनाई जा रही नीति और किए गए प्रयासों से सन्तुष्ट थे।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय में अल्पसंख्यक सैल के कार्य में प्रगति

1658. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह मन्त्रालय में बनाए गए अल्पसंख्यक सैल के कार्य में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या इस सैल ने कार्यवाही हेतु कोई विशिष्ट विषय चुना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) अल्पसंख्यकों के कल्याण के विषय में प्रधान मन्त्री के सुझाव केन्द्र सरकार के सभी मन्त्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को भेज दिए गए हैं जिन्होंने उन्हें कार्यान्वित करने के लिए कारंवाई शुरू कर दी है।

सुझावों को कार्यान्वित करने और निगरानी रखने के अतिरिक्त अल्पसंख्यक एकक अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित समस्याओं पर सतत आधार पर ध्यान देता है।

खादी ग्रामीणोद्योग आयोग द्वारा पत्तों का वितरण

1659. श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम् : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामीणोद्योग आयोग ने ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की सहायता के लिए पत्तों की वितरण प्रणाली का विकेन्द्रीकरण करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

असम में निर्वाचन कार्य के लिए भेजे गये अधिकारी

1660. श्री हीरा लाल आर० परमार : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को फरवरा, 1983 में

निर्वाचन कार्य के लिए असम भेजा गया था;

(ख) क्या इन अधिकारियों को किन्हीं अतिरिक्त वेतन और भत्तों का वचन दिया गया था और यदि हां, तो क्या इस बीच उनका भुगतान कर दिया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि निर्वाचन कार्य के लिए भेजे गए अधिकारियों को वचन दिया गया था कि उनके वैयक्तिक रिकार्ड में इसका उल्लेख किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसा किया गया है और क्या अधिकारियों की पदोन्नति अथवा नियुक्ति पर विचार करते समय इस पर ध्यान दिया जाएगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) असम में चुनाव ड्यूटी पर प्रतिनियुक्त केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को मानदेय के रूप में एक महीने का वेतन और भत्ते ग्राह्य थे । उपलब्ध सूचना के अनुसार सभी मन्त्रालयों और विभागों ने सम्बन्धित कर्मचारियों को पहले की राशि का भुगतान कर दिया ही है ।

(ग) और (घ) सम्बन्धित व्यक्तियों की गोपनीय रिपोर्ट में की जाने वाली टिप्पणियों की प्रकृति के बारे में आवश्यक निदेश जारी कर दिए गए हैं । इसके अतिरिक्त, असम सरकार द्वारा जारी प्रशंसा पत्र भी, सम्बन्धित व्यक्तियों की गोपनीय रिपोर्ट में रखने के लिए विभिन्नों मन्त्रालयों और विभागों को भेज दिए गए हैं ।

घुसपैठ सम्बन्धी राष्ट्रीय सम्मेलन

1661. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में घुसपैठ सम्बन्धी राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाले अनेक वक्ताओं ने घुसपैठ के विरुद्ध एक राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करने पर जोर दिया है, जो देश की सुरक्षा को खतरा पैदा कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार घुसपैठ को रोकने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या सम्मेलन में यह सुझाव भी दिया गया था कि घुसपैठ को रोकने के लिए सूचना प्राप्त करने और तत्काल कार्यवाही करने हेतु एक प्रभावी संगठन बनाया जाए; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) सरकार को सूचना मिली है कि सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा था कि विदेशियों की घुसपैठ से विघटनकारी शक्तियों को मदद मिलेगी और घुसपैठ की समस्या पर राष्ट्रीय सर्वसम्मित मांगी गई थी ।

(ख) सम्बन्धित सुरक्षा ऐजेंसियां निरन्तर निगरानी रख रही है और इस दिशा में उपयुक्त उपाय कर रही है ।

(ग) सरकार को किसी ऐसे सुझाव की जानकारी नहीं हैं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पाकिस्तान में नजरबंद व्यक्तियों को रिहा किया जाना

1662. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1984 के आरम्भ में पाकिस्तान ने 51 नजरबंद व्यक्ति सौंपे थे;

(ख) क्या उन्हें अपने-अपने स्थानों को जाने से पूर्व सेन्ट्रल जेल, अमृतसर में रखा गया था;

(ग) क्या संबंद्ध अधिकारियों द्वारा उनके नामों की घोषणा नहीं की गई थी और नजरबन्द व्यक्तियों के माता-पिता तथा रिश्तेदारों को काफी कठिनाई हुई; और

(घ) नजरबन्द व्यक्तियों के विवरण सहित उन्हें अमृतसर जेल से किन-किन तारीखों को रिहा किया गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क(से (ग) 1.2.1984 को पाकिस्तान से 52 व्यक्ति रिहा किए गए थे, उनमें से 7 व्यक्ति चालक-दल के सदस्य थे जो उनके अपने एजेंटों द्वारा किए गए प्रबन्ध से अपने मूल स्थानों को चले गए। बाकी व्यक्तियों को अमृतसर केन्द्रीय जेल में ट्रांजिट कैंप में ले जाया गया । पूछताछ के बाद 26 व्यक्तियों को अपने-अपने मूल स्थानों को जाने की अनुमति दे दी गई । एक व्यक्ति को इलाज के लिए सिविल हास्पिटल में भर्ती किया गया । बाकी 18 व्यक्तियों के बारे में रिपोर्ट मिली है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उनके रिस्तेदारों का पता करने की कोशिश की जा रही है। आकाशवाणी के जालन्धर केन्द्र से इन व्यक्तियों से संबंधित विवरण प्रसारित करने का अनुरोध किया गया था ।

(घ) ट्रांजिट कैंप से छोड़े गए व्यक्तियों के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र० सं०	व्यक्तियों का नाम और पता	रिहायी की तारीख
1	2	3
	सर्व/श्री	
1.	कली राम उर्फ काला सुपुत्र चन्दु राम महाशा निवासी-कथे पठान, थाना नवां शहर, जिला जम्मू।	27-2-1984
2.	मोहमद दीन सुपुत्र फिरोजदीन निवासी कारमी दोमाजन खरा मदाना थाना साम्बा, जिला जम्मू।	—तदैव—
3.	कुतुब दीन सुपुत्र हुकम दीन मुसलिम गुज्जर पांडोली; थाना साम्बा, जिला जम्मू।	—तदैव—
4.	सुख राम सुपुत्र नागर मल ब्राह्मण निवासी-बुधी कछुआं, जिला जम्मू।	—तदैव—
5.	अब्दुल तब्बार सुपुत्र मोहम्मद सुलतान भट्ट कशमीरी खाईपुर, थाना तंगदर जिला बारामुला (जम्मू)	—तदैव—
6.	कृष्ण लाल सुपुत्र अमीन चन्द मेघ निवासी-वार्ड-नं०—9 रणभीर सिंघपुरा, जिला जम्मू।	—तदैव—
7.	राजू सुपुत्र शंकर दास निवासी ग्राम कुप्पा बारम, थाना नमरेतु जिला त्रिनेली, तमिलनाडु।	—तदैव—
8.	हाजी अब्दुल रहमान खान सुपुत्र अब्दुल जलाल खान निवासी मोहल्ला गबारी पुरा खाम गांव, माया राष्ट्र (मध्य प्रदेश)	—तदैव—

1	2	3
9.	मोहम्मद बसीर सुपुत्र इलम दीन ईराइन मुसिलम निवासी-म० सं० 21, पर्स्ट ग्रास लाईन, मोहल्ला मदनपुर वावला बिल्डिंग, बम्बई-8 ।	27.2.1984
10.	नामदेव सुपुत्र लछमन कोली, निवासी-मोहल्ला हडखोलीवाला, बरास्ता अंधेरी बम्बई-61 ।	—तदैव—
11.	अब्दुल हमीद सुपुत्र अब्दुल शकूर, निवासी गली संख्या 62, जकारिया मस्जिद, बम्बई-9	—तदैव—
12.	मोहम्मद फकीर हुसैन सुपुत्र स्व० मोहम्मद इशफाक हुसैन मुस्लिम, निवासी-मोहल्ला फेजुल्ला खान, थाना ओइला घाट, जिला दरभंगा, बिहार ।	—तदैव—
13.	अब्दुल खालिद सुपुत्र अब्दुल हाफज, सिया मुसलमान जागीर टोला, थाना जाई, जिला दरभंगा, बिहार ।	—तदैव—
14.	मोहम्मद अल्लाह दाद सुपुत्र वाही उल्लाह, निवासी-गारडेंगडे, थाना ठाकुर नगर, जिला 24 परगना, पश्चिम बंगाल।	—तदैव—
15.	अब्दुल हक, सुपुत्र बासु मिया निवासी बेलापुर, गली डा० सुधीर भूषण लेन, थाना खिरदारपुर, कलकत्ता ।	—तदैव—
16.	राखिल सैन उर्फ हुसैन सुपुत्र रहीम हुसैन, निवासी शहीद नगर थाना ताहर वरटोली, जिला कलकत्ता ।	—तदैव—
17.	राधे श्याम सिंह सुपुत्र स्व० शकुल नारायण सिंह ठाकुर निवासी-मोहसारी थाना बलुआन, जिला वाराणसी (उ० प्र०)	—तदैव—

1	2	3
18.	मोहम्मद इसमाइल सुपुत्र मोहम्मद रजक शान निवासी-पक्की गौरी, थाना-झंझारा, जिला मुजफ्फरनगर (उ० प्र०)	27.2.1984
19.	मन्शाराम उर्फ बकरा सुपुत्र मिलखिराम उर्फ बसाका (हिन्दू) वोहरा, थाना लटीरी, जिला बिरजूद, निकट गया (बिहार)	—तदैव—
20.	मोहम्मद यासीन सुपुत्र अब्दुल गफूर, निवासी मनिगेट दरगाह, बजैई हिन्दू गली लंगर खाकी निकट मुन्ना टी स्टाल, अजमेर शराफ, राजस्थान।	—तदैव—
21.	सूरत सिंह उर्फ सुरती जाट सिख सुपुत्र राणा सिंह निवासी-नारी खेपर, पेरू, जिला सारा (बिहार)	—तदैव—
22.	भगवान राय सुपुत्र देवा नाथ निवासी-जम्मू थाना पेरू, जिला आसरा, बिहार।	—तदैव—
23.	दलीप सिंह सुपुत्र सुधा सिंह जाट निवासी-शकूरआलान, थाना कालानौर, जिला गुरदासपुर।	—तदैव—
24.	नानू राम सुपुत्र गंगा राम सांसी, मिवासी-मोहल्ला शिवपुरा निकट जोरी मंदिर अबोहर, जिला फिरोजपुर।	—तदैव—
25.	देसू सुपुत्र बसन्तु	—तदैव—
26·	गुरदेव सिंह उर्फ बसाखी सिंह सुपुत्र गुरदयाल सिंह	1-3-84

खादी ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य परिलब्धियां

1663. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की भांति अपने कर्मचारियों को वेतन, विशेष-वेतन और मकान निर्माण ऋण देता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इन विषयों के सम्बन्ध में समय-समय पर बनाए जाने वाले आधारभूत नियम भी लागू किए जाते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इन मामलों के बारे में आवश्यकता पड़ने पर सुधार किस आधार पर किया जाता है;

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अपने कर्मचारियों को सामान्यत: केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू आधार पर वेतन, विशेष-वेतन और गृह निर्माण के लिए अग्रिम राशि मंजूर करता है।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए उसके अपने नियम और विनियम हैं और जहां-कहीं खादी तथा ग्रामोद्योग के नियमों और विनियम का प्रावधान नहीं है वहां भारत सरकार के मौलिक नियमों एवं पूरक नियमों का पालन किया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा चयन पदों की चयन प्रक्रिया के लिए निर्धारित वर्गीकरण श्रेणियां

1664. **श्री अनवार अहमद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा चयन पदों की चयन प्रक्रिया के लिए कार्मिक विभाग द्वारा क्या निश्चित वर्गीकरण श्रेणियां निर्धारित की हैं;

(ख) क्या "अत्युत्तम" (वैरीगुड) और "उत्कृष्ट" (एक्सेलैंट) के बीच भी कोई श्रेणी है; और

(ग) यदि हां, तो वह वर्ग या श्रेणी क्या है ?

गृह-मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) विद्यमान अनुदेशों के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अधिकारियों के सम्बन्धित सेवा रिकार्डों से, यथानिर्धारित गुणावगुण के आधार पर उन्हें "उत्कृष्ट", "बहुत अच्छा" तथा "अच्छा के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पहाड़ी क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत शामिल किए गये क्षेत्र

1665. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहाड़ी क्षेत्रों को देश के पहाड़ी क्षेत्र विकास योजना में शामिल करने के लिए क्या मापदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) अब तक उक्त योजना के अन्तर्गत जिन पहाड़ी क्षेत्रों को शामिल किया गया है, उनके नाम, भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या तथा राज्य का नाम क्या है तथा उनके लिए छठी योजना की वार्षिक योजनाओं में केन्द्र और राज्यों द्वारा कितना धन उपलब्ध कराया गया है;

(ग) उन पहाड़ी क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिन्हें छठी योजना के दौरान इस विकास योजना में शामिल करने के लिए राज्यों द्वारा सुझाव दिए गए हैं तथा उनके मन्त्रालय द्वारा सुझाव को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं, यदि कोई हों तो; और

(घ) अन्य पहाड़ी क्षेत्रों की भांति जन जातीय उप-आयोजना क्षेत्रों के पहाड़ी क्षेत्रों को पहाड़ी क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत पृथक-कार्यक्रम के रूप में शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण): (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना से चालू पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इन क्षेत्रों को शामिल किया गया है (1) वे क्षेत्र जो अधिक बड़े राज्य के भाग हैं, और (2) पश्चिम घाट क्षेत्र। पहले समूह में शामिल किए गए क्षेत्रों का इस प्रकार निर्धारण राष्ट्रीय विकास परिषद की एक उप-समिति द्वारा 12 मार्च, 1965 को हुई अपनी बैठक में किया गया। पश्चिम घाट के नाम से जाने जाने वाले पश्चिम तट के निकट के पहाड़ी क्षेत्रों के निर्धारण के लिए अपनाए गए मानदंड यह थे : ऊंचाई (अर्थात 600 मीटर और उससे अधिक) और समीपता, सीमा निर्धारण की इकाई के रूप में तालुका। योजना आयोग द्वारा हाल ही में स्थापित सातवीं योजना में पहाड़ी क्षेत्र विकास से सम्बन्धित कार्यकारी दल द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों के निर्धारण के लिए मानदंडों की जांच की जाने की आशा है।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरणों 1 और 2 में दी गई है।

(ग) और (घ) नवम्बर 1979 में उड़ीसा सरकार ने निम्नलिखित दस जिलों को पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल करने का अनुरोध किया : बोलांगीर, धेनेकनाल, गंजम, कलाहंदी, कियोंझार, कोरापुट, मयूरभंज, फूलबानी, सम्बलपुर, और सुन्दरगढ़। यह महसूस किया गया कि इनमें से कुछ क्षेत्र पहले से ही जनजातीय उप-योजना में शामिल किए जा चुके थे और उस हैसियत से विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर रहे थे। उनकी अलग प्रकार की सामाजिक-आर्थिक और परिस्थितिकीय समस्याओं को देखते हुए और दोनों कार्यक्रमों के प्रचालन में अतिव्याप्ति से बचने के

लिए, यह उचित समझा गया कि दोनों कार्यक्रमों में से केवल एक के अन्तर्गत क्षेत्र को ही शामिल किया जाए।

विवरण-1

पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम का समावेशन

राज्य	जिला	क्षेत्र (000 वर्ग कि० मी०)	जनसंख्या (1971 की जनगणना) (लाख में)
1	2	3	4
1. पहाड़ी क्षेत्र			
उत्तर प्रदेश	देहरादून	3.09	5.77
	पौड़ी गढ़वाल	5.44	5.53
	टिहरी गढ़वाल	4.42	3.97
	चमोली	9.12	2.93
	उत्तरकाशी	8.02	1.48
	नैनीताल	6.79	7.90
	अल्मोड़ा	7.02	7.50
	पिथौरागढ़	7.22	3.14
असम	उत्तरी कछार	4.89	0.76
	कार्बी अंगलोंग	10.33	3.79
तमिलनाडु	नीलगिरी	2.55	4.94
पश्चिम बंगाल	सदर कूर्सियांग के उप प्रभाग और दार्जिलिंग जिले का कालिमपग	2.40	4.80
	उप-जोड़-1	71.29	52.51

1	2	3	4
2. **पश्चिमी घाट क्षेत्रक**			
महाराष्ट्र	धूले (2)	3.32	3.64
	नासिक (8)	9.53	13.36
	थाणे (5)	4.71	4.77
	रैगढ़ (7)	4.30	6.40
	रत्नागिरि (उत्तर) (5)	5.43	7.85
	रत्नागिरि (दक्षिण) (4)	3.66	5.03
	कोल्हापुर (10)	7.09	15.32
	संगली (1)	0.64	1.06
	सतारा (8)	6.75	11.09
	पुणे (9)	9.81	14.59
	अहमद नगर (2)	3.17	3.67
कर्नाटक	बेलगांव (6)	7.05	12.87
	चिकमंगलूर (4)	4.01	3.33
	कूर्ग (3)	4.09	3.78
	धारवाड़ (1)	1.01	1.27
	हस्सन (4)	3.24	4.88
	मैसूर (2)	3.02	2.84
	उत्तर कनारा (9)	8.64	7.20
	शिमोग दक्षिण (5)	6.61	6.65
	कनारा (6)	7.04	12.22

1	2		3	4
केरल	कन्नौर	(3)	3.53	17.56
	वेबद	(3)	2.12	5.53
	कोजीकोड (कालीकट)	(3)	2.33	22.43
	मालापुरम	(1)	2.26	9.44
	पालघाट	(3)	2.98	10.67
	त्रिचूर	(1)	1.32	6.73
	इर्नाकुलम (कोचीन)	(3)	1.39	7.90
	इदुक्की	(4)	5.13	9.71
	कोट्टायम	(2)	1.07	5.86
	क्यूलोन	(4)	4.15	16.23
	त्रिवेन्द्रम	(2)	1.50	11.68
तमिलनाडु	नीलगिरि	(4)	2.54	4.94
	कोयम्बटूर	(5)	5.92	20.97
	पेरियार	(1)	2.21	3.77
	मदुराई	(6)	8.22	19.77
	त्रिरूनावली	(5)	5.41	14.35
	रामनाथपुरम	(3)	1.59	6.51
	कन्याकुमारी	(4)	1.67	12.75
गोवा	गोवा	(3)	1.72	1.32
	उप-जोड़-2		160.18	349.94
	कुल जोड़ (1 और 2)		231.47	402.45

टिप्पणी— पश्चिमी घाटक्षेत्रक के मामले में तालुका सीमांकन का यूनिट है। कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ों से कार्यक्रम के अन्तर्गत जिले में शामिल किए गए तालुकों की संख्या का पता चलता है।

विवरण-2

छठी पंचवर्षीय योजना में पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए केन्द्र और राज्यों द्वारा परिव्यय सम्बन्धी प्रावधान

(लाख रुपये)

निम्नलिखित में पहाड़ी क्षेत्र		1980-85	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5	6	7
असम	एस० पी०	8000.00	1204.00	1500.00	1700.00	2100.00
	एस०सी०ए०	7128.00	960.00	1255.00	1370.00	1680.00
	जोड़	15128.00	2164.00	2755.00	3070.00	3780.00
पश्चिम बंगाल	एस० पी०	4102.78	754.43	952.40	1036.39	991.94
	एस० सी० ए०	2971.00	545.00	600.00	600.00	615.00
	जोड़	7073.78	1299.43	1552.40	1636.39	1606.94
उत्तर प्रदेश	एस० पी०	22000.00	3716.00	4616.00	5000.00	5500.00
	एस०सी०ए०	35000.00	4120.00	5496.00	7000.00	8500.00
	जोड़	57000.00	7836.00	10112.00	12000.00	14000.00
तमिलनाडु	एस० पी०	उ० न०	353.67	331.13	433.21	472.20
	एस०सी०ए०	2181.00	290.00	397.00	418.00	514.00
	जोड़	एन० एफ०	643.66	710.13	851.21	986.20
पश्चिमी घाट						
(1)	महाराष्ट्र	23.08	3.09	3.75	4.54	5.82
(2)	केरल	17.80	2.24	3.17	3.46	4.44
(3)	तमिलनाडु	13.02	1.80	2.53	2.43	3.11
(4)	कर्नाटक	14.45	1.91	2.30	2.86	3.67
(5)	गोवा	3.65	0.50	0.65	0.73	0.86
(6)	अध्ययन और सर्वेक्षण	3.00	00.2	0.30	0.79	0.16

टिप्पणी : 1. एस० पी० : राज्य योजना, एस० सी० ए० : विशेष केन्द्रीय सहायता उ० न० : उपलब्ध नहीं, एन० एफ० : अंतिम रूप नहीं दिया गया।

2. पश्चिम घाट क्षेत्र के अन्तर्गत क्षेत्रों के लिए राज्य योजना निधियों से प्राप्ति निर्धारणीय नहीं है। अतः इन क्षेत्रों के लिए ऊपर केवल विशेष केन्द्रीय सहायता ही दर्शाई गई है।

3. 1984-85 के लिए आवंटन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

अल्यूमीनियम की कमी

1666. **श्री डूंगर सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक वर्ष से देश में अल्यूमिनियम की भारी कमी है जिसके परिणाम-स्वरूप हजारों उपभोक्ता उद्योगों को नुकसान हो रहा है और नियत मूल्य से प्रतिटन 7000/- रुपए अधिक लिए जा रहे हैं;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय ने 1983-84 के दौरान काफी विलम्ब से आयात के लिए केवल 24,000 टन अल्यूमीनियम जारी किया जो कि आवश्यकता मात्रा से काफी कम था; जिसके परिणामस्वरूप सामान्यरूप से देश में प्रगति को धक्का लगा और उपभोक्ता उद्योगों को काफी बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ी;

(ग) यदि हां, तो सरकार का 1984-85 वर्ष में 70,000 टन की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है, विशेष रूप से जबकि अल्यूमीनियम एक ऐसी महत्वपूर्ण वस्तु बन चुका है जिस पर हमारे देश का विकास निर्भर करता है; और

(घ) क्या सरकार का इस घोटाले की जांच करने के लिए एक जांच समिति गठन करने और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) राज्य बिजली बोर्डों द्वारा एल्यूमीनियम स्मैल्टरों पर लगाई गई बिजली कटौतियों के फलस्वरूप एल्यूमीनियम के उत्पादन में हुई भारी कमी से घरेलू उपयोग हेतु एल्यूमीनियम की उपलब्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(ख) एल्यूमीनियम की मांग और उत्पादन के बीच अन्तर को पूरा करने हेतु खनिज व धातु व्यापार निगम जो इस धातु के लिए भी आयातक एजेंसी है, को चालू वित्त वर्ष में 30,000 टन एल्यूमीनियम का आयात करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

(ग) 1984-85 में भी एल्यूमीनियम की पर्याप्त मात्रा का आयात करने हेतु कार्रवाई शुरू कर दी गई है, ताकि एल्यूमीनियम की मांग और उत्पादन के अन्तर को पूरा किया जा सके।

(घ) जी नहीं।

कागज मिलों की क्षमता का उपयोग

1667. **श्री ईरा इल्बारासु** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चार बड़ी कागज मिलों तथा 35 लघु कागज संयंत्रों ने, जो भारत की कुल अधिष्ठापित क्षमता के 25 प्रतिशत मात्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपना कारोबार बन्द कर दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत में शेष कागज-मिलें अपनी क्षमता का 58 प्रतिशत कार्य कर रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप हाल के महीनों में अखबारी-कागज का भारी मात्रा में आयात करना पड़ा है, तथा अखबारी-कागज के इस निर्यात पर बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का अपव्यय किया गया; और

(ग) यदि हां, तो देश में अखबारी-कागज तथा कागज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) लगभग 6 बड़ी और 23 लघु कागज मिलों में वर्ष 1983 में कुछ समय अथवा पूरी अवधि के दौरान उत्पादन बन्द रहा है।

(ख) कागज उद्योग की वर्ष 1983 में क्षमता उपयोग की समग्र दर लगभग 61 प्रतिशत थी। किन्तु कागज की ऐसी कमी नहीं है जिसको पूरा करने के लिए भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से लिखाई व छपाई कागज का आयात करना आवश्यक हो। जहां तक अखबारी कागज का सम्बन्ध है, तीन स्वदेशी अखबारी कागज मिलों का क्षमता उपयोग वर्ष 1983 में 72 प्रतिशत था। किन्तु, चूंकि अखबारी कागज का उत्पादन करने के लिये 2.22 लाख मी० टन की कुल अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में अखबारी कागज की आवश्यकता करीब 3.5 लाख मी० टन है, अतः आयात द्वारा देशी उत्पादन को पूरा करना आवश्यक हो गया था। तथापि पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान कम आयात किया गया है।

(ग) जहां तक कागज का सम्बन्ध है अधिष्ठापित क्षमता पहले ही छठी योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक हो चुकी है। उद्योग के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए अनेक वित्तीय रियायतें दी जा रही हैं। उद्योग को क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए सक्षम बनाने हेतु अवस्थापना सहायता बढ़ायी जा रही है। जहां तक अखबारी कागज का सम्बन्ध है, देशी मिलों में से दो मिलें नई हैं जिनके कार्य संचालन धीरे धीरे स्थिर हो रहे हैं तथा उनमें अगले वर्ष तक और अधिक उत्पादन होने लगेगा। तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर परियोजना में 1984-85 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाने की आशा है, जबकि नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स भी आधुनिकीकरण तथा विस्तार योजना शुरू कर रही है।

विदेश अभिदाय अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव

1668. **श्री के० लकप्पा :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विभिन्न संगठनों को धनराशि प्राप्त होने को विनिमित करने तथा उसके उपयोग पर निगरानी रखने के लिए विदेश अभिदाय अधिनियम को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) 'विदेश अभिदाय' और 'राजनैतिक दल' जैसी कि क्रमश: विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 (1) (ग) और 2 (1) (छ) में परिभाषा की गई है, के क्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव है । विशेष परिस्थितियों में विदेशी अभिदाय प्राप्त कर्ताओं के लेखों की लेखा परीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा शक्तियां लेने और विशेष परिस्थितियों में संगठनों द्वारा पूर्व-अनुमति लेने के लिए धारा 6 को तथा विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों द्वारा विदेश अभिदाय स्वीकार करने का निषेध करने और पूर्व अनुमति के बिना विदेशी आथित्य सत्कार स्वीकार करने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए क्रमशः धारा 4 और 9 को भी संशोधित करने का भी प्रस्ताव है ।

नारियल जटा से बनी वस्तुओं की घरेलू खपत में वृद्धि

1669. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा से बनी वस्तुओं की घरेलू खपत को बढ़ाने के लिए नारियल जटा बोर्ड द्वारा कुछ उपाय किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अब तक इस बारे में क्या सफलता प्राप्त की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां ।

(ख) किये गए उपायों में से कुछ उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) कयर उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिये कयर बोर्ड देश के महत्वपूर्ण शहरों में 17 प्रदर्शन कक्ष और बिक्री डिपो चला रहा है ।

(2) महत्वपूर्ण प्रकाशनों में कयर और कयर उत्पादों के अनेक विज्ञापन दिये गए हैं ।

(3) इस्तेमाल करने वाली जनता में उत्पादों के प्रति जाग्रति उत्पन्न करने हेतु कयर बोर्ड अनेक मेलों और प्रदर्शनियों में भाग ले रहा है ।

(4) बंगलौर, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चण्डीगढ़, कानपुर और अहमदाबाद में

वास्तुविदों के सम्मेलन आयोजित किये गये थे ।

(5) कयर उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए संभाव्य क्षेत्रों में अधिकृत व्यापारियों की नियुक्ति की जाती है ।

(6) अनेक महत्वपूर्ण नगरों में विज्ञापन-पट्ट (होर्डिंग) लगाये गये हैं ।

(7) प्रदर्शनियों में कयर संबंधी एक फिल्म प्रदर्शित की गई है और कयर उत्पादों सम्बन्धी प्रकाशित सामग्री वितरित की गई है ।

किये गये विभिन्न उपायों से देश में कयर उत्पादों का इस्तेमाल करने के प्रति लोगों में चाव उत्पन्न हुआ है । कयर बोर्ड प्रदर्शन कक्षों और बिक्री डिपुओं के माध्यम से हाल के वर्षों में बिक्री बढ़ी है :—

वर्ष	बिक्री (लाख रुपयों में)
1979-80	94
1980-81	116
1981-82	145
1982-83	181

20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कमजोर वर्गों को दी गई सहायता

1671. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी**
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
श्री भीम सिंह } : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत कमजोर वर्गों को दी जा रही सहायता के बारे में देश के विभिन्न क्षेत्रों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए किये गए विशेष उपायों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) शिकायतें सामान्यत: 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के

अनुपयुक्त कार्यान्वयन से सम्बन्धित हैं जैसे बैंक ऋणों को अनुपलब्धता, समय पर राज सहायता का न मिलना, कार्यकर्ताओं के कदाचार आदि। प्राप्त शिकायतें कार्रवाई के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों/केन्द्रीय मन्त्रालयों को भेज दी जाती हैं।

सिमिली पाल नेशनल पार्क में हाथियों का शिकार

1672. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या शिकारी और प्रोच्छन्न हाथीदांत व्यापारी उड़ीसा के सिमिली पाल नेशनल पार्क में हाथियों को मार रहे हैं;

(ख) क्या हाथी दांत के कुछ टुकड़े और दांत वाले हाथी की खोपड़ी हाल में सिमिली पाल के अन्दरूनी क्षेत्र से बरामद हुई थी;

(ग) क्या दृढ़ त्वचा वाले इस प्राणी का जीवित रहना सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष हाथी परियोजना शुरू की जाएगी; और

(घ) क्या सरकार हाथी दांत के व्यापार पर तथा उनसे बनने वाली वस्तुओं के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएगी जिससे शिकारी उनका लाभ न उठा सकें ?

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) 1983 के दौरान, सिमिली पाल राष्ट्रीय उद्यान तथा इसके बफर जोन में हाथियों के अनधिकार के तीन मामले प्रकाश में आये।

(ख) कुछ ग्रामीणों तथा एक व्यापारी से दो हाथियों के दांतों के टुकड़ेपकड़े गये। सिमिली पाल वनों से 1983 के दौरान, एक हाथी की खोपड़ी तथा दांतों के साथ एक मृत हाथी भी पाया गया।

(ग) बाघ परियोजना के अंतर्गत, हाथियों को सिमिली पाल में पहले ही विशेष सुरक्षा प्राप्त हो रही है जिसने उनकी सुरक्षा को पर्याप्त रूप में सुधारा है, कई राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों की भी स्थापना की गई है। जहां पर हाथियों को पूरी सुरक्षा तथा प्राकृतिकवास सहायता प्राप्त होती है। अतः इस स्थिति में सिर्फ जंगली हाथियों के लिए अलग से कोई परियोजना प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) भारतीय हाथी दांतों के निर्यात पर पहले ही प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। भारतीय हाथी दांतों के आन्तरिक व्यापार का प्रतिबन्धित करने के लिए एक प्रस्ताव की, विधि मन्त्रालय के परामर्श से जांच की जा रही है।

टी० वी० ट्यूब की कमी के कारण रंगीन टी० वी० के उत्पादन में विलम्ब

1673. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या छोटी रंगीन ट्यूबों की सप्लाई न होने के कारण रंगीन टी० वी० बनाने में देरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो रंगीन टी० वी० ट्यूबों की पूरी सप्लाई कब तक होने की सम्भावना है;

(ग) रंगीन ट्यूब का आयात किस देश से किया जा रहा है और उनकी कीमत क्या है; और

(घ) क्या इन ट्यूबों के आ जाने के बाद रंगीन टी० वी० की कीमत कम होने की संभावना है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) इस समय देश में 8808 रंगीन दूरदर्शन पिक्चर-ट्यूब उपलब्ध हैं तथा फरवरी, 1984 के अन्त तक/मार्च, 1984 के पहले सप्ताह तक 14,500 और ट्यूबें उपलब्ध हो जाएंगी। उसके बाद प्रतिमाह लगभग 20,000 ट्यूबें उपलब्ध होने की संभावना है।

(ग) जापान तथा दक्षिण कोरिया से रंगीन दूरदर्शन ट्यूब आयात किये जाते हैं। विभिन्न प्रकार के रंगीन दूरदर्शन ट्यूब आयात किए जाते हैं और उनकी प्रति ट्यूब कीमत नीचे दिए अनुसार है :—

(i) जापान से विक्षेपण कुंडली डिफलेक्शन योक सहित रंगीन दूरदर्शन ट्यूब जहाज पर्यन्त निशुल्क 15,300 जापानी येन।

(ii) जापान से विक्षेपण कुण्डली रहित रंगीन दूरदर्शन ट्यूब-जहाज पर्यन्त निशुल्क 14,500 जापानी येन।

(iii) दक्षिण कोरिया से विक्षेपण कुण्डली सहित रगीन दूरदर्शन ट्यूब-जहाज पर्यन्त नि:शुल्क 63 अमरीकी डालर।

(iv) दक्षिण कोरिया से विक्षेपण कुण्डली रहित रंगीन दूरदर्शन ट्यूब-जहाज पर्यन्त नि:शुल्क 50.30 अमरीकी डालर।

(घ) जी, हां।

संविधान को जलाना

1674. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष देश के कुछ भागों में भारतीय संविधान की कुछ प्रतियां जलाई गई हैं;

(ख) यदि हां तो किन-किन प्रान्तों में किन-किन लोगों द्वारा संविधान की प्रतियां जलाई गई हैं; और

(ग) सरकार ने इस संदर्भ में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार चालू वर्ष के दौरान दिल्ली, चण्डीगढ़ संघ शासित क्षेत्रों और पंजाब राज्य में कुछ स्थानों पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के पृष्ठ जलाये गए/फाड़े गए। इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में सर्वश्री प्रकाशसिंह बादल लक्ष्मणसिंह तुर, दिलीपसिंह पाधी, तालिब सिंह संधू, गुरचरण सिंह तोहरा, सुरजीत सिंह बरनाला, बलवंत सिंह रामूवालिया और रणबीर सिंह चीमा हैं। राष्ट्रीय सम्मान के प्रति अपमान निवारण अधिनियम 1971 के उपबन्धों के अधीन उनके विरुद्ध मामले दर्ज किये गये हैं।

कार्यवाही वृत्तान्तों विभागीय पदोन्नति/समिति/चयन समिति/सरकारी कर्मचारियों के 'करेक्टर रोल्स' के बारे में विशेषाधिकार के दावों से सम्बन्धित मामले

1675. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्थाओं की जानकारी है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के अंतर्गत कार्यवाही वृत्तान्तों/विभागीय पदोन्नति समितियों के प्रतिवेदन/चयन समितियों तथा सरकारी कर्मचारियों के 'करेक्टर रोल्स' के मामलों में विशेषाधिकार का दावा नहीं किया जा सकता और दावा नहीं किया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके मन्त्रालय तथा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा इस प्रकार के कितने मामलों में विशेषाधिकार का दावा किया गया और उसके क्या कारण है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जहां तक उच्च न्यायालयों का सम्बन्ध है, सरकार को उनकी व्यवस्थाओं की जानकारी है। परन्तु सरकार ने इस मामले में उच्चतम न्यायालय की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं देखी है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अवर सचिव और उप सचिव के पदों पर पदोन्नति हेतु नियम

1676. **श्री पीयूस तिरकी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों को अवर सचिवों और अवर सचिवों के उप सचिवों के रूप में पदोन्नति करने हेतु विभागीय पदोन्नति समितियों के लिए कोई नियम बनाए गए हैं अथवा मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 तथा चयन ग्रेड के लिए प्रवर सूचियां तैयार करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड-I तथा चयन ग्रेड मे पदोन्नति) विनियमावली 1964 के विनियम 5 की एक प्रति, जिसमें चयन समितियों द्वारा अपनाए जाने वाली प्रक्रिया शामिल है, सभा पटल पर रखी जाती है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7855/84]

कागज का मूल्य

1677. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारा भारतीय प्रकाशन उद्योग अत्याधिक मूल्य पर भी कागज की अपर्याप्त सप्लाई होने के कारण गंभीर संकट से गुजर रहा है;

(ख) क्या पिछले एक वर्ष में कागज के दाम 33 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ाए गए हैं, यदि हां, तो क्या सरकार प्रकाशकों की मांग को पूरा करने हेतु कागज के दामों में गिरावट लाने के लिए पर्याप्त मात्रा में कागज का आयात करने वाली है;

(ग) क्या पिछले 18 महीनों से किसी भी प्रकाशक को पाठ्य पुस्तकों का कागज नहीं दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने मांग को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) हालांकि वर्ष 1983 में कुछ बड़ी मिलों में मुख्यतया उत्पादन रुक जाने के कारण कागज के उत्पादन में गिरावट आई है फिर भी कागज की ऐसी कमी नहीं है जिसको पूरा करने के लिए भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से लिखने का और छपाई का कागज आयात करना आवश्यक हो। निविष्टियों की लागतों और उत्पादन शुल्क में वृद्धि के कारण लिखने और छपाई के सामान्य किस्म

के कागजों के मूल्य मार्च-दिसम्बर, 1983 के बीच औसतन लगभग 14 प्रतिशत (6600 रुपये प्रति मी० टन से 7500 रुपये मी० टन) बढ़ गए हैं।

(ग) तथा (घ) स्कूली पाठ्य पुस्तकों के उत्पादन और उनकी मूल्यन नीति का दायित्व राज्य सरकारों पर है। स्कूली पाठ्य पुस्तकों के उत्पादन हेतु सभी राज्य-सरकारों को भारत सरकार द्वारा छपाई का सफेद रियायती कागज आवंटित किया जाता है। छपाई के सफेद कागज की आपूर्ति सीमित होने के कारण कालेज/विश्वविद्यालय की पाठ्य पुस्तकें छापने के लिए 1983-84 के दौरान आवंटन नहीं किया गया है। सम्बन्धित कागज मिलों से कहा गया है कि वे शिक्षा क्षेत्र को की जाने वाली छपाई के कागज की आपूर्ति में वृद्धि करें।

राष्ट्रीय आमदनी की गणना

1678. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय आमदनी वर्षवार जिसके लिए इसकी गणना की गई कितनी रही;

(ख) क्या पिछले वित्त वर्ष और चालू वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय आमदनी के बढ़ने की संभावना थी;

(ग) राष्ट्रीय आमदनी की गणना कुल जनसंख्या के आधार पर की जाती है अथवा देश में कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर की जाती है; और

(घ) राष्ट्रीय ऋणों की गणना किस आधार पर की जाती है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा दिनांक 27 जनवरी, 1984 को जारी किया गया राष्ट्रीय आय का अद्यतन अनुमान इस प्रकार है :

वर्ष	उपादान लागत (करोड़ रुपये) के आधार पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद	
	प्रचलित भावों के आधार पर	वर्ष 1970-71 के भावों के आधार पर
1980-81	105834 (अ)	47312 (अ)
1981-82	121989 (अ)	49639 (अ)
1982-83	134066 (शी)	50486 (शी)

अ—अनंतिम

शी—शीघ्र अनुमान

अन्तिम वित्त वर्ष अर्थात् 1982-83 के उपर्युक्त अनुमान में वर्ष 1970-71 के भावों के आधार पर 1.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई गई है। दिनांक 27 फरवरी, 1984 को संसद में प्रस्तुत किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1970-71 के भावों के आधार पर 1983-84 के दौरान सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 6 से 7 प्रतिशत की वृद्धि की आशा की जाती है।

(ग) वास्तव में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों को अपनाया जाता है परन्तु संकल्पनात्मक रूप से वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करने वाले सभी व्यक्तियों की आय की गणना की जाती है।

(घ) सम्भवत: माननीय महोदय का आशय देश के सार्वजनिक ऋण से है। सार्वजनिक ऋण के अन्तर्गत आंतरिक और बाह्य दोनों ऋण सम्मिलित हैं। आंतरिक ऋण के अन्तर्गत खुले बाजार से लिए गये सभी बकाया बाजार उधार, भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य सरकार, वाणिज्यिक बैंक तथा अन्य पक्षों को जारी किये गये ट्रेजरी बिल तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रीय पननिर्माण एवं विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन, अफ्रीका विकास निधि तथा एशिया विकास बैंक को जारी किये गये अपरक्राध तथा ब्याजरहित प्रतिभूतियां शामिल हैं। बाह्य ऋण के अन्तर्गत द्विपक्षीय/बहुपक्षीय स्रोतों से सरकारी लेखा में लिया गया ऋण शामिल है। प्रत्येक वित्त वर्ष के अन्त में वर्ष के दौरान शुद्ध प्रतिदेय सार्वजनिक ऋण की कुल बकाया राशि केन्द्रीय सरकार के बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है जो प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट प्रलेख का एक अंश होता है।

बिक्री कर विभाग, दिल्ली में कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या

1679. **श्री धर्मदास शास्त्री**
श्री के० लकप्पा : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि बिक्री कर विभाग, दिल्ली में कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण विभाग को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों की हानि हो रही है ;

(ख) क्या बिक्री कर विभाग ने केन्द्रीय सरकार से व्यापारियों के क्रियाकलापों के कारण बढ़े हुए कार्यभार को निपटाने के लिए विभाग को पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने बिक्री कर विभाग में बढ़े हुए कार्य-भार से निपटने के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए

अनुमोदन मांगा है।

(ग) सरकार प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

1680. **श्री पी० एम० सईद** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों द्वारा अब तक बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए निर्धारित लक्ष्य का केवल 25 प्रतिशत पूरा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसका मुख्य कारण क्या है;

(ग) किन राज्यों ने लक्ष्य पूरा नहीं किया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्यों को कोई निदेश जारी किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) लक्ष्य की प्राप्ति सम्बन्धी प्रश्न की जांच वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् ही की जा सकती है। जनवरी, 1984 तक, कर्नाटक, केरल और उत्तर प्रदेश का निष्पादन राष्ट्रीय औसत से कम है।

(घ) और (ङ) "कम" निष्पादन को श्रम मंत्रालय और सम्बन्धित राज्यों के ध्यान में लाया गया है और उन्हें 20-सूत्री कार्यक्रम के त्वरित कार्यान्वियन के लिए प्रभावी उपाय करने का अनुरोध किया गया है। श्रम मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में, समय-समय पर, विस्तृत अनुदेश जारी किये हैं। बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है और इसका व्यय 50:50 के आधार पर बांटा जाता है। राज्य छानबीन समितियों को और अधिकार दे दिये गये हैं और केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजे जाने वाले सन्दर्भों में कमी कर दी गई है।

देवनागरी टाइपराइटर में परिवर्तन

1681. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देवनागरी के टाइपराइटर में परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके दोषों की ओर पहले भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था; और

(ग) यदि हां तो ये परिवर्तन कब तक किये जायेंगे और इस सम्बन्ध में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) देवनागरी टाइपराइटरों का वर्तमान कुंजीपटल तथा पिछले कुंजी पटल में सुधार को प्रधान मन्त्री जी का अध्यक्षता में 26 मई, 76 में हुई केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया था। यह निर्णय उस समय तक प्राप्त सभी सुझावों पर भली-भांति विचार करने के पश्चात् लिया गया था। इस नवीनतम मानक कुंजी पटल में पिछली कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया था। इसके पश्चात् समय-समय पर कुंजी पटल में संशोधन के सुझाव प्राप्त होते रहे हैं।

कुंजी पटल में परिवर्तन एक गम्भीर मामला है। कोई बड़ा परिवर्तन करने से सरकार के विभिन्न कार्यालय और हिन्दी शिक्षण योजना के प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रयोग में लाये जा रहे अनेक टाइपराइटरों को बदलना पड़ता है और वर्तमान सभी टाइपिस्टों और आशुलिपिकों को नये सिरे से प्रशिक्षण देना पड़ता है। इसके फलस्वरूप दिन-प्रतिदिन के सरकारी काम-काज में असुविधा होने के अलावा बहुत धनराशि का व्यय निहित है। इन सब कारणों से सरकार की यह नीति रही है कि नवीनतम मानक कुंजीपटल में फिलहाल कोई परिवर्तन न किये जायें। वर्तमान कुंजीपटल में मूलभूत परिवर्तन लाने का कोई ठोस प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

ट्रैक्टरों और हार्वेस्टरों के उपकरणों का आयात

1682. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में ट्रैक्टर और हार्वेस्टर का निर्माण करने वाले लघु क्षेत्र के कुछ एकक, नीति में त्रुटियों का लाभ उठाते हुए घरेलू बाजार में बिक्री के लिए सुप्रसिद्ध उपकरणों का आयात कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो लघु क्षेत्र के ऐसे एककों के नाम क्या हैं जो इस कदाचार में संलग्न हैं;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ लघु क्षेत्र के इन एककों के आयात करार हैं; और

(घ) इस कदाचार को रोकने के उद्देश्य से आयात नीति में त्रुटियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) कुछ

शिकायतें मिली हैं जिनमें निम्नलिखित नामों का उल्लेख किया गया है :

(1) ई० एस० पी० आई० इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन, फरीदाबाद

(2) हिन्दसन, पंजाब

(ग) लघु एककों ने आयात के लिये किसी विशिष्ट देश के साथ करार की कोई व्यवस्था नहीं की है।

(घ) ट्रेक्टरों और मिश्रित हार्वेस्टरों के उद्योगों को अप्रैल, 1983, मार्च, 1984 की आयात तथा निर्यात नीति के परिशिष्ट-3 में शामिल कर लिया गया है।

खड़कपुर—मिदनापुर रेल संपर्क का विद्युतीकरण

1683. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर—मिदनापुर भाग के विद्युतीकरण के लिए रेल मन्त्रालय से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में निर्णय लेने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (घ) 1.64 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर 13 किलोमीटर की दूरी के खड़गपुर—मिदनापुर भाग के विद्युतीकरण के लिए रेल मन्त्रालय के प्रस्ताव को 1984-85 की वार्षिक योजना में शामिल करने की स्वीकृति दे दी गई है।

केरल राज्य के लिए 1984 का कुल परिव्यय

1684. **श्री स्कारिया थामस** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार द्वारा 1984 की वार्षिक आयोजना के लिए कुल कितने परिव्यय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था;

(ख) योजना आयोग द्वारा कुल कितने योजना परिव्यय की मंजूरी दी गई है;

(ग) क्या इसके कारण किसी योजनागत स्कीम में कटौती करने की आवश्यकता होगी; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) संसाधनों की उपलब्धता का ध्यान में रखते हुए केरल की 1984-85 की वार्षिक योजना के लिए राज्य सरकार के कुल 446.74 करोड़ रु० के मुकाबले 355 करोड़ रु० मंजूर किये गये हैं।

(ग) क्षेत्रकीय आवंटनों में यह सुनिश्चित किया गया है कि चल रही योजना स्कीमों को पर्याप्त निधि दी जाये।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रुग्ण एककों के बारे में सर्वदलीय समिति

1685. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक एककों को बन्द करने का निर्णय लेने से पूर्व रुग्ण औद्योगिक एककों की समस्याओं पर विचार करने तथा अर्थोपाय खोजने के लिए सरकार द्वारा सर्वदलीय समिति का गठन न किए जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : उद्योग मन्त्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के हानि उठा रहे एककों की समय-समय पर संवीक्षा की जाती है और जहां आवश्यक होता है, वहां प्रतीकारक कार्रवाई की जाती है। उद्योग मन्त्रालय के नियन्त्रणाधीन हानि उठा रहे सरकारी क्षेत्र के किसी भी एकक को बन्द कर देने का सम्प्रति कोई प्रस्ताव नहीं है।

दहेज विरोधी सैल

1686. **श्री सज्जन कुमार**
श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली पुलिस के अधीन एक दहेज विरोधी सैल की स्थापना की है;

(ख) क्या विदेशों से आने वाले कुछ भारतीय पति, जो कम दहेज मिलने के कारण अपनी पत्नियों को भारत में छोड़कर तुरन्त वापस चले जाते हैं और अधिक दहेज की मांग करते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या यह दहेज विरोधी सैल इस प्रकार की महिलाओं की कोई सहायता नहीं कर पाता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार को ऐसे पतियों को भारत वापस लाने और उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है और इस सम्बन्ध में बनाए गए कानून का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) दिल्ली पुलिस के पास ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

टायरों तथा ट्यूबों के उत्पादन में कटौती

1687. **श्री सूर्य नारायण सिंह क्या : उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टायर निर्माताओं ने हाल ही में, टायरों और ट्यूबों के मूल्यों में वृद्धि करने के उद्देश्य से उनके उत्पादन में कटौती कर दी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983 और 1984 के दौरान प्रमुख टायर निर्माताओं द्वारा किए गए उत्पादन का मास-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

केरल से औद्योगिक लाइसेंसों तथा आशय पत्रों के लिए आवेदन

1688. **श्री एम० रामन्ना राय** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1983-84 में केरल से आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए; और

(ख) कितने आवेदन मंजूर किए गए और कितने नामंजूर किए गए ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) 1983 से 1984 (29-2-1984 तक) की अवधि के दौरान केरल राज्य में उद्योगों की स्थापना करने के लिए आशय पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति के लिए 41 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 17 आवेदन पत्रों को स्वीकृति दे दी गई तथा 16 आवेदन पत्रों को रद्द किया गया अथवा उनका अन्यथा निपटान किया गया।

केन्द्रीय योजना सहायता

1689. **श्री अजय विश्वास** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्य सरकारों की 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1981-82 और 1982-83 की वार्षिक योजनाओं के लिए कितने रुपयों की केन्द्रीय योजना सहायता दी गई थी तथा वह उन योजनाओं के परिव्यय का कितने प्रतिशत थी ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण 1 और 2 में दी गई हैं।

विवरण-1

राज्यों को केन्द्रीय योजना सहायता 1978-79 से 1982-83 ✕

(करोड़ रुपये)

राज्य	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83
1	2	3	4	5	6
1. विशेष श्रेणी राज्य					
1. असम	104.89	112.76	134.56	153.46	239.94
2. हिमाचल प्रदेश	58.25	68.12	76.26	79.68	86.44
3. जम्मू और कश्मीर	130.70	125.01	165.47	194.92	197.72
4. मणिपुर	24.29	27.60	36.75	42.07	60.29
5. मेघालय	23.65	25.96	34.60	37.55	49.10
6. नागालैंड	27.78	28.67	35.14	40.20	57.06
7. सिक्किम	15.58	18.84	26.14	23.92	28.45
8. त्रिपुरा	18.50	25.65	32.14	39.30	52.10
जोड़-1	403.64	432.61	539.05	611.11	771.00
2. अविशेष श्रेणी के राज्य					
1. आंध्र प्रदेश	187.12	201.04	190.54	173.82	185.95
2. बिहार	174.36	211.62	241.98	244.85	275.90
3. गुजरात	65.54	95.87	94.66	105.13	129.55
4. हरियाणा	32.90	42.19	53.41	42.08	53.20
5. कर्नाटक	98.36	97.26	98.70	95.75	96.45

1	2	3	4	5	6
6. केरल	94.92	82.44	77.88	104.04	96.37
7. मध्य प्रदेश	130.20	143.05	177.47	182.63	197.90
8. महाराष्ट्र	146.61	160.16	178.68	174.99	192.33
9. उड़ीसा	76.75	135.13	147.75	134.55	145.36
10. पंजाब	51.21	43.32	61.89	63.55	62.09
11. राजस्थान	101.68	99.24	130.40	117.83	153.13
12. तमिलनाडु	96.35	113.11	135.75	122.13	138.66
13. उत्तर प्रदेश	292.77	347.47	326.87	392.27	434.69
14. पश्चिम बंगाल	126.35	127.21	136.01	136.00	291.09
जोड़—2	1676.12	1899.51	2051.99	2084.67	2452.67
जोड़ (1+2)	2078.76†	2332.12†	2591.04†	2695.78†	3223.67†

×पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता शामिल नहीं है।

†वर्ष 1978-79 में 3 करोड़ रुपये की, वर्ष 1980-81 में 6.45 करोड़ रुपये की और वर्ष 1981-82 में 3.55 करोड़ रु० की ग्रामीण विद्युत निगम सहायता शामिल है। इन आंकड़ों का राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

विवरण-2

विभिन्न राज्यों को उनके योजना व्यय के प्रतिशत के रूप में केन्द्रीय योजना सहायता, 1978-79 से 1982-83 तक×

(योजना परिव्यय का प्रतिशत)

राज्य	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83
1	2	3	4	5	6
1. विशेष श्रेणी राज्य					
1. असम	69.6	70.6	68.8	73.8	106.2

1.	2	3	4	5	6
2. हिमाचल प्रदेश	79.1	85.7	79.0	67.2	66 9
3. जम्मू और कश्मीर	134.0	101.2	114.7	118.2	112.1
4. मणिपुर	82.1	84.8	92.4	100.7	134.8
5. मेघालय	85.3	84.6	85.5	90.4	197.0
6. नागालैंड	106.4	103.6	100.4	106.2	135.4
7. सिक्किम	97.9	105.9	99.1	98.3	120.2
8. त्रिपुरा	70.8	86.8	80.6	82.3	92.4
जोड़—1	90.2	86.4	87.6	89.2	103.6
2. अविशेष श्रेणी राज्य					
1. आंध्र प्रदेश	42.2	44.6	40.1	34.5	32.5
2. बिहार	55.6	66.0	52.0	42.6	46.5
3. गुजरात	17.5	21.0	15.8	15.5	17.2
4. हरियाणा	17.0	20.8	21.7	15.5	15.7
5. कर्नाटक	36.2	30.6	25.5	21.6	18.1
6. केरल	50.0	36.8	26.1	32.1	34.9
7. मध्य प्रदेश	34.3	27.8	30.4	27.7	27.8
8. महाराष्ट्र	18.8	19.7	19.7	15.8	14.2
9. उड़ीसा	41.0	69.3	59.5	47.9	48.3
10. पंजाब	23.2	16.2	20.7	18.4	16.1
11. राजस्थान	39.6	34.2	42.2	33.6	44.3
12. तमिलनाडु	29.9	30.6	29.7	20.2	19.0
13. उत्तर प्रदेश	35.9	40.1	33.0	35.0	34.7
14. पश्चिम बंगाल	34.3	33.2	30.3	28.8	61.9
जोड़—2	32.7	33.7	30.6	26.9	28.4
जोड़ (1+2)	37.3	38.0	35.3	32.0	34.4

×केन्द्रीय सहायता में पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता शामिल नहीं है। इसी प्रकार, योजना परिव्यय के आंकड़ों में पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता द्वारा वित्त व्यवस्था किए गए परिव्यय शामिल नहीं हैं।

संशोधित बीस सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन

1690. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान संशोधित बीस सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में योजना आयोग के नवीनतम अध्ययन की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या आयोग द्वारा किया गया मूल्यांकन यह दर्शाता है कि बीस सूत्री कार्यक्रम के दो सूत्रों को छोड़कर बाकी सभी के मामले में उपलब्धि निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में 80 प्रतिशत कम रही;

(ग) क्या गरीब वर्गों के लिए आवास और बन्धुआ मजदूरों को मुक्त कराने के क्षेत्रों में उपलब्धि सबसे खराब बताई गई है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मन्त्रालयों को स्थिति से अवगत कराया जाता है और निष्पादन का सन्तोषजनक स्तर प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त उपाय करने का अनुरोध किया जाता है।

1983-84 के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत राज्यों को दी गई राशि

1691. **श्री टी०एम० सावन्त :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84 में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी राशि दी गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : विशेष संघटक योजना (वि० सं० यो०) परिव्यय को राज्य योजना, परिव्यय में शामिल किया जाता है। केन्द्रीय सरकार राज्यों को विशेष संघटक योजना के लिए 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में विशेष केन्द्रीय सहायता (वि० के० स०) देती है।

राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए वर्ष 1983-84 के लिए विशेष संघटक योजना और विशेष केन्द्रीय सहायता की धन-राशियों का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वि० संघटक योजना परिव्यय	1983-84 के लिए आवंटन (30 करोड़ रु०में से)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,39.5113	8.78
2.	असम	5.6750	1.39
3.	बिहार	43.5836	13.16
4.	गुजरात	19.0751	2.79
5.	हरियाणा	28.1379	2.75
6.	हिमाचल प्रदेश	15.40	1.20
7.	जम्मू और कश्मीर	6.1430	0.53
8.	कर्नाटक	53.1365	6.39
9.	केरल	20.7480	3.00
10.	मध्य प्रदेश	46.9814	8.82
11.	महाराष्ट्र	30.8110	9.42
12.	मणिपुर	0.7791	0.03
13.	उड़ीसा	27.2470	5.09
14.	पंजाब	23.4659	4.88
15.	राजस्थान	40.3095	6.41
16.	सिक्किम	0.4370	0.02
17.	तमिलनाडु	76.0024	11.05
18.	त्रिपुरा	5.7835	0.30
19.	उत्तर प्रदेश	1,17.6036	29.58
20.	पश्चिम बंगाल	36.4365	13,29
21.	दिल्ली	12.8739	0.95
22.	चण्डीगढ़	1.5182	0.06
23.	पांडिचेरी	29.329	0.08
24.	गोआ, दमन और दीव	0.2649	0.03
		7,54.8572	130.00

* आंकड़े अस्थाई हैं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में कागज उद्योग की स्थापना

1692. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कागज और गत्ते का निर्माण करने के लिए कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन क्षेत्रों में कारखाने स्थापित करके उस कच्चे माल का उपयोग करने के लिए कदम न उठाए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार कच्चे माल की उपलब्धता के तथ्य से सहमत है और वहां, खासतौर पर बस्ती जिले में, इस प्रकार के कारखाने स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) पूर्वी उत्तर प्रदेश में कागज के उत्पादन के लिए गौण कच्ची सामग्री के रूप में अनाज का भूसा, खोई और रद्दी कागज उपलब्ध हैं ।

(ख) और (ग) पूर्वी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित एकक कागज और कागज गत्ते का उत्पादन कर रहे हैं जिनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता 26,180 मी० टन प्रतिवर्ष है :

(मी० टनों में)

नाम	स्थान	वार्षिक क्षमता
1. मै० संजय पेपर एण्ड केमिकल्स लि०	बस्ती	6600
2. मै० राजेश पेपर मिल्स लिमिटेड	शिकोहाबाद	2000
3. मै० रावत पेपर्स लिमिटेड	रायबरेली	2640
4. मै० श्री भवानी पेपर मिल्स	रायबरेली	10000
5. मै० यश० पेपर्स लिमिटेड	फैजाबाद	4940

उपर्युक्त एककों के अतिरिक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश में कागज और कागज का गत्ता बनाने के लिए निम्नलिखित एककों को भी स्वीकृति दी गई है :—

नाम	स्थान	वार्षिक क्षमता
1. मैं० पी० वी० के० पेपर्स	बस्ती	8250
2. मै० ट्रानस्टेल प्रा० लिमिटेड	रायबरेली	10000
3. मै० पेट्रो केमिकल इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड	फैजाबाद	10000
4. मै० आर० एन० गुप्ता	उन्नाव	6000
5. मै० कपूर ब्रदर्स	पीलीभीत	10000
6. मै० रायबरेली पेपर मिल्स	रायबरेली	4000
7. मै० श्री लक्ष्मी निवास पेपर्स मिल्स	मैनपुरी	3000
8. मै० रीजेंट पेपर मिल्स प्रा० लि०	सुलतानपुरी	3000
9. बीराक स्ट्रा बोर्ड्स प्रा० लिमिटेड	खेरी	3300
10. गर्ग पेपर मिल्स प्रा० लिमिटेड	कानपुर	1950
11. मै० यश पेपर्स	फैजाबाद	3000
12. मै० भूषण धवन	उन्नाव	6600
13. उन्नाव पेपर मिल्स	उन्नाव	4075
14. बलिया पेपर मिल्स	बलिया	3600
15. कुन्दा कागज कर्नाटक	रायबरेली	3000
16. मै० लक्ष्मी आइस मिल्स	अमेठी	6600
17. मै० कपूर पेपर मिल्स	उन्नाव	3000
18. मै० अर्चना पल्प एण्ड पेपर मिल्स	रायबरेली	3300
19. पार्वती पेपर मिल्स	फैजाबाद	1700
20. मै० सरस्वती पेपर	रायबरेली	6600
21. मै० जगदीश पेपर इन्डस्ट्री	पीलीभीत	4950
22. संजय पेपर मिल्स	सीतापुर	4100

अत: पूर्वी उत्तर प्रदेश और जिला बस्ती में कागज और कागज का गत्ता बनाने के लिए पहले ही अनेक एककों को स्वीकृति दी जा चुकी है। आगे आवेदन पत्र जब और जैसे प्राप्त होंगे उन पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

फालतू आग्नेयास्त्र पुलिस को सौंपना

1693. **श्री विष्णु प्रसाद** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी और स्वर्ण मन्दिर प्राधिकारियों ने "फालतू" आग्नेयास्त्रों को पुलिस को सौंपने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का, पिछले जून में एक अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित भारतीय आयुध अधिनियम, का उनके द्वारा उल्लंघन किए जाने को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कराने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि स्वर्ण मन्दिर अमृतसर के परिसर में निम्नलिखित संख्या में आग्नेयास्त्र रखने की सरकार द्वारा पहले अनुमति दी गई थी :—

शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी	: चौदह आग्नेयास्त्र
श्री दरबार साहिब कमेटी	: चौदह आग्नेयास्त्र

जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर ने प्रबन्धक और सचिव शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी और प्रबन्धक और सचिव दरबार सहित कमेटी को शास्त्र संशोधन अधिनियम, 1983 के उपबंध जिनसे किसी व्यक्ति द्वारा उसके कब्जे में रखे जाने वाले आग्नेयास्त्रों की संख्या की सीमा निर्धारित का जाती है, की दृष्टि से लाइसेंसों पर निर्धारित हथियारों से अधिक हथियारों को समर्पित करने के लिए 1-2-84 को चार नोटिस जारी किये हैं। उन्होंने अभी तक कोई आग्नेयास्त्र समर्पित नहीं किया है।

मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करना

1694. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से, राज्य के आदिवासी और हरिजन बहुल क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए कोई योजना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए उद्योगवार कितने उद्योगपतियों को लाइसेंस दिए गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विजय नगर इस्पात संयंत्र की प्रगति

1695. श्री पी० के० कोडियन
श्री के० ए० राजन
श्री टी० आर० शमन्ना } : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजय नगर इस्पात संयंत्र सम्बन्धी कार्य आरम्भ करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि 12 वर्ष पूर्व इस संयंत्र का शिलान्यास प्रधानमन्त्री द्वारा किया गया था ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) जी, हां। निम्नलिखित प्रारम्भिक कार्य शुरू किए गए हैं :—

1. संयंत्र के लिए भूमि अर्जन।
2. स्थलाकृति सम्बन्धी सर्वेक्षण।
3. भू-भौतिकीय जांच।
4. मिट्टी की जांच।
5. स्थायी आधार पर जल आपूर्ति हेतु प्रारम्भिक जांच।
6. कच्चे माल की जांच और परीक्षण।
7. संयंत्र के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की जांच और परीक्षण
8. कच्चे माल की ढुलाई के लिए तकनीकी आर्थिक शक्यता संबंधी रिपोर्ट।
9. संयंत्र के लिए अधिगृहीत भूमि के चारों तरफ बाड़ लगाना।
10. बेलरी-हास्पेट क्षेत्र के लौह अयस्क और सिंगरेनी क्षेत्र के कोयले की उपयुक्तता के बारे बारे में परीक्षण।

इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए विजय नगर स्टील लिमिटेड नाम से एक नई

कम्पनी बनाई गई है।

(ग) प्रधान मन्त्री ने 14 नवम्बर, 1971 को इस परियोजना का शिलान्यास किया था।

निर्धन लोगों की संख्या को कम करके शून्य तक लाना

1696. श्री सुधीर गिरि : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीन वर्षों, अर्थात् 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में निर्धन लोगों की संख्या में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनकी संख्या निर्धारित करने का मापदण्ड क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार निर्धनों की संख्या को घटाकर शून्य तक लाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और किस प्रकार ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) छठी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन दस्तावेज में अनुमान लगाया गया है कि छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में 5·70 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठाए गए हैं। 1981-82 तक का अनुमान मध्यावधि मूल्यांकन के कार्य के सम्बन्ध में लगाया गया है। 1982-83 के लिए अभी कोई अनुमान नहीं लगाए गए हैं। ये अनुमान वास्तविक संवृद्धि और छठी योजना में परिकल्पित प्रत्याशित जनसंख्या परिवर्तन आधारित है तथा विकासात्मक और पुनर्वितरणात्मक कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर लगाए गए हैं। जनसंख्या अनुमानों में परिशोधन होने पर अथवा पुनर्वितरणात्मक कार्यों से सम्बन्धित और सूचना उपलब्ध होने पर इन अनुमानों में परिवर्तन हो सकता है।

(ग) गरीबों को मापने का मापदण्ड वे सभी व्यक्ति हैं जिनका उपभोग व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति 2400 कैलोरी ग्रहण करने वाले और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी ग्रहण करने वाले वर्ग के प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के मध्य बिन्दु से नीचे है। कैलोरी ग्रहण के अनुमान तदनुरूप वर्गों के खाद्य उपभोग प्रतिमान और खाद्य वस्तुओं की कैलोरी मात्रा से निकाले जाते हैं। इस प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को गरीबी की रेखा कहा जाता है। कुल जनसंख्या में आयु, स्त्री-पुरुष और व्यावसायिक विभेदों को ध्यान में रखने के बाद कैलोरी मानकों का अनुमान लगाया जाता है।

(घ) और (ङ) सरकार का हमेशा यह प्रयास रहता है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी हो। यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि यह संख्या घटकर शून्य कब होगी।

मंत्रालयों द्वारा श्रेणी-एक के पदों का तदर्थ नियुक्तियों द्वारा भरा जाना

1697. श्री हरीश रावत : : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रालयों द्वारा श्रेणी-एक के पदों पर कितनी तदर्थ नियुक्तियां की गई हैं;

(ख) ऐसी कितनी तदर्थ नियुक्तियां की गई, जिनके लिए संघ लोक सेवा आयोग ने असहमति व्यक्त की थी; और

(ग) जब रिक्त स्थान लम्बी अवधि के लिए हो तथा योग्य उम्मीदवार उपलब्ध हों, तो तदर्थ आधार पर पदों को भरने के सम्बन्ध में विभागों/मन्त्रालयों के लिए स्थायी अनुदेश क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तदर्थ नियुक्तियां सेवा की अत्यावश्यकता तथा तत्काल आवश्यकताओं पर निर्भर करती हैं, इसलिए ये पूर्णतः मंत्रालयों/विभागों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आती हैं। विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा श्रेणी-एक के पदों पर की गई तदर्थ नियुक्तियों की संख्या के बारे में सूचना एकीकृत रूप में उपलब्ध नहीं है।

(ख) आयोग द्वारा 25 अधिकारियों से सम्बन्धित 12 मामलों को अनुमोदित नहीं माना गया है इसलिए आयोग द्वारा 31.3.82 तक की अवधि से सम्बन्धित अपनी 32वीं रिपोर्ट में इनका इसी रूप में उल्लेख किया गया है।

(ग) विद्यमान अनुदेशों के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें केवल उसी स्थिति में आयोजित की जानी होती है जबकि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र जारी किया जाता है कि विचाराधीन वर्ष के दौरान पदोन्नति के लिए कोई रिक्तियां उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में साधारणत: नियमित पदोन्नति की जानी चाहिए तथा तदर्थ नियुक्ति का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। इस आशय के अनुदेश भी विद्यमान हैं कि केवल अपरिहार्य परिस्थितियों, जैसे कि भर्ती नियमों को अन्तिम रूप देने में देरी होना, वरिष्ठता विवाद, न्यायालयी मामले आदि जैसे मामलों में तदर्थ नियुक्तियों का सहारा लिया जाना चाहिए तथा ऐसी व्यवस्था भी आवश्यक न्यूनतम अवधि के लिए की जानी चाहिए।

1984-85 के लिए योजना परिव्यय

1698. श्री सोमनाथ चटर्जी
श्री चित्त बसु
श्री ए० के० बालन
श्री नवीन रावणी
: क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 1984-85 के लिए राज्यवार अलग-अलग

कितनी राशि का वार्षिक योजना परिव्यय प्रस्तावित किया गया है; और

(ख) वर्ष 1983-84 के इसी अवधि के आंकड़ों के साथ योजना आयोग द्वारा इस प्रस्ताव पर अन्त में क्या सुझाव दिया गया/सहमति प्रदान की गई ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 1983-84 की वार्षिक योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय 1983-84 के वार्षिक योजना दस्तावेज में दिखाए गए हैं जो सभा पटल पर प्रस्तुत किया जा चुका है। जहां तक 1984-85 के आंकड़ों का सम्बन्ध है, यह वार्षिक योजना दस्तावेज में दर्शाए जायेंगे जो राज्य बजटों के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के सभा पटल पर रखा जाएगा।

विवरण

(करोड़ रु०)

राज्य	वार्षिक योजना 1984-85 प्रस्तावित परिव्यय
आंध्र प्रदेश	931.87
असम	435.76
बिहार	775.25
गुजरात	986.58
हरियाणा	457.25
हिमाचल प्रदेश	183.00
जम्मू तथा कश्मीर	275·41
कर्नाटक	684.74
केरल	446.74
मध्य प्रदेश	1126.07
महाराष्ट्र	1635.29
मणिपुर	118.16
मेघालय	72.49
नागालैंड	75.09
उड़ीसा	478.52
पंजाब	488.00

राज्य	(करोड़ रु०) वार्षिक योजना 1984-85 प्रस्तावित परिव्यय
राजस्थान	808.97
सिक्किम	40.36
तमिलनाडु	952.80
त्रिपुरा	115.94
उत्तर प्रदेश	1665.00
पश्चिम बंगाल	800.00
जोड़—राज्य	13553.29
संघ शासित क्षेत्र	
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	37.88
अरूणाचल प्रदेश	98.07
चंडीगढ़	34.22
दादरा और नागर हवेली	9.94
गोवा, दमन और दीव	88.00
दिल्ली	342.58
लक्षद्वीप	12.05
मिजोरम	60.56
पांडिचेरी	31.49
जोड़—संघ शासित क्षेत्र	714.79
जोड़—राज्य संघ शासित क्षेत्र	14268.08

जम्मू और कश्मीर में पाक समर्थक तत्वों की गैर-कानूनी गतिविधियां

1699. श्री बी० डी० सिंह
श्री के० लकप्पा
श्री जयपाल सिंह कश्यप
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री

: क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और कश्मीर राज्य में पाकिस्तान समर्थक तत्वों की गैर-कानूनी गतिविधियां बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर में कुछ राष्ट्रविरोधी अलगाववादी और विद्रोही दल/तत्व, विशेषकर जम्मू व कश्मीर जमात-ए-इस्लामी, इस्लाम जमात-ए-तुलबा, जम्मू व कश्मीर पीपल्स लीग, महज-ए-आजादी और अवामी एक्शन कमेटी, राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त है। राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में अलगाववादी स्वरूप की गतिविधियों और प्रचार, हिंसा के कार्य, भारत विरोधी प्रदर्शन आदि शामिल है।

(ग) इस मामले में भारत सरकार राज्य सरकार से पत्र-व्यवहार कर रही है। राज्य सरकार ने हाल में इन संगठनों के कुछ सदस्यों/कार्यकर्ताओं और अन्य विघटनकारी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। भारत सरकार स्थिति पर निकट से नजर रखे हुए हैं और यदि राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से देश की एकता, सुरक्षा और प्रभुसत्ता को हानि पहुंचने का खतरा या नुकसान होता है तो वह कानून के अधीन समुचित कार्रवाई करने में नहीं हिचकेगी।

पंजाब में बंदूकों के अवैध व्यापार करने वाले गिरोह का पता चलना

1700. **श्री स्वामी इन्द्रवेश**
श्री त्रिलोक चंद
श्री कमल नाथ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में पंजाब में अमृतसर स्वर्ण मन्दिर से संचालित एक बड़े पैमाने पर बंदूकों के अवैध व्यापार करने वाले गिरोह का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि अमृतसर में पुलिस ने सशस्त्र तस्करों के एक ऐसे गिरोह का पता लगाया है, जो बन्दूकों का अवैध व्यापार करते थे। इस गिरोह के चार सदस्य गिरफ्तार कर लिये गए हैं। गिरोह के पास गिरफ्तारी के समय 12 बोर की पिस्तौलें और चालू गोलाबारूद थे। तीन 12 बोर की पिस्तौलें और कुछ गोलाबारूद बरामद किए गए हैं। बताया जाता है कि गिरोह ने विभिन्न श्रेणियों के कई हथियारों की तस्करी की है और उन्हें स्वर्ण मन्दिर, अमृतसर के क्षेत्र में बेचा है।

मारुति कारों का उत्पादन

1701. **श्री कमल नाथ** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितनी मारुति कारें बनाई और बिक्री के लिए निकाली गई हैं;

(ख) क्या उत्पादन पहले निर्धारित अनुसूची के अनुसार हो रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा 21 फरवरी, 1984 तक 487 कारें बनाई गई और बेची गई थीं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मजलोगान मराठवाड़ा में फुटबाल के आकार की एक वस्तु का गिरना

1702. **श्री मानिकराव होडल्य गावित** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 फरवरी, 1984 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि मराठवाड़ा जिले के मजलोगान तालुक में आसमान से फुटबाल के आकार की कुछ विचित्र वस्तुएं गिरीं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : जी, हां। अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद को भी महाराष्ट्र पुलिस विभाग से यह सूचना प्राप्त हुई है कि फरवरी 8, 1984 को 1500-1600 बजे के बीच में मजलोगान और तलावड़ा (बीड़) पुलिस स्टेशनों के आस-पास में नौ धातु पिंड गिरे थे, प्रत्येक पिंड में लगभग एक इंच परिधि के दो निकास थे। ग्रामीणों ने बड़े जोर की आवाज के साथ इन पिंडों को आसमान से गिरते हुए देखा है। फरवरी 16, 1984 को उसी आकार और स्टील टीन (5 फीट × 6 इंच) का एक और पिंड उपर्युक्त पुलिस स्टेशनों के आस-पास पाया गया था। इन पिंडों की प्रकृति और स्रोत का पता लगाने के लिए मामले की जांच की जा रही है।

निर्गुट सम्मेलन, राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों के सम्मेलन और एशियाई खेलों के लिए बुलाए गए अधिकारियों और पुलिस कांस्टेबलों को मानदेय की अदायगी

1703. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्गुट देशों के सम्मेलन, राष्ट्रमण्डल देशों के शासनाध्यक्षों के सम्मेलन और एशियाई खेलों के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की सेवाओं की मांग की गई थी;

(ख) यदि हां, तो अधिकारियों और अन्य रैंकों के कर्मचारियों को मानदेय की अदायगी के लिए अलग-अलग क्या प्रावधान किया गया है;

(ग) अधिकारियों और कांस्टेबलों को किस दर पर मानदेय की अदायगी का निर्णय लिया गया था और उन्हें अलग-अलग कितनी राशि की अदायगी की गई; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) हां श्रीमान ।

(ख) से (घ) राष्ट्रमण्डल देशों के शासनाध्यक्षों के सम्मेलन के संबंध में दिल्ली पुलिस और अन्य केन्द्रीय पुलिस संगठनों के सुरक्षा कार्मिकों को भोजन के कूपन जारी किए जाने के आदेश जारी किए गए थे । होटलों में प्रतिदिन 12 घंटे या इससे अधिक अवधि के लिए तैनात कर्मचारियों को 50 रु० के कूपन स्वीकार्य थे । चौबीसों घंटे होटलों में तैनात कर्मचारियों के लिए 100 रु० के कूपन स्वीकार्य थे ।

विज्ञान भवन, अशोक और सम्राट होटलों तथा पालम हवाई अड्डे पर प्रतिदिन 8 घंटे या इससे अधिक अवधि के लिए ड्यूटी पर तैनात किए गए दिल्ली पुलिस और अन्य केन्द्रीय पुलिस संगठनों के कार्मिकों के लिए 25 रु० प्रतिदिन की दर से जेब खर्चा भत्ता स्वीकार्य था ।

इस सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस के कार्मिकों को देय कुल राशि अनुमानतः 15,33,200 रु० है।

बोकारों इस्पात संयंत्र क्षेत्र में बन्द होने की स्थिति में छोटे और मध्यम उद्योग

1704. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के बोकारो इस्पात संयंत्र के औद्योगिक क्षेत्र में विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत 184 छोटे और मध्यम उद्योग स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि यह उद्योग बिजली, बैंकों से प्राप्त सुविधाओं में कमी और बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा इनके उत्पादों को खरीदने में हिचकिचाहट तथा विलम्ब के कारण बन्द होने की स्थिति में हैं;

(ग) यदि हां, तो इन उद्योगों के जिन्दा रहने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को क्या ठोस कदम उठाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) इस क्षेत्र में स्थापित किये गए एककों की ठीक-ठीक संख्या उपलब्ध नहीं है। किन्तु, सूचना मिली है कि क्षेत्र में 116 लघु और सहायक एकक कार्यरत हैं।

(ख) से (घ) उद्योगों के बंद होने की कोई विशिष्ट शिकायत सरकार की जानकारी में नहीं लाई गई है। किन्तु ऋण देने के लिए लघु क्षेत्र पर प्राथमिकता वाले क्षेत्र की दृष्टि से विचार करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। लघु और सहायक उद्योगों की सहायता करने के लिए बोकारो स्टील प्लांट अनेक वस्तुएं इनसे नियमित रूप से खरीद रहा है। बोकारो स्टील प्लांट ने लघु और सहायक एककों से 1981-82 और 1982-83 में क्रमश: 635·30 लाख रुपये और 755.00 लाख रुपये की खरीद की है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से प्राप्त अभ्यावेदन

1705. श्रीमती सुमति उरांव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों द्वारा सेवा के मामलों में अपनी शिकायतों को दूर करने की मांग करते हुए उनके मन्त्रालय को भारत के राष्ट्रपति को अनुस्मारकों के रूप में कितने अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए;

(ख) प्रस्तुत किए गए "अनुस्मारकों" में से कितने केन्द्रीय सरकार के आदेशों के विरुद्ध और कितने राज्य सरकारों के आदेशों के विरुद्ध थे;

(ग) ऐसे कितने अभ्यावेदनों को निपटाया गया है और उनके क्या परिणाम रहे;

(घ) अभी तक कितने अभ्यावेदन छः महीने से अधिक समय से लंबित पड़े हैं और उसके क्या कारण हैं और यदि उनके शीघ्र निपटान के लिए कोई विचार किए गए हैं तो क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसे अभ्यावेदनों के निपटान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) 48।

(ख) केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध 17 तथा राज्य सरकारों के विरुद्ध 31 अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए थे।

(ग) 21 अभ्यावेदन निपटाए गए जिनमें से 4 स्वीकार किए गए थे तथा 17 रद्द किए गए थे।

(घ) 20 अभ्यावेदन छः मास से अधिक समय से लम्बित पड़े हैं क्योंकि अभ्यावेदनों में उठाए गए मुद्दों पर सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों से उनकी टिप्पणियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। उक्त मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अनुवर्ती कारंवाई की जा रही है।

(ङ) तथा (च) अभ्यावेदनों में उठाए गए सभी, मुद्दों पर सम्पूर्ण सूचना जो कि अन्तिम आदेश पारित करने के लिए आवश्यक होती है, सभी मामलों में समय-सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं हो पाती है अतः अभ्यावेदनों के निपटान के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव नहीं है।

मालाबार सीमेंट को लेवी से छूट

1706. **श्री बी० एस० विजय राघवन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया है कि मालाबार सीमेंट को कुछ समय के लिए लेवी से छूट दी जाए;

(ख) इस अनुरोध के क्या कारण हैं; और

(ग) उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) यद्यपि सरकार से ऐसा कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है, परन्तु फरवरी, 1984 में इस संयंत्र के उद्घाटन के समय केरल सरकार के मुख्यमंत्री और उद्योग मन्त्री द्वारा इस सम्बन्ध में उल्लेख किया गया था। फिर भी, सीमेंट के आंशिक विनियंत्रण की योजना के अन्तर्गत नई सीमेंट फैक्टरियों के लिए उपलब्ध रियायतें इस सीमेंट फैक्टरी के लिए भी लागू होगी।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के राज्य संवर्ग से लिए गए सचिव

1707. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रत्येक राज्य संवर्ग से कितने सचिव भारत सरकार में लिये गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : 1-3-1984 की स्थिति के अनुसार

भारत सरकार के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के विभिन्न राज्य संवर्गों के 44 अधिकारी भारत सरकार के सचिव के पदों अथवा भारत सरकार के सचिव के समकक्ष पदों पर कार्य कर रहे थे। उनका संवर्गवार आबंटन नीचे दिया गया है :

संवर्ग	अधिकारियों की संख्या
आंध्र प्रदेश	3
असम-मेघालय	3
बिहार	6
गुजरात	3
कर्नाटक	1
मध्य प्रदेश	2
महाराष्ट्र	4
उड़ीसा	3
पंजाब	4
राजस्थान	4
तमिलनाडु	4
उत्तर प्रदेश	9
पश्चिम बंगाल	1

'भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लिमिटेड' कलकत्ता का नवीकरण

1708. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, 'भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि०' कलकत्ता में योजना, तकनीक, उत्पादन के तरीकों के नवीकरण और उन्हें अद्यतन बनाने तथा विविध प्रकार के नए उत्पाद बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : मेसर्स भारत ब्रेकस एण्ड वाल्व्स लिमिटेड, कलकत्ता ने संयंत्र के नवीकरण, प्रौद्योगिकी अद्यतन और उत्पादन तरीकों में सुधार लाने की कार्यवाही पहले ही आरम्भ कर दी है। कम्पनी ने विविधीकृत उत्पादों जैसे एल० पी० जी० सिलेन्डरों, औद्योगिक वाल्वों, स्लैक एडजेस्टरों और एयर ब्रेकों का परीक्षण उत्पादन भी शुरू कर दिया है। हां, इन वस्तुओं का पूर्णरूपेण उत्पादन 1984-85 में प्रारम्भ होने की आशा है।

कृषि निवेश में कमी

1709. **श्री चित्त बसु :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को देखते हुए कृषि में निवेश की राशि, जो 1980-81 में 2189 करोड़ रु० थी, 1981-82 में घटकर 2092 करोड़ रु० रह गई और यह आगे और भी कम होकर 1982-83 में 1937 करोड़ रुपए रह गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके, विशेषकर विकास कार्यों में कृषि को दिए गए महत्व को ध्यान में रखते हुए, क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्री (एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार कृषि क्षेत्रक में निवेश के अनुमान वर्तमान (1970-71) कीमतों पर वर्ष 1980-81 में 2189 करोड़ रु०, वर्ष 1981-82 में 2092 करोड़ रु० और 1982-83 में 1937 करोड़ रुपए हैं।

(ख) समग्र संसाधनों की बाध्यकारिता के भीतर, कृषि क्षेत्रक की वर्तमान कीमतों पर अपना बढ़ा हुआ भाग 1980-81 में 5587.00 करोड़ रु., 1981-82 में 6021 करोड़ रुपए और 1982-83 में 6165.00 करोड़ रुपए मिलता रहा है। कृषि में निवेश में लोक तथा निजी निवेश शामिल है जो अनुमानतः 1 : 2.5 से 3.00 के अनुपात में है कृषि में निजी निवेश कृषि उत्पादन की स्थिति पर निर्भर करता है जो मौसम की दशाओं से प्रभावित होता है।

उन महिलाओं, जिनकी लड़कियां ससुराल में मरी, द्वारा भूख-हड़ताल

1710. **श्रीमती गीता मुखर्जी**
श्री के० ए० राजन
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि ऐसी अनेक महिलाओं ने, जिनकी लड़कियों द्वारा पर्याप्त दहेज न लाने पर ससुराल में कथित हत्याएं की गई थी; जनवरी के अन्तिम सप्ताह में प्रधान मन्त्री के आवास के निकट भूख हड़ताल की थी।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनकी शिकायतों पर कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) जी हां

श्रीमान । ऐसी 4 महिलाओं ने जिनकी पुत्रियों की पर्याप्त दहेज न लाने के कारण ससुराल में कथित हत्या कर दी गई थी, 28-1-1984 को प्रधान मन्त्री के निवास-स्थान के निकट भूख-हड़ताल की थी । ये महिलाए कुछ अन्य संगठनों के पदाधिकारियों के साथ दहेज के कारण हुई मौतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने की मांग कर रही थी और वे चाहती थी कि ऐसे सभी मामलों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को जांच-पड़ताल करनी चाहिए । इन महिलाओं की 1-2-1984 को प्रधान मन्त्री द्वारा सुनवाई की गई थी ।

(ग) तथा (घ) इन मामलों में से एक अर्थात श्रीमती रानी कुमारी की मृत्यु की जांच-पड़ताल केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी गयी है और इस मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

अलगाववादी तत्वों द्वारा राष्ट्र विरोधी और पाकिस्तान समर्थक गतिविधियां

1711. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि क्षेत्रीय अधिस्वरों और राष्ट्र विरोधी तथा कुछ अलगाववादी तत्वों द्वारा पाकिस्तान समर्थक गतिविधियों के कारण तनाव उत्पन्न किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई है;

(ख) क्या सरकार ने चुनाव के बाद राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की घटनाओं पर ध्यान देने के लिए कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थिति की चुनौती का सामना करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां श्रीमान ।

(ख) तथा (ग) प्रश्नाधीन गतिविधियों में अलगाववादी गतिविधियां, भारत विरोधी प्रदर्शन हिंसा की प्रथा आदि शामिल हैं । भारत सरकार ऐसे मामलों में राज्य सरकार के साथ लगातार पत्र-व्यवहार करती रहती है । राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में हाल में राष्ट्र-विरोधी संगठनों के कुछ सदस्यों/क्रियावादियों और अन्य विद्रोही तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करना आरम्भ कर दिया है । भारत सरकार स्थिति पर निकट से निगरानी रखे हुए हैं ।

इलेक्ट्रॉनिक विकास कोष की स्थापना

1712. **श्री के० ए० राजन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'केरल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डवलपमेंट कारपोरेशन' के अध्यक्ष श्री के० जी० नाम्बियार द्वारा दिए गए इस सुझाव की ओर दिलाया गया है कि देश में विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स विकास कोष की स्थापना की जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, हां ।

(ख) दिनांक 7 फरवरी, 1984 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय विनिर्माता संगठन (ए० आई० एम० ओ०) द्वारा आयोजित संगोष्ठी में केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम (के० एस० ई० डी० सी०) के अध्यक्ष श्री के० पी० पी० नाम्बियार ने 'इलेक्ट्रॉनिकी के लिए वित्त' विषय पर बोलते हुए सुझाव दिया था कि देश में अनन्यतः इलेक्ट्रॉनिकी के लिये धनराशि प्रदान करने के उद्देश्य से एक इलेक्ट्रॉनिकी विकास कोष की स्थापना की जाए ।

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने इलेक्ट्रॉनिकी संघटक-पुर्जा विकास कोष के लिए एक अन्तर्विभागीय कार्यकारी-दल का पहले ही गठन किया हैं जो इस प्रकार के विकास कोष की स्थापना के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सके। तथापि, सरकार ने समूचे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए किसी विकास-कोष की स्थापना के लिए कोई निर्णय नहीं किया हैं ।

असम में विदेशियों का पता लगाने के लिए 'ट्रिब्यूनल्स'

1713. **श्री के० राममूर्ति**
श्री वासुदेव आचार्य } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशियों का पता लगाने के लिए असम में कितने 'ट्रिब्यूनल' स्थापित किए गये हैं;

(ख) उनमें से कितनों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है और उन्होंने कितने विदेशियों का पता लगाया है;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने उनके कार्यकरण के लिये कोई मार्गनिदेश निर्धारित नहीं किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) असम राज्य सरकार ने अवैध आप्रवासियों के निर्धारण के लिये 20 ट्रिब्यूनल्स की स्थापना अधिसूचित की है । इनमें से 6 ट्रिब्यूनलों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है । हाल ही में स्थापित ट्रिब्यूनलों ने अवैध आप्रवासी (न्यायाधिकरणों का निर्धारण) अधिनियम, 1983 के उपबंधों के तहत केन्द्र

सरकार द्वारा प्रस्तुत हवाले या किसी व्यक्ति द्वारा दिए गये आवेदन पत्र के आधार पर यह निर्धारित करेंगे कि क्या व्यक्ति अवैध आप्रवासी है या नहीं।

(ग) और (घ) अवैध आप्रवासी (न्यायाधिकरणों का निर्धारण) नियम 1984, 2 फरवरी को लागू हुए हैं। अवैध आप्रवासियों के निर्धारण के लिए जांच के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धांत भी जारी कर दिये गए हैं।

जालौर को औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाना

1714. **श्री विरदा राम फुलवारिया :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के जालौर जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करके 25 प्रतिशत अनुदान देने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक किया जायेगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) ऐसी कोई स्कीम विचाराधीन नहीं है। राजस्थान का जालौर जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की श्रेणी "ग" में शामिल है और वह 1.4.1983 से 10 प्रतिशत केन्द्रीय निवेश राज सहायता के अंतर्गत अधिकतम 10 लाख रुपये की राशि पाने का हकदार है।

धीवर आदि मछुआ समुदायों से उन्हें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने की मांग

1715. **श्री जयपाल सिंह कश्यप :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को धीवर, मल्लाह, केवट, कहार और मछुआ समुदायों से उन्हें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों की सूची में शामिल करने के बारे में कोई मांग-पत्र मिला है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) उपर्युक्त प्रस्ताव तथा ऐसे अन्य प्रस्तावों, सिफारिशों, सुझावों और अभ्यावेदनों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सूचियों में प्रस्तावित व्यापक संशोधन के

संदर्भ में सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और भारत के महा पंजीकार के परामर्श से और किसी समुदाय को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के मामले में अपनाये जाने वाले सम्बन्धित मानदण्डों के अनुसार विधिवत विचार किया जा रहा है। कुछ राज्य सरकारों की टिप्पणियों की अभी प्रतीक्षा है और उन्हें नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की मौजूदा सूचियों में कोई संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341 (2) और 342 (2) के अनुसार संसद के किसी अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है।

रंगीन टेलीविजन के निर्माण के लिए जारी किए गये लाइसेंसों का दुरुपयोग

1716. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि रंगीन टी० वी० सेटों के निर्माताओं को दिये गए लाइसेंसों का दुरुपयोग किया गया है;

(ख) क्या बाजार में रंगीन टी० वी० सेटों की कमी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उन लाइसेंसों को वापस लिए जाने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि जिन प्रयोजनों के लिए उन्हें दिया गया था, उनका उपयोग उन प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा रहा है ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, नहीं। अभी तक सरकार के समक्ष ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(ख) जी, हां। लेकिन यह अभाव केवल कुछ समय के लिए है।

(ग) पार्टियों को जारी किए गए अनुमोदन-पत्र/आशय पत्र जारी की गई तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होते हैं। पार्टियों से आशा की जाती है कि वे इस अवधि के भीतर ही अपने उत्पादों का उत्पादन आरम्भ करने की दृष्टि से आवश्यक कदम उठाएंगे। अत: सरकार जारी की गई तारीख से अनुमोदन-पत्रों/आशय-पत्रों को सामान्यत: एक वर्ष की अवधि तक रद्द नहीं करती है। यदि इस अवधि के उपरान्त अनुमोदित इकाइयां अपनी परियोजना को कार्यान्वित करने की दृष्टि से कोई कदम नहीं उठाती हैं तो सरकार अनुमोदन-पत्रों/आशय-पत्रों को रद्द करने का प्रस्ताव कर सकती है।

अमृतसर में सिख युवकों ने पत्रकार को छुरा घोंपा

1717. **श्री सुभाष चंद्र बोस अल्लूरी**
श्री शिव शरण वर्मा
श्री जगपाल सिंह
: क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा

करेंगें कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 फरवरी, 1984 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि 3 फरवरी, 1984 को अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर के सामने कुछ सिख युवकों ने एक पत्रकार को छुरा मार कर घायल कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर के चारों ओर पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का कोई जवान मौजूद नहीं था;

(ग) यदि हां, तो हमलावार कैसे बच निकले और इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं;

(घ) सरकार का विचार उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है जिनकी लापरवाही के कारण अपराधी भागने में सफल हो गये;

(ङ) क्या अमृतसर में पत्रकार पर किए गए कथित घातक हमले को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अवांछित तत्वों से सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाये हैं और राज्य सरकार को इस संबंध में निदेश जारी किये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) सरकार ने यह समाचार देखा है।

(ख) से (घ) गुरूरामदास सराय जहां यह घटना घटी के बाहरी दरवाजे पर कोई पुलिस तैनात नहीं की जाती है। आक्रमणकारी अपराध करने के पश्चात स्वर्णमन्दिर परिसर में घुस गये। इस घटना के सम्बन्ध में एक मामला दर्ज किया गया है और इसकी जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ङ) तथा (च) पंजाब सरकार ने पत्रकारों और संवाददाताओं की सुरक्षा के लिये आवश्यक कदम उठाये हैं जिनमें उनमें से कुछ को सुरक्षा मार्गरक्षी प्रदान करना भी शामिल है। सरकार ने पत्रकारों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए जब भी ऐसी स्थिति हो, आवश्यक कार्रवाई करने के लिये सभी राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया है।

सामरिक महत्व के सीमावर्ती राज्यों में कार्यरत पाकिस्तानी गुप्तचर और दंगा भड़काने वाले तत्व

1718. श्री पी० नामग्याल
श्री दिगम्बर सिंह } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 फरवरी, 1984 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "स्मगलर्स इन पाक एस्पियोनेज नेट वर्क' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या पाकिस्तानी गुप्तचर, तस्कर और दंगा भड़काने वाले तत्व सामरिक महत्व के सभी सीमावर्ती राज्यों जैसे जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में प्रत्यक्ष रूप से काम रहे हैं;

(ग) क्या एक पाकिस्तानी ने उपर्युक्त रहस्द्योघाटन किया हैं जिसे हाल ही में गिरफ्तार किया गया था;

(घ) क्या इन तत्वों का गत गर्मियों में श्रीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में गड़बड़ी फैलाने वालों और श्रीनगर स्टेडियम में बम विस्फोट करने वालों से सम्पर्क था; और

(ङ) यदि हां, तो इन गुप्तचरों, तस्करों दंगा भड़काने वालों के अन्य प्रकार के सम्पर्क का ब्यौरा सभा पटल रखा पर जाये ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां श्रीमान ।

(ख) से (ङ) सम्बन्धित राज्य सरकारों से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

पंजाब में आतंकवादियों/उग्रवादियों द्वारा मारे गए लोग

1719. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में आतंकवादियों और उग्रवादियों द्वारा कितने लोग मारे गए हैं ;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने लोग गिरफ्तार किए गये;

(ग) कितने अपराधी गुरूद्वारों में शरण लिए हुए हैं; और

(घ) सरकार ने इन अपराधियों के सम्बन्ध में क्या नीति अपनाई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) 1-8-81 से 14-2-84 तक की अवधि के दौरान 161 व्यक्ति मारे गए।

(ख) उग्रवादी गतिविधियों के सम्बन्ध में दर्ज विभिन्न मामलों में अन्तंग्रस्त 851 अभियुक्त व्यक्तियों को 14-2-84 तक गिरफ्तार किया जा चुका है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार गुरूद्वारों में कई अपराधी छिपे हुए हैं।

(घ) राज्य प्राधिकारी गुरुद्वारों में छिपे वांछित व्यक्तियों का पुलिस को सौंपने के लिए

शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबन्धक समिति से कहती रही है। ताकि उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सके। अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं सौंपा गया है। प्राधिकारी इस सम्बन्ध में कड़ी निगरानी रख रहे हैं।

विदेशी ट्रेड मार्क्स का प्रयोग

1720. **श्री धर्मवीर सिन्हा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15 मई, 1983 के "इन्डिया टूडे" में प्रकाशित विदेशी ट्रेड मार्क्स विषयक लेख, और विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में विदेशी ब्रांडों नामों का प्रयोग किए जाने पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में लोक सभा में 12 मार्च, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 310 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच विदेशी ट्रेड मार्क्स के प्रयोग सम्बन्धी नीति में परिवर्तन कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) विदेशी ट्रेड मार्कों के प्रयोग के सम्बन्ध में विदेशी सहयोग नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। देश में बिक्री के लिए उत्पादों पर विदेशी ट्रेड मार्कों के प्रयोग की सामान्यत: अनुमति नहीं दी जाती, यद्यपि निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के लिए विदेशी ट्रेड मार्कों के इस्तेमाल पर कोई आपत्ति नहीं है। विदेशी सहयोग के लिए दी जाने वाली सभी स्वीकृतियों में इस आशय की एक शर्त लगाई जा रही है।

इस्पात की उत्पादन लागत कम करने के उपाय

1721. **श्री सुभाष चन्द्र यादव** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में इस्पात की उत्पादन लागत कम करने के उद्देश्य से लघु इस्पात एककों के लिए आदानों का मापदण्ड तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) द्वितीयकशोधन; 'अल्ट्रा हाई पावर आपरेशन'; आक्सीजन लैंस का प्रयोग, जल शीतित छतों और पैनलों के प्रयोग आदि जैसे उपायों को लागू करके लागत में कमी और क्वालिटी में सुधार लाने के लिए सम्बन्धित उद्योग के परामर्श से प्रभावकारी मानदण्डों को निर्धारित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस उद्योग ने इस बारे में तकनीकि और आर्थिक प्राचलों का अध्ययन करने के लिए एक विशेष दल का गठन भी किया है।

महाराष्ट्र में सीमेंट कारखाने की स्थापना

1722. **श्री उत्तम राव पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में यवतमाल जिले के वाणि तहसील में एक सीमेंट कारखाना लगाने का कोई ठोस प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में 5 लाख मी० टन वार्षिक क्षमता का एक सीमेंट संयन्त्र स्थापित करने के लिए 21-7-1983 को एक आशय-पत्र स्टेट इन्डस्ट्रियल एन्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ महाराष्ट्र के नाम जारी किया गया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

1723. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के सम्बन्ध में किए गए अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति बहुल गांवों में बिजली उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में प्रयासों को तेज करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (का० मू० सं०) ने वर्ष 1979-81 की अवधि के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट दो भागों में जनवरी, 1982 तथा नवम्बर, 1983 में क्रमशः प्रस्तुत की। अध्ययन के महत्वपूर्ण परिणाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण के संवर्धन के लिए वर्ष 1969 में स्थापित ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने इन क्षेत्रों में परियोजनाएं स्वीकृत करने के लिए अपनी वित्तीय नीतियों को उदार बनाया है। ब्याज की दर, ऋण चुकाने की अवधि और अदायगी तथा व्यवहार्य मापदण्डों को अन्य क्षेत्रों में लागू मापदण्डों से कम रखा गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने जनजातीय क्षेत्रों से ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों की व्यवहार्यता की गणना करने में अपने पूंजी आधार से वितरण ट्रांसफार्मरों और 11 के० वी० लाइनों की लागत न शामिल करने की और छूट दी गई है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों द्वारा वास करने वाले क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण में संवृद्धि और तीव्रता लाने के लिए इन पहलुओं की सतत समीक्षा की जाती है।

विवरण

योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण पर किए गए अध्ययन के महत्वपूर्ण परिणाम/निष्कर्ष

(1) राज्य बिजली बोर्डों को संगठनात्मक अपर्याप्ताओं से ग्रस्त पाया गया था। ग्रामीण विद्युतीकरण की गति तेज करने के लिए उपाय सुझाने के लिए स्थापित की गई विभिन्न विशेषज्ञ समितियों ने सिफारिश की कि राज्य बिजली बोर्डों के अन्तर्गत ग्रामीण बिजली विंग/एकक स्थापित किए जाए। सभी राज्यों में यह सिफारिश कार्यान्वित नहीं की गई।

(2) राज्यों विशेषकर के उत्तर-पूर्वी राज्यों और पहाड़ी क्षेत्रों वाले राज्यों को अन्य समस्या का सामना करना पड़ा, जैसे—दूरवर्ती क्षेत्रों और कठिन भू-भाग वाले क्षेत्रों में कार्य करने के लिए अनुभवी और योग्य इन्जीनियर नहीं आ रहे।

(3) अधिकांश राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों की प्रगति धीमी होने का कारण कंडक्टरों, आर० सी० सी० थम्बों, ट्रांसफार्मरों आदि जैसी निर्माण सामग्री की काफी अधिक कमी बताया गया है। अधिकांशत: सभी राज्यों में डिविजन और उप-डिविजन में भी स्टोरों से डिविजनल हैडक्वाटर स्थलों आदि तक आदमी और सामग्री को समय पर लाने-ले जाने के लिए ट्रकों, ट्रेक्टरों और जीपों जैसी परिवहन सुविधाओं की अपर्याप्तता पाई गई है। इससे कार्य को पूरा करने में देर हुई। फील्ड अधिकारियों को दी गई वित्तीय शक्तियां अपर्याप्त पाई गई।

(4) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रकों के लिए अलग से उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोग और भार से सम्बन्धित सर्विस वार आंकड़ों को एकत्र करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था न ही किसी राज्य में की गई थी और न ही केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण ने इसकी सिफारिश की थी जबकि यह योजना और वित्तीय लाभों के अनुमान लगाने के लिए आवश्यक थी।

(5) असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में राज्य स्तर पर और पश्चिम बंगाल तथा मेघालय और नागालैंड को छोड़कर सभी राज्यों में जिला स्तर पर समन्वय समितियां गठित की गई थीं। सभी सम्बन्धित विभागों के विकास कार्यकलापों के समन्वय द्वारा एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए अग्रिम योजना सुनिश्चित करने के लिए ऐसा प्रतीत होता है इन समितियों द्वारा बहुत ही कम अथवा कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया है ताकि भार-विकास के लिए पर्याप्त मांग सृजित की जा सकें।

(6) केन्द्रीय सरकार से नीति निदेश के रूप में पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के सम्बन्ध में वर्ष 1970-71 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा सहायता की

तरजीह शर्तें शुरू की गई थी। वर्ष 1972-73 में बिजली लगाए गए गांवों के पास की हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण का विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया।

(7) अधिकांशतः सभी राज्यों में कृषि के लिए रियायती शुल्क उपलब्ध था। राज्य से राज्य में रियायत की दर भिन्न थी। केवल कुछ ही राज्यों से विद्युत के कृषि-स्तर उपभोक्ताओं के लिए रियायतों के बारे में बताया गया था।

(8) 1951 में मौजूद बिजली चालित 21,000 पम्प सैटों की अल्प संख्या से डेढ़ लाख पम्प सैटों के अतिरिक्त औसत के हिसाब से 1980 में बिजली चालित नलकूपों की संख्या को 39.5 लाख तक लाया गया। 1979 तक बिजली चालित नलकूपों की संख्या लगभग सकल फसल क्षेत्र का 21 प्रति 1000 हैक्टेयर थी।

(9) "अन्य विकास कार्यक्रमों और स्कीमों" को भी विद्युतीकरण कार्यक्रम द्वारा निर्मित विकास की क्षमताओं के उपयोग के लिए बिजली लगाए गये गांवों की ओर अभिमुख होना चाहिए।

(10) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुलता वाले गांवों में बिजली उपलब्ध कराने के लिए और कमजोर वर्गों को भी अधिक प्रोत्साहन देने के लिए जिससे उन्हें विद्युत का लाभ मिल सके, राज्य सरकारों को अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

(11) लम्बी और बोझिल प्रक्रिया के कारण कनेक्शन मिलने में देरी होती है जिससे उपभोक्ताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

(12) अधिकांश राज्यों में बिल जमा कराने के केन्द्र चुने हुए गांवों से 5 कि० मी० से अधिक दूरी पर हैं। सुझाव दिया जाता है कि ऐसे केन्द्र पर्याप्त संख्या में ऐसे स्थान पर खोले जाएं जिससे ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिल जमा कराने के लिए लम्बी दूरी तय न करनी पड़े।

(13) ऐसा मालूम हुआ है कि हर छठे गांव में प्रतिदिन लगभग दो बार बाधा पहुंचती है। यह सुझाव दिया जाता है कि विद्युत विभाग बाधाओं की संख्या कम करने के लिए संयुक्त प्रयास करे। ग्रामीण उपभोक्ताओं को समय से और पर्याप्त मात्रा में विद्युत आपूर्ति करने के लिए भी कदम उठाये जाने चाहिए।

(14) विद्युतीकरण से पम्प सैटों की संख्या, सिंचित क्षेत्र, अधिक उपज देने वाली जातियों और उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों के व्यापक उपयोग, पौध संरक्षण उपाय और यांत्रिक आविष्कार में वृद्धि होगी।

(15) फसल प्रतिमान (क्रापिंग पैटर्न) सिंचाई सुविधाओं की निश्चितता के फलस्वरूप अधिक लाभकारी फसलों की ओर हो गया है।

(16) कुछ गैर कृषि आधारित और सेवा एककों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयां कृषि पर ही आधारित थी। कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम विविधता पाई गई। इसका परिणाम इन यूनिटों के द्वारा की गई उत्पाद/सेवाओं की अपर्याप्त मांग के फलस्वरूप उनकी क्षमता का कम उपयोग और उसके द्वारा रोजगार की पर्याप्त संभावनाओं का न दिया जाना है। ग्रामीण उद्योगों का सुव्यवस्थित ढंग से विकास करने के लिए उद्योगों के विविधीकरण और उद्यमियों को आवश्यक आधार संरचना सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता है।

(17) गांवों में हो रहे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को, स्थानीय निकायों को स्ट्रीट लाइटिंग के खर्च के लिए संसाधनों में वृद्धि करनी चाहिए।

(18) राज्य विद्युत बोर्डों को सभी भावी उपभोक्ताओं के लिए अन्तरिम वाईरिंग (इन्टरनल वायरिंग) देने का काम अपने हाथ में ले लेना चाहिए और इसकी लागत आसान किस्तों में वापस लेनी चाहिए, विशेष रूप से मेघालय और असम जैसे राज्यों में जहां अपेक्षित सामग्री का न केवल अभाव बताया जाता है बल्कि ऊंचे दामों पर मिलती है। आग के किसी जोखिम से बचाने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को जो अधिकतर कूचा घरों में रहते है कन्ड्यूट पाइप भी घटी कीमतों पर दिए जाने चाहिए।

(19) ग्रामीण विद्युतीकरण से ग्रामीण औरतों की नीरसता को कम करने के अलावा पढ़ने की आदत, मनोरंजन, आमोद-प्रमोद, खेल और शौक में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से युवकों के प्रव्रजन भी कम हुआ है।

(20) विद्युत के उपयोग में "गैर-लाभार्थियों" के लिए मुख्य बाधा "वित्त की कमी है।"

सरकार द्वारा स्वर्ण मन्दिर में हथियारों की अनुमति

1724. **श्री छांगुर राम** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर में प्रति व्यक्ति कितने हथियार रखने का अनुमति दी है; और

(ख) क्या वहां पर इस नियम का पालन किया जा रहा है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) पंजाब

सरकार ने सूचित किया है कि स्वर्णमन्दिर अमृतसर के परिसर में निम्नलिखित संख्या में आग्नेयास्त्र रखने की सरकार द्वारा पहले अनुमति दी गई थी :—

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी चौदह अग्नेयास्त्र

श्री दरबार साहिब कमेटी : चौदह आग्नेयास्त्र

जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर ने प्रबंधक और सचिव शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी तथा तथा प्रबन्धक तथा सचिव दरबार साहिब कमेटी को शस्त्र, संशोधन अधिनियम, 1983 के उपबन्ध जिनमें किसी व्यक्ति द्वारा अपने कब्जे में रखे जाने वाले आग्नेयास्त्रों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित की गई है, की दृष्टि से उनके लाइसेंसों पर निर्धारित हथियारों से अधिक हथियारों को समर्पित करने के लिए चार नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने अभी तक कोई आग्नेयास्त्र समर्पित नहीं किया है।

टी० वी० कम्पनियों द्वारा माल न उठाया जाना

1725. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन समस्याओं का सामना कर रहा है क्योंकि टेलीविजन कम्पनियां, जो अपनी मांग पंजीकृत करती हैं; माल के देश में पहुंचने पर उसे नहीं उठाती हैं जिसके परिणामस्वरूप कारपोरेशन की वस्तु-सूची लंबी होती जाती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का है ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) यह सच है कि वे दूरदर्शन कम्पनियां जो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन (ई० टी० टी० डी० सी०) को श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों के लिए अपनी मांग दर्ज करती हैं वे सामानों के देश में पहुंच जाने के बाद उन्हें हमेशा नहीं उठाती हैं जिसके कारण वस्तु-सूची काफी अधिक हो जाती है।

(ख) उद्योग से यह आग्रह किया जा रहा है कि जितनी मात्रा में माल उन्हें आबंटित किया गया हो वे उसे उठा लें। ई० टी० टी० डी० सी० निम्नलिखित उपाय अपनाने के प्रश्न पर भी विचार कर रहा है :—

(i) सामानों को देर से उठाने के लिए ब्याज लगाना;

(ii) जो पार्टियां निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पिक्चर ट्यूब नहीं लेती हैं उन्हें

श्याम तथा श्वेत पिक्चर ट्यूबों के साथ-साथ रंगीन पिक्चर ट्यूबों की आपूर्ति पर रोक लगाना अथवा बन्द करना;

(iii) आयात-निर्यात सम्बन्धी नीति के प्रावधानों को लागू करना।

इस बात कसा निश्चय करने के लिए कि ई० टी० टी० डी० सी० द्वारा विभिन्न दूरदर्शन कम्पनियों को किए गए आबंटनों का पूर्ण परिपालन होता है, कम्पनी इस सम्बन्ध में उपलब्ध अन्य सभी कानूनी तथा वाणिज्यिक उपाय करेगी।

आतंकवादियों की दिल्ली पुलिस मुख्यालय को उड़ा देने की धमकी

1726. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 8 फरवरी, 1984 के 'पेट्रियट' में प्रकाशित समाचारों को देखा है जिसमें लिखा गया था कि आतंकवादियों ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय को उड़ा देने की धमकी दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) उग्रवादियों की गतिविधियों की धमकी से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय सहित दिल्ली में सुरक्षा प्रबंध कड़े कर दिये गये हैं।

पंजाब सम्बन्धी त्रिपक्षीय वार्ता

1727. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 जनवरी, 1984 को प्रधान मन्त्री द्वारा बुलायी गई सर्वदलीय बैठक में अकाली दल से पंजाब की स्थिति के संबंध में त्रिपक्षीय वार्ता में भाग लेने की अपील की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस अपील पर अकाली दल की क्या प्रतिक्रिया रही है; और

(ग) सरकार का विचार पंजाब की स्थिति के सम्बन्ध में त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन कब करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) प्रधान मन्त्री ने 7 फरवरी 1984 को विपक्षी दलों के नेताओं के साथ एक बैठक की और उसमें हुए निर्णय के परिणामस्वरूप

शिरोमणी अकाली दल को 14 फरवरी, 1984 को त्रिपक्षीय वार्ता में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया।

(ख) शिरोमणी अकाली दल प्रतिनिधिमंडल ने त्रिपक्षीय बातचीत में भाग लिया। अकालियों समेत विपक्षी नेताओं द्वारा एकमत से दिए गए सुझाव पर, कि वे पंजाब राज्य में शांति तथा सामान्य स्थिति बहाल करने में मदद करने के लिए पंजाब जाएं, 15-2-1984 को बातचीत थोड़े समय के लिए स्थगित कर दी गई।

(ग) सरकार ने वार्ता से कोई हल निकालने के लिए सदैव अपनी तत्परता व्यक्त की है।

स्वतन्त्रता सेनानियों को पेन्शन

1728. **श्री भीकू राम जैन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानियों को, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से सम्बद्ध हों, केन्द्रीय सरकार से स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन मिल रही है और यदि हां, तो प्रति मास उन्हें पेंशन के रूप में कितनी धनराशि दी जा रही है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारें भी इन पेंशनधारियों को कुछ अतिरिक्त पेंशन दे रही हैं और यदि हां, तो प्रत्येक राज्य कितनी धनराशि दे रहा है और राजनीतिक पीड़ितों को अन्य क्या सहायता अथवा सुविधाएं दी जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो संघ शासित क्षेत्र, दिल्ली में रहने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों को क्या पेन्शन अथवा सुविधा (केन्द्रीय पेन्शन के अतिरिक्त) दी जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली के स्वतंत्रता सेनानियों को अन्य राज्यों के बराबर समझने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां। 1980 की स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम के अधीन सम्मान पेंशन की दर 300 रु० प्रति माह है। कुछ अपवादिक मामलों में, 5 वर्षों या अधिक समय की यातना सहित कुछ शर्तों पर 500 रु० प्रति माह तक की पेंशन भी मंजूर की जाती है।

(ख) केन्द्रीय पेंशन स्कीम के अतिरिक्त कुछ राज्य सरकारों की उनके क्षेत्रों में रहने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों और उनके परिवारों के लिए, अपनी पेंशन स्कीमें हैं। ये स्कीमें सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा तैयार और अधिशासित की जाती है तथा व्यय सम्बंधित राज्य सरकार के राजस्व से पूरा किया जाता है। पेंशन स्कीम के अलावा अधिकांश राज्य सरकारों ने स्वतन्त्रता

सेनानियों के लिए कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान की हैं।

(ग) दिल्ली के स्वतन्त्रता सेनानियों को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम के अधीन पेंशन के अलावा निशुल्क चिकित्सा सुविधायें भी प्रदान की गई है।

(घ) जी नहीं। श्रीमान। दिल्ली के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान पेंशन के अलावा पेंशन प्रदान किए जाने के प्रस्ताव की पहले ही जांच की जा चुकी है। किन्तु इसे स्वीकार्य नहीं पाया गया है।

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड द्वारा दामोदर सीमेंट के साथ धातुमल (स्लैग) की सप्लाई सम्बन्धी ठेके को समाप्त किया जाना

1729. **श्री वासुदेव आचार्य**
श्री सत्यसांधन चक्रवर्ती } : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धकों ने सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया तथा पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम के संयुक्त उपक्रम, दामोदर सीमेंट एण्ड स्लैग लिमिटेड के साथ धातुमल (स्लैग) की सप्लाई सम्बन्धी ठेका अचानक ही समाप्त कर दिया है;

(ख) क्या उक्त कम्पनी ने पहले ही 2.5 करोड़ रुपये खर्च कर रखे हैं और बर्न और पुरुलिया स्थित सीमेंट कारखाने में बहुत कणिकायन (ग्रेनुलेशन) संयंत्र लगाने हेतु मशीनों और उपकरणों के लिए क्रयादेश दे रखे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड ने अपने धातुमल (स्लैग) की बिक्री के लिए किसी प्राइवेट पार्टी को चुना है; और

(घ) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने ने बिड़ला जूट मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि० को एक कारखाने, दुर्गापुर सीमेंट के साथ धातुमल (स्लैग) की सप्लाई का दीर्घावधि ठेका कर रखा है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) प्रश्न में जिस करार का उल्लेख किया गया है वह एक निश्चित अवधि तक केवल द्रव स्लैग की सप्लाई के बारे में था। इस करार की अवधि जून, 1983 में समाप्त हो गई थी।

(ख) प्रश्न में जिस खर्च का उल्लेख किया गया है वह स्लैग ग्रेन्यूलेशन तथा सीमेंट

ग्राइन्डिग संयंत्र की स्थापना पर खर्च किया गया था। जब यह संयंत्र पूरा हो जाएगा तब यह इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (इस्को) से द्रव स्लैग ले सकेगा।

(ग) "इस्को" ने द्रव स्लैग की बिक्री के लिए केवल एक प्राइवेट पार्टी को चुना है। इस पार्टी ने सबसे ऊंचा दाम लगाया है। यह करार केवल एक वर्ष के लिए है और इसे एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है परन्तु अवधि बढ़ाने का एकमात्र अधिकार "इस्को" को है।

(घ) जी, हां।

दिल्ली में महिलाओं की मौते

1730. **श्रीमती प्रमिला दंडवते**
श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छ: महीनों के दौरान दिल्ली में दहेज समस्या के कारण आत्महत्या, जलने और पिटाई के कारण कितनी महिलाओं की मृत्यु हुई है;

(ख) पुलिस ने कितनी शिकायतें पंजीकृत की है; और

(ग) पुलिस द्वारा उक्त अवधि के दौरान दोषी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) पिछले 6 महीनों के दौरान अर्थात् अगस्त, 1983 से जनवरी, 1984 तक, दिल्ली में आत्महत्या, जलने और पिटाई के कारण महिलाओं की मौतों की संख्या इस प्रकार है :—

आत्महत्या	जलने	पिटाई के कारण
90	188	8

(ख) शिकायतों के आधार पर दर्ज मामलों की संख्या निम्न प्रकार से है :—

आत्महत्या	जलने	पिटाई के कारण
23	43	8

(ग) आत्महत्या के 23 मामलों में से 4 मामलों का पता नहीं लगा के रूप में फाईल किया गया है और 19 मामलों की जांच की जा रही है। इन मामलों में 18 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं।

जलने के कारण हुई मौतों के 43 मामलों में से, 2 को रद्द किया गया, 12 को "पता नहीं लगा" के रूप में फाईल किया गया, 25 मामलों की जांच की जा रही है और 4 विचारण के लिये लम्बित है। इन मामलों में 39 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

पिटाई के कारण हुई मौतों के 8 मामलों में से 5 मामले जांच के लिए लम्बित हैं और 3 विचारण के लिए लंबित हैं। इन मामलों में 6 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को निर्धनता रेखा से ऊपर उठाया जाना

1731. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू पंचवर्षीय योजना के आरंभ में प्रत्येक ब्लाक में आर्थिक रूप से पिछड़े 600 परिवारों को निर्धनता रेखा के ऊपर लाने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) प्रत्येक राज्य में इस दिशा में हुई उपलब्धि के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो चालू योजना की शेष अवधि के दौरान उपर्युक्त लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हर वर्ष प्रति खण्ड में उन 600 परिवारों को विशिष्ट सहायता देने की परिकल्पना की गई है जो ग्रामीण जनसंख्या के गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले सबसे गरीब लोग हैं।

(ख) वर्ष 1980-83 की अवधि के दौरान 9 मिलियन परिवारों के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 8.90 मिलियन परिवारों को सहायता दी गई है जिससे पता लगता है कि पहले तीन वर्षों में लक्ष्य लगभग पूरी तरह से प्राप्त हो गया है।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1980-83 के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वास्तविक लक्ष्य और प्राप्ति को दिखाने वाला विवरण

(लाभग्राहियों की संख्या लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1980-83		कालम 3 के प्रतिशत के रूप में कालम 4
	लक्ष्य	प्राप्ति	
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	5.83	6.90	118.33
असम	2.41	0.82	34.01
बिहार	10.57	8.91	84.34
गुजरात	3.92	3.96	100.76
हरियाणा	1.57	2.86	182.52
हिमाचल प्रदेश	1.24	1.29	103.64
जम्मू और कश्मीर	1.35	0.72	53.69
कर्नाटक	3.15	3.30	104.83
केरल	2.59	3.05	117.56
मध्य प्रदेश	8.24	7.80	94.58
महाराष्ट्र	5.33	4.72	88.62
मणिपुर	0.47	0.15	31.52
मेघालय	0.43	0.19	43.45
नागालैंड	0.38	0.29	77.48
उड़ीसा	5.65	4.92	86.97
पंजाब	2.10	2.49	118.07
राजस्थान	4.18	3.88	92.83
सिक्किम	0.07	0.03	47.90
तमिलनाडु	6.79	8.85	130.43

1	2	3	4
त्रिपुरा	0.31	0.30	98.93
उत्तर प्रदेश	15.77	20.94	132.81
पश्चिम बंगाल	6.03	2.00	33.23
संघ राज्य क्षेत्र			
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.09	0.001	0.81
अरुणाचल प्रदेश	0.86	0.22	25.86
चंडीगढ़	0.02	0.01	50.00
दादरा और नगर हवेली	0.02	0.003	13.83
दिल्ली	0.09	0.10	106.98
गोवा, दमन और दीप	0.22	0.17	78.67
लक्षद्वीप	0.09	0.003	3.47
मिज़ोरम	0.36	0.04	1.58
पांडिचेरी	0.07	0.05	67.14
जोड़	90.20	88.96	98.62

मरम्मत किया जाने वाला राजस्थान आण्विक बिजली केन्द्र

1732. **श्री दौलत राम सारण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) राजस्थान आण्विक बिजली केन्द्र के यूनिट I और II कितनी अवधि तक अव्यवस्थित ढंग से काम कर रहे हैं और कितनी अवधि तक उनकी मरम्मत होती रही;

(ख) उसके परिणामस्वरूप बिजली उत्पादन में कितना नुकसान होने का अनुमान है; और

(ग) यूनिटों को अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करने के लिए पुनः सक्षम बनाने के लिए कितना व्यय किए जाने का अनुमान है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) राजस्थान परमाणु बिजलीघर का

दूसरा यूनिट बहुत अच्छी तरह काम करता रहा है और वर्ष 1983-84 में इसने केवल 44 दिन काम नहीं किया। बिजलीघर के पहले यूनिट को उसकी एक एंड-शील्ड की मरम्मत करने के लिए 4 मार्च, 1982 से बंद रखा गया है।

(ख) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दोनों यूनिटों में से किसी भी एक यूनिट के बन्द होने से बिजली की दैनिक सप्लाई में 3 मिलियन यूनिट की कमी आ जाती है।

(ग) मरम्मत पर किए गये व्यय का हिसाब अलग से रखना इस कारण सम्भव नहीं है कि ऐसा व्यय संयंत्र के प्रचालन और रख-रखाव पर आने वाले कुल व्यय में ही शामिल रहता है।

राजस्थान में संगमरमर निक्षेप

1733. **श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) राजस्थान में संगमरमर-निक्षेप के मुख्य क्षेत्र कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या राजस्थान में संगमरमर की नई खानों का भी पता चला है;

(ग) इस राज्य में संगमरमर की कितनी खानों में खनन कार्य चल रहा है तथा कितने लोग काम पर लगे हुए हैं;

(घ) क्या राजस्थान में वर्तमान प्रोसेसिंग एकल माल का लगभग 60 प्रतिशत भाग बेकार कर देता है; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार के लिए क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) । (क) राजस्थान में संगमरमर के महत्वपूर्ण निक्षेप मकराना (नागौर जिला), राजसमन्द, अमेट, अगरिया, केलवा, रिखाबडी, बाबरमल आदि (उदयपुर जिला), त्रिपुर-सुन्दरी, (बांसवाड़ा ज़िला), सोलबाड़ा, पेरवा-सेरवा (सिरोही जिला), कायमपुर-राजपुरा (अजमेर जिला), खो-जिरी (अलवर जिला), भैंसलाना (जयपुर जिला), उमर (बून्दी जिला), जहाजपुर (भीलवाड़ा जिला) और जैसलमेर जिले में हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) राजस्थान सरकार के अनुसार राजस्थान में संगमरमर के लिए 598 खनन पट्टे और 635 लगान एवं रायल्टी पट्टे स्वीकृत किए गए हैं और इन खानों में लगभग 8500 श्रमिक काम करते हैं।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) पत्थर तराशी में जो थोड़ी बहुत छीजन होती है उसे पहले ही हीरक-आरियों के इस्तेमाल से कम कर दिया गया है ।

पिछड़े और उद्योगहीन जिलों में उद्योगों का सर्वेक्षण

1734. **डा० प्रताप वाघ :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े और उद्योगहीन जिलों में उद्योग लगाने को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी नीति के कार्यान्वयन द्वारा राज्यों को होने वाले लाभों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन जिलों में कितने एकक स्थापित किए गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) इस मंत्रालय ने पिछड़े और उद्योग रहित जिलों में उद्योग लगाने को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी नीति को कार्यान्वित करने से राज्यों को हुए लाभों के बारे में कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया है ।

(ख) पिछड़े क्षेत्रों/उद्योग रहित जिलों में औद्योगिक एककों की स्थापना करने के लिए जारी किए गए आशय-पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	पिछड़े क्षेत्र		उद्योग रहित जिले	
	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस
1981	370	165	—	—
1982	583	145	158	2
1983	649	317	170	3
1984 (जनवरी)	46	17	4	1

महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन

1735. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में हाल में हुए तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय महिला उद्यमी सम्मेलन के अवसर पर किन नए प्रोत्साहनों के बारे में विचार किया गया है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय महिला उद्यमी सम्मेलन की अभी हाल ही में प्राप्त हुई सिफारिशों पर नए प्रोत्साहनों का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

20-सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वित किया जाना

1736. **श्री ए० के० बालन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हमारे प्रधान मंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम को कई राज्य भली-भांति कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों की संख्या क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) यद्यपि प्रगति एकरूप और समान नहीं है, सभी राज्य परिशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राउरकेला इस्पात संयंत्र का विस्तार

1737. **श्री नित्यानन्द मिश्र** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राउरकेला इस्पात संयंत्र के विस्तार के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) उक्त संयंत्र के विस्तार कार्यक्रम पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(ग) अब तक पूरे हो चुके विस्तार कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) राउरकेला इस्पात कारखाने में जिन अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है, वे हैं : 154.81 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से (वर्ष 1982 तक अद्यतन मूल्य) सिलिकॉन वैद्युतिक इस्पात की चादरें तैयार करने की योजना; यह कारखाना चालू होने वाला है; फरवरी, 1984 तक इस पर 138.57 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। 79·92 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से (वर्ष 1980 की प्रथम तिमाही के आधार पर मूल्य (60-60 मेगावाट के दो रक्षित विद्युत संयंत्र लगाये जा रहे हैं; फरवरी, 1984 के अन्त तक इन पर 25.48 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। वर्ष 1984-85 की वार्षिक योजना में इन योजनाओं के लिए 63.65 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है।

दिल्ली में केन्द्रीय भण्डारों द्वारा बेची गई घटिया स्तर की वस्तुओं की पुनरीक्षा

1738. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसी काफी वस्तुएं, जो अच्छी किस्म की नहीं हैं और लोगों में लोकप्रिय नहीं है, दिल्ली में केन्द्रीय भण्डारों के माध्यम से बेची जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय भण्डारों के माध्यम से घटिया किस्म के उत्पाद बेचे जाने के क्या कारण हैं और क्या उनके मन्त्रालय का इनके माध्यम से बेची जाने वाली वस्तुओं की पुनरीक्षा करने और घटिया स्तर की वस्तुओं को वहां से हटाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं। समिति द्वारा बेची जाने वाली अधिकतर वस्तुएं लोकप्रिय हैं। समाज के निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लाभ के लिए कम मूल्य वाली कुछ वस्तुएं भी बेची जाती हैं जो शीघ्र बिकने वाली और लोकप्रिय होती हैं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

आशुलिपिक सेवा में कठिनाई और पदोन्नति के अवसर अवरुद्ध होने की स्थिति को दूर करने के लिए अनुदेशों/आदेशों का जारी किया जाना

1739. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय वेतन आयोग ने आशुलिपिकों की पदोन्नति के कम अवसर होने का उल्लेख किया था तथा उनके मन्त्रालय ने उनकी कठिनाई और पदोन्नति के अवसर अवरुद्ध होने की स्थिति को दूर करने के लिए कुछ अनुदेश/आदेश जारी किये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग की टिप्पणियां तथा उनके मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों की प्रतियां सभा पटल पर रखी जाएंगी;

(ग) क्या इन आदेशों की प्रतियां उन कार्यालयों को भेजी गई थीं, जो केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में शामिल नहीं थे;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या पचास प्रतिशत पद, परीक्षा के माध्यम से भरने के खंड को आशुलिपिक सेवा नियमों में शामिल कर लेने से पदोन्नति के अवसर और अधिक अवरुद्ध हो गए हैं;

(च) यदि हां, तो किसी अन्य ग्रेडों में शामिल न करते हुए केवल आशुलिपिक सेवा के मामले में यह खंड शामिल करने के क्या कारण हैं; और

(छ) क्या सेवा नियमों को संशोधन करने वाली अधिसूचना की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) आयोग की टिप्पणियों के संगत उद्धरण तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में प्रगतिरोध को दूर करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों की प्रतियां भी संलग्न है। [ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी० 7856/84]

(ग) जी, हां।

(घ) उपर्युक्त आदेशों की प्रतियां भाग न लेने वाले मंत्रालयों/विभागों को भी पृष्ठांकित की गई थीं ताकि वे उनके द्वारा नियंत्रित सेवाओं में इन आदेशों को लागू करने के प्रश्न पर विचार कर सकें।

(ङ) ऐसी कोई सूचना सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

(छ) संगत सेवा नियमों तथा उनमें संशोधन करने वाली अधिसूचना की प्रति भी संसद पुस्तकालय को उपलब्ध करा दी गई है।

सचिवालय राजभाषा सेवा के ग्रुप "ए" और "बी" पदों के प्रारूप भर्ती नियम

1741. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचिवालय राजभाषा सेवा के ग्रुप "ए" और "बी" पदों के प्रारूप भर्ती नियम सम्बन्धित अधिकारियों के विचार जानने के लिए मन्त्रालयों को परिचालित किए गए थे ;

(ख) क्या विभागीय उम्मीदवारों से सम्बन्धित नियम 2(सी)(2), जिसके द्वारा असम्मिलित कर्मचारी विभागीय उम्मीदवार बन जाते हैं, प्रारूप अवस्था में सम्बन्धित सम्मिलित कार्यालयों/मन्त्रालयों तथा कर्मचारियों की जानकारी में नहीं लाया गया था ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) ऐसे असम्मिलित कर्मचारियों को, जिन्होंने योजना में शामिल मन्त्रालयों/कार्यालयों में कभी काम नहीं किया, सम्मिलित करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार सम्मिलित मन्त्रालयों/कार्यालयों में काम कर रहे कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए उक्त नियम 2(सी) (2) को समाप्त करने के बारे में विचार करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) तथा (घ) नियम 2 (ग) (2) प्रारूप नियमों में बाद में इसलिए जोड़ा गया जिससे कि सेवा में भाग न लेने वाले कार्यालयों से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति उन कार्यालयों में अपने से वरिष्ठ कर्मचारियों की तुलना में कोई अवांछित लाभ न पा सके।

(ङ) नियम 2 (ग) (2) के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो विचाराधीन हैं।

टायर और ट्यूब उद्योग सम्बन्धी कार्य दल की स्थापना

1742. **डा० कृपा सिन्धु मोई** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने टायर और ट्यूब उद्योग सम्बन्धी एक कार्य-दल की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) 1985-90 की पंचवर्षीय योजना तैयार करने के सम्बन्ध में स्थापित टायरों तथा ट्यूबों से सम्बन्धित कार्यकारी दल का गठन और विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(i) पंचवर्षीय योजना 1985-90 तैयार करने के संबंध में स्थापित टायर तथा ट्यूबों (आटोमोबाइल और बाइसिकल) से सम्बन्धित कार्यकारी दल का गठन :—

1.	सचिव, औद्योगिक विकास विभाग	अध्यक्ष
2.	अपर सचिव और वित्त सलाहकार औद्योगिक विकास विभाग	सदस्य
3.	भारी उद्योग विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
4.	नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
5.	वित्त मंत्रालय (योजना वित्त) का प्रतिनिधि	सदस्य

6.	तकनीकी विकास महा निदेशालय का प्रतिनिधि	सदस्य
7.	योजना आयोग (उद्योग तथा खनिज प्रभाग और भावी योजना प्रभाग) का प्रतिनिधि	सदस्य
8.	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी अनुसंधान का प्रतिनिधि	सदस्य
9.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का प्रतिनिधि	सदस्य
10.	रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) का प्रतिनिधि	सदस्य
11.	विकास आयुक्त, लघु उद्योग का प्रतिनिधि	सदस्य
12.	आटोमोटिव टायर विनिर्माता एसोशिएसन का प्रतिनिधि	सदस्य
13.	बाइसिकल और मोपेड टायर तथा ट्यूब विनिर्माता एसोशिएसन का प्रतिनिधि	सदस्य
14.	निदेशक (टायर तथा ट्यूबों का प्रभारी अधिकारी) औद्योगिक विकास विभाग	सदस्य-सचिव

कार्यकारी दल आवश्यक होने पर किसी अतिरिक्त सदस्य (सदस्यों) को सहयोजित कर सकता है और उप दल स्थापित कर सकता है।

(ii) पंचवर्षीय योजना 1985-90 तैयार करने के सम्बन्ध में स्थापित टायर तथा ट्यूबों (आटोमोबाइल तथा बाइसिकल) से सम्बन्धित कार्यकारी दल के विचारार्थ विषय :—

1. प्रमुख विचलनों के कारणों का विश्लेषण करने तथा उपयुक्त मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देने के लिए 1984-85 के अन्त तक छठी योजना के मांग, उत्पादन क्षमता के अनुमानों की संभावित उपलब्धियों से तुलना करना।

2. योजना के प्रत्येक वर्ष तथा 15 वर्ष (1999-2000) तक की भावी अवधि सहित सातवीं योजना अवधि (1989-90) के अन्त तक मांग का अनुमान लगाना।

3. सरकार की नीति के सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों, संगठित तथा विकेन्द्रित उत्पादन, अधिकतम रोजगार से सुसंगत शिल्प विज्ञान विकल्पनों आदि के जरिए उत्पादन के विकल्पों को ध्यान में रखते हुए उद्योग के विकास के लिए नीति आधारस्वरूप का सुझाव देना।

4. 1989-90 के अंत तक तथा 15 वर्ष (1999-2000) तक की भावी अवधि के लिए टायरों तथा ट्यूबों की निर्यात सम्भावनाओं का अनुमान लगाना।

5. आत्मनिर्भरता के वांछनीय स्तर और परियोजनाओं की परिपक्वावधि को ध्यान में रखते हुए 1989-90 के लिए क्षमता, उत्पादन, आयात तथा निर्यात के लक्ष्यों तथा क्षमता और सृजित करने की आवश्यकता के बारे में सिफारिश करना।

6. प्रौद्योगिकी विचार पर उचित ध्यान देते हुए उत्पादन का वांछित स्तर प्राप्त करने के लिए अधिकतम लाभप्रद तरीके के सम्बन्ध में सुझाव देना चाहे यह वर्तमान इकाइयों के विस्तार/विविधरूपेण के तौर पर हो अथवा नई इकाइयों की स्थापना के जरिए हो।

7. सरकारी तथा निजी क्षेत्रकों की भूमिका (विकेन्द्रित क्षेत्रक की भूमिका अलग से बताई जाए) के सम्बन्ध में सिफारिश करना और सरकारी क्षेत्रक में किन्हीं विशिष्ट परियोजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में बताना।

8. कच्चे माल की उपलब्धता का मूल्यांकन करना और उनकी पर्याप्त पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें करना।

9. अपेक्षित क्षमता प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवेश (सरकारी क्षेत्रक के लिए अपेक्षित परिव्यय अलग से बताया जाए) का अनुमान लगाना।

10. पांच वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन और निवेश की वर्षवार प्रावस्था के बारे में बताना।

11. परिकल्पित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रमुख मशीनों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में श्रेणीवार अनुमान लगाना।

12. देश में प्रक्रिया अभिकल्प इंजीनियरी तथा परामर्शी सुविधाओं के वर्तमान स्तर की व्यापक समीक्षा करना और उत्पादन तथा निर्यात सम्बन्धी भावी कार्यक्रमों के अनुरूप सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विशिष्ट उपायों की सिफारिश करना।

13. संगठित और लघु कुटीर क्षेत्रक की इकाइयों के बीच पांच वर्ष की अवधि में सृजित होने वाले संभावित प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अतिरिक्त रोजगार का मूल्यांकन करना और आवश्यकताओं के बारे में श्रेणीवार (कुशल, अर्धकुशल, अकुशल तथा पर्यवेक्षक आदि) आवश्यकताओं के बारे में मूल्यांकन करना और परिकल्पित अन्तर की पूर्ति करने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सुझाव देना।

14. अनुसंधान के वर्तमान स्तर का मूल्यांकन करना, अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम तैयार करना और कार्यान्वियन के तरीके के बारे में सुझाव देना।

15. परियोजना निगमित, राज्य/केन्द्रीय मंत्रालय स्तर पर वर्तमान योजना तथा प्रबोधन

तंत्र की उनकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए समीक्षा करना और योजना कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रबन्ध को सुदृढ़ करने के लिए उपायों की सिफारिश करना।

16. अन्य उपयुक्त सिफारिशें करना।

मृत्यु दंड के विरुद्ध विचाराधीन दया याचिकाएं

1743. **श्री आर० आर० मोले** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 से वर्ष-वार, मृत्युदण्ड के विरुद्ध कितनी दया-याचिकाएं भारत के राष्ट्रपति के विचाराधीन हैं; और

(ख) दिसम्बर, 1983 तक प्रत्येक वर्ष ऐसी कितनी याचिकाओं का निपटान कर दिया गया था तथा दिनांक 1 फरवरी, 1984 तक ऐसी कितनी याचिकाओं का निपटान किया गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) विवरण-1 संलग्न है।

(ख) विवरण-2 संलग्न है।

विवरण-1

भारत के राष्ट्रपति के विचाराधीन 1968 से वर्ष बार दया याचिकाएं

वर्ष में प्राप्त दया याचिकाएं	1.3.1984 को भारत के राष्ट्रपति के विचाराधीन दया याचिकाओं की संख्या
1	2
1968	शून्य
1969	—
1970	—
1971	—
1972	—
1973	—
1974	—
1975	—
1976	—

1	2
1977	शून्य
1978	—
1979	1
1980	2
1981	1
1982	—
1983	5
1984	4
	13

विवरण-2

दिसम्बर, 1983 तक प्रत्येक वर्ष निपटाई गई दया याचिकाएं और 1 फरवरी 1984 तक निपटाई गई याचिकाएं

निपटान का वर्ष	निपटाई गई य चिकाओं की संख्या
1968	170
1969	7
1970	34
1971	58
1972	111
1973	69
1974	91
1975	48
1976	42
1977	13
1978	21
1979	16
1980	—
1981	24
1982	8
1983	39
1984 (upto 1-2-1984) तक	—
	751

रंगीन टेलीविजन की विशिष्टियां और मूल्य

1744. **श्री अमल दत्त** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इलेक्ट्रोनिक विभाग ने यह निर्धारित किया है कि रंगीन टेलीविज़न के निर्माताओं को जांच उपकरणों के 51 एककों की आवश्यकता होगी, यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कोई संख्या निर्धारित की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) लघु इकाई विभाग द्वारा जांच उपकरणों की कुल लागत क्या निर्धारित की गई है;

(ग) क्या लघु इकाइयां सभी जांच उपकरण प्राप्त कर लेने के बाद भी लघु इकाई बनी रहेंगी, मशीनों की लागत तथा लघु क्षेत्र की आवश्यकता सम्बन्धी आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत में लघु क्षेत्र और बड़े क्षेत्र में निर्मित होने वाले रंगीन टेलीविजन की क्रमश: लागत क्या-क्या है; विभिन्न आकारों, अन्य विशिष्टियों तथा मूल्यों और लागत का ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, हां। किंतु रंगीन दूरदर्शन के विनिर्माण के लिए आवश्यक उत्पादन एवं परीक्षण उपस्करों की सूची केवल 41 ही है न कि 51। अनिवार्य तथा वैकल्पिक उपस्करों की विस्तृत सूची (जिसमें प्रयोजन तथा उपलब्ध होने के स्रोतों का भी उल्लेख है) **अनुबंध**-1 में संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 7857/84]

(ख) तथा (ग) उपस्करों की खरीद के सम्बन्ध में सरकार ने लघु-क्षेत्र की इकाइयों अथवा संगठित क्षेत्र की इकाइयों के लिए लागत सम्बन्धी कोई भी मानदण्ड नहीं निर्धारित किया है। अत:, इकाई चाहे लघु-उद्योग क्षेत्र की हो अथवा बड़े-क्षेत्र की, उन्हें कम से कम सभी अनिवार्य उपस्कर (अर्थात् 41) तो रखने ही चाहिएं। तथापि, अनिवार्य उपस्करों की लागत लघु उद्योग क्षेत्र में किए जाने वाले पूंजी-निवेश की सीमा के अन्तर्गत आती है। अनिवार्य तथा वैकल्पिक उपस्करों के लिए जो अनुमानित लागत आंकी गई है, जिसमें जहां लागू हो, सीमा शुल्क भी शामिल है, वह **अनुबंध**-2 में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी० 7857/84]

(घ) भारतीय इलेक्ट्रोनिकी निगम लिमिटेड नामक सार्वजनिक क्षेत्र की एक कम्पनी ने अपने रंगीन दूरदर्शन सेटों का उपभोक्ता मूल्य 5150 रु० (यांत्रिक ट्यूनर के साथ) तथा 5650 रु० (इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर के साथ) पहले ही घोषित कर दिया है। इस मूल्य में उत्पादन-शुल्क शामिल है लेकिन चुंगी तथा स्थानीय कर अलग से प्रभारित किये जायेंगे जो इस बात पर निर्भर करेंगे कि जिन राज्यों में इनकी बिक्री की जाती है, उनमें इनकी प्रचलित दरें क्या हैं। बिगस्टन नामक एक निजी कम्पनी ने भी अपने रंगीन दूरदर्शन सेटों का मूल्य दिल्ली में 5570 रु० रखने की घोषणा

की है जिसमें (दिल्ली में लगने वाले) सभी कर शामिल हैं। मेसर्स उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिकी निगम (अपट्रॉन) नामक सार्वजनिक क्षेत्र की एक और कम्पनी ने सरकार को यह सूचित किया है कि उनके रंगीन दूरदर्शन सेटों की कीमत दिल्ली में 5862 रु० होगी, जिसमें सभी कर शामिल होंगे। कम्पनियों द्वारा जिन रंगीन दूरदर्शन सेटों का मूल्य घोषित किया गया है वे 20 इंची (51 सें० मी०) पर्दे के आकार वाले सेटों के लिए हैं। अन्य विनिर्माताओं द्वारा तैयार किए गए रंगीन दूरदर्शन सेटों का मूल्य तभी मालूम होगा जब वे बाजार में आ जायेंगे।

यूरोपीय-मुद्रा में ऋण अर्जित करने के लिए भारत-यूगोस्लाविया संयुक्त उद्यम

1745. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने यूरोपीय-मुद्रा ऋण अर्जित करने के लिए एक भारत-यूगोस्लाविया संयुक्त उद्यम 'सी० ए० डीजल्स लिमिटेड' की फ्यूल इन्जक्शन' उपकरण के निर्माण की अनुमति प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में समझौते का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) मेसर्स सी० ए० डीजल्स को फ्यूल इंजक्शन उपकरणों के निर्माण के लिए मेसर्स आई० पी० एम० यूगोस्लाविया के साथ विदेशी सहयोग की मंजूरी दी गई है। कम्पनी को विभिन्न सरकारों से सरकार को विदेशी मुद्रा ऋणों तथा भारत में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से विदेशी मुद्रा ऋणों पर भी पूंजीगत सामान के आयात के लिए मंजूरी दी गई है।

गंगानगर जिले में पाए गए आग्नेयास्त्र

1746. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के गंगानगर जिलों में भारी मात्रा में आग्नेयास्त्र पाए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो जब्त किये गए आग्नेयास्त्रों का ब्यौरा क्या है तथा वे किस "मेक" के हैं;

(ग) कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(घ) वर्ष 1983 के दौरान देश में जब्त किए गए आग्नेयास्त्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आग्नेयास्त्र अधिनियम के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्र-राज्य विवादों को हल करना

1747. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह अपील की है कि केन्द्र राज्य विवादों को बातचीत के जरिए हल किया जाए ;

(ख) क्या इस मामले को व्यावहारिक रूप देने की सरकार की कोई याजनाएं हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) सरकार किसी भी केन्द्र राज्य विवाद हमेशा बातचीत के माध्यम से हल करने की इच्छुक है। केन्द्र और राज्यों के मध्य वर्तमान प्रबन्धों को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता को समझते हुए, केन्द्र सरकार ने केन्द्र और राज्यों के मध्य वर्तमान प्रबन्धों के कार्यकरण की जांच करने और पुनरीक्षित करने के लिए न्यायमूर्ति श्री आर० एस० सरकारिया की अध्यक्षता में केन्द्र राज्य सम्बन्धों पर पहले ही एक आयोग नियुक्त कर दिया है।

जम्मू और कश्मीर में राष्ट्र विरोधी ताकतें

1748. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जम्मू और कश्मीर राज्य में इस समय की स्थिति के बारे में कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों सम्बन्धी रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही की है ;

(ग) क्या कश्मीर में राष्ट्र विरोधी ताकतों को बहुत महत्व दिया जा रहा है तथा कश्मीर घाटी में विघटनकारी ताकतें अपना सिर उठा रही हैं, तथा अपना-प्रभाव बढ़ा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ग) सरकार राष्ट्र विरोधी और पृथकतावादी गतिविधियों के बारे में विभिन्न साधनों से रिपोर्ट प्राप्त करती रहती है।

(ख) और (घ) केन्द्र सरकार राज्य सरकार के साथ पत्र व्यवहार करती रही है और राज्य सरकार ने ऐसे संगठनों, जैसे जम्मू कश्मीर जमाते इस्लामी, जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग, महज-ए-आजादी के सदस्यों/कार्यकर्ताओं और अन्य समाज-विरोधी तथा विघटनकारी तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार स्थिति पर निकट से निगरानी रखे हुए हैं और यदि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से देश को कोई खतरा होता है या अखंडता, सुरक्षा तथा प्रभुसत्ता को नुकसान होता है तो सरकार कानून के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगी।

नेशनल आयल स्पिल डिजास्टर योजना

1749. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल बह जाने से होने वाले सागर प्रदूषण की रोकथाम करने के प्रयासों के रूप में पर्यावरण विभाग द्वारा एक नेशनल आयल स्पिल डिजास्टर योजना तैयार की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) समुद्री प्रदूषण, विशेषरूप से तेल निस्सरण के कानूनी, प्रशासनिक तथा तकनीकी पहलुओं का पुनरीक्षण करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है जो इस सम्बन्ध में अनिवार्य उपाय तैयार करेगी। समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है।

कागज पर उत्पाद शुल्क की दरें

1750. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कागज पर उत्पाद शुल्क की दरें क्या हैं;

(ख) क्या पेपर मिल्स एसोसिएशन ने सरकार से उत्पाद शुल्क की दरें कम करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) पेपर उद्योग को बचाने और कागज की कीमत को कम करने हेतु एसोसिएशन ने और क्या सुझाव दिए हैं?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) लिखाई और छपाई कागज क्रापट कागज पर मूल उत्पादन शुल्क की विद्यमान दरें क्रमशः मूल्यानुसार 10 प्रतिशत + 1430 रुपये प्रति मी० टन तथा मूल्यानुसार 10 प्रतिशत + 1810 रु० प्रति मी० टन है।

(ख) और (ग) इंडियन पेपर मिल्स एसोसिएशन ने अभ्यावेदन दिया है कि कागज और गत्ते पर उत्पादन शुल्क का भार बहुत अधिक है तथा उन्होंने मूल्यानुसार 10 प्रतिशत शुल्क को वापस लेने और इस भार को कम करने के लिए कागज व गत्ते पर शुल्क की दरों का पुनः निर्धारण करने के लिए अनुरोध किया है। वर्ष 1984-85 के बजट में कागज पर मूल शुल्क में कमी करने का प्रस्ताव किया गया है।

(घ) एसोसिएशन ने कागज उद्योग के लिए कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति निश्चित करने; उनके आधुनिकीकरण व पुनर्वीकरण के लिए सहायता देने और अबाध विद्युत आपूर्ति तथा पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति करके अवस्थापना सहायता जैसे विभिन्न अभ्युपाय करने का सुझाव दिया है।

स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड को हुआ घाटा

1751. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के घाटे को कम करने और स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) "सेलों" को हुए घाटे के नवीनतम आंकड़े क्या हैं और उसके पास कितने मूल्य के भंडार हैं; और

(ग) सोवियत रूस को बेचा जाने वाला 10,000 टन स्टील का मामला इस समय किस चरण में है और क्या यह वस्तु विनिमय समझौता होगा अथवा खरीददार सुलभ मुद्रा में इसका भुगतान करेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) हानि को कम करने के लिए स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड अपने प्रोडक्ट मिल्स में मांग के अनुरूप विविधता लाकर और विपणन नीति में तेजी लाकर बिक्री बढ़ाने और इस तरह तैयार माल, कच्चे माल, स्टोर और फालतू पुर्जों के स्टाक में कमी करने और आवश्यकता से अधिक उत्पादन का निर्यात करने के लिए हर कोशिश कर रही है। लागत में कमी करने के लिए प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाओं में सुधार लाने, समय पर मरम्मत करके उपस्करों की उपलब्धि को अधिकाधिक करने के लिए बेहतर रख-रखाव और स्टोर और फालतू पुर्जों की खरीद कम से कम करने और सभी संभव तरीकों द्वारा खर्च पर नियंत्रण रखने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं।

(ख) 1.4.1983 को "सेल" के पास जमा बिक्रेय इस्पात के स्टाक का मूल्य 627 करोड़ रुपये था। 1.2.1984 को "सेल" के पास बाकी स्टाक का मूल्य 430.58 करोड़ रुपये था। मूल्य-ह्रास की पूरी राशि की व्यवस्था करने और ऋणों पर ब्याज की अदायगी के पश्चात् वर्ष

1982-83 में "सेल" के वित्तीय निष्पादन में 105.76 करोड़ रुपये का घाटा था। वर्ष 1983-84 की स्थिति का पता तभी चल सकेगा जब लाभ-हानि विवरण अन्तिम रूप से तैयार हो जायेगा।

(ग) सोवियत रूस ने भारत से कुछ मात्रा में इस्पात खरीदने में अपनी अभिरुचि दिखाई है। इस बारे में सोवियत रूस को "डाटा" भेज दिया गया है और उनसे आरम्भिक बातचीत भी हो गई है और इस बारे में आगे लिखा-पढ़ी की जा रही है। इस बात की प्रतीक्षा है कि सोवियत रूस कितना माल खरीदेगा और मूल्य कितना होगा। ऐसी प्रत्याशा है कि यह बिक्री दोनों देशों के बीच सामान्य व्यापार (रुपयों में) के अन्तर्गत होगी।

कागज उद्योग की क्षमता का उपयोग

1752. श्री सनत कुमार मंडल }
श्री पी० के० कोडियन } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज उद्योग की क्षमता का उपयोग जो 1976 में 77.49 प्रतिशत था वह पिछले साल घटकर 48 प्रतिशत रह गया है जिसके कारण विभिन्न किस्मों के कागज और बोर्डों के उत्पादन लागत में कम से कम 15 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है जो लगभग 900 रुपया प्रति टन है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसा कागज उत्पादकों के उत्पादक संघ द्वारा किए गए किसी घोटाले के कारण हुआ है; और

(घ) सरकार का विचार देश में कागज और बोर्ड उत्पादकों की स्थिति को सुधारने और उनकी कार्य क्षमता को बनाए रखने हेतु कार्यवाही करने का है?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) वर्ष 1983 में कागज उद्योग में लगभग 61 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हुआ जबकि वर्ष 1976 में लगभग 84 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हुआ था। क्षमता उपयोग गिरावट का मुख्य कारण इन वर्षों के दौरान क्षमता निर्माण की गति तेज होना रहा है, जबकि अधिष्ठापित क्षमता 10 लाख मी० टन से बढ़कर 19 लाख मी० टन हो गई। औद्योगिक विवादों, वित्तीय कठिनाइयों तथा अवस्थापना संबंधी अड़चनों के कारण वर्ष, 1983 में कुछ समय अथवा पूरे वर्ष के दौरान बड़ी कागज मिलों में उत्पादन बन्द हो जाने से भी क्षमता का कम उपयोग हुआ है।

(घ) कागज उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता छठी योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक हो गई है। उद्योग के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए अनेक वित्तीय रियायतें दी जा रही

हैं। उद्योग को अधिकतम क्षमता उपयोग करने के लिए अवस्थापना सहायता भी बढ़ाई जा रही है। सरकार ने कागज उद्योग के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए अपेक्षित अन्य विशिष्ट अभ्युपाय करने हेतु वित्तीय संस्थानों, राज्य सरकारों और कागज उद्योग से बातचीत भी की है।

मध्य प्रदेश की 1984-85 की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप दिया जाना

1753. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की 1984-85 की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो (क्षेत्रक-वार और कुल) प्रस्तावित और अन्तिम योजना परिव्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) उसके अन्तर्गत कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में कितनी वृद्धि दर का अनुमान है; और

(घ) अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में इन योजनाओं के अंतर्गत क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और वे प्रत्येक क्षेत्र में 1982-83 और 1983-84 के दौरान वास्तविक और संभावित उपलब्धियों की तुलना कितने न्यूनाधिक हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) कुल वार्षिक योजना परिव्यय जिसे अन्तिम रूप दिया गया है, 1060 करोड़ रुपए है। क्षेत्रवार ब्यौरे वार्षिक योजना दस्तावेज में दिए जायेंगे जो राज्य बजटों के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के सभा पटल पर रखा जाएगा।

राजधानी में अपराध

1754. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संघ क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों 1980, 1981 और 1982 की तुलना में गंभीर अपराधों में कोई कमी या वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पुलिस स्टेशनों में पंजीकृत किए गए (एक) हत्या (दो) बलात्कार (तीन) डकैती (चार) छुरा मारना (हत्या का प्रयास) (पांच) चोरी (छः) आगजनी (सात) लूटपाट के मामलों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या पुलिस बल में सुधार करने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं और गंभीर अपराधों को कम करने के प्रयासों द्वारा स्थिति में सुधार लाने हेतु दूसरे उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में किस किस्म के उपाय किए गए हैं और इनका क्या प्रभाव पड़ा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) पिछले चार वर्षों में अपराधों के विभिन्न शीर्षों के अधीन अपेक्षित आंकड़े नीचे दिए गए हैं।

	अपराध का शीर्ष	1980	1981	1982	1983
1.	हत्या	185	200	240	247
2.	बलात्कार	63	66	71	83
3.	डाकेजनी	31	24	24	15
4.	हत्या के प्रयास में छुरेबाजी	177	153	127	142
5.	चोरी	22253	17209	13626	13029
6.	आगजनी	57	59	67	67
7.	लूटमार	294	185	155	211

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि 1982 की तुलना में 1983 में हत्या, बलात्कार, छुरेबाजी, हत्या के प्रयास और डाकेजनी के अपराधों में मामूली वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) दिल्ली में अपराध दर पर निगरानी रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई कदम उठाए हैं, जैसे वाकी-टाकी और वायरलैस सैटों सहित सशस्त्र गश्त, जाने गए अपराधियों और बदमाशों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम सहित, कानून की विभिन्न धाराओं के अधीन कार्रवाई, अपराध किए जाने में सम्बद्ध वाहनों का पता लगाने के लिए वाहनों की अचानक जांच, जाने गए अपराधियों पर निगरानी को मजबूत करना, पुलिस पिकेटों की तैनाती और समन्वित कार्रवाई तथा अपराधियों के बारे में आसूचना का समुचित संग्रह सुनिश्चित करने के लिए पड़ोसी राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ अंतर्जिला बैठकों का आयोजन।

दिल्ली पुलिस की मानव-शक्ति और उपस्करों सम्बन्धी विभिन्न आवश्यकताओं की लगातार समीक्षा की जाती है, दिल्ली पुलिस की दक्षता में सुधार लाने के लिए, समय-समय पर इसमें आदमियों और उपस्करों की वृद्धि की गई है।

पहाड़ी क्षेत्रों का विकास

1755. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना के दौरान पहाड़ी राज्यों और क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहन देने हेतु पेट्रोल, दूर संचार सेवाएं, रेलवे, नागर विमानन, पर्यटन, राष्ट्रीय राजमार्ग आदि जैसे केन्द्रीय विषयों के संबन्ध में उदार वित्तीय आवंटन करके कोई ठोस उपाय किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों और क्षेत्रों में परियोजनाओं के विकास हेतु—

(1) कार्यान्विति में अधिक और उदार आवंटन

(2) इन क्षेत्रों में विभिन्न सुविधाओं को मंजूरी देने, खोलने और दर्जा बढ़ाए जाने हेतु मानदण्डों में छूट किस किस्म की प्रमुखता दी गई है;

(ग) चालू योजना अवधि के दौरान किन-किन नई रेल लाइनों, डाक, दूर संचार और नागर विमानन सुविधाओं को मंजूरी दी गई है और पूरा किया जायेगा और सातवीं पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन सी योजनाएं जारी रहेंगी;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या योजना आयोग इन क्षेत्रों की बुनियादी ढांचे की सुविधाओं के प्राविधान और दर्जा बढ़ाए जाने को उच्च प्राथमिकता देगा ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) इन क्षेत्रों में आधारिक संरचना सुविधाओं की स्थापना और उनके उन्नयन के लिए शिथिलित मानदण्ड लागू होते हैं। इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए आवंटन उनकी आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर किए जाते हैं।

(ग) और (घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) आधारिक संरचना सुविधाओं के विकास के लिए इन क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

विवरण

रेलवे

(आंकड़े करोड़ रु० में)

क्र० सं०	परियोना का नाम	कार्यक्रम का वर्ष	अनुमानित लागत	मार्च, 1984 तक प्रत्याशित व्यय	1984-85 के लिए प्रस्तावित परिव्यय
1	2	3	4	5	6
उत्तरी रेलवे					
1.	नागल बांध तलवाड़ा से बड़ी लाइन का निर्माण	81-82	33.49	2.25	2.00

1	2	3	4	5	6
2.	जम्मू-तवी से उधमपुर तक बड़ी लाइन का निर्माण	81-82	50.00	3.03	2.00
3.	कालका-परवनू से रेल लाइन का निर्माण	82-83	1.60	0.26	0.01
एन० एफ० रेलवे					
1.	गोहाटी बुरनीहाट	78-79	8.20	0.64	0.01
2.	धर्मनगर कुमारघाट	78-79	29.59	9.70	4.75
3.	बालीपाड़ा-भालुकपौंग	78-79	9.97	4.32	3.75
4.	सिलचर-जिरिबाम	78-79	26.68	7.57	3:75
5.	जोगिगहोपा-गौहाटी (जोगिगहोपा में रेल-और सड़क पुल सहित)	83-84	117.34	0.19	2 50
6.	अमगुरी तुली	78-79	4.83	2.53	1.50
7.	लालाघाट-भैरवी	78-79	27.17	6.78	4.25

डाक और दूर संचार डाक घर

जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए मानदण्ड

(1) "ग्रामपंचायत" गांवों में डाकघर निम्नलिखित शर्तों के अधीन खोले जा सकते हैं :—

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 कि० मी० की परिधि के भीतर कोई डाकघर न हो

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत आय होने की संभावना हो।

(2) "गैर-ग्राम पंचायत" गांवों में डाक घर निम्नलिखित शर्तों के अधीन खोले जा सकते हैं—

(क) उक्त गांव (अथवा 1.5 कि० मी० की परिधि में गांवों के एकीकृत समूह) की जनसंख्या 1000 या अधिक होनी चाहिए।

(ख) प्रस्तावित डाक घर से 3 कि० मी० की परिधि के भीतर और डाकघर नहीं होना चाहिए; और

(ग) प्रस्तावित.डाक घर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत आय की संभावना होनी चाहिए।

टिप्पणी—ग्रामीण डाक घर निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं;

(1) सामान्य ग्रामीण क्षेत्र, और (2) पिछड़े और जनजातीय। जनजातीय क्षेत्रों को गृह मन्त्रालय द्वारा परिभाषित किया गया है। डाक-सम्बन्धी विकास के दृष्टिकोण से पिछड़े क्षेत्रों की परिभाषा इस बात को ध्यान में रखकर की जाती है कि किसी क्षेत्र विशेष के विकास की स्थिति प्रति डाकघर द्वारा सेवित जनसंख्या/क्षेत्र के अखिल-भारत औसतों से 100 प्रतिशत पीछे है या नहीं।

(2) जिन गांवों में डाकघरों की व्यवस्था की गई है उनके प्रतिशत के संबन्ध में पूर्ण सर्किल के साथ प्रतिकूल रूप में तुलना करने के अलावा, दूसरे जब कोई विशेष क्षेत्र अखिल भारतीय औसत की अपेक्षा और जनसंख्या/सेवित क्षेत्र की गणना करने पर सर्किल औसत पर भी खराब स्थिति में होता है तो उस क्षेत्र को 'पिछड़ेपन' का दर्जा दिया जाता है।

(3) प्रति डाकघर अखिल भारतीय औसत 23.10 वर्ग कि० मी० और जनसंख्या 4,805 है। पिछडे क्षेत्रों को तेज गति से ऊपर लाने के लिए जनजातीय क्षेत्रों को अधिक राज सहायता दी जाती है।

(4) ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों के सम्बन्ध में 'पहाड़ी क्षेत्रों' की परिकल्पना को छोड़ दिया गया है जो जनजातीय क्षेत्र भी है, वे स्वतः ही 'जनजातीय क्षेत्रों' की श्रेणी में आ जाते हैं।

दूर-संचार सेवाएं

उदार नीति के अन्तर्गत, प्रशासनिक मुख्यालय वाले केन्द्र अर्थात (1) जिला मुख्यालय, (2) उपमंडल मुख्यालय, (3) तहसील मुख्यालय, (4) उप-तहसील मुख्यालय और (5) खंड मुख्यालय पूरी तरह राज सहायता आधार पर अर्थात हानि की रकम का अन्तर किए बिना और न्यूनतम राजस्व की किसी शर्त के बिना सार्वजनिक टेलीफोन और सम्मिलित कार्यालयों की व्यवस्था के हकदार हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य क्षेत्रों में 5000 अथवा अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों और पिछड़े/पहाड़ी क्षेत्रों में 2500 अथवा अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को पूरी तरह राजसहायता (रियायती) आधार पर सुविधाएं भी प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा, विभाग ने स्थानिक

वितरण आधार पर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने का भी हाल ही में निर्णय किया है जिसके अन्तर्गत लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन/कार्यालय स्थापित किए जाएंगे ताकि देश की अधिकांश आवासीय आबादियों में वे 5 कि० मी० के भीतर उपलब्ध हो सकें। छठी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में देश में 6597 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन 6692 सम्मिलित कार्यालयों की व्यवस्था की गई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है।

नागर विमानन

नागर विमानन क्षेत्रक के अधीन पहाड़ी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को समग्र विकास के भाग के रूप में लिया गया है। लेकिन वायुदूत कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्रों में वायु सेवाओं की व्यवस्था को विशेष महत्व दिया गया था। मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों को जोड़ने के अलावा वायुदूत अब शिलांग, गोहाटी, सिलचर, एजावल छबुम्रा, तेजू (सभी उत्तर पूर्वी क्षेत्र) और कुल्लू, देहरादून तथा पन्त नगर को सेवाएं उपलब्ध कराता है।

प्रत्येक राज्य में एक भारी उद्योग

1756. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि देश के प्रत्येक भाग में भारी उद्योग इस ढंग से खोले जायें ताकि देश के सभी क्षेत्रों को भारी उद्योगों को ऐसे एककों को खोलने का लाभ मिल सके;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कम से कम देश के प्रत्येक राज्य में भारी औद्योगिक एककों के अन्तर्गत एक एकक खोला जाये;

(ग) यदि हां, तो किस तारीख तक ऐसा किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) केन्द्रीय निवेश मुख्य रूप से आधारभूत प्रकार की बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में किए जाते हैं। इसलिए ऐसी परियोजनाओं की स्थापना का निर्णय मुख्य तकनीकी आर्थिक आधार पर किया जाता है। सरकार की यह नीति रही है कि केन्द्रीय परियोजनाओं की स्थापना में तकनीकी-आर्थिक आधार में, अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों को तरजीह दी जाए। विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्रीय पूंजी निवेश के समान वितरण का सुनिश्चय करने में पहले से चली आ रही सीमाओं को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर गैर-सरकारी क्षेत्र में और अधिक निवेश को आकृष्ट करके ही उद्योगों का संतुलित विकास किया जा सकता है। इसलिए, पिछड़े और कम विकसित क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए भावी उद्यमकर्त्ताओं को पूंजीगत निवेश राजसहायता एवं वित्तीय

संस्थाओं से रियायती दर पर वित्त उपलब्ध कराने जैसी कई रियायते दी जा रही हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना में चल रही सभी योजनाओं और आधुनिकीकरण/प्रतिस्थापना के कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई है। तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता के आधार पर नई योजनाओं का पता लगाया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में शामिल इस प्रकार की सभी परियोजनाओं का मूल ब्यौरा छठी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज पृष्ठ 277-293 में प्रकाशित किया गया है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

अकाली आन्दोलन के कारण मारे गए पुलिस कर्मचारी

1757. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में 25 दिसम्बर, 1983 के बाद अकाली आंदोलन से सम्बन्धित विभिन्न घटनाओं के दौरान मारे गए अथवा गंभीर रूप से घायल पुलिस कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या घटना के शिकार व्यक्तियों अथवा उनके निकट सम्बन्धियों को कोई मुआवजा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) 25 दिसम्बर, 1983 से 4 मार्च, 1984 तक पंजाब में अकाली आन्दोलन से सम्बन्धित घटनाओं के दौरान 5 पुलिस कर्मियों सहित 76 व्यक्ति मारे गए और 20 पुलिस कर्मियों सहित 193 व्यक्ति जख्मी हुए।

(ख) से (घ) पंजाब सरकार ने सभी आयुक्तों और उप-आयुक्तों को उचित राहत देने के निर्देश जारी किए हैं। राहत में सामूहिक हिंसा की घटना में मरने वाले व्यक्ति के निकट सम्बन्धी को 10,000 रुपए का अनुदान और इस प्रकार की घटनाओं में गंभीर रूप से जख्मी होने वाले प्रति व्यक्ति को 2,000 रुपए का अनुदान सम्मिलित है। पुलिस कार्मिकों के लिए अलग राहत मार्गदर्शी सिद्धांत है।

सांपों की खालों की तस्करी

1758. **श्री बालकृष्ण वासनिक**
श्री गुफरान आजम } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उनके विभाग के वन्य जीवन विभाग और दिल्ली प्रशासन ने एक संयुक्त छापे

में सांप की खालों से भरे ऐसे तीन पार्सल रोके हैं जिन पर "कस्टम पास्ड" की मुहर लगी हुई थी और वे सिंगापुर के किसी व्यक्ति को भेजे जा रहे थे;

(ख) यदि हां, तो डाक द्वारा सांप की खालों की तस्करी की इस कोशिश में शामिल व्यक्तियों का क्या ब्यौरा है; और

(ग) उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) 3 फरवरी, 1984, को उप-निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) वन्य जीवन परिरक्षण भारत सरकार को सूचना मिली कि 30-1-1984 को नेहरू नगर डाक घर, नई दिल्ली से सिंगापुर के लिए बुक किये गये 3 पार्सल, विशेष डाक घर द्वारा नेताजी नगर छंटाई स्टेशन को प्रेषित करने के लिए भेज दिए गए हैं। उप-निदेशक ने यह मामला, दिल्ली प्रशासन के मुख्य वन्य प्राणी बार्डन के साथ उठाया जिसके प्रवर्तन कर्मचारी त्वरित रूप से नेताजी नगर गए तथा पार्सलों को प्रेषण के लिए तैयार पाया। अनुरोध करने पर, बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित, विदेशी डाक घर को पार्सलों को भेज दिया गया तथा निरीक्षण पर पाया गया कि उनमें सांपों की खालें थी। दिल्ली प्रशासन के प्रवर्तन कर्मचारी इन पार्सलों को कब्जे में नहीं ले सके क्योंकि सीमा शुल्क के अधिकारी सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत मामले पर कार्यवाही करना चाहते थे, क्योंकि यह सीमा शुल्क के क्षेत्र में पकड़ा गया था।

2. यह पाया है कि सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा अभी तक की गई जांच से पता लगा है कि दिल्ली की एक निर्यात संस्था इस मामले में शामिल है। निर्यात संस्था के मैनेजर को सीमा शुल्क अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। संस्था के मालिक ने दिल्ली उच्च न्यायालय से पूर्वाभासी जमानत प्राप्त कर ली है। 2 डाक कर्मचारियों को जिनको मामले में शामिल पाया गया है सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है।

3. वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा आगे जांच पड़ताल की जा रही है।

असम में कानून और व्यवस्था की स्थिति में गिरावट

1759. **श्री लक्ष्मण मलिक**
श्री ए० नीलालो हितादसन नाडार } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम, जो कुछ समय से शान्त था एक बार फिर लमो, बन्दों, हत्याओं और मार-काट में पंजाब के साथ मुकाबला कर रहा है;

(ख) क्या असम के आंदोलनकारियों ने माननीय प्रधान मन्त्री के दौरे के समय को बन्द की घोषणा के लिए चुना था;

(ग) क्या पूर्वोत्तर में उग्रवादियों से खालिस्तान सम्बन्धी पर्चे पकड़े गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इन परिस्थितियों में प्रशासन की दृष्टि से कड़ी कार्यवाही करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) पिछले कुछ महीनों में असम में कानून व व्यवस्था की स्थिति में प्रत्यक्ष सुधार हुआ है और हिंसक घटनाओं की संख्या में लगातार कमी हुई है।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) हाल में त्रिपुरा में कुछ खालिस्तान समर्थक इश्तिहार बरामद हुए परन्तु अभी उनकी प्रामाणिकता सिद्ध की जानी है।

(घ) असम सरकार ने कानून व व्यवस्था बनाये रखने के लिए उपयुक्त कदम उठाये हैं।

कर्मचारियों के गोपनीय रिकार्ड (रोल्स) में परिवर्तन के बारे में उच्चतम न्यायालय के सुझाव

1760. **श्री नवल किशोर शर्मा**
श्री के० प्रधानी
श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम
डा० ए० यू० आजमी

: क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र और राज्य सरकारों को उनके कर्मचारियों की गोपनीय रिकार्ड प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने का सुझाव दिया है;

(ख) उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में दिए गए सुझावों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हां।

(ख) उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सुझावों की मुख्य-मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं—

1. सरकार को एक ऐसी पद्धति लागू करने के बारे में विचार करना चाहिए जिसके अंतर्गत गोपनीय पंजियां लिखने वाला अधिकारी अपनी अभ्युक्तियां उस अधिकारी की मौजूदगी में दर्ज करें जिसके विरुद्ध उक्त अभ्युक्तियों को दर्ज किए जाने का प्रस्ताव है, लेकिन ऐसा करने से पहले वह सम्बन्धित अधिकारी को अपनी किसी प्रतिकूल परिस्थिति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने और उच्चतर प्राधिकारियों के पास अभ्यावेदन करने का अवसर भी दे।

2. गोपनीय पंजी लिखने वाले अधिकारी को चाहिए कि वह पंजी को उच्चतर प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व अपनी अभ्युक्तियों की प्रति सम्बन्धित अधिकारी को भी दे जिससे कि सम्बन्धित व्यक्ति उक्त अभ्युक्तियों के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन करना चाहे तो उसका अभ्यावेदन भी उच्चतर प्राधिकारियों को गोपनीय पंजी प्राप्त होने के तुरंत बाद पहुंच जाए।

(ग) उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव नोट कर लिए गए हैं।

हरिजनों को मुसलमान बनाया जाना

1761. **श्री नवल किशोर शर्मा**
श्री मोहन लाल पटेल } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण में अभी भी हरिजनों को मुसलमान बनाया जा रहा है और गुजरात तथा बिहार के क्षेत्रों में इन लोगों को मुसलमानों की ओर से लालच देने के लिए संगठित प्रयास किये जा रहे हैं;

(ख) क्या उपर्युक्त धर्म परिवर्तन से साम्प्रदायिक तनाव बढ़ा है;

(ग) क्या सरकार का विचार अनजान और अशिक्षित लोगों के धर्म परिवर्तन पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगाने का है; और

(घ) इस बारे में अब तक क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) तमिलनाडु सरकार द्वारा भेजी गई सूचना पर आधारित एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। बिहार और गुजरात के बारे में कोई ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार रामानाथपुरम जिले में आदि द्रविडदारों ने इस्लाम धर्म को अपनाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आदि द्राविड़दार कुछ अरब देशों में लाभकारी रोजगार के अवसरों से काफी प्रभावित हैं जो मुसलिम मजदूरों को प्राथमिकता देते हैं। सम्बन्धित जिला समाहर्ता और पुलिस उप-महानिरीक्षक ने उन कारणों का अध्ययन करने के लिए गांवों का दौरा किया, जिसकी वजह से ऐसे धर्म परिवर्तन होते हैं। इसके अतिरिक्त, जिला प्राधिकारियों ने क्षेत्र में आदि द्रविडदारों को शिकायतों का पता लगाने और ऐसी शिकायतों के समाधान हेतु तुरन्त कार्रवाई करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। राज्य सरकार द्वारा समाहर्ता को भी यह निदेश दिया है कि वे स्थिति की गहराई से समीक्षा करने के लिए सभी सम्बन्धित जिला अधिकारियों की पाक्षिक बैठकें आयोजित करें। राज्य सरकार ने यह भी जोर दिया है कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन अपराध अविलम्ब दर्ज किये जाने चाहिए और तुरन्त अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि दण्ड दिया जा सके।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को हुआ घाटा

1762. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र घाटे में चल रहा है;

(ख) क्या यह घाटा आधुनिकीकरण की कमी के कारण हुआ है;

(ग) घाटे के अन्य कारण क्या हैं; और

(घ) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थिति में सुधार करने और इसे मुनाफे में चलाने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) जी, हां । घाटे के मुख्य कारण हैं—विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में परिकल्पित कच्चे माल की क्वालिटी के मुकाबले कच्चे माल की क्वालिटी घटिया होना, बिजली की अपर्याप्त सप्लाई, कच्चे माल, स्टोर्स, फालतू पुर्जों, उपभोज्य सामग्री तथा ऊर्जा की लागतों में वृद्धि होना, कुछ उपस्करों का पुराना हो जाना तथा रूपांकन की खामियों के कारण कुछ उपस्करों का प्रत्याशित स्तर तक कार्य न कर सकना ।

(घ) इस्पात कारखाने की स्थिति में सुधार करने के लिए कई उपाय किए गए हैं और इन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है । इनमें मुख्य-मुख्य हैं—रख-रखाव के काम में तेजी लाकर उपस्करों की खराबियों को ठीक कराना, क्रिटिकल कैपिटल इक्विपमेन्ट्स को बदलना, 82.5 करोड़ रुपये की लागत से कारखाने में बिजली के उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षमता लगाना तथा बोलानी में लौह अयस्क के चूरे को साफ करना । इन सब सुविधाओं पर चालू वर्ष में 39 करोड़ रुपये तथा 1984-85 में 49 करोड़ रुपये खर्च होने की सम्भावना है । इसके अलावा कारखाने को प्रौद्योगिकीय दृष्टि से सक्षम बनाने का भी प्रस्ताव है । यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

आदिवासी उपयोजना और संघटक योजना की अवधारणा

1763. **श्री भाखाभाई :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आदिवासी उपयोजना और संघटक योजना की अवधारणा में विभिन्न लक्ष्यों पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की अवधारणाओं पर क्या विचार किया गया और इन विभिन्न लक्ष्यों के लिए कौन उत्तरदायी है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा आदिवासी उपयोजना और संघटक योजना के अंतर्गत 1980 से वर्ष-वार और राज्य-वार दी गयी विशेष केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) अनुसूचित जातियों और आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष संघटक योजना का मुख्य उद्देश्य उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा संपूरित विकास के सामान्य क्षेत्रों से संसाधन एकत्र करके उपयुक्त कार्यक्रम कार्यान्वित करना है। विशेष रूप से छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोनों वर्गों के पचास प्रतिशत परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में ठोस रूप से सहायता करने का उद्देश्य है। परिव्यक्ति के स्वरूप के कारण संघटक योजना अधिकांशतः एक समुदाय–अभिमुख परिवार पर–नीति पर आधारित है जबकि आदिवासी उपयोजना एक क्षेत्र विकास नीति है जिसमें अनुसूचित जनजाति के परिवारों पर विशेष रूप से ध्यान और बल दिया गया है।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 7858/84]

मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के साथ साथ लगे जिलों के आदिवासी क्षेत्रों का पिछड़ापन

1764. **श्री भीखाभाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्यों के आदिवासी क्षेत्र जिले रेलों, सड़कों के विकास, सिंचाई, कृषि वन-विकास आदि के मामले में बहुत अधिक पिछड़े रह गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य सरकारों को कोई निदेश दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इन राज्यों द्वारा इन अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों के क्षेत्र विकास के लिए बनाई गई आदिवासी उपयोजनाओं को प्राथमिकता नहीं दी गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता। जनजाति उपयोजना की मुख्य नीति जनजाति आबादी को मद्देनजर रखते हुए, क्षेत्र विकास की रही है। छठी योजना नीति में निम्नलिखित उद्देश्य शामिल हैं :—

(1) कृषि, बागवानी, पशुपालन, लघु उद्योगों, आदि के क्षेत्र में परिवारोन्मुखी लाभकारी कार्यक्रम शुरू करके लाभ प्राप्त कर्ता परिवारों का उत्पादकता स्तर ऊंचा उठाना।

(2) भूमि हस्तांतरण, साहूकारी, ऋण बन्धकता, वन आदि के क्षेत्रों में जनजातियों के शोषण को समाप्त करना।

(3) शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिये मानव संसाधनों का विकास; और

(4) आधारभूत संरचना का विकास।

राउरकेला सिलिकान परियोजना शुरू करना

1765. **श्री हरिहर सोरन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला सिलिकान परियोजना शुरू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की लागत कितनी है; इसे कब शुरू किया गया और उपरोक्त सिलिकान परियोजना का वार्षिक उत्पादन कितना होगा;

(ग) उपरोक्त परियोजना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने पर प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) परियोजना का एक भाग, जिसमें कोल्ड रोल्ड नॉन ओरिएन्टड सिलिकन स्टील की चादरों का उत्पादन किया जाएगा, चालू किया जा रहा है। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएन्टड सिलिकन स्टील की चादरों का उत्पादन करने की परियोजना को चालू करने संबंधी परीक्षण मई-जून, 1984 में शुरू होने की संभावना है।

(ख) वर्ष 1972 में प्रवर्तमान मूल्यों के आधार पर इस परियोजना की अनुमानित लागत 154.81 करोड़ रुपये आंकी गयी है। इस परियोजना का रूपांकन प्रति वर्ष 37,500 टन कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएन्टड सिलिकन वैद्युतिक इस्पात की चादरों और 36,000 टन कोल्ड रोल्ड नॉन ओरिएन्टड सिलिकन वैद्युतिक इस्पात की चादरों का उत्पादन करने के लिए किया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 1984-85 में 28,000 टन कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएन्टेड और कोल्ड रोल्ड नॉन ओरिएन्टेड सिलिकन स्टील की चादरों का उत्पादन करने की योजना है। आशा है वर्तमान मूल्यों के आधार पर इससे वर्ष 1984-85 में लगभग 25 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

कम्प्यूटरों के स्वदेशी निर्माण की नीति

1766. **श्री के० प्रधानी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच देश में कम्प्यूटरों के निर्माण की नीति को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में किन भारतीय निर्माताओं को लाइसेंस दिए गए हैं और प्रत्येक मामले में अन्तर्ग्रस्त विदेशी जानकारी और प्रौद्योगिकी सहयोग का ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) तथा (ख) सरकार ने वर्ष 1978 में लघु (मिनी) कम्प्यूटर तथा सूक्ष्म संसाधित (माइक्रोप्रोसेसर) पर आधारित प्रणालियों से संबंधित औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की थी। उक्त नीति की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) सूचना संकलित की जा रही है।

विवरण

लघु (मिनी) कम्प्यूटर/सूक्ष्म संसाधित्र (माइक्रोप्रोसेसर) पर आधारित प्रणालियों के लिए औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकीय नीति

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि लघु कम्प्यूटर/सूक्ष्म संसाधित्र पर आधारित प्रणालियां अर्थ व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में व्यापक अनुप्रयोगों की संभावना के अलावा मूल्यों में भारी कमी ला सकती है डिजाइनों को सरल बना सकती हैं तथा उद्योग में अधिक लचीलापन ला सकती हैं। अतः कम्प्यूटरों के क्षेत्र में लघु कम्प्यूटर/सूक्ष्म संसाधित्र उद्योग के विकास एक प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में होगा। सरकार ने यह निर्णय किया है कि इस उद्योग का विकास निम्नलिखित नीति के आधार पर होगा।

2. कार्य क्षमता, आकार तथा प्रणाली की संरचना के साथ-साथ उसके अनुप्रयोग की किस्म के आधार पर लघु कम्प्यूटर/सूक्ष्म संसाधित्र पर आधारित प्रणालियों को निम्नलिखित व्यावहारिक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(i) विशिष्ट किस्म के अनुप्रयोग	सामान्य उपान्त उपस्करों के साथ वास्तविक समय के आधार पर विशिष्ट कार्यों के लिए मूल उपस्करों के विनिर्माण के विकल्प
(ii) (मानक ऑन-लाइन अनुप्रयोग)	(उपान्त-उपस्करों) पेरीफेरल तथा यंत्रेतर-सामग्रियों (साफ्टवेयर) के साथ मूल उपस्करों के विनिर्माण के विकल्प
(iii) प्रमुख ऑन-लाइन अनुप्रयोग; तथा	(साफ्टवेयर) के साथ मूल उपस्करों के विनिर्माण के विकल्प
(iv) एकल (स्टैण्ड-एलोन) प्रणालियां।	

3. इन प्रणालियों के विनिर्माण से संबंधित प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शी-सिद्धान्त लागू होंगे; लघु कम्प्यूटर/सूक्ष्म संसाधित्र उद्योग को विकसित करने का प्रमुख प्रणाली इंजीनियरी कम्पनियों की स्थापना करना होगा और जरूरी नहीं है कि वे केन्द्रीय संसाधन एककों (सी० पी० यू०) अथवा उपान्त-उपस्करों के विनिर्माण में प्रवृत्त ही हों। किन्तु लघु कम्प्यूटर

प्रणालियों के उत्पादन के लिए उपान्त-उपस्करों के संसाधित्रों (प्रोसेसरों) के विनिर्माण की अनुमति भी दी जाएगी। प्रत्यक्ष आंकड़ा प्रविष्टि, लेखांकन/बीजकांकन मशीन, आंकड़ा अभिग्रहण प्रणालियां, टाइप सेटिंग अनुप्रयोगों तथा विशिष्ट किस्म के नियंत्रकों जैसी समर्पित अनुप्रयोगों के लिए तकनीकी पृष्ठ भूमि वाले मध्यम तथा छोटे उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऑन-लाइन तथा स्वतंत्र (स्टैण्डएलोन) अनुप्रयोगों की आवश्यकता के लिए संगठित क्षेत्र की इकाइयों पर विचार किया जाएगा। विदेशों में रहने वाले जो शिक्षित व्यक्ति/दल स्वदेश में लौटना चाहते हैं तथा लघु कम्प्यूटर से संबंधित औद्योगिक कार्यक्रमों में पूंजीनिवेश करना चाहते हैं उन्हें सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा।

4. औद्योगिक लाइसेंसों/लघु उद्योग के लिए अनुमोदन के लिए आवेदन-पत्र पर विचार करते समय, इस बात का सुनिश्चय करने के लिए विस्तृत छानबीन की जाएगी कि अनुप्रयोग के जिन क्षेत्रों में लघु कम्प्यूटर/सूक्ष्म संसाधित्र प्रणालियों का प्रयोग किया जाएगा वे राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुरूप हों। औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति उन क्षेत्रों में भी प्रतिबंधात्मक बनी रहेगी जहां श्रमिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभव है।

5. उच्च कार्य निष्पादन की क्षमता से युक्त उपान्त-उपस्करों की इकाइयों के लिए चुनिंदा तौर पर विदेशी तकनीकी सहयोग की अनुमति दी जाए चूंकि इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें अधुनातम विकास एवं सूक्ष्मता पर जोर दिया जाता है, अतः उन मामलों में जहां गुणवत्ता की दृष्टि से तथा देश में सूक्ष्म तथा जटिल किस्म की इलेक्ट्रॉनिकी के विकास के लिए विदेशी तकनीकी सहयोग स्पष्टतः अपरिहार्य हो वहां इसकी अनुमति दी जाएगी; अन्यथा किसी भी कम्पनी को लघु-कम्प्यूटर प्रणालियां तैयार करने के लिए विदेशी आर्थिक अथवा तकनीकी सहयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी निर्यात के उद्देश्य से बिक्री को बढ़ावा देने के निश्चित उद्देश्य से ही विदेशी ब्रांड नामों के प्रयोग की अनुमति दी जाएगी। घरेलू बाजार के लिए स्वदेशी ब्रांड नाम ही तैयार किए जाने चाहिए।

6. लघु कम्प्यूटरों की प्रणाली इंजीनियरी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उपान्त उपस्करों तथा केन्द्रीय संसाधन एककों (सी० पी० यू०) की मानकीकृत श्रृंखला के उत्पादन के लिए मूल उपस्कर विनिर्माण के आधार पर औद्योगिक क्षमता तैयार की जाएगी, ताकि लघु कम्प्यूटर/सूक्ष्म संसाधित्र पर आधारित प्रणालियों के लिए मूल संरचना ब्लाकों की मुक्त स्वदेशी उपलब्धता उचित मूल्यों पर कराई जा सके। इस बारे में उपान्त-उपस्कर इकाइयां, केन्द्रीय संसाधन एककों में लगने वाले सेमीकण्डक्टर विषयक तत्व और खपत योग्य सामग्रियों को अधिकतम संभावित सीमा तक मानकीकृत किया जाएगा तथा लाइसेंस शुदा अनुमोदित कम्पनियों को अपनी प्रणालियों को इन मानकीकृत संरचना ब्लाकों के समनुरूप बनाना होगा।

7. जब तक स्वदेश में उत्पादित उपान्त-उपस्कर और केन्द्रीय संसाधन एकक उपलब्ध नहीं हो जाने तक मूल्य विषयक लाभ उठाने के लिए भण्डार और बिक्री के आधार पर चुनिंदा संघटक-पुर्जों, केन्द्रीय संसाधन एककों और उपान्त उपस्करों का आयात करने के प्रयास किए जाते रहेंगे।

तथापि, जब कभी प्रणाली/कम्पनियों/प्रयोक्ताओं को इस श्रेणी से भिन्न उपान्त उपास्कर/संसाधकों की अत्यधिक आवश्यकता होगी तब इलेक्ट्रॉनिकी विभाग उचित समीक्षा के उपरांत तदर्थ आधार पर आयात की अनुमति देने की सिफारिश करेगा।

8. लघु कम्प्यूटरों/सूक्ष्म संसाधित्रों पर आधारित प्रणालियों का उत्पादन करने की दृष्टि से (लाइसेंसशुदा) अनुमोदित इकाइयों के कार्यानिष्पादन की सावधिक (आरम्भ में वार्षिक) समीक्षा की जाएगी और इन समीक्षाओं के आधार पर क्षमता के विस्तार के लिए अनुमोदन प्रदान किए जाएंगे।

9. सभी बकाया आवेदन-पत्रों की सरकार द्वारा जांच की जाएगी और उन्हें निपटाया जाएगा। आवेदकों के पास व्यावहारिक क्षमता है अथवा नहीं इसका पता नीचे दी गई बातों से लगाया जाएगा; उनकी अनुसंधान तथा विकास सुविधाओं की स्थिति मानकों तथा गुणवत्ता को बनाए रखने की क्षमता विद्यमान मूल संरचनात्मक सुविधाएं तथा भावी सम्भावनाएं। इस छानबीन के लिए इन्हीं तत्वों को आधार बनाया जाएगा। बकाया आवेदन-पत्रों पर निर्णय ले लिए जाने के उपरांत ही एक प्रेस नोट के माध्यम से नए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

महिलाओं के प्रति अपराध

1767. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या गृह मंत्री राजधानी में महिलाओं के जलने संबंधी मामले के बारे में 21 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4771 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 1.3.1980 से 30.11.1983 की अवधि के दौरान भारतीय दण्ड प्रक्रिया और आपराधिक दण्ड प्रक्रिया को विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत महिलाओं के साथ 1979 अपराधों के मामले दायर किये गये लेकिन पुलिस उनमें से न्यायालय में केवल 17 मामलों में सजा दिला सकी;

(ख) उपरोक्त अवधि में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के संबंध में ये आंकड़े कितने न्यूनाधिक हैं; और

(ग) इतनी कम सफलता मिलने (अपराधियों को सजा दिलाने में) के क्या कारण हैं और इसके लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) 21 दिसम्बर, 1983 के प्रश्न संख्या 4771 के उत्तर में दिए गए आंकड़ों में 1536 मामले शामिल हैं जिनमें द० प्र० सं० की धारा 174 के अधीन अप-मृत्यु विचारणा संबंधी कार्रवाई की गई थी, ऐसी कार्रवाई अप्राकृतिक मौत के सभी मामलों में की जाती है चाहे धोखाधड़ी की कोई शिकायत न भी की गई हो।

भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के अधीन दर्ज किए गए मामलों की संख्या 443 थी जिनमें

से प्रश्न का उत्तर देने के समय न्यायालयों द्वारा केवल 33 मामलों का निर्णय किया गया था। इस के परिणामस्वरूप 17 मामलों में दोष सिद्ध हुआ।

बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के लिए तुलनात्मक आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं और सदन के पटल पर रख दिए जाएंगे।

ब्लैक एण्ड व्हाइट टेलीविजन सेट का रंगीन टेलीविजन सेट में परिवर्तन

1768. **श्री नवीन रवाणी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या गोआ इकोनोमिक डिवलपमेंट कारपोरेशन (जी० ई० डी० सी०) की एक सहायक कम्पनी गोआ इलेक्ट्रानिक लिमिटेड (जी. ई. एल.) ने ब्लैक एण्ठ व्हाइट टेलीविजन सैट को रंगीन टेलीविजन में बदलने की टैक्नीक का विकास किया है;

(ख) क्या कोई प्रयोग किया गया है, यदि हां, तो यह कितना सफल रहा है और परिवर्तन की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) देश में लोगों को अपने ब्लैक एण्ड व्हाइट टेलीविजन सेटों को रंगीन टेलीविजन सेटों में बदलने के लिए इस टेक्नालोज़ी को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव): (क) गोआ इलेक्ट्रॉनिकी लिमिटेड (जी० ई० एल०) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कम्पनी ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सेटों को रंगीन दूरदर्शन सेटों में परिवर्तित करने के संबंध में परीक्षण किया है और उनके मूल्यांकन के अनुसार परीक्षण में काफी सफलता मिली है। तथापि, ऐसे परिवर्तन के लिए उन्होंने वाणिज्यिक स्तर पर प्रस्ताव नहीं पेश किया है। कम्पनी के अनुसार, परिवर्तन की लागत लगभग 2500 रु० से 3000 रु० तक होगी।

(ख) सरकार का यह विचार है कि उपर्युक्त दृष्टिकोण तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है, अतः इसे लोकप्रिय बनाने के संबंध में प्रयास करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अपर्याप्त जल सप्लाई के कारण कोलार स्वर्ण क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ना

1769. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिव समुन्द्रम हाइड्रल स्टेशन को पानी की कम सप्लाई होने से सरकारी क्षेत्र के भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के कोलार स्वर्ण क्षेत्रों में विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(ख) खानों में काम चालू रखने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) शिवसमुन्द्रम पन बिजलीघर से बिजली की सप्लाई, जून 1983 में 50 प्रतिशत बिजली कटौती को छोड़कर नियमित रही है। परन्तु कर्नाटक सरकार ने भारत गोल्ड माइन्स लि० को, बिजली के उत्पादन हेतु शिवसमुन्द्रम को जाने वाले जल का एक अश सिंचाई के वास्ते अंतरित करने और इस प्रकार भारत गोल्ड माइन्स लि० को 25 एच० जैड० बिजली की पूर्ति कम हो जाने के बारे में अपने इरादे के बारे में लिखा था। चूंकि इसका कम्पनी के उत्पादन और उसके वित्त पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव होगा, इसलिए केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सरकार से कहा है कि वह उस समय तक ऐसा कोई कदम न उठाएं जब तक कि 50 एच० जैड० बिजली को 25 एच० जैड० प्रिक्वेन्सो में बदल देने के वैकल्पिक प्रबंध न कर दिये जाये जिसकी कोलार स्वर्ण क्षेत्र की खानों में लगी मशीनों और उपकरणों के लिए जरूरत है। इस संबंध में राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार की चिन्ता को समझा है लेकिन इस बात को पुन: दोहराया है कि भारत गोल्ड माइन्स को ऐसे प्रबंध करने चाहिए जिससे वह शिवसमुन्द्रम से 25 एच० जैड० बिजली पर निर्भर रहने की बजाए 50 एच० जैड० बिजली प्राप्त और इस्तेमाल करने में समर्थ हो सके। केन्द्र सरकार इस साध्यता और प्रिक्वेंसी परिवर्तन प्रबंधों पर विचार कर रही है।

मारुति कार का रिलीज किया जाना

1770. **श्री एम० रामन्ना राय** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति इण्डस्ट्रीज के प्रबन्धकों ने अपने ग्राहकों को मूल रूप से सभी राज्यों की राजधानियों में और दिल्ली में एक साथ कार रिलीज करने का वचन दिया था परन्तु उक्त कम्पनी ने केवल दिल्ली और बम्बई में ही कारें रिलीज की हैं, इस परिवर्तन के क्या कारण हैं;

(ख) कम्पनी ने 31 जनवरी, 1984 तक कुल कितनी कारें रिलीज की हैं; और

(ग) प्रबन्धकों ने स्वैच्छिक कोटे से कुल कितनी कारें रिलीज की और किनको रिलीज की हैं?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) मूल योजनाओं के अनुसार कम्पनी द्वारा सारे देश में विक्रेता-तन्त्र को प्रावस्थाओं में धीरे-धीरे सक्रिय बनाया जा रहा है।

(ख) 31-1-1984 तक ग्राहकों को 333 कारें रिलीज की गई थीं।

(ग) 31-1-1984 तक निदेशकों के विवेकाधीन कोटे से आठ कारें इस प्रकार के आवंटनों के लिए निर्धारित किए गए मानदण्डों के अनुसार रिलीज की गई थीं।

सी० एफ० आर० आई० में बेकार पड़ी आधुनिकतम मशीनें

1771. **श्री ए० के० राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटना से निकलने वाले दिनांक 31 जनवरी, 1984 के दैनिक समाचार पत्र "इण्डियन नेशन" में "सोफिस्टीकेटिड मशीन्स लाइंग आइडल इन सी० एफ० आर० आई०" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो बेकार पड़ी इन मशीनों का ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रॉनिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) समाचारपत्र में उल्लेखित उपस्करों/मशीनों की सात मदों का विवरण इस प्रकार है:

उपस्कर/मशीन का नाम (जिस माह में सी० एफ० आर० आई० में प्राप्त किया गया)	इस मद का उपयोग करने के लिए की गई कार्यवाही और वर्तमान स्थिति
1	2
1. जी०सी०मास स्पेक्ट्रोमीटर (सितम्बर, 1982)	स्थापित की हैं और कार्यरत है।
2. ऑटोमैटिक एब्जॉर्पशन स्पैक्ट्रोफोटोमीटर (फरवरी, 82)	स्थापित की गई हैं और कार्यरत है।
3. एफ० टी० एन० एम० आर० स्पैक्ट्रोमीटर (मार्च, 82)	अभी स्थापित नहीं की गई है। बिजली की सप्लाई में वोल्टेज का सूक्ष्मतम कमोबेसी समाप्त करने के लिये और इसको संचालित करने के लिये आइसोलेशन ट्रांसफोरमर अभी हाल में ही प्राप्त किया गया है।
4. ओटोमेटिक सरफेस एरिया एनेलाइजर (सितम्बर, 82)	अभी स्थापित नहीं की गई। दो आवश्यक संघटक अभी हाल में ही कलकत्ता पहुंचे हैं और उनको पोर्ट से क्लयरेंस मिलना बाकी है।
5. ओटोमैटिक एलीमैंटल एनेलाइजर (जनवरी, 83)	कतिपय आवश्यक मदों के प्राप्त न होने के कारण स्थापना कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। उन्हें प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।
6. एक्सरे फ्लोरोसैंस स्पैक्ट्रोमीटर (अप्रैल, 83)	अभी खोला नहीं गया। उपस्कर की स्थापना के लिये प्रयोगशाला का कमरा एयर कन्डीशनरों

1	2
	और विशिष्ट फ्लोरिंग के साथ तैयार किया जा रहा है।
7. न्यूट्रोन एक्टीवेशन एनालैंसिस के लिये उपस्कर	जनवरी 1984 के अंत में उपस्कर कलकत्ता बंदरगाह पर पहुंच गया। बंदरगाह से निकालने के लिये कार्यवाही क्लीयरेन्स के अधीन हैं। एन० सी० एल० पूणे में स्थानांतरित करने के लिये प्रस्तावित कर दिया है।

ऐसे अतिपरिष्कृत अनुसंधान उपकरणों के निरंतर संचालन में कोयला क्षेत्र की बारंबार बिजली सप्लाई में रुकावट ही परेशानी है। नियमित बिजली सप्लाई को पक्का करने के लिये डीजल जेनरेटरों को लगाने की कार्यवाही की जा रही है।

मैसर्स जैना टाइम्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित घड़ियां

1772. **श्री निहाल सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स जैना टाइम्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, 7/25, दरिया गंज, दिल्ली-6 की स्थापना कब हुई थी और जिस जर्मन फर्म के साथ इसका सहयोग है उसका नाम क्या है;

(ख) इस फर्म द्वारा प्रतिमाह कितनी और किन-किन किस्मों की घड़ियों का निर्माण किया जाता है; और

(ग) दोनों देशों द्वारा अलग-अलग कितनी शेयर पूंजी लगाई गई है और उनके बीच तय हुई शर्तें क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) मैसर्स जैना टाइम इन्डस्ट्रीज (प्रा०) लिमिटेड 7/25, दरियागंज, नई दिल्ली, जिसका कारखाना साहिबाबाद, गाजियाबाद में स्थित है उसके बारे में बताया गया है कि उसकी स्थापना 1960 में की गई थी। घड़ियां बनाने के लिए कम्पनी ने मैसर्स बाइफोरा उहरेन जी० एम० बी० एच० सचिवेविश गुएड, पश्चिम जर्मनी के साथ तकनीकी सहयोग करार किया था जो 1982 में समाप्त हो गया था।

(ख) कम्पनी हाथ से चाबी भरी जाने वाली मिकेनिकल घड़ियां बनाती है और जनवरी-दिसम्बर, 1983 की अवधि में इसमें इन घड़ियों का प्रतिमास निम्नलिखित उत्पादन होने की सूचना मिली है :

मास	बनायी गई घड़ियों की संख्या
जनवरी, 1983	9,780
फरवरी, 1983	14,930

मास	बनाई गई घड़ियों की संख्या
मार्च, 1983	15,170
अप्रैल, 1983	10,310
मई, 1983	12,300
जून, 1983	10,780
जुलाई, 1983	9,890
अगस्त, 1983	4,350
सितम्बर, 1983	5,240
अक्टूबर, 1983	7,040
नवम्बर, 1983	8,040
दिसम्बर, 1983	6,000

(ग) कम्पनी की अंश पूंजी में किसी भी देश या किसी विदेशी कम्पनी की इक्विटी साझेदारी नहीं है। अतएव इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शर्तों का प्रश्न ही नहीं उठता।

कृत्रिम वर्षा लाने वाले राकेटों का उत्पादन

1773. **श्री निहाल सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विज्ञान कांग्रेस के सम्मेलन में यह कहा गया था कि कृत्रिम वर्षा लाने वाले राकेटों का उत्पादन शुरू किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो उक्त राकेटों के उत्पादन पर कितना खर्च आने की सम्भावना है तथा ये राकेट कितने समय में बनकर तैयार हो जाएंगे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं है कि जनवरी, 1984 में रांची में हुए भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 71वें अधिवेशन में इस बात का उल्लेख किया गया था कि ऐसे राकेटों का उत्पादन को हाथ में लिया जाएगा जिनसे कृत्रिम वर्षा की जा सकती है। बहरहाल, पटना के समाचार पत्र "सर्च लाइट" में प्रकाशित एक रिपोर्ट को सरकार के ध्यान में लाया गया है। सरकार ने 1976 से 1981 के दौरान बिरला इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी, रांची में एक परियोजना के लिए निधीयन किया है। इस परियोजना का उद्देश्य संघटकों सहित उपयुक्त राकेट प्रणाली का विकास करने तक सीमित था जो इसे इस योग्य बनाएंगे कि यह कृत्रिम वर्षा के लिए मेघों में बीजन अभिकारक के प्रकीर्णन के लिए परीक्षणों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। बीजन परिघटना या मौसम पर इसके प्रभाव का अध्ययन इस परियोजना का अंग नहीं था। फिलहाल मौसम संशोधन के लिए ऐसे राकेटों का निर्माण करने के लिए निधियां प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रंगीन टी० वी० के उत्पादन के लिए जारी किए गए लाइसेंस

1774. **श्री निहाल सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने रंगीन टी० वी० के उत्पादन के लिए 1 अप्रैल, 1983 से 31 जनवरी, 1984 की अवधि के दौरान किन-किन फर्मों को लाइसेंस जारी किए;

(ख) क्या 50 प्रतिशत उत्पादन लाइसेंस डी० जी० टी० डी० को दिए गए हैं और केवल 15 प्रतिशत लाइसेंस लघु उद्योग को दिए गए हैं;

(ग) क्या भारतीय लघु उद्योग एसोसिएशन संघ ने प्रधान मंत्री को इस संबंध में एक ज्ञापन देकर मामले की जांच की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त मामले में कोई जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इलैक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) 1 अप्रैल, 1983 से 31 जनवरी, 1984 की अवधि में रंगीन दूरदर्शन के विनिर्माण के लिए जिन फर्मों को औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र जारी किए गए हैं, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7859/84]

(ख) जी, नहीं। तकनीकी विकास महा निदेशालय के अन्तर्गत आने वाली इकाइयों के लिए निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, इकाई के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए उत्पादन की जितनी मात्रा अनुमोदित की गई है, उसके 50 प्रतिशत तक ही आयात-सहायता प्रदान की जाती है, जबकि लघु उद्योग क्षेत्रों की इकाइयों के लिए जितनी मात्रा में कुल उत्पादन क्षमता अनुमोदित की गई है, इसके 15 प्रतिशत तक ही आयात सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, लघु उद्योग क्षेत्र के विकास आयुक्त की सिफारिशों के आधार पर ही लघु क्षेत्र की इकाइयों को तो अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है।

(ग) तथा (घ) इस विषय पर भारतीय लघु उद्योग क्षेत्र के संगठन के प्रतिनिधियों से चर्चा की गई है। अतः इस संबंध में जांच का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

चिकनी टाइलों का उत्पादन

1775. **श्री निहाल सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकनी टाइलों का उत्पादन लघु उद्योगों के लिए आरक्षित है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में चमकीली टाइलों के उत्पादन के लिए लाइसेंस और वित्तीय सहायता प्राप्त करने का क्या तरीका है; और

(ग) कितने राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में 31 दिसम्बर, 1983 तक इसके लिए आशय पत्र और औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) 10 × 10 तक के आकार वाली चीनी-मिट्टी की चमकीली टाइलों का उत्पादन केवल लघु क्षेत्र में ही विकास के लिए आरक्षित है । 10 × 10 से अधिक के आकार वाली चीनी-मिट्टी की चमकीली टाइलों का उत्पादन मझौले और बड़े एककों के लिए खुला है ।

(ख) लघु एककों को इस वस्तु का उत्पादन करने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है । किन्तु, उन्हें सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र से लघु उद्योग के अन्तर्गत पंजीकरण कराना जरूरी होता है । ऐसे लघु एककों को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, राज्य लघु उद्योग विकास निगम और राज्य वित्त निगमों तथा विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों जैसे अभिकरणों द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है ।

उन मझौले एककों को जिनकी अचल परिसम्पत्तियों में 5 करोड़ रुपये तक का निवेश किया गया है, किन्तु संयंत्रों और मशीनों में किया गया निवेश 20 लाख से अधिक है, तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण कराना जरूरी होता है । यदि परियोजना की अचल परिसम्पत्तियों में 5 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है, तो उद्यमी को औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी होता है ।

(ग) वर्ष 1981–1983 में जारी किए गए आशय-पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों के स्थापना-स्थल निम्नलिखित हैं :—

1981

(1) आन्ध्र प्रदेश का पिछड़ा क्षेत्र

(2) कर्नाटक का पिछड़ा क्षेत्र ।

1982

(1) त्रिचूर, केरल ।

(2) दिलवाड़ा, राजस्थान ।

(3) दक्षिणी कनारा, कर्नाटक ।

1983

(1) भावनगर, गुजरात ।

(2) नालगोण्डा, आन्ध्र प्रदेश ।

(3) सांगारेड्डी, जिला मेढ़क, आन्ध्र प्रदेश।

(4) डुंगराव, ज़िला भोजपुर, बिहार।

(5) सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश।

निलम्बित सरकारी कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि देना

1776. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सरकारी कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जाती जो वेतन वृद्धि लगने वाले महीने की पहली तारीख को छुट्टी पर होते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके संबंध में यदि कोई आदेश जारी किये गये हैं, तो वे क्या हैं;

(ग) ऐसे मामलों में क्या किया जाता है जबकि वेतन वृद्धि वाले महीने की पहली तारीख को जब वेतन वृद्धि होनी होती है और कर्मचारी अधिकृत छुट्टी पर है परन्तु छुट्टियों के दौरान ही उसे निलम्बित कर दिया जाता है और क्या उस कर्मचारी को वेतन वृद्धि उसकी वेतन वृद्धि वाली तारीख से ही दी जायेगी जैसा कि सामान्य मामलों में होता है या उसके विरुद्ध मामला अंतिम रूप तय हो जाने तक प्रतीक्षा की जायेगी, और ऐसा किन कारणों से किया जायेगा और यदि इस विषय पर कोई आदेश जारी किये गये हों तो उनकी प्रतियां दिखाई जायें;

(घ) क्या छुट्टी स्वीकृत करने वाले अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह छुट्टी स्वीकृत करते समय यह देखे कि कहीं छुट्टियों का वेतन वृद्धि की स्वीकृति के मामले में तो प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त प्रावधान को शामिल करने के लिये नियमो में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) मूल नियम 24 के अधीन कोई वेतन वृद्धि, जब तक कि वह रोकी न गई हो, साधारणतः सामान्य तौर पर देय तारीख को ही ली जाएगी। तथापि, केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली के नियम 40 के अधीन छुट्टी पर गया हुआ कोई सरकारी सेवक छुट्टी वेतन का हकदार होता है जो छुट्टी पर जाने के तुरंत पहले उसके द्वारा लिए गए वेतन पर आधारित होता है। इस प्रकार यदि वार्षिक वेतन वृद्धि के दौरान देय होती है तो सरकारी सेवक को उसका वास्तविक लाभ केवल तभी मिलेगा जबकि वह अपनी ड्यूटी पुनः ग्रहण कर ले।

(ग) मूल नियम 53 (i) (ii) (क) के अधीन, निलंबन के प्रथम छह महीनों के दौरान, सरकारी सेवक को निर्वाह भत्ता दिया जाता है। जिसकी राशि वेतन छुट्टि की उस राशि के बराबर होती है जो सरकारी सेवक को अर्द्ध वेतन छुट्टी पर जाने की स्थिति में मंजूर की गई होती। इस

प्रकार यदि निलंबन तब किया जाता है जब कि सरकारी सेवक छुट्टी पर हो तो उसका जीवन निर्वाह भत्ता अर्ध वेतन छुट्टी के दौरान लिए जाने वाले वेतन के बराबर होगा जो वस्तुतः सरकारी सेवक के छुट्टी पर जाने के तत्काल पहले उसके द्वारा लिए गए वेतन पर आधारित होगा और इस सम्बन्ध में इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा कि वेतन वृद्धि छुट्टी के दौरान दय हुई है या नहीं। विभागीय कार्यवाही की समाप्ति पर यदि निलंबन की अवधि को ड्यूटी के रूप में मान लिया जाता है तो अधिकारी को उस तारीख से वेतन वृद्धि का लाभ दिया जायेगा जिस तारीख से निलंबन को ड्यूटी के रूप में मान लिया जाता है।

(घ) तथा (ङ) कोई सरकारी सेवक कब छुट्टी लेना चाहता है, इसका निर्णय करना उसी पर निर्भर करता है और छुट्टी लोक सेवाओं की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली के नियम 7 के अधीन मंजूर की जाती है। छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन का विनियमन केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली के नियम-40 के उपबंधों के अनुसार होता है। इन नियमों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आशुलिपिकों की पदोन्नति/गत्यावरोध संबंधी आदेशों की क्रियान्विति

1777. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्मिक विभाग को कौन-कौन से विषय सौंपे गये हैं तथा क्या इसके अन्तर्गत आने वाले सामान्य विषयों पर विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों, अनुदेशों को बिना किसी अपवाद के सभी कार्यालयों को पालन करना होता है;

(ख) यदि हां, तो कार्मिक विभाग किस प्रकार इन आदेशों के कार्यान्वयन की अनदेखी कर देता है;

(ग) क्या आशुलिपिकों के संवर्ग में भर्ती, पदोन्नति और गत्यावरोधक को समाप्त करने के बारे में, कार्मिक विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशों की प्रतियां सभा पटल पर रखी जायेंगी;

(घ) क्या कोई कार्यालय, कार्मिक विभाग द्वारा जारी किये गये मार्गनिर्देशों के अलावा अपने भिन्न सेवा नियम अपना सकता है, विशेषकर उस संदर्भ में जबकि विभाग द्वारा स्वयं के बनाये गये नियम कर्मचारियों के लिये अहितकारी हों जैसा कि रक्षा मुख्यालय में कार्यरत आशुलिपिकों के मामले में हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) कार्यों का आबंटन नियमावली के अधीन विषयों के आबंटन के बारे में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का सामान्यतः सभी मंत्रालयों (उन मंत्रालयों/विभागों को छोड़कर, जिन्हें कार्यों का आबंटन नियमावली की अधीन विशेष रूप से अलग रखा गया है) द्वारा तब तक पालन किया

जाना आवश्यक है जब तक कि किसी विषय के बारे में मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से अलग नियमावली या अनुदेश जारी न किये ग ए हों।

(ख) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किये गये ऐसे अनुदेशों के कार्यान्वयन को मानीटर करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन करना प्रत्येक मंत्रालय/विभाग की जिम्मेवारी है।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में कार्य कर रहे आशुलिपिकों को भर्ती, पदोन्नति और अन्य सेवा शर्तें केन्द्रीय सचियालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 1969 के उपबंधों द्वारा शासित होती हैं। यह नियमावली सांविधिक है। फिर भी, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "ग" में गत्यावरोध को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अनुदेश जारी किए गए हैं :—[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 7860/84]

(i) निदेशक (वेतनमान रू० 2000-2250) के रैंक से ऊपर और संयुक्त सचिव (वेतनमान रू० 2500-2750) के रैंक से नीचे के अधिकारकों के लिए वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों (केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड-I) की व्यवस्था करने के सम्बन्ध मे दिनांक 12 नवम्बर, 1975 का कार्यालय ज्ञापन सं० 7/22/73-के० से० II।

(ii) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में ग्रेड "ग" आशुलिपिकों के लिए चयन ग्रेड लागू करने के सम्बन्ध में दिनांक 15 अक्टूबर, 1977 का कार्यालय ज्ञापन सं० 9/2/77-के०से० II।

(iii) ग्रेड "ग" आशुलिपिकों के लिए लागू चयन ग्रेड लागू किए जाने की तारीख को 1 अक्टूबर, 1977 से पूर्व की तारीख अर्थात् 1 अगस्त, 1976 से प्रभावी बनाए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 6 जून, 1979 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/8/79-के० से० II।

(iv) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में ग्रेड "ग" आशुलिपिकों के पदों को ग्रेड "ख" में पदोन्नत किया जाना तथा निदेशक के स्तर के अधिकारियों के लिए ग्रेड "ख" आशुलिपिकों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में दिनांक 23 जनवरी, 1984 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 13/2/83-के० से० II।

(घ) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में भाग न लेने वाले मंत्रालयों/विभागों, जैसे सशस्त्र सेना मुख्यालय ने अपने-अपने मंत्रालय/विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती और पदोन्नति को शासित करने के लिए अपने-अपने नियम बनाए हैं। रक्षा मुख्यालय में आशुलिपिक पदों की भर्ती सशस्त्र सेना आशुलिपिक सेवा द्वारा नियंत्रित होती है, जो कि रक्षा मंत्रालय द्वारा शासित की जाती है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

निलंबित सरकारी कर्मचारियों को आरोप पत्र देने के कारणों की जानकारी देना

1778. श्री हरीश कुमार गंगवार
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य यह सच है कि केन्द्रीय नागरिक सेवा (आचरण) नियमों का नियम 3 (1) केवल तभी लागू होता है जबकि उसका अतिक्रमण/उल्लंघन हो या जब कोई और नियम लागू न होता हो परन्तु अनुशासनात्मक कार्यवाई करने का प्रस्ताव हो;

(ख). यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह शामिल करने के लिये कि "जिन आधारों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव है या निलम्बन का आदेश दिया गया है, की साथ-साथ जानकारी दी जाये तथा अनुशासनात्मक प्राधिकारी अपनी शक्तियों के दुरुपयोग के लिये जवाबदेह होंगे", केन्द्रीय नागरिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमों के नियम 14 (3) में संशोधन करने का है;

(ग क्या आरोप पत्र देने या निलम्बन के कारणों की जानकारी देने, अपील, याचिकाओं, अनुशासनात्मक कार्यवाइयों आदि पर आदेश जारी करने के लिये कोई समय सीमा है जिससे अनावश्यक देरी रोकी जा सके और परिणामस्वरूप व्यर्थ का खर्चा बचाया जा सके; और

(घ) क्या आदेश की प्रतियां सभा पटल पर रखी जायेंगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) किसी भी आचरण नियम का जिसमें नियम 3 (1) भी शामिल है, अतिक्रमण अथवा उल्लंघन करने के कारण किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध उक्त आधार पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी। तथापि यह कहना सही नहीं है कि जब कभी कोई अन्य नियम लागू नहीं होता, किन्तु अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने का विचार होता है तो नियम 3 (1) का सहारा लिया जाता है। अनुशासनिक कार्रवाई ऐसे किसी भी मामले में भी की जा सकती है जो स्पष्ट रूप से आचरण नियमों के अधीन नहीं आता, क्योंकि अनुशासनिक नियमों के अनुसार सरकारी सेवक पर समुचित और पर्याप्त कारणों के रहते हुए निर्धारित कार्यविधि का पालन करने के बाद उक्त नियमों में निर्दिष्ट कोई भी शास्ति लगाई जा सकती है।

(ख) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली के नियम 14 (3) में यह पहले से ही प्रावधान है कि प्रत्येक आरोप के समर्थन में सहायक दस्तावेजों के साथ अवचार के लांछनों का सार और आरोपों की विशिष्ट मदें तथा अवचार या कदाचार के लांछन का विवरण तैयार किया जाए। इस प्रकार अनुशासनिक कार्रवाई आरम्भ करने में अनुशासनिक अधिकारी द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है।

(ग) तथा (घ) सरकार ने प्रशासनिक प्राधिकारियों के मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए

समय-समय पर निम्नलिखित के संबंध में अनुदेश जारी किए हैं :—

(i) आरोप-पत्र जारी करने की समय सीमा ।

(ii) निलम्बन के कारणों का बताया जाना ।

(iii) अपीलों के संबंध में आदेश पारित करना; और

(iv) अनुशासनिक मामलों का शीघ्र निपटाया जाना

सरकारी कर्मचारियों को निर्वाह भत्ते और उनके निलम्बन सम्बन्धी मामलों की समीक्षा

1779. **श्री हरीश कुमार गंगवार :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूलभूत नियम 53 (I) (II) (ए) में उल्लिखित "कोई भी अवधि" से क्या तात्पर्य है तथा किन स्थितियों में अनुशासनिक अधिकारी निर्वाह भत्ता निर्धारित तिथि से हटकर दूसरी तिथि से देय कर सकता है;

(ख) क्या अनुशासनिक अधिकारी के लिये यह अनिवार्य है कि वह ऐसे मामलों में जहां निलम्बन की अवधि तीन महीनों से अधिक बढ़ने की संभावना हो, वहां तीन महीनों की अवधि समाप्त होने से काफी पहले निर्वाह भत्ते और निलम्बन के मामले की पर्याप्त रूप से समीक्षा कर ले तथा यदि वह इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि मामले की स्थिति को ध्यान में रखते हुये निर्वाह भत्ते की दर में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है तो लिखित रूप से इस आशय के विशेष आदेश जारी करें कि उक्त आदेश किन परिस्थितियों में लिया गया है और इस निर्णय की जानकारी संबंधित कर्मचारियों को भी दी जायें; और

(ग) इस विषय पर यदि कोई आदेश जारी किए गए हों तो क्या उनकी प्रतियां सभा पटल पर रखी जाएंगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) "कोई भी अवधि" का आशय निलम्बन की अवधि के पहले तीन महीने के बाद निलम्बन की पूरी अथवा आंशिक अवधि से है। नियम में किसी विशेष देय तारीख से निर्वाह भत्ते की राशि में परिवर्तन की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) सक्षम प्राधिकारी की ओर से निर्वाह भत्ते की अनिवार्य समीक्षा करने के विद्यमान अनुदेश उस समय जारी किए गए थे जब ऐसी समीक्षा छः से अधिक महीने की निलम्बन की अवधि को हाल ही में छः मास से कम करके तीन मास कर दिया गया है। किन्तु पहले के अनुदेशों में दिए गए सिद्धान्त लागू रहेंगे।

(ग) मूल नियम जो कि प्रकाशित नियम हैं, हवाले के लिए पहले ही उपलब्ध हैं।

सोवियत संघ द्वारा भिलाई इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण की पेशकश

1780. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने भिलाई इस्पात कारखाने के और अधिक आधुनिकीकरण करने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) वर्ष 1979 में सोवियत रूस ने भिलाई इस्पात कारखाने का आधुनिकीकरण करने के लिए कुछ प्रस्ताव पेश किए थे। इनमें से मुख्य-मुख्य प्रस्तावों को कार्यान्वित किया जा रहा है। इनमें ब्लूमिंग मिल की मुख्य "ड्राइव" का प्रतिस्थापन करना, खुले मुह की भट्टी संख्या 10 को 'ट्विन हर्थ फर्नेस' में बदलना और धमन भट्टी संख्या 2 में 'कोल डस्ट इंजेक्शन' शुरू करना शामिल है।

लौह धातुकर्म सम्बन्धी कार्यकारी दल की नई दिल्ली में अक्तूबर, 1983 में हुई पांचवीं बैठक के दौरान सोवियत पक्ष ने इस्पात कारखानों के तकनीकी आर्थिक परिचालन में सुधार लाने के लिए और प्रस्ताव भी रखे हैं। स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड इन प्रस्तावों पर गहराई से विचार कर रही है।

पंजाब की घटनाओं का राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव

1782. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब की घटनाओं से राष्ट्रीय एकता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो पंजाब समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) पंजाब की घटनाएं उग्रवादियों और असमाजिक तत्वों का कार्य हैं। उनके कार्यों की निन्दा करने में राष्ट्र एक है।

सरकार पंजाब समस्या के समाधान के लिए सतत प्रयास करती रही है। हाल ही में एक शुरूआत की गई थी और 14 और 15 फरवरी, 1984 को त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गयी थी। सरकार बातचीत के माध्यम से हल निकालने के लिए तैयार है।

निलम्बन और निर्वाह भत्ते के दावों की समीक्षा करने सम्बन्धी आदेशों का एकत्रीकरण

1783. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कर्मचारियों के निलम्बन, निलम्बन और निर्वाह भत्ते के दावों की समीक्षा 90 दिन के अन्दर जानकारी देने और जहां कर्मचारियों को उनके निलम्बन के कारणों की जानकारी देना जिससे कि वे अपील कर सकें, सम्भव नहीं, स्पष्ट और तर्कसंगत आदेशों के जारी न किए जाने और पिछली अवधि से निर्वाह भत्ते की स्वीकृति के मामले के संबंध में प्रश्नों के जवाब में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा दिए गए उत्तरों और कार्यान्वयन प्रतिवेदन को देखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में सभी आदेशों को एकत्र करने तथा अनुशासनिक प्राधिकारियों पर उन्हें लागू करने के लिए जोर देने और इस सम्बन्ध में उत्तरदायी ठहराने के अलावा कुछ अन्य उपचारात्मक उपाय करने का है;

(ग) क्या ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें अनुशासनिक प्राधिकारियों की जांच के आधार पर तंग किया जाता है और नियमित जांचों में उन्हें निर्दोष पाया जाता है, मुआवजा देने का उपबन्ध है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी अधिनियम में उक्त उपबंध करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) मंत्रालय विभाग उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देते हैं, जिन प्रश्नों से वे समय-समय पर यथासंशोधित भारत सरकार (कार्यों का आबंटन) नियमावली, 1961 के उपबन्धों के अनुसार विशेष रूप से सम्बन्धित होते हैं। ऐसे उत्तरों को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में केन्द्रीकृत रूप से मानीटर नहीं किया जाता।

(ग) तथा (घ) जब किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है तो उसे उसके विरुद्ध लगाए गए विशेष आरोपों और जिन साक्ष्यों के आधार पर उन आरोपों को साबित करने का प्रस्ताव हो, उन साक्ष्यों की सूचना दी जाती है तथा उसे उन आरोपों के विरोध में अपना बचाव प्रस्तुत करने के लिए समुचित अवसर भी प्रदान किया जाता है। यदि विस्तृत जांच-पड़ताल के पश्चात् यह पाया जाता है कि सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं तो उसे दोष-मुक्त कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में, दोषमुक्त होने पर किसी प्रकार का मुआवजा दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

आशुलिपिकों के संवर्ग में गत्यावरोध को समाप्त करने के लिए वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों के पदों का सर्जन

1784. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने आशुलिपिकों के संवर्ग में गत्यावरोध को समाप्त करने के लिए केन्द्रीय सचिवालय में भारी संख्या में वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों के पदों का सर्जन करने हेतु जनवरी, 1984 के अन्तिम सप्ताह में कोई अनुदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अनुदेशों की प्रतियां सभा पटल पर रखी जाएंगी;

(ग) क्या ये अनुदेश कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या कार्मिक विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त अनुदेशों को रक्षा-मंत्रालय सहित सभी विभागों में लागू किया जाए और यह भी देखेगा कि गत्यावरोध को हटाने के लिए उक्त अनुदेश सशस्त्र सेना मुख्यालय में भी लागू किया जाए; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने ग्रेड 'ग' आशुलिपिकों के 379 पदों को ग्रेड 'ख' में अपग्रेड करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

(ख) कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति संलग्न है [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7861/84]

(ग) उपर्युक्त निर्देश केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'ग' में व्याप्त गत्यावरोध का पता लगाने के लिए अपनाई गई एक स्वतंत्र प्रक्रिया के आधार पर जारी किए गए थे।

(घ) तथा (ङ) ये अनुदेश केन्द्रीय सचिवालय सेवा में भाग लेने वाले सभी विभागों पर लागू होते हैं। जहां तक केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में भाग लेने वाले विभागों का सम्बन्ध है जिनमें सशस्त्र सेना मुख्यालय भी शामिल हैं, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उन विभागों की सेवाओं में व्याप्त गत्यावरोध को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त निर्णय लिए जाते हैं।

राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता

1785. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और साम्प्रदायिकता का मुकाबला करने के लिए राजनीतिक दलों के लिए प्रस्तावित आचार संहिता साम्प्रदायिकता की परिभाषा पर समझौता न होने के कारण पुनः खटाई में पड़ गई है;

(ख) क्या उक्त संहिता की आवश्यकता पर सर्वप्रथम राष्ट्रीय एकता समिति की 1968 में हुई बैठक में बल दिया गया था, 1980 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इसकी तात्कालिकता पर

जोर दिया गया और यह कहा गया कि दलीय नेता यह सुनिश्चित करे कि उनके अनुयायी ऐसा कुछ न करें जिससे कि वर्तमान मतभेद बढ़े या जातियों और साम्प्रदायों के बीच आपसी वैमनस्य पैदा हो; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ताकि बैठकों में भाग लेने वाले व्यक्ति उन लक्ष्यों से सहमत हो सके, जिनसे राष्ट्रीय एकता की जड़ें काटने की प्रवृत्तियों की निन्दा हो ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) साम्प्रदायिक सद्-भाव के संदर्भ में राजनैतिक दलों के लिए आचरण संहिता तैयार करने के लिए समय-समय पर भिन्न-भिन्न मंचों पर विभिन्न सुझाव दिए गए हैं। राजनैतिक दलों के लिए नैतिक आचार संहिता का मसौदा तैयार किया गया था और नवम्बर, 1982 में साम्प्रदायिक और जाति सद्भाव, संबंधी समिति की तीसरी बैठक के समक्ष रखा गया था। मसौदा संहिता पर समिति के सभी सदस्यों से अभी टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

गढ़वाल में रेगिस्तान का बढ़ना

1786. **श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कानपुर से प्रकाशित दिनांक 12 दिसम्बर, 1983 के हिन्दी दैनिक 'जागरण' के पृष्ठ 7 पर कालम 6 में 'गढ़वाल में रेगिस्तान बढ़ रहा है' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुमाऊं और गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में नदियां सूख रही हैं और भूस्खलन भी हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो वहां भूस्खलन को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या 60 प्रतिशत क्षेत्र में पेड़ पौधे सुरक्षित रखना आवश्यक है, जो कि अब केवल 35 प्रतिशत रह गया है;

(ङ) यदि हां, तो 60 प्रतिशत क्षेत्र को पेड़-पौधों के लिए सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(च) यदि कोई उपाय किये जा रहे हैं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम

1787. **श्री सूरज भान** : क्या **गृह** मंत्री पिछड़ी जातियों की महिलाओं पर बलात्कार के

बारे में 21 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4648 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्होंने महिलाओं, विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य सरकारों को लिखे दिनांक 10 मार्च, 1980 के अर्ध-सरकारी पत्र में सावधानी अवरोधक, दण्डात्मक, पुनर्वास और कार्मिक नीति उपायों सम्बन्धी क्या-क्या मार्ग निदेश दिए हैं; और

(ख) प्रत्येक राज्य सरकार और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन ने इन तीन वर्षों की अवधि के दौरान उक्त मार्ग निदेशों के अनुसार क्या-क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों को रोकने के लिए किए जाने के लिए अपेक्षित ऐतिहाती, निवारक, दण्डात्मक, पुनर्वासात्मक और कार्मिक नीति उपायों को शामिल करके विस्तृत दिशा-निदेश राज्य सरकारों को केन्द्रीय गृह मंत्री के पत्र दिनांक 10.3.1980 में भेजे गए हैं। अपराधों से निपटने के लिए विस्तृत दिशा निदेश 19.3.1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1077 के उत्तर में सदन के पटल पर रखे गए थे।

उक्त दिशा निदेशों में बलात्कार के पीड़ितों द्वारा सहे गये मानसिक आघात को दृष्टि में रखते हुए उनके लिए विशेष प्रबन्ध करने की आवश्यकता की ओर राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया गया है।

(ख) दिशा निदेशों के अनुसरण में कई राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) भूमि और मजदूरी विवादों को हल करने और कारगर कब्जा तथा अनुसूचित जातियों की भूमियों में आपराधिक अधिक्रमण रोकने को सुनिश्चित करने के लिए तंत्र को तेज करना।

(2) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में शीघ्र विचारण को सुनिश्चित करने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

(3) हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बलात्कार समेत अपराधों के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पीड़ितों के लिए अनसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा सिफारिश की गई राहत क्षतिपूर्ति की मात्रा को स्वीकार कर लिया है। अन्य राज्यों ने क्षतिपूर्ति के अपनी दरें निर्धारित की हैं।

(4) अनुसूचित जातियों के प्रति अपराधों के मामलों को ही दर्ज करने के लिए बिहार में 11 थानें और मध्य प्रदेश में 7 उप-थाने स्थापित किए गए हैं।

(5) अधिकांश राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की देखभाल करने के लिए

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समितियां और उपमहानिरीक्षक के अधीन विशेष कक्ष गठित किये गये हैं।

(6) बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों ने अनुसूचित जातियों के प्रति अपराधों की दृष्टि से संवेदनशील जिलों के रूप में कुल 43 जिलों का पता लगाया है।

राजधानी में हत्याएं

1788. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में दिसम्बर, 1983 के महीने में बड़ी संख्या में हत्याएं हुई और राजधानी में हत्याओं का यह सिलसिला जनवरी, 1984 में भी चलता रहा;

(ख) यदि हां, तो क्या गृह मंत्री के इस आश्वासन के बावजूद कि अपराधों में कमी लाई जाएगी और दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इस बारे में अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त हो सके हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) क्या न केवल राजधानी में बल्कि देश के अन्य भागों में भी इस प्रकार की हत्याएं कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गिरोह सक्रिय है; और

(ङ) हत्याओं को कम करने और इन गिरोहों का पता लगाने के लिए किन कठोर उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वेंकटसुब्बय्या) : (क) दिसम्बर, 1982 में हत्या के 21 मामलों और जनवरी 1983 में ऐसे 11 मामलों की तुलना मे दिल्ली पुलिस को दिसम्बर, 1983 के महीने में हत्या के 20 मामले और जनवरी, 1984 के महीने में 19 मामले सूचित किए गए।

(ख) और (ग) हालांकि वर्ष 1983 में हत्या के मामलों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है फिर भी इनमें से अधिकांश मामलों को सुलझा लिया गया है और अपराधी पकड़ लिए गए हैं। कुल मिलाकर अपराध स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।

(घ) पुलिस के ध्यान में अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई है।

(ङ) पुलिस निगरानी कड़ी कर दी गई है और हत्याओं में अन्तर्ग्रस्त अपराधियों को पकड़ने के भरसक प्रयास किये जाते हैं।

उद्योगों को दिल्ली से बाहर ले जाना

1789. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली स्थित वर्तमान उद्योगों और नए उद्योगों को दिल्ली से बाहर ले जाने संबंधी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ग) दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अन्य क्या-क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण विभाग में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली मास्टर योजना के अन्तर्गत, असादृश उद्योगों को उपयुक्त औद्योगिक क्षेत्रों में पुनः स्थापित किया जाना है। यह योजना इस समय दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

(ग) दिल्ली में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों में वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों का उल्लेख थर्मल पावर स्थिर विद्युकी अवक्षेपकों के निष्पादन का सुधार, प्रदूषण नियंत्रण उपायों की स्थापना तथा यानीय यातायात उत्सर्जनों के नियंत्रण के लिए कार्यक्रम शामिल हैं। छोटे तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों द्वारा लगाए गए प्रदूषण उपशमन उपकरण की लागत में आर्थिक सहायता देने के लिए दिल्ली संघ शासित क्षेत्र की भी एक योजना है।

इंडो-जापान स्टील्स लिमिटेड द्वारा इस्पात कारखानों की स्थापना

1790. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडो-जापान स्टील्स-लिमिटेड द्वारा देश में कुछ इस्पात कारखाने स्थापित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन इस्पात संयंत्रों को किन स्थानों पर स्थापित किया गया है;

(ग) क्या उपर्युक्त इंडो-जापान स्टील्स लिमिटेड द्वारा देश में कुछ इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो नये इस्पात कारखानों को स्थापित करने के लिए चुने गये स्थानों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) जी हां। मैसर्स इंडो-जापान स्टील्स लि० की निम्नलिखित दो इकाइयां हैं :—

स्थान	उत्पादन
थाणे (महाराष्ट्र)	ठंडी बेलित पत्ती और चादरें।
बेलूरमठ (हावड़ा, पश्चिम बंगाल)	गर्म बेलित तथा ठंडी बेलित पत्ती और चादरें।

(ग) 31 दिसम्बर, 1983 को इस कम्पनी को पश्चिम बंगाल के किसी पिछड़े क्षेत्र में बेदाग इस्पात की पन्नियां तैयार करने के लिए एक आशय पत्र दिया गया है। नई इकाइयों के लिए कोई अन्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

शीशा बनाने वाले एककों का बन्द होना

1791. **श्री के० मालन्ना :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्लेट ग्लासवेयर पर अत्यधिक उत्पादन शुल्क लगाये जाने के कारण मांग में तीव्र मंदी आने से देश में लगभग 60 प्रतिशत शीशा निर्माणकर्ता एककों को अपना कार्य बन्द करने के लिए बाध्य होना पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री पट्टाभि राम राव): (क) जहां तक सरकार को मालूम है, फ्लैट ग्लासवेयर का उत्पादन करने वाला कोई भी एकक कांच निर्माण पर (फ्लैट ग्लासवेयर) अत्यधिक उत्पादन शुल्क लगाए जाने के कारण मांग में आई तीव्र मन्दी के फलस्वरूप बन्द नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दरभंगा तथा मधुबनी में उद्योगों की स्थापना

1792. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **उद्योग** मंत्री दरभंगा और मधुबनी में आयोजित औद्योगिक सेमिनार के बारे में 7 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2341 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेमिनार के 48 आवेदक अपने उद्योगों को स्थापित करने में सक्षम हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) पिछले तीन वर्ष के दौरान मधुबनी तथा दरभंगा के जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा कुल कितनी औद्योगिक इकाइयों को पंजीकृत किया गया है तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाओं सहित विशिष्ट बैंकों को इन इकाइयों को सम्मिलित करने की सिफारिश की गई है; और

(ङ) बैंक की किन शाखाओं ने इन इकाइयों को अभी तक वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की है तथा उनमें से कितनी इकाइयां अपने उद्योग प्रारम्भ करने में अभी तक सक्षम नहीं हो पाई है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) अभी तक कोई उद्योग भी शुरू नहीं किया गया है। 48 आवेदन-पत्रों पर की जा रही कार्रवाई की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :—

(1) गहन अभियान द्वारा प्राप्त मामले—48

(2) शर्तों पर स्वीकृत किए गए मामले—41

(3) ऐसे मामले जिनमें पेशगी रकम मांगी गई और उद्यमकर्त्ताओं से ब्यौरे की कमियों को पूरा करने/दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया—39

(4) ऐसे मामले जिनमें उद्यमकर्त्ताओं द्वारा पेशगी रकम का भुगतान किया गया था। परन्तु अपूर्ण ब्यौरा अभी पूरा किया जाना है/दस्तावेज अभी आने हैं—16

(घ) और (ङ) 1982-83 को समाप्त हुए पिछले 3 वर्षों के दौरान दरभंगा में 1199 लघु उद्योग एकक पंजीकृत किए गए हैं। बैंकों को ऋण के 260 आवेदन-पत्रों की सिफारिश की गई है और 112 आवेदन-पत्र (संलग्न विवरण के अनुसार) बैंकों के पास अनिर्णीत पड़े हुए हैं। मधुबनी जिले के संबंध में बिहार सरकार द्वारा सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान दरभंगा जिले के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित विभिन्न बैंकों को सिफारिश किए गए और अनिर्णीत ऋण प्रस्तावों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	सिफारिश किये गए शाखाओं का नाम	संख्या	अनिर्णीत संख्या
1	2	3	4
1.	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया		
	दरभंगा शाखा	21	3
	लहैरिया सराय शाखा	13	5
	हयाघाट शाखा	7	—
	बैनीपुर शाखा	—	—
	सिंहवाड़ा शाखा	3	1
	क्योटी	4	2
	युनिवर्सिटी कैम्पस	3	3
	बैंता चौक, लहेरिया सराय	1	1

1	2	3	4
2.	स्टेट बैंक ऑफ		
	दरभंगा शाखा	9	6
	लहेरिया सराय शाखा	14	2
	मेडिकल कैम्पस शाखा	1	—
	सिटी शाखा	3	2
	कैदराबाद शाखा	1	1
	शिवधारा शाखा	1	—
	कमतोल शाखा	8	2
	सकरी शाखा	5	3
	मणिगाच्छी शाखा	—	—
	बेनीपुर शाखा	11	11
	ए० डी० बी० बेनीपुर शाखा	3	2
	बिरौल शाखा	7	3
	घनश्यामपुर शाखा	—	—
3.	इलाहाबाद बैंक शाखा		
	दरभंगा शाखा	3	2
4.	केनरा बैंक, दरभंगा	4	3
5.	पंजाब नेशनल बैंक, दरभंगा	3	—
6.	पंजाब नेशनल बैंक, लहेरियासराय	4	—
7.	पंजाब नेशनल बैंक, नेहरा	9	3
8.	इंडियन बैंक, दरभंगा	12	3
9.	इंडियन बैंक, जैली शाखा	12	2
10.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, दरभंगा	4	1
11.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, भरवाड़ा	6	2
12.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, कुशेश्वर स्थान	1	—
13.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, बहेड़ी	9	5
14.	बैंक आफ इण्डिया, दरभंगा	5	3
15.	बैंक आफ बड़ौदा, दरभंगा शाखा	4	1
16.	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, बहादुरगढ़	3	—
17.	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, दरभंगा	1	—
18.	विजया बैंक, दरभंगा	1	1
19.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक :		
	लहेरियासराय शाखा	8	2
	रसायरी शाखा	3	1

1	2	3	4
	पतौर शाखा	—	—
	सिधौली शाखा	—	—
	बजीतपुर शाखा	4	1
	बहेड़ा शाखा	8	3
	मोहम्मदपुर शाखा	2	—
	मड़िया शाखा	2	2
	डोघरा शाखा	2	1
	पारी शाखा	1	—
	सोनकी शाखा	2	2
	रत्नपुर शाखा	1	1
	अलीनगर शाखा	2	2
	सिमरी शाखा	1	—
	छोटई पट्टी शाखा	3	1
	तरालाही शाखा	4	2
	राड़ी शाखा	1	1
	बिठौली शाखा	1	1
	कर्नापट्टी शाखा	1	—
	पुतई शाखा	2	2
	खिरमा-पठारा	2	2
	नवादा।	1	1
	मछेटा शाखा	1	1
	बड समाला शाखा	1	—
	जमालपुर	1	1
	बघंत शाखा	1	1
	हरीपुर	2	1
	बिरौल शाखा	1	1
	जयंतीपुर डाथ शाखा	1	1
	मोरो शाखा	1	1
	चनौर शाखा	1	1
	काली गांव शाखा	1	1
	जयदेवपट्टी शाखा	2	1
	जोड़	260	112

आठवीं सूची में भाषाओं को सम्मिलित करना

1793. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या गृह मंत्री आठवीं सूची में भाषाओं को सम्मिलित करने के बारे में 16 नवम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 450 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1981 की जनगणना के आधार पर बिहार में मैथिली, भोजपुरी संथाली, हिन्दी, उर्दू तथा मातृभाषा के रूप में अन्य भाषाओं अथवा दूसरी भाषाओं को जिले-वार बोलने वाले लोगों के आंकड़े एकत्रित कर लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समस्त देश में उपर्युक्त भाषाओं के आंकड़े क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) 1981 की जनगणना में असम जहां उस समय राज्य में व्याप्त दंगाग्रस्त स्थितियों के कारण 1981 की जनगणना नहीं की जा सकी थी, के अतिरिक्त सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से व्यक्तिगत पर्चों के प्रश्न 6 और 7 द्वारा व्यक्तियों के लिए क्रमशः "मातृ भाषा" और "दो अन्य ज्ञात भाषाओं" के संबंध में सूचना एकत्र की गई थी तथा परिवार अनुसूचित के भाग-1 की मद 5 द्वारा परिवारों के लिए "परिवार में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा" के संबंध में सूचना एकत्र की गई थी।

व्यक्तिगत पर्ची द्वारा एकत्र की गई इस सूचना को जिला स्तर पर सारणीबद्ध नहीं किया जाता जबकि परिवार अनुसूचित द्वारा एकत्र की गई सूचना को 1981 की जनगणना को सारणी योजना के अनुसार जिला स्तर पर सारणीबद्ध किया जाना है। इन आंकड़ों पर कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है।

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये उपाय

1794. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 मई 1983 या इसके आसपास प्रधान मंत्री द्वारा केन्द्रीय मंत्रियो, राज्य के मुख्य मंत्रियों तथा संघ शासित प्रदेशों के प्रशासकों को अल्पसंख्यकों, विशेषतः मुस्लिमों के बारे में सुझाये गये उपायों के बारे में जारी किये गये पत्र द्वारा सुझाये गये उपायों को क्रियान्वित करने के बारे में प्रत्येक तिमाही में विशेष रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और ये किनसे प्राप्त हुई हैं;

(ग) प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र द्वारा सुझाये गये उपायों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सुझाये गये उपायों की क्रियान्विति पर निगरानी रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में प्रधानमंत्री के सुझाव केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों को भेज दिये गये हैं। उन्होंने सुझाव नोट कर लिए हैं और उनके कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं।

केन्द्रीय मंत्रियों को सत्कार-भत्ता

1795. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय मंत्रियों के सत्कार भत्ते पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई और प्रत्येक मन्त्री पर अलग-अलग कितनी राशि व्यय की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : प्रत्येक मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्री द्वारा वित्त वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के लिए, लिए गये सत्कार भत्तों की कुल राशि, जैसा कि मंत्रिमण्डल कार्य के वेतन और लेखा अधिकारी द्वारा सूचित किया गया है, का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

प्रत्येक मन्त्रिमण्डल स्तर के मंत्री द्वारा ली गयी सत्कार भत्तों की कुल राशि का विवरण

क्रम सं०	मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्री का नाम	1980-81 रु०	1981-82 रु०	1982-83 रु०
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती इन्दिरा गांधी	6,000	6,000	6,000
2.	श्री प्रणव कुमार मुखर्जी	6,000	6,000	6,000
3.	श्री पी० वी० नरसिम्हा राव	6,000	6,000	6,000
4.	ज्ञानी जैल सिंह	6,000	6,000	1,500
5.	श्री आर० वेंकटरमन	6,000	6,000	6,000
6.	श्री सी० एम० स्टीफन	5,967.45	6,000	5,500
7.	श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी	6,000	6,000	6,000
8.	श्री एस० बी० चव्हाण	2,193.55	6,000	6,000
9.	श्री केदार पांडे (29-1-1983 तक)	4,643.30	6,000	5,467.75
10.	श्री वीरेन्द्र पाटिल	5,903.25	6,000	5,966.60
11.	श्री वसन्त साठे	6,000	6,000	5,966.65
12.	श्री पी० सी० सेठी	6,000	6,000	6,000

1	2	3	4	5
13.	श्री शिव शंकर	6,000	6,000	6,000
14.	श्री बी० शंकरानन्द	6,000	6,000	6,000
15.	श्री जगन्नाथ कौशल	—	774.19	6,000
16.	श्री ए० पी० शर्मा (14-2-83 अपराह्न तक)	6,000	6,000	5,750
17.	श्री वी० सी० शुक्ला	4,366.65 (9-6-80 से 28-2-81)	306.45 (1-3-81 से 19-3-81)	—
18.	श्री भीष्म नरायन सिंह	6,000	6,000	5,467.75 (14-2-1983 तक)
19.	राव बीरेन्द्र सिंह	6,000	6,000	6,000
20.	श्री एन० डी० तिवारी	4,366.65	6,000	6,000
21.	श्री कमलापति त्रिपाठी	4,000 (10/80 तक)	—	—
22.	श्री जे० बी० पटनायक (मार्च 1980 से 6-6-80 तक)	1,600	—	—
23.	श्री बूटा सिंह	—	—	532.25 (30-1-83 से 28-2-83 तक)
24.	श्री के० वी० भास्कर रेड्डी	—	—	482.15 (2-2-83 से 28-2-83 तक)
25.	श्री वी० प्रताप सिंह	—	—	516.14 (30-1-83 से 28-2-83 तक)

वन्य जीवन प्रबंध में प्रशिक्षित अधिकारी

1796. श्री दयाराम शाक्य : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) वन्य-जीवन प्रबन्ध में अब तक कितने अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है;

(ख) क्या वन्य-जीवन में प्रशिक्षित अधिकारियों की सेवाओं का राज्य सरकारों द्वारा उपयोग किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो राज्य सरकारों द्वारा प्रशिक्षित अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे अधिकारियों की उचित नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

खादी एवं ग्रामोद्योग के कर्मचारी क्वार्टरों को स्वामित्व के आधार वाले क्वार्टरों में बदलना

1797. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण और आवास मंत्रालय के पत्र संख्या 14024/77/एच दिनांक 9 फरवरी, 1978 के अनुसरण में महाराष्ट्र सरकार को, औद्योगिक श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए समेकित राज आर्थिक सहायता प्रदत्त आवास योजना के अन्तर्गत बनाए गए फ्लैटों/मकानों को इनके आवंटियों को बेचे जाने के सम्बन्ध में 5 अप्रैल, 1979 को एक संकल्प संख्या एच० एस० सी० 1/71/3279/(684) डेस्क 40 पारित करना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो क्या किराए के आधार पर इनमें रह रहे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को इन फ्लेटों को बेचने का, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का कोई प्रस्ताव रहा है;

(ग) इस सम्बन्ध में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग तथा भारत सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार ने सूती कपड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद के कर्मचारियों को, स्वामित्व के आधार पर इसके कर्मचारी क्वार्टरों का हस्तांतरण करने के सम्बन्ध में ऐसा ही निर्णय लिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) सूचना का संबंध महाराष्ट्र

राज्य सरकार से है और यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने आयोग द्वारा सरकारी राशि से महाराष्ट्र हाऊसिंग बोर्ड से स्टाफ क्वार्टर्स के रूप में प्रयोग के लिए खरीदे गये विभिन्न टाइप के मकानों को अपने कर्मचारियों को स्वामित्व के आधार पर अंतरित करने का अनुरोध किया था। सरकार आयोग के प्रस्ताव पर निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर सहमत नहीं हुई—

1. आवंटियों को स्वामित्व आधार पर स्टाफ क्वार्टरों का अंतरण करना आयोग के अन्य कर्मचारियों के हितों के प्रतिकूल होगा; तथा

2. आयोग के कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों पर लागू नियमों व विनियमों द्वारा पूर्णत: शासित होते हैं। चूंकि सरकार द्वारा स्वामित्व आधार पर अपने आवंटियों को उनके सेवानिवृत्ति के समय पर स्टाफ क्वार्टरों का अंतरण नहीं किया जाता है, अत: आयोग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस प्रकार का अंतरण करने का कोई आधार नहीं बनता है।

(घ) काटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक स्वायत्तशासी निकाय है, जिसे अर्थोपाय सम्बन्धी व्यय के लिए कोई अनुदान नहीं मिलता और सारा खर्चा अपने ही स्रोतों से किया जाता है। कौंसिल ने सूचित किया है कि जो भवन इसके कर्मचारियों के आवास हेतु खरीदे गए थे। वे उनमें रह रहे कर्मचारियों द्वारा गठित की गई सहकारी समितियों को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को दूर करने के लिए खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा सुझाया गया कार्यक्रम

1798. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र (खाद्य तथा कृषि संगठन) द्वारा किये गये अद्यतन अध्ययन के अनुसार विकासशील देशों के लगभग 70 करोड़ लोग पूर्णतया गरीबी में रहते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इनमें अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले हैं;

(ग) विकासशील तथा अधिक पीड़ित देशों की संख्या तथा नाम क्या हैं;

(घ) समस्या को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र (खाद्य तथा कृषि संगठन) द्वारा सुझाये गये ग्रामीण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत सरकार द्वारा इस संदर्भ में क्या कदम उठाये गये हैं?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन अध्ययन के नवम्बर, 1983 में रोम में हुए दिववार्षिक सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के अनुसार 1980 में विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 70 करोड़ लोग पूर्णतया गरीबी में रहते थे।

(ग) इस अध्ययन में 68 विकासशील देशों का समावेश किया गया है। इन देशों को 3 भागों में उप-विभाजित किया गया है, यथा, वे जहां गरीबों का प्रतिशत 50 से अधिक है, वे जहां 35 और 50 प्रतिशत के बीच हैं और वे जहां 35 प्रतिशत से कम हैं। प्रथम श्रेणी में 31 देश आते हैं जो सबसे अधिक प्रभावित कहे जा सकते हैं। ये देश हैं, बंगला देश, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल, पापुआ न्यु गिनिआ, सुडान, सीरिया, खादा, साइएरा लियोने, मालावाई, बेनिन, बोत्सवाना, बुल्दी, चांद, इथोपियन, धाना, केन्या, लेसोथो, नाइजीरिया, तंजानिया. सोमालिया, जेरे, जाम्बिया, बोलिविया, ब्राजील, इक्वैडर, हैती, होन्डूरास, जमैका, पेरु, सूरीनाम।

(घ) खाद्य तथा कृषि संगठन अध्ययन भूमि सुधार और ग्रामीण विकास से सम्बन्धित 1979 के विश्व सम्मेलन से ग्रामीण दशाओं में हुए परिवर्तनों की समीक्षा करने के लिए तैयार किया गया था। उक्त सम्मेलन में सदस्य देशों द्वारा पारित संकल्प द्वारा "भूमिहीन किसानों की बढ़ती हुई संख्या और छोटे खण्डित जोत-क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए भूमि धारण-अधिकार व्यवस्था और भूमि पोन में सुधार कार्य" पर विचार करने का आह्वान किया गया। सम्मेलन ने देशों से "कृषि, भूमि सुधार और ग्रामीण विकास के लिए संसाधनों के आबंटन में वृद्धि" और ग्रामीण गरीबों और विशेष वर्ग जैसे महिलाओं के लाभ के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया।

(ङ) इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं और सातवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी पर सीधा प्रहार करने वाले कई विशिष्ट कार्यक्रम शामिल किए गये हैं। इस सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं—एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण आदि। इसके अतिरिक्त 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य भी गरीबी दूर करना ही है। गरीबी दूर करने के उद्देश्य से अगस्त, 1983 से एक ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम भी आरम्भ किया गया है।

वर्ष 1983-84 के दौरान स्व-रोजगार कार्यक्रम का लक्ष्य

1799. **श्री मनमोहन टुडु**
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती
: क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष (1983-84) के दौरान 2,50,000 शिक्षित युवकों तथा महिलाओं को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था;

(ख) यदि हां, तो उन युवकों तथा महिलाओं की संख्या "राज्यवार" क्या है जिनको अब तक स्व-रोजगार उपलब्ध कराया गया है; और

(ग) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी नहीं।

(ख) 31 जनवरी, 1984 तक स्वतः रोजगार उद्यम चलाने के लिए जिन शिक्षित बेरोजगार युवकों को ऋण स्वीकृत किया जा चुका है, उनकी संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बैंकिंग विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, राज्य/संघशासित क्षेत्र की सरकारों तथा जिला उद्योग केन्द्रों के निकट सहयोग से हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

विवरण

स्वतः रोजगार की नई योजना के बारे में राज्य सरकारों/जिला उद्योग केन्द्रों से अलग-अलग 21-2-1984 तक प्राप्त सूचना के अनुसार, 31 जनवरी, 1984 तक की प्रगति

क्र० सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए आवेदनों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4279
2.	आसाम	1007
3.	बिहार	562
4.	गुजरात	485
5.	हरियाणा	475
6.	हिमाचल प्रदेश	111
7.	जम्मू और काश्मीर	—
8.	कर्नाटक	2553
9.	केरल	1390
10.	मध्य प्रदेश	1309

1	2	3
11.	महाराष्ट्र	901
12.	मणिपुर	—
13.	मेघालय	—
14.	नागालैण्ड	—
15.	उड़ीसा	300
16.	पंजाब	1887
17.	राजस्थान	1845
18.	सिक्किम	—
19.	तमिलनाडु	2079
20.	त्रिपुरा	—
21.	उत्तर प्रदेश	1977
22.	पश्चिम बंगाल	181
23.	अण्डमान नीकोबार और द्वीप समूह	—
24	अरुणाचल प्रदेश	—
25.	चण्डीगढ़	8
26.	दादरा और नागर हवेली	10
27.	गोआ दमन और दीव	—
28.	मिजोरम	—
29.	पाण्डिचेरी	75

वर्ष 1984-85 के दौरान कृषि के लिए अधिक धनराशि

1800. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1984-85 वार्षिक योजना के दौरान योजना आयोग की कृषि तथा सम्बन्ध कार्यों के लिए अधिक धनराशियां आवंटित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983-84 के दौरान किए गए कुल आवंटनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान इसमें कितनी वृद्धि हुई है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) वर्ष 1984-85 के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक योजना में कृषि और सम्बद्ध सेवाओं पर 1615.59 करोड़ रु० की परिकल्पना की गई है। यह वर्ष 1983-84 के 1236.19 करोड़ रु० के अनुमानित योजना परिव्यय से 30.69 प्रतिशत अधिक है।

कृषि और सम्बद्ध सेवाओं से सम्बन्धित राज्य क्षेत्रक परिव्यय के लिए इस शीर्ष के अंतर्गत प्रस्तावित कुल आवंटन 1984-85 के वार्षिक योजना दस्तावेज में दिखाया जायेगा जिसे अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात सभा पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा।

एमनेस्टी इन्टरनेशनल की नई दिल्ली स्थित भारतीय शाखा के माध्यम से विदेशी धन का आना

1801. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल की नई दिल्ली स्थित भारतीय शाखा का विदेशी धन को देश में लाने के माध्यम के रूप में उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखे हुए है;

(ग) क्या सरकार "एसोसियेशन आफ वोलन्टरी एजेंसीज फोर रूरल डेवलपमेंट तथा एमनेस्टी इंटरनेशनल" की भारतीय शाखा के बीच स्पष्ट संबंध की जांच कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) सरकार के पास इस समय इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

(ख) से (घ) 29-8-1981 को लोक सभा द्वारा पारित संकल्प के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा गठित कुदाल जांच आयोग, ए० वी० ए० आर० डी० सहित कुछ संस्थानों के उद्देश्यों और कार्यों के संदर्भ में, उनकी गतिविधियों, धन प्राप्त करने के स्रोत, और धन को उपयोग करने के तरीके और उसका दुरुपयोग यदि कोई हो, की जांच कर रहा है।

चलती गतिविधियों में डकैतियां तथा यात्रियों को लूटना

1802. **श्री एन० ई० होरो**
श्री अनन्त रामुल मल्लू } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों के दौरान चलती गाड़ियों में डकैतियों तथा यात्रियों को लूटने

के कितने मामले सरकार के ध्यान में आये हैं; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपराधों से सम्बन्धित कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी है। उपलब्ध सूचना के अनुसार अक्तूबर 1983 से जनवरी 1984 तक पिछले छः महीनों के दौरान डकैती की 49 घटनाएं और लूटपाट की 106 घटनाएं हुई। ऐसी घटनाओं के ब्यौरों के सम्बन्ध में अखिल भारतीय आधार पर आंकड़े संकलित नहीं किये जाते क्योंकि अपराध सहित कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है।

भारतीय भूमि पर बंगलादेश राष्ट्रिकों का कब्जा

1803. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगला देश राष्ट्रिकों द्वारा त्रिपुरा में कुछ भूमि पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की भूमि का कितना क्षेत्र बंगलादेश के कब्जे में है और यह क्षेत्र कितने समय से उनके कब्जे में है; और

(ग) सरकार द्वारा इसको खाली कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) किसी बंगलादेश राष्ट्रिक द्वारा भूमि पर जबरदस्ती कब्जे के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

औरंगाबाद स्थित कारखाने से रबड़ से बने गर्भ निरोधकों की खरीद

1804. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ से बने गर्भ निरोधक तैयार करने का एक आधुनिक कारखाना महाराष्ट्र में औरंगाबाद के मध्यवर्ती पिछड़े जिले में खोला गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कारखाने द्वारा तैयार किये गये गर्भ निरोधकों की गुणवत्ता केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के उच्चतम स्तर की पाई गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त कारखाने अपने उत्पादों को बहुत ही प्रतियोगी मूल्य पर दे रही है और फिर भी कुछ तकनीकी कारणों की वजह से परिवार नियोजन विभाग के खरीद कार्यक्रम में उसको उचित हिस्सा प्राप्त नहीं हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार का नवस्थापित कारखाने की उत्पादन सुविधाओं को किस प्रकार लाभ उठाने का विचार है, जबकि देश की रबड़ से बने गर्भ निरोधकों की मांग बढ़ रही है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किए गए नमूनों की जांच रिपोर्ट आपूर्ति मंत्रालय से आनी है।

(ग) और (घ) कम्पनी द्वारा आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय को उद्धृत की गई दरें काफी प्रतिस्पर्द्धात्मक बताई जाती हैं। चूंकि यह कम्पनी औषधियों सम्बन्धी उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा निर्धारित :

1. डी० जी० एस० एंड० डी०/एन० एस० आई० सी० के अधीन पंजीकरण, और

2. विनिर्माण और विपणन का दो वर्षों के अनुभव के मानकों को पूरा नहीं करती थी इसलिए प्रारम्भ में इसे कोई क्रयादेश नहीं किए गए थे। तथापि, नवम्बर, 1983 में इस कम्पनी के सम्बन्ध में इन शर्तों में ढील दे दी गई थी। इसलिए इस कम्पनी को 31-1-84 को आजमाइशी तौर पर पंजीकृत किया गया है और डी० जी० एस० एंड डी० द्वारा इसे जार में पैक किए 100 लाख निरोधों का आर्डर दिया गया है। डी० जी० एस० एंड डी० द्वारा और क्रयादेश दिया जाना वर्तमान क्रयादेश के प्रति कम्पनी के कार्य निष्पादन, भावी आवश्यकताओं, उत्पाद की दरों और किस्म दथा सरकारी क्षेत्र एकक के उत्पादन पर निर्भर करेगा।

अनुभाग अधिकारियों की अवर सचिव के ग्रेड में पदोन्नति

1805. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मन्त्री अनुभाग अधिकारियों की अवर सचिव के ग्रेड में पदोन्नति के बारे में 6 अप्रैल, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5979 के भाग (क) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड-1 की चयन सूची में वर्ष 1981 में सम्मिलित किये गये कथित कनिष्ठतम अधिकारी को सहायक के रूप में कब नियुक्त किया गया था ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 की 1981 की प्रवर सूची में सम्मिलित किए गए कथित कनिष्ठतम अधिकारी को पहली मई, 1956 से सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था।

दिल्ली छावनी में अनधिकृत निर्माणों को गिराने के विरुद्ध दिल्ली न्यायालय में विचाराधीन स्थगन आदेश

1806. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा पूर्ति आयुक्त दिल्ली के आदेशों के विरुद्ध, दिल्ली उच्च न्यायालय तथा दिल्ली छावनी में अनाधिकृत निर्माणों को गिराने के विरुद्ध दिल्ली के दीवानी न्यायालयों में कितने स्थगन आदेश के मामले विचाराधीन है; और

(ख) इस मामलों पर निर्णय लेने अथवा उन्हें शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति आयुक्त के आदेशों के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय अथवा दीवानी अदालतों में दिल्ली छावनी में अनाधिकृत निर्माण गिराने से सम्बन्धित स्थगन आदेश का कोई मामला लम्बित नहीं है। दिल्ली छावनी बोर्ड ने सूचित किया है कि दुकान नं० 1/116, सदर बाजार दिल्ली छावनी में बटवारे की एक दीवार गिराने के सम्बन्ध में दीवानी अदालतों में स्थगन आदेश का केवल एक मामला लम्बित है।

(ख) दिल्ली छावनी बोर्ड ने सूचित किया है कि उपर्युक्त मामले के सम्बन्ध में स्थगन आदेश रद्द करने के लिए सुनवाई की अगली तारीख 19-3-84 निर्धारित की गई है।

दिल्ली तथा पंजाब में डकैतियां

1807. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले चार महीनों के दौरान दिल्ली तथा पंजाब में अनेक डकैतियां डाली गई तथा सशस्त्र डकैतियां डालने के अनेक प्रयास किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की डकैतियों की संख्या कितनी है तथा वे किन-किन स्थानों पर डाली गई तथा इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) डकैतियों में लूटी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) पिछले 4 महीनों अर्थात् अक्तूबर, 1983 में जनवरी, 1984 के दौरान पंजाब में डकैती के 6 मामले सूचित किए गए। इस अवधि के दौरान, दिल्ली में डकैती की 4 घटनाएं और डकैती के प्रयास की 2 घटनाएं हुई हैं।

(ख) पंजाब में डकैती के 6 मामले, (1) बटाला, जिला गुरुदासपुर (2) अमृतसर (3) और (4) बादली और शम्भुक्लान जिला पटियाला (5) बबर, जिला मंगरूर और (6) मुक्तसर, जिला फरीदकोट, हुए हैं। इन मामलों के सम्बन्ध में 8 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं।

दिल्ली में डकैती की 4 घटनाएं, करोलबाग, सीलमपुर, लाजपतनगर और सर्वोदय इन्कलेव

में हुई । हैं डकैती के प्रयास के दो मामले शालीमार बाग और अन्तर्राज्जीय बस टर्मिनल में हुए । डकैती के दो मामलों में 11 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और डकैती के प्रयास में 9 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए ।

(ग) पंजाब में डकैतियों के मामलों में कुल 1,98.886.68 रु० की राशि लूटी गयी। दिल्ली में डकैती के मामलों में कुल 13.81,758 और 400 ग्राम वजन का एक सोने का हार लूटा गया ।

दिल्ली में लाटरी की टिकटें सप्लाई करने वाली एजेंसियां

1808. **श्री एन० ई० होरो :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय लाटरी की टिकटें सप्लाई करने वाली एजेंसियों के नाम क्या हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य की लाटरी टिकटों से वर्षवार कितना शुद्ध लाभ हुआ ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) कई राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा आयोजित राज्य लाटरियों के टिकिट दिल्ली में बेचे जा रहे हैं। दिल्ली में विभिन्न राज्य लाटरियों के टिकट सप्लाई करने वाले एजेंट या तो सम्बन्धित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्वयं नियुक्त किए जाते हैं या उनके द्वारा नियुक्त निजी आयोजक एजेंटों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं । भारत सरकार ऐसे एजेंटों की कोई सूची नहीं रखती है ।

(ख) सूचना का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शुद्ध लाभ		
		1980-81	1981-82	1982-83
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	32.85 लाख	58.23 लाख	38.91 लाख
2.	असम	—	—	16,38,000
3.	बिहार	फिलहाल कोई राज्य लाटरी नहीं चलाई जा रही है		

1	2	3	4	5
4.	गुजरात	—	32,21,298	1,07,65,327
5.	हरियाणा	2.80 लाख	23.91 लाख	103.94 लाख
6.	हिमाचल प्रदेश	9.90 लाख	1·64 लाख	45.33 लाख
7.	जम्मू और कश्मीर	कोई राज्य लाटरी नहीं चलाई जा रही है।		
8.	कर्नाटक	186.00 लाख	206.00 लाख	238.00 लाख
9.	केरल	1,26,41,829	1,47,48,054	1,90,79,230
10.	मध्य प्रदेश	82.00 लाख	96.00 लाख	72.82 लाख
11.	महाराष्ट्र	435.71 लाख	587.55 लाख	599.77 लाख
12.	मणिपुर	41,667	5.00 लाख	5,56,667
13.	मेघालय	राज्य लाटरी 31.7.82 से शुरू की गई थी		15,16,000
14.	नागालैंड	12 लाख	12 लाख	20 लाख
15.	उड़ीसा	राज्य लाटरी निलम्बित है।		
16.	पंजाब	0.02 लाख (हानि)	19.62 लाख	103.96 लाख
17.	राजस्थान	70.56 लाख	115.54 लाख	74,30 लाख
18.	सिक्किम	6.30 लाख	8.00 लाख	14.12 लाख
19.	तमिलनाडु	242 लाख	315 लाख	205 लाख
20.	त्रिपुरा	————	65 लाख (लगभग)	————
21.	उत्तर प्रदेश	1000000	16150000	30200680.59
22.	पश्चिम बंगाल	192.15 लाख	138.87 लाख	59.65 लाख
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	कोई राज्य लाटरी नहीं चलाई जा रही है।		
24.	अरुणाचल प्रदेश	कोई राज्य लाटरी नहीं चलाई जा रही है।		

1	2	3	4	5
25.	चण्डीगढ़	कोई राज्य लाटरी नहीं चलाई जा रही है किन्तु भारतीय रेड क्रास सोसाइटी की चण्डीगढ़ शाखा द्वारा एक लाटरी चलाई जा रही है ।		
26.	दादरा और नगर हवेली	कोई राज्य लाटरी नहीं चलाई जा रही है ।		
27.	दिल्ली	91.30 लाख	120.75 लाख	149.41 लाख
28.	गोआ, दमण और दीव	कोई राज्य लाटरी नहीं चलाई जा रही है किन्तु प्रोवेदोरिया नामक एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय द्वारा एक लाटरी चलाई जा रही है ।		
29.	लक्षद्वीप	कोई राज्य लाटरी नहीं चलाई जा रही है ।		
30.	मिजोरम	कोई राज्य लाटरी नहीं चलाई जा रही है ।		
31.	पाण्डिचेरी	कोई राज्य लाटरी नहीं चलाई जा रही है । किन्तु चौरिटेबल इंडोमेंट के ट्रेजरार द्वारा एक लाटरी चलाई जा रही है ।		

छठी योजना में विभिन्न राज्यों द्वारा व्यय

1809. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों ने छठी योजना में अब तक कुल कितना व्यय किया है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई, और भारतीय जीवन बीमा निगम और खुले बाजार से कितना ऋण लिया गया है;

(ग) इस सम्बन्ध में राज्यों का अपना अंशदान कितना था;

(घ) उक्त योजना के वित्त पोषण के लिए राज्यों ने किन-किन स्रोतों से धनराशि जुटाई;

(ङ) क्या सरकार ने राज्यों को उनके द्वारा रिजर्व बैंक से ली गई जमा से अधिक राशि का भुगतान करने के लिए ऋण दिए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ङ) जी, हां।

(च) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

छठी योजना के पहले चार वर्षों में योजना व्यय, केन्द्रीय सहायता, जीवन बीमा निगम तथा खुले बाजार से ऋण, अतिरिक्त संसाधन जुटाना और राज्य का अपना अंशदान (जोड़)

(करोड़ रु०)

क्र० सं०		योजना[1] व्यय	केन्द्रीय[2] सहायता	जीवन[3] बीमा निगम से ऋण	खुले बाजार[3] से ऋण	अतिरिक्त संसाधन जुटाना	राज्य का[4] अपना कुल अंशदान
1	2	3	4	5	6	7	8
1. विशेष श्रेणी राज्य							
	1. असम	920.56	851.57	20.71	107.20	123.15	—89.31
	2. हिमाचल प्रदेश	484.41	342.80	8.35	30.51	51.50	93.34
	3. जम्मू और कश्मीर	674.06	796.89	16.29	54.23	94.46	—122.83
	4. मणिपुर	179.06	208.43	2.89	12.74	5.02	—113.24
	5. मेघालय	184.10	184.58	14.88	19.03	18.96	—21.44
	6. नागालैंड	165.97	207.66	3.29	16.92	16.32	—82.59
	7. सिक्किम	98.61	104.04	0.48	1.30	2.59	—5.43
	8. त्रिपुरा	202.03	184.48	4.69	14.65	2.63	—18.30
	जोड़-1	2908.80	2880.44	71.58	256.58	314.63	—359.79

1	2	3	4	5	6	7	8
2. अन्य राज्य							
1.	आंध्र प्रदेश	2378.10	761.32	63.47	234.56	450.75	1597.83
2.	बिहार	2314.50	1074.77	50.60	333.24	751.36	806.98
3.	गुजरात	2930 87	464 94	97.29	190.85	836.46	2391.33
4.	हरियाणा	1281.65	201.40	56.03	90.29	247.71	952.59
5.	कर्नाटक	1938.20	410.93	70.53	174.45	519.11	1443.36
6.	केरल	1218.84	372.41	57.20	153.18	205.56	751.02
7.	मध्य प्रदेश	2811.09	801.28	67.68	239.61	735.90	1790.48
8.	महाराष्ट्र	4874.61	776.73	123.93	261.94	1115.52	4016.48
9.	उड़ीसा	1175.22	585.15	55.01	143.12	279.52	509.68
10.	पंजाब	1470.60	260.35	52.64	77.13	415.86	1126.89
11.	राजस्थान	1406.35	543.84	66 42	227.81	520.49	552.98
12.	तमिलनाडु	2637.21	554.51	92.42	201.80	905.54	2062.25
13.	उत्तरप्रदेश	4652.12	1618.67	218.8	495.26	921.90	2946.60
14.	पश्चिम बंगाल	1914.08	714.67	80.64	317.54	447.48	776.19
	जोड़-2	33003.44	9140.97	1152.70	3140.78	8353.06	21724.66
जोड़ (1+2)		35912.24	12021.41	1224.28	3397.36	8667.69	21364.87

1. पहले दो वर्षों के लिए वास्तविक, 1982-83 के लिए वास्तविक प्रारम्भिक वास्तविक और 1983-84 के लिए आवंटन[3] अनुमान वर्ष 1983-84 के लिए योजना परिव्यय के सम्बन्ध में आंकड़े अनुमोदित परिव्ययों से संबंधित हैं।

2. पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता शामिल नहीं हैं। कुछ राज्यों के लिए आंकड़ों में 10 करोड़ रु० की आर० ई० सी० सहायता शामिल है क्योंकि इस रकम का राज्यवार वितरण उपलब्ध नहीं है।

विवरण-II

1981-82 के अन्त में भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपने घाटे को समाप्त करने के लिए राज्यों को दिए गए आवधिक ऋण

		(करोड़ रु०)
1.	आंध्र प्रदेश	18.95
2.	असम	127.43
3.	बिहार	197.39
4.	गुजरात	74.60
5.	हरियाणा	75.79
6.	हिमाचल प्रदेश	36.91
7.	केरल	93.93
8.	मध्य प्रदेश	154.88
9.	महाराष्ट्र	81.40
10.	मणिपुर	66.29
11.	मेघालय	16.41
12.	नागालैंड	21.96
13.	उड़ीसा	24.43
14.	पंजाब	97.35
15.	राजस्थान	283.46
16.	त्रिपुरा	30.72
17.	उत्तर प्रदेश	0.85
18.	पश्चिम बंगाल	340.71
	जोड़	1743.46

3. सामान्य बीमा निगम (सी० आई० सी०) ऋण शामिल हैं क्योंकि जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम के ऋणों का वितरण सुलभ नहीं है। 1983-84 के लिए लेखे में शामिल आंकड़े मूल आवंटनों से सम्बन्धित है। बाद में ये आवंटन कम कर दिए गए और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बिल पर पुनः डिस्काउंट देने की स्कीम के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशियों का उपयोग करके व्यवहार्य सीमा तक कमी को पूरा करने के लिए राज्यों से अनुरोध किया गया था।

4. जीवन बीमा निगम से ऋण, खुले बाजार से ऋण और अतिरिक्त संसाधन जुटाना शामिल है। योजना व्यय तथा कुल केन्द्रीय सहायता के बीच अन्तर और राज्य का अपना अंशदान भारतीय रिजर्व बैंक के पास घाटे को बताता है।

विभिन्न देशों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि

1810. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की नवीनतम विश्व श्रम रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या विश्व की समग्र रूप से लेते हुए 1960 से 1980 तक 20 वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति आय 65 प्रतिशत बढ़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि के दौरान भारत, चीन, जापान, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, अमरीका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस की प्रतिव्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई है और उक्त अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक के मूल्य सूचकांकों में कितनी वृद्धि हुई है ?

योजना मन्त्री (एस० बी० चव्हाण) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की नवीनतम विश्व श्रम रिपोर्ट में 111 देशों (चीन को छोड़ कर) के विषय में वर्ष 1960-80 के दौरान 2.8 प्रतिशत के रूप में प्रति व्यक्ति आय की माध्यमिक विकास दर दी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 20 वर्षों की अवधि में उक्त दर के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति आय में 65 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी गई है।

(ख) रिपोर्ट में दी गई सूचना निम्न प्रकार है। चीन के विषय में इस प्रकार की सूचना इस रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है। इस अवधि के दौरान इन देशों के मूल्य सूचकांक में वृद्धि का संकेत भी इस रिपोर्ट में नहीं दिया गया है :

देश	प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद औसत वार्षिक वृद्धि, 1960-80 (प्रतिशत)
भारत	1.4
जापान	7.1
पाकिस्तान	2.8
बर्मा	1.2
श्री लंका	2.4
सं० रा० अमेरिका	2.3
सोवियत रूस	4.0*
युनाइटेड किंगडम	2.2
फ्रांस	3.9

(टिप्पणी : * 1960-80 की अपेक्षा न्यूनतम अवधि के लिए दर गणना की गई है)

नारियल जटा का समाप्त होता जा रहा उद्योग

1811. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा उद्योग की सहायता करने के लिए गत दो दशकों से सभी राज्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद केरल के तटवर्ती घनी आबादी वाले क्षेत्र के लगभग पांच लाख लोगों को जीविका देने वाला यह पारस्परिक उद्योग समाप्त होता जा रहा है ;

(ख) क्या नारियल के छिलकों की कमी होना, देश के बाहर और भीतर नारियल जटा उत्पादों की मांग कम होना और उत्पादन लागत में वृद्धि होना इस उद्योग की परेशानियों के कुछ मुख्य कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) (i) सिंथेटिक प्रतिस्थापकों से प्रतियोगिता और पश्चिमी यूरोप में मंदी के कारण निर्यात में कमी होने तथा (ii) केरल में पिछले वर्ष के सूखे से हस्क की कमी हो जाने की वजह से कयर उद्योग इस समय कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है ।

पानी में भिगोकर मुलायम करने (रेटिंग) के लिए अधिक मात्रा में हस्क उपलब्ध करवाने हेतु उपाय सोचे जा रहे हैं जिससे कि उद्योग को कच्चा माल निरन्तर मिलता रहे ।

ग्राहकों को ऊंची कीमत न खले इसके लिए उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने के उपाय किये जा रहे हैं ।

कयर और कयर उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं । देश में बाजार सर्वेक्षण करने और बाजार से सूचनाएं एकत्र करने के लिए कयर बोर्ड में एक अलग प्रकोष्ठ कार्यरत है । देशी बाजार का पूर्णतया विदोहन किया जा रहा है और आन्तरिक बिक्री में वृद्धि हुई है जैसा कि देश के विभिन्न भागों में कयर बोर्ड के शोरूमों और बिक्री डिपुओं के पण्यावर्त से स्पष्ट है जो 1980-81 में 116 लाख रुपए से बढ़कर 1981-82 में 145 लाख रुपए और 1982-83 में 181 लाख रुपए तक पहुंच गया था ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ग्रामीण विकास के लिए परिव्यय

1812. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान

ग्रामीण विकास पर 5,000 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम के बढ़ाए जाने की स्थिति में उक्त परिव्यय की राशि को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष प्रत्येक ब्लाक में 600 परिवारों को सहायता दे रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में छठी योजना अवधि का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो गया है; और

(ङ) क्या योजना आयोग अभी भी धनराशि की मात्रा पर विचार कर रहा है जिसे सातवीं योजना अवधि के दौरान इन कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध किया जा सकता है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए परिव्यय अभी तक निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 1980-83 की अवधि के दौरान 9 मिलियन लक्षित परिवारों में से 8.90 मिलियन परिवारों को सहायता दी गई है। इस प्रकार पहले तीन वर्षों के लिए लक्ष्य लगभग पूरी तरह से प्राप्त हो गए हैं।

(ङ) जी, हां।

स्व-नियोजन योजना

1813. **श्री माधव राव सिन्धिया**
श्री मूलचन्द डागा
श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री के० ए० राजन
: क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 15 अगस्त, 1983 को प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रम के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण और निगरानी का कार्य अपने पास ही रखा है;

(ख) यदि हां, तो यह पर्यवेक्षण और निगरानी किस प्रकार और किस संगठन के माध्यम से किए जा रहे हैं; और

(ग) बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य-वार/केन्द्र

शासित प्रदेश-वार अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय स्तर पर विकास आयुक्त, लघु उद्योग, उद्योग मन्त्रालय को योजना पर्यवेक्षण और मानिटरी का कार्य सौंपा गया है। राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को अपने स्तर पर पर्यवेक्षण और मानिटरी करना होता है। जहां तक बैंकों का सम्बन्ध है, बैंकिंग विभाग भारतीय रिजर्व बैंक-के परामर्श से योजना का पर्यवेक्षण और मॉनिटरी करता है। जिला उद्योग केन्द्रों/राज्य सरकारों से प्रगति की रिपोर्ट नियमित रूप से प्राप्त हो रही हैं और राज्य तथा क्षेत्रीय स्तरों पर संवीक्षा करने के लिए बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(ग) योजना की 31 जनवरी, 1984 तक की राज्यवार/संघशासित क्षेत्रवार प्रगति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

स्वत: रोजगार की नई योजना के बारे में राज्य सरकारों/अलग-अलग जिला उद्योग केन्द्रों से 21.2.1984 तक प्राप्त सूचना के अनुसार 31 जनवरी, 1984 तक की प्रगति।

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	जिला उद्योग केन्द्रों की कुल संख्या	सूचना देने वाले जिला उद्योग केन्द्रों की संख्या	राज्य/संघशासित क्षेत्र के लिए के लिए निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त आवेदनों की संख्या	छानबीन के बाद बैंकों को संस्तुत आवेदनों की संख्या		
						संख्या	संस्तुत आवेदनों (कालम 7 कालम 6) का प्रतिशत	राशि (लाख रु० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	22	22	20000	98267	14630	14.89	2967.00
2.	आसाम	10	6	6700	13720	4435	32.32	उपलब्ध नहीं
3.	बिहार	33	33	29000	104941	11704	11.15	2135.33
4.	गुजरात	17	15	11200	11957	2302	19.25	321.14
5.	हरियाणा	12	12	5300	11330	2937	25.92	502.68
6.	हिमाचल प्रदेश	12	12	2000	8546	3505	41.01	626.48
7.	जम्मू और काश्मीर	14	14	1800	1458	70	4.80	1.75
8.	कर्नाटक	19	19	12100	67210	13421	19.97	1198.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	केरल	12	12	15100	56457	8970	15.89	1384.73
10.	मध्य प्रदेश	45	45	17500	52797	20969	39.72	3590.20
11.	महाराष्ट्र	29	29	20800	16418	10918	66.50	1818.76
12.	मणिपुर	6	6	1000	793	258	32.53	—
13.	मेघालय	5	2	400	331	18	5.44	4.50
14.	नागालैंड	7	4	250	21	13	61.90	2.51
15.	उड़ीसा	13	13	8600	24600	3923	15.95	725.07
16.	पंजाब	12	12	6700	23398	8082	34.54	1573.00
17.	राजस्थान	26	26	10000	74821	14056	18.79	1979.14
18.	सिक्किम	1	1	100	—	—	—	—
19.	तमिलनाडु	14	14	17500	105485	10988	10.42	1647.22
20.	त्रिपुरा	3	2	900	1182	117	9.90	48.70
21.	उत्तर प्रदेश	56	42	36000	105233	22778	21.65	4067.35
22.	पश्चिम बंगाल	15	15	25500	107852	9207	8.54	1912.00
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1	100	97	45	46.39	8.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	अरूणाचल प्रदेश	5	1	200	9	—	—	—
25.	चण्डीगढ़	1	1	500	272	75	27.57	12.82
26.	दादरा और नागर हवेली	1	1	100	52	46	88.46	10.02
27.	गोवा, दमन और दीव	1	—	—	—	—	—	—
28.	मिज़ोरम	2	—	200	—	—	—	—
29.	पाण्डिचेरी	1	1	450	2000	180	9.00	उपलब्ध नहीं
		395	361	200000	883247	163647	18.40	26538.35

विवरण—(जारी)

स्वतः रोजगार की नई योजना के बारे में राज्य सरकारों/अलग-अलग जिला उद्योग केन्द्रों से 21.2.1984 तक प्राप्त सूचना के अनुसार 31 जनवरी, 1984 तक की प्रगति

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदनों की संख्या		
		संख्या	स्वीकृत किए गए आवेदनों (कालम 10) (कालम 7) का प्रतिशत	राशि (लाख रुपयों में)
1	2	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	4279	29 25	847.00
2.	आसाम	1007	22.70	194.21
3.	बिहार	562	4.80	107.50
4.	गुजरात	485	21.07	122.83
5.	हरियाणा	475	16.17	58.86
6.	हिमाचल प्रदेश	111	3.17	21.17
7.	जम्मू और काश्मीर	—	—	—

1	2	10	11	12
8.	कर्नाटक	2553	19.02	360.00
9.	केरल	1390	15.50	237.17
10.	मध्य प्रदेश	1309	6.24	224.17
11.	महाराष्ट्र	901	8.25	113.11
12.	मणिपुर	—	—	—
13.	मेघालय	—	—	—
14.	नागालैंड	—	—	—
15.	उड़ीसा	300	7.65	59.06
16.	पंजाब	1887	23.35	361.75
17.	राजस्थान	1845	13.13	296.20
18.	सिक्किम	—	—	—
19.	तमिलनाडु	2079	18.92	318.98
20.	त्रिपुरा	—	—	—
21.	उत्तर प्रदेश	1977	8.68	290.94
22.	पश्चिम बंगाल	181	1.97	32.00
23.	अण्डमान और निकाबार द्वीप समूह	—	—	—
24.	अरूणाचल प्रदेश		—	—

1	2	10	11	12
25.	चण्डीगढ़	8	10.67	1.25
26.	दादरा और नागर हवेली	10	21.74	2.45
27.	गोवा, दमन और दीव	—	—	—
28.	मिजोरम	—	—	—
29.	पाण्डिचेरी	75	41.67	8.20
	कुल जोड़	21434	13.10	3656.86

बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

1814. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए निर्धारित लक्ष्य की अब तक केवल 25 प्रतिशत की ही प्राप्ति हो सकी है;

(ख) यदि हां, तो देश में बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को लक्ष्य की कितनी प्राप्ति हुई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार बीस सूत्री कार्यक्रम के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य सरकारों पर दबाव डालने का है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वर्ष 1982-83 और 1983-84 (जनवरी, 84 तक) के दौरान राज्यों के लक्ष्यों और उपलब्धियों को दिखानें वाला विवरण संलग्न है ।

(घ) जी, हां ।

विवरण

सूत्र संख्या 6—बंधुआ मजदूर—लक्ष्य और उपलब्धि—

	1982-83			1983-84		
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	जनवरी,84 तक उपलब्धि का प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	5600	1820	32.5	1590	918	57.7
बिहार	4958	4036	81.4	2872	1891	65.8
कर्नाटक	12154	12311	101.3	10000	2017	20.2
बिहार	720	72	10.0	292	50	17.1
मध्य प्रदेश	135	264	105.5	250	171	68.4
उड़ीसा	7500	12841	171.2	7500	3733	49.8
राजस्थान	200	114	57.0	—	—	—
तमिलनाडु	312	312	100.0	1300	2069	159.2
उत्तर प्रदेश	4249	1440	100.0	5000	262	5.2
जोड़.	35828	36019	100.5	28804	11111	38.6

बिहार के पिपरिया गांव में लड़कों का मारा जाना

1815 श्री राम विलास पासवान
श्री के० लकप्पा
श्री जयपाल सिंह कश्यप
श्री जगपाल सिंह
: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मुंगेर जिले में पिपरिया गांव में दिनांक 4 जनवरी, 1984 को एक सम्प्रदाय के 11 लड़कों को दूसरे सम्प्रदाय के लोगों द्वारा मार दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस घटना की जांच इस बीच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से इस घटना की रिपोर्ट भेजने को कहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा विचार किया गया है?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) बिहार सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार कुछ व्यक्ति अधिकांशतः गांव पिपरिया के यादव 4.1.84 को प्रातः लगभग 11 बजे पशुओं का चारा इकट्ठा करने के लिए दिआरा की ओर गये थे। लगभग 50-60 अपराधी अचानक बस्ती से निकल कर आ गये और उन्हें आग्नेयस्त्रों और अन्य घातक हथियारों से घेर लिया और 14 युवकों को खुटहाडीह की ओर जबरदस्ती ले गये। उनमें से तीन बचकर निकल गए। भा० द० सं० की धारा 147/148/307/364/341/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अधीन थाना बहरयिया में एक मामला सं० 5/84 तारीख 5.1.84 दर्ज किया गया और अपहृत व्यक्तियों पर पता लगाने और प्र० सू० रि० में दिए गये अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए छानबीन की तेज कार्रवाई शुरू की गई। गुम बच्चों का पता नहीं लग सका। आशंका है कि अपराधियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है। यह घटना अपराधियों के दो वर्गों के बीच लम्बे समय से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता का परिणाम है। उपलब्ध सूचना के अनुसार 44 अभियुक्त व्यक्तियों में से 25 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। प्रभावित क्षेत्र में ही बी० एम० पी० की तीन कम्पनियां तैनात की गई हैं ताकि ऐसी दुखान्त घटना की पुनरावृत्ति न हो। राज्य सरकार से बिस्तृत रिपोर्ट भेजने और दीर्घकालीन उपाय करने का अनुरोध किया गया है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे और भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर न हों।

मन्त्रालयों/विभागों में सफाई कर्मचारी को स्वास्थ्य रक्षक के रूप में पदनामित करना

1816. **श्री राम विलास पासवान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि भारत सरकार के मन्त्रालयों विभागों में सफाई कर्मचारियों को स्वास्थ्य रक्षक के रूप में पदनामित किया जाए; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। यह महसूस किया गया है कि विद्यमान पदनाम ऐसे पदों से जुड़े हुए कार्यों का सही-सही वर्णन करता है।

त्रिपुरा में उग्रवादियों के सशस्त्र गिरोह द्वारा सीमा सुरक्षा बल पर घात लगा कर हमला

1817. **श्री राम विलास पासवान**
श्री सतीश अग्रवाल : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 3 फरवरी, 1984 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित प्रेस रिपोर्ट पर ध्यान दिया है कि त्रिपुरा में पुथी नागमत्तुथुम में सीमा सुरक्षा बल की एक टुकड़ी पर उग्रवादियों के एक सशस्त्र गिरोह द्वारा घात लगा कर हमला किए जाने से एक असिस्टेंट कमांडेंट सहित पांच व्यक्ति मारे गए और अन्य घायल हो गए;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) सरकार ने 4 फरवरी, 1984 के इण्डियन एक्सप्रेस में त्रिपुरा के उग्रवादियों द्वारा सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों की हत्या करने के सम्बन्ध में 3 फरवरी का एक समाचार देखा है।

(ख) और (ग) पहली फरवरी, 1984 को सीमा सुरक्षाबल के एक सहायक कमांडेंट और 3 अन्य अधिकारी तथा एक असैनिक कुली, त्रिपुरा में चमनु के निकट लम्बी दूरी की गश्त से लौटते समय उग्रवादियों द्वारा घात लगाकर मारे गये थे। क्षेत्र में कार्यरत उग्रवादियों को पकड़ने के लिए खोज कार्रवाई शुरू की गई हैं और सुरक्षा उपायों को और मजबूत कर दिया गया है।

सीमा सुरक्षा बल के चार कार्मिक के निकट सम्बन्धियों को राज्य सरकार द्वारा 20.000 रु० प्रति व्यक्ति तथा कुली के मामले में 5,000 रु० अनुग्रह अनुदान मंजूर किए गए हैं। सीमा सुरक्षा बल के निकट सम्बन्धियों को सीमा सुरक्षा बल की हितकारी निधि से 20,000 रु० प्रति व्यक्ति और 10 वर्षों के लिए 200 रुपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता भी मंजूर की गई है। अन्य राहत उपाय जैसे बच्चों को शिक्षा-भत्ता, लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता, बीमे का धन आदि जिसके लिए भी वे पात्र हैं, उन्हें प्रदान किए जाएंगे।

तारापुर के लिए यूरेनियम ईन्धन का आयात

1818. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या विदेश से सम्बन्धित यूरेनियम ईंधन के आयात के लिए सरकार द्वारा कोई प्रबन्ध किए गए हैं और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ख) क्या तारापुर परमाणु तापीय बिजली घर के लिए आवश्यक सम्बन्धित यूरेनियम ईंधन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने तथा आगामी वर्षों में इसको बन्द होने से बचाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु कितनी विशेष धनराशि, यदि कोई हैं, निर्धारित की गई है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) भारत में केवल तारापुर बिजली घर के रिऐक्टर ऐसे विद्युत रिऐक्टर हैं जिनमें ईंधन के लिए समृद्ध यूरेनियम की आवश्यकता पड़ती है उस करार के अन्तर्गत, जिसके द्वारा अमरीका के स्थान पर फ्रांस ने सन 1993 तक तारापुर परमाणु बिजली घर के लिए समृद्ध यूरेनियम देना स्वीकार किया था, यूरेनियम की एक खेप फ्रांस से मिल चुकी है। इसके अलावा, विकल्प के रूप में काम लाया जा सकने वाला मिश्रित आक्साइड ईंधन स्वदेशी आधार पर तैयार कर लिया गया है।

भारत को कनाडा की परमाणु सहायता

1819. **श्री के० मालन्ना** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1974 में भारत द्वारा पोखरन में एक भूमिगत परमाणु परीक्षण किए जाने के परिणामस्वरूप कनाडा द्वारा भारत को वैज्ञानिक सहायता बन्द कर दी गई थी। वह सहायता अब यह महसूस करते हुए भारत को पुनः जारी की जा रही है कि भारत का परमाणु बम बनाने का कोई विचार नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों सहित सहायता का ब्यौरा क्या है, जिनमें भारत को सहायता प्रदान की जाएगी ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इस्पात के मूल्यों में वृद्धि

1820. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरों की इस्पात आयात सम्बन्धी उदार नीति की सरकार द्वारा क्रियान्वित न किया जाना किस सीमा तक उद्योग में वर्तमान संकट के लिए उत्तर-दायी हैं; और

(ख) क्या सरकार "वित्तीय सुदृढ़ता" के नाम पर इस्पात का मूल्य बढ़ा रही है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो ने इस्पात की आयात सम्बन्धी नीति के बारे में कोई सिफारिश नहीं की हैं।

(ख) संयुक्त संयंत्र समिति मुख्य उत्पादकों द्वारा उत्पादित इस्पात की सामान्य श्रेणियों के मूल्य निश्चित करती हैं तथा उनकी घोषणा करती है। ऐसा करते समय संयंत्र समिति उत्पादन लागत, घरेलू मांग तथा सप्लाई और अन्य सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखती है।

1959 की दक्षिण ध्रुव प्रदेश सन्धि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत का स्थान

1821. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण ध्रुव के बर्फ से घिरे महाद्वीप का प्रशासन करने तथा विस्तृत भूमि की वैज्ञानिक ढंग से खोज करने को सुनिश्चित करने के लिए 1959 की सन्धि पर हस्ताक्षर करने वाले 12 राष्ट्रों में भारत का क्या स्थान है;

(ख) क्या यह सच है कि 1959 की संधि पर हस्ताक्षर करने वाले सात मूल राष्ट्रों द्वारा भूमि पर अपने प्रादेशिक स्वामित्वों का दावा किया है;

(ग) प्रादेशिक दावों के बारे में 1959 की सन्धि के सम्बन्धित अनुच्छेदों के अन्तर्गत क्या विशिष्ट अनुबंध किया गया था;

(घ) इन प्रादेशिक दावों के बारे में अन्य पांच हस्ताक्षरकर्ताओं का क्या मत है; और

(ङ) इन प्रादेशिक दावों के बारे में भारत सरकार ने क्या रुख अपनाया है और भारत द्वारा इस स्थिति से किस प्रकार निपटा जायेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटील) : (क) 19 अगस्त, 1983 को भारत अंटार्कटिका संधि में शामिल हुआ और उसे 12 सितम्बर, 1983 को अंटार्कटिका संधि के सलाहकार सदस्यों की एक विशेष कमेटी ने सलाहकार स्टेटस दिया।

(ख) अंटार्कटिक संधि में मूल राष्ट्र हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किए । उनमें से सात राष्ट्रों ने अंटार्कटिका के हिस्सों पर अपने प्रादेशिक स्वामित्वों का दावा किया है । इनमें से कुछ दावे परस्परव्यापी हैं ।

(ग) अंटार्कटिका संधि का अनुच्छेद 4 प्रादेशिक दावों से सम्बन्धित है । इस अनुच्छेद के के अन्तर्गत, सम्बन्धित पार्टियां प्रादेशिक दावों को 'फरोज' करती हैं अर्थात न ही वे किसी दूसरे के दावों को स्वीकार करती हैं और न ही वे अपने दावों को छोड़ती हैं इसके अतिरिक्त अंटार्कटिका में प्रादेशिक प्रभु सत्ता के लिए न ही कोई नया दावा न ही कोई मौजूदा दावों वृद्धि में की जा सकती है जब कि अंटार्कटिक संधि लागू है ।

(घ) अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर होने पर अन्य पांच मूल हस्ताक्षरकर्ताओं ने जिन्होंने विधिवत अपने दावे नहीं किए, संधि अनुच्छेद 4 के अन्तर्गत उन्होंने दूसरों के दावों को स्वीकार नहीं किया ।

(ङ) अंटार्कटिका संधि में सम्मिलित होने पर भारत भी संधि अनुच्छेद 4 के अन्तर्गत धारों पर बाध्य है । इसके अतिरिक्त भारत दूसरे देशों के प्रादेशिक दावों को स्वीकार नहीं करता ।

वैज्ञानिक जनशक्ति

1822. **ई० बालानन्दन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह आम दावा तत्यात्मक रूप में सही है कि सक्रिय वैज्ञानिक जनशक्ति के क्षेत्र में विश्व में भारत का तीसरा स्थान है ;

(ख) क्या उक्त वैज्ञानिक जनशक्ति क्या गणना करते समय, सभी विज्ञान स्नातकों, विज्ञान स्नातकोत्तर और पशु पालन स्नातकों को भी शामिल किया जाता हैं ;

(ग) क्या तकनीकी जनशक्ति की गणना करते समय सभी लाइसेंस धारकों और डिप्लोमा धारकों को शामिल किया जाता है ;

(घ) देश में 31 दिसम्बर, 1983 को ऐसे अतिरिक्त स्नातकों और इन्जिनीयरिंग स्नातको को कुल संख्या कितनी थी; और

(ङ) चिकित्सकों, इंजीनियरों और वैज्ञानिक कर्मियों की श्रेणीवार संख्या कितनी थी जो वास्तव में अनुसंधान कार्य में संलग्न थे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिकी और महासागर विकास

विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 1979 में यूनेस्को द्वारा प्रकाशित प्रलेख "एन इन्ट्रोडक्शन टू पालिसी एनालिसिज इन साइन्स एंड टैक्नोलोजी" के अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर क्षेत्रीय विभालन सम्बन्धी आंकड़े दिए गए हैं। वैज्ञानिकों और इन्जीनियरों की संख्या के लिहाज से भारत का दर्जा सोवियत संघ, जापान और संयुक्त राज्य अमरीका के पश्चात है। व्यक्तियों, वैज्ञानिकों और इन्जीनियरों के वर्ग में वे व्यक्ति शामिल हैं जिन्होंने वैज्ञानिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है जो कि निम्नलिखित प्रकार से हैं :—

(अ) तीसरे स्तर पर शिक्षा समाप्त की और शिक्षा उपाधि प्राप्त की।

(ब) तृतीय स्तर की विश्वविद्यालयेतर शिक्षा अथवा प्रशिक्षण पूरा कर लिया है जिसके पश्चात शिक्षा उपाधि प्राप्त नहीं की है लेकिन जिसे व्यावसायिक कैरियर के लिए योग्य होने के लिए राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त है।

(स) राष्ट्रीय दृष्टि से मान्यता प्राप्त समतुल्य प्रशिक्षण और व्यावसायिक अनुभव। बहरहाल, विदेशों में विद्यमान स्थिति से तुलना करना अत्यन्त कठिन है। क्योंकि प्रमुख तत्व यथा संदर्भ वर्ष, और शामिल किए गए कार्मिकों के प्रकारों जैसे महत्वपूर्ण तत्व हर देश में अलग अलग हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) हालिया (नवोनम) उपलब्ध प्राक्कलन छठी योजना के प्रलेख में दिए गऐ हैं। 1.4.80 को उपलब्ध ये प्राक्कलन नीचे दिए गए हैं :—

वर्ग	व्यक्तियों की संख्या (हजारों में)
इन्जीनियरी स्नातक	254.5
आयुर्विज्ञान स्नातक	178.5

(ङ) 1-4-80 को उपलब्ध नवोनम आंकड़ों के अनुसार देश में अनुसंधान कार्य में लगे हुए इन्जीनियरों, वैज्ञानिकों और आयुर्विज्ञानी चिकित्सकों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ग	व्यक्तियों की संख्या
आयुर्विज्ञानी और इन्जीनियरी कार्मिकों के अतिरिक्त वैज्ञानिक	33,190
इन्जीनियरी कार्मिक	36,070
आयुर्विज्ञानी कार्मिक	910

आर्थिक सलाहकार परिषद का दूसरा प्रतिवेदन

1823. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सलाहकार परिषद ने अपना दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की प्रमुख बातें क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) परिषद ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न प्रकार के विषयों की जांच की है जिनका भारतीय अर्थ-व्यवस्था के वर्तमान प्रकार्य से संबन्ध है। इन सिफारिशों को सरकार के सभी विभागों में उनके विचार के लिए परिचालित कर दिया गया है।

पश्चिमी बंगाल को प्रति व्यक्ति केन्द्रीय योजना सहायता

1824. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको यह पता है कि तीसरी योजना अवधि से लेकर अब तक पश्चिमी बंगाल के लिए प्रति व्यक्ति केन्द्रीय योजना सहायता न्यूनतम रही है;

(ख) क्या उनको यह भी पता है कि पश्चिमी बंगाल की वामपंथी सरकार ने पूर्णतया अपने ही प्रयासों पर निर्भर रहते हुए गत वर्षों के दौरान योजना खर्च के स्तर में धीरे-धीरे वृद्धि की है तथा इस व्यय में सभी राज्यों के मुकाबले उच्चतम विकास बनाए रखने में सफल रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) 1976-77 से पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों का वार्षिक योजना व्यय दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। यह देखने में आएगा कि पिछले वर्षों में पश्चिम बंगाल सरकार योजना व्यय के वार्षिक स्तर को ऊपर उठाने में समर्थ रही है, परन्तु राज्यों में संवृद्धि दर अधिकतम नहीं रही है। राज्य योजना परिव्यय में वृद्धि में केन्द्रीय सहायता में वृद्धि एक महत्वपूर्ण सहायक उपादान रहा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार को कुछ वर्षों में घाटा भी हुआ। छठी योजना के पहले तीन वर्षों में, पश्चिम बंगाल का वास्तविक योजना परिव्यय अनुमोदित परिव्यय से कम था। पहले दो वर्षों में यह कमी काफी थी।

विवरण

(करोड़ रु०)

क्रम सं०	राज्य	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84†	1976-77 के मुकाबले 1983-84 में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
विशेष श्रेणी राज्य										
1.	असम	74.07	100.29	150.66	159.73	195.62	208.08	225.85	291.00	292.87
2.	हिमाचल प्रदेश	38.81	53.87	73.62	79.45	96.50	118.61	129.30	140.00	260.73
3.	जम्मू और कश्मीर	77.05	94.03	97.51	123.55	147.72	164 95	176.39	185.00	140.10
4.	मणिपुर	17.26	21.28	29.60	32.53	39.76	41.79	44.71	52.80	205.91
5.	मेघालय	19.04	23.19	27.74	30.70	40.48	41.52	45.88	56.22	195.27
6.	नागालैंड	18.73	20.73	26.10	27.68	34.99	37.84	42.14	51.00	172.29
7.	सिक्किम	11.67	12.61	15.92	17.79	20.32	24.20	23.59	30.50	161.35
8.	त्रिपुरा	14.06	13.84	26.12	2956	39.87	47.78	55.38	58.00	312.52
अन्य राज्य										
1.	आंध्र प्रदेश	292.58	360.52	443.91	450.32	475.17	503 99	572.94	826.00	182.32
2.	बिहार	247.99	265.88	313.46	320.78	465.47	574.65	593.38	681.00	174.61
3.	गुजरात	249.37	327.39	374.47	456.17	600.70	676.82	753.35	900.00	260.91
4.	हरियाणा	135.76	147.40	193.93	202.96	246.57	289.46	338 62	407.00	199.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	कर्नाटक	233.72	246.33	271.52	317.60	387.17	443.03	533.00	575.00	146.02
6.	केरल	126.60	158.62	189.82	223.87	298.31	324.23	276.30	320.00	152.76
7.	मध्य प्रदेश	283.50	347.34	379.39	514.83	583.27	660.31	712.51	855.00	201.59
8.	महाराष्ट्र	505.32	647.66	781.48	813.36	906.46	1110.47	1357.68	1500.00	196.84
9.	उड़ीसा	136.00	148.81	187.38	195.01	248.21	281.17	300.84	345.00	153.12
10.	पंजाब	222.11	203.95	220.96	269.27	299.44	345.05	386.11	440.00	98.10
11.	राजस्थान	172.52	191.27	256.75	290.19	309.06	350.56	345.73	401.00	132.44
12.	तमिलनाडु	242.47	264.81	322.49	370.07	456.46	606.02	729.73	845.00	248.50
13.	उत्तर प्रदेश	584.83	653.34	815.61	825.52	989.57	1119.44	1253.11	1290.00	120.58
14.	पश्चिम बंगाल	225.31	303.65	368.49	383.21	449.20	454.33	470.55	540.00	139.67

†1983-84 के लिए आंकड़े अनुमोदित परिव्यय को दर्शाते हैं।

पश्चिमी बंगाल के लिए केन्द्रीय योजना सहायता

1825. **श्री सुनील मैत्रा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी बंगाल के लिए केन्द्रीय योजना सहायता की वार्षिक विकास दर क्या है और सभी राज्यों के लिए औसत विकास दर कितनी है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता परिशोधित गाडगिल फार्मूले और आय समायोजित कुल जनसंख्या फार्मूले के आधार पर दी जा रही है। इन फार्मूलों के आधार पर छठी योजना अवधि में पश्चिम बंगाल के लिए केन्द्रीय सहायता का कुल आवंटन 662.72 करोड़ रु० है। इसके मुकाबले पहले तीन वर्षों में दी गई राशियों और वर्ष 1983-84 के लिए आवंटनों के आधार पर पहले चार वर्षों में राज्य को दी गई कुल सहायता की राशि 644.58 करोड़ रुपए हैं। इस सहायता का एक भाग 1981-82 और 1982-83 में दी गई और 1983-84 में आवंटित अग्रिम योजना सहायता को बताता है। इसके अलावा राज्य योजनाओं में शामिल विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त सहायता मिलती है। पश्चिम बंगाल तथा सभी राज्यों को मिलाकर छठी योजना की अवधि में वार्षिक संवृद्धि दर सहित केन्द्रीय सहायता के बारे में विस्तृत स्थिति संलग्न विवरण में बताई गई है।

विवरण

छठी योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय सहायता

(करोड़ रु०)

	पश्चिमी बंगाल					सभी राज्य				
	सामान्य सहायता	अग्रिम योजना सहायता	विदेशी सहायता प्राप्त परि-योजनाओं को अतिरिक्त सहायता	कुल	पिछले वर्ष से अन्तर (%)	सामान्य सहायता	अग्रिम योजना सहायता	विदेशी सहायया प्राप्त परि-योजनाओं को अतिरिक्त सहायता	कुल	पिछले वर्ष से अन्तर (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1980-81 (जारी)	119.29	—	16.72	136,01	+6.9	2403.94	—	180.63	2584.57	+10.8
1981-82 (जारी)	107.59	6.00	17.46	131.05	—3.7	2434.31	47.20	210.72	2692.23	+4.2
1982-83 (जारी)	126.51	143.66	20.92	291.09	+122.1	2743.77	177.55	302.33	3223.65	+19.7
1983-84 (आबंटन)	72.53	69.00	14.99	156.52	—46.6	3121.17	87.00	302.75	3510.92	+8.9
1984-85 (अनुमान)	†	†	†			3501.73	—	425.89	3927.62*	+11.9

†अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया**

**पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों और उत्तर-पूर्वी परिषद के कार्यक्रमों के लिए सहायता के अतिरिक्त

*अन्तरिम

भारत में धर्म प्रचार के लिए विदेशी धन

1826. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी**
श्री सूरजभान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उस धन राशि का पता है जो कि बैंक आफ इंडिया अमरीका बम्बई को नेशनल कर्मशियल बैंक जद्दा के जरिए, मुस्लिम वर्ल्ड लोग मक्का से प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो अब तक उक्त कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ग) क्या विदेशी धन का उपयोग भारत में धर्म प्रचार के लिए किया जा रहा है।

(घ) यदि नहीं तो यह धन किस उद्देश्य के लिए खर्च किया जा रहा है तथा यह कार्य किन-किन पार्टियों के माध्यम से किया जा रहा है; और

(ङ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) मुस्लिम वर्ल्ड लीग, मक्का द्वारा नेपाल में कुछ व्यक्तियों के लिए मेलन्ट्रांसफर के जरिए नेशनल कार्मशियल बैंक जद्दा के माध्यम से बैंक आफ अमेरिका बम्बई को कुछ अवसरों पर धन प्रेषित किया गया था। यह धन-राशि स्टेट बैंक आफ इंडिया या नेपाल में अन्य बैंकों द्वारा एकत्रित किया गया था और बैंक आफ अमेरिका द्वारा नगद नहीं दिया गया था।

(ख) प्रेषित धन वर्ष 1982 के दौरान 1,02,497 रुपए और वर्ष 1983 के दौरान 2,67,268 रुपए था।

(ग) से (ङ) धन के प्रयोग के विषय में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

पंजाब के उग्रवादियों द्वारा ट्रिब्यून भवन में विस्फोट

1827. **श्री जगपाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि पंजाब के उग्रवादियों ने ट्रिब्यून भवन को उड़ाने के लिए हाल ही में वहां एक हथगोला फेंका था और कहा जाता है कि यह हथगोला किरकी आयुद्ध कारखाने में बनाया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) भा० द० सं० की धारा 307/427/507 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 415 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। चण्डीगढ़ में जान और माल की रक्षा के लिए सुरक्षा प्रबन्धों को मजबूत किया गया है।

इस्पात प्लेटों का आयात

1828. श्री जगपाल सिंह
श्री शिव शरण वर्मा
: क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 1981-82, 1982-83 और 1983-84 (31 जनवरी 1984 तक) किन-किन देशों से कितनी मात्रा में 0 से 36 सौ मिली-मीटर चौड़ाई वाली इस्पात की प्लेटें आयात की थी;

(ख) उन पर वर्ष वार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) हाल ही में भिलाई में (जो इस्पात कारखाना रूस की सहायता से स्थापित किया गया है) स्थापित इस्पात प्लेट मिल से चालू वर्ष में कितने टन इस्पात के उत्पादन होने की संभावना है और उसके फलस्वरूप आयात में कितने रुपए की बचत होने की सम्भावना है; और

(घ) सोवियत संघ नवनिर्मित इस्पात कारखाने के लिए कितनी धनराशि की सहायता की है और उसके लिए क्या शर्तें रही हैं तथा इस सम्बन्ध में अन्य ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 (जनवरी 1984 तक) में माध्यम अभिकरण स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा 90 मि० मी० से लेकर 3600 मि० मी० तक की कार्बन इस्पात की प्लेंटों के आयात के लिए दिए आर्डर की मात्रा और मूल्य अगले पृष्ठ पर दिए गये हैं;

(मात्रा टनों में हैं)
(लागत और भाड़ा मूल्य लाख रुपयों में है)

क्र० सं०	देश	1981-82 लागत और भाड़ा		1982-83 लागत और भाड़ा		1983-84 लागत और भाड़ा	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बेलजियम	5856	193.16	80	2.96	1288	43.53

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	ब्राजील	19480	307.46	—	—	—	—
3.	चीन	418	16.06	32	1135	—	—
4.	चेकोस्लोवाकिया	—	—	—	—	5244	140.88
5.	फ्रांस	—	—	—	—	1359	44.22
6.	जापान	26895	1081.69	12130	462.99	7244	268.28
7.	उत्तरी कोरिया	23872	630.18	—	—	—	—
8.	रूमानिया	63149	1797.21	68479	2076.55	10257	284.15
9.	दक्षिण कोरिया	66640	1989.03	43373	1077.83	5701	148.44
10.	स्पेन	8784	256.28	4264	133.69	—	—
11.	तैवान	7396	256.80	809	18.35	—	—
12.	यूनाईटिड किंगडम	5446	33.91	1243	34.88	—	—
13.	अमेरिका/द० अमेरिका	280	11.37	462	18.74	—	—
14.	पश्चिम जर्मनी	29565	1376.13	9153	404.90	24149	950.87
15.	अन्य	151	5.24	160	6.62	—	—
	कुल	25.932	7954.52	140185	4238.84	55242	1880.37

(ग) वर्ष 1983-84 में भिलाई इस्पात कारखाने की प्लेट मिल, जिसने हाल में चालू करने सम्बन्धी परीक्षण शुरू किए हैं, में 5,6000 टन प्लेटों का उत्पादन होने की सम्भावना है। इन प्लेटों का मूल्य लगभग 7.0[illegible] करोड़ रुपए बैठता है।

(घ) प्लेट मिल की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता 79.1 मिलियन रूबल थी। इस राशि की व्यवस्था सोवियत रूस के 300 मिलियन रूबल के ऋण में से की गई है जिस पर ब्याज की वार्षिक दर 2.5 प्रतिशत है और जिसे 12 वर्षों की अवधि में वापिस करना है। पहली किश्त की अदायगी माल की सुपुर्दगी का काम पूरा होने के एक वर्ष के बाद शुरू होगी।

देश में अखबारी कागज के उत्पादन के सम्बन्ध में अनुमानित आंकड़े

1829. **श्री नीरेन घोष** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश में अखबारी कागज के उत्पादन के सम्बन्ध में अनुमान हमेशा बढ़ा चढ़ा कर लगाया जाता है जिसके कारण वर्ष के मध्य में इसकी कमी हो जाती है और अल्प समय की सूचना पर इसका आयात करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) स्वदेशी 3 अखबारी कागज उत्पादन एककों में से 2 एककों की स्थापना हाल ही में की गई है तथा उनके संचालन कार्य पूरी तरह से स्थिर नहीं हुए हैं। इसके अलावा बिजली की अप्रत्याशित कमी से भी देशी उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे पहले के अनुमानों में संशोधन करना अनिवार्य हो गया है। किन्तु देशी उत्पादन को ध्यान में रखते हुए अखबारी कागज की उपलब्धता की तिमाही आधार पर संवीक्षा की जाती है तथा उसके अनुसार आयात की योजनाएं बनाई जाती हैं।

अखबारी कागज का आयात

1830. **श्री नीरेन घोष** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में अखबारी कागज तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान अखबारी कागज के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) सम्पत्ति अखबारी कागज का उत्पादन करने वाले 3 एकक हैं जिसकी कुल अधिष्ठापित क्षमता 2,30,000 मी० टन प्रतिवर्ष है। विद्यमान एककों का ब्यौरा निम्न प्रकार हैं :—

(1) मैसर्स नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर।	—	75,000 मी० टन प्रति वर्ष
(2) मैसर्स हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, केरल	—	80,000 मी० टन प्रति वर्ष
(3) मैसर्स मैसूर पेपर मिल्स, शिमोगा, कर्नाटक	—	75,000 मी० टन प्रति वर्ष
कुल :		2,30,000 मी० टन प्रति वर्ष

अखबारी कागज का उत्पाद बढ़ाने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त क्षमता भी स्वीकृत की गई है :—

(1) मैसर्स सेन्चुरी पल्प एण्ड पेपर मिल्स, नैनीताल	—20,000 मी० टन प्रतिवर्ष
(2) मैसर्स तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स, करार	—50,000 मी० टन प्रतिवर्ष
(3) मैसर्स नेशनल न्यूजप्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर (विस्तार)	— 9,000 मी० टन प्रतिवर्ष
(4) मैसर्स तिरूपति न्यूजप्रिंट	—79,000 मी० टन प्रतिवर्ष
(5) मैसर्स कर्नाटक न्यूजप्रिंट मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड	—15,000 मी० टन प्रतिवर्ष
(6) श्री एम० पी० जतिया	—85,000 मी० टन प्रतिवर्ष
(7) महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक निवेश निगम	—50,000 मी० टन प्रतिवर्ष
(8) श्री आर० राजेन्द्रन	—20,000 मी० टन प्रतिवर्ष
(9) मैसर्स सोलर पेपर मिल्स लिमिटेड पनेरी, तमिलनाडु	—30,000 मी० टन प्रतिवर्ष
कुल :	—3,58,000 मी० टन प्रतिवर्ष

(ख) उक्त अवधि में, अखबारी कागज के आयात के लिए राज्य व्यापार निगम द्वारा व्यय की गई विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार है :—

अवधि	लागत बीमा, मात्रा (सी० आई० एफ० (मूल्य) रु० करोड़ों में)
1978-79	74.00
1979-80	118.45
1980-81	138.46
1981-82	154.66
1982-83	108.94

अधिग्रहीत किए गये औद्योगिक एककों के नाम

1831. **श्री नीरेन घोष** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अधिगृहीत औद्योगिक एककों के पहलू क्या हैं और इन एककों में से प्रत्येक में अलग-अलग सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं की कितने प्रतिशत शेयर पूंजी लगी हुई है?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : जिन कम्पनियों के उपक्रमों का प्रबन्ध उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन किया जा रहा है उनकी एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है। सरकार ने इन कम्पनियों के एक या एक से अधिक उपक्रमों का प्रबन्ध अभिग्रहीत किया है न कि समूची कम्पनी का। इसलिए इन कम्पनियों में सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों की अंश-धारिता सम्बन्धी जानकारी सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

विवरण

क्रमांक	उपक्रम का नाम
1.	मै० इंडिया मशीनरी कम्पनी लि०, दासनगर, हावड़ा-5।
2.	मै० श्री जानकी शुगर मिल्स एंड कम्पनी, डोइवाला, जिला देहरादून, उत्तर प्रदेश।
3.	मै० कृष्णा सिलेकेट एंड ग्लास वर्क्स लि० 17, राधा बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता-1
4.	मै० एसोसिएटेड (असम) लि०, (केमिकल यूनिट) डाकघर चन्द्रपुर, जिला कामरूप (असम)।
5.	मै० इण्डिया बेल्टिंग एण्ड काटन मिल्स लि०, सतीश चन्द्र घोष लेन, सेरमपुर जिला हुगली।
6	मै० ईस्टर्न डिस्टिलरीज (प्रा०) लि०, बी० एल० शाह रोड, टालीगंज, कलकत्ता।
7.	मै० मोटर एण्ड मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स लि०, 10, जादवपुर रोड, कलकत्ता-30
8.	मै० ग्लूकोनेट लि०, 2, दुर्गा चन्द्र डाक्टर लेन, कलकत्ता-14।
9.	मै० एंजेल इण्डिया मशीन एण्ड टूल्स लि०, तारतल्ला रोड, कलकत्ता-53।
10.	प्लाइबोर्ड इण्डस्ट्रीज लि०, पामपुर, श्रीनगर (जम्मू तथा कश्मीर)।

क्रमांक	उपक्रम का नाम
11.	मै० ब्रिटानिया इन्जी० कं० (टीटागढ़ यूनिट) कलकत्ता।
12.	मै० बंगाल पॉटरीज लि०, थापर हाउस, 25, ब्रैबोर्न रोड, कलकत्ता-1।
13.	मै० कावेरी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, पुड्डोकोट्टै, जिला कावेरी नगर-622501
14.	मै० प्रिय लक्ष्मी मिल्स लि०, बड़ौदा।
15.	मै० श्री शुभलक्ष्मी मिल्स लि०, कैम्बे।
16.	मै० इन्दौर टेक्सटाइल्स लि०, उज्जैन (म० प्र०)।
17.	मै० सोमसुन्दरम् सुपर स्पिनिंग मिल्स, मुथानेण्डल, जिला-रामनाथपुरम (तमिलनाडु)।
18.	मै० श्रीराम शुगर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० बोबिल्ली (आंध्र प्रदेश)।
19.	मै० कोट्टायम टेक्सटाइल्स लि०, एट्टुमानूर (केरल)।
20.	मै० प्रभुराम मिल्स लि०, चेंगन्नूर (केरल)।
21.	मै० मालाबार स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०, कालीकट।
22.	मै० आलोक उद्योग वनास्पति एंड प्लाइवुड लि०, कलकत्ता।
23.	मै० स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर।
24.	मै० श्री दुर्गा काटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि०, कलकत्ता।
25.	मै० अल्युमिनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, कलकत्ता।
26.	मै० बंगाल इम्युनिटी कं० लि०, कलकत्ता।
27.	डॉ पाल लोहमैन (इ) लि०, कलकत्ता।
28.	मै० श्रीराम शुगर एंड इण्डस्ट्रीज लि०, (सीतानगरम एकक)।
29.	मै० ब्रेन्टफोर्ड इलेक्ट्रिक (इ) लि० कलकत्ता।
30.	मै० लिली बिस्किट प्रा० लि०, कलकत्ता।
31.	मै० लिली बार्ले मिल्स लि०, कलकत्ता।
32.	मै० महादेव टेक्सटाइल्स मिल्स, हुबली।

क्रमांक	उपक्रम का नाम
33.	मै० अपोलो जिपर कं० प्रा० लि०, कलकत्ता ।
34.	मै० इण्डियन हेल्थ इन्स्टीच्यूट एंड लबोरेटरी लि०, कलकत्ता ।
35.	मै० नेशनल भायरन एण्ड स्टील कं० लि०, कलकत्ता ।
36.	मै० श्री सरस्वती प्रेस लि०, कलकत्ता ।
37.	मै० शिवराज फाइल आर्ट लिथो वर्क्स, नागपुर ।
38.	मै० मोतीपुर शुगर फैक्टरी लि०, मोतीपुर, जिला-मुजफ्फर नगर, बिहार ।
39	मै० उड़ीसा टेक्सटाइल मिल्स लि०, चौडवाड़, उड़ीसा ।
40.	मै० मोहिनी मिल्स लि०, बेलघाडिया, पश्चिम बंगाल ।
41.	मै० कान्ति कॉटन मिल्स, सुरेन्द्र नगर, गुजरात ।

20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पीछे रहने वाले राज्य

1832. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में, विशेषकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, परिवार नियोजन और ग्रामीण विद्युतीकरण नामों से चलाए जाने वाले कार्यक्रमों में पीछे रहनें वाले राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ख) विभिन्न कार्यक्रमों के तेजी से कार्यान्वयन के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) 20-सूत्रीं कार्यक्रम के कार्यान्वयन में, विशेषकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, परिवार नियोजन और ग्रामीण विद्युतीकरण शीर्षों के अन्तर्गत जनवरी, 1984 तक उन राज्यों को दिखाने वाला विवरण संलग्न है जिनका निष्पादन राष्ट्रीय औसत से कम है ।

(ख) कार्यक्रम के प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त उपायें लेने के अनुरोध के साथ सूत्र/सूत्रों से सम्बन्धित राज्यों और केन्द्रीय मन्त्रालयों के ध्यान में 'कम' निष्पादन वाले राज्यों की स्थिति प्रत्येक मास लाई जा रही है । इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप निष्पादन में सुधार हो रहा है ।

विवरण

वह राज्य जिनका निष्पादन (जनवरी, 84 तक) राष्ट्रीय औसत से कम है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	ग्रामीण विद्युतीकरण	पंप सैटों को बिजली चालित करना	परिवार नियोजन
राजस्थान	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	कर्नाटक
त्रिपुरा	संघ राज्य क्षेत्र	केरल	मध्य प्रदेश
उड़ीसा	गुजरात	हरियाणा	राजस्थान
आंध्र प्रदेश	तमिलनाडु	गुजरात	बिहार
हरियाणा	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	मणिपुर
उत्तर प्रदेश	मेघालय	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश
बिहार	त्रिपुरा	उड़ीसा	जम्मू और कश्मीर
जम्मू और कश्मीर	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	नागालैंड
पंजाब	बिहार	त्रिपुरा	त्रिपुरा
असम		असम	मेघालय
महाराष्ट्र		बिहार	
मेघालय			

सोल्वेंट एक्सट्रेक्शन एककों के लिए कच्चे माल की कमी

1833. **श्री एस० ए० दौराई सेबस्तियन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्याप्त कच्चे माल की कमी के कारण डी० जी० टी० डी० में पंजीकृत 300 सोलवेंट एक्सट्रेक्शन एकक स्थापित क्षमता का केवल 40 प्रतिशत ही उपयोग कर सके हैं; और

(ख) यदि हां, तो कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) सम्बंधित विभागों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

टायरों की कीमतों में वृद्धि

1834. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन**
श्री सूर्य नारायण सिंह
श्री नारायण चौबे
श्री के० ए० राजन
श्री सनत कुमार मंडल : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आटोमेटिव टायर मेयुफेक्चरर्ज एसोसिएशन और दि आल इण्डिया टायर डीलर्ज फैडरेशन और दिल्ली ट्रांसपोर्टर्ज यूनाइटिड फ्रंट के बीच मूल्य विवाद को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) गत चार वर्षों के दौरान टायरों की कीमतों में कितनी बार वृद्धि की गई है तथा कितनी-कितनी वृद्धि की गई है; और

(ग) क्या स्थिति से निपटने के लिए टायरों का आयात करने का प्रस्ताव है जिन्हें उपभोक्ताओं को 40 प्रतिशत कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) टायरों के मूल्यों पर नियंत्रण नहीं है ।

(ख) विभिन्न टायर कम्पनियों ने अपने यहां निर्मित विभिन्न-प्रकार के टायरों की कीमतों में गत चार वर्षों के दौरान भिन्न-भिन्न समय पर संशोधन किया है ।

(ग) जी नहीं ।

गणतन्त्र दिवस की परेड के अवसर पर भरी पिस्तौल के साथ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी

1835. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष गणतन्त्र दिवस की परेड के दिन एक व्यक्ति को भरी पिस्तौल और चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो पूछताछ के दौरान उक्त व्यक्ति ने इस सम्बन्ध में अपना क्या उद्देश्य प्रकट किया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सन्देहास्पद व्यक्ति ने बताया है कि उसने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए पिस्तौल और चाकू रखा हुआ था उससे विभिन्न सुरक्षा संगठनों और दिल्ली पुलिस अधिकारियों के एक संयुक्त दल द्वारा पूछताछ की गई है लेकिन ऐसा कुछ भी ध्यान में नहीं आया जिससे यह संकेत प्राप्त हो कि उनसे गणतन्त्र दिवस परेड में उपस्थित अतिविशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा का खतरा था ।

लोह पिंडों का आयात

1836. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा लौह पिंडों का आयात करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो "सेल" द्वारा कुल कितने मीट्रिक टन लौह पिंडों का आयात किया जाएगा; और

(ग) आयात प्रस्तावों के बारे में "सेल" ने क्या कदम उठाए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) वर्ष 1983-84 में 50,000 टन कच्चे लोहे के आयात के लिए आर्डर दिए गए थे। ये आर्डर वर्ष 1982-83 में 485,000 टन के आयात के लिए दिएं गए आर्डर से काफी कम थे । वर्तमान अनुमानों के अनुसार कच्चे लोहे के जमा हुए उपलब्ध स्टाक वर्ष 1984-85 की उत्पादन योजना में उत्पादन का स्तर और अधिक करने तथा देशीय मांग के रुख को ध्यान में रखते हुए सम्भवत: "सेल" (जो कच्चे लोहे के आयात के लिए माध्यम अभिकरण है) के लिए कच्चे लोहे की और अधिक मात्रा का आयात करना आवश्यक नहीं होगा ।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों में विशेष संघटक योजना के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित धनराशि

1837. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए विशेष संघटक योजना के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान उपरोक्त विशेष संघटक योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य-वार कितना आवंटन किया गया है;

(ग) क्या सरकार का उपरोक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु पिछड़े राज्यों के लिए आवंटन बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा और अन्य पिछड़े राज्यों का 1984-85 के वित्तीय वर्ष के दौरान विशेष अनुसूचित जाति संघटक योजना कार्यक्रम के लिए किए जाने वाले आवंटन का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना नीचे रखे विवरण में प्रस्तुत की जाती है।

(ग) जी नहीं श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विशेष संघटक योजना के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित धनराशि

(रुपये लाख में)

क्रम सं०	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	1983-84	1984-85 (अस्थाई)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	13951.13	12320.28
2.	असम	567.50	772.00
3.	बिहार	4358.36	7678.00
4.	गुजरात	1907.51	2969.06
5.	हरियाणा	2813.79	×
6.	हिमाचल प्रदेश	1540.00	1700.00
7.	जम्मू तथा कश्मीर	614.30	×
8.	कर्नाटक	5313.65	7086.86
9.	केरल	2074.80	3772.70
10.	मध्य प्रदेश	4698.59	7256.36
11.	महाराष्ट्र	308110	3015.08

1	2	3	4
12.	मणीपुर	77.91	×
13.	उड़ीसा	2724.70	4001.00
14.	पंजाब	2346.59	2947.61
15.	राजस्थान	4030 95	×
16.	सिक्किम	43.70	47.28
17.	तमिलनाडु	7600.24	×
18.	त्रिपुरा	578.35	×
19.	उत्तर प्रदेश	11760.36	14005.00
20.	प० बंगाल	3643.65	5560.10
21.	दिल्ली	1287.39	×
22..	गोआ, दमन तथा दिव	26.49	×
23.	पाण्डिचेरी	293.29	478.46
24.	चण्डीगढ़	151.82	196.20

× आंकड़े, उपलब्ध नहीं हैं ।

टिप्पणी : इस सारणी में दिए गए आंकड़ों में मामूली परिवर्तन हो सकता है ।

असम में न्यायाधिकरणों के लिए कर्मचारी और धन की व्यवस्था

1838. डा० वसन्त कुमार पंडित
श्री वसुदेव आचार्य
श्री जी० एम० बनातवाला } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में 1971 के बाद आए विदेशियों का पता लगाने के लिए गठित किए गए न्यायिक न्यायाधिकरणों के सदस्यों का ब्यौरा क्या है तथा न्यायाधिकरणों के समुचित कार्यसंचालन के लिए उन्हें उपलब्ध कराए गए कर्मचारियों और धनराशि का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ख) असम में विदेशियों की घुसपैठ का पता लगाने के लिए विदेश मंत्रालय तथा विधि और न्याय मन्त्रालय द्वारा क्या-क्या मार्गनिर्देश और निदेश दिए गए हैं;

(ग) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने तथाकथित के लिए 29,000 असमियों की सूची दी है जो पुनर्वास के लिए पश्चिमी बंगाल में प्रवेश कर गए हैं;

(घ) क्या किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र ने अपने क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले असमियों की ऐसी सूची भेजी है; और

(ङ) यदि हां, तो, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) अवैध आप्रवासी (न्यायाधिकरणों द्वारा निर्धारण) अधिनियम, 83 में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक न्यायाधिकरण में तीन सदस्य होंगे, जो किसी भी राज्य में जिला जज या अपर जिला जज हों या रहे हों। अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि केन्द्र सरकार प्रत्येक न्यायाधिकरण के लिए उसके कार्य निष्पादन के लिए यथाआवश्यक स्टाफ उपलब्ध करायेंगी। न्यायाधिकरणों में सदस्यों और स्टाफ की नियुक्ति करने की शक्तियां असम राज्य सरकार को प्रत्यायोजित की गई है। असम में अधिसूचित 20 न्यायाधिकरणों में से असम में 6 न्यायाधिकरण कार्यरत हैं। असम में अधिसूचित 20 न्यायाधिकरणों पर भारत की समेकित निधि से निम्नलिखित व्यय निहित होगा :

आवर्ती : 60,62,400 रु०

अनावर्ती : 24,18,000 रु०

(ख) असम में "विदेशी घुसपैठियों" का पता लगाने के संबंध में विशेष तथा विधि और न्याय मंत्रालयों द्वारा कोई मार्ग-दर्शी या निर्देशक सिद्धान्त जारी नहीं किए गए हैं। तथापि अवैध आप्रवासी (न्यायाधिकरणों द्वारा निर्धारण) अधिनियम, 1983 बनाए जाने के फलस्वरूप गृह मंत्रालय द्वारा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय और राज्य सरकार के परामर्श से न्यायाधिकरणों द्वारा अवैध आप्रवासियों के निर्धारण की जांच के सम्बन्ध में जैसाकि अधिनियम में परिभाषित है, कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं।

(ग) से (ङ) असम और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्रियों के बीच हुए निर्णय के अनुसरण में असम से बेदखल किए गए लोगों, जो पिछले वर्ष उपद्रवों को देखते हुए पश्चिम बंगाल में चले गए थे, की सूची पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा असम सरकार को आवश्यक जांच के लिए भेजी गई थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार लगभग 9160 बेदखल असमी, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाये गये कैंपों में रह रहे हैं। बाकी सब असम वापस लौट गए हैं।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के स्टाफ क्वार्टरों को स्वामित्व के आधार में बदला जाना

1839. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने बम्बई में एम० एच० बोर्ड से प्राप्त डी० एन०

नगर अंधेरी और जुहू बिले पार्ले और आराम नगर (बारसोवा) के स्टाफ क्वाटरों को स्वामित्व के आधार पर बदलने हेतु, विभिन्न सदस्यों ने सरकार से मंजूरी देने का अनुरोध किया था;

(ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पारित सांविधिक संकल्पों के आधार पर लगातार अनुरोध किया था;

(ग) क्या खादी कमीशन कर्मचारी यूनियन और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बीच हुए समझौते के आधार पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने संकल्प पारित किए थे;

(घ) क्या कुटीर और ग्रामोद्योग आयोग कर्मचारियों को औद्योगिक कर्मचारी माना जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या वे निर्माण और आवास मन्त्रालय के दिनांक 9-2-1979 के परिपत्र संख्या एच० 1424/17/77 एच० आर० के अन्तर्गत आवास योजना के लाभ पाने के हकदार हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) आयोग और कर्मचारी संघ के बीच बातचीत द्वारा हुए समझौते के परिणामस्वरूप आयोग द्वारा कोई भी संकल्प पारित नहीं किया गया था। सम्बन्धित आवंटियों को स्वामित्व आधार पर स्थायी सम्पत्तियों का अन्तरण करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर आयोग द्वारा कल्याण अभ्युपाय के रूप में विचार किया गया था।

(घ) और (ङ) वस्तुस्थिति का पता लगाया जा रहा है।

मारुति-सुजुकी सहयोग

1840. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति-सुजुकी सहयोग के फलस्वरूप अन्य देशों को किए जाने वाले भुगतान के कारण वर्ष में कितनी विदेशी मुद्रा बाहर चली जाती है; और

(ख) क्या मारुति-सुजुकी सहयोग सम्बन्धी करार की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाएगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) मारुति-सुजुकी सहयोग में कुल विदेशी मुद्रा निर्गम जिसमें एकमुश्त भुगतान, रायल्टी और हिस्से-पुर्जों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा शामिल है, इस प्रयोजन के लिए निर्धारित किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत है।

(ख) लाइसेंस करार की विशिष्ट शर्तों को बताना कम्पनी के वाणिज्यिक हित में नहीं है।

रुग्ण एककों का बन्द होना

1841. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने औद्योगिक एकक बन्द हुए; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार रुग्ण औद्योगिक एककों की कुल संख्या में कितनी वृद्धि हुई ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) श्रम मंत्रालय के अनुसार कारखाना अधिनियम के अधीन पंजीकृत कारखानों की संख्या जो वर्ष 1981-83 में औद्योगिक विवादों से भिन्न कारणों से बन्द हो गए थे, निम्नलिखित हैं :

वर्ष	कारखानों की संख्या
1981	350
1982	442
1983	295

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिसम्बर, 1982 को समाप्त हुए तीन वर्षों के अन्त तक एकत्रित किए गए रुग्ण उद्योगों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। उसके बाद के वर्षों के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं :

दिसम्बर, 1980	24,550
दिसम्बर, 1981	26,758
दिसम्बर, 1982 (अनन्तिम)	60,147*

* चूंकि भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी रुग्ण एककों की सूची में विपत्र प्रमाणित बिलों/प्रत्यावर्तित खातों में ऐसे लघु एककों को शामिल कर लिया है जो पहले प्रस्तुत न किए गए आंकड़ों में सम्मिलित नहीं थे, अत: पिछले वर्षों के आंकड़ों से इनकी तुलना नहीं की जा सकती।

रुग्ण एककों की समस्यायें

1842. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रुग्ण औद्योगिक एककों की समस्याओं और उनके कारणों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) सरकार ने स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) प्रायः साथ-साथ चलने वाले आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार के अनेक कारण भारत में औद्योगिक रुग्णता लाने के प्रति जिम्मेवार है । दोषपूर्ण योजना बनाना, प्रबन्ध सम्बन्धी खामियां होना, अक्षम वित्तीय नियंत्रण, संसाधनों का वितरण, अनुसंधान और विकास की ओर पर्याप्त ध्यान न देना, गतप्रयोग प्रौद्योगिकी और मशीनें, त्रुटिपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध, मांग की कमी, कच्ची सामग्री और अन्य निविष्टियों की कमी तथा अवस्थापना सम्बन्धी कठिनाइयां होना औद्योगिक रुग्णता के कुछ प्रमख कारण हैं ।

(ग) देश में औद्योगिक रुग्णता की बढ़ती घटनाओं की स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा वित्तीय संस्थानों के मार्गदर्शन के लिए कुछ नीति विषयक अभ्युपायों की घोषणा की है । मार्गदर्शी सिद्धांतों की खास-खास बातें लोक सभा में दिनांक 24 मार्च, 1982 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 4974 के उत्तर में दे दी गई थीं ।

बिजली की कटौती के कारण औद्योगिक घाटा

1843. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की कटौती के कारण कितना उत्पादन कम हुआ; और

(ख) सरकार इस स्थिति से किस प्रकार निपटेगी ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) अकेले अथवा संयुक्त रूप से जिनके कारण औद्योगिक उत्पादन में हानि हुई उसके कारणों में से बिजली में कमी केवल एक कारण है । केवल बिजली की कमी के कारण हुई हानि का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

देश में बिजली की उपलब्धता की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने कई उपाय किये हैं जिनमें चल रही परियोजनाओं को शीघ्र चालू करना, विद्यमान क्षमता से यंनित्रण को बढ़ाना तथा जिन क्षेत्रों में बिजली की अधिकता है उनसे बिजली की कमी वाले क्षेत्रों को बिजली देने का व्यवस्था करना शामिल है ।

टायरों और ट्यूबों की सप्लाई बन्द किया जाना

1844. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में टायर निर्माताओं ने इस वर्ष जनवरी में बिक्री के लिए टायरों और

ट्यूबों की सप्लाई बन्द कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने समस्या के समाधान हेतु क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव): (क) से (ग) आटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एक टायर कम्पनी के अहाते में किये गये आक्रमण के विरोध में जनवरी, 1984 में दिल्ली की टायर कंपनियों के प्रमुख बिक्री डिपो चार-पांच दिन तक बन्द रहे। इसके बाद दिल्ली बिक्री डिपुओं ने अपना कार्य सामान्य रूप से करना प्रारम्भ कर दिया है।

स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड में घाटा

1845. **श्री सूर्य नारायण सिंह**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड को चालू वित्त वर्ष में 12 करोड़ रु० का अतिरिक्त घाटा हुआ है जिससे कुल घाटा बढ़कर 47 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके कार्यकरण में सुधार हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड को बन्द करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेट को 1983-84 में 10.20 करोड़ रुपये की हानि होने की सम्भावना है। 31-3-1983 तक संचित हानि 38.86 करोड़ रुपये थी।

(ग) प्रबन्ध मण्डल को सुदृढ़ बनाने और एकक की जीव्यता में सुधार लाने के लिए उत्पादों का विविधीकरण करने तथा संगठनात्मक ढांचे में कुछ परिवर्तन करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के पुनर्गठन के बारे में फैसला

1846. श्रीमती कृष्णा साही
श्रीमती किशोरी सिन्हा
श्री मनोहर लाल सैनी
: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्टील अथारिटी आफ इण्डिया के पुनर्गठन का फैसला कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या स्टील अथारिटी आफ इण्डिया को पिछले कई वर्षों से हो रहे घाटे के कारण सरकार को इसका पुनर्गठन करने और इसके कार्यकरण में परिवर्तन करने हेतु बाध्य होना पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (घ) सरकारी उपक्रमों से सम्बन्धित एक विशेषज्ञ-समिति ने स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के संगठनात्मक ढांचे का अध्ययन किया था। उसने अनेक वैकल्पिक ढांचों की सिफारिश की है जिनसे कम्पनी की परिचालन कुशलता में वृद्धि हो सकती है। ये विकल्प सरकार के विचाराधीन हैं।

देश में उग्रवादियों की गतिविधियों में वृद्धि

1847. श्री रामगोपाल रेड्डी
श्री भीखू राम जैन
श्री सुभाष चन्द्र यादव
: क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेष रूप से उत्तरी भागों में उग्रवादियों की गतिविधियों में भारी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इन गतिविधियों को समाप्त करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) देश के कुछ भागों में उग्रवादी गतिविधियों में कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) विधि और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्राथमिक रूप से राज्य सरकारें सम्बन्धित हैं और वे उपयुक्त कार्रवाई कर रही हैं। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाए रखती है और समय-समय पर यथा अपेक्षित सहायता उपलब्ध कराती है।

पुलिस कर्मियों को बुलेट प्रूफ जेकेटों की सप्लाई

1848. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी**
श्री डी० एम० पुत्त गौडा } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकुओं और उग्रवादियों से निपटने हेतु खतरनाक इलाकों में पुलिस कर्मियों को बुलेट-प्रूफ जेकेट सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है;

(ग) तत्सम्बन्धी वित्तीय आशय क्या है; और

(घ) उन उद्योगों के नाम क्या हैं जहां से सरकार इन जेकेटों को खरीदेगी ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) डकैती-विरोधी, विद्रोही-विरोधी और उग्रवादी-विरोधी कार्यों जैसी विशेष ड्यूटियों पर लगे पुलिस कर्मियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए बुलेट-प्रूफ जैकेटों के देशी विकास तथा निर्माण की परियोजना की पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

आंध्र प्रदेश में सीमेंट उद्योग में संकट

1849. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 9 फरवरी, 1984 के "इकानामिक टाइम्स" में छपी खबरों का देखा है जिसमें उल्लेख किया गया है कि आंध्र सीमेंट उद्योग भाड़े में वृद्धि के कारण संकट से गुजर रहा है;

(ख) क्या इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा किये गये उपायों के कारण ऐसा हुआ है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में सीमेंट उद्योग को बचाने हेतु कोई कार्यवाही करने का है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) इस मामले में राज्य सरकार से अपने निर्णय पर पुनः विचार करने के लिए अनुरोध किया गया है।

देश में आणविक खनिजों का दोहन

1850. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :**

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात है कि देश के विभिन्न भागों में विभिन्न किस्मों के आणविक खनिज, यूरेनियम, थोरियम बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित खनिज हाल में बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में पाए गये हैं लेकिन सरकार ने उनके दोहन हेतु कोई व्यवस्था नहीं की है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में आणविक खनिजों का पता लगाने और उनके दोहन हेतु और सर्वेक्षण कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस काम के लिए यदि कोई योजना और आबंटित धनराशि हो तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) बिहार में यूरेनियम के कुछ निक्षेपों से इस समय खनिज निकाला जा रहा है और बिहार तथा मध्य प्रदेश में ऐसे कुछ और निक्षेपों का पता लगाया जा चुका है जिनसे निकट भविष्य में खनिज निकाला जा सकेगा। इन खनिज-निक्षेपों से खनिज निकालने से सम्बन्धित आर्थिक पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग ने विभिन्न विधियां अपनाकर सर्वेक्षण करने तथा खनिज निकालने के अपने कार्यक्रमों को और तेज कर दिया है। खनिज निकालने योग्य नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए पैदल चल कर अरवीक्षी सर्वेक्षण करने, भू-रासायनिक तथा भू-भौतिक सर्वेक्षण करने, वायुयानों में गामा किरण स्पैक्ट्रोमीटर और मैग्नेटोमीटर लगाकर सर्वेक्षण करने, खनिजों का पता दूर से लगाने के तरीकों को अपनाने, भू-वेधन करने और भूमि के नीचे खानों में और आगे खनिज का पता लगाने के लिए अन्वेषण करने आदि जैसी विधियों का उपयोग करने की बहुमुखी नीति अपनाकर काम किया जा रहा है। छठी पंचवर्षीय योजना में इस काम के लिए 22 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

फ्रांस द्वारा परमाणु उपकरणों तथा फास्ट ब्रीडिर प्रौद्योगिकी सप्लाई

1851. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि क्या फ्रांस बिना किसी पूर्व शर्त के आणविक सहयोग करने को तैयार है जैसा कि 18 जनवरी, 1984 के दैनिक "हिन्दुस्तान" में समाचार प्रकाशित हुआ है और क्या फ्रांस के उद्योग तथा अनुसंधान मंत्री ने हाल के भारत भ्रमण के दौरान परमाणु उपकरणों तथा फास्ट ब्रीडिर प्रौद्योगिकी की सप्लाई के बारे में कोई विचार विमर्श किया था; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) सरकार ने समाचार-पत्र में छपा उक्त समाचार देखा है, लेकिन इस सम्बन्ध में सरकारी तौर पर पुष्टि करने वाली कोई सूचना नहीं है।

दिल्ली में सेना के जवानों द्वारा एक राजनयिक पर हमला

1852. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नव वर्ष की पूर्व संध्या को दिल्ली में सेना के जवानों ने एक राजनयिक पर हमला किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस घटना की कोई जांच की गई और इस मामले में आगे कोई कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस को सूचित और 1 जनवरी, 1984 को, भा० द० सं० की धारा 147/148/149/341/427 के तहत थाना दिल्ली केन्ट में दर्ज मामले के अनुसार एक भारतीय राजनयिक की कार और दल पर उस समय पत्थर फेंके गए जब वे नव वर्ष की पूर्व संध्या पर राव तुलाराम मार्ग पर पश्चिमी वायु कमाण्ड बिलेट्स के सामने से गुजर रहे थे।

रक्षा प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त जांच न्यायालय जांच पड़ताल पूरी होने तक पुलिस द्वारा मामले की जांच पड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। न्यायालय द्वारा जांच की जा रही है।

अनुसूचित जाति के बेरोजगारों को वित्तीय सहायता

1853. **श्री स्कारिया थामस** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने अनुसूचित जाति के बेरोजगारों को खाड़ी देशों में रोजगार

प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्र से किसी वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

टायरों के मूल्य ढांचे का अध्ययन करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त पेनल

1854. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार टायरों के मूल्य ढांचे का अध्ययन करने और उसके दीर्घावधि हल के उपाय सुझाने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त पेनल की नियुक्ति करने पर विचार कर रही है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : सरकार के पास इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दल-बदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन करना

1855. **श्री अमर राय प्रधान**
श्री विजय कुमार यादव } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विधायकों और सांसदों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में जाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए लोक सभा और विधान सभाओं के आगामी आम चुनावों से पहले ही संविधान में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) दल बदल, चुनाव सुधार का एक मुख्य मुद्दा है और इसे अलग से नहीं लिया जा सकता है। अतः केन्द्र सरकार इस समस्या पर चुनाव सुधार से सम्बन्धित अन्य मामलों के साथ विचार कर रही है।

माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड में घाटा

1856. **श्री बी० वी० देसाई**
श्री पी० एम० सईद } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन क्षमता के कम उपयोग, कम श्रम उत्पादकता, आदेशों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब के परिणामस्वरूप, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड में पिछली मार्च तक 106.16 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि निरन्तर घाटे को ध्यान में रखते हुए 1970 में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने सरकारी राजकोष की और आगे अपक्षय से बचने के लिए इस कम्पनी को परिसमापन करने की सिफारिश की थी;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड को लगातार हो रहे घाटे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस निगम को परिसमापन करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) प्रारम्भिक वर्षों में क्रयादेशों की कमी तथा 1977-78 में कोयला कम्पनियों द्वारा क्रयादेश रद्द/स्थगन करना, माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन में हानियां होने का एक प्रमुख कारण रहा है जो बढ़कर मार्च, 1983 तक 123.86 करोड़ रुपये हो गई है।

(ख) जी, हां। फिर भी, सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने मामला आगे नहीं बढ़ाया जब सरकार द्वारा उन्हें यह बताया गया कि अन्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कारणों से कम्पनी को बन्द किया जाना उचित नहीं समझा गया है—

1. एम० ए० एम० सी० प्रमुख क्षेत्र के उद्योगों के लिए व्यापक श्रेणी के उपकरणों का निर्माण कर रहा है जो देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं।

2. संयंत्र में अधिष्ठापित मशीनें तथा उपकरण काफी अच्छी स्थिति में हैं।

3. भविष्य में बेहतर कार्य की सम्भावना तथा

4. कम्पनी में बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन के उत्पादन कार्य में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। हानियों में काफी कमी हुई है। कम्पनी की उत्पादकता में और सुधार करने के लिए कई कदम उठाये गये हैं।

सिलिकन उद्योग के लिये गैस की आवश्यकता

1857. **श्री नीरेन घोष** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) अपने देश में सिलिकन उद्योग के लिए कितनी गैस की आवश्यकता है;

(ख) गैस की इस आवश्यकता का कितना प्रतिशत देशी एककों से पूरा किया जाता है;

(ग) क्या सरकार इस गैस का आयात कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) तथा (ख) इस देश समय में एकल क्रिस्टल सिलिकन का उत्पादन किया जा रहा है। इस उत्पादन के लिए आवश्यक गैस मुख्यत: और्गान है जिसकी वार्षिक खपत इस समय लगभग 1500 घन मीटर प्रति वर्ष है । और्गान की समूची आवश्यकताओं की पूर्ति स्वदेशा इकाइयों द्वारा की जाती है।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

पुश बटन टेलीफोनों का उत्पादन

1858. **श्री ए० के० बालन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का विचार पुश बटन टेलीफोनों का उत्पादन करने का है;

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने उसका सम्बन्धित वस्तुओं के उत्पादन करने हेतु कोई परियोजना लगाने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) टेलीफोन उपकरणों, जिसमें पुश बटन टेलीफोन भी शामिल हैं, के विनिर्माण के लिए परियोजनाएं स्थापित करने के सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकार के उपक्रमों ने प्रस्ताव भेजे हैं। उपक्रमों के नाम इस प्रकार हैं :

मैसर्स गुजरात संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी लिमिटेड (जी० सी० ई० एल०), गुजरात, मैसर्स

तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिकी निगम (एल्कॉट), तमिलनाडु, मसर्स पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम (पी० एस० आई० डी० सी०), पंजाब, मैसर्स कर्नाटक राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लिमिटेड (केयॉनिक्स), कर्नाटक, मैसर्स केल्ट्रॉन, केरल, जिन्हें टेलीफोन उपकरणों के विनिर्माण के लिए आशय-पत्र जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, मैसर्स आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम (ए० पी० ई० डी० सी०), आंध्र प्रदेश, मैसर्स राजस्थान औद्योगिक एवं पूंजी-निवेश निगम लिमिटेड (रीको), राजस्थान, मैसर्स पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग विकास निगम (डब्ल्यू० बी० ई० आई० डी० सी०), पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम (ओ० एस० ई० डी० सी०), उड़ीसा ने इन उपकरणों के विनिर्माण के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन किया है। इन पर इस समय विचार किया जा रहा है। उपर्युक्त निगमों के अलावा, मैसर्स भारतीय टेलीफोन उद्योग, जो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, मुख्यतः घूर्णी (रोटरी) डायल किस्म के टेलीफोन उपकरणों का पहले से ही विनिर्माण कर रहा है।

मूर्ति चोरों का पकड़ा जाना

1859. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जनवरी, 1984 के दैनिक हिन्दुस्तान में "प्राचीन दुर्लभ मूर्तियों के चोर पकड़े गये" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो चोरी का ब्यौरा क्या है और अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मूर्तियों की इस प्रकार की चोरी को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण बनाने का है आर यदि हां, तो वह कब तक स्थापित कर दिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) 16 जनवरी, 1984 को तीन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे और उनसे कुछ मूर्तियां तथा पूजा की अन्य वस्तुत बरामद की गई थीं। उनसे पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि इन वस्तुओं का सम्बन्ध वस्तुएं शिमला की एक चोरी के मामले से था। तदनुसार अभियुक्त को बरामद हुई वस्तुओं के साथ हिमाचल प्रदेश पुलिस को सौंप दिया गया है।

(ग) ऐसा कोई, प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) विधि व व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण पुरावशेषों की चोरी रोकना

प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। फिर भी, राज्य सरकारों आदि द्वारा केन्द्र सरकार को भेजे गये महत्वपूर्ण मामलों की जांच करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में एक केन्द्रीय जांच पड़ताल यूनिट (पुरावशेष) बनाया गया है।

स्वयं रोजगार योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों को स्वीकृत ऋण

1860. **श्री सत्य नारायण जाटिया :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लागू की जा रही स्वयं रोजगार योजना के अधीन लाभान्वित हुए लोगों की राज्यवार संख्या कितनी है तथा उन्हें बिना सिक्योरिटी के कितना ऋण स्वीकृत किया गया ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : 31 जनवरी, 1984 को स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की राज्यवार संख्या और उन्हें स्वीकृत किये गये ऋण की राशि दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न हैं।

विवरण

राज्य सरकारों/अलग-अलग जिला उद्योग केन्द्रों से 21-2-1984 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार स्व-रोजगार के लिए नई योजनाओं के सम्बन्ध में 31 जनवरी, 1984 तक की प्रगति दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदन-पत्रों की संख्या	
		संख्या	राशि (लाख रु० में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4279	847.00
2.	असम	1007	198.21
3.	बिहार	562	107.50
4.	गुजरात	485	122.83
5.	हरियाणा	475	58.86
6.	हिमाचल प्रदेश	111	21.17

1	2	3	4
7.	जम्मू और कश्मीर	सूचना प्राप्त नहीं हुई	
8.	कर्नाटक	2553	360.00
9.	केरल	1390	237.17
10.	मध्य प्रदेश	1309	224.17
11.	महाराष्ट्र	901	113.11
12.	मणिपुर	सूचना प्राप्त नहीं हुई	
13.	मेघालय	—	—
14.	नागालैंड	—	—
15.	उड़ीसा	300	59.06
16.	पंजाब	1887	361.75
17.	राजस्थान	1845	296.20
18.	सिक्किम	सूचना प्राप्त नहीं हुई	
19.	तमिलनाडु	2079	318.98
20.	त्रिपुरा	सूचना प्राप्त नहीं हुई	
21.	उत्तर प्रदेश	1977	290.94
22.	पश्चिम बंगाल	181	32.09
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	सूचना प्राप्त नहीं हुई	
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
25.	चण्डीगढ़	8	1.25
26.	दादर और नगर हवेली	10	2.45
27.	गोआ, दमन और दीव	सूचना प्राप्त नहीं हुई	
28.	मिजोरम	—	—
29.	पांडिचेरी	75	8.20
	योग	21434	3656·85

रक्षा सम्बन्धी गोपनीय जानकारी का प्रकट किया जाना

1861. श्री वी० डी० सिंह
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सम्बन्धी गोपनीय जानकारी के प्रकटन के बारे में लारकिन्स जासूसी कांड की जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) जासूसी के जिस मामले में मेजर जनरल (सेवा निवृत्त) एफ० डी० लारकिंस, ए० वी० एम० (सेवानिवृत्त) के० एच० लारकिंस ले० कर्नल (सेवा निवृत्त) जसबीर सिंह और श्री जसपाल सिंह गिल अन्तर्ग्रस्त थे, उसकी जांच पड़ताल पूरी कर ली गई है और चारों अभियुक्तों के विरुद्ध 4 फरवरी 1984 को दिल्ली के एक न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

प्रति-आसूचना एजेंसियां और संबंधित पुलिस प्राधिकारी जासूसी की गतिविधियों के प्रति निरन्तर सतर्क हैं। वर्गीकृत सूचना के प्रकटन को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों में सुधार करने हेतु भी कदम उठाये गये हैं।

शिक्षित बेरोजगार युवकों को बैंक ऋण

1862. श्री बी० बी० देसाई : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष स्वाधीनता दिवस के अवसर पर प्रधान मन्त्री द्वारा घोषित स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत दिसम्बर के अन्त तक 4.27 लाख से अधिक बेरोजगार पढ़े लिखे युवकों ने बैंक ऋणों के लिए आवेदन किया था;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितनों को बैंक ऋण दे दिया गया है;

(ग) उन आवेदनों की कुल संख्या कितनी है जिन पर अभी तक ऋण देने के लिए विचार नहीं किया गया है;

(घ) ऋण पाने वालों ने किन-किन योजनाओं के अंतर्गत ऋण का प्रयोग किया है;

(ङ) क्या यह सच है कि हाल ही दिल्ली में बहुत से व्यक्तियों को बैंक ऋण दिए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो उनसे इस प्रकार के ऋणों की वापसी हेतु क्या गारंटी ली गई है?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) यह सूचना मिली है कि जनवरी, 1984 तक बैंकों द्वारा लगभग 21.414 आवेदनों को स्वीकृत किया जा चुका है।

(ग) योजना अभी चल ही रही है अत: आवेदनों पर विचार न किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) दिए गए ऋणों का लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों द्वारा उद्योग या सेवा अथवा लघु व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की स्थापना के लिए उपयोग करना होता है।

(ङ) और (च) 'शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वत: रोजगार प्रदान करने की योजना' दिल्ली में लागू नहीं है। अतएव, ये प्रश्न उठता ही नहीं।

टायरों पर उत्पादन शुल्क में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को देना

1863. श्री के० टी० कोसलराम : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा 8 अक्तूबर, 1983 से टायरों के उत्पादन शुल्क में की गई कमी का टायर उत्पादनकर्त्ताओं उपभोक्ताओं को इस तर्क पर लाभ नहीं दिया है कि टायर उद्योग को घाटा हो रहा था;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी किस्म के टायरों के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि की गई है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है कि टायर उत्पादनकर्त्ता टायरों के उत्पादन शुल्क में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को दें?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (पट्टाभि राम राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अलग-अलग टायर कम्पनियों ने उनके द्वारा उत्पादित टायर की विभिन्न किस्मों के मूल्यों में भिन्न-भिन्न समय-समय पर संशोधन किया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

टायरों के निर्माण में प्रयोग की आने वाली सामग्री पर उत्पादन शुल्क

1864. श्री के० टी० कोसलराम : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरों ने अपनी स्थापना से अब तक कितनी बार टायर के मूल्य निर्धारण के बारे में रिपोर्टें दी हैं;

(ख) टायरों के इस मूल्य ढांचे को तर्क संगत बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) टायरों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली सामग्री (प्रत्येक मद की दरें दी जाएं) उत्पादन शुल्क की दर क्या है और विभिन्न किस्मों के तैयार टायरों पर उत्पाद शुल्क की दरें क्या हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) चार बार।

(ख) टायरों के मूल्यों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है।

(ग) टायरों पर उत्पादन शुल्क भारत सरकार (वित्त मन्त्रालय) की अधिसूचना सं० 20/84 दिनांक 1.3.1984 में निर्दिष्ट किया गया है।

प्रमुख निविष्टयों पर उत्पादन शुल्क इस प्रकार है :—

क्रमांक	निविष्टि का नाम	राज्य उत्पादन शुल्क सहित शुल्क शुल्क की दर	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	प्राकृतिक रबड़	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	सिंथेटिक रबड़ :—		
	(1) पोली बुटाडीन रबड़ यदि वह शुल्क भुगतान किये गये कच्चे नेप्था अथवा उससे निकाले गये किसी अन्य रसायन से बनायी जाती है।	5.25 प्रतिशत मूल्यानुसार	एस० बी० आर०/पी० बी० आर० पर भुगतान किया गया उत्पादन शुल्क टायरों पर शुल्क का भुगतान करने के लिये समंजन के रूप में उपलब्ध है।
	(ii) अन्य	10.5 प्रतिशत मूल्यानुसार	

1	2	3	4
3.	कार्बन ब्लैक	15.75 प्रतिशत मूल्यानुसार	कार्बन ब्लैक पर भुगतान किया गया उत्पादन शुल्क, टायरों पर शुल्क देने के लिए समंजन के रूप में उपलब्ध है।
4.	टायर कोर्ड :—		
	(i) नायलोन	4 रु० प्रति किलोग्राम	—
	(ii) रेयन	2 रु० प्रति किलोग्राम	—
5.	रबड़ प्रशोधन रसायन और प्रतिऑक्सीकारक :—		
	(i) जिंक ऑक्साइड	5.25 प्रतिशत मूल्यानुसार	यदि इसका प्रयोग केवल रबड़ की वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है तो उत्पादन शुल्क से पूरी तरह मुक्त होगा।
	(ii) अन्य	15.75 प्रतिशत मूल्यानुसार	
6.	बीड वायर	10 प्रतिशत मूल्यानुसार	जब इस प्रकार की बीड वायर टायरों के निर्माण में नियमित इस्तेमाल की जाती है तो उत्पादन शुल्क से छूट दी जाती है। बीड वायरों पर भुगतान किये गये उत्पादन शुल्क पर समंजन भी उपलब्ध है।

अखिल भारतीय कृषि सम्बन्धी सेवा का गठन

1865. डा० बसन्त कुमार पण्डित : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा केन्द्रीय और राज्य स्तर पर अखिल भारतीय कृषि सम्बन्धी सेवा के गठन की विशेष सिफारिश की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उस बारे में किस तरह का निर्णय लिया गया है और अखिल भारतीय कृषि सेवा का गठन किस समय तक हो जायेगा;

(ग) यदि नहीं, तो उसमें देरी के लिए अथवा इस सिफारिश को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार सभी केन्द्रीय तकनीकी पदों की राज्यों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरने और इसके लिए उन्हें केवल उच्च संवर्गों तक सीमित न रखने को सहमत हो गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) पिछली सरकार ने वर्ष 1978 में यह निर्णय किया था कि किसी नई अखिल भारतीय सेवा के गठन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अखिल भारतीय कृषि सेवा के गठन के बारे में राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। फिर भी उक्त मामले पर पुनर्विचार का निर्णय ले लिया गया है और यह अब विचाराधीन है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) केन्द्रीय तकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धतियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती भी एक पद्धति है। प्रतिनियुक्ति द्वारा पदों को किस सीमा तक भरा जाना है—इसका निर्णय, निम्न ग्रेडों से पदोन्नति के अवसरों तथा क्षेत्रीय अनुभव से युक्त अधिकारियों को केन्द्र में लाने की आवश्यकता को ध्यान में रख कर किया जाता है।

———

दिनांक 24, अगस्त के अतारांकित प्रश्न संख्या 4813 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

कोटद्वार के स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा प्रधान मन्त्री को उनकी गढ़वाल यात्रा के दौरान दिए गए ज्ञापन के संदर्भ में 24-8-1983 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4813 के उत्तर में योजना मन्त्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी। आश्वासन 21-11-1983 को लोक सभा के पटल पर एक

विवरण रखकर पूरा किया गया था। यह उत्तर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना पर आधारित था। अब उत्तर प्रदेश सरकार से और सूचना उपलब्ध हो गई है जिससे पहले दिए गए उत्तर में संशोधन की आवश्यकता है। प्रश्न का संशोधित उत्तर निम्न प्रकार है:—

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या प्रधान मन्त्री को गढ़वाल यात्रा के दौरान कोटद्वार के कुछ प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानियों ने उन्हें गढ़वाल के विकास हेतु कोई अभ्यावेदन दिया था।	(क) जी, हां।
(ख) यदि हां, तो क्या अभ्यावेदन में की गई मांगों पर कोई कार्रवाई की गई है;	(ख) जी, हां। उत्तर प्रदेश सरकार का पहाड़ी विकास विभाग इस मामले में समुचित कार्रवाई कर रहा है।
(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और	(ग) कार्रवाई अभी प्रारम्भिक अवस्था में है।
(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?	(घ) प्रश्न नहीं उठता।

12.00 (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० के० के० तिवारी।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) . अध्यक्ष महोदय, मुझे पहले ही बुला चुके हैं। कृपया मेरी बात सुनिए। हमने कर्नाटक में भाषायी दंगों के सम्बन्ध में चर्चा का नोटिस दिया है। वहां हिंसा व्याप्त है।

अध्यक्ष महोदय : देखकर बात करूंगा कि दायरे में आता है या नहीं ?

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : हमने चर्चा की मांग की है। आपने क्या किया है ?

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस दिया है। मैं पता लगाऊंगा। मैं इस पर विचार करूंगा। हम इस पर विचार करेंगे। देखना है कि हमारे अधिकार में कहां आता है।

प्रो० के० के० तिवारी : यह केन्द्र का विषय है क्योंकि अत्याचार भाषायी अल्पसंख्यकों पर किए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार करेंगे।

श्री के० मायातेवर (डिन्डीगल) : तमिलनाडू सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं जबकि कर्नाटक सरकार इसकी जांच कराने में असफल रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। आप मुझसे और क्या कहलाना चाहते हैं? मुझे इस पर नियमानुसार विचार करना होगा। मैंने आपकी बात सुनी है। आप मुझसे क्या कहलाना चाहते हैं? मैं इस पर विचार करूंगा।

डा० वी० कुलनदेइवेलु (चिदम्बरम) : क्या सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं कि वह अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करे?

श्री के० मायातेवर : यह गम्भीर रूप से राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध है।***

अध्यक्ष महोदय : आप और क्या चाहते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को अनुमति नहीं दी।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं इसमें आपकी मदद चाहता हूं कि विदेश मंत्री से वक्तव्य देने के लिए निवेदन कर सकूं। मैं आपके माध्यम से सदन को बहुत महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने मुझे वह सूचना दी है?

प्रो० मधु दण्डवते : जी हां, मैंने आपको भी बताया है। मैंने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह करूंगा। मैं वह पढ़ चुका हूं। मैं यह सूचना विदेश मन्त्री तक पहुंचाऊंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : ब्रिटेन में भूतपूर्व भारतीय उच्चायुक्त श्री एन० जी० गोरे को श्री म्हात्रे के कत्ल के तुरन्त बाद यह सूचना मिली कि लन्दन के एक क्षेत्र में एक दल कार्य कर रहा है और सम्भवतः उन्होंने ही श्री म्हात्रे का कत्ल किया है। भूतपूर्व उच्चायुक्त ने विदेश मन्त्री को पत्र लिखा लेकिन उसकी कोई पावति प्राप्त नहीं हुई है। श्री एन० जी० गोरे यह सन्देश

*** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

विदेश मन्त्री तक पहले ही पहुंचा चुके हैं। मैं चाहता हूं कि विदेश मन्त्री वक्तव्य दें। क्या आप विदेश मन्त्री को वक्तव्य देने के लिए कहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। मैं आपकी चिंता उन्हें बताऊंगा। मैं उन्हें बताऊंगा। मैं भी इससे चिंतित हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप यह सन्देश विदेश मन्त्री तक पहुंचायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि मैं आपका सन्देश पहुंचा दूंगा।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : उत्तर प्रदेश में एक्सट्रीमिस्ट्स की एक्टीवीटीज बिल्कुल वैसी ही हैं, जैसी कि पंजाब में है। वहां छांटकर अपोजिशन के लोगों को मारा जा रहा है। आज भी वहां दो पोलिटिकल मर्डर हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : उतर प्रदेश सभा का सत्र चल रहा है। मैं उस पर यहां चर्चा नहीं करा सकता।

श्री रशीद मसूद : हम उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं।.........

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। **(व्यवधान)****

12.05

सभापटल पर रखे गए पत्र

व्यवहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, इसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) व्यवहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) व्यवहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

** कार्यवाही—वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7801/84]

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, भारतीय विस्फोटक अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18कक की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 926(अ), जो 22 दिसम्बर, 1983 के भारत, के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स नेशनल रबर मैन्युफेक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबन्ध ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(दो) का० आ० 937(अ), जो 29 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स इंडिया बेल्टिंग एंड काटन मिल्स लिमिटेड, सीरामपुर, (पश्चिम बंगाल) के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(तीन) का० आ० 948(अ) जो 31 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स ग्लूकोनेट लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(चार) का०आ० 950(अ), जो 31 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स कृष्ण सिलिकेट एंड ग्लास वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(पांच) का०आ० 10(अ) जो 7 जनवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स मोटर एंड मशीनरी मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(छ:) का० आ० 65(अ) जो 2 फरवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो श्री राम शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बोब्बिली, के प्रबन्ध-ग्रहण की

अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 7802/84]

(2) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा(2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 925(अ), जो 22 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स नेशनल रबर मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड, कल्याणी के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(दो) का० आ० 947(अ), जो 31 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स अलोक उद्योग वनस्पति एंड प्लाइवुड लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(तीन) का० आ० 949(अ), जो 31 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स ईस्टर्न डिस्टिलरीज़ प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(चार) का० आ० 11(अ), जो 4 जनवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स इनचैक टायर्स लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(पांच) का० आ० 35(अ), जो 21 जनवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स प्रियलक्ष्मी मिल्स, बड़ौदा, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7802/84]

(3) भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 6 और 17 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 625(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 16 अगस्त, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत "ऐसीटिलीन" को "विस्फोटक" घोषित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7803/84]

(4) कम्पनी अधिनयम, 1856 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत

निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7804/84]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7805/84]

(ग) (एक) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7806/84]

(घ) (एक) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7807/84]

(ङ) (एक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड ऊटकमंड के

वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड ऊटकमंड का का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7808/84]

(च) (एक) भारत औपथालमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत औपथालमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7809/84]

(छ) (एक) नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड; कलकत्ता, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7810/84]

(ज) (एक) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा बांध, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा बांध, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7811/84]

(झ) (एक) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, इलाहाबाद, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, इलाहाबाद, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक

प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिये संख्या एल० टी० 7812/84]

(अ) (एक) रिचर्डसन एंड कुडास लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) रिचर्डसन एंड कुडास लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7813/84]

(ट) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, रूपनारायणपुर, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड, रूपनारायण, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिये संख्या एल० टी० 7814/84]

(ठ) (एक) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(5) उपर्युक्त मद (4) के (ङ) से (ठ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले 8 विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7815/84]

(6) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद, के वर्ष 1982-83 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7816/84]

(8) (एक) सेंट्रल मशीन टूल इंस्टीट्यूट, बंगलौर, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल मशीन टूल इंस्टीट्यूट, बंगलौर, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7817/84]

(9) (एक) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 7818/84]

(11) (एक) इंडियन प्लाइवुड इन्डस्ट्रीज रिसर्च इंस्टीच्यूट, बंगलौर, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इण्डियन प्लाइवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च इंस्टीच्यूट, बंगलौर, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 7819/84]

(13) पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 155 के अन्तर्गत पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह के महानियन्त्रक के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 7820/84]

(14) (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1982-83 के लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7821/84]

इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड हैदराबाद, और इण्डियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1982-83 की कार्यकरण की समीक्षा व वार्षिक प्रतिवेदन

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद,का वर्ष 1982-83

का वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 7822/84]

(2) (एक) इण्डियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण का सरकार द्वारा समीक्षा ।

(द) इण्डियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, बम्बई, का वर्ष 1982 83 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 7823/84]

नारियल जटा उद्योग अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना; इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इन्डिया) लिमिटेड. नई दिल्ली के भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इन्जीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता आदि और राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 26 की उपधारा (3) के अन्तर्गत नारियल-जटा उद्योग (संशोधन) नियम, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 31 दिसम्बर 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1022 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 7824/84]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) इन्जिनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) इन्जिनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इन्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7825/84]

(ख) (एक) भारत प्रोसेस एन्ड मेकेनिकल इन्जीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता, तथा उसकी सहायक कम्पनी, अर्थात वेबर्ड (इन्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत प्रोसेस एंड मेकेनिकल इन्जिनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता तथा उसकी सहायक कम्पनी अर्थात वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उनपर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7826/84]

(ग) (एक) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(द) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) के भाग (ग) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 7827/84]

खान और खनिज विनियमन और विकास) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना और खनिज विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 के अन्तर्गत खनिज रियायत (तीसरा संशोधन) नियम, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 12 नवम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 838 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7828/84]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत

निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड, धनबाद, तथा उसकी सहायक कम्पनी, अर्थात, इंडिया फायरब्रिक्स एण्ड इंस्यूलेशन कम्पनी लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड, धनबाद, तथा उसकी सहायक कम्पनी, अर्थात, इण्डिया फायरब्रिक्स इन्स्यूलेशन कम्पनी लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7829/84]

(4) (एक) खनिज विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खनिज विकास बोर्ड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 7830/84]

अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत अधिसूचना

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : मैं, श्रीमती राम दुलारी सिन्हा की ओर से अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 की धारा 28 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) नियम, 1984 जो 2 फरवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 52 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7831/84]

संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) दूसरा संशोधन विनियम, दिल्ली पुलिस, अधिनियम सेवाएं अधिनियम केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम और अखिल भारतीय आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : मैं श्री पी० वेंकटसुब्बय्या की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 318 के अन्तर्गत जारी किए गए संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) दूसरा संशोधन विनियम, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजा संस्करण), जो 3 सितम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 640 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7832/84]

(2) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति तथा भर्ती) (संशोधन) नियम, 1983, जो 16 दिसम्बर, 1983 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 10/15/83-होम (पी) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति तथा भर्ती) (सांतवा संशोधन) नियम, 1983, जो 20 जनवरी, 1984 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 10/41/83 होम (पी) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 7133/84]

(3) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (पहला संशोधन) नियम, 1984 की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 18 फरवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 159 में प्रकाशित हुये थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7834/84]

(4) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) दसवां संशोधन विनिमय, 1983 जो 20 दिसम्बर 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

संख्या सा० का० नि० 898 (अ) में प्रकाशित हुये थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 1983, जो 20 दिसम्बर 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 899 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) ग्यारहवां संशोधन विनियम, 1983, जो 20 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 900 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियम, 1983 जो 20 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 901 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) बारहवां संशोधन विनियम, 1983, जो 24 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 917 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नवां संशोधन नियम, 1983 जो 24 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 918 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय वन सेवा (वेतन) पहला संशोधन नियम, 1984, जो 21 जनवरी 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 32 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-एवं सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 1984 जो 21 जनवरी 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 33 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) पहला संशोधन विनियम, 1984 जो 21 जनवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 34 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पहला संशोधन नियम, 1984, जो 21 जनवरी 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 35 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1984 जो 11 फरवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 119 प्रकाशित हुए थे ।

(बारह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1984 जो 18 फरवरी 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 157 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 1984, जो 18 फरवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 158 में प्रकाशित हुए थे ।

(चौदह) अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) संशोधन नियम, 1984 नियम, 1984 जो 18 फरवरी 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 162 में प्रकाशित हुए थे ।

(पन्द्रह) अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) संशोधन नियम, 1984, जो 18 फरवरी 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 163 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7835/84]

(5) लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अध्यादेश, 1984 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 7836/84]

केन्द्रीय उत्पाद नियमों और सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

1. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 160 (अ) से 202 (अ) तक की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 1 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो वित्त मंत्री द्वारा 29 फरवरी, 1984 को लोक सभा में घोषित अप्रत्यक्ष करों सम्बन्धी बजट प्रस्तावनाओं के संदर्भ में सीमा शुल्क सम्बंधी परिवर्तनों तथा छूटों के बारे में है ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7837/84]

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 89(अ) से 159(अ) तक की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 1 मार्च 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो वित्त मंत्री द्वारा 29 फरवरी, 1984 को लोक सभा में घोषित अप्रत्यक्ष करों सम्बन्धी बजट प्रस्तावनाओं के संदर्भ में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सम्बन्धी परिवर्तनों और छूटों के बारे में है ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 7838/84]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया यथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 5 मार्च, 1984 को अपनी बैठक में पारित एशियाटिक सोसाइटी विधेयक, 1984 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है ।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 5 मार्च, 1984 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 3 मार्च, 1984 को पारित किये गये नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तों) संशोधन विधेयक, 1984 से बिना किसी संशोधन सहमत हुई ।"

(तीन) "मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने आज, 6 मार्च, 1984 को हुई अपनी बैठक में भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद्, विधेयक, 1981 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में लोक सभा के एक सदस्य की नियुक्ति के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया—

"कि यह सभा लोक सभा को सिफारिश करती है कि भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद्, विधेयक, 1981 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में, श्री जे० सी० बरवे की मृत्यु के कारण रिक्त हुए स्थान पर लोक सभा का एक सदस्य नियुक्त करें, और उपरोक्त संयुक्त समिति में लोक सभा द्वारा नियुक्त किये गये सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करें ।"

एशियाटिक सोसाइटी विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित

महासचिव : श्रीमन्, मैं राज्य सभा द्वारा यथापारित एशियाटिक सोसाइटी विधेयक, 1984 सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ कहना चाहता हूं······ **(व्यवधान)**

श्री एस० एम० लारेंस (इदुक्की) : इलैक्ट्रानिकी मशीन के प्रयोग के कारण, उच्चतम न्यायालय ने केरल के पासर निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव अवैध घोषित कर दिया है। यह एक बहुत गम्भीर मामला है······ **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती। आप मेरे पास आइये। हम इस पर विचार करेंगे। अगर कोई रास्ता होगा तो मैं आपसे बात करूंगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह ऐसा विषय है, जिस पर इस सभा में चर्चा नहीं की सकती।

अध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया है, आप आइये और बात कीजिये। **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री राम विलास पासवान

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए······

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय······

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए।

श्री रामावतार शास्त्री : डा० गुप्ता के ट्रांसफर के बारे में सब सदस्यों ने पत्र लिख कर दिया है······

अध्यक्ष महोदय : वह हो जाएगा।

मैं एक अर्ज करना चाहता हूं। आए दिन मुझे धमकी दी जाती है कि हाउस नहीं चलने दिया जाएगा। अगर नहीं चलने देंगे, तो मुझे क्या तकलीफ है? मैं तो हाउस को कानून से चला सकता हूं। अगर यह कानून से चलता है, तो मैं चलाऊंगा। **(व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : रोजाना सुबह आते ही धमकी दी जाती है । मुझे धमकी मत दीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रोजाना यह धमकी दी जाती है कि हाउस नहीं चलने दिया जाएगा । यह आप लोगों का हाउस है, न चलाइए । मैं बगैर कानून के, बगैर रूल्ज की मदद के, हाउस नहीं चला सकता । यह आज बन्द हो जाए या कल बन्द हो जाए, मगर जब तक यह चलेगा, कानून से चलेगा । बगैर कानून के मैं हाउस को नहीं चला सकता । (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं आपका ध्यान नियम 41(2) (7) की ओर आकर्षित करता हूं । वे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हत्याओं का मामला उठाने का प्रयास कर रहे हैं । आप उसके लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं । यह ठीक है···

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह)—उठ खड़े हुए ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आपने उन्हें अनुमति दी थी या मुझे···

उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हत्याएं हुई हैं । आप इस विषय को उठाने की अनुमति नहीं देते हैं । परन्तु आज आपने प्रश्न संख्या 153 को अनुमति दी है । इसका सम्बन्ध जम्मू और काश्मीर में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति से है । ये सदस्य एक ऐसे मामले को उठाने का प्रयास कर रहे हैं जिसके लिए आप नियम 41(2) (vii) के अन्तर्गत अनुमति नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप ऐसे किसी प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दे सकते जिसका सम्बन्ध भारत सरकार से नहीं है । परन्तु आपने इस प्रश्न को उठाने की अनुमति दे दी है । मैं नहीं जानता, क्यों ? यह प्रश्न कैसे स्वीकार कर लिया गया ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं । इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था ।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर (दुर्गापुर) : इसे हटा दिया जाना चाहिए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गलती हुई है, गलती हुई तो मैं उसे मानता हूं । मैं कोई खुदा नहीं हूं । मेरा स्टाफ कोई खुदा नहीं है कि वह कोई गलती नहीं कर सकता । उन्होंने गलती कर दी होगी । उन्हें इसे ग्रहीत नहीं करना चाहिए था ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : जम्मू और काश्मीर का संविधान में विशेष दर्जा है । आप इस प्रश्न को कैसे ग्रहीत कर सकते हैं ? (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा आरक्षणों के विरुद्ध की गई टिप्पणी का उल्लेख किया गया था···

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे पहले ले चुका हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय गृह मंत्री यहां उपस्थित थे·

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर पहले ही कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह कह रहा हूं कि मुझे वीडियो फिल्म प्राप्त हुई है। यह टेप नहीं है। यह पूरी वीडियो फिल्म है। मैं इसे आपको सौंप रहा हूं। आप इसे आगे गृह मंत्री को दे सकते हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कार्यवाही कर चुका हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप इसे केन्द्रीय कक्ष में चलाने की व्यवस्था कीजिए। मैं इसे अब आपको दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यहां नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : राज्यपाल ने जो कुछ कहा है, आपको उसका प्रमाण चाहिए था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी किसी से कोई हमदर्दी नहीं है। मैं तो नहीं करवाना चाहता हूं। जो सही बात है उस पर मैं पाबंद रहूंगा। आप गृह मंत्री से भी मिल सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इसे आपको दे दूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी का बचाव क्यों करूंगा ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सदस्य यह स्वयं देख लें कि राज्यपाल महोदय ने क्या कहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जिसको मैं ठीक समझता हूं, ठीक कहता हूं लेकिन जो गलत है वह भी मानने के लिए तैयार हूं। मैं मानता हूं यह सवाल नहीं है मेरी समझ से, लेकिन मेरे स्टाफ ने इसको एडमिट किया है।

यह गलत है। मैं इससे पूर्णतया असहमत हूं।

लेकिन जब एडमिट कर देते हैं तो गवर्नमेंट आंसर देगी।

वह ऐसा करने के लिए बाध्य हैं। मैं यह मानता हूं। मैंने कहा है कि यह गलत है और यह स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। मैं इस प्रश्न पर बहस की अनुमति नहीं दूंगा। यह राज्य का विषय है। अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। श्री पासवान। **(व्यवधान)** मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह बिल्कुल सीधी बात है, आप समझें या नहीं, मैं सिद्धांतों पर चलता हूं। मैंने अपना निर्णय ले लिया है और मैं इसे रद्द नहीं करूंगा। **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी नहीं। अनुमति नहीं दी जाती है। **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए। मैं अपनी बात से जरा-सा भी हिलने वाला नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। श्री राम विलास पासवान।

(व्यवधान)**

कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए। मैं किसी को भी इस विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—श्री पासवान।

———

12.19

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पाकिस्तान द्वारा आधुनिकतम शस्त्रास्त्रों और गोलाबारूद की खरीद के लिए संयुक्त राज्य अमरीका के साथ करोड़ों डालर का कथित करार

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर रक्षा मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस पर वक्तव्य दें—

> "पाकिस्तान द्वारा आधुनिकतम शास्त्रास्त्रों और गोलाबारूद की खरीद के लिए संयुक्त राज्य अमरीका के साथ करोड़ों डालर का कथित करार और उसका सामना करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।"

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान में अमरीका और कुछ अन्य देशों की सहायता से शस्त्रास्त्रों के भारी जमाव पर सदन की चिन्ता से मैं सहमत हूं.........

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : नो प्वाइंट आफ आर्डर।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, नियम 222 के तहत।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। अब किसी बात पर चर्चा नहीं की जानी है। अब श्री रामविलास पासवान।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी मैंने नहीं सुना है।

अध्यक्ष महोदय : आपने नहीं सुना तो मेरी जिम्मेदारी है क्या !

श्री राम विलास पासवान : मैं तो चुप हूं। **(व्यवधान)**···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है। श्री वाजपेयी जी को मैंने अनुमति नहीं दी है। मैं अपने निर्णय पर दृढ़ हूं। मैं इस पर दृढ़ रहूंगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बोलिए साहब, यदि बोलना है तो।··· **(व्यवधान)**···

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : महोदय, मंत्री जी ने एक विस्तृत वक्तव्य दिया है। उनके दिल में देश का हित है। उनके सुयोग्य मेजर के० पी० सिंह देव उनकी सहायता कर रहे हैं। उन्होंने देश को आश्वासन दिया है कि पाकिस्तान से देश की सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : मैं कैसे बोलूंगा। हाउस को आर्डर में लाना तो आपका काम है।··· **(व्यवधान)**···

अध्यक्ष महोदय : उल्टा चोर कोतवाल को डांटे आज।

श्री राम विलास पासवान : सभा को व्यवस्था में रखना आपका काम है। मैं क्या कर सकता हूं ? रक्षा मंत्री ने क्या कहा है, मुझे पता नहीं है।··· **(व्यवधान)**···

अध्यक्ष महोदय : आज उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।··· **(व्यवधान)**···

अध्यक्ष महोदय : जरूर बैठिए।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दूंगा। कार्यवाही वृत्तांत में एक भी शब्द सम्मिलित नहीं किया जाना है क्योंकि मैंने किसी को भी अनुमति नहीं दी है। मैं अनुमति नहीं दूंगा। मैं सभा को दस मिनट के लिए स्थगित कर दूंगा।

12.23

[तत्पश्चात सभा दस मिनट के लिए स्थगित हुई]

12.39

लोकसभा 12.39 बजे पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष जी, क्या फैसला हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : पंचायत का जो फैसला होता है, वह अच्छा ही होता है। बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग करेंगे और जो बात आप ने उठाई है, उस पर विचार करेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : (पटना) : पूरे हिंदुस्तान के मामलों के बारे में चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी होंगे, आप भी होंगे और दूसरे सारे होंगे और मिल कर फैसला कर लेंगे।

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : रक्षा मन्त्री द्वारा दिया गया वक्तव्य सुना नहीं जा सका।

अध्यक्ष महोदय : दुबारा सुनवायें आपको। ठीक है।··· (व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, नियम 222 के अन्तर्गत मैंने आपको लिखकर दिया है। कल सारी लोकदल पार्टी ने सदन का त्याग किया था इस सवाल को लेकर कि श्री मुलायम सिंह पर फायरिंग हुई।

अध्यक्ष महोदय : फिर वही बात हुई यह भी।

श्री मनीराम बागड़ी : आकाशवाणी ने उस वाकआउट की चर्चा तक नहीं की।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दे दीजिए मैं देख लूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (नई दिल्ली) : यह पार्लियामेंट के विशेषाधिकार का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : अध्यक्ष महोदय, यह इनकी मिली भगत है, मैं आपको बता सकता हूं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां कौन-सा डिसकस हो रहा है। कोई डिसकस नहीं हो रहा। कुछ नहीं है बैठ जाइये आप। नहीं, कुछ नहीं हुआ है। यहां रिकार्ड में कुछ भी नहीं है।

श्री मनीराम बागड़ी : विशेषाधिकार का···।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा आपने जो 222 में दिया है, एस पर विचार करूंगा, फिर आपको बताऊंगा।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मुझे एक अनुरोध करना है। आज हमने कार्य सूची से बाहर के विषय पर अधिक समय ले लिया है। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मध्याह्न अवकाश न किया जाए और कार्यवाही जारी रखी जांए।

श्री मनीराम बागड़ी : आज भूखे नहीं रहेंगे। या तो खीर खिलानी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय : इनको खीर खिला दीजिए। मेरे विचार में सभा इससे सहमत है।

कई माननीय सदस्य : जी हां।

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान में अमेरिका और कुछ अन्य देशों की सहायता से शस्त्रों के भारी जमाव पर सदन की चिंता से मैं सहमत हूं। अमेरिका के विदेशी सेना को बिक्री के अधीन शस्त्रों का हस्तान्तरण उन दरों पर किया जाता है जिनमें काफी मात्रा में सहायता दी जाती है और इस संदर्भ में सार्वजनिक रूप से बताए गए आर्थिक आंकड़े पाकिस्तान द्वारा अमेरिका से प्राप्त किए जा रहे शस्त्रों के वास्तविक मूल्य से कहीं कम होने की सम्भावना है। हमारा यह विश्वास करने की वजह है कि इस भारी सहायता के अंश के रूप में पाकिस्तान ने पहले ही आधुनिकतम हथियार प्रणाली तथा कुछ एफ-16 विमान, प्रक्षेपास्त्र तोप, राडार और अन्य आपत्तिजनक उपस्कर प्राप्त कर लिए हैं। की गई जाने वाले हैं। सरकार ने ऐसी रिपोर्टें भी देखी हैं कि इन नई प्राप्त किए जा रहे शस्त्रों के आधुनिकतम शस्त्र प्रणालियों में से कुछ पाकिस्तान ने हाल ही में शीतकालीन सैनिक प्रशिक्षण अभ्यासों के दौरान परीक्षण भी किया है।

12.43

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

पाकिस्तान द्वारा अपने एफ-16 विमान के लिए मध्यम श्रेणी की हवा से हवा में मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र प्रणाली प्राप्त करने के प्रयत्न के बारे में हाल में प्रकाशित समाचार पर सरकार ने काफी गम्भीरता से विचार किया है। इसके साथ ही अन्य शस्त्रों को भी ध्यान में रखना होगा जैसे—एफ-16 विमान, वायु रक्षा प्रणाली, नौसेना प्रेक्षपात्र, रात्रि दृष्टि उपस्कर, सशस्त्र हेलीकाप्टर टैंक और अद्यतन संचार प्रणाली। हमारे उप महाद्वीप में शस्त्रों को इतनी भारी

मात्रा में एकत्र करने से शस्त्रों की होड़ के लिए एक नई प्रेरणा मिल सकती है और इससे इस क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है।

पाकिस्तान द्वारा ये शस्त्र प्राप्त करना मात्रा में और अधुनातन की दृष्टि से उनकी वैधानिक रक्षा आवश्यकताओं से कहीं अधिक है। इतने अल्प समय में इन अधुनातम हथियारों और प्रणालियों को एकत्र करना अफगानिस्तान से या उसके जरिए सम्भावित खतरे का मुकाबला करने के लिए उचित बताया जा रहा है। माननीय सदस्य यह देखेंगे कि भारी मात्रा में शस्त्रों की सप्लाई किया जाना प्रत्यक्षतः अफगानिस्तान के विरुद्ध शस्त्रों का फैलाव करना अनुचित होगा। स्वतन्त्रता के बाद से हमारा अनुभव रहा है कि पाकिस्तान ने जो भी शस्त्र प्राप्त किए हैं उनका इस्तेमाल निश्चित रूप से हमारे विरुद्ध हुआ है।

माननीय सदस्यों को विदित ही है कि पाकिस्तान यूरेनियम में वृद्धि करने और इस्तेमाल किये गये ईंधन को पुनः संसाधित करने के लिए तेजी से प्रयत्न करता रहा है। पाकिस्तान द्वारा हथियार ग्रेड समृद्ध यूरेनियम के उत्पादन की क्षमता प्राप्त करने के बारे में हाल में प्रकाशित समाचार रिपोर्टों से उत्पन्न चिन्ता को सरकार ने नोट कर लिया है। इसका हमारी सुरक्षा पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा जिसको सरकार अनदेखी नहीं कर सकती है।

हमारे दोनों देशों के सम्बन्धों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया पर इन बातों का जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हमने संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान की सरकारों को स्पष्ट रूप से बता दिया है। हमने पाकिस्तान को भी स्पष्ट रूप में बता दिया है कि यद्यपि हम उस देश द्वारा आत्मरक्षा के लिए शस्त्र प्राप्त करना उनका प्रभुसत्ता अधिकार स्वीकार करते हैं किन्तु उनके द्वारा अपनी वैधानिक रक्षा आवश्यकताओं से कहीं अधिक हथियार प्राप्त करने से हम अत्यधिक क्षुब्ध हैं।

मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सरकार स्थिति की गम्भीरता के बारे में पूरी तरह सचेत है और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सभी आवश्यक उपाय शुरू कर दिए हैं कि हमारी सशस्त्र सेनाएं शस्त्रों से पर्याप्त रूप से लैस हों और हमारी सुरक्षा के लिए उत्पन्न किसी भी खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहे।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम लोग अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय पर यहां चर्चा कर रहे हैं।

पाकिस्तान और यू० एस० ए० के बीच अब खरीददारी का ही मामला नहीं रह गया है

[श्री राम विलास पासवान]

बल्कि जहां तक मुझको जानकारी है और मन्त्री महोदय ने भी बताया था कि पाकिस्तान ने अमेरिका को बेस फैसिलिटी भी दे दी है। उस फैसिलिटी के तहत अमेरीका, पाकिस्तान के हवाई अड्डे और बंदरगाह का उपयोग भी आवश्यकता पड़ने पर कर सकता है। यदि यह बेस फैसिलिटी उसे मिल गई है तो इसका मतलब है जिसके लिए वह प्रयत्नशील था, इण्डियन ओशन में उसका पांव जम गया है। इसके लिए पाकिस्तान चाहे अमेरीका को पैसा दे या नहीं दे, इतनी बड़ी चीज को प्राप्त करने के लिए अमेरीका को मुफ्त में भी पाकिस्तान को अर्थ की सहायता देनी पड़े तो वह देने में नहीं हिचकेगा। मन्त्री महोदय ने अभी कहा है कि पाकिस्तान को एफ-16 जहाज 80 से ज्यादा मिल गए हैं। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो और भी दिए जायेंगे। लेकिन, सरकार ने कहा है कि हम हर दृष्टिकोण से उसके लिए तैयार हैं। मन्त्री जी से मैं दो-तीन बातों की जानकारी लेना चाहूंगा। गुट-निरपेक्षता की जो नीति है, उसके आधार पर आपका रशिया से कितने समय तक का समझौता है। मेरे जैसा आदमी यह समझकर चल रहा है कि ये दोनों महाशक्तियां, जो आपकी गुट-निरपेक्षता की नीति है और भारत जिसका चेयरमैन है, उसको वह चलने नहीं देना चाहती। यही कारण है कि दोनों के पांव अपनी तरह से बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान पर कब्जा होने का मतलब पड़ोस में ईरान है और ईरान के बगल में साऊदी अरब है। वहां उसका ग्रिप जम रहा है। अफगानिस्तान में रशिया जो बेस बनाए हुए है, उसको भी छू लेगा। इस तरह से जो इन इन्टरनेशनल क्राइसिस है, वह बढ़ जायेगी। और जब बढ़ेगी तो नतीजा उसका भारत को भुगतना पड़ेगा अन्ततोगत्वा। पाकिस्तान की बगल में ईरान और सऊदी अरेबिया है इसलिये आपकी जो नान-एलाइनमेंट की पौलिली है वह खतरे में है और दोनों सुपर पावर्स नहीं चाहती हैं कि आपका गुटनिरपेक्ष आंदोलन और नीति चल पाये। हमारे जैसे लोगों को कहने में हिचक नहीं है हम गुट-निरपेक्ष के चेयरमैन हैं, थोड़ा बहुत शतरंज खेलने में दिलचस्पी भी लेते हैं और खेलते भी हैं, तो जैसे शतरंज में होता है कि एक प्यादा आगे बढ़ता है तो दूसरा प्यादा आटोमेटिकली आगे बढ़ता है। यही दोनों महाशक्तियों की हालत है। जब अमरीका का प्यादा बढ़ता है तो रशिया भी अपना प्यादा बढ़ाता है, और इसमें चाहे रशिया आड़ ले ले अमरीका कि अमरीका ने पाकिस्तान में बेस बना लिया है इसलिए डेमोक्रेसी लाने के लिए हमारा अफगानिस्तान में रहना जरूरी है। या पाकिस्तान में अमरीका यह कह कर बात करे कि चूंकि अफगानिस्तान में रशिया का बेस बना हुआ है इसलिए ही पाकिस्तान में बेस बनाना जरूरी है। दोनों ही हालत में भारत का नुकसान होने वाला है, और जो हमारी इंडियन औशन और मिडिल ईस्ट कन्ट्रीज हैं उस पर खतरा उत्पन्न हो चुका है।

इसलिए जैसा मैंने पहले ही कहा आपकी जो पौलिसी है उसके तहत अभी हमारा रशिया से समझौता है, वहां के रक्षा मन्त्री आजकल देश आये हुए है, रूस कितनी दूरी तक मदद करने

के लिए तैयार है, हमारी अपनी शक्ति है नहीं क्योंकि जो हमारे पास रेजीमेंट है वह हमें मालूम है, हमारी फौज बहुत तेजी से बढ़ रही है, प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी अमरीका और रूस जिस तरह के हथियार का प्रोड्क्शन कर रहे हैं उसके मुकाबले में हमें काफी समय लगेगा। और इस बीच में उन शक्तियों से निपटने के लिए और अपने सैन्य बल को मजबूत करने के लिए अमरीका के खिलाफ में आपको हर हालत में हथियार लेने पड़ेंगे चाहे वह रूस से लें या फ्रांस से लें। हम भी चाहते हैं कि आप मजबूत हों, हमारी शक्ति मजबूत हो।

अभी कुछ दिन पहले हम अंडमान निकोबार गये थे। वह हमारा नग है। जो फाकलैंड में अर्जेन्टीना का फेट हुआ, हमारे देश में 500 किलोमीटर की दूरी पर अंडमान निकोबार हमारे देश का अंग है, वैसे ही उतनी दूरी पर लक्ष्यद्वीप है, लेकिन अंडमान निकोबार की महत्ता काफी है। अगर उस पर खतरा हो गया तो पूरा का पूरा इण्डियन ओशन खतरे में आ जायेगा। इसलिए अण्डमान निकोबार में जो आप अपना मिलिटरी बेस बना रहे हैं उसका जितना महत्व होना चाहिए और जितना उसको बढ़ाना चाहिए क्या उतना आप करवा रहे हैं ?

इसी तरह से सेतुसमुद्रम प्रोजेक्ट है जो अंडमान और पावन के बीच में है। अभी वहां पुल भी बन रहा है। लेकिन हिन्दुस्तान का अगर नक्शा देखेंगे तो जो श्रीलंका है, अगर कलकत्ता से बम्बई जाना हो, पूरा घूमकर जाना पड़ता है। क्या उस नहर को चौड़ा करने के लिये डिफेंस के दृष्टिकोण से उस प्रोजेक्ट को बनाने का आपने कोई उपाय निकाला है कि नहीं ? हमारे पास साधन की कमी नहीं है। और मैं जब अंडमान निकोबार गया था तो हमने वहां देखा था जब जापानी सेना आयी थी तो सबसे पहला पड़ाव उनका अंडमान निकोबार में हुआ था और तब हिन्दुस्तान पर उसने चढ़ाई की थी···

उपाध्यक्ष महोदय : पूरा घूमकर जाए बिना यदि आप बम्बई से कलकत्ता सीधे जाना चाहते हैं तो आपको सेतु नहर की आवश्यकता होगी। यदि वह सेतु नहर है तो आप सीधे जा सकते हैं।

श्री राम विलास पासवान : वही मैं कह रहा हूं। अन्तर इतना ही है कि मैं हिन्दी में कह रहा हूं, आप अंग्रेजी में कह रहे हैं।

क्योंकि यह रक्षक और फारन-अफेयर्स का मामला है, इसमें चाहे सरकारी पक्ष की नीति हो या विपक्ष की नीति हो, हमारे सामने राष्ट्रीय नीति है, न इस पक्ष की नीति है न उस पक्ष की नीति है। घरेलू मामले में हम भले ही आपस में लड़ते रहें, एक-दूसरे की नुक्ताचीनी करते रहें लेकिन जहां तक डिफेंस और एक्सटर्नल रफेयर्स का मामला है, हम चाहते हैं कि इस पक्ष के लोग

[श्री राम विलास पासवान]

एक हों और जब भी देश के सामने कोई खतरा उत्पन्न हुआ है हमने देश की एक राष्ट्रीय नीति मानकर देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए पूरा प्रयास किया है ।

यह बात सही है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सुरक्षा के दृष्टिटकोण से या स्ट्रेटेजिक प्वाइन्ट आफ व्यू से यह सम्भव नहीं है कि मन्त्री महोदय सब चीजें सदन को एक्सप्लेन करें लेकिन मैं मन्त्री महोदय से इतना आश्वासन जरूर चाहूंगा कि जिस तरह से दोनों महाशक्तियों के पांव बढ़ते जा रहा रहे हैं, अमेरिका का पांव पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है, रूस का पांव अफगानिस्तान में बढ़ता जा रहा है, और दोनों का मिला-जुला इफैक्ट भारत पर पड़ने वाला है, हिन्दुस्तान में काले बादल मंडरा रहे हैं, आज मिडिल ईस्ट कन्ट्रीज और इण्डियन ओशन खतरे से घिर गया है, क्या सरकार ने उसके लिए पूरी तैयारी की है ? क्या हम अपनी पालिसी में कोई अमैंडमैंट करना चाहते हैं ? अमेरिका से जो सीधे कन्फ्रंटेशन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्या उसको रोका जा सकता है । आपने एक बात कही है कि हमने पाकिस्तान और अमेरिका को साफ बतला दिया है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे । हम भी कहते हैं कि बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हम यह भी मानते हैं कि कोई भी दुश्मन अगर हमारे ऊपर उंगली उठायेगा तो हम उसकी आंख निकाल लेंगे और हमारी इतनी क्षमता होनी चाहिए, लेकिन स्ट्रेटेजिकल प्वाइन्ट भी होना चाहिये, कोई भी दुश्मन को अपने घर में नहीं रखना चाहेगा । हिन्दुस्तान कभी नहीं चाहेगा कि हमारे घर में रशिया बैठ जाये, पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि उसके घर में अमेरीका आकर बैठ जाये, अफगानिस्तानक भी नहीं चाहेगा कि कोई बाहरी शक्ति आकर पंजा जमाने की कोशिश कर रही है, हो सकता है पाकिस्तान के सामने उसकी लाचारी आ गई हो, बेबश तरीके से उसको यू० एस० ए० की मदद लेना जरूरी हो, तो उससे हमको मुकाबला करना है । ऐसी स्थिति में मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ने कोई स्ट्रैटेजी तय की है या नहीं ? एक तरफ जब हम खुलेआम पाकिस्तान और अमेरीका को कह सकते हैं तो हमें दबे पांव से रशिया को भी कहना चाहिए । यह भी देखना है कि कहां तक यह सम्भव है कि पाकिस्तान से अपनी फौजें अमेरीका हटा ले और रशिया अपनी फौजों को अफगानिस्तान से हटा ले जिससे भारत पर जो बादल मंडरा रहे हैं वह कम हो जायें । जहां मैं यह जानना चाहूंगा, वहां यह भी जानना चाहूंगा कि सरकार अपने सैन्यबल को मजबूत की दिशा में कौन सी करने कार्यवाही कर रही हैं और आगे आने वाले खतरे से निपटने के लिए सरकार ने क्या विशेष योजना तैयार की है ?

श्री आर० वेंकट रामन : प्रारम्भ में मैं श्री पासवान जी का इस बुनियादी सिद्धान्त दोहराने के लिए धन्यवाद करता हूं कि हममें परस्पर आर्थिक तथा अन्य मामलों पर चाहे कुछ भी आन्तरिक मतभेद क्यों न हों परन्तु जहां तक देश की सुरक्षा और विदेश नीति का सम्बन्ध है, सभी सदस्यों और सभा के सभी वर्गों के बीच पूर्ण सामंजस्य है और आपसी समझ-बूझ है। इस प्रकार के वक्तव्य से न केवल भारत सरकार सुदृढ़ होगी बल्कि अन्य लोगों में भी यह भय उत्पन्न होगा कि वे आन्तरिक मतभेदों का लाभ उठाकर राजनीति खेल खेलने का प्रयास नहीं कर सकते। देश में व्याप्त मतभेदों से उत्पन्न होने वाली कमजोरियों से राष्ट्रीय शक्ति कम हो जाती है। परन्तु एक बार दुश्मन को यह पता चल जाए कि अन्य मामलों में चाहे कैसे भी मतभेद क्यों न हो परन्तु जहां देश की सुरक्षा का संबंध है, देश एक है तब वे किसी भी प्रकार का दुस्साहस करने से पहले कई बार सोचेंगे। मैं अत्यन्त प्रसन्न हूं और मैं पासवान जी का आभारी हूं कि उन्होंने विपक्ष की ओर यह बात कही है।

13.00

श्री पासवान जी द्वारा उठाए गए मुद्दे सुविदित हैं। उदाहरण के लिए, अमरीका ने पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों में अड्डे बनाने की सुविधाएं प्राप्त कर ली है। अमरीका ने सरकारी तौर पर इसका खण्डन किया है। कल वाद विवाद के दौरान विदेश मन्त्री ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में यह कहा था कि उन्होंने इस मामले को उस देश की सरकार के साथ उठाया था और उन्हें उत्तर प्राप्त हो गया है जिसमें अमरीका द्वारा अड्डे बनाने का बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में खण्डन किया गया है। कुछ भी दावे किए जाए, खण्डन कुछ भी किए जाए, जहां तक रक्षा मन्त्री का सम्बन्ध है, उन्हें इन ओर से होने वाले खतरों की संभावना पर गौर करना होगा और तैयार रहना होगा। अत: इस सम्बन्ध में मेरा दृष्टिकोण यह है कि उनके पास कोई अड्डे हैं या नहीं, उन्होंने अड्डे प्राप्त किए हैं या नहीं, मुझे रक्षा की तैयारी इस तथ्य को निगाह में रखकर करनी होगी कि यदि उनके पास अड्डे हैं तो हमें सामना कैसे करना है।

मैं केवल यह कह सकता हूं कि सरकार ने विभिन्न समाचार माध्यमों की रिपोर्टों पर सावधानी से गौर किया है और अब हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था में पाई गई त्रुटियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, हम अब अपनी नौसेना में सुधार कर रहे हैं और उसमें वृद्धि कर रहे हैं। हम अपनी पनडुब्बियों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं।

यदि अन्य स्थानों पर भी सैनिक अड्डे पाए जाते हैं तो, इनका मुकाबला करने के लिए समुद्री बेड़े, नौसेना, पनडुब्बी और उससे सम्बद्ध सभी प्रकार के रक्षा उपस्कर जुटाने के सिवाय कोई चारा नहीं है और सरकार ने निगरानी रखने तथा किसी प्रकार के दुस्साहस की स्थिति में प्रहार करने हेतु पर्याप्त नौसैनिक शक्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सैनिक अड्डों को लेकर हमारी तैयारी के बारे में देश में विश्वास जगाने हेतु इतना ही बताना पर्याप्त है।

मेरे माननीय मित्र ने जो दूसरा मुद्दा उठाया था वह एफ—16 और जो और अधिक एफ—16 वे प्राप्त कर रहे हैं उसके बारे में है। यह सच है कि एफ—16 एक बहुत ही फुर्तीला

[श्री आर० वेंकट रामन]

लड़ाकू विमान है। इसमें नीचे देखने और मार करने तथा ऊपर देखने और मार करने की क्षमता है। इसमें नीची उड़ान भरने की कुशलता हैं और इसीलिए यह आजकल प्रयोग में लाया जाना वाले आधुनिकतम लड़ाकू विमानों में से एक है। जहां तक भारत का सम्बन्ध है, ऐसी बात नहीं हैं कि हमारी रक्षा प्रणाली केवल इसीलिए घटिया है क्योंकि दूसरों के पास एफ-16 या कोई विशिष्ट प्रकार का आधुनिकतम लड़ाकू विमान है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, जगुआर एक दूर तक मार करने वाला लड़ाकू विमान है और भीतर तक मार करने की इसे अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। हमारे पास एफ-16 के समान चपलता वाला मिराज है और हम अपने सोवियत मित्रों से मित्र की सुधरी हुई किस्म वाले विमान, जो कि सैन्य पत्रिकाओं के मतानुसार एफ-16 श्रेणी से कहीं उत्तम हैं, देने का निवेदन कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : कितने मिग-29 ?

श्री **आर० वेंकट रामन** : मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि हम मित्र विमानों का सुधरा हुआ रूप चाहिए उनकी संख्या तो मैं स्वयं भी नहीं जानता हूं। हम तो मिग के सुधरे हुए रूप की मांग कर रहे हैं और सैन्य पत्रिकाओं के अनुसार जो कि विश्व के अनेक देशों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमानों के बारे में टिप्पणियां देते रहते हैं। वे एफ-16 और मिराज से बढ़िया बताये जाते हैं। इसीलिए हमने इस पर पर्याप्त ध्यान दिया है।

जहां तक थल सेना के तोप खाने और थल-बल का सम्बन्ध है, पाकिस्तानियों के टैंकों से हमारे टैंक बढ़िया हैं। हमारे आयुध और हमारी प्रणालियां बहुत अच्छी हैं। अतः, इस क्षेत्र में भी शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

यह सच है कि हिन्द महासागर महाशक्तियों की होड़ का अखाड़ा बन गया है। वास्तव में, आज सारे का सारा हिन्द महासागर, बहुत से देशों की पनडुब्बियों, फ्रिगेटस, युद्धक जलयानों आदि से छलनी हुआ पड़ा है, और न केवल दो महाशक्तियां ही, अपितु ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बहुत से देश वहां जमे हुए हैं।

जहां तक हमारी स्थिति का सम्बन्ध है, हमारा बचाव पक्ष है। किसी पर आक्रमण करने का हमारा इरादा नहीं है या स्वयं कोई गलत कदम उठाने का हमारा इरादा नहीं है। अपनी सुरक्षा के लिए हम केवल यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में साज-सामान हो जिससे हम अपनी सीमाओं, तटवर्ती सीमाओं, बम्बई हाई जैसे आर्थिक हितों और अण्डमान, निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे समुद्रों से घिरे द्वीपों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर सकें।

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य अण्डमान हो आए हैं। उन्होंने वहां यह अवश्य सुना होगा हम उस क्षेत्र में सुरक्षा पंक्ति बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं और उसे सशक्त कर रहे हैं अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह हमारे सैन्य बलों के केन्द्र बिन्दु हैं। श्री लंका के चारों ओर पश्चिम से पूर्व तक पहुंचने के प्रश्न पर भी हमारा ध्यान लगा हुआ है। सरकार इस समय दो

या तीन प्रस्तावों की जांच कर रही है। जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय ने बताया है, एक प्रस्ताव तो सेतु समुद्रम परियोजना का है जिसमें कि इस्थुमस को एक विशिष्ट क्षेत्र में काटना है, जिससे कि वह रास्ता दे सके। दूसरा प्रस्ताव है पाक जल डमरू मध्य को गहरा करना और हमारी प्रक्षेपास्त्र-नावों को जाने देना। बड़े जहाजों या यहां तक कि राजपूत श्रेणी के युद्ध पोतों को वहां से ले जाना संभव नहीं होगा। परन्तु प्रक्षेपास्त्र-नावों को लाना ले जाना संभव है जिनकी मारक क्षमता बहुत होगी। हम अनेक विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। माननीय सदस्य यह तो जानते ही हैं कि यह बड़ी भारी लागत का कार्य है। हमें सदैव अपनी आवश्यकताओं की तात्कालिकता और उन पर होने वाले खर्च के बीच सन्तुलन बिठाना पड़ता है। अतः, हम इस पर ध्यान दे रहे हैं और इस पहलू की जांच कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह भी सन्तुष्ट है। जब कभी भी उत्तर दिए जाते हैं, वह कभी भी सन्तुष्ट नहीं हुए हैं और आज मैं देख रहा हूं कि वह बहुत ही सन्तुष्ट है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैंने दोनों महाशक्तियों पर नैतिक दबाव डालने के बारे में एक मुद्दा उठाया था।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : एक संक्षिप्त और स्पष्ट वक्तव्य में मन्त्री महोदय ने सारे ही तथ्य और आंकड़े समाहित कर दिए हैं और राष्ट्र को यह आश्वासन दिया है कि देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। सौभाग्य से हमारे साथ सभा में दो जनरल भी हैं। वास्तव में, मन्त्री महोदय एक स्वतन्त्रता सेनानी और जनरल हैं तथा वह स्वतन्त्रता आन्दोलन के साथ ही वे बड़े हुए हैं। सभा को उनके नेतृत्व में गहन विश्वास है। दूसरे जनरल वास्तव में लड़ने वाले जनरल हैं, जो कि हमारे मन्त्री महोदय की सहायता कर रहे हैं। हमने लद्दाख और अन्य क्षेत्रों का दौरा किया है। जबकि हम तो 11,000 फुट तक ही ऊपर गए हैं, मन्त्री महोदय तो 18,000 फुट तक गए हैं। और वहां पर उन्होंने आक्सीजन तक का उपयोग नहीं किया। उससे वहां हमारे जवानों और जनता का मनोबल ऊंचा हुआ है।

महोदय, पाकिस्तान की आंख का कांटा केवल हमारी सम्पन्नता हैं और वह हमारी सम्पन्नता को नष्ट करके हमारे धन को सैन्य तैयारी में लगवाना चाहता है। अब उसने परिशोधित यूरेनियम भी प्राप्त कर लिया है। हम शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु विस्फोट पहले ही कर चुके हैं और अब हम इसका उपयोग बिजली और देश के अन्य कल्याण कार्यों के लिए कर रहे हैं। अब, जबकि पाकिस्तान परमाणु बम्ब बना रहा है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इस सम्बन्ध में अपना रवैया और नीति बदलेगी। यदि मंत्री महोदय कोई व्यक्तव्य नहीं देना चाहते हैं तो मैं इस पर जोर नहीं दूंगा।

महोदय, पाकिस्तान द्वारा दिए गए सभी व्यक्तव्य निर्दोष किस्म के हैं, परन्तु वास्तव में वे ऐसे हैं नहीं। इसमें उनका गहरा षड़यन्त्र है। हमारी विशाल हृदयता तो देखिए कि जब हमने उनकी 7,000 किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया था तो

[श्री रामगोपाल रेड्डी]

मित्रवत व्यवहार में उसे खाली कर दिया था। हमने एक लाख पाकिस्तानी युद्ध बन्दी पकड़े थे और सम्मानपूर्वक उनको लौटा दिया था। इस सबके बावजूद, पाकिस्तान हमारे देश के विरुद्ध बुरी दृष्टि गड़ाए रहता है। हम तो उनको अपनी मित्रवत भावना दर्शा चुके हैं और शिमला समझौते की भावना तथा अन्य भावनाएं भी तो हैं, परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे उस भावना के अनुरूप वास्तव में कार्य कर भी रहे हैं या नहीं। हमें वक्तव्यों के धोखे में नहीं आना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि पाकिस्तानी चालों के विरुद्ध मन्त्री महोदय कौन से ठोस कदम उठाने जा रहे हैं। दुर्भाग्य से, अमरीका जो कभी खाद्यान्नों के मामले में हमारी सहायता करता रहा था और चीन के आक्रमण के समय भी जिसने हमारी सहायता की थी, मैं यह नहीं जान पा रहा हूं कि वह अचानक कैसे बदल गया। महोदय, हमारा सबसे बड़ा लोकतन्त्र है और अमरीका सबसे पुराना लोकतन्त्र है। उसके बावजूद भी अमरीका लोकतन्त्र का समर्थन नहीं कर रहा है। वह तो विश्व भर की तानाशाहियों को समर्थन कर रहा है। मैं यह चाहता हूं कि ऐसे मुद्दों पर क्या हमारे रक्षा मन्त्री महोदय या प्रधान मन्त्री महोदया ने रीगन महोदय और उनके प्रशासन से बातचीत की है। क्या हम उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते हैं कि उन्हें उनके आन्तरिक मामलों में इस प्रकार हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? हम सुरक्षा पर हजारों करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। निस्सन्देह, यह अनिवार्यता है, इसलिए नहीं कि हमें इसकी आक्रमण के लिए आवश्यकता है। यदि अन्य देशों की भूमि हड़पने का हमारा कोई इरादा या योजना होती तो गत युद्धों के दौरान कब्जा की गई पाकिस्तान की भूमि को हम वापिस नहीं लौटाते। ऐसा एक बार नहीं, परन्तु दो या तीन बार हुआ था। अब हमें पूर्वोपाय करने होंगे। इस बार यदि वह हमसे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करता है तो उसे हमारी ओर से मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए।

एकमात्र खतरा बम्बई-हाई को है। यह उनकी आंख का कांटा है, क्योंकि यह हमको तेल दे रहा है और तेल के मामले में देश आत्म निर्भर बनने वाला है। यह तो उन सभी देशों की आंख की किरकिरी है जो हमें समृद्ध देखना नहीं चाहते हैं। हमारी समस्या के बावजूद और हमारे देश की जनसंख्या को देखते हुए, हम सम्पन्न हो रहे हैं और हम किसी भी शक्ति से अपनी रक्षा करने की स्थिति में हैं।

महोदय, ऐसा अच्छा वक्तव्य देने के लिए मैं मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं। हमारा देश श्री वेंकटरामन महोदय और प्रधानमन्त्री महोदया श्रीमती इन्दिरा गांधी के हाथों में सुरक्षित है।

महोदय, मैंने बम्बई हाई का उल्लेख किया है, जहां पर हमें भारी मात्रा में तेल मिला है। हम और आगे भी खोज कर रहे हैं। अब, वे हमें हानि पहुंचाना चाहते हैं। अतः, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि वह हमारे उन प्रतिष्ठानों की रक्षा कैसे करेंगे जो पाकिस्तान की सहज पहुंच के भीतर हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा बरसाई गई सभी सद्भावनाओं

के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। उनके द्वारा पूछा गया यह प्रश्न ही कि क्या हमने मामले को अमरीका के साथ उठाया था एकमात्र ऐसा मुद्दा हैं जिसके कि स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री महोदया इस मामले को पहले ही अमरीका के साथ उठा चुकी हैं और उन्होने कहा है कि हमारे पड़ौस में आधुनिकतम हथियारों के दिए जाने से हमारे लिए सुरक्षा की समस्या उठ खड़ी हुई है। ऐसा किसी और ढंग से नहीं किया गया है। जैसा कि आमतौर से किया जाता है, यह राजनयिक माध्यम से किया गया है।

ऐसी बात नहीं है कि अन्य सरकारें यह नहीं समझती हैं कि इन आधुनिकतम हथियारों, उपस्कर आदि के दिए जाने से पड़ोसियों के लिए अपरिहार्य रूप से सुरक्षा की समस्याएं उठ खड़ी होंगी। वे इतने भोले-भाले या अनभिज्ञ लोग नहीं हैं जो कि जो कुछ वे कर रहे हैं उसके परिणामों को ही न समझें।

जहां तक आम सुरक्षा का सम्बन्ध है, मैं पहले ही यह स्पष्ट कर चुका हूं कि हमने अपनी तीनों सेनाओं की शक्ति में वृद्धि की है और शक्ति बढ़ाने की प्रक्रिया सतत चल रही है और हम इसको चालू रखेंगे और हम यह देखेंगे कि हर वक्त शीर्ष स्तर पर देश की सुरक्षा को बनाए रखा जाए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से हिंसा के विरुद्ध हूं और इसलिए विश्वव्यापी हथियारों की होड़ से मुझे सदैव दुःख हुआ है। परन्तु मुझे राहत अनुभव होती है कि हमारा देश शान्तिप्रिय है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हमने यदि शान्ति का पक्ष लिया है तो हम पर्याप्त सुरक्षा तैयारी न करें। प्रधानमंत्री महोदया और उनके सहकर्मियों विशेषकर रक्षा मंत्री महोदय ने उन मामलों पर अपना मत प्रकट कर दिया है जिन पर कि यहां चर्चा चल रही है। परन्तु मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि भारत सरकार को प्रथम बार इस समस्या पर पूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता है। मन्त्री महोदय ने वक्तव्य में यह स्पस्ट कर दिया है और उन्होंने यह स्वीकार किया है कि पाकिस्तान ने आधुनिकतम हथियार एकत्र किए हैं। जहां तक पाकिस्तान के सैनिक अड्डों का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि हमारे रक्षा मंत्री महोदय उन अड्डों के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहने की स्थिति में नहीं है जो कि पाकिस्तान अमरीका को देने वाला है। परन्तु मैं पहले ही यह अनुभव करता हूं कि उन्होने अवसर के अनुरूप रक्षा बजट में 450 करोड़ रुपए की वृद्धि की मांग की है, यद्यपि जहां तक सुरक्षा का संबंध है वह कोई बड़ी रकम नहीं है क्योंकि सुरक्षा का सबसे अधिक महत्व है।

किन्तु मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि वह रक्षा के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराने में कामयाब हो गए हैं। मैं उन्हें व्यक्तव्य के अंतिम भाग के लिए भी बधाई देता हूं जो कि उन्होंने यहां अभी बताया। उसमें उन्होंने कहा है :

"मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सरकार स्थिति की गंभीरता के बारे में पूरी तरह सचेत है और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सभी आवश्यक उपाय शुरू कर दिए हैं ताकि हमारी सशस्त्र सेनाएं शस्त्रों से पर्याप्त रूप से लैस हों और हमारी सुरक्षा के लिए उत्पन्न किसी भी खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहे।"

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

इससे लगता है कि हम किसी भी प्रकार की चेतावनी का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और यह बहुत ही अच्छा आश्वासन है। मैं किसी भी प्रकार के ब्यौरे के बारे में नहीं पूछूंगा क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें चर्चा के लिए सदन में नहीं लाना चाहिए। कुछ ब्यौरा वह देने से इन्कार कर सकते हैं।

पाकिस्तान को स्पैरो प्रक्षेपास्त्र की आपूर्ति के बारे में, मेरे विचार से भारत सरकार को इस बारे में निश्चित जानकारी है और पाकिस्तान के पास पहले ही एफ-16 विमान हैं। यदि हम स्थिति का सामना करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते तो हमारी सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इस स्थिति का सामना करने के लिए हमारी भारतीय वायु सेना को आधुनिकतम विमानों की आवश्यकता है और यह विशेषतौर पर आवश्यक हैं। जैसा कि आपने सीरिया तथा ईजराइल के बीच युद्ध में देखा कि मिग-23 नष्ट हो गया था और अब आप मिग-29 को प्राप्त करने के बारे में सोच रहे हैं, और इसके पश्चात् आप मिग-31 को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जो कुछ भी आप करें, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपनी सीमा की प्रतिरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नौसेना हो, वायुसेना हो, सेना हो सभी जगह आपको तैयार रहना है। किन्तु मैं समझता हूं कि अमेरिका को बहाना मिल गया है, उस वजह से वह समझता है कि रूस अफगानिस्तान मे विद्यमान है। मैं व्यक्तिक तौर पर समझता हूं यह सिर्फ एक बहाना है क्योंकि वे सभी जगह अपने मित्र राष्ट्र चाहते हैं और वे पिट्ठू देशों आदि की खोज में हैं। किन्तु जहां तक अफगानिस्तान का संबंध है, हमारी प्रधानमंत्री जी ने कई अवसरों पर नम्रतापूर्वक परन्तु दृढ़तापूर्वक अपने मित्र देश रूस को बताया है कि भारत ने अफगानिस्तान में रूस की मौजूदगी को ठीक नहीं समझता है।

मैं इस प्रश्न को इसीलिए यहां लाया हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में अड्डा तथा अन्य सम्बद्ध मामलों —स्पैरो प्रक्षेपास्त्र तथा अन्य आधुनिकतम के बारे में हो सकता है और भी अधिक हथियार उनके पास हों जिन्हें हम नहीं जानते। हमारे माननीय रक्षा मंत्री भी नहीं जानते होंगें और अगर वह जानते हों तो भी वह हमें नहीं बता सकते। मुझे आशा की किरण नजर आती है—शायद, अगले महीने पाकिस्तान में अड्डों के प्रश्न पर पाकिस्तान के साथ हमारी वार्ता होगी और हम प्राणघातक हथियार जैसी अन्य बातें भी उठा सकते हैं, मैं यही बात कहना चाहता था।

मैं निजी तौर पर वह महसूस करता हूं कि पाकिस्तान के कारणों को बुद्धि से काम लेना चाहिए तथा भारत के साथ मैत्री के लिए आगे आना चाहिए। उसे अपने विकास के लिए ढेर-सा धन चाहिए। उसने अपने यहां किसी भी प्रकार के भूमि सुधार नहीं किए। पाकिस्तान औद्योगिक देशों के मानचित्र में स्थान पाने के लिए निश्चय ही इच्छुक है और इसके लिए उसे बहुत सारा धन चाहिए।

अतः उसे भारत के साथ शांति से रहना चाहिए। पाकिस्तान इस सांस्कृतिक विचारधारा से संबंधित है। उप-महाद्वीप एक ही है, और पाकिस्तान इस सांस्कृतिक विचारधारा का एक हिस्सा है। क्या माननीय मंत्री जी बता सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ वार्ता के समय, हम उस

दिशा में भी कोशिश करेंगे ? हम पाकिस्तान के साथ शांति से रहना चाहते हैं, और माननीय मंत्री जी ने सदन को आश्वासन दिया है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, चाहे वह पाकिस्तान हो अथवा उसके समर्थकों से हम.देश को समृद्धि की ओर भी अग्रसर करना चाहते हैं समाज की ओर हम एक समाजवादी समाज की भी स्थापना करना चाहते हैं। हम जनता को अभावों, दुःख और गरीबी से भी मुक्ति दिलाना चाहते हैं। निश्चित ही लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं और लोगों का एक बहुत बड़ा भाग गरीबी की इस रेखा के नीचे रह रहा है। इसीलिए हमें भी शांति की आवश्यकता है। जब हमारे मंत्रियों की पाकिस्तान के साथ संधिवार्त्ता होती, क्या वे इस बार प्रभावपूर्ण तरीके से पाकिस्तान को यह समझायेंगे कि यह उस देश की तथा हमारे देश की भी भलाई में है, अगर हम शांतिपूर्वक रहें और अगर पाकिस्तान शांति की ओर सकारात्मक पहल करे ?

श्री आर० वेंकट रामन : पाकिस्तान तथा भारत के बीच संबंध अभी भी सौहार्दता पूर्ण हैं। वास्तव में संयुक्त आयोगों की बैठक हो रही है तथा वार्त्तालाप हो रहे हैं। विश्व में सभी को यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भारत को किसी प्रकार की क्षेत्रीय इच्छा नहीं है। भारत ने कोई भी ऐसा युद्ध नहीं किया जिसमें हमने एक इंच भी अतिरिक्त क्षेत्र को अपनाया हो अभी तक हुए दो या तीन युद्ध में, यह श्री एम० रामगोपाल रेड्डी ने जैसा कि बताया है कि हमने शिमला समझौते के अन्तर्गत क्षेत्र लौटे दिये हैं। अत: यह सभी को स्पष्ट हो जाना चाहिये कि जहां तक भारत का संबंध है, इसे किसी भी प्रकार की क्षेत्रीय इच्छा नहीं है और यह कोई भी अनिष्ट नहीं करेगा। मैं इसे क्षेत्रीय लाभ उठाना समझूंगा। यह हमारी मूलभूत नीति है। यह यह पाकिस्तान तथा हमारे बीच सभी चर्चाओं की शुरूआत के लिए अच्छा मुद्दा होना चाहिए। और इसीलिए, जब पाकिस्तान ने कहा "हम युद्ध न करने की संधि करेंगे" तो हमने कहा, "हम उससे भी आगे की बात कह रहे हैं कि हम मैत्री संधि करेंगे"।

अत: भारत तथा पाकिस्तान के संबंधों को सामान्य बनाने में हमारी तरफ से प्रयासों में कोई कमी नहीं है। और मुक्त होने की अथवा जीतने की कोशिश करते हैं। मैं "मुक्त करना" नहीं कहूंगा अपितु मैं पाकिस्तान को भारत के प्रति मित्रता पूर्ण रवैया अपनाने के लिए राजी करने के लिए कहूंगा। यह हमारी बहुत बड़ी इच्छा है। किन्तु उस व्यक्ति की भांति जिसके इरादे नेक हैं, एक व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता है, उसे लड़ाई से भी बचना होगा।

इन सभी अच्छी भावनाओं के बावजूद भी जब हम देखते हैं कि प्राणघात हथियार इकट्ठे किये जा रहे है। बारूद इकट्ठा किया जा रहा है, तो इस बारूद का जानबूझ कर अथवा अनजाने में विस्फोट न हो जाये इसलिए मेरे लिए सावधानियां बरतना आवश्यक हो जाता है। हम सभी अग्नि शमक का अभ्यास कर रहे हैं। हम युद्ध के उद्देश्य से बारूद इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। अत: मैं मानीय सदस्य तथा उन सदस्यों से अनुरोध करूँगा जो कि उन्हें इस सम्बन्ध में पूर्णतय संतुष्ट है कि जहां तक भारत का संबंध है, वह ईमानदारी से, वास्तविक रूप में, निष्कपटता से पाकिस्तान के साथ सामान्य मित्रता बनाये रखने का इच्छुक है साथ ही, जब हम

[श्री आर० वेंकट रामन]

अपने इस सिद्धान्त पर चलते है और अगर हम पाते हैं कि दूसरी ओर उपकरणों तथा विनाश के अन्य हथियारों को इकट्ठा किया जा रहा हैं तो हम इसका अनदेखा नहीं कर सकते। हम क्या पाते हैं ? सभी उपकरण जो उन्हें प्राप्त हो रहे हैं। वह उनकी रक्षा आवश्यकता से कहीं अधिक हैं ! बंगलादेश के बनने के बाद, पाकिस्तान की रज्य सामग्री की आवश्यकता कम हो गई है। किंतु हमारे पास आंकड़े हैं जो बताते हैं किन्तु पाकिस्तान के रक्षा उपकरणों में वृद्धि हुई है और यह वृद्धि बंगलादेश के अलग होने से पहले की स्थिति से दुगुनी है। अतः जब एक देश अपनी रक्षा आवश्यकता से अधिक हथियार तथा उपकरण प्राप्त करने लगता है तो हमें भी अपनी तरफ से पर्याप्त तैयारियां करनी होगी।

दूसरा मुद्दा जो कि मानीय सदस्य ने उठाया, स्पैरों प्रक्षेपास्त्र के बारे में है। हमने इस बार में समाचार देखे हैं और इस पर ध्यान भी दिया है। हम नहीं समझते कि स्पैटों प्रक्षेपात्रों को एफ-16 में फिट किया जा सकता हैं। वे अलग किस्म की हैं और सरकार इन समाचारों से अधिक निश्चित नहीं है। पाकिस्तान सरकार ने जो बचाव में कहा है कि हमें अफगानिस्तान की स्थिति के विरुद्ध अपना बचाव करना है उनकी इस बात में कोई दम नहीं है क्योंकि यदि उपकरणों, मशीनरी, और शस्त्रों का उपयोग अफगानिस्तान में उत्पन्न स्थिति के विरुद्ध करने के उद्देश्य से है तो हापूनों का कोई महत्व नहीं होगा। हापून समुद्री स्कीयिंग प्रक्षेपास्त्र है। न ही पनडुब्बियों का कोई महत्व है। आप अफगानिस्तान के विरुद्ध पनडुब्बियां का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अतः वे क्या इस प्रकार के विध्वंस्त प्राप्त करते है जिन्हें उपयोग में नहीं लाया जा सकता ? अतः इस स्पष्टीकरण का इस आधार पर कोई महत्व नहीं है।

हमने अपने हितों की सुरक्षा के लिए सभी उपाय कर लिये है तथा मुझे विश्वास है, हम स्वयं की रक्षा करने में समर्थ होगें।

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में जो हमको ज्ञात है उसके अनुसार 500 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि की है और अमरीका सरकार का यह ग्लोबल इंट्रेस्ट हमारे देश के साथ क्लेश करता है। अमरीका सोचता हे कि हिन्दुस्तान में जब तक स्थायी सरकार, मजबूत सरकार रहेगी, वह हमेशा इंटरेस्ट को चुनौती देगा। इसलिए उसकी बराबर कोशिश रही है कि यहां पर अस्थायित्व पैदा हो और हमारी सीमाओं पर खतरा बना रहे।

आज हमारे महान मित्र देश रूस के रक्षा मंत्री यहां पर आए हैं। रूस ने हमेशा आवश्यकता के अनुसार हमें मदद दी है। उसने हमें वेस्टर्न ब्लाक का जो पोलीटिकल ब्लैकमेलिंग है, उससे बहुत बार उबारा है। हम रूस को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे और यह भी सत्यता है कि केवल हथियार से कोई सेना या देश मजबूत नहीं होता। सबसे बड़ी ताकत है हमारी जनता की एकता, देश का दूरदर्शी नेतृत्व और सेना का संकल्प शक्ति और ट्रेनिंग। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए भी जो खबरें अखबारों में छपी हैं, उसके अनुसार ऐसा लगता है कि रक्षा संतुलन आज पाकिस्तान के पक्ष में है। पाकिस्तान ने लेटेस्ट आर्म्स अपने यहां इकट्ठे कर लिए हैं। जिस प्रकार अमरीका और गल्फ कंट्रीज में उनको ट्रेनिंग दी

जा रही है। उससे हमको चेतना जरूर चाहिए। मैं रक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि लेटेस्ट सिचुएशन जो है, उसके अनुसार डिफेंस बेलेंस क्या पाकिस्तान के पक्ष में है। यदि पाकिस्तान के पक्ष में है तो शक्ति संतुलन बना रह सके भारत के पक्ष में, इसके लिए डिप्लोमेटिक स्तर पर और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के स्तर पर क्या कदम उठाने जा रहे हैं।

मान्यवर, जैसे हारपून मिसाइल्स का जिक्र किया गया। अखबारों में छपा है कि हारपून मिसाइल्स की वजह से कोस्टल एरियाज में जितने डिफेंस इंस्टालेशन हैं, ट्रांबे या दूसरे जो इंस्टालेशन है, उन पर एक तरह का खतरा पैदा हो गया है। मैं रक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में हमारे कोस्टलएरियाज की रक्षा की क्या व्यवस्था की जा रही है। अखबारों में खबरें छपी हैं कि चीन के राष्ट्राध्यक्ष और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष की बात-चीत हुई है। उसमें उन्होंने तय किया है कि आक्यूपाइड कश्मीर में कुछ इस प्रकार के हवाई अड्डे बनाएंगे और वहां पर इस प्रकार के हवाई जहाजों को रखेंगे जिनके लिए बहुत लम्बे रनवे की जरूरत नहीं पड़ती और शार्टटाइम में टेकअप कर सकते हैं। इस वजह से हमारे नार्दर्न पार्ट में, कश्मीर, पंजाब, हरियाण में जितने हमारे सैनिक संस्थान हैं उन सब के लिए खतरा उत्पन्न होने की बात कही गई है। क्या ऐसी स्थिति है। यदि ऐसी स्थिति है तो जो आक्यूपाइड कश्मीर में चीन की मदद से पाकिस्तान हवाई अड्डे बनाने जा रहा है, इसका सामना करने के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं। इसके लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान की सीमा की बात कई बार उठी है और अमरीका, पाकिस्तान और चीन, हालांकि चीन के साथ संबंध सुधारने की बात चल रही है, उस दिशा में हम काफी हद तक आगे भी बढ़े हैं, लेकिन इन तीनों देशों का इंटरेस्ट इसमें हैं कि भारत में कमजोरी पैदा हो, इसकी सीमाओं पर खतरा पैदा हो। पाकिस्तान की तरफ हमने अपना सारा ध्यान लगाया है, लेकिन चीन की तरफ भी कोई गलत न रहे, इस विषय में भी माननीय मंत्री महोदय से आश्वासन चाहूंगा।

बहुत पहले अखबारों में यह खबर छपी थी कि पाकिस्तान की सीमा पर हमारा राडार सिस्टम अप-टू-डेट है, लेकिन चीन की सीमा पर उतना अप-टू-डेट नहीं है जितना होना चाहिए था। क्या यह खबर सत्य है, इस विषय में बताने की कृपा करें? ट्रान्सपोर्ट एयरक्राफ्ट की रक्षा सेवाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे इन सब पुराने एयरक्राफ्ट्स को बदलने की बात सदन में कई बार उठी है। उन एयरक्राफ्ट्स को बदलने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं और कब तक रक्षा सेवाओं के पास नई टैक्नोलॉजी के ट्रान्सपोर्ट जहाज उपलब्ध होंगे? हमारे मित्र रेड्डी साहब ने मांग की थी, उनके साथ मैं भी अपनी भावनाओं को जाहिर करना चाहूंगा। वहां के सैनिक संस्थान के निदेशक ने यह ब्यान दिया था कि हथियार खरीदने के लिए हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं चाहे अमेरिका को अड्डा बनाने की इजाजत ही क्यों न देनी पड़े। बंगलादेश की लीडरशीप को अमेरिका द्वारा प्रेशराइज करने की बात हो चुकी है। श्रीलंका की बात आपने खुद ही कही है। डिएगो-गर्शिया में भी उसी प्रकार की स्थिति है। हो सकता है

[श्री हरीश रावत]
पाकिस्तान ने वहां अणु-बम बना लिया हो और वह बात हमें मालूम न हो। क्या आप अणु-बम बनाने के प्रश्न पर भी विचार करेंगे ? यह हमारी माग है, चाहे आप इस विषय में कुछ कहें या न कहें ताकि लोगों के दिमाग में जो पाकिस्तान का खतरा पैदा हो जाता है कि वहां अणु-बम न हो जाए, उस भय से मुक्त हो सकें।

श्री आर० वेंकटरामन : श्री रावत एक जानकार सदस्य हैं। उन्हें हमारी रक्षा संबंधी बहुत सी बातों की जानकारी हैं। मैं उनका पहला वक्तव्य ठीक करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि शक्ति संतुलन अब पाकिस्तान के पक्ष में है। मुझे आशा है कि मैं ठीक कह रहा हूं। आपने बिल्कुल यही बात कही है, मैं यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि इस क्षण—इस समय, हमारा पलड़ा भारी है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह आपसे स्पष्ट उत्तर लेना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने इस प्रश्न को उस तरह से रखा है।

श्री आर० वेंकटरमन : लेकिन साथ ही मैं सदन को विश्वास में लेते हुए यह कहना चाहता हूं कि यदि वे सेना में, नौसेना, वायुसेना और इलैक्ट्रानिकी संघर्ष आदि में प्रयुक्त होने वाले और इसी तरह अन्य सभी चीजें प्राप्त हो रही हैं जिनका समाचार पत्रों में उल्लेख रहता है तो संतुलन में गम्भीर गड़बड़ी होगी और इसी कारण हम भी हर समय चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त तैयारियां कर रहे हैं। हम वे सभी आधुनिकतम उपकरण प्राप्त कर रहे हैं। जो हमारे लिए आवश्यक हैं अतः आपको मुद्दे पर मुद्दा तुलना करनी होगी। आप यह नहीं कह सकते कि ये सब वस्तुयें प्राप्त करने के बाद पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी और आप मेरी वर्तमान स्थिति की उनसे तुलना नहीं कर सकते जैसा कि मैंने पहले कहा वर्तमान स्थिति यह है कि हमारा पलड़ा पाकिस्तान से भारी है।

पांच या तीन वर्ष के पश्चात्, जब वे विशेष प्रकार के उपकरण प्राप्त कर लेंगे तो हम भी उन उपकरणों की बराबरी के ही अन्य उपकरण प्राप्त करेंगे इसका मुकाबला करने के लिए हम उसी स्तर के उपकरण हासिल कर रहे हैं। हमारे ऊपर जो बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है उसे दृष्टि में रखते हुए हम सदैव आगे रहने का प्रयास करेंगे। भारत के विविध, अनेकों उत्तरदायित्व हैं। इसीलिए उनको ध्यान में रखते हुए, हम सदैव आगे रहने का प्रयास करते हैं।

माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया दूसरा मुद्दा यह है कि खाड़ी के देश पाकिस्तान की सहायता करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह बात हम समय-समय पर सुनते रहते हैं। हमारे राजनयिक सम्बन्ध दूसरे देशों के साथ भी हैं। ऐसी क्या बात है कि कुछ देश हमारे शत्रु हों। हमारे उनके साथ बहुत मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हैं। हमारे राजनायिक सम्बन्ध जारी हैं और हमें उस ओर से कोई आशंका नहीं है।

फिर, माननीय सदस्य ने 'हारपून' प्रक्षेपात्र के बारे में कहा। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हारपून प्रक्षेपास्त्र का मुकाबला करने के लिए हमने कुछ क्षमता हासिल कर ली है। इससे अधिक इस सम्बन्ध में मैं और कुछ नहीं कह सकता हूं। हमने धमकी पर ध्यान दिया है और

हारपून प्रक्षेपास्त्र का मुकाबला करने की हमारे पास इसकी क्षमता है।

माननीय सदस्य ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गिलगित स्कारूद में चीन और पाकिस्तान द्वारा बनाए गए हवाई-अड्डे का जिक्र किया। इन दोनों स्थानों पर वे हवाई-अड्डे का निर्माण कर रहे हैं। सरकार को इसका पता है और हम लेह, लद्दाख में अपनी सुरक्षा को मजबूत बना रहे हैं जो उस क्षेत्र में पैदा होने वाली समस्याओं से निपटेगी।

अब हमारे पास बहुत संतोषजनक संचार व्यवस्था है। किन्तु संचार क्षेत्र में चीजें बहुत शीघ्र ही पुरानी पड़ जाती हैं। वास्तव में दिन-प्रतिदिन नई-नई सूक्ष्म चीजें आती जा रही हैं और हम उनकी जानकारी रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय हमारी संचार व्यवस्था संतोषजनक है। किन्तु फिर भी हम अपना ध्यान संचार व्यवस्था पर केन्द्रित किए हुए हैं क्योंकि हम विश्व की अद्यतन औद्योगिकी को अपनी संचार व्यवस्था में अपनाना चाहते हैं।

माननीय सदस्य ने परिवहन विमानों के बारे में पूछा मैं सभा में पहले ही कह चुका हूं कि हम पैकेर विमान को बदल रहे हैं और उनके स्थान पर ए एन-32 और आइ एल-76 विमान खरीद रहे हैं। ए एन-32 इसी वर्ष आने लगेगा और बाद में आता रहेगा।

जहां तक अड्डों का सम्बन्ध है, सम्बद्ध सरकारों ने इसका खंडन किया है और जो कुछ उन्होंने कहा है हम उसे उसी रूप में स्वीकार कर रहे हैं। किन्तु साथ-साथ, जैसा कि ऑलिवर क्रॉमवेल ने कहा, "ईश्वर में विश्वास रखो और अपने बारूद का प्रयोग मत करो", और हम अपने बारूद का प्रयोग नहीं करेंगे।

उनके द्वारा उठाया गया अंतिम मुद्दा परमाणु बम के बारे में था। मैं केवल इतना कहूंगा कि परमाणु शस्त्रास्त्रों के बारे में हम अपनी वर्तमान नीति पर अडिग हैं। अर्थात् देश के लिए परमाणु शसस्त्र हासिल करना हमारी नीति के विरुद्ध है।

---

2 मार्च, 1984 को दिल्ली में तीसहजारी टेलीफोन एक्सचेंज में आग लगने के बारे में वक्तव्य

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : तीसहजारी एक्सचेंज में लगी आग का पता 2 मार्च, 1984 की रात को लगभग 7 बजकर 45 मिनट पर चला। ऐसा प्रतीत होता है कि यह आग तीस हजारी एक्सचेंज के नए भवन के बैटरी कक्ष के साथ लगे भंडार कक्ष में लगनी शुरू हुई थी। आग लगने पर तुरन्त ही फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और लगभग डेढ़ घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। एक्सचेंज में ड्यूटी पर तैनात किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई। आग का पता लगते ही मुख्य एच०टी० पावर को तुरन्त बंद कर दिया गया। इसके बाद शॉर्ट सर्किट तथा और अधिक नुकसान न होने पाए, इस उद्देश्य से रेक्टिफायरों एवं तीन एक्सचेंजों को चलाने वाली (फीड) बैटरियों को अलग कर दिया गया। इस कार्य के लिए

[श्री वी० एन० गाडगिल]

हमारे दो कर्मचारियों को गैस मास्क पहनाकर पहली मंजिल पर स्थित धुएं से भरे पावर कक्ष में भेजा गया और उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना यह कार्य पूरी किया। लगभग 27,000 उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करने वाले 22 23 और 25 तीनों एक्सचेंज बंद कर दिए गए। भंडार कक्ष में लगी आग की गर्मी से एस०पी०सी० एक्सचेंज के वे बैटरी केबिल भी प्रभावित हुए, जिनकी स्थापना की जा रही थी। शॉर्ट सर्किट और निश्चित नुकसान की संभावनाओं को रोकने के लिए केबिलों को काटकर और संपर्कों (लिंक) को अलग करके अन्य बैटरियों को तुरंत अलग कर दिया। उसी रात को उपराज्यपाल को ईदगाह एक्सचेंज से दो टेलीफोन कनेक्शन दे दिए गए। 3.3.84 की सुबह दिल्ली प्रशासन के मुख्य सचिव और गृह सचिव को भी ईदगाह एक्सचेंज से एक-एक कनेक्शन दे दिया गया।

2. भवन में छाये धुएं और अंधेरे की वजह से उसी रात को पुर्नस्थापन कार्य शुरू करना संभव नहीं हो सका। यह कार्य 3.3.84 की सुबह बड़े उत्साह से करना शुरू किया गया। रेक्टिफायरों एवं लीड्स की इंस्यूलेशन के लिए अलग-अलग जांच की गई और यह पाया कि इनको गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा। जैसा कि ऊपर बताया गया है, बैटरी लीड्स को पहले ही अलग कर दिया गया था और इंजन ऑल्टरनेटर से प्राप्त पावर की मदद से प्रत्येक रेक्टिफायर को बिना लोड और टेस्ट के बारी-बारी चालू कर दिया गया। इंजन आल्टरनेटर की मदद से "23" एक्सचेंज को 12 बजकर 45 मिनट (मध्याह्न) पर सामान्य हालत में चालू कर दिया गया। डेसू को पावर सप्लाई ठीक करने के लिए कहा गया ताकि अन्य एक्सचेंजों में भी सेवा को चालू किया जा सके। पावर सप्लाई 2 बजकर 15 मिनट (मध्याह्न) पर चालू हुई। इसके पश्चात् तीनों एक्सचेंजों से वी०आई०पी० नंबरों को टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई। कुछ मिनटों तक टेलीफोन प्रचालन का प्रेषण करने के पश्चात् तीनों एक्सचेंजों की टेलीफोन सेवा को 3 बजे (मध्याह्न) पूर्णतया सामान्य हालत में चालू कर दिया गया।

3. बैटरी कक्ष में बसवार पर लगी कालिख और अन्य धूल साफ की गई। उन बैटरियों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा जो मुख्य सप्लाई फेल हो जाने की स्थिति में पावर सप्लाई का अतिरिक्त साधन थी। 4.3.84 को 6 बजे (सायं) उचित जांच करने के बाद सर्किट में लगा दिया गया। उन बैटरियों को जिन्हें एस. पी.सी. फेटेक्स एक्सचेंज के लिए स्थापित किया गया था और जिनकी स्थापना की जा रही थी, गर्मी के कारण कुछ नुकसान पहुंचा। इस बैटरी की बारीकी से जांच की जा रही है और मूल्यांकन के आधार पर उचित कार्रवाई की जायेगी।

4. आगे लगने के कारणों की छानबीन की जा रही है। फायर बिग्रेड द्वारा की गई त्वरित प्रभावी कार्रवाई और दिल्ली पुलिस तथा डेसू के सहयोग से आग पर शीघ्र काबू पाना और 20 घंटों के अन्दर ही सेवा को पुन: चालू कर पाना संभव हो सका। ऐसी घटनाएं दुबारा न हो, इसके लिए समूचे देश में उचित कार्रवाई की जा रही है।

13.46

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश के कालेजों तथा विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा परीक्षाओं का बहिष्कार

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों, कालेजों तथा स्कूलों के शिक्षकों द्वारा फिर से आन्दोलन शुरू करने तथा परीक्षाओं के बहिष्कार का फैसला करने से बड़ी गंभीर समस्या पैदा हो गई है। विश्वविद्यालय एवं कालेज शिक्षकों के संघ के प्रतिनिधियों का कहना है कि राज्य सरकार ने उन्हें जो आश्वासन दिये थे, उनसे वह पीछे हट रही है, इसलिए अब वे फिर रैली और प्रदर्शनों का दौर चलायेंगे। इससे पहले दो मुद्दों को लेकर बहुत दिनों तक शिक्षकों के आन्दोलन चलते रहे जो पिछले महीने ही वापिस लिये गये हैं। एक आन्दोलन तो शिक्षकों के वेतन-वृद्धि महान भत्ता, पदोन्नति, अन्तरिम राहत और लोक सेवा आयोग में प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर था तो दूसरा शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की मांग को लेकर। आन्दोलनों के कारण शिक्षा संस्थाओं की कितनी पढ़ाई होगी, इसका आन्दाजा सहज में ही लगाया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं में इस समय जो आपाधापी मची हुई है और शिक्षकों शिक्षार्थियों तथा प्रबन्धकों के बीच सम्बन्धों में जो रस्साकशी चल रही है; उससे वहां अनुशासनहीनता, अनिश्चय और अशांत वातावरण बना हुआ है जिसके कारण लाखों विद्यार्थियों का भविष्य खतेरे में पड़ गया है। बनारस विश्वविद्यालय में तो 1983 की परीक्षाएं अभी होना बाकी है, दो-दो पत्र एक साथ चल रहे हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह शिक्षा और शिक्षा-संस्थाओं की वर्तमान स्थिति पर तत्काल ध्यान देकर उसे सुधारने के लिये प्राथमिकता दे और उत्तर प्रदेश सरकार को जहां कुछ ही दिनों में परीक्षाएं आरम्भ होने वाली हैं, सम्भावित गड़-बड़ी से निपटने के लिये निर्देश दे ताकि लाखों विद्यार्थियों का भविष्य बिगड़ने से बच सके।

(दो) अल्कोहल युक्त औषधियों पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु औषधि अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में अत्यधिक अल्कोहल मात्रा वाली सुरा एवं बायोटैटिक्स खुलेआम बिना किसी नियंत्रण के बेचे जा रहे हैं। सस्ती कीमत पर प्राप्त मादक पेयों का प्रयोग इतनी आम बात होती जा रही है कि स्थानीय समाज अपनी सामाजिकता को खोता जा रहा है। स्वास्थ्य के लिये हानिकारक इन द्रव्यों के उपयोग से इन क्षेत्रों में मृत्यु दर में अचानक वृद्धि हो गई है। क्षेत्र के क्षेत्र क्षय रोग से ग्रसित होते जा रहे हैं। इन सीमांत पर्वतीय क्षेत्रों ने देश को हमेशा बहादुर सैनिक प्रदान किये हैं, वहाँ इस प्रकार की स्थिति चिन्ता जनक है।

डाबर उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा नियंत्रित को-आपरेटिव ड्रग

[श्री हरीश रावत]

फैक्ट्री, मृत संजीवनी सुरा, सम्राट सुरा, अशोक लिक्विड विभिन्न नाम व ब्राडों से यहां कई प्रकार दिन मादक द्रव्य उत्तर प्रदेश शासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदत्त दवा बेचे जाने के लाइसेंस के तहत बेचे जा रहे हैं। दवाओं के वर्गीकरण में यह पदार्थ भी दवाओं में गिने जाते हैं। मगर इनमें लगभग 100 प्रतिशत तक अल्कोहल होता है। सन् 1977 में पूर्ण मध-निषेध के बाद से फैली यह व्याधि स्वास्थ्य व सामाजिक व्यवस्था में इतनी तेजी से गिरावट ला रही है कि यदि इसे रोका नहीं गया तो यहां का पूरा समाज हर प्रकार से क्षय से रूग्ण हो जायेगा।

वर्तमान वाणिज्य मंत्री जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, तो उन्होंने इन पदार्थों की बिक्री पर अध्यादेश के जरिये रोक लगाई थी, परन्तु विक्रेताओं द्वारा हाई कोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त करने के कारण यह अध्यादेश प्रभावशाली नहीं हो पाया है।

मेरा सदन के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रालय से आग्रह है कि ड्रग्स एंड कोस्मैटिक्स कन्ट्रोल एक्ट में परिवर्तन कर इस प्रकार के मादक द्रव्यों के उत्पादन पर कड़ाई से रोक लगाने के उपाय खोजे जायें।

(तीन) बकिंघम एंड कर्नाटक मिल्स, मद्रास का सरकार द्वारा प्रबन्ध ग्रहण करने की आवश्यकता

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : श्रीमन् 1981 के दौरान छह माह तक बंद रहने और मद्रास तथा नयी दिल्ली में लम्बे समय तक चलने वाली बात-चीत के बाद बकिंघम एंड कर्नाटक मिल्स, मद्रास को पुन: खोला गया था। मिल को पुन: खोले जाने के साथ कर्मचारियों की 3,000 छटनी कर दी गई थी। प्रबन्ध उत्पादन मानदडों को भी अव्यावहारिक स्तर तक बढ़ाने में सफल हो गया। और श्रमिकों को मिल को पुन: खोले जाने की कीमत के रूप में उन्हें स्वीकार करना पड़ा था। किन्तु मिल के पास इतनी आधारभूत सुविधाएँ नहीं थी कि वह इस स्फीत उत्पादन स्तर को वहन करने लगता। अब यह आवश्यक हो गया है कि काम के मानदंड और कर्मचारियों की संख्या के बारे में पुन: बात-चीत की जाए और इस बारे में परस्पर मिलकर वास्तविक और सही लक्ष्य निर्धारित किए जायें।

श्रीमान् केन्द्रीय सरकार के समक्ष एक ही विकल्प है कि इस प्रसिद्ध और सक्षम मिल को बढ़ाने तथा देश के वित्तीय और आर्थिक हितों में इसका उपयोग करने के लिए वह इस मिल का अधिग्रहण किया जाए इसीलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करने के लिए एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाएं :

(1) बकिंघम एंड कर्नाटक मिल्स का तत्काल अर्जन करना।

(2) 1982-83 के लिए सांविधिक बोनस की अदायगी तथा रूग्णता भत्ता जो अब तक कर्मचारियों को नहीं दिया गया है, देने की व्यवस्था करना।

(3) कार्य मानदंड और कर्मचारियों की संख्या के बारे में पुन: बात-चीत करना।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद यह मिल मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में है।

डा० वी० कुलनदई वेलु ,

(चार) रामकृष्णपुरम् नई दिल्ली में रह रहे कुछ तमिल परिवारों को आवासीय सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता

डा०वी०कुलनदई वेलु चिदम्बरम : मैं आवास मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूँ कि रामकृष्णपुरम नई दिल्ली में लगभग 271 तमिल परिवार पिछले दस वर्षों से अधिक समय से रह रहे हैं और उन्हें अब तक कोई आवास स्थल या बना बनाया मकान आवंटित नहीं किया गया है ।

इनमें से अधिकांश हरिजन लोग हैं और ये पालम हवाई अड्डे पर कुली का काम करते हैं । ये लोग या तो अधिकारियों के मकानों की गैरेज में रहते हैं या फुटपाथों पर ।

बिना किसी आवास के जीवन बीताने वाले इन निर्धन श्रमिकों ने खाली जगहों या बने बनाए मकान के आवंटन के लिए दिल्ली विकास अधिकरण में अपना नाम दर्ज करवाया हुआ है । इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री को भी संसद-सदस्यों द्वारा अभ्यावेदन भेजे गए हैं ।

13.62.

[श्री चिंतामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए]

रामकृष्णपुरम में बसे इन निर्धन लोगों की दुर्दशा को देखते हुए, मैं सम्बद्ध अधिकारियों को इन 271 तमिल परिवारों को शीघ्र ही आवास स्थल अथवा बने-बनाए मकान आवंटित करने और उन्हें इस विपत्ति से निकालने का अनुरोध करता हूं । धन्यवाद

(पांच) हिमाचल प्रदेश में कुछ पुलों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : पर्वतीय राज्य/क्षेत्रों में विभिन्न पन बिजली तथा सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण-कार्य से वहां अनेक कठिनाइयाँ खड़ी हो गयी हैं । इसके दो उदाहरण हैं — भाखड़ा-नंगल परियोजना से बिलासपुर और ऊना जिले के लोगों को कठिनाई हुई तथा पौंग बांध के कारण कांगड़ा जिले के लोगों को कठिनाई हो रही है, इन परियोजनाओं के निर्माण के कारण उन जिलों की सड़कें तथा पुल पानी में डूब गये हैं । केन्द्रीय सरकार तथा भाखड़ा व्यास प्रबन्धन बोर्ड को सतलुज और उसकी सहायक नदियों पर निम्नलिखित छह पुलों के निर्माण के लिए वित्त का प्रबन्ध करना चाहिए ताकि लोगों की कठिनाइयां दूर हो सकें । ये पुल हैं—

(i) देहर पुल (मंडी बिलासपुर)

(ii) अल्ही खड़ (बिलासपुर जिला)

(iii) भजवानी (औहर के निकट—बिलासपुर जिला)

(iv) बागफल (झंदूता प्रखंड में, बिलासपुर जिला)

(v) मंडवा (,, ,,)

[प्रो० नारायण चन्द पराशर]

(vi) लैथियानी और मांडली (ऊना जिला) के बीच लंखर खड के ऊपर पुल ।

इन सभी को 1984-85 की वार्षिक योजना में शामिल किया जाए और सातवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा किया जाए ।

(छः) उड़ीसा के ठेका श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए तुरन्त संरक्षणात्मक उपाय करने की आवश्यकता

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : उड़ीसा से प्रति वर्ष हजारों की संख्या में श्रमिकों को राज्य से बाहर ले जाकर उनका शोषण किया जा रहा है। हाल ही में क्योंझर जिले के वरबिल खान क्षेत्र से 45 युवा आदिवासियों को श्रमिकों के ठेकेदार के एजेंटों ने भर्ती करके आसाम में कामरूप के समीप एक विद्युत गृह के निर्माण-स्थल पर भेजा । इन भोले-भाले लोगों को श्रमिक ठेकेदार और उनके एजेंटों ने आकर्षक काम, निःशुल्क आवास तथा भोजन एवं अन्य सुविधाओं का प्रलोभ देकर उनको उनके गांव से दूर भेज दिया था, किन्तु जब वे कार्यस्थल पर पहुंचे तो उनके साथ दासों का सा व्यवहार किया गया, दिन में बारह घंटे काम करने के लिए उन पर दबाव डाला गया और उन्हें उतनी मजूरी नहीं दी गई, जितनी का वचन दिया गया था। यहां तक कि उन्हें प्राथमिक चिकित्सीय सुविधाओं से भी वंचित रखा गया था । जिन लोगों ने वहां से भागने की कोशिश की, उन्हें ठेकेदार के गुंडों ने डराया-धमकाया और उनकी पिटाई की।

एक अन्य मामले में मयूरभंज और बालासौर जिले से 36 लोगों—जिनमें 21 स्त्रियां थीं—को भर्ती करके नेपाल भेजा गया था । हाल ही में लड़कों के समूह को गंजम जिले से भर्ती करके पंजाब में ताप संयंत्र के निर्माण-स्थल पर भेजा गया था । उन्हें वहां अत्यन्त अमानवीय परिस्थितियों में काम करने के लिए विवश किया गया। यह खेद की बात है कि अन्तर्राज्जीय प्रवासी कामगार अधिनियम, 1979 के अधिनियमन के बावजूद भी भोले-भाले लोगों का शोषण किया जा रहा है । जब तक इन निर्धन लोगों के लिए तत्काल सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए जाते तब तक इन लोगों की हालत में कोई सुधार नहीं हो सकता । इस तरह की तत्काल जांच कराई जानी चाहिए और इन निर्धन लोगों को शोषण से बचाया जाना चाहिए ।

(सात) शिक्षा प्रणाली में सुधार करने हेतु उपाय करने की आवश्यकता

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : आज सब सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि देश के सभी बालक-बालिकाओं के लिए वह समान शिक्षा की व्यवस्था करती है, सरकार की नीतियों के कारण देश में दोहरी शिक्षा व्यवस्था की जड़ें व्याप्त होती जा रही हैं । इसमें दो राय नहीं हो सकती कि किसी भी नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए, समाज एवं राष्ट्र के विकास के लिए, शिक्षा एक बुनियादी जरूरी चीज है परन्तु ग्रामीण अंचलों में रह रहे एवं नगरों के निर्धन परिवारों के बालक-बालिकाओं की शिक्षा की कैसी व्यवस्था की जा रही है ? इनके लिए उच्च शिक्षा की तो बात छोड़िए, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की कैसी व्यवस्था है ? शिक्षा का स्तर दिन व दिन तेजी से गिरता जा रहा है । शिक्षा स्तर में होते हुए तीव्र ह्रास के लिए यह दोहरी शिक्षा व्यवस्था भी उत्तरदायी है, यह व्यवस्था निर्धन नवयुवकों के मार्ग में बाधा है । नगरों के सुविधा सम्पन्न परिवार किसी भी कीमत पर पब्लिक स्कूलों मे अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कर लेते हैं, परन्तु निर्धन बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। नतीजा यह होता है कि नाना

प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं में ये गरीब नवयुवक पीछे रह जाते हैं। शिक्षा की दोहरी व्यवस्था यदि दूर न की गई तो सामान्य जनों की शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठ सकेगा और शिक्षा के आधार पर शोषण जारी रहेगा। स्थिति दिन व दिन गम्भीर होती जा रही है। लाइलाज होने के पहले रोकथाम आवश्यक है।

अतएव मैं माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे गम्भीरता से इस पहलू पर विचार करें, शिक्षा शास्त्रियों से आवश्यक परामर्श करें, सामान्य शिक्षा में सुधार के माध्यम से तथा अन्य उपायों द्वारा दोहरी शिक्षा व्यवस्था को क्रमशः समाप्त करने की दिशा में तत्काल आवश्यक कदम उठावें।

(आठ) पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादी गतिविधियों पर काबू पाने हेतु उपाय करने की आवश्यकता

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : पूर्वोत्तर अंचल में विद्रोही गतिविधियों में फिर से तेजी आने के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। केन्द्रीय सरकार इसको शान्त करने के लिए विद्रोहियों की संस्थाओं पर पाबन्दी लगाने का विचार कर रही है पर यह समस्या का कारगर इलाज नहीं है। आपात स्थिति के बाद चुनावों में मध्यमार्गियों की सरकार बनी थी तो राजनैतिक माहौल में परिवर्तन आया था और 1978 के बाद विद्रोहियों की ताकत कम हुई। लेकिन पिछले दो वर्षों से हालत फिर बिगड़ रही है। इसी से आराकान की पहाड़ियों में "ईसाक स्वू" और "मुईवाह" की स्थिति मजबूत हुई है। सेना ईसाक स्वू उत्तर इलाकों में तथा तांगखुल मुइवाह मणिपुर के तांगखुल इलाकों के पार अपना केन्द्र बनाए हुए हैं।

उत्तर वर्मा के अरुणांचल से ले कर मणिपुर तक के सीमावर्ती इलाकों में नागा विद्रोहियों के अड्डे बने हुए हैं। वे अरुणांचल के तिरप और नागालैंड के मौन जिलों के उस पार से दुर्गम सीमा का लाभ लेकर घुसपैठ करते रहते हैं।

ऐसी परिस्थिति में विद्रोही गतिविधियों को केवल कड़े कानूनों और सेना के जरिए ठण्डा करना कठिन है। इन तरीकों से आम नौजवानों में विद्रोही होने की प्रवृत्ति ही पनपती है। विद्रोह यहां ऐतिहासिक कारणों से अपनी मनोवैज्ञानिक जड़ें जमा चुका है। इसका हल राजनैतिक माहौल के परिवर्तन से ही हो सकता है और सरकार को स्थिति बिगड़ने से पहले ही सचेष्ट होना चाहिए।

(नौ) सीतापुर में एक कृषि कालेज खोलने की आवश्यकता

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर तथा इसके ईर्द-गिर्द जनपदों में इन्टरमीडिएट कक्षाओं तक कृषि विज्ञान पढ़ाने की सुविधा तो है परन्तु इसके लगभग 150 किलोमीटर के इर्द-गिर्द बसे नगरों, जनपदों में कोई भी स्नातक अथवा स्तानकोत्तर कृषि विज्ञान शिक्षा के लिए सुविधा नहीं है। कोई कालेज अथवा डिग्री कालेज न तो निजी क्षेत्र में है और न सार्वजनिक क्षेत्र में है जिसमें कृषि विज्ञान पढ़ाया जाता हो। कृषि विज्ञान में इंटर तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन विषयों में उच्च शिक्षा के लिए बहुत दूर जाने पर अधिकांशतः नाम

[श्री रामलाल राही]

लिखाने के लिए स्थान रिक्त नहीं मिलते और कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो अपनी गरीबी के कारण बहुत दूर पढ़ने नहीं जा सकते। अभी तक लखनऊ परिक्षेत्र तथा इसके इर्द-गिर्द पिछड़े जनपदों में कहीं भी कृषि विज्ञान की सुविधा के लिए स्नातक अथवा स्नातकोत्तर विद्यालय सरकार खोलने में असमर्थ रही है। यह सच्चाई है कि यदि सीतापुर जनपद में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी जाय तो उत्तर भारत के नेपाल तराई से सटे अनेकों पिछड़े जिलों के छात्र-छात्राओं को कृषि विज्ञान शिक्षण की सुविधा प्राप्त होगी।

हमारी केन्द्र सरकार से मांग है कि जनपद सीतापुर के किसी भी स्थान पर एक कृषि विज्ञान शिक्षण हेतु स्नातक अथवा स्नातकोत्तर विद्यालय खोलने की घोषणा करे और इसके लिए आवश्यक संसाधन जुटावें तथा उत्तर प्रदेश सरकार को सहायता दें।

(दस) श्री चन्द्रशेखर आजाद की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने की आवश्यकता

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशां होगा।

इस नग्मे की इन पंक्तियों को सुनते ही भारत के नौजवान भारत से अंग्रेजी राज को सात समुन्दर पार भेजने के लिए उछल पड़ते थे। वे अपने प्राणों की बाजी लगाकर अंग्रेजी राज से भिड़ जाते। फलस्वरूप सरकार भगत सिंह और शहीदे आजम चन्द्र शेखर आजाद की तरह हजारों नौजवान देश की आबादी के लिए फांसी के तख्तों पर झूल गए। परन्तु, दुख है कि हम उनकी महान् परम्परा को आगे बढ़ाने में चूक गए। देश को आजादी तो मिल गई, पर कितने नौजवान उस शहीदों की शहादत के शानदार इतिहास को जानते तथा उनके पद-चिह्नों पर चलने को तैयार हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि, हमने उनके वीरतापूर्ण कार्यकलाओं की जानकारी न बच्चों को दी और न नौजवानों को। अतः वे हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के शानदार एवं महान् इतिहास को नहीं जानते और स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम सुनते ही मजाक उड़ाने लगते हैं।

इस सदन के अन्दर और बाहर बार-बार इस बात की मांग की गई कि, शहीदे आजम चन्द्र शेखर आजाद के नाम से डाक-टिकट जारी किया जाए। दुख की बात है कि उक्त डीक टिकट का भारतवासियों को अब तक दर्शन नहीं हो सका है।

मैं आशा करता हूं कि सरकार इस नए साल में उनके नाम पर डाक-टिकट जारी कर उनकी शहादत की स्मृति को ताजा करेगी।

रेल बजट—1984-85 सामान्य चर्चा—जारी

सभापति महोदय : अब हम रेल बजट पर चर्चा आरम्भ करेंगे। कल प्रो० सैफुद्दीन सोज बोल रहे थे। वे आगे जारी रखेंगे। लेकिन, उससे पहले मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि शाम साढ़े पांच बजे मंत्री महोदय बहस का उत्तर देंगे। इसीलिए, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे संक्षेप में बोलें। अब प्रो० सैफुद्दीन सोज कृपया आगे जारी रखें।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, जैसा कि मैं कल कह रहा था रेलों का बहुत महत्त्व है, न केवल इसलिए कि यह विश्व में दूसरी सबसे बड़ी रेल लाइन है, बल्कि इसलिए कि यह देश में सबसे बड़ा एकल उद्योग है जिसमें लगभग 15 लाख लोग कार्यरत हैं। अतः इस महत्व को ध्यान में रखते हुए माननीय रेल मंत्री से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थिति के अनुरूप कदम उठाएं, तथा भारत के लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सुविधाएं प्रदान करें। प्रो० मधु दण्डवते ने उस समय एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था जब उन्होंने यह सुझाव दिया कि रेलवे के पास और अधिक धन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि रेल मंत्रालय जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। मैं व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूं कि जब मैंने बजट में राजस्व में 5457 करोड़ रुपए की राशि तथा घाटे में 70 करोड़ रुपए की राशि देखी तो मैंने अनुभव किया कि यह एक बहुत बड़ा बजट है तथा राशि बहुत बड़ी तथा पर्याप्त है। लेकिन जब मैंने बजट के प्रावधानों का गहराई से अध्ययन किया और इस विभाग की समस्याओं तथा जनता की समस्याओं को जाना तथा रेल प्रणाली के आधुनिकीकरण तथा कम्पयूटीकरण की आवश्यकता को समझा तो मैंने स्वयं को प्रो० मधु दंडवते से सहमत पाया जिन्होंने कहा था कि रेलवे के पास पर्याप्त तथा उपयुक्त वित्त व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि इस विभाग को आधुनिक बनाया जा सके तथा समाज की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अब, मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री का क्या करने का प्रस्ताव है। यह देखना माननीय मंत्री का कार्य है कि वह अपने मंत्रालय को कैसे चलाते हैं। एक अवसर पर जब उन्होंने नौकरशाहों की खिंचाई की तो मुझे संतुष्टि हुई—मैं नहीं जानता कि कौन सही था। लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि जनता के प्रति नौकरशाह उत्तरदायी नहीं है। अन्ततः मंत्री ही जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। जब किसी मुद्दे पर मंत्री अपने औचित्य के बारे में आश्वस्त हों तो उन्हें उस पर अड़ना चाहिए और उन्हें नौकरशाहों को यह बात मनवानी होगी कि उन्हें उनके आदेशों का पालन करना होगा। और जब मुझे यह पता चला कि श्री चौधरी बड़े जोरदार ढंग से अपनी स्थिति पर अडिग रहे तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं मामले के गुण-दोषों में नहीं जाऊंगा; तथापि, यदि कोई व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि वे गलत थे तो वह ऐसा कर सकता है। लेकिन इससे यह सहज ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि मंत्रियों की इच्छा हो तो वे उन कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर सकते हैं जिन पर वे संसद के प्रति बचनबद्ध हैं।

बहुत से माननीय सदस्यों ने विभिन्न मुद्दे उठाए हैं तथा मैं उनमें जाकर उनकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। उदाहरण के लिए, मैं दुर्घटनाओं के होने, जान तथा माल के नुकसान जैसे प्रश्नों को नहीं उठाना चाहूंगा। मैंने एक अतारांकित प्रश्न उठाया था जिसका 1 मार्च, 1984 को इस सदन

[श्री० सैफुद्दीन सोज]

में उत्तर दिया गया था। मेरे इस प्रश्न के उत्तर में कि पूरी तरह क्षतिग्रस्त डिब्बों का मूल्य क्या है तथा उन डिब्बों आदि का मूल्य कितना है जिनकी मुरम्मत हो सकती है और जिन्हें उपयोग योग्य बनाया जा सकता है, माननीय मंत्री ने कहा था कि रेलवे को पूर्णतया क्षतिग्रस्त डिब्बों तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त डिब्बों, जिनकी मुरम्मत की जा सकती है, से होने वाली हानि के अलग आंकड़े नहीं रखे जाते। ये आंकड़े क्यों नहीं रखे जाते ? तथापि मैं इसके ब्यौरे में नहीं जाऊंगा। क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य रेल-दुर्घटनाओं में हुए जान और माल के नुकसान के बारे में पहले ही बोल चुके हैं।

तदुपरान्त, हम जानते हैं कि रेलवे में कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है। सामान्यतः लोगों को दो तथा तीन शयनयानों में आरक्षण नहीं मिलता; उन्हें बताया जाता है कि सीटें उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन यदि वे गुप्त रूप से दस का एक नोट थमा दें तो उन्हें आरक्षण मिल जाता है तथा इस प्रकार का भ्रष्टाचार चलता रहता है। सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार को गम्भीरता से रोकने की आवश्यकता है।

मैं संक्षेप में यह उल्लेख भी करना चाहूंगा कि रेलवे में मजदूर संघ कैसे कार्य कर रहे हैं और इनका कैसे राजनीतिकरण किया गया है। सत्ताधारी दल के ही एक सदस्य ने संघों के कार्यकरण के बारे में काफी शोर मचाया था तथा रेल संघों में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की मांग की थी। यह तमिलनाडु के कांग्रेसी लोक सभा सदस्य ईरा अनबारासु थे जिन्होंने रेल कर्मचारियों आदि के संघों में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए रेल मंत्री से एक निगरानी करने वाला निकाय नियुक्त करने के लिए तुरन्त कदम उठाने का अनुरोध किया था।

मैं रेलवे की अकुशलता तथा इसके कारण ग्राहकों को होने वाली कठिनाइयों के मुद्दे को नहीं उठाऊंगा लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनका मैं संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा। उदाहरण के लिए लोक लेखा समिति ने रेलवे के इस दावे को झुठलाया है कि नई रेलगाड़ियां आरम्भ करने में इंजनों तथा सवारी डिब्बों की कमी मुख्य बाधाएं थीं। लोक लेखा समिति ने कहा है कि क्षेत्रीय रेलवे के पास इंजन बहुलता में उपलब्ध थे। इससे पता चलता है कि रेल मंत्री ने तथ्यों का पता लगाने का प्रयास नहीं किया।

रेलवे की कुशलता के बारे में सदन के ध्यान में इतना ही लाना पर्याप्त होगा कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने यह पाया है कि रेलवे से विश्वास उठ जाने के कारण उच्च मूल्य की अनेक जिन्सें सड़क यातायात के हाथ में चली गईं तथा परिणामस्वरूप 1977 तथा 1982 के बीच 77.66 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई। 1982-83 के अपने अग्रिम प्रतिवेदन में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने अनेक बातें कही हैं।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मुझे कुछ मिनट और दें ताकि मैं अपने राज्य के बारे में कुछ बातें कह सकूं ।

सभापति महोदय : आपको ये पहले कहनी चाहिए थीं। कृपया अब समाप्त कीजिए। बहुत वक्ताओं को अभी बोलना है ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : कृपया मुझे कुछ समय दें । इस चर्चा में मैं एक का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं ।

सभापति महोदय : और बड़े दल भी हैं ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आपने मुझे बोलने के लिए कहा है, लेकिन आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं ।

सभापति महोदय : कृपया दो मिनट के अन्दर समाप्त करें ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : कृपया मुझे समय दें ताकि मैं अपने राज्य में रेलवे के विकास के मुख्य मुद्दों पर बोल सकूं ।

कुछ साधारण समस्याएं हैं । दिल्ली से जालन्धर तक दोहरी लाइन होनी चाहिए। जालन्धर से जम्मू तक दोहरी लाइन हैं, लेकिन दिल्ली से जालन्धर के बीच ऐसा नहीं है ।

जहां तक शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन का सम्बन्ध है, सर्दियों में रेलवे इसे सप्ताह में तीन दिन ही चलाता है । सर्दियों के दौरान वैष्णों देवी के लिए बहुत भीड़ रहती है तथा कश्मीर घाटी से भी बहुत भीड़ होती है विशेषकर उन लोगों की जो सर्दियों के दौरान बाहर जाते हैं। सर्दियों के दौरान 'शालीमार' पूरे सप्ताह नहीं चलती है । यह सारा सप्ताह चलनी चाहिए ।

काफी समय पहले श्री डोगरा तथा अन्य लोगों ने यह मुद्दा प्रधानमंत्री के साथ उठाया था । वह मान गईं थीं। मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री ने 'शालीमार' को सप्ताह के सभी सात दिन चलने की अनुमति क्यों नहीं दी है । इस गाड़ी में 2-शयनयान वातानुकूलित भी होने चाहिए; यह इसमें नहीं है । इसका प्रावधान किया जाना चाहिए । ये साधारण बातें हैं ।

चूंकि समय नहीं है, मैं जम्मू और काश्मीर के बारे में एक या दो बातें कहूंगा जो अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं । मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि यद्यपि जम्मू और कश्मीर देश का अभिन्न अंग है, तथापि यह रेलवे मानचित्र में बिल्कुल नहीं है । जम्मू तक रेल लाइन है; और जम्मू तथा ऊधमपुर के बीच रेलवे ने पहले ही रेल लाइन निर्माण कार्य शुरू कर दिया है । लेकिन, 70 करोड़ रुपए में से अभी तक 5 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं किए गए हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि रेलवे कब इस लाइन को पूरा करेगा । और यह नेक इरादा नहीं है क्योंकि क्या मंत्रालय अन्ततः श्रीनगर तक रेल लाइन नहीं ले जाना चाहता ? आपको यह करना पड़ेगा, क्योंकि आधुनिक टैक्नोलॉजी में यह सम्भव है ।

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

मेरे इस प्रश्न के उत्तर में कि यद्यपि "काजी गुण्ड" से बारामूला तक रेल लाइन के निर्माण के लिए रेलवे ने काफी समय पहले, यों कहिए छह वर्ष पहले सर्वेक्षण किया था, फिर भी यह लाइन क्यों नहीं बनी माननीय मंत्री ने यह कहा है, "हमारे पास 79 करोड़ रुपए नहीं है, इसलिए हम उस रेल लाइन का निर्माण नहीं कर सकते।" उनका विभाग बहुत बड़ा है। आखिरकार, कश्मीर के लोग राष्ट्रीय मुख्यधारा में जुड़ गए हैं। उन्हें भी वही सुविधाएं मिलनी चाहिएं जो सरकार देश के सभी लोगों को दे रही है। आप काजी गुण्ड तथा बारामूला के बीच रेल लाइन का निर्माण क्यों नहीं कर सकते, जबकि इसके लिए सर्वेक्षण बहुत पहले हो गया था ? और इसमें कोई बाधा नहीं है।

ऊधमपुर और श्रीनगर के बीच रेल लाइन का निर्माण करना सम्भव है। सुरंग कोई समस्या नहीं है। हमें उसके लिए धनराशि ढूंढनी होगी। इसके लिए मेरा आगे तर्क यह है कि दूसरे अर्थ-व्यवस्था की काफी धन-राशि बचेगी, क्योंकि हमें हथियार तथा ट्रकों के ट्रक सेना की सप्लाई तथा असैनिक जनता के लिए भेजने पड़ते हैं। यदि ऊधमपुर तथा श्रीनगर के बीच रेल लाइन होगी तो आपको काफी बड़ी बचत होगी। इससे हमारे पर्यटन उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

सभापति महोदय कृपया सभापति का भी ख्याल करें; मैं पहले ही आपको बारह मिनट दे चुका हूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे विशिष्ट मुद्दों का उत्तर दें।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : सभापति जी, हमारे रेल मंत्री श्री गनी खां चौधरी ने जिस डाइनेमिक ढंग से गतवर्ष अपने डिपार्टमेंट को चलाया और उनके अधिकारियों ने जिस निष्ठा से उन्हें सहयोग दिया, उसके लिए मैं उनको और उनके साथियों को बधाई देता हूं। उनके सक्रिय ध्यान रखने से चैन-खींचने में बड़ा सुधार आया है, चोरियों में रुकावट हुई है, गाड़ियों के समय पर चलने में सुधार हुआ है, खाने की चीजों में भी सुधार आया है, कर्मचारियों के समय पर आने में सुधार हुआ है, स्टेशन की सफाई की तरफ विशेष ध्यान दिया गया और रेलवे लाइन के दोनों तरफ पेड़ लगाने की परम्परा ने भी रिकार्ड तोड़ा है। इन बातों के साथ-साथ जो नई गाड़ियां चलाई गई हैं इसके लिए भी मैं डिपार्टमेंट को बधाई देता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र अजमेर में रेलवे का एक बहुत बड़ा वर्कशाप है उसका विस्तार किया जाने के लिए प्रावधान किया गया है —उसके लिए भी मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं।

आपने रेलवे सर्विस कमीशन का दफ्तर अजमेर में खोला है। अभी तक राजस्थान के नौजवानों को बम्बई जाना पड़ता था और बम्बई में उनको सर्विस नहीं मिलती थी लेकिन अब अजमेर में दफ्तर खुल जाने से उनको बहुत सुविधा हो गई है—इसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं लेकिन इसके सम्बन्ध में पैनल में जो चार नाम आये हैं, मैं चाहता हूं कि उनकी स्वीकृति आप तुरन्त दें जिससे यह कार्य शीघ्र तथा सुचारु रूप से साकार रूप धारण कर सकें।

इसके साथ ही साथ मैं एक प्रार्थना और करना चाहता हूं और वह यह है कि काफी समय से ब्रांड गेज के लिए राजस्थान के लोगों की तरफ से मांग की जाती रही है लेकिन अभी तक वह मेरी नहीं हुई है। राजस्थान के विकास के लिए वह बहुत जरूरी है और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कांडला से माल उठाया जाय। बम्बई में सिर्फ दो-दो और ढाई-ढाई महीने खड़े रहते हैं और उनको जल्दी सामान उतारने का अवसर नहीं मिलता। इस तरह से माल पर डेंगुरेज और ड्यूटी काफी लग जाती है। कांडला में पांच डेक हैं और अब छटा और बन गया है लेकिन उसको माल नहीं मिल रहा है। मैं स्वयं जांच करने के लिए गया था और मैंने देखा कि रेलवे की तरफ से रोजाना 125 या 130 डिब्बे मिलते हैं जबकि वहां की आवश्यकता 500 से अधिक रेल डिब्बों की है। कांडला पर जो माल उतारते हैं, उनके लिए अगर और डिब्बों की व्यवस्था की जाए, तो वहां पर रेलवे को ज्यादा आमदनी होगी। और आगे चलकर ब्रांड गेज रेलवे लाइन को डालने से सम्बन्ध में या डबल लाइन करने से, उसको साकार रूप देने से इससे आपको बडी मदद मिलेगी।

एक प्रार्थना यह है कि मीटर गेज का हैड क्वाटर जो इस समय बम्बई में हैं, जहां पर बड़ी भीड़-भाड़ रहती है और कर्मचारियों को रहने के लिए मकान नहीं मिलते हैं और उनको बड़ी दिक्कत होती है, उसको बम्बई से हटा कर अजमेर में कर दिया जाए। अजमेर में हमारे पास काफी जमीन पड़ी हुई है, वहां का एरिया काफी बड़ा है और वहां पर कर्मचारियों के रहने के लिए क्वाटर भी बनाए जाए जा सकते हैं। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि मीटर गेज का हैड क्वाटर बम्बई से हटा कर अजमेर कर दिया जाए।

एक बात और कहना चाहता हूं। पुष्कर-अजमेर-मेड़ता का सर्वे किया गया है। आप 100 रेलवे लाइन बनाने जा रहे हैं। उसमें यदि इसको भी शामिल कर लिया जाए, तो बड़ी अच्छी बात होगी।

एक बात मैं रेलों के ऊपर पुल बनाने के बारे में कहना चाहता हूं। मैंने देखा है कि सभी प्रान्तों में रेलवे क्रासिंग पर पुल बनाने के लिए आपने बजट बनाया है परन्तु राजस्थान को इस से बिल्कुल अछूता रखा गया है। मेरे चुनाव क्षेत्र में, अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर तीन पुल बनाने की आवश्यकता है। एक पुल तो ब्यावर में बनाने की आवश्यकता है क्योंकि रेलवे स्टेशन की दूसरी साइड में तीन कपड़ा मिलें हैं और वहां पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसी महीने एक नौजवान की मृत्यु हो गयी क्योंकि मजदूर हजारों की संख्या में शहर से मिल की तरफ आते हैं और मिल से शहर की तरफ जाते हैं। इस सम्बन्ध में पहले भी कई बार मांग की जा चुकी है और ब्यावर में एक पुल बनाने की बहुत आवश्यकता है। दूसरा पुल अजमेर में ही तोपदड़ा में बनाने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि वहां पर जो अन्डर ग्राऊन्ड पुल है, उसमें पानी भर जाता है, जिससे यात्रियों को बहुत दिक्कत होती है। तीसरा पुल किशनगढ़ से रूपनगढ़ जाते हुए बनाने की काफी समय से मांग की जा रही है। इस तरह से मेरे क्षेत्र में इन तीन पुलों को बनाने की

[आचार्य भगवान देव]

बहुत आवश्यकता है और मेरे एरिया में कई फाटक हैं, जहां पर कर्मचारी नहीं रहते हैं। इससे किसानों को अपने गांवों और खेतों की तरफ जाने में बड़ी दिक्कत होती है। वहां पर जितने भी फाटक हैं, उनपर कम से कम दिन में तो आदमी रहना ही चाहिए और इस प्रकार की व्यवस्था आपको करनी चाहिए, जिससे लोगों को राहत मिले।

आपने एक सुपर फास्ट ट्रेन गत वर्ष चलाई थी और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। दिल्ली से अहमदाबाद के लिए यह गाड़ी चलती है लेकिन ख्वाजा साहिब की दरगाह पर, जहां पर आप भी जाते हैं और पुष्कर भी एक बहुत बड़ा स्थान है, वहां पर इस ट्रेन के रुकने का आपने जो टाइम रखा है, वह ठीक नहीं है। वहां पर एक बजे रात को यह गाड़ी पहुंचती है। अजमेर से जो यात्री आते हैं चाहे वे दरगाह के लिए आते हों या पुष्कर के लिए आते हों बाहर से आते हैं और रात को जब एक या दो बजे गाड़ी पहुंचती है, तो इससे यात्रियों को बहुत दिक्कत होती है।

इसलिए मेरा कहना यह है कि इस सुपर फास्ट ट्रेन का टाइम या तो आप रात को 10 बजे रखिये या प्रातः 4 बजे के बाद रखिये। इसके अलावा जो जनता एक्सप्रेस चलती हैं, उस का टाइम पहले बड़ा अच्छा था और वह पहले सवेरे 6 बजे चलती थी और साढ़े चार बजे पहुंचती थी। अब उसका टाइम 4 बजे कर दिया गया है और वह रात को 3 बजे पहुंचती है, जिससे यात्रियों को बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए मेरा कहना यह है कि इन दोनों ट्रेनों के चलने के समय में आप सुधार कीजिए।

मैं ब्यावर का रहने वाला हूं। वहां पर कपड़े की तीन मिलें हैं और वह एक बहुत बड़ी मंडी है। वहां पर जो भी रेलें रुकती हैं, उनमें सीटों पर आरक्षण बहुत कम है। पहले 8 का था लेकिन अब उसको घटाकर दो कर दिया है। 201 अप में जनता में और मेल में, जहां का मैं रहने वाला हूं, सीटों का आरक्षण कम कर दिया है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इसमें वृद्धि करने की कृपा आप करें। व्यापार में जो कर्मचारी काम करते हैं, उनके रहने के लिए क्वार्टरों की बहुत आवश्यकता है। वे वहां दूर-दूर रहते हैं और वहां पर भीड़ बड़ी रहती है और जगह भी बहुत कम है। इसके सम्बन्ध में भी आप विचार करें।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को और उनके डिपार्टमेंट को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इतना कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : सभापति महोदय, रेल बजट का समर्थन करने के लिए उठते समय मेरी प्रतिक्रियाएं कुछ मिली-जुली हैं । माननीय मंत्री द्वारा सदन के सम्मुख रखे गए अधिकतर प्रस्तावों से मैं समहत हूं लेकिन, क्योंकि आपने मुझे केवल पाँच-छह मिनट ही दिए हैं, मैं सीधे उन कुछ मुद्दों पर जाऊँगा जिनकी उपेक्षा की गई है या जिन्हें रेल मंत्रालय द्वारा गंम्भीरता से नहीं लिया गया है ।

आपको पता है कि जब अमरीका में रेल तथा सड़क कांग्रेस को सम्बोधित किया गया तो तत्कालीन प्रेसीडेन्ट ने कहा था कि खुशहाली के कारण रेल लाइन तथा सड़कें नहीं बनी हैं बल्कि रेलों तथा सड़कों से देश में खुशहाली आई है इसी प्रकार हमारे देश में पिछड़े क्षेत्र हैं और यदि इन क्षेत्रों का विकास करना हैं, यदि हम चाहते हैं कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 67 प्रतिशत लोगों का जीवन-स्तर सुधारना है तो हमें रेलें तथा सड़कें इन क्षेत्रों में पहुँचानी होंगी । लेकिन हम देखते हैं कि सरकार किसी न किसी कारण से इसकी उपेक्षा करती आई है । मेरे पास कुछ ठोस उदाहरण हैं ।

1977-78 में मनमाड़-औरंगाबाद खंड को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य आरम्भ किया गया । तत्कालीन रेल मंत्री ने यह कहा था कि उसे 1982-83 तक पूरा किया जाना चाहिए । आज तक 60 से 65 प्रतिशत कार्य भी पूरा नहीं हुआ है । मैं नहीं जानता कारण क्या हैं । यदि हम इसी गति से चलते रहेंगे तो उस क्षेत्र के लोग अवश्य क्षुब्ध होंगे । इसलिए नहीं कि हमने देखा है कि वे लोग क्षुब्ध हैं लेकिन कर्त्तव्य-स्वरूप हमने उन्हें बताया है कि हम इसे पूरा करवाएंगे और हमने कहा है कि वह इस बात को रेखेंगे कि कार्य पूरा हो । लेकिन, किसी कारण वश इसकी उपेक्षा की गई है ।

मैं मंत्री महोदय से केवल एक बात कहना चाहता हूँ । श्री गनी खान चौधरी बहुत अच्छे आदमी हैं । लेकिन जब कोई गलती की बात की जाती है तो वह यह बहाना करते हैं कि वित्त मंत्रालय उसकी स्वीकृति नहीं दे रहा है अथवा योजना आयोग इसे नहीं कर रहा । मैं नहीं जानता कि वह ऐसा क्यों करते हैं । उन्हें पिछड़े क्षेत्रों के लोगों की इच्छाओं को जानना चाहिए और यह देखना चाहिए कि रेल मंत्रालय द्वारा पहले जो भी वचन दिए गए थे वह निर्धारित अवधि में पूरे किए जाएं । मैं उन्हें केवल इस विभाग-विशेष में परिवर्तन करने के बारे में कहना चाहता हूं । वह इसे कब पूरा करने जा रहे हैं ? स्थानीय लोग तथा मराठवाड़ा और महाराष्ट्र की जनता उससे संतुष्ट हो जायेगी । हम नहीं चाहते कि यह ऐसे ही चलता रहे ।

[उत्तम राठौर हिंगोली]

जैसा कि मैंने पहले भी कहा था रेलवे सदन में दिए गए अपने आश्वासनों को अलग तरीके से पूरा करता है। यह आश्वासन दिया गया था कि छठी योजना में मुदखेड-आदिलाबाद लाइन को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिया जायेगा लेकिन मैंने इस बारे में पूछा तो मुझे यह कहा गया कि कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। मैं नहीं जानता कि रेल मंत्रालय सदन में दिए गए आश्वासनों को इतनी लापरवाही से क्यों लेता है। उन्होंने मुझे लिखित रूप में आश्वान दिया है। मैं नहीं जानता कि वे इसे इतनी लापरवाही से ले रहे हैं। क्या यह आश्वासन दिया गया था या नहीं इसका निर्णय आश्वासनों संबंधी समिति करेगी रेल मंत्रालय इसका निर्णय करने में सक्षम नहीं है। यदि वह इन आश्वासनों को इतनी गंभीरता से नहीं लेती तो जनता के उन सभी प्रतिनिधियों, जो अपने क्षेत्र के मामले के संबंध में यहां निवेदन करने करते हैं, के लिए बहुत कठिनाई पैदा हो जायेगी।

महोदय, यदि किसी तरह मुदखड—आदिलाबाद लाइन में परिवर्तन किया आरम्भ जाना किया जा सकता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने माननीय प्रधानमंत्री को भी लिखा था, उन्होंने मुझे लिखा कि यह कार्य किया जाएगा तथा उन्होंने रेल मंत्रालय से मामले की जांच करने के लिए कहा तथा यह मामला ग्रामीण पुर्ननिर्माण मंत्रालय अथवा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना, इसे जो भी कहा जाता है, के अंतर्गत लें। मैं नहीं जानता कि इस बारे में क्या किया गया है। मुझे खुशी होगी यदि मंत्री महोदय हमें बताएं कि क्या यह काम किया जा सकता है अथवा नहीं। मेरी केवल इतनी कामना है कि वे जनता की इन मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। यहां तक कि छोटी-छोटी बातों जैसे पी०टी० कनेक्शन और नए स्टेशनों पर गाड़ी रोकने संबंधी मांगों को दोहराना पड़ता है। मेरा केवल इतना अनुरोध है कि इसमें अधिक समय नहीं लगना चाहिए।

अंत में, रेल मंत्री डरवाह मोनी बाग से भोकर बड़ी लाइन तक का यातायात सर्वेक्षण कराने तथा आदिलाबाद-पीपटकोट जड़ी लाइन शुरू करने के लिए बधाई नहीं देने का अर्थ होगा कि मैं अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं कर रहा हूं। मैं अध्यक्ष महोदय को भी बधाई देता हूं जिन्होंने महाराष्ट्र के सर्वाधिक पिछड़ क्षेत्रों मुदखड—आदिलाबाद खंड का छः महीनों में एक बार नहीं अपितु दो बार दौरा किया है इसके साथ-साथ मैं पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र में काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं। वहां एक आंदोलन किया गया था जिसमें रेलवे कालोनी में एक रेल कर्मचारी को छुरा भोंक दिया गया था। लेकिन ये लोग अपने कर्त्तव्य से पीछे नहीं हटे और आंदोलन में भी ये लोग प्रति दिन कार्यालय जाते थे और यह देखने को कि गाड़ियां नियमित रूप से चलती रहीं।

इन शब्दों के साथ ही मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह हमारे क्षेत्र की लाइनों को कलकत्ता की भूमिगत लाइनों की तरह मानें तथा इस कार्य के लिए हम उन्हें बधाई देते हैं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय सभापति जी, यह थोड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस बार रेल मंत्री जी ने जो पहले तमाम बजट आए थे, उनमें से एक अच्छा बजट पेश करने की कोशिश की है। फिर भी, इस बजट से गरीब लोगों पर थोड़ा दबाव पड़ेगा। क्योंकि प्लेट फार्म का टिकट बढ़ा दिया गया या जो सरचार्ज लगा दिए गए, उनसे सेकण्ड क्लास के यात्रियों पर एक प्रकार का बोझ पड़ेगा। इस बार का बजट अगले चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया इसलिए लोगों पर कम बोझ डालने की कोशिश की गई। मैं प्रारम्भ में ही यह बात कहना पसन्द करता हूं कि अगर संभव हो तो माननीय मंत्री जी यह प्रयास करे कि द्वितीय श्रेणी का किराया कुछ कम कर दिया जाए। मैं आशा करता हूं कि जब वह जवाब देंगे तो द्वितीय श्रेणी के किराये में कुछ कमी की घोषणा करेंगे। प्लेटफार्म टिकट के दाम भी घटाने चाहिए। जिन नजदीक के स्टेशनों का किराया प्लेटफार्म टिकट से कम है, तो उससे रेलवे को लाभ नहीं होगा। एक व्यक्ति अगर नजदीक के स्टेशन का टिकट ले लेता है और यदि उसकी कीमत प्लेटफार्म टिकट से कम है तो वह आसानी से प्लेटफार्म पर जाकर काम करके टिकट को लौटा कर पैसा वापिस ले सकता है। इसलिए प्लेटफार्म टिकट के दाम घटाए जाने चाहिए। पिछड़े हुए क्षेत्रों की तरफ विशेष रूप से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा। कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर रेल लाइन बना दें तो अधिक फायदा नहीं होगा। लेकिन उस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है। मुख्य रूप से सरकार वैलफेयर का कार्य करती है।

कहीं कहीं घाटा सह कर भी इस प्रकार की रेल लाइन बनाई जाये जिससे पिछड़े क्षेत्र के लोगों को उन्नति का अवसर मिल सके। इसलिए पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ नई रेल लाइनें देने का आप प्रयास करें।

मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में कहना चाहूंगा जहां पर रेल लाइन तो है लेकिन कुछ क्षेत्रों में नहीं है और वहां के लिए बहुत दिनों से मांग भी हो रही है। जैसे गोरखपुर में सहजनवा-बड़हलगंज के लिए रेल लाइन की मांग की गई थी और बार-बार कहा गया विभाग की तरफ से इस रेल लाइन से विभाग को नुकसान होगा। मैंने माना कि नुकसान हो सकता है, लेकिन जहां यातायात और विकास के साधन नहीं हैं ऐसे क्षेत्रों के लिए कुछ घाटा भी सह कर रेल लाइन अवश्य बनाई जाये। अभी हमारे माननीय अशफाक हुसैन साहब जब ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बोलेंगे तो वह भी मांग करेंगे महाराजगंज क्षेत्र में रेल लाइन बनाने के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि मन्त्री जी हमारी समस्याओं पर विशेष ध्यान देंगे।

देश के तमाम दूसरे भाग हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, राजस्थान, उड़ीसा और बिहार में जहां बहुत भी जगहों पर रेल लाइनें नहीं हैं और वहां बनाने की जरूरत है। मैं नहीं जानता कि रेल विभाग के तो रिसोर्सेज हैं उनसे कितना विकास आप कर सकते हैं, लेकिन इनको प्राथमिकता के आधार पर देखना चाहिए और इन जगहों पर रेल लाइनें बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए।

अब मैं अपने गोरखपुर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारा गोरखपुर इस समय उत्तर

[श्री हरिकेश बहादुर]

प्रदेश के बड़े नगरों में आ चुका है और उसकी आजादी लगभग 5 लाख पहुंच गई है। मैंने उसके बारे में कहा कि इसको बी टू क्लास सिटी बनाया जाये। मैंने वित्त मंत्री और रेल मन्त्री को लिखा था और यहां पर भी कहा था लेकिन मुझे यही बताया गया कि चूंकि वहां की आबादी 4 लाख से कम है इसलिए उसको बी टू क्लास सिटी नहीं बनाया जा सकता। ऐसा इसलिए है कि आपने 1981 की जनगणना को आधार बनाया है। लेकिन यदि इस समय वहां की आबादी देखी जाये गोरखपुर महा नगरपालिका क्षेत्र की तो वहां की आबादी 5 लाख हो चुकी है इसलिए उस शहर को बी टू बनाया जा सकता है। ऐसा होने से रेल कर्मचारियों को वह तमाम सुविधायें मिलने लगेंगी जो एक बी टू शहर के लोगों को मिलती हैं। मंत्री जी जानते हैं कि इस शहर में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हैडक्वार्टर है और वहां पर 25 हजार रेल कर्मचारी काम करते हैं। अतः उनके हितों को देखते हुए गोरखपुर शहर को शीघ्र ही बी टू क्लास घोषित कराने की कृपा करें।

इसी तरह जो नई कोच फैक्ट्री बनने वाली है उसको पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के पिछड़ेपन को देखते हुए गोरखपुर में बनाया जाय। यह प्रस्ताव जब आया था तो कहा गया था सम्भवतः यह कारखाना गोरखपुर में बनाया जायेगा। लेकिन अब उस कारखाने को वहां से हटाने का प्रयास हो रहा है। इसलिए मैं मंत्री जी से कहूंगा कि अगर उस करखाने को बनाना है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए और पश्चिमी बिहार के पिछड़ेपन को देखते हुए उस कारखाने को आप गोरखपुर में ही स्थापित करायें। मंत्री जी ने हमें कई बार आश्वस्त किया है कि जब उसके लिए प्लानिंग कमीशन से धन मिल जायेगा तो स्थान के बारे में चयन होगा और चयन कोई राजनीतिक आधार नहीं अपनाया जायेगा। यह तो अच्छी बात है लेकिन हमें जो जानकारी मिली है कुछ राजनीतिक आधार अपनाने की बात चल रही है। सदन के दोनों तरफ के सदस्यों की यही मांग है कि उस कारखाने को गोरखपुर में ही बनाया जाये। उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखाने को गोरखपुर में स्थापित कराने की कृपा करेंगे।

कुछ काम माननीय मंत्री जी जरूर ऐसे कर रहे हैं जिनकी तारीफ किये बिना मैं नहीं रह सकता। रेल एक्सीडेंट्स आमतौर से होते हैं जो कि बहुत ही दुखद होते हैं और उन रेल दुर्घटनाओं के लिए प्रायः यह देखा जाता है कि छोटे कर्मचारियों को दंडित कर दिया जाता है। प्वांइट मैन, गार्ड, स्टेशन मास्टर और कुछ छोटे कर्मचारियों को दण्डित कर दिया जाता है। यहां जब पार्लियामेंट में बहस होती है तो हम लोग सरकार और माननीय मंत्री के विरुद्ध तमाम बातें कहते हैं और बराबर यह मांग की जाती है कि बड़े लोगों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं होती, दंडित क्यों नहीं किया जाता ? मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मंत्री ने इस बात पर ध्यान दिया है। हमारी जनता और सरकार के बीच में काम करने वाले लोग अपनी कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं करते, वह नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कोई भी बात कहीं जाये। वह अपनी कोई जवाबदेही किसी के प्रति नहीं रखना चाहते। यह उनकी मजबूरी है कि जनता की तरफ से भी उन पर दबाव पूरा होता है और सरकार की तरफ से तो दबाव पड़ता ही है जिससे वह बहुत बेचैनी की

स्थिति में रहते हैं। वह अपनी जवाबदेही कतई मानना नहीं चाहते। यह हमारे रेल के अधिकारी हैं और दूसरे विभाग के अधिकारी भी हैं। आज अगर उनके खिलाफ रेल मन्त्री जी ने कोई कार्यवाही की है तो यह अफसोस की बात है कि उन्होंने तमाम हंगामा खड़ा कर दिया है हड़ताल करेंगे, या यह करेंगे वह करेंगे। मैं कतई इस प्रकार की चीजों को समर्थन नहीं दे सकता। मैं विरोध पक्ष में हूं। आज एक आम तरीका बन गया है कि हर हड़ताल करने वाला यह समझता है कि हमारी हर हड़ताल को, हर मांग को विरोध-पक्ष वाले समर्थन प्रदान करेंगे। मैंने यहां पर तमाम अपने साथियों, संसद-सदस्यों से इसके बारे में बात की थी। जब यह घटना अखबारों में निकली तो हम इसे पार्लियामेंट में उठा सकते थे, लेकिन जान-बूझकर हमने इसे यहां नहीं उठाया। इसलिए कि इनकी भी कोई जबाबदेही है या नहीं ?

हम कोई भी बात कहते हैं, सवाल उठाते हैं, जो काम करने के लायक भी होता है, उसको यह अधिकारी जनता के हित में नहीं करेंगे। मैंने बराबर इसको देखा है। मेरा अपना विश्वास है कि अगर ये अधिकारी जनता की समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक सुनने लगें और समाधान का तरीका ढूंढने लगें तो 90 प्रतिशत लोग अपनी समस्याओं को लेकर हमारे पास नहीं आयेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि अधिकारियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसका अहसास वह नहीं करते हैं। माननीय मंत्री जी ने जो कदम उठाया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और उनकी प्रशंसा करता हूं।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : पूरा सदन उनके साथ है।

श्री हरिकेश बहादुर : जैसा भाई जगपाल सिंह जी कह रहे हैं कि पूरा सदन उनके साथ है, तो मैं समझता हूं कि पूरा सदन उनके साथ होगा और इस प्रकार की कार्यवाही की जायेगी। ताकि रेल एडमिनिस्ट्रेशन को चुस्त और दुरुस्त बनाया जा सके।

आज जो गैर-जिम्मेदाराना हरकतें चल रही हैं, गैर-जिम्मेदारी की चीजें चल रही हैं, उससे देश की जनता बिल्कुल सन्तुष्ट नहीं है। आज अपने पब्लिक रिप्रैजेन्टेटिव्ज से जनता मिल सकती है, मिनिस्टर से मिल सकती है, लेकिन अधिकारियों से यदि आप मिलना चाहें तो नहीं मिल सकते।

मैं एक साधारण सी बात कह रहा हूं, इस रैफरेंस में आ गई है तो कह रहा हूं, नहीं तो नहीं कहता। मैंने एक दिन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को टेलीफोन किया। तीन दिन तक लगातार टेलीफोन करता रहा, लेकिन उनके सैकेटरी ने कहा कि आपको जो कहना हो, आप लिखकर भेज दीजिये, आकर मिल लीजिये। मैंने कहा कि क्या वह टेलीफोन पर बात नहीं कर सकते ? उसने कहा कि सर, मीटिंग वगैरह में चले गये हैं। तमाम बहानेबाजी चलती रही और उन्होंने टेलीफोन पर बात नहीं की। आप प्रधान मन्त्री से टेलीफोन पर बात कर सकते हैं, लेकिन रेलवे बोर्ड

[श्री हरिकेश बहादुर]

के चेयरमैन से बात नहीं कर सकते। जब आपके इन अधिकारियों का दृष्टिकोण पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव्ज के साथ यह है तो जनता का तो कोई भी प्रतिनिधि इनसे मिल नहीं सकता।

चैकिंग स्टाफ के लोगों ने 24 सूत्री कार्यक्रम को लेकर माननीय मंत्री जी के घर पर 5 दिसम्बर, 1983 को धरना दिया था। मैं मिनिस्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उनको मानने की कृपा करें।

आल इंडिया गार्ड काउंसिल का धरना भी कुछ दिन पहले 3 मार्च को मन्त्री जी के घर पर हुआ था। मैं वहां पर गया था और मैंने उनसे कहा था कि मैं उनके मामले में माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा।

मैं आग्रह करता हूं कि मन्त्री महोदय उनकी समस्याओं पर विचार करें और उनके समाधान का रास्ता निकालें।

सिगनल एण्ड टेली-कम्युनिकेशन्ज स्टाफ ने अपनी सेवा-शर्तों के सम्बन्ध में जो मांगें रखी हैं, मेरा अनुरोध है कि मन्त्री महोदय उन पर विचार करें और उन्हें स्वीकार करें।

मैं मांग करता हूं कि आर० पी० एफ० कर्मचारियों को बोनस की फैसिलिटी दी जाए।

रूल 14(2) एक ऐसा रूल है, जिसके आधार पर अधिकारी मनमाने ढंग से कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करते हैं। इस रूल को हटा देना चाहिए, ताकि कर्मचारियों पर अत्याचार न होने पाए।

जहां तक कैजुअल लेबर का सम्बन्ध है, वे दस, बारह, पंद्रह साल तक काम करते रहते हैं, लेकिन उन्हें स्थायी नहीं किया जाता है। मन्त्री महोदय कोई प्रभावशाली कदम उठाएं, जिससे उन आकस्मिक श्रमिकों की सेवा नियमित हो सके।

रेलवे सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसके बारे में माननीय सदस्यों ने कहा है। मन्त्री महोदय उसको खत्म करने के लिए जो भी कदम उठाएंगे, हम उसका समर्थन करेंगे। भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर समाप्त किया जाना चाहिए।

शाहदरा-सहारनपुर लाइन को 1975 में बड़ी लाइन बनाया गया था। शाहदरा से शामली तक कई गाड़ियां जाती हैं, लेकिन सहारनपुर तक केवल एक गाड़ी जाती है। दिल्ली से शामली तक की दूरी केवल 100 किलोमिटर है, मगर ट्रेन को वहां पहुंचने में पांच-छ: घंटे लग जाते हैं, जबकि रोडवेज की बसें ढ़ाई घंटे में वहां पहुंच जाती है। मेरा निवेदन है कि सहारनपुर तक अधिक गाड़ियां चलाई जायें और उनकी स्पीड को बढ़ाया जाए, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके।

प्रो० सत्यदेव सिंह (छपरा) : सभापति महोदय, मैं रेल मन्त्री द्वारा रखे गये संतुलित बजट का हार्दिक स्वागत और समर्थन करता हूं।

हमारी पुरानी मांग है कि गंगा नदी पर पानेजाघाट और दीघाघाट के सामने रेलवे पुल का शीघ्र निर्माण किया जाये। पूना में मिट्टी की जांच पिछले दस सालों से हो रही है, मगर अभी तक उसका कोई परिणाम नहीं आया है। हमारे अनुरोध पर रेल मन्त्री ने उस तरफ ध्यान दिया और सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। मुझे विश्वास है कि उनके द्वारा इस सम्बन्ध में शीघ्र ही ठोस कार्यवाही की जाएगी, जिससे इस रेल पुल का निर्माण जल्दी ही पूरा हो सकेगा, जिसका सपना हम अरसे से देखते आ रहे हैं।

आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद रेल मन्त्री ने सवारी-डिब्बों को बढ़ाया है और अतिरिक्त गाड़ियां चलाने की व्यवस्था की है। इससे रेलवे की काफी प्रगति और विस्तार हुआ है और यात्रियों को संतोषप्रद सुविधा मिली है।

मन्त्री महोदय ने नई दिल्ली पटना मगध एक्सप्रैस और नई दिल्ली बरौनी जयन्ती जनता एक्सप्रैस ये दो गाड़ियां चला कर बिहार की जनता की बहुत सहायता की है। इसके लिए हम उनके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। इस समय जयन्ती जनता एक्सप्रैस रोज नहीं चलाई जा रही हैं। मेरा आग्रह है कि उसको डेली चलाया जाये।

आसाम मेल उत्तरी बिहार की गाड़ी है। उसको पटना से न ले जाकर मुजफ्फरपुर, सोनपुर, छपरा, सिवान, गोरखपुर और लखनऊ होते हुए दिल्ली लाया जाए, जिससे उस क्षेत्र के लोगों को और सुविधा मिल सके। इसके अतिरिक्त दिल्ली के लिये नई गाड़ियां भी चलाई जाएं।

महात्मा गांधी सेतु के बन जाने से सोनपुर और छपरा के बीच काफी यातायात बढ़ा है। इस लिये मेरा अनुरोध है कि सोनपुर और छपरा के बीच परमानंदपुर, शीतलपुर और दिघवारा, इन तीनों स्थानों पर ऊपरी पुलों का निर्माण किया जाये।

छपरा बनियापुर रोड पर, छपरा वाराणसी और छपरा गोरखपुर लाइन पर, छपरा-कचहरी स्टेशन के पास और छपरा मड़हौड़ा रोड पर रेल विभाग द्वारा पहले से स्वीकृत पुलों का निर्माण शीघ्र कराया जाए।

छपरा जंक्शन स्टेशन पर द्वितीय श्रेणी के विश्राम भवन तथा स्टेशन भवन का आंशिक नव-निर्माण हुआ हैं, परन्तु इस स्टेशन भवन के पूर्वी खंड में भवन का नव-निर्माण पश्चिमी खंड जैसा ही करना अत्यावश्यक हैं।

समय-पालन का बहुत ख्याल रखा गया है और इसके लिये भी वह बधाई के पात्र हैं।

[प्रो० सत्यदेव सिंह]

इनके साथ-साथ रेलवे अधिकारियों का भी उनकी कर्त्तव्य निष्ठा के लिये हम आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने काफी परिश्रम करके रेलवे के मानदंड को ऊंचा किया है। जैसा कि अपने भाषण में माननीय मन्त्री जी ने भी रेल कर्मचारियों के भरपूर सहयोग, परिश्रम और अटूट कर्त्तव्य निष्ठा की हार्दिक सराहना की है और उनके प्रति उनकी कर्त्तव्य परायणता के लिये आभार प्रकट किया है, हम भी माननीय मन्त्री जी की भावना और विचारों से पूर्णतः सहमत हैं।

जयन्ती जनता एक्सप्रैस जो दिल्ली से गोरखपुर होकर बरौनी जाती है उसमें नार्दन रेलवे के अधिकारी सहयोग नहीं देते। जैसे कि इसी 3 मार्च को मैं छपरा गया था, कानपुर जाते-जाते यह गाड़ी तीन चार घंटे विलम्ब से चलने लगी जिसका नतीजा यह हुआ कि हम चार-पांच घंटे लेट छपरा पहुंचे। मैंने गोरखपुर स्टेशन पर जनरल मैनेजर को फोन करके इसकी सूचना दी और शिकायत की। मैं अनुरोध करूंगा कि उत्तर रेलवे के अधिकारी भी सहयोग करें जिससे पूर्वोत्तर रेलवे को प्रतिष्ठा की यह गाड़ी समय पर यात्रियों को पहुंचा सके।

मैंने पिछले बजट भाषण के समय पटना रेल सेवा आयोग में व्याप्त भ्रष्टाचार की भर्त्सना की थी। मेरे पास बिजीलेंस डिपार्टमेंट के लोग आये थे और उन्होंने मुझसे नाम पूछा। मैं निवेदन करता हूं कि वहां पर धांधली और भ्रष्टाचार है, बिजीलेंस के अधिकारी जो मुझसे पूछते हैं वह वहां पर सही निरीक्षण करें और उसकी जांच करें, देखें कि किस तरह से गड़बड़ी होती है।

रेलवे प्लेटफार्म का टिकट जो एक रुपए किया गया है उसे कम किया जाय और उसे उसी स्तर पर रखा जाय। द्वितीय श्रेणी के किराये में भी कमी की जाये।

कल माननीय राजेन्द्र प्रसाद यादव जी ने रेलवे अधिकारियों की तो भर्त्सना की थी लेकिन तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की सराहना की थी। हमारे लिये दोनों पक्ष महत्वपूर्ण हैं। रेलवे अधिकारियों का भी उसमें सहयोग और हाथ है। बाज वाज ऐसे अधिकारी हैं जो गलत काम करते हैं, रेल मन्त्री जी का ध्यान उन पर है और उन्होंने रेल सेवा आयोग के अध्यक्ष को मुअत्तल किया है, डी० आर० एम० को मुअत्तल किया है जो गलती करता है वह सजा पाता है। लेकिन साथ साथ जिन्होंने अच्छा काम किया है, जिन्होंने उसमें सुधार किया है उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। एक ही डंडे से सबको हांकना अच्छा नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेल बजट का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनन्दन करता हूं और उसका पुनः समर्थन करता हूं।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे रेलवे बजट पर कुछ शब्द कहने का अवसर दिया।

महोदय, वास्तव में मैं कल से इस बजट पर बोलने का इन्तजार कर रहा हूं और मैंने देखा

है कि पक्ष तथा विपक्ष दोनों ओर के सदस्यों ने यह मांग की है कि रेलवे को अधिक धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि विशेषकर नयी परियोजनाओं तथा अन्य कई कार्यों, जो लम्बित पड़े हैं को पूरा किया जाए तथा मैं उन माननीय सदस्यों की मांग का समर्थन करता हूं जिन्होंने अधिक धन की मांग की है। योजना आयोग, जो यह धन आवंटित करता है तथा योजना मंत्री को यह देखना चाहिए कि रेल मंत्रालय को अधिक धन उपलब्ध कराया जाए, ताकि जो योजनाएं लम्बित पड़ी हैं, पिछले क्षेत्रों तथा उन क्षेत्रों की जनता के लाभ के लिए उन्हें पूरा किया जा सके।

महोदय, मैं रेल मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में से केवल एक वाक्य नीचे उद्धृत करना चाहता हूं। रेल मंत्रालय की वर्ष 1982-83 की वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 3 के पैरा 2 में कहा गया है :—

"उत्तरोत्तर बढ़ती हुई लागत तथा माल ढुलाई की उपलब्धता में मंदी के दुतरफा प्रभाव का सामना करने के लिए, "यातायात में वृद्धि करने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।"

यह सच है कि पिछले वर्ष के बजट राजस्व अर्जित करने वाले यातायात में जो भी अनुमान लगाए गए थे वे पूरे नहीं किए जा सके। इसी कारण मन्त्री महोदय ने किराए तथा भाड़े में वृद्धि करके अधिक धनराशि देने का तथा बजट में हुए घाटे को पूरा करने का प्रयत्न किया है।

मैं मन्त्री महोदय तथा सदन द्वारा विचार किए जाने के लिए केवल कुछ मुद्दे रखना चाहता हूं।

मैं तो कहूंगा कि सिफारिशें रेल अभिसमय समिति द्वारा की गई हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 12 वर्षों के दौरान कार्यों पर होने वाले खर्च में 4 गुना वृद्धि हुई है उदाहरण के लिए यह राशि 1971 में 862.22 करोड़ से बढ़कर 1981-82 में 3224.70 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। उन्होंने विशेष रूप से इसका उल्लेख किया है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान लागत में भी वृद्धि हुई है। अतः उन्होंने यह उल्लेख किया है :

"समिति इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि भारी निवेश तथा रेलवे में लाई गई कई तकनीकी नवीनताओं तथा 'कर्षण' के आधुनिकीकरण को ध्यान में रखते हुए, आय में वृद्धि करके, न कि किराए और भाड़े की दरों में अव्यवस्थित रूप से वृद्धि करके अपितु आस्तियों का पूरा-पूरा उपयोग करके, अधिक माल ढुलाई से तथा राजस्व की चोरी को रोककर वित्तीय कार्य निष्पादन में सुधार किया जाना चाहिए।"

मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि किराए तथा भाड़े में अवांछनीय वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। अतः समिति, जिसके आप अध्यक्ष रहे हैं, ने यह उल्लेख किया है कि किराए तथा भाड़े में अवांछनीय वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। दूसरी ओर

[प्रो० सत्यदेव सिंह]

रेलवे में निवेश किए गए धन का, देश के लाभ के लिए तथा रेलवे को सुव्यवस्थित करने के लिए भी पूरा-पूरा उपयोग किया जाना चाहिए।

मैं नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा 1981 की अपनी रिपोर्ट में दिए गए एक पहलू के बारे में बताना चाहता हूं :

"विभिन्न वित्तीय वर्षों में बजट में जो कुछ अनुमान लगाए गए हैं, उनमें समय के अनुसार परिवर्तन हुआ है।"

इससे पता चलता है कि आरम्भ में दिया गया धन पर्याप्त नहीं था। उसका अभिप्राय है कि रेल मन्त्रालय ने एक वर्ष विशेष में जितना राजस्व वसूल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें समय-समय पर परिवर्तन किया जा रहा है। उसका अर्थ है कि योजना ठीक नहीं है और उसमें समय-समय पर परिवर्तन किया गया है। इसी कारण नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक ने 1981-82 की अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि 703 48 करोड़ रुपये तथा 206.45 करोड़ रुपये प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक वर्ष के दौरान 28 पूरक मांगें+पूरक मांगें सदन द्वारा विचार किए जाने के लिए प्रस्तुत कीं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि नीलांचल एक्सप्रेस इस समय सप्ताह में 3 बार चलाई जा रही है। हमने कई बार मांग की है तथा हम मन्त्री महोदय से भी मिले हैं कि इसे हर रोज चलाया जाना चाहिए। साथ है, यह जितना समय लेती है, उसे कम किया जाना चाहिए। दिल्ली से इसके चलनें तथा दिल्ली पहुंचने के समय में परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि जो लोग इतनी दूरी की यात्रा करते हैं, उन्हें सुविधा हो सके। इससे यात्रियों को सुविधा होगी।

महोदय, हमें खुशी है तथा बहुत से सदस्य पहले ही अपना मत व्यक्त कर चुके हैं कि तालचेर—सम्बलपुर लाइन को इस वर्ष के बजट में रखा गया है। और मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इसे तत्काल आरम्भ किया जाना चाहिए तथा इसे समय पर पूरा किया जाना चाहिए।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। नीलांचल एक्सप्रेस बनारस तथा बिहार में टाटानगर से होती हुई जाती है। पक्ष तथा विपक्ष दोनों ओर के सदस्यों ने मांग की है कि जब यह गाड़ी रोज चलना आरंभ हो जाए तब इसे सप्ताह में तीन दिन मुगलसराय से होकर और शेष दिनों में बनारस से होकर चलाया जा सकता है ताकि लोग आसानी से यात्रा कर सकें और इससे रेल सेवाएं जनता की आवश्यकताओं को पूरा करेंगी।

जाखापड़ा—बांसपानी रेलवे लाइन की क्या स्थिति है? काम आरंभ हो चुका है और

परियोजना का पहला चरण पूरा हो चुका है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि परियोजना के जो लक्ष्य और उद्देश्य हैं वे पूरे नहीं हो रहे हैं। वह बहुत महत्वपूर्ण है। निवेश पहले ही किया जा चुका है। लेकिन यातायात स्थिति में सुधार नहीं किया गया है। इन लाइनों का पूरा उपयोग नहीं किया गया है। इसीलिए मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह देखें कि यह लाइन जिस उद्देश्य से बनाई गई है, उसे पूरा किया जाए तथा जनता के लिए लाभदायक हो।

सभापति महोदय : श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर। केवल 5 मिनट। 5 मिनट के बाद मैं घंटी बजा दूंगा।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मैं संक्षिप्त रूप से बोल रहा हूं। आपको घंटी बजाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्रीमन्, मन्त्री महोदय ने दूसरी श्रेणी पर अधिशुल्क बढ़ाकर, यात्री किराये में वृद्धि करने का नया तरीका अपनाया है। सिक्कों की कमी और रुपये भुनाने में आने वाली दिक्कत के कारण, उन्होंने अगले रुपये तक किराया बढ़ा दिया है। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। अगले रुपये तक किराया बढ़ाने की बजाय, मन्त्री महोदय नीचे के स्तर पर रुपये तक घटा सकते हैं। सीजन टिकटों में वृद्धि समाप्त की जानी चाहिए और प्लेटफार्म टिकट भी पुनः पचास पैसे का कर दिया जाना चाहिए।

उन्होंने सुरक्षा और समय पालन के लिए नए नारे दिए हैं। उनके अपने ही दल के एक सदस्य ने कहा है कि अब रेल यात्रा असुरक्षित हो गई है और रेलगाड़ियां समय पर नहीं आती जाती हैं। मैं कहता हूं कि इस बात में सच्चाई है।

अब मैं, माननीय मंत्री द्वारा विचारार्थ और लागू करने के लिए कुछ सुझाव दे रहा हूं। कृपया बर्दवान-आसनसोल लाइन को उपनगरीय सेक्शन घोषित करके वहां बिजली से चलने वाली गाडियां शुरू की जाए। अगर आवश्यक हो तो ट्रेन (रेल पथ) को इनके अनुरूप बनाया जाए और 10 फुट चौड़ी बिजली की गाड़ी के डिब्बों का निर्माण किया जाए। मेजिया से होकर रानीगंज से बांकुरा तक लाइन को शीघ्र बनाया जाना चाहिए। जब वह ऊर्जा मन्त्री थे, तो उन्होंने मेरी इस बात का समर्थन किया था, क्योंकि कालीदासपुर कोयला खान परियोजना और लोटबानी में थर्मल स्टेशन लग रहा था। बांकुरा से होकर रानीगंज और हल्दिया के बीच यह लाइन बिछाई जानी चाहिए, ताकि बांकुरा और पुरुलिया के पिछड़े क्षेत्र इसके अन्तर्गत आ सकें, क्योंकि वहां अब उद्योग लगेंगे और लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

बजबज नमखाना रेल लाइन के लिए केवल 1,000 रुपये रखे गए हैं। अगर आप इसी प्रकार से चलते रहे तो यह लाइन 2,000 ई० तक भी पूरी नहीं होगी। इसी प्रकार हावड़ा—विचाखला मीटर गेज और हावड़ा—आमता रेल लाइन के लिए भी बहुत कम राशि रखी गई है।

[श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर]

इस प्रकार यह शायद 2025 ई० तक ही पूरी हो पायेगी। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इन दो रेल लाइनों के लिए अधिक धन का प्रावधान करें, ताकि इन परियोजनाओं को जल्दी पूरा किया जा सके। खाना लिंक पर हाल्ट स्टेशन बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां से खाना साहिबगंज लूपलाइन मिलती है। रामपुरहाट से, खानालिंक होकर, आसनसोल तक सीधी गाड़ी चलाई जानी चाहिए, ताकि भोलापुर-विश्वभारती के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके।

15.00

मैं माननीय रेल मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि पाराज और मनकर के बीच हाल्ट स्टेशन का निर्माण किया जाए।

बंडेल-कटवा एक उपनगरीय सेक्शन है। मैं मांग करता हूं कि बंडेल से सलार तक इकहरी लाइन को दोहरी लाइन में बदला जाए, वहां विद्युतीकरण किया जाए और अधिक गाड़ियां चलाई जाएं।

मैं मांग करता हूं कि खाना—साहिबगंज लूप लाइन पर खाना जंक्शन से सैन्धिया तक दोहरी रेल लाइन बिछाई जाए।

मैं अनुरोध करता हूं कि जिस समय यात्रियों की संख्या कम होती है, दोपहर के समय, बर्दवान से आसनसोल तक चार गाड़ियां आरम्भ की जाएं और आसनसोल से मधुपुर तक दो गाड़ियां आरम्भ की जाएं।

जितनी जल्दी सम्भव हो धनबाद से हावड़ा तक दोहरी ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस गाड़ी आरम्भ की जानी चाहिए।

यह अत्यावश्यक है कि कोयमबटूर से एर्णाकुलम जंक्शन तक कोवाई एक्सप्रेस को जोड़ने वाली एक्सप्रेस गाड़ी इन दोनों स्टेशनों से चलाई जानी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि कालीकट तथा एर्णाकुलम के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जाए।

इसी प्रकार सियालदह दक्षिण सैक्शन में बरुईपुर से लक्ष्मीकान्तपुर तक लाइन को दोहरा किए जाने की आवश्यकता है और इसी प्रकार सियालदह दक्षिण सेक्शन के अन्तर्गत सोनारपुर से केनिंग तक लाइन को दोहरा किये जाने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार सियालदह से डायमंड हार्बर तक दोहरी लाइन बिछाई जानी चाहिये और रेलों में भीड़भाड़ को कम करने के लिए और नई गाड़ियां आरम्भ की जानी चाहिए।

अब मैं, मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि एन० एफ० रेलवे

के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सुविधाओं में कटौती की गई है। मैं रेलवे बोर्ड के परिपत्र संख्या ई० (जी०) 83/ए० एल० 12-13 दिनांक 20-2-84 को उद्धृत कर रहा हूं।

"तदनुसार इन आदेशों के जारी होने से, पांच अतिरिक्त दिनों का आकस्मिक अवकाश, प्रतिवर्ष अतिरिक्त प्रिवलेज और उनके छुट्टी खाते में न दिखाई जाने वाली अतिरिक्त छुट्टियों के उपबन्ध जो कि बोर्ड के पत्र संख्या ई० (जी०) 58/ए० एल० दिनांक 15.2.58 (प्रति संलग्न है) के पैरा 1(1), 1(2) और 1(3) में क्रमश: दिये गये हैं, को वापिस लिए गये हैं।"

इसके अतिरिक्त प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के विशेषाधिकारों में वृद्धि की गई है। मैं एक अन्य परिपत्र से उद्धृत करता हूं :

"ऐसे रेलवे कर्मचारी जिनकी अखिल भारतीय स्थानान्तरण की जिम्मेदारियां हैं या जिन्हें आवश्यक लोक सेवा के लिए नार्थ फ्रन्टियर रेलवे के पूर्वोत्तर क्षेत्र में (टेन्यो) पदावधि के आधार पर भेजा जाता है तो उन्हें मूल वेतन का 25% विशेष ड्यूटी भत्ता, जो अधिकतम 400 रु० प्रति माह होना मंजूर किया जायेगा।"

इस प्रकार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मिलने वाली रियायतों में कमी की गई है, जबकि प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की रियायतों में वृद्धि का गई है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री इस मामले को देखेंगे और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के साथ समुचित न्याय करेंगे।

इसके अलावा, मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अमादपुर—कटवा सेक्शन का राष्ट्रीयकरण किया जाये और इसे बड़ी लाइन में बदला जाना चाहिये। बर्दवान कटवा सेक्शन की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदल कर इसका विद्युतीकरण किया जाना चाहिए।

बर्दमान-कटवा सेक्शन पर प्रति कि० मी० किराये में विषमता है। इसे अन्य रेलवे के के समान लाया जाना चाहिए। रैना से बंकुरा तक एक छोटी लाइन है जिसे बांकुरा-दामोदर लाइन कहा जाता है। इसका राष्ट्रीयकरण करके इसे बड़ी लाइन में बदला जाना चाहिए।

15.05

[श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए]

यह लाइन मेरे निर्वाचन क्षेत्र और जंगलों से होकर गुजरती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग वहां रहते हैं। इसलिए इसको बड़ी लाइन में बदला जाना चाहिए और इसका सही प्रकार से रख रखाव होना चाहिए। और अधिक गाड़ियां चालू की जानी चाहिए।

[श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर]

हिमगिरी एक्सप्रेस को बर्दवान में अवश्य रुकना चाहिए। इससे दार्जिलिंग और मालदा और बोलपुर तथा विश्व भारती (विश्वविद्यालय), जम्मू तवी (जम्मू और काश्मीर) सीधे जुड़ जायेंगे। आप मुझसे सहमत होंगे कि इससे मालदा की आवश्यकताओं की भी पूर्ति होगी।

कंचनजंगा एक्सप्रेस को भी बर्दवान में रुकना चाहिए और इससे आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर के यात्रियों की आवश्यकताएं पूरी होंगी।

दुर्गापुर स्टेशन के नजदीक रेलवे ऊपरी पुल का निर्माण किया जाना चाहिए। यह जी० टी० रोड को दुर्गापुर, पुरुलिया से होकर जमशेदपुर को जोड़ेगा। इस रेल पुल की बहुत आवश्यकता है।

एक तारांकित प्रश्न केरल में एक बड़ा रेलवे वर्कशाप स्थापित करने के बारे में था। आपने कहा था कि आप इस पर विचार कर रहे हैं। आपको इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

'व्हील ऐक्सल' के लिए दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को पर्याप्त मात्रा में आर्डर दिए जाने चाहिए और इसके लिए इस संयंत्र को अच्छे दाम दिए जाने चाहिए। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं कि आपके रेलवे ने बंगलौर में एक संयंत्र स्थापित किया है। आपको मुझे और सभा को आश्वासन देना चाहिए कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र द्वारा निर्मित सभी ऐक्सलों को रेलवे द्वारा खरीद लिया जायेगा और दुर्गापुर इस्पात को अच्छे दाम दिए जायेंगे।

दुर्गापुर रेलवे का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। इसकी खान-पान सेवा बन्द है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे रेल विभागीय खान-पान सेवा के रूप में आरम्भ किया जाए और यथाशीघ्र 22 कर्मचारियों को खान पान सेवा में रखा जाए।

माननीय मन्त्री एक भारी-भरकम पहलवान की तरह लगते हैं।

एक माननीय सदस्य : वह राष्ट्रीय-विजेता हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : नहीं। वह मालदा के चैंपियन हैं।

वह मूडी (सनकी) व्यक्ति हैं। एक दिन वह राष्ट्रीय विजेता होंगे। जब वह मूड में होंगे तो वह वामपंथी सरकार को बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे। लेकिन बजबज से नामखाना तक कोई रेल लाइन नहीं है इसलिए बंगाल की खाड़ी के लिए, बजबज-नामखाना रेल लाइन का निर्माण किया जाना चाहिए। लेकिन जब वह होश में होते हैं और रेलों के बारे में सोचते हैं तो वह बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं।

इसी प्रकार रेल मंत्री, जम्मू और काश्मीर सरकार की नेशनल कांफ्रेंस सरकार को हिन्द महासागर में फेंकना चाहते हैं। लेकिन कश्मीर तक कोई सीधी लाइन नहीं है। इसलिए काश्मीर को रेल लाइन से सीधा जोड़ा जाना चाहिए।

मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह जल्दी से जल्दी बजबज-नामखाना रेल लाइन को शीघ्र पूरा करें।

रेलवे राष्ट्र का प्राणाधार है। और यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की उपेक्षा की जाती रही है। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, मेघालय और असम का विकास किया जाना चाहिए और वहां आधारभूत सुविधायें जटाई जानी चाहिए। हमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के अपने भाई-बहनों को आश्वासन देना चाहिए कि हम उनकी समस्याओं को सुलझा रहे हैं और इन सभी राज्यों में रेलों का विकास किया जाना चाहिए, खासकर त्रिपुरा में, ताकि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत किया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति (अमालापुरम) : सभापति महोदय, मैं माननीय रेलमन्त्री को बजट को सन्तुलित बनाए रखने के लिए बधाई देता हूं। बजट को सन्तुलित बनाते समय, उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि सामाजिक-भार रेलवे पर ही पड़े। इससे सरकार के रवैये का पता चलता है, जो कि ज्यादा से ज्यादा सामाजिक-भार उठाने को तैयार है। हमारा ही केवल ऐसा देश है, जहां हमारी अर्थव्यवस्था के बढ़ने के साथ-साथ सामाजिक-भारों (उत्तरदायित्वों) में कई गुना वृद्धि हो रही है। 1982-83 में सामाजिक भार पर 500 करोड़ रुपये खर्च किये गये जोकि चालू वर्ष में 900 करोड़ रुपये हो गया है। इसलिए सरकार ने सामाजिक दायित्वों को प्राथमिकता दी है। मैं समझता हूं कि ज्यादातर लोग रेल किराये-भाड़े में जो अधिशुल्क में मामूली वृद्धि हुई है, उसके प्रति दुःखी नहीं हैं। माननीय मंत्री घाटे को पूरा करने के लिए ज्यादा कर लगा सकते थे लेकिन उन्होंने इस घाटे को अच्छे कार्य-निष्पादन से पूरा करने का रास्ता अपनाया है। इसलिए इस बात के लिए हम उनका अभिवादन करते हैं।

हमारे जैसी विकासशील समाज में नई लाइनों, ट्रैक के नवीकरण, विद्युतीकरण और लाइन बदलने और चलस्टाक की खरीद की मांग बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही मंत्रालय के पास इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ज्यादा साधन नहीं हैं। उन्होंने स्वयं यह स्पष्ट कहा है कि जब 46 नई लाइनों की चालू परियोजनाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है तो, वह केवल 100 करोड़ रुपये ही जुटा पाये हैं। यह स्थिति है। मुझे डर है कि, जिस गति से यह सब हो रहा है तो कई एक परियोजनायें निकट भविष्य में पूरी नहीं हो पायेंगी।

अतः मंत्रालय को वित्तीय स्वतन्त्रता होनी चाहिए। वास्तव में रेल मंत्रालय सामान्य राजस्व से रेल वित्त को अलग करने की स्वर्ण जयन्ती मना रहा है, परन्तु यह तकनीकी दृष्टि से ही सही है। वास्तव में, अलग होने से उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है जिस उद्देश्यार्थ इसे लागू किया गया था। वास्तव में वे अपने विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की स्वतन्त्रता चाहते थे। परन्तु वित्त मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा खड़ी की गई अड़चनों से उन्हें बड़ी कठिनाई हो रही है। विद्युत कोयला और दूरसंचार को प्रमुख क्षेत्र में ले

[श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति]

लिया गया है। हम सभी कहते हैं कि रेलवे एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और प्राणाधार है परन्तु उसके साथ ही साथ सरकार ने अभी तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि रेलवे को प्रमुख क्षेत्र में लाया जाए। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर सरकार को तुरन्त विचार करना चाहिए और उन्हें यह देखना चाहिए कि रेलवे को प्रमुख क्षेत्र में रखा जाए और उसे यथोचित प्राथमिकता प्रदान की जाए, जिससे कि न केवल चालू परियोजनाएं, अपितु नवीन आवश्यकताओं पर भी समुचित ध्यान दिया जा सके। इसके अतिरिक्त योजना आयोग भी रेलवे को उतनी मान्यता और प्राथमिकता नहीं दे पा रहा है जितनी कि उसे दी जानी चाहिए। वास्तव में, जबकि आवश्यकता तो लगभग 2,000 करोड़ रुपये की है, परन्तु वर्तमान योजना में आवंटन लगभग 1600 करोड़ रुपये का ही किया गया है। इस प्रकार से प्रत्येक स्तर पर उन्हें अपने कार्यक्रमों को लागू करने हेतु समुचित धन-राशि नहीं दी जाती है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती है। रेलवे एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, परन्तु आज तक भी रेलवे को योजना आयोग का सदस्य नहीं बनाया गया है। जब तक उससे सलाह नहीं ली जाती है, उसको विश्वास में नहीं लिया जाता है, उसके विचारों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तब तक योजना आयोग के लिए रेलवे के कार्यक्रमों को समुचित महत्व देना बहुत ही कठिन है। इसके अतिरिक्त, रेलमंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि 1983-84 में 100 से अधिक नई रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। लम्बी दूरी की 12 गाड़ियों की आवृत्ति में वृद्धि की गई, 72 गाड़ियां डीजल की बनाई गयीं और 237 रेलगाड़ियों की गति तीव्र की गई है। यह वास्तव में ही प्रसंशनीय कार्य है, परन्तु संसाधनों को देखते हुए हमें पिछड़े क्षेत्रों और उनकी पुरानी मांगों को यथोचित प्राथमिकता भी प्रदान करनी चाहिए। यहां पर उन्हें दबावों और अन्य आवश्यकताओं से थोड़ा सा स्वतन्त्र रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें पिछड़े क्षेत्रों की आवश्यकताओं को निष्पक्ष रूप से देखना है। उदाहरणस्वरूप आंध्रप्रदेश की ओर से गत कई वर्षों से एक उखाड़ ली गई लाइन को फिर से बिछाने की मांग की जा रही है। वहां 12 लाख लोग रहते हैं। पूर्वी गोदावरी जिले में कोना सेमा नाम का एक छोटा सा टापू है जो कि तट के अत्यन्त निकट है। वे लोग निरन्तर उस लाइन को बिछाने का निवेदन करते आ रहे हैं। यह लाइन काकीनाड़ा से कोटिपल्ली तक 35 कि०मी० लम्बी है। उसकी स्थिति अच्छी है, क्योंकि किसी रेलवे लाइन को बिछाने के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा अभी भी वहां पर उपलब्ध है। जब मैंने दक्षिण-मध्य रेलवे से सूचना मांगी तो, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि अधिकांश तटबन्ध, जो कि रेलवे लाइन को बिछाने के लिए आवश्यक हैं, विद्यमान हैं और रेलवे के पास आवश्यक भूमि भी है। अंग्रेजों के जमाने में यह लाइन थी और उन्होंने इसे उखाड़ लिया था। जैसा कि आप जानते हैं अंग्रेजों ने रेलवे को कभी भी राष्ट्रीय अखण्डता का साधन नहीं माना था। उन्होंने लाइन को उखाड़ फेंका। जब उन्होंने लाइन को उखाड़ा तो उस क्षेत्र के लोगो का सम्पर्क बाकी देश से कट गया था। और वे तभी से निरन्तर इस लाइन को फिर से बिछाने का अनुरोध करते चले आ रहे हैं। यह एक छोटा सा अनुरोध है। वे तो उखाड़ी गई लाइन को फिर से बिछवाना चाहते हैं। अतः

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे मामले पर गम्भीरता से विचार करें। जब कभी हम यह निवेदन करते हैं तो इसे बेकार के प्रयास के रूप में लिया जाता है। इस समय मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह यह देखें कि कम से कम एक सर्वेक्षण करने के आदेश तो वर्तमान बजट में दे दिये जायें।

प्रो० एन० जी० रंगा गुंटूर : सर्वेक्षण कर लिया गया है।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : अभी तक नहीं अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह वहां की जनता की उन भावनाओं पर विचार करें और इस बजट में कम से कम एक सर्वेक्षण कराने का आश्वासन दें।

इसके अतिरिक्त जैसा कि ठीक ही कहा गया था, अनेक रेलगाड़ियां चलाई गई हैं और बहुत सी गाड़ियों की आवृत्ति में वृद्धि की गई है। नई दिल्ली से हैदराबाद तक चलने वाली एक आंध्रप्रदेश एक्सप्रेस गाड़ी है परन्तु यह आंध्रप्रदेश के अधिकांश भाग में से होकर नहीं गुजरती है। आंध्रप्रदेश के समुद्र तटीय जिलों में से होकर ऐसी कोई सुपर फास्ट गाड़ी नहीं गुजरती है। लगभग एक करोड़ व्यक्ति वहां पर रहते हैं। बहुत सी रेलगाड़ियां हटा दी जाती हैं और यह देखने हेतु कि उपेक्षित क्षेत्रों में ये सुविधायें प्रदान की जायें बहुत से कदम उठाये जाते हैं। परन्तु इस क्षेत्र में कोई सुपर फास्ट गाड़ी नहीं है। 15 से 20 से अधिक सांसदों ने इस मामले को उठाया है। आंध्रप्रदेश एक्सप्रेस के एक भाग को काजीपेट में अलग करके निजाम तक चलाया जाए जिससे कि हमें भी इस सुपर फास्ट ट्रेन का लाभ मिल सके।

अब मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के रेल कर्मचारियों की बात करता हूं। वे कानून-प्रिय लोग हैं और कभी भी हड़तालों में भाग नहीं लेते हैं तथा वे प्रशासन को पूर्ण सहयोग देते हैं। परन्तु जब कभी भी उनकी समस्याओं की ओर रेलवे बोर्ड का ध्यान खींचा जाता है तो उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बजाय, रेलवे प्रशासन उनके विरुद्ध बदले की भावना से कार्यवाही करता है। मैं गतिशील और निर्भीक मंत्री महोदय से, जिन्होंने कि मंत्रालय को नई दिशा दी है, निवेदन करता हूं कि वह सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और देखें कि उन्हें न्याय से वंचित न रखा जाए।

मैं ऐसा अच्छा बजट पेश करने के लिए मंत्री महोदय को एक बार फिर बधाई देता हूं।

सभापति महोदय : अगले वक्ता को बुलाने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे यथासम्भव थोड़े समय में अपनी बात कहें अन्यथा अन्य सदस्यों को समय नहीं मिल पायेगा। मेरे पास वक्ताओं की लम्बी सूची है। अब श्री ईरा अनबारासु बोलेंगे।

श्री ईरा अनबारासु (चिंगल पट्टू) : सभापति महोदय, मैं रेलवे बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने बहुत से माननीय सदस्यों को, सन्तुलित बजट प्रस्तुत करने पर, रेल मंत्री महोदय को बधाई देते सुना है। परन्तु मैं न तो उनकी प्रशंसा करूंगा और न ही उनको बधाई दूंगा, क्योंकि उन्होंने गत चार वर्ष से मेरे चुनाव क्षेत्र की जनता की मांगों को बजट में सम्मिलित नहीं किया है। जब से मैं संसद सदस्य बना हूं, मैं ताम्बारम से चिंगलपुट तक दोहरी लाइन या ताम्बारम से चिंगलपुट तक बड़ी लाइन बिछाने की मांग करता आ रहा हूं। मेरे निवेदन की—जोकि मेरे चुनाव क्षेत्र की जनता का उद्देश्य है—पूर्णतया उपेक्षा कर दी गई है। कारण मुझे पता नहीं है। मैं सभी मंत्रियों से मिला—तत्कालीन रेलमंत्री महोदय कमलापति त्रिपाठी और श्री पी० सी० सेठी तथा लगभग सभी से—और जब कहीं भी राहत नहीं मिली तो, मैं प्रधानमंत्री महोदया के पास गया। उन्होंने भी अपने अन्तिम पत्र में स्पष्ट रूप से बताया कि उन्होंने दोहरी लाइन बनाने या तम्बारम से चिंगलपुट्टु तक की रेलवे लाइन को बदलने तथा तम्बारम में एक और इन्टेग्रल कोच फैक्टरी स्थापित करने हेतु मेरे 8 फरवरी के पत्र पर पुनर्विचार किया है।

रेलमंत्री महोदय से इस सुझाव की जांच करने के लिए कहा गया था और तथापि रेल मंत्री महोदय को प्रधानमंत्री महोदया अपने निर्देश जारी कर चुकी हैं परन्तु मेरी समझ में नहीं आता है कि उन्होंने किस कारण से इसकी पूर्णतया उपेक्षा कर दी है।

अतः महोदय, विरोधस्वरूप और उनका ध्यान खींचने के लिए तथा अपनी गहन चिंता प्रेषित करने और मंत्री महोदय की ओर से स्पष्ट आश्वासन न मिलने पर खेद प्रकट करने हेतु मैं एक मिनट का मौन धारण करके खड़ा होता हूं।

सभापति महोदय : वह तो ठीक है। हम यह समझ लेते हैं कि एक मिनट बीत गया।

श्री ईरा अनबारासु : यह कोई शोक संवेदना नहीं है। मैं सत्तारूढ़ दल का सदस्य हूं और मैं मंत्री महोदय के विरुद्ध कोई उत्पात नहीं कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय बहुत ही योग्य हैं। अतः महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करने के लिए तथा उनके उत्तर के दौरान कम से कम यह स्पष्ट उत्तर चाहने के लिए कि इस परियोजना पर अगले वर्ष काम आरम्भ हो जायेगा, मैं एक मिनट का मौन धारण करके खड़ा होता हूं।

एक माननीय सदस्य : उनके भाषण से तो मौन रहना अच्छा है।

सभापति महोदय : और कुछ ?

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती कलकत्ता दक्षिण : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या कोई सदस्य नियमानुसार ऐसा कर सकता है। मैं इसे इसलिए उठा रहा हूं, क्योंकि एक मिनट तक कोई कार्यवाही नहीं चलेगी।

सभापति महोदय : वह समय पहले ही ले चुके हैं। आपने अपने व्यवस्था के प्रश्न द्वारा उनकी सहायता कर दी है।

श्री ईरा अनबारासु : महोदय, यदि ऐसा करके मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट नहीं कर पाता हूं तो मेरा उनसे निवेदन है कि वह इस पर विशेष ध्यान दें। 23 वस्तुओं की पार्सल दरों में 25 प्रतिशत कमी करके उचित दिशा मे कदम उठाया गया है और इससे मूल्य स्तर की वृद्धि को रोकने में, विशेषकर टायरों, ट्यूबों, प्रसाधन सामग्री आदि के उपभोक्ता मूल्य को रोकने में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी।

महोदय, यहां मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने गन्ने को पार्सलों को इसमें सम्मिलित क्यों नहीं किया ? गन्ने की पार्सल दर भी घटाई जानी चाहिये, क्योंकि अन्ततः यह भी तो एक कृषि जन्य-उत्पाद है। किसान अपने गन्ने का पर्याप्त लाभकारी मूल्य न मिलने के कारण घाटा उठा रहे हैं। कम से कम गन्ने के भाड़े में पर्याप्त कमी की जानी चाहिये। अकेले माल ढुलाई में 3 प्रतिशत से लेकर 5 प्रतिशत तथा अधिभार में वृद्धि से ही अपेक्षित राजस्व की स्थिति में सुधार नहीं होगा।

अतः मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे वाहनान्तरण शुल्क को समाप्त करने के समान ही अधिशुल्क की पूर्णतया समाप्ति पर विचार करें, क्योंकि इससे माल यातायात में निश्चित रूप से सुधार होगा।

महोदय, इस बात से मुझे बड़ी निराशा हुई है कि मद्रास और बम्बई में 'मेट्रो' रेलवे की नवीन परियोजनाओं के बारे में केवल प्राथमिक कार्य कलाप ही जारी रहेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि मद्रास और बम्बई की मेट्रो रेलवे परियोजनाओं की आवश्यकता की ओर रेल मंत्री महोदय का ध्यान क्यों नहीं गया है ? मुझे पता है कि रेल मंत्री महोदय ने गत वर्ष मद्रास का दौरा किया था और उन्होंने स्वयं जाकर मद्रास बीच समुद्र तट और तम्बारम में यातायात के जमाव को व्यक्तिगत रूप से देखा था। मैं नहीं जानता कि इस कार्यक्रम को तेज क्यों नहीं किया गया ?

अतः महोदय, मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस परियोजना को शीघ्र पूरा करायें।

[श्री ईरा अनबारासु]

वर्तमान उपनगरीय यातायात नियन्त्रण से बाहर हो गया है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह मद्रास और बम्बई की मेट्रो रेलवे के निर्माण कार्य को गति प्रदान करें।

बहुत सी शाखाओं में संवर्गों के पुनर्गठन का कार्य किया गया है। परन्तु जहां तक रेलवे के लोक सम्पर्क कार्यालय, ड्राईंग कार्यालयों और चिकित्सा विभागों का सम्बन्ध है, कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं किया गया है। मैं जानता हूं कि दूसरी इन्टेग्रल फैक्टरी स्थापित करने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मन्त्री महोदय ने इस प्रश्न पर विचार करने और उसके निर्माण स्थल का पता लगाने हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। मैं ऐसी सभी समितियों और आयोगों के बारे में जानता हूं समिति मंत्री महोदय के इशारों पर नाचेगी। वह इन्टेग्रल कोच फैक्टरी को कलकत्ता या मालदा भी ले जाना चाहेंगे।

मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह फैक्टरी पेरम्बूर में लगायें। हमारे पास प्रशिक्षित कार्मिक हैं, और श्रमिक बल है। मद्रास और समस्त तमिलनाडु में पूर्ण अनुशासन और औद्योगिक शांति है। यदि आप इसे कलकत्ता में स्थापित भी कर दें तो भी निश्चित रूप से सी० पी० एम० और सी० पी० आई० के लोग आंदोलन छेड़ेंगे और हड़ताल करेंगे और आप मुसीबत में पड़ जायेंगे। अतः मेरा आप से अनुरोध है कि आप मद्रास में दूसरी इन्टेग्रल कोच फैक्टरी स्थापित करें। मद्रास सरकार ने इसके लिए जमीन दी है। मद्रास में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अतः मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह इस फैक्टरी को मद्रास में स्थापित करने की मेरी मांग पर विचार करें। मंत्री महोदय साहसपूर्ण निर्णय लें क्योंकि वह ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रशासन उनके हाथ में है। छोटे कद के व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता और गतिशील प्रशासन के लिए प्रसिद्ध हैं और उनमें इस सम्बन्ध में कोई कमी नहीं है। अतः मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय दूसरी इण्टेग्रल कोच फैक्टरी मद्रास में स्थापित करें।

रेल वित्त व्यवस्था सामान्य राजस्व से अलग है। मैं नहीं चाहता कि रेलवे वित्त सामान्य राजस्व में दिया जाना चाहिए। वास्तव में सामान्य राजस्व में से पैसा नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए और चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए रेलवे को दिया जाना चाहिए। रेलवे वित्त सामान्य राजस्व में दिया जा रहा है। इसे तुरन्त ही बन्द कर देना चाहिए।

कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि रेल मंत्री को योजना आयोग का सदस्य होना चाहिए। पिछले वर्ष रेल बजट के भाषण में भी मैंने इस बारे में कहा था। उन्हें योजना आयोग का सदस्य होना चाहिए। अन्यथा अन्य सदस्य देश के विकास के लिए रेलवे लाइनों की आव-

श्यकता को कैसे समझ सकते हैं ? अतः रेल मंत्री को योजना आयोग का सदस्य अवश्य ही होना चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा कि रेल मंत्री को योजना आयोग में शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें।

महोदय, मैं समझता हूं कि माल डिब्बों की बुकिंग के मामले में बहुत भ्रष्टाचार है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र से भारी तादाद में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नमक की ढुलाई होती है। मुझे बताया गया है कि पश्चिम रेलवे में भी भारी मात्रा में नमक की ढुलाई होती है। पश्चिम रेलवे में माल डिब्बों की बुकिंग में अत्यधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है और मुझे बताया गया था कि कुछ अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। अतः मंत्री महोदय इस पर पूरी तरह ध्यान दें तथा जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक माल डिब्बे बनाने का आदेश दें।

मैं समझता हूं कि ड्यूटी के दौरान रेल कर्मचारियों के ठहरने के लिए स्टेशनों पर कोई सुविधायें नहीं होती हैं तथा इस समस्या को सुलझाने के लिए तुरन्त ही कदम उठाए जाने चाहिए।

मद्रास बीच-तम्बारम-चिंगलपुट सेक्शन पर चलने वाली गाड़ियों में अत्यधिक भीड़ को कम करने के लिए तुरन्त कदम उठाये जाने चाहिए।

सिंगापेरुमल कोविल से चलने वाली बिजली की रेलगाड़ी को चिंगलपुट तक बढ़ाया जाना चाहिए ताकि दफ्तरों में काम करने वाले लोगों को सुविधा मिल सके।

भारतीय रेल पास विदेशी पर्यटकों को जारी किए जाते है और इससे अत्यधिक विदेशी मुद्रा की आय होती है। इस मामले को साधारण तौर पर न लेकर मैं मंत्री जी से 'इंड्रेल' पास जारी करने के लिए पृथक खिड़की और पृथक व्यवस्था शुरू करने का अनुरोध करूंगा। इससे यह पर्यटकों को आकर्षित करेगा।

यातायात की भीड़-भाड़ को कम करने के लिए चिंगलपुट में सेशन कोर्ट के समीप एक ऊपरी पुल बनाया जाना चाहिए। सीजन-टिकटधारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चिंगलपुट और कांचीपुरम के बीच एक नई बिजली की रेलगाड़ी चलनी चाहिए। चिंगलपुट से आने जाने वाले व्यक्तियों के लिए मद्रास और चिंगलपुट के बीच चलने वाली गाड़ियों में अधिक डिब्बे लगाए जाने चाहिए।

श्री बाबूराव पारांजपे (जबलपुर) : सभापति महोदय, रेलवे में जो लगभग पन्द्रह लाख कर्मचारी काम करते हैं, उनमें से सब से गरीब और कमजोर वर्ग के कर्मचारियों से भी गरीबों का एक तबका रेलवे पर पलता है। वह तबका है पोर्टरों या कुलियों का, जो लाल कुर्ता और

[श्री बाबूराव पारांजपे]

साफा पहन कर रेलवे स्टेशनों पर काम करते हैं और जिनकी संख्या सारे देश में लगभग एक लाख है। उनकी हालत हम अच्छी तरह जानते हैं। बोझ ढोते-ढोते उनके कंधे झुक जाते हैं। और अन्त में वे टी०बी० से पीड़ित होकर मर जाते हैं। उन्हें रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाली कोई भी सहूलियत नहीं मिलती है।

मुझे बताया गया कि कुलियों को लाल कुर्त्ता और साफा अब तक रेलवे की तरफ से मिलता रहा है, परन्तु अब रेलवे ने वह व्यवस्था समाप्त कर दी है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने छः महीने पहले मंत्री महोदय को इस बारे में पत्र लिखा। जबाब में मुझे बताया गया कि रेलवे का कुलियों की यूनियन से कोई समझौता हो गया है और उस समझौते के अन्तर्गत कुली रेलवे को लाइसेंस का जो दो रुपया देते थे, वह उन्हें नहीं देना पड़ेगा और उसके ऐवज में अब कुली लाल कुर्त्ता और लाल साफा अपने पैसे से बनवायेंगे। आप कल्पना कीजिए कि कुलियों का दो रुपए का लाइसेंस माफ कर दिया गया और उन पर यह बोझ डाल दिया गया कि वे लाल वर्दी अपने खर्चे से बनवाएं। मेरे ख्याल से लाल वर्दी कम से कम पचास रुपये में बनती होगी। मान लीजिए कि स्वार्थवश किसी यूनियन ने रेलवे से इस प्रकार का समझौता किया, लेकिन जब हम 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कमजोर वर्ग को उठाने की बात करते हैं, तो रेलवे कुलियों से, जो बहुत कठिनाई से दिन काटते हैं, उनकी लाल वर्दी छीन लेना कहां तक उचित है ? यह कोई करोड़ों रुपए की बात नहीं है। मेरा आग्रह है कि रेलवे द्वारा फिर से कुलियों को लाल वर्दी दी जानी चाहिए।

नर्वदा कुतुब एक्सप्रेस जबलपुर से चलती है और यहां निजामुद्दीन तक आती है। जबलपुर के इलाके में सुरक्षा फैक्टरियों में काम करने वाले बहुत से लोग रहते हैं, जिनमें से पंजाब के बहुत लोग हैं। उनको पंजाब जाने के लिए निजामुद्दीन उतरना पड़ता है। जितना पैसा उनका टिकट पर नहीं लगता है, उससे ज्यादा पैसा दिल्ली जंक्शन तक टैक्सी से जाने पर खर्च करना पड़ता है। अगर उस गाड़ी को बढ़ा कर निजामुद्दीन के बजाय दिल्ली जंक्शन तक ले जाया जाए, तो पंजाब के भाइयों को बहुत सहूलियत होगी।

रेलवे की दृष्टि से मध्यप्रदेश का सब राज्यों में अन्तिम नम्बर है। हमारे बारह राज्यों में पंजाब सबसे ऊपर है, जहां 23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर एक किलोमीटर रेलवे लाइन है। परन्तु रेलवे आंकड़ों के अनुसार मध्यप्रदेश में 77 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर एक किलोमीटर रेलवे लाइन है अर्थात् उसका प्रोपोर्शन 1 और 3 आता है। मध्यप्रदेश में 35 प्रतिशत आदिवासी इलाका है, वह खनिज और वन-सम्पदा से भरपूर है, वहां पर बहुत से कारखाने भी खुल सकते हैं। परन्तु रेलवे का ध्यान उसकी तरफ नहीं है।

जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, शिवनी, बालाघाट महाराष्ट्र के दो जिलों, गोंदिया तथा

नागपुर को जोड़ने वाली एक मीटरगेज रेलवे लाइन है। उसकी हालत यह है कि बरसात में उसके डिब्बों में छाता लगाकर बैठना पड़ता है। इसलिए कि इनकी खिड़कियां टूटी हैं, दरवाजे टूटे हैं और इनकी छतें भी टूटी हैं। आप कल्पना कीजिए, इस प्रकार छाता लगाकर यहां लोग प्रवास करते हैं।

इनके इंजन किस प्रकार के हैं ? कितनी उनकी गति है कि एक भैंस उस गाड़ी को दस बार रोक लेती है क्योंकि भैंस आगे-आगे बढ़ती है, इंजन जाता है, फिर रुकता है, फिर भैंस आगे जाती है। यह गति की बात मैं कर रहा हूं। बार-बार यह गाड़ी उसकी वजह से रुक कर चलती है। इन इंजनों में, हर घण्टे इनको रोक कर कोयला और पानी से भाप बनाई जाती है और इस प्रकार से यह गाड़ियां चलाई जाती हैं। चन्द्रमा पर जाने पर जो एक आश्चर्य का झटका लगा था वह झटका लगता है तब जब साल-दो-साल में कभी यह गाड़ी टाइम टेबल के मुताबिक समय पर निकलती है और ठीक समय पर पहुँच जाती है। इस सारे क्षेत्र में मीटर गज है। उसको बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाय, इस प्रकार की मांग सन् 56 से जब से मध्यप्रदेश बना है तब से की जा रही है। परन्तु आज तक उसका कोई असर नहीं हुआ। मैं चाहूंगा हमारे रेलवे मिनिस्टर साहब इस बावत विचार करें। यह 35 प्रतिशत पिछड़ा इलाका है, आदिवासी क्षेत्र है और मध्यप्रदेश 12वां यानी अन्तिम राज्य है रेलवे के हिसाब से, इसलिए इसके साथ न्याय करें।

इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : मैं बजट का समर्थन करता हूं। रेलवे देश की प्राणाधार तथा विकास के लिए बुनियादी संरचना है। अगर नई रेलवे लाइनों को विभिन्न प्रदेशों में समान रूप में नहीं बांटा जायेगा तो संतुलित विकास नहीं होगा। लम्बे समय से प्रादेशिक असंतुलन के प्रति शोर हो रहा है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस बजट में भी मंत्री जी ने कुछ हद तक प्रादेशिक असंतुलनों को दूर करने की कोशिश नहीं की है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत उन्होंने पूर्वोत्तर तथा असम के लिए किया है मैं भूला नहीं हूं। किन्तु मेरे राज्य केरल में मुझे कहना चाहिये कि इस कथन में कोई गलती नहीं है कि केरल की रेलवे के मामले में बहुत उपेक्षा की जा रही है। देश में एक लाख जनसंख्या के पीछे औसत रेलवे लाइन की लम्बाई दस किलोमीटर है जबकि केरल में केवल चार किलोमीटर है। किन्तु इसके बावजूद केरल के लिए कोई नई रेलवे लाइन मंजूर नहीं की गयी है। इतना ही नहीं अपितु चालू परियोजनाओं के लिए भी पर्याप्त धन-राशि नहीं दी गयी है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार ने एलप्पी कायमकुलम रेलवे लाइन मंजूर की थी। उसके लिये 50 लाख रुपये पहले ही खर्च किये जा चुके हैं किन्तु मन्त्री महोदय ने इस बजट

[प्रो० पी० जे० कुरियन]

में केवल एक लाख रुपये की मामूली सी राशि रखी है। मैं नहीं समझता किस कार्य के लिये। यह हमारे राज्य की स्पष्ट तौर पर उपेक्षा है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस राशि के बारे में पुनः विचार करें तथा इस रेलवे लाइन के लिये इस वर्ष कम से कम दो करोड़ रुपये मंजूर करें।

इसी तरह से, जब कमलापति जी रेल मन्त्री थे, उन्होंने गुरुवायूर-कुटटीपुरम एक नई रेलवे लाइन की घोषणा की थीं। गुरुवायूर एक तीर्थ स्थान है और केरल में यह लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां तक केरल राज्य का सम्बन्ध है इसका सर्वेक्षण भी पूरा हो चुका है। किन्तु इस लाइन के लिये एक पैसा भी नहीं रखा गया है। इसके अतिरिक्त केरल सरकार ने चेंगानूर-त्रिवेन्द्रम लाइन तथा कोट्टायम मदुरै लाइन के सर्वेक्षण के लिये अनुरोध किया था किन्तु इस बजट में इन लाइनों के सर्वेक्षण के लिये भी कोई पैसा निर्धारित नहीं किया गया है। चालू परियोजनाओं तथा नई रेलवे लाइनों के संबंध में हमारी पूरी तरह उपेक्षा की गई है। मैं इसे बार-बार दोहराना नहीं चाहता, किन्तु मैं आशा करता हूं कि मन्त्री जी इस पर पुर्नविचार करेंगे तथा हमारे राज्य के लिये कुछ न कुछ करेंगे।

आपने अपने बजट भाषणों में कहा था कि इस योजनावृद्धि के दौरान 1824 किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किया जायेगा। किन्तु केरल में एक किलोमीटर रेलवे लाइन का भी विद्युतीकरण नहीं किया गया है इस तथ्य के बावजूद भी कि आपको बिजली सस्ती दर पर मिल रही है और इस तथ्य के बावजूद भी कि केरल सरकार ने अन्य किसी भी राज्य की तुलना में उचित दर पर बिजली देने का प्रस्ताव किया है।

बजट में एक किलोमीटर रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का भी प्रावधान नहीं है। इससे स्पष्ट है कि केरल राज्य के लोगों की आवश्यकताओं की भारी उपेक्षा की जा रही है।

प्रस्तावित रेलवे कोच फैक्ट्री के संबंध में आपने स्वयं ही कहा था कि इस मामले में मैं विशेषज्ञों पर निर्भर हूं। आपने स्वयं को बंदी बनाया है। मैं आशा करता हूं कि आप उस कारागार से बाहर आयेंगे तथा केरल राज्य के लिए न्याय करेंगे।

श्री अनबारासु तमिलनाडु में कोच फैक्ट्री के लिये मांग कर रहे थे। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री ई० बालानन्दन (मुकुन्दपुरम) : केरल भारत का हिस्सा है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्यों? हम सभी भारत के हिस्से हैं। तमिलनाडु में पहले ही एक कोच फैक्ट्री है और केरल में यहां तक की एकमात्र भी रेलवे प्रतिष्ठान नहीं है, और तमिलनाडु

में पांच रेलवे वर्कशाप हैं, दो कर्नाटक में तथा दो आंध्र प्रदेश में। एक और तमिलनाडु को दिये जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु मैं चाहता हूं कि कम से कम एक हमें भी दी जानी चाहिये, थोड़ा बहुत जिसके हम भी हकदार हैं। अगर मैं इसी तरह दोहराता रहूं तो इसका कोई अन्त नहीं है। खैर, मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे समझ गये होंगे। वह इसे अच्छी तरह जानते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह कुछ प्रस्ताव लेकर आगे आयेंगे। वह यह अच्छी तरह से जानते हैं। वह बहुत ही योग्य और कार्यकुशल मंत्री हैं। यह मैं जानता हूं। हो सकता है वे हमें यहां सदन में घोषित करना चाहें।

चालु परियोजनाओं, नयी परियोजनाओं, विद्युतीकरण, नई रेलवे प्रतिष्ठानों, इन सभी मामलों में आप यह नहीं कह सकते कि केरल अन्य राज्यों के बराबर है या उनसे कहीं ज्यादा अच्छा है। नीचे से यह प्रथम है और केरल तथा अन्य राज्यों के बीच बहुत बड़ा अन्तर है।

रेलवे के कार्य निष्पादन के कार्य के बारे में मैं कहूंगा कि यह संतोषजनक है। यह सत्य है कि राजस्व अर्जित करने वाले यातायात में कमी हुई है। किन्तु मन्त्रियों की सुविधाओं में सुधार करने के लिये आपने पूरी कोशिश की है। नया नारा जो आपने दिया है, "सुरक्षा, तथा समय की पाबन्दी", इसके सफल परिणाम सामने आ रहे हैं किन्तु जितने होने चाहियें उतने नहीं हैं। मुझे यही कहना है। मैं कहना चाहूंगा कि आप के बजट भाषण से पता चलता है कि दुर्घटनाओं में कमी हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत की कमी हुई है। किन्तु हमारा लक्ष्य होना चाहिये कि दुर्घटना बिल्कुल ही न हो। अगर नियमों का सख्ती से पालन किया जाये तो कोई भी दुर्घटनायें नहीं होंगी। किन्तु मानव गलतियां तथा तोड़-फोड़ के मामले होंगे। मानव चूक के बारे में, आधुनिक तथा नवीनतम संयंत्रों का उपयोग किया जा सकता है, इससे मानव चूक पर स्वतः नियंत्रण रहेगा। मैं आपसे आधुनिक उपकरण तथा यंत्रों के लिये अनुरोध करूंगा ताकि दुर्घटनाओं को कम से कम किया जा सके और इससे दुर्घटनाएं हो ही नहीं।

मैं मंत्री जी को अपना वायदा पूरा करने के लिये बधाई देता हूं। उन्होंने दो लम्बी दूरी की गाड़ियों को चलाने का वायदा किया था। दो गाड़ियां एक न्यू बोंगाई गांव से त्रिवेन्द्रम तथा दूसरी अहमदाबाद से त्रिवेन्द्रम आरम्भ कर दी गई है। केरल की जनता की ओर से मैं बधाई देता हूं तथा इन दो नई गाड़ियों के लिये, जो कि बहुत ही उपयोगी हैं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। किन्तु ये गाड़ियां अभी सिर्फ साप्ताहिक ही हैं। मैं इन गाड़ियों की आवृत्ति को बढ़ाने के लिए भी अनुरोध करता हूं।

एक और मुद्दा, दिल्ली और त्रिवेन्द्रम के बीच एक ट्रेन के० के० एक्सप्रैस है तथा कोचीन से त्रिवेन्द्रम के लिए वानडे एक्सप्रेस है। मैंने इन दोनों गाड़ियों में यात्रा की है। मैंने देखा है कि गाड़ियों में जगह न होने से यात्री शौचालयों में भी सफर करते हैं। इनमें इतनी अधिक भीड़ होती है। मेरा सुझाव है कि इनमें अधिक डिब्बे लगाये जाएं और दो इन्जन की व्यवस्था होनी चाहिये।

[प्रो० पी० जे० कुरियन]

एक माननीय सदस्य : वे जरूर बिना बिना टिकट यात्रा कर रहे होंगे।

प्रो० पी० जे० कुरियेन : नहीं। वे बिना टिकट यात्री नहीं हैं। आप जानते हैं कि केरल के यात्री कभी भी बिना टिकट यात्रा नहीं करते हैं। वे सभी सच्चे यात्री हैं।

लोग शौचालयों तथा गलियारों में यात्रा कर रहे हैं। इन रेलों के डिब्बों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिये और इन्हें दो इन्जन वाला बनाया जाना चाहिए। दिल्ली में केरल एक्सप्रेस से आरक्षण के लिए हफ्तों इन्तजार करना पड़ता है। इस गाड़ी को भी दो इन्जन वाला बनाया जाना चाहिए तथा डिब्बों की संख्या भी बढ़ायी जानी चाहिए।

डा० गोलम याजदानी (रायगंज) : रेलवे मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये रेल बजट का मैं समर्थन करता हूं। भारतीय रेलवे के लिए बहुत से अच्छे कार्य करने के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत सी नई गाड़ियों को चलाने विशेष रूप में न्यू बोंगाई गांव से त्रिवेन्द्रम तक सब से लम्बी गाड़ी चलाने के कदम उठाये हैं। वह कलकत्ता में मेट्रो रेलवे के खण्ड को शुरू करनेवाले हैं तथा सर्कुलर रेलवे जो कि वास्तविकता नहीं थी परन्तु समस्या की ओर उनके सहानुभूति पूर्ण रवैये के कारण अब यथार्थता में परिवर्तित होने जा रही है। हम मंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने खान-पान निगम की स्थापना कर यात्रियों की सुविधाओं की ओर ध्यान दिया। हम आशा करते हैं कि अब से हमें गाड़ियों में अच्छा खाना मिलेगा।

मैं पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले की एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देश के विभाजन के समय पश्चिम दीनाजपुर जिला भी विभाजित हुआ था तथा वहां से कलकत्ता के लिए कोई लाइन नहीं थी। बारसोई से पार्वतीपुर होते हुए कलकत्ता तक एक लाइन थी किन्तु यह राधिकापुर पर कट गयी थी। वह लाइन वास्तव में एक अलग-थलग लाइन बन गई। बालूरघाट बिना किसी रेलवे के दीनाजपुर का मुख्यालय बन गया। सन् 1956 में एकलुरनी से बालूरघाट तक लाइन का सर्वेक्षण किया गया था किन्तु रेलवे लाइन का निर्माण नहीं किया गया था।

किन्तु इसका श्रेय रेल मंत्री को ही जाता है कि उन्होंने एकलुखी-बलूरघाट लाइन को चालू करने के लिए साहसपूर्ण पग उठाए तथा गत वर्ष नवम्बर में एकलुखी में आधार-शिला रखी। किन्तु इससे पश्चिमी दीनाजपुर जिले के लोगों की समस्या कुछ सीमा तक ही समाप्त होगी क्योंकि एकलुखी से बालूरघाट तक यह निष्क्रिय लाइन होगी। दूसरी ओर बारसोई से राधिकापुर तक रायगंज होते हुए एक अन्य रेल लाइन भी है। यह लाइन भी मीटर गेज और निष्क्रिय लाइन है। हम चाहते हैं कि इस लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाए ताकि देश के

हिस्से के लोग कलकत्ता या दिल्ली बड़ी लाइन से जा सकें। यदि वह यह कर देते हैं तो इससे समस्या पूरी तरह से हल नहीं हो जायेगी क्योंकि वहां दो निष्क्रिय लाइनें होंगी— एकलखी से बालूरघाट और बारसोई से राधिकापुर तक। जब तक इन दोनों लाइनों को और कहीं से नहीं जोड़ा जाता तब तक ये आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं होंगी। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस समस्या पर ध्यान दें और इन लाइनों को बुनियादपुर-कलियागंज या ईटाहार से होकर गजोल से रायगंज तक जुड़वाने का प्रयास करें। मंत्री महोदय इस संबंध में सर्वेक्षण का शीघ्र आदेश दें जिससे सर्वेक्षण के पूरा होने के समय तक इस लाइन को जोड़ने के कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। हमसे हमेशा यह कहा गया है कि इस लाइन-परिवर्तन का कार्य निधि की कमी के कारण नहीं किया जा सकता। किन्तु इसके लिए केवल 7 या 9 करोड़ रु० की आवश्यकता होगी।

जब देश का बंटवारा हुआ था तब हजारों लोग विस्थापित व्यक्तियों के रूप में पूर्वी पाकिस्तान से आए थे और भारत सरकार ने उनके पुनर्वास के लिए हजारों करोड़ रु0 खर्च किए थे, यद्यपि पश्चिमी दीनाजपुर के लोग विस्थापित व्यक्ति नहीं हैं, तथापि वे देश के बंटवारे से उत्पन्न समस्याओं से पीड़ित अवश्य हैं। अतः मैं सोचता हूं कि पश्चिमी दीनाजपुर के लोगों की रेल-लाइन से सम्बन्धित समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अतः मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस समस्या पर इस दृष्टिकोण से ध्यान दें तथा बारसोई से राधिकापुर तक की इस लाइन के लिए परिवर्तन सात या नौ करोण रु० की राशि उपलब्ध कराने का प्रयास करें।

मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा कि बालूरघाट पर लाइन का अन्त करने की बजाय, लाइन को दिल्ली तक बढ़ाया जाना चाहिए। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इन बातों को वर्तमान बजट में सम्मिलित किया जाए और मैं सोचता हूं कि वह अपने उत्तर में इन सब बातों के बारे में हमें अवश्य आश्वासन देंगे।

हमारी कुछ और भी समस्याएं हैं और उनमें से एक दलकोला पर रेल फाटक के बारे में हैं। राष्ट्रीय मार्ग 34 दलकोला पर मुख्य रेल-लाइन से होकर गुजरता है। बहुत सी रेलगाड़ियां दलकोला से होकर जाती हैं। किन्तु वहां कोई उपर्युक्त नहीं है और इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय-मार्ग 34 का यातायात फाटक पर लम्बे समय के लिए रुका रहता है। अतः वहां उपर्युक्त का निर्माण किया जाना बहुत आवश्यक है और मैं सोचता हूं कि इसके लिए प्रस्ताव भी किया जा चुका है। अतः मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि जितनी जल्दी सम्भव हो वहां उपर्युक्त का निर्माण किया जाए। दलकोला रेलवे स्टेशन पर भी एक उपर्युक्त बनाया जाना आवश्यक है।

अब मैं आपका ध्यान इस बात की ओर और आकर्षित करना चाहता हूं कि बिहार में किशनगंज एक ऐसा स्टेशन है जहां सभी मुख्य रेलगाड़ियां रुकती हैं किन्तु यदि आप वहां जाएं

[डा० गोलम याजदानी]

तो पाएंगे कि प्लेटफार्म अच्छी दशा में नहीं है और वहां कोई 'शेड' भी नहीं है। बरसात के मौसम में यात्रियों को गाड़ी पकड़ने के लिए बारिश में ही जाना पड़ता है। जब किशनगंज स्टेशन पर बहुत सी रेलगाड़ियां रुकती हैं तो वहां के प्लेटफार्म को नया बनाया जाना चाहिए और वहां नए 'शेड' बनाए जाने चाहिए।

अब मैं आपका ध्यान इस बात की ओर और आकर्षित करना चाहता हूं कि मालदा स्टेशन आजकल एक बहुत महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन बन गया है। अनेक रेलगाड़ियां वहां से होकर गुजरती हैं किन्तु इतनी अधिक रेलगाड़ियों के वहां रुकने के लिए जितने प्लेटफार्म अपेक्षित हैं वे वहां नहीं हैं। अतः मालदा स्टेशन पर चौथे प्लेटफार्म का भी निर्माण किया जाना चाहिए।

मैं माननीय रेल मंत्री से यह अनुरोध भी करूंगा कि नयी जलपाइगुड़ी यात्री गाड़ी की समय-पाबंदी पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। इस गाड़ी की समय पाबंदी के बारे में रेलवे बोर्ड और मंडल रेलवे प्रशासन को निदेश दे चुके हैं किन्तु मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस गाड़ी की समय पाबंदी को वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करें, क्योंकि इस गाड़ी से आम लोग गरीब लोग ही नयी जलपाईगुड़ी से कलकत्ता तक की यात्रा करते हैं। यह कलकत्ता जाने वाली सीधी गाड़ी है किन्तु सामान्यतया यह दो घंटे से लेकर बीस घंटे तक की देरी से आती है। यह गाड़ी इतनी अधिक देर से आती है कि इसको नियमित नहीं किया जा सकता है। अतः मैं रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर विशेष ध्यान दें।

अन्त में, मैं माननीय रेलमंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मालदा जिले में दो स्थान हैं- अदीना और पांडवा। वर्ष में दो बार इन दोनों स्थानों पर एक बार अदीना और एक बार पांडवा में उर्स लगता है। उर्स में आने वाले लोग, जो अदीना और एकलखी पर उतरते हैं, उनके लिए न तो कोई विशेष गाड़ी चलायी जाती है और न ही किसी गाड़ी में कोई अतिरिक्त डिब्बा लगाया जाता है और यात्री वहां बेसवारी रह जाते हैं। चूंकि माननीय रेल मंत्री यात्रियों के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति रखते हैं अतः मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि उर्स के दिनों में वहां विशेष गाड़ी चलवाने का प्रबन्ध करवायें।

मैं कंचनजंगा एक्सप्रैस के बारे में भी कहना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस गाड़ी को दैनिक रेल गाड़ी बनाए क्योंकि जब तक इसे दैनिक रेल गाड़ी नहीं बनाया जाता तब तक हमें बहुत भारी असुविधा होगी। कंचनजंगा एक्सप्रैस के बारे में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। यह रेलगाड़ी कलकत्ता 9.40 म०प० पहुंचती है। यह समय बहुत असुविधाजनक है। अतः मैं माननीय रेल मंत्री से यह देखने का अनुरोध करता हूं कि यह रेल गाड़ी कलकत्ता लगभग 6 म०प० या 7 म०प० पहुंचे।

एक बार फिर मैं माननीय रेल मंत्री को धन्यवाद देता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह मेरे द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार करें।

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) :श्रीमान जहां तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है, तमिलनाडू के लिए यह रेल बजट फल रहित है। तमिलनाडू के लिए यह न तो लाभकर है और न हानिकर, यह न तो प्रगतिशील है, न पश्यगामी। यद्यपि यह एक संतुलित बजट है, बेढंगा बजट नहीं है। रेल-बजट आपरेशन सफल रहा किन्तु रोगी न तो जीवित है और न मृत। जहां तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है, उसके लिए यह जीवनमरण की समस्या है।

रेल मंत्री ने अपने भाषण में पृष्ठ 9 पर बताया है, "कुछ मामलों में परियोजनाओं को किताबों में बनाए रखने के लिए नाममात्र की राशि दी गयी है।"

इसका क्या अर्थ है ? तमिलनाडु में दो बड़ी परियोजनाएं हैं—एक मद्रास नगर में महानगरीय परियोजना है और दूसरी करूर—डिन्डिगल मदुरै तूतीकोरिन बड़ी लाइन परियोजना इन दोनों परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं दी गयी है। इसीलिए मैंने कहा कि तमिलनाडु के लिए यह बजट न तो लाभकर है न फलदायी है।

जहां तक करूर—डिन्डिगल लाइन का सम्बन्ध है, हम स्वतंत्रता प्राप्ति से—पिछले 36 वर्षों से इसकी मांग कर रहे हैं। सारे तमिलनाडु में केवल एक ही बड़ी लाइन है। फिर भी, यदि आप रिकार्ड को देखें तो 1981 से 1984 में अब तक इस परियोजना के लिए स्वीकृत किया गया धन केवल लगभग 6.12 करोड़ रु० है। इस परियोजना के लिए इस वर्ष 4 करोड़ रु० स्वीकृत किए गए हैं। यद्यपि इस परियोजना पर होने वाला कुछ अनुमानित व्यय 42-72 करोड़ है, अब तक केवल 10.12 करोड़ रु० स्वीकृत किए गए है। मद्रास, मदुरै, और अन्य स्थानों पर वाणिज्य-मंडलों ने भूख-हड़ताल की है और अधिक धन की मांग की है। यह वहुत ही न्योयोचित मांग है। इस परियोजना के लिए आपको कम से कम 15 से 20 करोड़ रु० देने चाहिए। अन्यथा, इस परियोजना को पूरा करने में 15 या 20 वर्ष लगेंगे। इस बीच लागत बढ़ जाने के कारण, परियोजना की लागत 150 या 200 करोड़ रु० हो जायेगी। इसीलिये इस परियोजना के लिए अधिक से अधिक धन स्वीकृत कीजिए।

मैं जब गत वर्ष रेल-बजट पर बोल रहा था, तब भी मैंने यही मांग की थी। उस समय, रेल मंत्री ने अधिक धन स्वीकृत करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी क्योंकि यह कार्य योजना आयोग द्वारा किया जाना होगा ऐसा उत्तर सुनकर मैंने शर्म महसूस की। माननीय अध्यक्ष के आग्रह पर ही मंत्री महोदय ने यह कहा था कि वह इस पर विचार करेंगे। रेल मंत्री का योजना आयोग से बात करने का प्रश्न ही नहीं है। मालिक कौन है योजना आयोग या रेल मंत्री ? यह केवल रेल मंत्री जैसे राजनीतिज्ञ और संसद सदस्य ही जनता की आवश्यकताओं और

[श्री के० मायातेवर]

आकांक्षाओं को समझ सकते हैं, योजना आयोग के अधिकारी नहीं, जो योजना भवन के वातानु-कुलित कमरों में बैठे रहते हैं यह समस्या केवल तभी सुलझ सकती है जब रेल मंत्री को योजना आयोग का स्थायी सदस्य बनाया जाए।

तमिलनाडु के लोग और द्रविड मुनेत्र कषगम के संसद-सदस्य अधिक धन के आवटन हेतु भूख-हड़ताल पर बैठने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।

जहां तक मद्रास महानगर परियोजना का सम्बन्ध है। माननीय रेल-मंत्री ने अपने भाषण के पृष्ठ 10 पर बताया है कि बम्बई और मद्रास की नयी परियोजनाओं के सम्बन्ध में केवल आरम्भिक गतिविधियां ही जारी रहेंगी। क्या आप सोचते हैं कि बम्वई और मद्रास तो केवल दत्तक पुत्र हैं ?

16.00

मैं माननीय मंत्री से पूरी ईमानदारी और सम्मान के साथ पूछता हूं कि क्या केवल कलकत्ता के लोग ही आपके बच्चे हैं ? आपने कलकत्ता की महानगरीय परियोजना के लिए उन्हें 80 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अतिरिक्त, आपने 5 करोड़ रुपए परिक्रमा रेल सेवा के लिए दिए हैं। आप पूरे देश के मंत्री हैं, न केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र या अपने राज्य के। निःसन्देह, मैं इस बात की सराहना करता हूं कि आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र तथा अपने राज्य में रुचि है। इसके लिए मैं आपकी निन्दा नहीं करता। लेकिन, यह भावना देश की समूची जनता के लिए होनी चाहिए। इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मद्रास की जनता की भी सहायता करें। आपने केवल 75 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इससे केवल प्रारम्भिक कार्य ही चालू रह पाएंगे। इस धन से आप मद्रास तथा बम्बई के लोगों को प्रारम्भिक या प्राथमिक विद्यालयों में भेज सकते हैं। उन्हें शिक्षा के लिए प्रारम्भिक या प्राथमिक विद्यालयों में न भेजें। आपने उन्हें बहुत ही अपर्याप्त राशि दी है। कलकत्ता की जनता तथा मद्रास और बम्बई की जनता में भेद-भाव न कीजिए। हम सभी आपके बच्चे हैं। इसलिए, यह आपका कर्त्तव्य है कि आप सभी की बिना किसी भेद-भाव के एक समान देख-भाल करें। मद्रास महानगर क्षेत्रों में रेलों के विकास की कुल लागत का अनुमान लगभग 51.76 करोड़ रुपए लगाया गया है। इसमें से आपने मद्रास के लिए केवल 75 लाख रु० मंजूर किए हैं। आपने तमिलनाडु के क्रुद्ध हाथियों के सामने थोड़ी सी मक्का की खील डाल दी हैं। इन अपर्याप्त खीलों से आपने तमिलनाडु के भूखे हाथियों को उत्तेजित किया है। तमिलनाडु के लोग आपसे बहुत नाराज हैं। उन्हें शांत व संतुष्ट करने के लिए कृपया और धनराशि दें कांग्रेस दल के मेरे मित्र वहां की जनता को जानते हैं। यदि आगामी चुनावों में आपको कांग्रेस दल के लिए मत चाहिएं तो आपको इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना होगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र डिंडीगुल को रेलों द्वारा पानी भेजने के लिए मैं आपका धन्यवादी हूं। लेकिन, मद्रास नगर की रेल परियोजनाओं के प्रति आपकी अधिक

सहानुभूति नहीं है। अतः इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। मद्रास महानगर परियोजनाओं की पांच या दस वर्ष के भीतर पूरा करने के लिए आपको कम से कम पांच से दस करोड़ रुपये मंजूर करने चाहिए। अन्यथा, यह सब बेकार जाएगा।

जहां तक आई० सी० एफ० का सम्बन्ध है, आप रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों से भी भली भांति अवगत हैं। तमिलनाडु से मेरे मित्र भी आई० सी० एफ० द्वारा निर्यात-योग्य सवारी-डिब्बों के निर्माण से अर्जित लाभों के तथ्यों और आंकड़ों से अवगत हैं। मंत्री महोदय ने भी इसका कई बार निरीक्षण किया है। आई० सी० एफ० का उत्पादन बढ़ाने तथा इसका आधुनिकीकरण करने के लिए आपने 47.6 करोड़ रुपये के कुल अनुमानों में से केवल 28 लाख रुपये मंजूर किए हैं। यह धन-राशि बिलकुल उचित नहीं है।

कृपया इस पर भी विचार करने का प्रयास करें। आपको इसके लिए कम से कम 10 करोड़ रुपये मंजूर करने चाहिएं। आपको यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि आई० सी० एफ० प्रति वर्ष 28 करोड़ रुपये से भी अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित कर रही है। दूसरे शब्दों में, यह एक वाणिज्यिक उपक्रम है।

मैं आपसे यह अनुरोध भी करूंगा कि आप अपने विभाग को यह हिदायत दें कि वे डी० एम० के० युनियन, जो आई० सी० एफ० के अन्दर सबसे बड़ी तथा शक्तिशाली युनियन है, को मान्यता प्रदान करें।

एक माननीय सदस्य : जी नहीं। आप चुनावों की मांग करें और फिर पता लगाएं।

श्री के० मायातेवर : जहां तक योजना आयोग का सम्बन्ध है, आपको अपने अभाव संसाधनों के अनुसार ही धनराशि की व्यवस्था करनी होती, अथवा शरीर के नाप के अनुसार कपड़ा काटना होगा। योजना आयोग कपड़ा है और आप देश का शरीर हैं। इसलिए, आपको अपने शरीर के अनुसार कपड़ा काटना चाहिए। आपको अपने पैर के नाप के अनुसार जूते खरीदने होंगे। आप अपने पैर या शरीर को जूते या कमीज के अनुसार नहीं ढाल सकते। अतः सिली-सिलाई कमीजे न खरीदें। आपको योजना आयोग के इशारों पर नहीं नाचना चाहिए। उन्हें आपका सजग सेवक होना चाहिए। निःसन्देह एक योजना आयोग होदा चाहिए, लेकिन इसके पास एकाधिकारवादी शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्हें वित्तीय आवंटन में अन्तिम अधिकार नहीं होना चाहिए।

महोदय, एक छोटी सी बात है। मुझे जी० टी० एक्सप्रैस के नाम से घृणा हो गई है। मैंने इस नाम को बदलने की मांग की थी। जी० टी० एक्सप्रेस का क्या अर्थ है? ग्रैन्ड ट्रंक एक्सप्रैस। यह अंग्रेज कौन है? उस अंग्रेज का नाम अभी तक चल रहा है। क्या आप इससे शर्मिन्दा नहीं है? आप इसे बदलकर उन दिग्गजों में से किसी एक के नाम पर क्यों नहीं रख देते जो भारत में अंग्रेजी राज के विरुद्ध थे? मैं सुझाव देता हूं कि आप इसका नाम 'भारतियार एक्सप्रेस' रख दें।

[श्री के० मायातेवर]

इस सम्बन्ध में मैंने माननीय प्रधान मंत्री को लिखा था और उन्होंने मुझे उत्तर दिया है कि मैंने रेलवे बोर्ड को 'जी० टी० एक्सप्रेस' का नाम बदलकर 'भारतियार एक्सप्रेस' रखने के लिए अनुदेश दे दिए हैं। उनका पत्र मुझे 1982 में मिला था। लेकिन, अभी तक इस बारे कुछ भी नहीं किया गया है। ऐसा करने में आपका कितना खर्च आएगा। मेरा दल डी० एम० के०, इसका नाम बदलकर 'तमिलनाडु एक्सप्रेस' रखने में जो भी खर्च आएगा उसे वहन करने को तैयार है। अतएव, कृपया यह काम करें। निःसन्देह यदि नाम बदलने में कुछ खर्च होगा तो मेरा दल डी० एम० के० यह खर्च वहन करेगा। लेकिन, इस पर कुछ भी खर्च नहीं आएगा।

सभापति महोदय : तमिलनाडु एक्सप्रेस तो पहले से है।

(**व्यवधान**)

श्री के० मायातेवर : जहां तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र का सम्बन्ध है, डिंडीगुल नगर में बहुत सी परियोजनाओं का निर्माण होना है।

(**व्यवधान**)

वहां एक पुल का निर्माण होना है, जिसके लिए मैं लगभग 11 साल के लम्बे समय से मांग करता आ रहा हूं। और राज्य सरकार भी आपकी सरकार से सहयोग नहीं कर रही है।

बेशक, इस कठिनाई का सामना आपको करना पड़ रहा है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे डिंडीगुल नगर, जिसकी जन-संख्या बहुत अधिक है, में पुल के निर्माण का आदेश दें।

(**व्यवधान**)

अन्त में, मैं रेलवे परियोजनाओं के बारे में कहना चाहता हूं कि उनके पास इन परियोजनाओं के लिए धन जुटाने तथा इन्हें समय पर कार्यान्वित करने के कोई साधन नहीं हैं। माननीय मंत्री तथा भारत सरकार को मेरा एक सुझाव है। बैंक ऋणों के द्वारा समान आप उपर्युक्त बोनस प्राइवेट पार्टियों से धन क्यों नहीं जुटाते ?

ऐसे एकाधिकारवादी घराने हैं जो इस काम के लिए आगे आने का बचन दे रहे हैं या ऐसा दिखा रहे हैं कि वे आगे आना चाहते हैं। मैं नहीं जानता। आप उनकी परीक्षा लेकर धन क्यों नहीं जुटाते। तमिलनाडु के चैम्बर्स आफ कामर्स ने बचन दिया है।

(**व्यवधान**)

डिंडीगुल बड़ी लाइन का वित्त व्यवस्था के लिए के कम ब्याज दर पर ऋण देने को तैयार हैं। आप परीक्षण के तौर पर इस मामले को क्यों नहीं लेते ?

अन्त में अनियंत्रित भ्रष्टाचार, विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के भ्रष्ट तरीकों के बारे में बहुत सी बातें सब ओर से कही गई हैं। अभी जून-जुलाई में मद्रास में रेलवे सुरक्षा बल के लिए पुलिस कंस्टेबलों का चयन हुआ था। चयन के दौरान चयन समिति के अध्यक्ष ने—मैं श्री जाफर शरीफ से पहले ही शिकायत कर चुका हूं, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, एक पुलिस कांस्टेबल के चयन के लिए 6000 रु० से 8000 रु० तक लिए। प्रत्येक खलासी के चयन के लिए रिश्वत के रूप में 5000 रु० से 8000 रु० तक लिए गए। मैंने इस बारे में एक विशिष्ट शिकायत की है। उस शिकायत के आधार पर माननीय राज्य मंत्री श्री जाफर शरीफ ने रेलवे बोर्ड के सतर्कता निदेशक को किसी जांच के आदेश दिए थे। वह सतर्कता अधिकारी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आए थे और मैंने भी उनके सामने एक साक्षी बयान दिया है। उस पर क्या कार्यवाही की गई है। उस कठिन परिश्रम का कुछ परिणाम निकला या वह बेकार गया? मैंने दो व्यक्ति भेजे थे। उस अधिकारी ने 500 रु0 से 8000 रु० मांगे। वास्तव में मैंने प्रत्येक कंस्टेबल के चयन के लिए 2000 रु० भेजे थे। उस अधिकारी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह राशि पर्याप्त नहीं है। उसने प्रत्येक पुलिस कांस्टेबल के चयन के लिए 5000 रु0 से 8000 रु० तक मांगे।

मैंने गवाही दी है। मैंने गवाही प्रस्तुत की है। इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री ईरा अनबारासु : आपके विरुद्ध भी कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री के० मायातेवर : यदि यह झूठी या मनगढ़ंत शिकायत है तो मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। यदि कानून यह मांग करता है तो मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। यदि मैंने उपयुक्त सन्देह से परे अपना आरोप सिद्ध कर दिया है तो आप उसके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं करते। अब यह मामला सतर्कता निदेशालय के पास पड़ा हुआ है।

सभापति महोदय : श्रीमती केशरबाई क्षीरसागर।

16.2

(श्री आर० एस० स्पैरो पीठासीन हुए)

***श्रीमती केशरबाई क्षीरसागर** (बीड) : महोदय, मैं माननीय मंत्री श्री गनी खान चौधरी द्वारा प्रस्तुत 1984-85 के रेल-बजट का समर्थन करती हूं। मंत्री महोदय ने बड़ी कुशलता से बजट तैयार किया है तथा बजट बनाते समय उन्होंने किफायत के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा है। बजट तैयार करते समय उन्होंने जिन व्यवहारिक आधारों को दृष्टिगत रखा है, मैं उनकी सराहना करती हूं।

* मराठी में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्रीमती केशरबाई क्षीरसागर]

माननीय मंत्री ने 'राजधानी' नामक लम्बी दूरी की गाड़ी आरम्भ की है जिसमें यात्रियों को सभी सुविधाएं दी गई हैं। इस गाड़ी के डिब्बे साफ-सुथरे हैं तथा यात्रियों के लिए भोजन की अच्छी व्यवस्था है। इस गाड़ी को शुरू करने के लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई देती हूं, जिससे हजारों यात्रियों को राहत मिली है।

हाल ही में, कलकत्ता में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। मुझे यह उल्लेख करते हुए गर्व होता है कि भारतीय रेलवे की एक प्रविष्टि 'रेलवे स्टाल' को प्रथम पुरस्कार मिला। भारतीय रेलों की इस सफलता के लिए मैं माननीय मंत्री को बधाई देती हूं।

यात्री किराए में कुछ वृद्धि तथा माल भाड़े में कुछ कमी की गई है। वर्त्तमान किराए के ढांचे की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

1. वातानुकूलित कुर्सी के लिए—डाक एक्सप्रेस में—2 रुपए अधिशुल्क यदि किराया 10 रुपए से अधिक है।

2. प्रथम श्रेणी टिकट, द्वितीय श्रेणी टिकट तथा वातानुकूलित शायिका के लिए 3 अधिशुल्क।

3. प्रथम श्रेणी वातानुकूलित 5 रुपए अधिशुल्क।

4. प्रथम श्रेणी के सीजन टिकटों पर 1 रु० से 3 रु० तक अधिशुल्क।

5. यदि किराया रुपए के किसी भाग में है तो किराए को नजदीकी रुपए में बदल दिया जाएगा।

6. प्लेटफार्म टिकट 1 रुपए होगा।

7. नेत्रहीनों के लिए स्थानीय गाड़ियों में सीजन टिकटों पर 25 प्रतिशत छूट।

8. माल-भाड़े में 20% की कमी। जिन वस्तुओं के भाड़े में कमी की गई है उनकी सूची में 23 आवश्यक वस्तुएं और जोड़ दी हैं।

9. मीटर गेज तथा छोटी लाइन पर चलने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में भाड़ा प्रभार कतई समाप्त कर दिया गया है।

रेलवे द्वारा अर्जित कुल राजस्व 1142·2 करोड़ रुपये तथा कुल घाटा लगभग 70 करोड़ रुपये होगा।

आपने देखा होगा कि उच्च श्रेणी का किराया बढ़ा दिया गया है। नई रेल लाइनों का निर्माण आरम्भ करने के लिए अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए कुछ कदम उठाना अनिवार्य है। प्रथम श्रेणी में अमीर लोग यात्रा करते हैं और वे बढ़ा हुआ किराया दे सकते हैं। लेकिन द्वितीय श्रेणी के किराये में वृद्धि गरीब यात्रियों पर बड़ा बोझ होगी, जो अधिक किराया दे पाने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगी कि डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों के द्वितीय श्रेणी के किराए में की गई वृद्धि को वापस ले लिया जाए। इस समय, नेत्रहीनों को सीजन टिकटों के किराए में छूट दी जाती है। मेरा अनुरोध है कि यह छूट द्वितीय श्रेणी के किराए पर नियमित रूप से मिलनी चाहिए। राजधानी एक्सप्रेस के प्रथम श्रेणी के डिब्बे भलि-भांति सुसज्जित हैं। अतः यात्रियों को कोई असुविधा नहीं होती। लेकिन, द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की हालत का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है, ये डिब्बे इतने ठसाठस भरे हुए होते हैं कि बच्चों के साथ इनमें यात्रा करना कठिन हो जाता है। यात्रियों को बैठने के लिए सीट नहीं मिलतीं। डिब्बे, प्रसाधन बहुत गन्दे रहते हैं तथा यात्रियों को रोशनी, पंखों जैसी सुविधाएं नहीं मिलती। डिब्बों में अधपका बेस्वाद भोजन परोसा जाता है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूं कि यात्रियों को रियायती दरों पर अच्छा भोजन उपलब्ध कराया जाये।

यदि इन्हें सादा भोजन दिया जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भोजन सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि महिला संगठनों, बेरोजगार युवाओं को रेलवे कैंटीनों के काम पर निगरानी करने का मौका दिया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि रेलवे कैंटीनों में खान-पान व्यवस्था की देख-रेख करने के लिए महिला परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि केवल ऐसी समिति ही यह सुनिश्चित कर पायेगी कि अच्छे और स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की जाए। मैं यह सुझाव भी दूंगी कि जनता के प्रतिनिधियों जैसे, संसद-सदस्यों, विधायकों तथा संबंधित रेलवे अधिकारियों को वर्ष में छः बार दूसरे दर्जे में सफर करना चाहिए। केवल तभी वे स्वयं अनुभव कर सकेंगे।

कुछ यात्री प्रथम दर्जे के डिब्बे में मद्यपान करते हैं तथा महिला यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तथा कभी-कभी उन पर हमला भी किया जाता है तथा उनकी प्रतिष्ठा खतरे में है। कुछ यात्री महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं तथा उन्हें तंग करते हैं। अतः मैं आपको सुझाव देती हूं कि प्रथम दर्जे के डिब्बे में महिलाओं की चार सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। महिला यात्री न्यायालय नहीं जा सकतीं और उन्हें आवश्यक सुरक्षा नहीं मिलती। महिला यात्रियों की कठिनाई और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सहायता देने के लिए महिला पुलिस नियुक्त की जानी चाहिए। ऐसा कदम उठाने से महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का आश्वासन दिया जा सकेगा।

मैं मंत्री महोदय को बधाई देती हूं कि उन्होंने कुछ प्रस्तावित रेल लाइनों को सर्वेक्षण

[श्रीमती केशरबाई क्षीरसागर]

कराने सम्बन्धी निर्णय लिया है। लेकिन बड़े खेद से मुझे यह कहना पड़ता है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए एक भी नई लाइन बिछाने की मंजूरी नहीं दी गई है।

मनयाड-औरंगाबाद-पराली-आदिलाबाद सैक्शन के लिए इस बजट में 4 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। लेकिन मैं समझती हूं कि उपर्युक्त परियोजना को पूरा करने के लिए यह राशि बहुत ही कम है। इसके लिए 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मंजूर की जानी चाहिए ताकि इसका काम शीघ्र पूरा किया जा सके। मैं अनुरोध करती हूं कि लतूर, मिराज-पंढरपुर सैक्शन के लाइन परिवर्तन का काम भी शीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिए।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र बीड़, मराठवाड़ा का सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र के लोग पिछले 35 वर्षों से अहमदनगर-बीड़-पराली रेलवे लाइन के लिए मांग करते आ रहे हैं। उन्होंने कई अभ्यावेदन, प्रतिनिधि मण्डल भेजे हैं किन्तु उनका कोई लाभ नहीं हुआ।

हाल ही में मेरे निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि मण्डल ने, जिसमें जनता के प्रतिनिधि कृषक, डाक्टर, वकील शामिल थे, प्रधानमन्त्री से मुलाकात की उन्होंने यह आश्वासन देकर बहुत कृपा की कि इस सम्बन्ध में वे रेल मन्त्री से बात करेंगी। उस प्रतिनिधि मण्डल ने माननीय रेल मन्त्री तथा माननीय राष्ट्रपति से भी भेंट की जिन्होंने इस मांग पर सहानुभूति-पूर्वक विचार किया। माननीय रेलमन्त्री ने वित्तीय कमी के कारण इस योजना को तत्काल आरम्भ करने में अपनी असमर्थता जाहिर की।

250 किलोमीटर लम्बी इस लाइन की अनुमानतः लागत 150 करोड़ रुपये है। मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि चालू परियोजनाओं के पूरा होने के बाद ही भविष्य में इस लाइन के निर्माण पर विचार किया जायेगा। मन्त्री महोदय हाल में लिखे पत्र में भी इस स्थिति को स्पष्ट किया है।

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, बीड़ औद्योगिक दृष्टि से हिछड़ा हुआ क्षेत्र है तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत इसके विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैं मन्त्री महोदय से पुनः अनुरोध करती हूं कि वे तुरन्त इस लाइन का सर्वेक्षण करायें।

16.20

[डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेई पीठासीन हुईं]

मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, बाबा साहिब अम्बेडकर जैसे महान राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिमाएं रेलवे स्टेशनों और सरकारी

कार्यालयों के प्रांगणों में स्थापित की जानी चाहिए। इससे इस राष्ट्र के युवकों के समक्ष एक नया आदर्श प्रस्तुत होगा तथा उनमें राष्ट्रीय भावना जागेगी। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि वह कृपया इस सुझाव पर विचार करें।

अन्त में मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि वह बिना बिलम्ब किए अहमदनगर-पराली लाइन का सर्वेक्षण करायें। इन शब्दों के साथ मैं रेलवे बजट का समर्थन करती हूं तथा आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदया, मैं आपका आभार मानता हूं कि आपने मुझे समय दिया। एक बात मैं कहना चाहता हूं और हिम्मत के साथ कहना चाहता हूं कि बहुत से रेलवे मन्त्रियों ने इस विभाग के मन्त्री पद को सुशोभित किया है लेकिन अब्दुल गनी खान चौधरी के मुकाबले में बहुत कम मन्त्री ऐसे आये होंगे जिन्होंने निर्णय तुरन्त लिया होगा। आज अगर हिन्दुस्तान में कोई अच्छा मन्त्री है जो मन्त्री के पद पर बैठकर हमारा इरादा समझता है तो वह है अब्दुल गनी खान चौधरी। सौ से ज्यादा ट्रेनें उन्होंने चलाई हैं। मैं कहता हूं कि जिस दिन हमारे राजस्थान के अन्दर वह ट्रेन मारवाड़ जंक्शन से अहमदाबाद के लिए आपने चलाई उस दिन आप वहां नहीं थे लेकिन हजारों हजार लोग आपके नारे लगा रहे थे—अब्दुल गनी खान चौधरी जिन्दाबाद। सारा आकाश गूंज रहा था और पता नहीं कितने मन और कितने किलो लड्डू वहां उस दिन बंटे। आप अपने आफीसर्स से पूछ लीजिये। वह स्कोनामिकली वायबल लाइन है।

15 फरवरी के दिन वह गाड़ी चली और हजारों यात्रियों ने उसका फायदा उठाया। एक बहुत बड़ी समस्या था उस क्षेत्र की जिसका निराकरण उन्होंने किया। उनकी ताकत यह है कि वह अपना निर्णय तुरन्त लेते हैं। अनिश्चय की स्थिति बहुत निराशाजनक होती है। क्विक डेसीशन अगर कोई लेना चाहता है तो उन लोगों को अब्दुल गनी खान चौधरी से यह बात सीखनी होगी। हन्ड्रेड ट्रेन्स अगर किसी ने चलाई हैं तो उन्होंने चलाई हैं। आप इसको देखें इसमें लिखा हुआ है :

इस वर्ष के दौरान अभी तक 100 गाड़ियां चलाई गई हैं।

यह अगर किसी ने चलाई हैं तो अब्दुल गनी खान चौधरी ने चलाई हैं।

एक बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे यहां के एम० पी० श्री विर्दा राम फूलवारिया बैठे हुए हैं, उनका भी यह कहना है कि यह जो गाड़ी मारवाड़ से अहमदाबाद आपने चलाई है उसका नाम रानकपुर एक्सप्रेस कर दीजिए। वह बड़ी फैमस जगह है कल्चर और आर्किटेक्ट की दृष्टि से। मैं प्रार्थना करूंगा कि उस ट्रेन का नाम रानकपुर एक्सप्रेस कर दीजिए, यह

[श्री मूलचन्द डागा]

राजस्थान के सारे एम० पीज की आवाज है। इसके अलावा एक तो सिरोही रोड पर जो जिले का हेडक्वार्टर है और एक सोमेश्वर स्टेशन पर उसका चार-चार मिनट का स्टापेज कर दीजिए। अगर दस मिनट पहले यह गाड़ी रवाना हो जाती है तो इन दो स्टेशनों पर इसका यह स्टापेज बना देने से बड़े-बड़े डिस्ट्रिक्ट को यह ट्रेन कवर कर लेगी। केवल राजस्थान के ही नहीं, आंध्र के, महाराष्ट्र के, तमिलनाडु के और कई स्टेट्स के लोग हजारों की संख्या में वहां से आते-जाते हैं। आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मैं आपका अहसान मानता हूं कि आपने मुझे यहां पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैंने रेल मन्त्री के पद पर काम करते हुए कई लोगों को देखा है लेकिन मैं समझता हूं कि श्री अब्दुल गनी खान चौधरी में निर्णय लेने की जो क्षमता है वह एक उदाहरण है। मैं समझता हूं उनको एक और निर्णय लेना चाहिए। आपने स्वयं लिखा है कि कुछ ऐसी ट्रेन्स चल रही हैं जिनके कारण 40 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। मन्त्री जी ने लिखा है:

सड़क यातायात के विस्तृत विकास के कारण इनमें से कुछ शाखा लाइनें अपना मूल आर्थिक और सामाजिक औचित्य खो बैठी हैं। जब आप स्वयं कहते हैं कि कोई एकोनामिक और सोशल जस्टिफिकेशन नहीं है और 49 करोड़ का घाटा हो रहा है तो मेहरबानी करके आप उन ट्रेन्स को बन्द करिये ताकि आपकी बचत हो सके।

अभी मेरे से पहले बोलने वाले सदस्य ने यह बात कही है: 1674-81 के दौरान यात्री यातायात और किराये से अर्जित धन का विश्लेषण करने पर यह तथ्य सामने आता है कि 99 प्रतिशत यात्री निचले दर्जे में यात्रा करते हैं। तथापि इन्टेग्रल कोच फैक्टरी ने इन वर्षों में यात्री डिब्बों के कुल उत्पादन का 27 प्रतिशत उच्च दर्जे के डिब्बे बनाने पर खर्च किया है। इसका अर्थ है कि आई० सी० एफ० निश्चय रूप से ही जनता के लिए अथवा अधिकांश संख्या के अधिक से अधिक भले के लिए कार्य नहीं कर रहा है।

जो आपको ट्रेन्स चलती हैं उनमें 99 परसेण्ट पेसेन्जर सेकेण्ड क्लास में ट्रेवल करते हैं लेकिन आप जो कोचेज बनाते हैं वह फर्स्ट क्लास और ए० सी० सी० कोचेज सेकेण्ड क्लास की कोचेज में सफर करने वाले पेसेन्जर्स के अनुपात में अधिक बनाते हैं, सेकेण्ड क्लास की कोचेज कम बनाते हैं। यदि आप इस देश में वास्तव में समाजवाद लाना चाहते हैं तो फर्स्ट क्लास ए० सी० सी० को बन्द कर दीजिए और सारी की सारी कोचेज सेकेण्ड क्लास कर दीजिए। इससे देश में एक क्रांति आयेगी और देश में आपका बड़ा आदर होगा।

मैं मन्त्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि अभी जो गाड़ी अजमेर से बयावर चलती है, शटिल ट्रेन, वह बयावर में सारी रात पड़ी रहती है, उसको आप आगे मारवाड़ जंक्शन या

उदयपुर तक बढ़ा दीजिए। इस सम्बन्ध में मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा। मुझे इस बात का पता है कि अगर आपके सामने फैक्ट्स रखे जाते हैं और आप चिंतित हो जाते हैं तो फिर अधिकारियों की हिम्मत नहीं होती कि वे विरोध कर सकें। इसलिए मैं इस सम्बन्ध में आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा।

मुझे कहनी तो और भी बातें थीं लेकिन आपने यहां पर मुझे जो मौका दिया है उसके लिए मैं आपका भार मानता। आसाथ ही मैं तथा राजस्थान के सभी एम० पीज मन्त्री जी को धन्यवाद देते हैं और आपकी दीर्घायु की कामना करते हैं और चाहते हैं कि आप रेल मन्त्री के पद पर लम्बे समय तक बने रहें।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदया, अखिल भारतीय स्वतन्त्रता सैनानी संगठन, देश के प्राय: सभी स्वतन्त्रता सैनानी और मैं, संसद के बाहर और भीतर सरकार से इस बात की मांग करते रहे हैं कि जीवन के अन्तिम दिनों में भारत सरकार व राज्य सरकारों से स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन पाने वाले तथा ताम्रपत्रधारी स्वतन्त्रता सैनानियों को "भारत दर्शन" के लिए मानार्थ रेल पास दिये जायें ताकि वे धार्मिक, ऐतिहासिक एवं अपने मन पसन्द स्थानों का भ्रमण कर देश की नई पीढ़ी को प्रेरित कर सकें तथा देश की एकता को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न धर्मावलंबियों एवं राज्यों के निवासियों से सम्पर्क स्थापित कर सकें।

प्रसन्नता की बात है कि रेल मंत्रालय ने हमारी इन मांगों को स्वीकार कर सेनानियों की भावनाओं का आदर किया है। इसके लिए मैं प्रधान मंत्री और रेल मंत्री को कई लाख स्वतन्त्रता सैनानियों एवं अखिल भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी संगठन की ओर से बधाई देना चाहता हूं। साथ ही मेरा रेल मंत्री से अनुरोध है कि वह रेल बजट पर हुई बहस के उत्तर में निम्न बातों को स्वीकार कर स्वतन्त्रता सेनानियों की "भारत दर्शन" के क्रम में सुविधायें प्रदान करें :—

1. स्वतन्त्रता सेनानियों और उनकी पत्नियों या सहयात्रियों या सहचरों को प्रथम श्रेणी के पास दिए जायें।

2. जारी किए गए पास कम से कम छ: माह तक वेलिड (सही) माने जायें।

3. स्वतन्त्रता सेनानियों उनकी पत्नियों या सहयात्रियों या सहचरों को रेलवे विश्रामालयों (रिटायरिंग) रूमों में ठहरने की नि:शुल्क इजाजत दी जाये।

4. स्वतन्त्रता सेनानियों के समूहों द्वारा मांग करने पर उनकी यात्रा के लिए रिजर्व रेल डिब्बों की व्यवस्था की जाए; और

5. स्वतन्त्रता सेनानियों के यात्रा के दौरान बीमार पड़ने पर रेलवे व अन्य सरकारी अस्पतालों से उनकी चिकित्सा करने, दवा-दारू सप्लाई करने की व्यवस्था की जाए।

[श्री रामावतार शास्त्री]

मुझे पूर्ण विश्वास है कि रेल मंत्री सेनानियों की वृद्धावस्था को देखते हुए इन मांगों को स्वीकार कर इस सदन में घोषणा करेंगे।

श्री दीनबन्धु वर्मा (उदयपुर) : सभापति महोदय, परसों रेलवे बजट पर चर्चा आरम्भ करते हुए, प्रो० मधु दंडवते ने कहा कि बजट बिना सोचे समझे बनाया गया है और बेरंग है। मैं इस बात से बिलकुल भी सहमत नहीं हूं। प्रथमतः, मैं रेल मंत्री को रेलवे पर एक नई अवधारणा के लिए बधाई देता हूं। रेल मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने रेलवे के कार्यकरण को एक नयी दिशा दी है। उदयपुर के प्रतिनिधि और संसद सदस्य होने के नाते मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह 'गरीब निवास' गाड़ी को चित्तौड़ से उदयपुर नगर तक बढ़ा दें, उदयपुर के लोगों की काफी देर से यही इच्छा है। जैसा कि मेरे सहयोगी, श्री मूलचंद डागा ने अभी-अभी कहा कि कुछ कारणों से माननीय रेल मंत्री जी सुपर फास्ट मारवाड़ ट्रेन के उदघाटन समारोह पर नहीं आ सके। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि उन्हें 'गरीब निवास' को उदयपुर तक बढ़ाने जिसकी उन्होंने घोषणा की है, और जो अप्रैल में उदयपुर से चलना आरम्भ हो जाएगी, का उदघाटन करने के लिए उदयपुर आना चाहिए।

मैं उन सब मुद्दों को दोहराना नहीं चाहता जिनके बारे में माननीय सदस्य पहले ही सभा में कह चुके हैं। तथापि मैं रेल मंत्री तथा रेलवे बोर्ड में उन्हें प्रेरित करने वाले तथा प्रोत्साहन देने वाले अधिकारियों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि रेलवे नीति में तुरंत कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। वास्तव में 14 अप्रैल 1951 को जब रेल संगठन को 9 जोनों में विभाजित किया गया था, तो उनका मुख्य विचार यह था कि ये क्षेत्र स्वतंत्र रूप से क्षेत्रीय आयोजना तथा क्षेत्रीय विकास करेंगे; लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि पिछले 32-33 वर्षों में ये उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं जिनके लिए उनका गठन किया गया था। अतः मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि रेलवे नीति तथा उसके संरचनात्मक ढांचे में तुरन्त कुछ आधारभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने कहा, ये जोन पहले क्षेत्रीय आयोजना तथा विकास के लिए बनाए गए थे। वास्तव में मैं कहूंगा, उनका निर्माण आर्थिक तौर पर होना चाहिए तथा इन्हें काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उन्हें यह कह दिया जाना चाहिए वे अपने लाभ का लक्ष्य निर्धारित करें; ये सब स्वतंत्र रूप से काम करें ताकि उनमें प्रतियोगिता की भावना पैदा हो। मेरा यह नम्र सुझाव है क्योंकि पिछले 37 वर्षों में हम जनता की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए उन्हें ऐसी दशा नहीं दे सके जिनके लिए क्षेत्रों का ऐसा आयोजन किया गया था। अतः इस अवसर पर मंत्री महोदय को बहुत संतुलित और सक्रिय बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देते हुए, मैं उनका ध्यान रेलवे नीति के ढांचे में कुछ मूल परिवर्तन करने की ओर दिलाना चाहता हूं। उसके लिए यही समय उचित है तथा जनता आपकी उत्साहजनक और सक्रिय कार्यपद्धति के कारण आपसे इसकी आशा रखती है।

इन शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

श्री प्रतापभानु शर्मा (विदिशा) : आदरणीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री श्री अब्दुल बरकतअली गनी खान चौधरी साहब को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने पिछले रेल बजट को प्रस्तुत करते समय सेफटी, सिक्योरिटी और पंक्चुएलिटी का जो नया स्लोगन हमारी भारतीय रेलों को दिया था, उन्होंने चालू वित्त वर्ष में यह कोशिश की है कि उसके मुताबिक भारतीय रेलें काम करें और उसी तरह से प्रशासन में भी सुधार लाने का प्रयास किया है । इसके लिए वह निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं ।

दूसरी बात जिसके लिए उनको न केवल हमारे पक्ष ने बल्कि विरोधी पक्ष के सभी सदस्यों ने बधाई दी है—उन्होंने अपने समय में सबसे अधिक रेलें चलाई हैं । इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं । मैं मध्य प्रदेश से आता हूं—वहां पर आपने इन्दौर-भोपाल-दिल्ली के लिए जो नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है, इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के सभी निवासियों की ओर से हार्दिक बधाई देना चाहूंगा । यह हमारी चिरप्रतीक्षित मांग थी जिसको आपने पूरा किया है, लेकिन इस समय यह गाड़ी सप्ताह में तीन दिन चलती है, हमारी मांग है कि इसे सप्ताह के सभी दिनों में चलाया जाय, क्योंकि दिल्ली, भोपाल और इन्दौर के बीच में बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है । इसको प्रतिदिन करने से निश्चित रूप से जहां आमदनी बढ़ेगी, वहीं यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी । यह रेलगाड़ी पहले "सांची एक्सप्रेस" के नाम से चल रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों अब इसका नाम इन्दौर-भोपाल-दिल्ली एक्सप्रेस कर दिया गया है । इसके रेल इन्जिन पर सांची एक्सप्रेस लिखा जा चुका था, बल्कि सांची स्तूप की तस्वीर भी बन चुकी थी, लेकिज अब उसको बदल दिया गया है । मेरा निवेदन है—यह एक बहुत महत्वपूर्ण रेल है जो न केवल भारत की राजधानी से मध्य प्रदेश की राजधानी को जोड़ती है, बल्कि अनेक दर्शनीय स्थान इसके रास्ते में पड़ते हैं, जैसे विदिशा, भोपाल, उज्जैन एवं इन्दौर, जहां से लोग रांची और मांढो जैसे ऐतिहासिक स्थान की भी यात्रा करते हैं । इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसको "सांची एक्सप्रेस" के नाम से ही पुकारा जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त विदिशा ज़िले का मुख्यालय है, वहां यह गाड़ी नहीं रुकती है । मेरा निवेदन है और मैंने लिखित रूप में भी आपको दिया है कि इसका स्टापेज विदिशा पर भी होना चाहिए । विदिशा ऐसा रेलवे स्टेशन है जो सांची के नजदीक है इस दृष्टि से भी आवागमन की सुविधा को देखते हुए इस गाड़ी का वहां रोका जाना बहुत जरूरी है ।

पिछले वर्ष हमारी भारतीय रेलों का जो आधुनिकीकरण और विस्तार हुआ है, वह निश्चित रूप से सराहनीय है । ज़िस रफतार से आपने हमारी रेलों का डीजलाइजेशन और इलैक्ट्रीफिकेशन किया है, सिगनलिंग और टेलीकम्यूनिकेशन प्रणाली का प्रयोग किया है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं दुनिया में ऐसे बहुत कम बल्कि गिनेचुने मुल्क हैं जिन्होंने इतने कम समय में अपनी ही स्वयं की विकसित टैकनालाजी के आधार पर इतने सुधार और सुवि-

[श्री प्रताप भानु शर्मा]

धायें दी होंगी। लेकिन इसके बावजूद भी हम यह चाहेंगे कि हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था और रेलों के महत्व को देखते हुए तथा राष्ट्र की परिवहन आवश्यकता को देखते हुए यह जरूरी है कि अधिक से अधिक डीजल इन्जिनों को भारतीय रेलों में इन्ट्रोडयूस किया जाय। साथ ही साथ देश में जो इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव्ज का निर्माण होने लगा है उनको भी अधिक पावरफुल बनाकर राष्ट्रीय रेल सेवाओं में उनके प्रयोग को बढ़ाना चाहिये। इससे जहां उनके चलने में खर्च की बचत होगी, वहां दुगनी रफ्तार से चला कर और माल वे ढो सकेंगी।

इसी प्रकार से कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, जोकि बड़े बड़े नगर हैं, में जो आरक्षण प्रणाली है, उसका कम्प्यूटराइजेशन किया जाना चाहिए, जिससे जो अनियमितताएं आज होती हैं और जो भ्रष्टाचार होता है, वह बन्द हो जाए और यात्रियों को जो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, उससे उनको छुटकारा मिल जाए। इससे एक तरफ जहां एफीशियेन्सी बढ़ेगी, वहां दूसरी तरफ हम सही और सच्ची सेवा यात्रियों को उपलब्ध करा पाएंगे।

इसके साथ मैं माननीय रेल मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि चालू पंचवर्षीय योजना में उन्होंने रेलवे ट्रैकों का विद्युतीकरण किया है और काफी गति से करने का प्रयास किया है हालांकि जबकि उनका लक्ष्य 2800 किलोमीटर का 1985 तक था लेकिन वह 1824 रूट किलोमीटर हा सन् 1985 तक हो पाएगा। मैं चाहता हूं कि ट्रैक विद्युतीकरण को ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिससे हम रेल सेवाओं में अधिक सुधार कर सकें। इसी तरह से ट्रैक रिन्युअल का जो काम लिया है, वह भी रेल सेवाओं के महत्व को देखते हुए बहुत आवश्यक है।

अब मैं कुछ मांगें अपने संसदीय क्षेत्र की आपके समक्ष रखना चाहता हूं। हमारे यहां विदिशा में एक रेल ओवर ब्रिज बनाने का आश्वासन इससे पिछले साल में दिया गया था लेकिन इसके लिए इस बजट में आपने प्रावधान किया है और इस बात का आश्वासन दिया है कि आप शीघ्र ही इसका शिलान्यास करने के लिए हमारे क्षेत्र में पधारेंगे। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो पहले सांची एक्सप्रेस ट्रेन होने वाली थी और जिसको आपने दिल्ली-भोपाल-इन्दौर एक्सप्रेस कर दिया है, इसका स्टापेज अवश्य ही विदिशा में होना चाहिए। और दक्षिण एक्सप्रेस जो दिल्ली से हैदराबाद तक जाती है, इसको भी बसौदा पर रोका जाना चाहिए। इसी तरह से जो दादर-अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन है, जोकि दादर और अमृतसर के बीच में चलती है, उसको गुलाब गंज पर रोकने की बात हमारे क्षेत्र के ग्रामवासी और नवयुवकों द्वारा लगातार उठाई जाती रही है। इसका स्टोपेज अगर आप यहां पर कर दें तो इससे रेलवे की आय भी बढ़ेगी और हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों को आवागमन की सुविधा भी प्राप्त होगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय रेलवे मन्त्री जी ने जिस समझदारी, सूझ-बूझ और साहस के साथ इस सदन में यह रेल बजट पेश किया है, उसके लिए मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि यह बजट इस देश के निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग, सभी वर्गों के लोगों की सुख-सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है, जिसकी न केवल सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने बल्कि विपक्ष के सदस्यों ने भी भूरि-भूरि प्रशंसा की है और सारे देश ने की है।

मान्यवर, अपनी बात प्रारम्भ करने से पहले सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने मगध एक्सप्रेस, सुपर-फास्ट ट्रेन चलाई है। वैसे यह कोई नई ट्रेन नहीं है। सोनभद्रा जो पहले पटना से चलती थी और दिल्ली आती थी और विक्रमशिला जो भागलपुर से चलती थी और दिल्ली आती थी, इन दोनों ट्रेनों को बन्द करके मगध एक्सप्रेस के नाम से एक नई गाड़ी चलाई है और वह जनता के हित में है लेकिन इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि गाड़ी जो चलाई गई है, इसका अलीगढ़ पर स्टोपेज नहीं है। अलीगढ़ की पांच लाख की आवादी है और वह इक बड़ा शहर है और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहां पर एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है और छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों और बड़े-बड़े उद्योग धंधों का बहुत बड़ा केन्द्र है और हजारों की तादाद में लोग वहां पर ट्रेनों से आते जाते हैं।

इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से भी मिला था और मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी बात को बड़ी गंभीरता और बड़ी सहानुभूति से सुना और आश्वासन दिया था क्योंकि सोनभद्रा और विक्रमशिला, जिनको अब बन्द करके नई गाड़ी चलाई गई हैं, ये दोनों गाड़ियां अलीगढ़ पर रुकती थीं।

लेकिन पता नहीं मगध एक्सप्रेस को अलीगढ़ पर क्यों नहीं रोकते ? मुझे उम्मीद है, मंत्री जी जब जवाब देंगे तो निश्चित रूप से इस बात की घोषणा करेंगे कि मगध एक्सप्रेस को अलीगढ़ की महत्ता को देखते हुए वहां रुकवाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस ट्रेन में पूरब की तरफ जाने के लिए कम से कम दो वर्थ फर्स्ट क्लास, दो बर्थ ए० सी० सी० स्लीपर और दस बर्थ सैकण्ड क्लास स्लीपर में होनी चाहिए। 1971 में जबसे मैं लोक सभा में आया हूं, तब से मांग करता आ रहा हूँ कि अलीगढ़ के बीचों बीच रामघाट रोड और जी० टी० रोड पर क्रासिंग है। वह बिल्कुल शहर के बीच में है जिसकी वजह से घन्टों तक ट्रैफिक जाम रहता है। अनेक लोग जख्मी हो चुके हैं और कई लोगों की जानें भी इसकी वजह से चली गई हैं।

मैं चाहता हूं कि वहां ओवर ब्रिज जल्दी से जल्दी बनाया जाय ताकि लोगों को राहत मिल सके। मेरे क्षेत्र में मीटर गेज में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस चलती है। अब वह डीजल से

[श्री चन्द्रपाल शैलानी]

चलने लगी है तब से वह सही टाइम पर आती है। मेरे होम टाऊन सिकन्दराराव में सिर्फ एक मिनट के लिए रुकती है। कब बार पैसेंजर चढ़ भी नहीं पाते और गाड़ी चल पड़ती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वह गाड़ी मेरे होम टाऊन सिकन्दराराव स्टेशन पर कम से कम तनी मिनट के लिए रोकी जाय। इसके साथ ही साथ उसमें फर्स्ट और सैकण्ड क्लास में रिजर्वेशन भी होना चाहिये।

कई माननीय सदस्यों ने रेलवे में डकैती और चोरी आदि की बातें कहीं हैं, मैं इस पर अपना समय खराब नहीं करना चाहता। एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि रेल विभाग में कुछ ऐसी घटनायें हुई हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। 21 फरवरी को रेलवे सर्विस कमीशन, इलाहाबाद में नौकरी के लिए परीक्षा होनी थी। पेपर आउट होने की वजह से उसको स्थगित कर दिया गया। यह बड़ा भयंकर मामला है। हमारे मंत्री जी डायनामिक और सक्षम हैं, इसलिए वे पता लगा सकते हैं कि यह किस तरह से हुआ ?

रेलवे बोर्ड में बड़े-बड़े अफसरों की हड़ताल चल रही है। अगर उनकी मांगें जायज हैं तो उनको देखा जाए। यदि बिना मतलब ही रुकावट पैदा कर रहे हैं तो उनको सख्ती से निपटा जाना चाहिये। कोआपरेटिव सोसाइटीज को कैटरिंग वाइन्डिंग का कांट्रेक्ट दिया जाता है। 1977 तक जब हमारी सरकार थी तब इन सोसाइटीज के लिए कोई यूनिट लिमिट माइनोरिटी के लोग काम करते थे। जब से जनता सरकार आई तो उन्होंने 6 यूनिट की लिमिट बांध दी। मैंने माननीय त्रिपाठी जी से लेकर श्री गनी खान चौधरी जी तक निवेदन किया। अब वे 6 से 12 यूनिट करने को तैयार हो गए हैं। इससे भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। इसकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए जो कि 1977 तक थी। बुक स्टालों पर अखबार तथा पुस्तकें आदि बेचने के लिए ए० एच० व्हीलर की मोनोपोली चली आ रही है।

मैं चाहता हूं कि इसको तोड़ा जाए। मैं चाहता हूं कि इसमें कमजोर वर्ग के लोगों को ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं यह भी चाहता हूं कि बगैर आरक्षण के डिब्बों की भी संख्या बढ़ाई जाए ताकि जिनको सीटें नहीं मिलती हैं, वे भी सफर कर सकें।

अन्त में एक बात और जानना चाहता हूं कि रेलवे बजट के दूसरे खंड में पेज 39 पर नई रेलवे लाइनों के निर्माण के संदर्भ में रीवा सुल्तानपुर वाया गनिपुर गढ़ी के सर्वे के लिए 20 लाख रुपया सेंक्शन किया गया है। जबकि रीवा-व्यवहारी-सतना से रेलवे लाइन का आज से 12 साल पहले सर्वे हो चुका है। इस सम्बन्ध में आज से तकरीबन एक साल पहले माननीय रेलवे मंत्री को अनेक माननीय संसद सदस्यों ने लिया है। इसलिये मंत्री महोदय से यह अनुरोध है कि सतना-रीवा-व्यवहारी रेलवे लाइन निर्माण कार्य अविलम्ब चालू कर दिया जाये। इस रेलवे लाइन के बनाने में बहुत ज्यादा धनराशि की आवश्यकता नहीं

है और न पहाड़ तोड़ने की आवश्यकता है। इस रेलवे लाइन के बीच में सिर्फ एक नदी पर पुल बनाने की आवश्यकता है जो नदी बहुत ही छोटी है।

यह रेलवे लाइन जो सतना से व्यवहारी जायेगी। भारत के एक बहुत ही पिछड़े इलाके की उत्थान की दृष्टि से अति आवश्यक है।

अन्त में मैं पुनः प्रार्थना करूंगा कि एक्सप्रेस को अलीगढ़ में रुकना चाहिए और वहां पर प्रथम, द्वितीय और ए० सी० सी० स्लीपर क्लास का रिजर्वेशन होना चाहिए। इस बात का मंत्री जी निश्चित आश्वासन देंगे ऐसी मेरी आशा है।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और आपको महोदया, धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहूंगी। सबसे पहले मैं रेल मंत्री को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मेरे जिले में दो बड़ी परियोजनाओं की मंजूरी दी।

मैं कई छोटी-छोटी बातों के लिए भी उनकी आभारी होना चाहती हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, खिराई हाल्ट स्टेशन है।' रेलवे का यह महत्वपूर्ण पद संभालने के बाद वर्तमान मंत्री महोदय ने इस हाल्ट स्टेशन को फ्लेग स्टेशन बनाने का वायदा किया था। उसके बाद भी अनौपचारिक सलाहकार समिति में, जब मंत्री महोदय उपस्थित नहीं थे, लेकिन रेल राज्य मंत्री उपस्थित थे, बाद में इस पर सहमति दी गई तथा तदानुसार अधिकारियों को बताया। मैं विशेष रूप से रेल मंत्री को यह कहना चाहती हूं कि जब तक वह पुराने तरीकों को छोड़ कर नए तरीके अपनाकर गतिशीलता नहीं लावे, इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हाल्ट स्टेशन होने के नाते, दोनों ओर से स्टेशन से अधिकांश सब्जियां बुक कराई जाती है। जब तक इसे फ्लेग स्टेशन नहीं बनाया जाता तब तक यह आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होगा क्योंकि सब्जियां आदि हाल्ट स्टेशन से बुक नहीं कराई जा सकती। हर समय उल्टी बात कही जा रही है कि यह काम नहीं हो सकता। यहां तक कि कल भी रेलवे बोर्ड ने पुनः इसे करने से इन्कार किया है।

इसीलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध कर रही हूं ताकि मैं उनकी और आभारी रह सकूं। अब उन्हें अपने वायदे पूरे करने के लिए गैर परंपरागत तरीके से गतिशीलता लानी चाहिये।

तत्पश्चात रेल फाटक का प्रश्न है। खिराई रेलवे स्टेशन पर रेलवे का एक फाटक है। लेकिन जब तक दूसरे स्थान पर रेलवे का फाटक नहीं बनाया जाता, तब तक राजमार्ग के दोनों हिस्से जुड़ नहीं सकेंगे। वह राजमार्ग मेरे निर्वाचन क्षेत्र को जाता है, वहां की यातायात व्यवस्था बहुत खराब है, आप वह रेल फाटक बनायें और दोनों हिस्सों को जोड़िये।

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

राज्य सरकार ने अन्ततः उस सड़क का निर्माण कर दिया है लेकिन रेल फाटक के न होने से इसका कोई लाभ नहीं हुआ है।

अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि वह इस खाई को पाटें। मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में भी वह सक्रियता दिखायेंगे।

इन शब्दों के साथ, रेलवे बजट की आलोचना न करते हुए, मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं यद्यपि मुझे इसकी आलोचना करनी चाहिये क्योंकि मुझे कई बातें कहनी हैं। मैंने उनके बारे में नहीं कहा क्योंकि मैं बहुत उत्सुक हूं कि इन दो छोटी बातों की यथाशीघ्र मंजूरी दी जाए। मुझे विश्वास है कि यह बातें फिर नहीं दोहरानी पड़ेंगी। जब तक वह अधिकारियों को नहीं बुलाते और उन्हें कुछ नहीं बताते, यह काम कभी नहीं होगा।

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : सभापति महोदया, मुझे कुछ मिनट बोलने का अवसर देने के लिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

मैं न, केवल रेल मंत्री द्वारा, सभा में पेश किये गये बजट का समर्थन करने, बल्कि रेल मन्त्री महोदय को हार्दिक बधाई देने तथा अपनी प्रिय प्रधान मन्त्री के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

उन्होंने तलचर सम्बलपुर रेल लाइन की मंजूरी दी और बजट प्रबन्धलनों में इसके लिए राशि का प्रावधान रखा है जिससे राज्य के लोगों की बहुत पुरानी मांग पूरी होगी जिसके लिये उड़ीसा के हम सभी संसद-सदस्य और राज्य सरकार केन्द्र सरकार से बार-बार इस बारे में अनुरोध करते रहे हैं। वास्तव में, मैं माननीय रेल मंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसमें काफी दिलचस्पी ली और इस लाइन की मंजूरी दी और इस कार्य के लिए राशि मंजूर की। महोदया, आपको जानकर खुशी होगी कि तलचर-सम्बलपुर रेल लाइन के चालू होने से, राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से सम्बलपुर पहुंचने में केवल 4-5 घण्टे का समय लगेगा, जबकि इस समय रेल द्वारा 24 घन्टे से अधिक का समय लगता है और सड़क द्वारा 12 से अधिक का समय लगता है।

यह बहुत ही अच्छा और संतुलित बजट है। ट्रैफिक राजस्व में लगातार हो रही कमी और दामों में लगातार वृद्धि के हालातों में केवल वर्तमान रेल मंत्री ही इस प्रकार का अच्छा और संतुलित बजट पेश कर सकते हैं।

हम सभी उनके ऊपर दबाव डालते रहते हैं कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ विकास कार्य हो लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि धनराशि की कमी के कारण रेलवे हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती। इसका मुख्यः कारण है दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुल आवंटन में रेलवे का भाग-22 प्रतिशत था जो कि घटकर छठी योजना में 5 प्रतिशत रह

गया है । इसलिए, मैं योजना आयोग से अनुरोध करता हूं कि आबंटन के समय को उचित महत्व दें, क्योंकि यह देश का सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम है और सारे विश्व में एक ही प्रबन्ध के अधीन दूसरे नम्बर पर है ।

छठी योजना के आरम्भ में करीब 13,000 कि० मी० रेल पटरियों का नवीकरण किया जाना था और छठी योजना के दौरान करीब 15,000 कि० मी० रेल पटरियों के नवीकरण की आवश्यकता थी। लेकिन संसाधनों की कमी के कारण रेलवे द्वारा केवल 9,000 कि० मी० रेल पटरियों का ही नवींकरण किया जा सका और करीब 19,000 कि० मी० रेल-पटरियों को नवींकरण नहीं किया जा सका, जिसके कारण गम्भीर दुर्घटनाओं की सम्भावना बनी रहती है ।

शायद आप जानते होंगे और हम भी जानते हैं कि मजबूर होकर रेलवे को हाल ही में कुछ मेल और एक्सप्रेस रेलों की गति को कम करना पड़ा, क्योंकि रेल पटरियों की हालत खराब थी और यह अधिक गति को सहन नहीं कर सकती थी जबकि हम सभी हमारे देश, जैसे विकाशसील देश में यात्रियों की सुख-सुविधाओं के प्रति चिन्तित हैं, जो कि अवश्य भी हैं। हमें समस्या के इस पत्र की ओर सही ध्यान देना चाहिए और योजना आयोग पर रेल पटरियों के नवींकरण के लिये आवश्यक धन आबंटन के लिए दबाव डालना चाहिए ।

16.58

[उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।]

सांतवी योजना बनाते समय रेल-क्षेत्र को प्राथमिकता देनी चाहिए । जब हमारे पास वित्त की कमी है, हमें रेलवे में डीजल और बिजली से चलने वालों इंजनों का प्रयोग करके, ईधन की लागत कम करनी चाहिए। हम जानते हैं कि जब आप से चलने वाले इंजनों पर 12 रु० लागत आती है तो डीजल पर केवल 6 रु० ही लागत आती है । इसी प्रकार बिजली से चलने वाले इंजनों पर केवल 3 रुपये ही लागत आती है अर्थात आपसे चलने वाले इंजन की लागत की तुलना में पे ही लागत आती है। इसलिए हमें रेल खर्च कम करने के लिए विद्युतिकरण और डीजली करणा को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस मामले में भी स्त्रोंतो की कमी के कारण हमारी प्रगति में बाधा पड़ रही है। इसलिए मैं योजना आयोग से अनुरोध करूंगा कि वे इस ओर उचित ध्यान दें । इस संदर्भ में, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान खड़गपुर से वाल्तेयर बरास्ता खुर्द रोड रेल लाइन का विद्युतिकरण किये जाने की ओर दिलाता हूं । ये लाइन एक बहुत ही व्यस्त लाइन है और तीन डिवीजनों, जैसे खड़गपुर खुर्द और वाल्तेयर से होकर गुजरेगी ।

मैं माननीय मंत्री का सुरक्षा, और समयनिष्ठता बनाये रखने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं ।

[श्री चिन्तामणि जैना]

मंत्री महोदय को इसके लिये बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने यह उद्देश्य प्राप्त किया। दिसम्बर 1983 तक पिछली इसी अवधि की तुलना में दुर्घटनाओं में 8.2 प्रतिशत की कमी आई है। और रेल समय पर चली हैं, हालाकि यह कार्य पूरी तरह तसल्लीबक्श नहीं है। कई दफा डिवीजन स्तर पर विभिन्न नियंत्रण कक्षों में जारी किये गये गलत निदेशों की वजह से रेलों में देरी होती है और कई मामलों में यह देरी डीजल इंजन में खराबी होने की वजह से होती है।

17.00

यह पता लगाया गया है रेलवे के पास कम संख्या में डीजल इंजनने हो की वजह से, इन्हीं इंजनों के बार-बार प्रयोग से इनमें कई एक यान्त्रिक खराबियां और इंजन फेल होने की घटनाएं हो जाती है, जिससे इन इंजनों की मरम्मत या अच्छी तरह से जांच करने का कार्य नहीं हो पाता।

इसलिए मैं माननीय मंत्री का ध्यान समस्या के इस पहलू की ओर दिलाना चाहता हूं, और उन्हें अधिक डीजल इंजनों को प्राप्त करने के कर्य को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि माननीय मंत्री महोदय की रेलों को समय पर चलाने की इच्छा पूरी हो सके। छोटी लाइनों और मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदले जाने के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसमें नई लाइनें बनाने की अपेक्षा कम खर्च आयेगा। विशेषकर उस समय, जबकि हमारे पास धन की कमी है।

इस सन्दर्भ में, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र में दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत एक छोटी रेलवे लाइन रूपसा-बानगिरि पोशी रेल लाइन, की ओर दिलाना चाहता हूं। इस लाइन का निर्माण करीब 100 वर्ष पूर्व किया गया था और इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का तकनीकी आर्थिक सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है और इसे लाभप्रद पाया गया है। इसी बीच, भारत सरकार द्वारा दो जिलों बालासोर मयूरभंज, जोकि इस लाइन से जुड़े हुए हैं को 'बिना उद्योग' वाले जिलें घोषित घोषित कर दिया गया है। इसलिए सरकारी और निजी क्षेत्र में कई एक बड़े और मध्यम उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं। इसलिए इस रेल लाइन को बदलने से रेलवे को काफी लाभ होगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह व्यक्तिगत रूप से इस मामले पर ध्यान दें।

सभी प्रथम श्रेणी डिब्बों को वातानुकूलित टू-टायर डिब्बों में बदलने का प्रस्ताव वास्तव में सराहनीय है। चूंकि अधिक यात्रियों को जगह दी जा सकेगी इसलिए रेलवे को अधिक आमदनी होगी। इस प्रस्ताव को शीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

प्लेट-फार्म टिकट की दर 50 पैसे से बढ़ाकर एक रुपया करने के प्रस्ताव पर पुनः विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे आम जनता पर असर पड़ेगा। दूसरी ओर मैं सुझाव देना चाहूंगा कि उच्च श्रेणी की टिकटों की दरों में वृद्धि की जानी चाहिए।

मैं सुझाव देना चाहूंगा कि उच्च श्रेणी की टिकटों की दरों में वृद्धि से प्लेट फार्म टिकटों की दर में कमी को पूरा किया जा सकता है।

रेलवे में निजी जल-पान व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए और जलपान सेवाओं की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रेलों में एक अलग निगम बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाना चाहिए और इसे शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

कई वर्षों से रेलवे में दो लाख से अधिक नैमित्तिक मजदूर कार्य कर रहे हैं। कई पत्रों से कई बार उनके समर्थन में कहा गया, लेकिन उनकी सेवाएं स्थायी नहीं की गई हैं। मैं माननीय रेल मंत्री से नम्र निवेदन करता हूं कि रेल नैमित्तिक मजदूरों को स्थायी किया जाए।

इसके अतिरिक्त रेल कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की जो किस्ते अभी तक नहीं दी गई हैं, वे शीघ्र ही दी जानी चाहिए।

अपने निर्वाचन क्षेत्र की कुछ आवश्यकताओं के प्रति मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। राजघाट और नावगांव, मयूरगंज सड़क यात्री हाल्टों को नियमित फ्लैग स्टेशनों में बदला जाना चाहिए ?

इसके लिए मैं मंत्रालय और रेलवे बोर्ड से बार-बार अनुरोध करता आ रहा हूं।

इसी प्रकार बालासोर और हल्दी पाड़ा रेलवे स्टेशनों के बीच टिकरापाल पर प्रस्तावित यात्री-हाल्ट शोघ्र ही बनाया जाना चाहिए। इसकी मंजूरी पहले ही दे दी जा चुकी है। वह के निवासियों ने रेलवे स्टेशन के निर्माण के लिए श्रमदान देने की इच्छा जाहिर की है, उसका शीघ्र निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि यह यात्री-हाल्ट 1 अप्रैल, 1984 से कार्य करना आरम्भ कर दें।

वर्तमान सरकार ने 175 और 176 नीलाचल एक्सप्रेस गाड़ियां प्रारम्भ की थी, जिसके लिए हम उड़ीसावासी रेलवे प्राधिकारियों के प्रति अत्यन्त आभारी हैं। हमारे बार-बार अनुरोध करने पर भी यह रेल रोजाना नहीं चल रही है और पिछले तीन वर्षों से सप्ताह में तीन दफा ही चल रही है। इस रेल की बढ़ती हुई मांग के कारण इसे हर रोज चलाया जाना चाहिए और नई दिल्ली और पुरी से इसके चलने का समय प्रातः सात बजे होना चाहिए।

उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से बम्बई तक एक भाग चलने वाली कोनार्क एक्सप्रेस के साथ उच्च श्रेणी के डिब्बे और खाने का डिब्बा लगाया जाना चाहिए। इसके अभाव में यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है। कम से कम एक प्रथम श्रेणी और एक वातानुकूलित 2-टायर शयनागार और खाने का डिब्बा (पेन्ट्री-कार) इस रेल के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक ओर, रेल में लिए दो साधारण डिब्बे लगाये हैं जोकि अधिकतर खाली रहते हैं, दूसरी ओर सैकड़ो यात्रियों के नाम भुवनेश्वर में प्रतिक्षा-सूची में रहते हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री अनुरोध करूंगा कि वे आदेश जारी करें ताकि इन दो डिब्बों

[श्री चिन्तामणि जैना]

को द्वितीय श्रेणी वह 3-टायर शयनागारों में परिवर्तित किया जा सके, जिससे इन स्थानों को भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर कम से कम 150 लोगों को स्थान मिल सकें। रेलवे लाइनों की 113 लम्बाई उड़ीसा राज्य में है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि केवल एक रेलवे डिवीजन का कार्यालय उड़ीसा में खुर्दा में है। उड़ीसा राज्य के लोग, वहां के संसद सदस्य और राज्य सरकार रेल मंत्रालय से अनुरोध करते रहे हैं कि सम्भलपुर, पश्चिम उड़ीसा के लिये सम्भलपुर में एक अलग डिवीजन बनाया जाये। इसको उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

श्रीमती गुरब्रिन्दर कौर ब्रार (फरीदकोट) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से अपने रेल मिनिस्टर को मुबारकबाद देते हुए धन्यवाद भी देती हूं कि उन्होंने एक बैलेंस्ड बजट इस सदन के सामने पेश किया। हमारी सरकार की जो ऐन्टी इंफलेशनरी पालिसी है, उसी के आधार पर यह बजट बनाया गया लगता है। दंडवते जी ने इस बजट को अनइमैजिनेटिव और कलरलेस बजट कहा है। हो सकता है उनको कोई कलर नजर न आता हो। लेबरल चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इस बजट की सराहना की है। यदि हम देखें तो हमारी रेलवेज की लाइफ-लाइन है इसलिए इनको महफूज और मजबूत करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। हमारे मन्त्री जी ने जो नया स्लोगन दिया है—सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड पंक्चुअलिटी, उससे पता चलता है कि सही मायनों में किस ढंग से आप रेलवेज को चलाना चाहते हैं।

सिक्स्थ फाईव ईयर प्लान में रेलवेज के लिए 5,100 करोड़ रखे गए और चार सालों में 4943·83 करोड़ इन्वेस्ट किए गए। जो मिडटर्म एप्रेजल हुआ, उसमें प्लानिंग कमीशन ने महसूस किया कि रेलवेज को कुछ और मिलना चाहिए। 1984-85 के लिए जो 1650 करोड़ सैट किए गए वह अगर न भी पूरे हो पायें, तो 1442 करोड़ के मुताबिक काम चलेगा। इस तरह से प्लान का टोटल आउटले 6593·87 करोड़ होता है।

मिनिस्टर साहब ने इस बजट में फेयर और फ्रेट चार्जेज में कुछ चेंजेज किए हैं। फ्रेट में जो किया है उससे काफी लोगों को राहत भी हुई है। मैं हर आइटम यहां पर गिनाना नहीं चाहती क्योंकि टाइम नहीं है लेकिन फ्रेट में 10 करोड़ ज्यादा आमदनी होगी और करीब 100 करोड़ फेयर चार्जेज से आमदनी होगी।

सिक्स्थ प्लान के लिए कहा जाता है कि यह रिहैबिलिटेशन प्लान है। मेरी आपसे दर्खास्त है कि जो ओवरएजेड ट्रैक्स हैं या जो रोलिंग स्टाक और सिगनलिंग इक्वीपमेन्ट है, उसको ठीक किया जाए और इसके लिए तेजी के साथ काम होना चाहिए। आपकी बात भी सही है कि पैसा कितना मिलता है और डिमाण्ड कितनी। यह आपकी और हमारी सभी की सबसे बड़ी प्राब्लम है।

डागा जी ने आपकी बड़ी तारीफ की और कहा कि आप ही अकेले ऐसे रेलवे मिनिस्टर हैं जिन्होंने 100 न्यू ट्रेन्स चलाई हैं। आपने 12 लांग डिस्टेंस ट्रेन्स को बढ़ाया है और 72 ट्रेन्स

को डीजलाइज किया है—यह बहुत सराहनीय है । आपने पैसेंजर्स के लिए बुकिंग तथा रिजर्वेशन की फैसिलिटीज को बढ़ाया है और कई प्लेसेज पर तो आपने राउन्ड दि क्लास बुकिंग कम रिजर्वेशन फैसिलिटीज की व्यवस्था की है। आपने कहा है :

"नई दिल्ली में दूसरे दर्जे के यात्रियों के लिए एक आधुनिक केन्द्रीयकृत आरक्षण कार्यालय भी स्थापित किया गया है ।" यह आपने बड़ा ही अच्छा किया । अक्सर किसी बात की परेशानी होती है तो वहां पर रुकने से वह ठीक हो जाती है ।

आपके कैटरिंग के लिए भी कहा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि केटरिंग में आपने जो आफिसर रखे हैं उसमें लेडी आफिसर्स ज्यादा तवज्जह दे सकेंगी । केटरिंग की देख-भाल के लिए आप जो केटरिंग कार्पोरेशन बनाने की बात सोच रहे हैं वह भी सराहनीय है। आपने कहा है :

> "नई दिल्ली में एक केन्द्रीयकृत कैटरिंग संगठन की स्थापना एक पाइलट योजना के रूप में की जाएगी । प्रारम्भ में यह 14 महत्वपूर्ण मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों तथा 7 बेस किचन के कार्यों की देखभाल करेगा । इस संगठन की उपलब्धियों को देखकर हमारा इरादा इसका विस्तार करने का है ।"

आपकी जो तवज्जह पंक्चुअलिटी की तरफ है वह बहुत जरूरी है ।

समय कम होने की वजह से पहले मैं अपने स्टेट की बात कहना चाहती हूं । पंजाब में फाजिल्का क्षेत्र की लाइन मीटर गेज है। इसका आपने सर्वे नहीं कराना है, सिर्फ आपको ब्राड गेज करना है । यह मांग पिछले चार सालों से चली आ रही है, यदि आप इस लाइन को मीटर गेज से ब्राड गेज में तबदील कर दें ।

कोटकपुरा जो कि मेरी कान्स्टीचूयेंसी फरीदकोट में है, यहां पर ओवर ब्रिज बनाने की बात भी बहुत पुरानी है । इसके लिए पंजाब को अपना शेयर देना था, लेकिन अब तो वहां राष्ट्रपतिशासन है। यह एक सुनहरी मौका है, यदि आप इसको शुरू कर दें। मुझे उम्मीद है आप कर भी देंगे । चंडीगढ़ लुधियाना को कनैक्ट करना बहुत ही जरूरी है । लुधियाना चंडीगढ़ अम्बाला होते हुए यदि जगादरी तक एक ट्रेन दे दें तो इससे हरियाणा को भी फायदा होगा, पंजाब और हिमाचल को भी फायदा होगा । जालन्धर और चंडीगढ़ को फोकल प्वाइंट बना दिया जाए, तो इससे तीनों राज्य नजदीक आ जायेंगे ।

एक बात मैं सेफ्टी के बारे में कहना चाहती हूं । आपने एक्सीडेंट के आंकड़े दिए हैं—1980-81 में 797, 1982-83 में 729, और 1983-84 में 679 एक्सीडेंट हुए हैं, जो पिछले सालों की अपेक्षा कम हैं। दूसरी बात आपने यह भी कही है कि इसमें ह्यूमन फैक्टर भी इन्वाल्व है, जिससे एक्सीडेंट्स होते हैं। पंजाब और हरियाणा में लॉ एंड आर्डर की स्थिति को देखते हुए भी एक्सीडेंट होते हैं । पंजाब में आपने बड़ा अच्छा काम किया है कि आपने ट्रैक्स बड़ी अच्छी तरह से देखे हैं। बहादुर गढ़ में जो घटना हुई, वह बहुत ही अफसोसजनक घटना है । पंजाब मेल जो कि फिरोजपुर से बम्बई को जाती है, वह दुर्घटना की चपेट में आई । पता

[श्रीमती गुरब्रिन्दर कौर ब्रार]

नहीं इसमें स्टेशन मास्टर की गलती है या ड्राइवर की गलती है, तीन बोगीज क्रेश हो गई और 47 पैसेंजर्स मारे गए और दो सौ से ज्यादा जखमी हो गए। इसलिए मैं चाहती हूं कि मार्डन डिवाइस लगाई जाए ताकि आटोमेटिक चेकअप हो सके और इस किस्म के एक्सीडेंट न हों।

एक आखिरी प्वाइंट मैं पब्लिक अंडरटेकिंग्स के बारे में कहना चाहती हूं। रेल इंडिया टेक्नीकल एंड इकनामिक सर्विस लि० और इंडियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन कंपनी बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। राइट्स ने 4.5 करोड़ रु० अर्जित किया और इरकान ने 8.16 करोड़ रुपया अर्जित किया। यह मेरी दृष्टि में बहुत ही कमेंडेबिल काम किया है।

आपकी इस कम्पनी ने अमरीका, मिडिल-ईस्ट, साउथ-ईस्ट-एशिया में बहुत से कान्ट्रैक्ट लिये हैं। सूडान, वियतनाम, अलजीरिया में नये कान्ट्रैक्ट्स हासिल किये हैं। जिम्बाबवे और अलजीरिया में आपके पास जो कान्ट्रैक्ट्स थे, वे फरदर एक्सटेण्ड हुए हैं। मैं यह जानना चाहती हूं -ईरान-ईराक वार में आपको कोई नुकसान हुआ है या नहीं ? मैं चाहती हूं कि अपने जवाब में आप इसके बारे में बतलायें।

"इरकान" का 1982-83 में टर्न-ओवर 112.50 करोड़ रुपये का रहा है, जब कि टारगेट 80 करोड़ का था। आपको 8.16 करोड़ का प्राफिट हुआ है, यह बहुत अच्छी बात है।

आपने ब्लाइण्ड लोगों को जो सुविधा दी है—यह बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको हैण्डीकैप्स को भी दिया जाय। हैण्डीकैप्स तक इसको एक्सटेण्ड करने से उनमें ब्लाइण्डस भी आ जायेंगे और लंगड़े-लूले और दूसरे सब तरह के हैण्डीकैप्स को फायदा हो जायगा।

आपके रेलवे एम्पलाइज बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अगर उनके लिये हाउसिंग कालोनीज बनाई जाएं। इसमें कोई शक नहीं है आपने 6 हजार के लगभग हाउसेज उनके लिए बनाये हैं, लेकिन ये काफी नहीं हैं, और ज्यादा मकान बनाये जाने की जरूरत है। इसी तरह से अस्पताल और हैल्थ यूनिट्स बड़े-बड़े शहरों में बने हुए हैं, मैं चाहती हूं कि इनको छोटे शहरों में भी बनाया जाय।

मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूं।

***श्री हरिहर सोरन** (क्योंझर) : मैं वर्ष 1984-85 के रेल बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। प्रारम्भ में मैं इस अवसर पर हमारी प्रिय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का उड़ीसा में तलचर और सम्भलपुर के बीच एक लाइन स्वीकृत करने के लिये हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैंने इस मामले को सभा में कई बार उठाया था। उड़ीसा के मेरे अन्य मित्रों ने भी इस मामले को प्रश्न के रूप में अथवा नियम 377 के अधीन अथवा रेल बजट

* उड़िया में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

भाषण पर चर्चा के दौरान कई बार उठाया था। मैं वास्तव में अत्यन्त प्रसन्न हूं कि 1984-85 में इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। इस रेल मार्ग के लिए स्वीकृति देने हेतु माननीय रेल मंत्री का भी धन्यवाद करता हूं। रेलवे हमारे देश में सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम है। यह देश का प्राणाधार है। अत: रेलवे की सुरक्षा, और समय पाबन्दी बनाए रखने के लिए सभी सम्भव प्रयास किये जाने चाहिए। यह अत्यन्त खेद का विषय है कि रेलवे सम्पत्ति की चोरी की जाती है और उसे नुकसान पहुंचाया जाता है। कुछ असामाजिक तत्व यात्री, एक्सप्रेस और मेल गाड़ियों से बिजली के बल्ब तथा अन्य सामान उतार कर ले जाते हैं। इससे यात्रियों को विशेष रूप से लम्बी दूरी की गाड़ियों के यात्रियों को अत्यधिक कठिनाई होती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से इन बातों के प्रति सतर्कता बरतने का अनुरोध करता हूं।

यात्रियों की सुरक्षित यात्रा की ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। कभी-कभी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फिश प्लेटें हटा ली जाती हैं इससे गाड़ियों की दुर्घटना होती है।

यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है कि 1983-84 में दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाएं।

यदि गाड़ियों के ठीक समय के चलने के बारे में मैं कुछ नहीं कहता तो मैं अपने कर्त्तव्य को पूरा नहीं करता। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ गाड़ियां अपने निर्धारित स्थानों पर कई घंटे विलम्ब से पहुंचती हैं। नई दिल्ली और पुरी के बीच चलने वाली नीलाचल एक्सप्रेस विलम्ब से चलने वाली गाड़ियों का एक उदाहरण है। नीलाचल एक्सप्रेस का दिल्ली पहुंचने का समय 21.05 बजे है जबकि यह अक्सर 24.00 बजे पहुंचती है। पहली बार दिल्ली आने वाले यात्रियों को अन्य सवारी वाहन पकड़ने में कठिनाई होती है। बेईमान टैक्सा और स्कूटर ड्राइवर रात के यात्रियों को परेशान करते हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे हर हालत में प्रत्येक गाड़ी को ठीक समय पर चलाएं। उड़ीसा अविकसित राज्य है। रेल संचार में यह और भी अधिक पिछड़ा हुआ है। यहां लौह अयास्क, बाक्साइट, क्रोमाइट, मैंगनीज और कोयले जैसे खजिज पदार्थ विपुल मात्रा में उपलब्ध हैं। मैं खनिज जिला क्योंझर से हूं जहां उच्च श्रेणी का लौह अयस्क और मैंगनीज विपुल मात्रा में उपलब्ध है। इस जिले से खनिज पदार्थों की रेलवे द्वारा ढुलाई की अत्यधिक आवश्यकता है। दातारी में इस्पात सयन्त्र स्थापित करने के प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए क्योंझर-बानपानी खण्ड पर लाइन डालना अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गया है।

इस सयन्त्र के लिए चूने के पत्थर और मैंगनीज की आवश्यकता होगी और इन्हें बांसपानी जाखपुरा खण्ड से ले जाना होगा। इस लाइन से अन्य जिन पदार्थों की ढुलाई होगी उनमें फैरोक्रोम, पिग आयरन, उर्वरक और स्पंज आयरन सम्मिलित हैं। अत: यह सभी के हित में है कि बांसपानी और दैतारी के बीच रेल सम्पर्क स्थापित किया जाए और इस काम को छठी योजना में पूरा कर लिया जाए।

[श्री हरिहर सोरन]

जाखपुरा और बांसपानी (179 किलोमीटर) के बीच रेल सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से 1974-75 में एक सर्वेक्षण किया गया था। इस रेल लाइन का प्रथम चरण (33 किलोमीटर) पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। दैतारी से क्योंझर तक 95 किलोमीटर की दूरी तक रेल बिछाने के दूसरे चरण को 1981-82 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि रेल निर्माण का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है। मैंने इस प्रश्न को सभा में प्रश्न के रूप में, नियम 377 के अधीन और बजट भाषण में कई बार उठाया है। मुझे खेद है कि मंत्री महोदय ने जिस ढंग से इसका उत्तर दिया उससे मुझे धक्का लगा। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि जाखपुरा और दैतारी के बीच प्रथम चरण, जिसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। लाभप्रद नहीं है, अतः दूसरे और तीसरे चरण पर रेल निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री महोदय ने किस प्रकार ऐसा उत्तर दिया।

क्योंझर और बांसपानी के बीच तृतीय चरण की अभी स्वीकृति नहीं मिली है। यह लाइन राज्य के औद्योगिक और खनिज विकास तथा पारादीप बन्दरगाह के विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस लाइन के पूरा होने की पूर्व सम्भावना में क्योंझर में कई उद्योग लगाने की योजना बनाई गई है।

इस समय बांसपानी बारबिल से लगभग 1 से 2 मीट्रिक टन तक लौह अयस्क निर्यात के लिए पारादीप बन्दरगाह पर ले जाया जाता है। यह ढुलाई टाटानगर और खड़कपुर के वृत्ताकार मार्ग से होती है और इस लाइन के निर्माण से बांसपानी और पारादीप के बीच 332 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। जब इस मार्ग पर यातायात चलने लगेगा तो एम० एम० टी० सी० की योजना निर्यात की वचनबद्धता पूरी करने के लिए पारादीप बन्दरगाह के लिए बांसपानी से ढुलाई 2 मीट्रिक टन से 4 मीट्रिक टन तक बढ़ाने की है। अतः जब तक सारी लाइन का निर्माण नहीं हो जाता इतनी अधिक मात्रा में लौह अयस्क की राजखरसुआन, टाटानगर, खड़गपुर के मार्ग से पारादीप तक ढुलाई रेलवे प्रणाली पर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाएगी और यातायात के लिए एक गम्भीर समस्या बन जाएगी। इस लाइन का निर्माण हो जाने के पश्चात पारादीप तक सीधा यातायात हो जाएगा जिससे 20 रुपये प्रति मीट्रिक टन की बचत होगी और एम० एम० टी० सी० को ढुलाई लागत में 10 करोड़ रुपये का लाभ होगा। इससे रेलवे की मुख्य लाइन पर दबाव कम होगा और कम वैगनों और इन्जनों की सहायता से और अधिक मात्रा में लौह अयस्क पारादीप बन्दरगाह तक ले जाया जा सकेगा क्योंकि इस खण्ड का विराम काल दूरी में कमी को देखते हुए कम होना चाहिए। परियोजना का राज्य और देश को लाभ देखते हुए बांसपानी, जाखपुरा और क्योंझर-बांसपानी के तृतीय चरण को तत्काल स्वीकृति दी जानी चाहिये।

एक शब्द किरीबुरु बारबिल रेल लाइन के बारे में। राजखरसुआन से आरम्भ होने

वाली यह लाइन सीधे बारबिल तक जाती है। एक ओर शाखा लाइन जो राऊरकेला के निकट बांडामुंडा से आरम्भ होती है सीधी किरीबुरु तक जाती है। किरीबुरु और बारसुआन के बीच दूरी 10 किलोमीटर से कम नहीं होगी। यदि इसे रेल द्वारा जोड़ दिया जाय तो तब राजखरसुआन-बारबिल-किरीबुरु-बांडामुण्डा रेल लाइन एक लूप लाइन बन जाएगी और यातायात के लिए अधिक सुविधा होगी। बारबिल, किरीबुरु बारसुआन क्षेत्र खनिजों से भरपूर है और देश के मुख्य इस्पात उद्योग इस क्षेत्र से लौह अयस्क प्राप्त करते हैं। खनिज पदार्थों से भरपूर इस वन्य क्षेत्र का आर्थिक दोहन लोगों के लिए लाभप्रद होगा।

अतः यह आवश्यक है कि बारबिल को किरीबुरु से जोड़ने के लिए सर्वेक्षण की स्वीकृति दी जाए ताकि इस रेलमार्ग की तकनीकी आर्थिक संभावनाओं का पता लगाया जा सके।

अत्यधिक प्रयासों के बाद सरकार ने टाटानगर और बारबिल के बीच एक यात्री गाड़ी चलाई है। इस गाड़ी को बोलानी तक बढ़ाने की मांग की जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस सुझाव को यथाशीघ्र क्रियान्वित करें।

उड़ीसा का क्योंझर जिला खनिज पदार्थों से भरपूर है। इस जिले के बांसयानी क्षेत्र में हजारों लोग परिवहन, ढुलाई और अन्य कार्यों में लगे हुए हैं। वे पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और देश के अन्य भागों से वहां आते हैं। परन्तु यह खेद की बात है कि बांसपानी को अभी तक यात्री अथवा एक्सप्रेस गाड़ी से नहीं जोड़ा गया है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह अमृतसर, टाटानगर एक्सप्रेस ट्रेन को बांसपानी तक बढ़ा दें। दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास जाने वाली गाड़ियों को पकड़ने की सुविधा दिए जाने के लिए कुछ यात्री गाड़ियां टाटानगर और बांसपानी के बीच चलाई जानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

***श्री ए0 जी0 सुब्बुरमण (मदुरै)** :उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1984-85 के रेलवे बजट पर कुछ शब्द कहने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं वास्तव में आपका धन्यवाद करता हूं।

इस बजट में कारूर, डिंडीगल, टूटीकोरिन बी० जी० लाइन के लिए 4 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय के प्रति आभार प्रकट करता हूं क्योंकि उन्होंने वित्तीय कठिनाइयों के होते हुए भी इस राशि का प्रावधान किया है।

परन्तु इस परियोजना में कारूर से डिंडीगल तक एक नई लाइन है, डिंडीगल से मदुरै तक यह समानान्तर लाइन है। मदुरै से मनीआची के बीच मीटर गेज लाइन को ब्राडगेज लाइन में बदलना है। मनीआची से टूटीकोरिन तक और मनीआची से तिरुनेलवली तक यह एक समानान्तर लाइन है। मैंने इसका उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि मदुरै से मनीआची तक ब्रासगेज में परिवर्तन करने से दक्षिणी जिलों से मद्रास तक यात्रा करने वाले व्यक्तियों

*तमिल में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री ए० जी० सुब्बुरमण]

को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें बहुत अधिक सफर तय करना पड़ेगा। उन्हें अत्यधिक समय नष्ट करना पड़ेगा और रास्ते में असंख्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

मैं सुझाव देता हूं कि मदुरै से मनीआची तक एक समानान्तर रेल लाइन होनी चाहिए और दक्षिणी जिलों से मद्रास तक यात्रा करने वाले लोगों को इसी से सहायता मिलेगी। मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह मदुरै से मनीआची तक एक समानान्तर लाइन बिछाने का आदेश दें।

महोदय। तमिलनाडु में मदुरै दूसरा बड़ा शहर है। यह देश में सबसे अधिक प्राचीन एवं पवित्र होने के अलावा, मदुरै, रामेश्वरम् और कन्याकुमारी जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों को भी जोड़ता है। करुर-डिंडीगुल-तूतीकोरिन बड़ी लाइन के शीघ्र पूरा होने से औद्योगिक विकास के अतिरिक्त मदुरै, कन्याकुमारी और रामेश्वरम् जाने के इच्छुक लाखों यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। अब मैं इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए अधिक धनराशि की मांग करता हूं।

मदुरै जंक्शन का नवीकरण और सुधार करने की आवश्यकता है। यात्रियों और माल यातायात की अत्यधिक भीड़ से मदुरै जंक्शन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मदुरै जंक्शन पर दबाव कम करने के लिये मैं इसके समीप के विलनगुड्डी स्टेशन के विकास का सुझाव दूंगा। वहां पर एक मार्टिलिंग यार्ड भी बनाया जाना चाहिये। मेरा यह सुझाव है कि रेलमंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये और आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये। इसी प्रकार से वागाई एक्सप्रेस में एक वातानुकूलित बैठने का डिब्बा लगाया जाना चाहिये जैसा कि कवाई मद्रास एक्सप्रेस के बारे में किया गया है। वागाई एक्सप्रेस से जोड़े जाने वाले डिब्बों की संख्या 16 से घटाकर 8 कर दी गई है क्योंकि इसमें अधिक यात्री सफर नहीं करते थे। मैं अनुरोध करूंगा कि 8 डिब्बों वाली एक एक्सप्रेस गाड़ी मदुरै से मद्रास तक तथा इसी तरह एक और 8 डिब्बों वाली गाड़ी उसी समय पर मद्रास से मदुरै तक शुरू की जा सकती है। इससे काफी हद तक या मदुरै से मद्रास तथा मद्रास से मदुरै आने जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी।

महोदय, मैं एक बात कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। मद्रास के जनरल अस्पताल के पीछे बिजली की पटरी है जिस पर पूरा दिन हर दूसरे मिनट बिजली की गाड़ियां चलती रहती हैं। इससे जनरल अस्पताल में हृदय रोगियों को अत्यधिक परेशानी होती है। जनरल अस्पताल में हृदय रोग के समय मैंने भी यह चिरस्थायी शोर महसूस किया था। इस परेशानी को दूर करने के लिये मैं सुझाव दूंगा कि मद्रास फोर्ट स्टेशन से पार्क स्टेशन तक एक प्रकार की सुरंग बनायी जानी चाहिये और मुझे विश्वास है कि यह रेलवे इंजिनियरों की प्रवीणता से बाहर नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने निर्धारित समय में अपना भाषण समाप्त कर दिया है। श्री ईरा अनाबारासु आप अपने स्थान पर बैठिये। अब मंत्री जी उत्तर देंगे। अन्य माननीय सदस्यों के नामों की संसदीय मामलों के मंत्री को सिफारिश की जाएगी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, मेरी बात सुनिये। में अनुमति नहीं दे रहा हूं। अन्य माननीय सदस्य···

(व्यवधान)

हीरालाल आर. परमार (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या टोड्यूल कास्ट के एम० पी० के अधिकारों में कुछ कमी है। तीन दिन से मैं इंतजार कर रहा हूं क्या हमें इसके लिये भीख मांगनी पड़ेगी। आप हमें बोलने का समय भी नहीं देते हैं। इस तरह से कैसे चलेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सम्भव नहीं है। आपको रेलवे की मांगों में अवसर मिलेगा। अभी कोई सम्भावना नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल मत कीजिये।

*(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईये। मैंने मंत्री जी को जवाब देने के लिये कहा है।

*(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी वह कह रहे हैं कृपया उसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित मत करिये।

*(व्यवधान)

रेलमंत्री श्री (ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : मैं वास्तव में माननीय सदस्यों का आभारी हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईये। मैंने मंत्री जी को जवाब देने के लिए कहा है।

---

* कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी वह कह रहे हैं कृपया उसे कार्यवाही में शामिल मत करिये।

*(व्यवधान)

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : 24 फरवरी 1984 को मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये रेलवे बजट पर विभिन्न दलों के सदस्यों ने मेरा लगभग सर्व सम्मति से समर्थन किया था।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल मत करिये।

*(व्यवधान)

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : मैंने कहा 'लगभग'। विपक्षी दलों के बहुत से हमारे मित्रों ने इसका समर्थन किया है।

श्री के मायातेवर (डिन्डिगल) : सिर्फ कलकत्ता के सदस्यों ने ही इसका समर्थन किया है।

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : अगर मेरे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट मित्र सहमत नहीं हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन पर सहमत होने के लिये कोई दबाव नहीं डाल रहा हूं।

चर्चा के दौरान बहुत से महत्वपूर्ण सुझाव सामने आये। में प्रत्येक पर पृथक-पृथक विचार करूंगा।

मैं इसी वक्त प्रत्येक व्यक्ति के सुझावों का उत्तर नहीं दे सकता। किन्तु मैं सदन के सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं उन्हें जवाब दूंगा। यथासमय में मैं उन्हें लिखूंगा और अगर वे मेरे पास आएं तो मैं दुबारा उनसे विचारविमर्श करूंगा।

कुछ माननीय सदस्य : क्यो नहीं ? हम आयेंगे।

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : सदन मुझसे सहमत होगा कि सदन में उठाये गये हरेक मुद्दे का जवाब देना मेरे लिये मुमकिन नहीं होगा।

अत्यन्त महत्वपूर्ण बात जो चर्चा के दौरान कही गयी है कि रेलवे के पास धन की कमी है। प्रत्येक दल के सदस्य ने एकमत से इस बात का समर्थन किया। मेरे विचार से मेरे मार्क्स-वादी कम्युनिस्ट मित्र भी इस बात से सहमत होंगे।

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : इस मुद्दे के लिये पूरी तरह सर्व सम्मति है—जब तक रेलवे के लिये योजना में आबंटन को काफी हद तक बढ़ाया नहीं जाता कोई भी अर्थपूर्ण विकास कार्य मुमकिन नहीं है।

योजना मंत्री जी भी यहीं पर बैठे हुये हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : उन्हें अपने दल की बैठकों में लड़ने दीजिये।

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : अगर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं तो पुनर्वास के कार्य को भी हानि होगी।

अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये उनके सुझाव दिये गये थे इसमें शामिल हैं—

वित्त मंत्रालय द्वारा विशेष रेलवे ऋण जारी करना।

रेलवे को बाहरी ऋण उपलब्ध करना।

रेलवे को उत्पादन तथा सीमा शुल्क में छूट दिया जाना।

भूमि संसाधनों का अर्थपूर्ण उपयोग करना।

इस रक्षित निधि में राशि खर्च करने की पूरी स्वतंत्रता रेलवे को होनी चाहिये। इसे समूचे योजनागत संसाधनों का अंग नहीं समझना चाहिये।

रेलवे सुधार समिति की सिफारिओं के अनुसार रेलों को गैर योजना अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष दी जाने वाली 260 करोड़ रुपये की रकम। सामान्य राजस्व का ऋण बट्टे खाते में समझ लिया जाये और इसी प्रकार की अन्य बातें।

ये दिलचस्प सुझाव हैं जिन पर संविधान के उपबन्धों के ढांचे की सीमा के अन्दर विभिन्न मंत्रालयों के साथ विचार किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या ये सुझाव दिलचस्प हैं अथवा तर्कसंगत ?

एक माननीय सदस्य : दोनों हैं।

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, विरोधी पक्ष के मेरे एक मित्र ने पूछा है कि क्या योजना मंत्री उच्च है और मैं निम्न हूं अथवा मैं उच्च हू और योजना मंत्री अवर हैं। ऐसी बात नहीं है। मुद्दा यह है कि सम्पूर्ण आबंटन योजना विभाग वित्त विभाग से परामर्श करके देता है। उस परिधि के अन्दर हमें कार्य करना है। ऐसी कोई बात

[श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी]

नहीं है कि एक उच्च है और एक निम्न। योजना आयोग कुल आबंटन देता है तथा उसके पश्चात हम विभिन्न शीर्षों के लिये विभिन्न आबंटन करते हैं। यह हमारा कार्य करने का तरीका है। इसका एक खास कारण है कि एक परियोजना में क्यों पैसा अधिक या कम है। इसके लिये हमने एक सिद्धांत अपनाया है अगर किसी कार्य को हम पूरा कर सकते हैं उसे अधिक धन-राशि दी जाती है। परन्तु जो कार्य जल्दी नहीं निपट सकता उसके लिए हम धनराशि देते हैं क्योंकि हमारे साधन सीमित हैं। हमें सीमित साधनों में काम करना होता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति समझता है कि मैं किसी विशेष क्षेत्र की उपेक्षा कर रहा हूं और मैं कलकत्ता को अधिक धन दे रहा हूं, तो मुझे खेद है कि बात ऐसी नहीं है। केन्द्रीय मंत्री होने के नाते मैं किसी भी हिस्से की उपेक्षा नहीं कर रहा हूं।

(व्यवधान)

कृपया मेरी बात सुनिये। मेरी आलोचना करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। केन्द्रीय मंत्री होने के नाते मेरे लिए बम्बई अथवा मद्रास अथवा कलकत्ता एक जैसे हैं। मैंने कलकत्ता को 85 करोड़ रुपये इसलिए दिये क्योंकि हम वहां भूमिगत रेलवे की स्थापना कर रहे हैं।

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : ऐसा नहीं है कि कलकत्ता को नहीं दिया जाना चाहिये किन्तु मद्रास······

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : काफी वर्षों से धन का आवंटन नहीं किया गया था। मद्रास अथवा बम्बई में विद्युत पद्धति अथवा परिक्रमा रेल सेवा या इसी तरह की कोई और सेवा विद्यमान है। कलकत्ता में शहर के अन्दर कोई भी प्रणाली नहीं है। मेरे विचार से यह कलकत्ता की तरफदारी (पक्षपात) करने का प्रश्न नहीं है। यह कलकत्ता के लिये जीवन और मृत्यु का सवाल है। कुछ समस्याओं को समझने की जरूरत है। किन्तु उसके द्वारा मैं बम्बई की उपेक्षा नहीं करना चाहता; मैं मद्रास की उपेक्षा नहीं करना चाहता।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : दिल्ली के बारे में क्या राय है ?

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : बम्बई में भूमिगत रेलवे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : निश्चित ही हम बम्बई यथा मद्रास की समस्याओं पर विचार करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम समस्या के प्रति सिर्फ मूकदर्शक हैं। केन्द्रीय मंत्री होने से मुझे इन समस्याओं पर ध्यान देना है।

मुझे विश्वास है कि सदस्यों द्वारा दिये गये अनेक सुझावों पर रेलवे अभिसमय समिति तथा रेलवे सुधार समिति विचार करेगी तथा इन विषयों में इन सुझावों पर उनकी सिफारिशों से आगे बिचार करने में हमारे हाथ मजबूत होंगे।

सदस्यों द्वारा दिए गये सुझावों में एक सुझाव यह भी है कि रेल मंत्री को योजना आयोग का सदस्य मनोनीत किया जाए तथा रेलवे के वित्तीय मामलों पर वित्त मंत्रालल और योजना आयोग के नियन्त्रण से थोड़ा मुक्त करके 1984 में आरम्भ किए गए।

पृथक्करण अभिसमय की कार्य प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जाये।

मेरे प्रतिष्ठित मित्र प्रो० मधुदंडते ने रेल-बजट पर वाद-विवाद आरम्भ करते हुए बहुत से मुद्दे उठाये तथा उन्होंने बजट को कल्पहीन और रंगहीन बताया। उन्होंने यह भी कहा कि यह जो दावा किया जा रहा है कि बजट संतुलित है यह भी मात्र एक दृष्टिभ्रम ही है। मुझे अफसोस है कि इस बात पर मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

प्रो० मधुदंडवते : यह भी एक दृष्टि भ्रम है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : यदि बाद के वाद-विवाद के दौरान विभिन्न सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गए विचारों को यदि उन्होंने सुना होता तो उन्होंने अवश्य यह अनुभव किया होता कि सभा के लगभग सभी वर्गों द्वारा बजट का कैसे स्वागत किया गया है।

मैंने कोई भ्रम नहीं पैदा किया है वरन् मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मैंने बजट को संतुलित करने के लिए आस्थगित लाभांश देयताओं के लिए 70 करोड़ रु० का प्रावधान कर रहा हूं। मैं कोई लेखा सम्बन्धी बाजीगरी नहीं करता हूं और न ही झूठे लेखे तैयार करने का काम करता हूं।

उसके पश्चात, प्रो० मधु दंडवते ने निवेश सम्बन्धी असंतुलन की शिकायत की है यदि वह बजट प्रलेखों का पूरी तरह से अध्ययन करें तो उन्हें पता चलेगा कि परिसम्पत्तियों के पुनःस्थापन और नई परिसम्पतियों के निर्माण के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। पुराने इन्जनों तथा डिब्बों, ई एम यू डिब्बों, बैगनों आदि को बदलने की व्यवस्था भी की गई है। पटरियों के नवीकरण का भी पर्याप्त प्रबन्ध किया गया है। साथ-साथ ही कुछ नई लाइनें भी बिछाने का प्रस्ताव है। विद्युतीकरण में भी प्रगति हो रही है।

यह सब कार्य उपलब्ध संसाधनों के भीतर ही किया गया है क्योंकि यदि हमारे संसाधन इस बात की अनुमति नहीं देते तो हम किसी परियोजना को शुरू नहीं कर सकते हैं। मेरे कहने का यही अभिप्राय: है कि हमें सब कुछ उपलब्ध संसाधनों की सीमा में ही किया है। यदि हमारे पास और अधिक साधन होते तो हम और भी अधिक कर सकते थे।

वाद-विवाद के दौरान उठाए गए मुद्दों का उत्तर देते समय मैं इस वर्ष के बजट की तुलना पिछले वर्षों के बजट से करके कोई वाहवाही लूटना नहीं चाहता हूं। फिर भी मैं बजट बनाते समय वास्तविकता की जो भूमिका रही उसे उजागर करने के लिए कुछ बातें कहना चाहता हूं।

[श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी]

पहली बात में यह कहना चाहता हूं कि मूल्य ह्रास आरक्षी निधि में अंशदान 850 करोड़ रुपये रखा गया है जो 1980-81 में 220 करोड़ था। मैंने उसे बढ़ाया है, उसे कम नहीं किया है। क्रमिक रूप से, इस निधि का अंशदान बढ़ा ही है— 1981-82 में 350 करोड़ रुपये थी जो 1982-83 में 556 करोड़ रुपये और 1983-84 में बढ़कर 850 करोड़ रुपये हो गया है। यदि रेलवे पुरानी प्रथा का अनुसरण करता तो वह पुरानी स्थिति पर लौट सकता था और एक काल्पनिक अधिशेष पैदा कर सकता था।

इस सरकार ने इस सुगम विधि को नहीं अपनाया।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : आपके पूर्ववर्त्तियों पर यह एक प्रकार का आरोप लगाना है। आप कह रहे हैं कि आपके पूर्ववर्त्तियों ने यह सब बातें की थीं।

श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी : 1978-79 में राजस्व अर्जित करने वाला यातायात 210.8 मिलियन टन से घटकर 199.6 मिलियन टन रह गया था और 1979-80 में यह 193.1 मिलियन टन रह गया था।

यहां तक कि वित्तीय मोर्चे पर भी, खराब कार्य निष्पादन का प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ा था। 1977-78 में 126.23 करोड़ रुपये का अधिशेष था, जो 1978-79 में घटकर 36.66 करोड़ रुपये रह गया और 1979-80 में 66.24 करोड़ रुपये के घाटे में बदल गया। खैर, यह बात अधिक प्रासंगिक नहीं है।

हम चाहते हैं कि सभी क्षेत्रों में रेलवे अच्छे कार्य निष्पादन का प्रदर्शन करे। हम एक वर्ष की अल्पावधि में ही चीजों को सही क्रम में ले आए। 1981-82 में यह यातायात बढ़ कर 221.2 मिलियन टन हो गया। 1982-83 में और अधिक बढ़कर 228.78 मिलियन टन हो गया और अनुमान है कि यह बढ़कर 230 मिलियन टन हो जायेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मंत्री महोदय, 280 मिलियन टन तक बढ़ने की आशा है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : 230 मिलियन टन।

एक माननीय सदस्य : आंकड़ों की परवाह मत कीजिये।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : 1983-84 में, यह अनुमान लगाया गया कि यह बढ़कर 245 मिलियन टन हो जायेगा।

245 मिलियन टन के हमारे वर्तमान लक्ष्य पर प्रो० दंडवते ने अपना संदेह व्यक्त किया है। मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि रेलवे इसके लिये पूरी तरह तैयार है—किन्तु वहां एक बड़ा 'यदि' भी है— और यदि प्रमुख क्षेत्र ने हमारा साथ दिया यानी यदि हमें पूर्वानुमानित यातायात मिलता है, जिसका पूर्वानुमान हमने योजना आयोग के लोगों के

परामर्श से लगाया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि रेलवे अपने कार्य को चुस्ती के साथ करने में पूरी तरह समर्थ होगा। हम इतना अधिक यातायात ले जाने में समर्थ होंगे।

(व्यवधान)

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : अधिकतर पूर्वानुमानित प्रस्ताव प्रमुख क्षेत्र से आते हैं। यदि प्रमुख क्षेत्र अपना अपेक्षित योगदान करने में विफल रहता है, तो निस्संदेह इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आशंका है किन्तु यदि प्रमुख क्षेत्र विफल नहीं होता है तो इसकी कोई आशंका नहीं है कि रेलवे राजस्व कमाने वाले इस यातायात को ले जाने में समर्थ नहीं होगा गैर सरकारी क्षेत्र का यातायात प्रमुख क्षेत्र के यातायात की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता है। इस बार मैंने अपने बजट भाषण में इन मामलों में प्रयोक्ताओं को कारण स्पष्ट किये हैं।

जहां तक आरक्षण की समस्याओं का सम्बन्ध है, जैसा कि मैं पहले ही सभा को सूचित कर चुका हूं, हम दिल्ली, नई दिल्ली क्षेत्र में प्रायोगिक योजना के रूप में आरक्षण करने के लिये संगणकों का प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयोग से मिले अनुभवों के आधार पर अन्य क्षेत्रों में भी हम आरक्षण के लिये संगणकों का ही उपयोग करेंगे।

वाद-विवाद के दौरान सवारी डिब्बों की कमी का मुद्दा भी उठाया गया था। मैं सदस्यों को सूचित करूंगा कि मैंने क्षमता-उत्पादन तथा पैराम्बूर में इन्टेग्रल कोच फैक्टरी की क्षमता प्रतिवर्ष 1000 डिब्बों को निर्माण की करने के लिये उसके आधुनिकीकरण के लिये एक योजना सम्मिलित की है। निस्संदेह यह एक अन्तरिम समाधान है। दीर्घकालीन उपाय के रूप में हमें दूसरी कोच फैक्टरी की स्थापना शीघ्र ही करनी होगी। इसके लिये हम 'आर आई टी इ एस' से परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

बहुत से माननीय सदस्य रेलवे का विस्तार चाहते हैं। उनकी ये बहुत स्वाभाविक और उचित मांगें हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विकास में जो असन्तुलन है वह दूर होना चाहिये और लोगों को अपने क्षेत्रों के विकास के बारे में सोचना चाहिये। दुर्भाग्यवश, क्योंकि धनाभाव के कारण हम सभी सदस्यों की मांगें पूरी करने में समर्थ नहीं रहे है।

मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि यह करना सम्भव नहीं हुआ। रेलवे का विस्तार तथा रेलवे के विस्तार के लिये पर्याप्त विधि प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे बन गये हैं। अंतिम विश्लेषण में, यह विस्तार या तो बजट में अधिक धनराशि की व्यवस्था कर अथवा इन उद्देश्यों के अन्य संसाधनों से पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करके ही हो सकता है। यह बात योजना आयोग और वित्त मंत्रालय को समझनी होगी। अन्यथा मुझे डर है कि उन बहुत से वर्गों में, जो अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सोचते हैं, रोष उत्पन्न हो जायेगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास ने राजस्थान में एक नया जोन बनाये जाने के लिए कहा है। प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर ने चाहा है कि उत्तरी रेलवे का द्विभाजन किया जाये तथा

[श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी]

एक नया रेल मण्डल बनाया जाये जिसका मुख्यालय जालन्धर में हो। जैसा कि सभी जानते हैं रेलवे के पुनर्गठन का मामला रेलवे सुधार समिति को भेज दिया गया है। मई के अन्त तक हमें उसकी सिफारिशें मिलने की आशा है। सिफारिशें मिलने पर हम इन अनुरोधों पर विचार करेंगे।

प्रो० दण्डवते ने एक बहुत ही कुतूहल पूर्ण कहानी—जिसे उन्होंने किसी अन्य से सुना था—बताई कि हम रेलवे में उत्पादिकता से जुड़े बोनस को समाप्त करने जा रहे हैं। मैं सभा को विश्वास दिला सकता हूं कि ऐसी कहानियों का कोई आधार नहीं है और मुझे खेद है कि प्रो० दंडवते जैसे व्यक्ति भी इस प्रकार की अफवाहों को सही मान लेते हैं। फिर भी, योजना के मानदंडों की समीक्षा इस वर्ष अपेक्षित है और यह दोनों मान्यता प्राप्त श्रमिक संघों के परामर्श से की जायेगी।

प्रो० दंडवते ने इस बात की भी वकालत की कि रेलवे सुरक्षा बल और आर. पी. एस० एफ० के कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाये। सभा को यह सूचना देते हुए मुझे हर्ष है कि 1982-83 के लिये राशन राज सहायता के अतिरिक्त इन लोगों को 15 दिन के वेतन के बराबर तदर्थ बोनस दिया गया है।

श्री वासुदेव आचार्य और प्रो० मधु दंडवते ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिये इन्जन चालकों के काम के घंटे 10 घंटे करने के नियम को कार्यान्वित किये जाने की आवश्यकता के बारे में कहा। इन्जन चालकों के काम के घन्टे सामान्य रूप से 10 घन्टे तक ही रखे गये हैं। फिर भी विशेष परिस्थितियों जैसे दुर्घटना, बाढ़, इन्जन खराब होने तथा अन्य आपात स्थितियों में काम के घन्टे दस से भी अधिक हो सकते हैं।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि ऐसे मामले बहुत कम होते हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि रनिंग स्टाफ के काम के कुल घंटे उनको समय-समय पर आराम तथा अन्य कार्य शर्तों की समीक्षा की जा रही है। दुर्घटनायें दो मुख्य कारणों से होती हैं—मानवीय भूल तथा कल-पुर्जों की खराबी। मैं सभा को विश्वास दिला सकता हूं कि दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हम हर सम्भव पूर्वोपाय कर रहे हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : इसको पूर्णतया समाप्त ही क्यों नहीं कर देते ?

प्रो० मधु दंडवते : वह सम्भव नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि प्रो० सोज भी रेल मंत्री बन जायें, तब भी यह सम्भव नहीं है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैं रेल प्रशासन से बार बार आग्रह करता रहा हूं कि सुरक्षा रिकार्ड में सुधार करने के लिये कोई भी कसर न रखी जाये। हाल ही में 26

फरवरी 1984 को मैंने मंडलीय महाप्रबन्धकों और रेल बोर्ड की लखनऊ में एक बैठक बुलायी थी। उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

जब से मैं रेल मंत्री बना हूं, तब से मैंने सभी मंडलीय प्रबन्धकों और रेलवे के अन्य अधिकारियों से मिलने की और उनके साथ प्रत्येक दो महीने में सभी मामलों पर चर्चा करने की प्रथा स्थापित कर दी है।

इस बार हम लखनऊ में मिले। कभी हम बम्बई में मिलते हैं कभी मद्रास में और कभी अन्य राजधानियों में और हम उस राज्य की समस्याओं को जानने के लिये मुख्य-मंत्रियों से भी मिलते हैं।

इस सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किए गये थे। ये निर्णय हैं : चालकों तथा रनिंग स्टाफ के स्वास्थ्य तथा शारीरिक सक्षमता पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिये। हमने उन्हें निर्देश दिये हैं कि इस पर गौर करना होगा। यदि कोई व्यक्ति चालक के रूप में सक्षम नहीं है तो या तो उसे सेवा निवृत कर दिया जायेगा—हम उसे निपटारा देयों आदि का भुगतान करेंगे—या यदि वह कोई अन्य काम कर सकता है और यदि वह सक्षम है तो हम उसे वह कार्य करने का अनुरोध करेंगे, लेकिन यदि उसका स्वास्थ्य अनुमति नहीं देता तो हम उसे चालक के रूप में कार्य करते रहने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। मैं यह भी कह चुका हूं। इसके अतिरिक्त चालकों और रनिंग स्टाफ के काम करने की स्थितियों, जिनमें उनकी ड्यूटी के कुल घंटे तथा आराम का समय शामिल है, की समीक्षा की जानी चाहिये ताकि वे अपने काम पर चुस्त रहें।

मानवीय भूलों से बचने के लिये सुरक्षा उपाय के रूप में हम एक चरणबद्ध तरीके से स्वचालित यन्त्रों का प्रावधान करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन सदस्य जानते हैं, इस पर काफी पैसा खर्च होगा। इसलिए, हम प्रयोगिग तौर पर चरणबद्ध तरीके से कलकत्ता से वर्दमान तक यह कार्य कर रहे हैं। यदि हम सफल रहे—मुझे बताया गया है कि यह सफल है—तो हम अन्य मंडलों में भी ऐसे यंत्र लगायेंगे।

यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जहां कहीं भी सम्भव हो, स्लीपर सेक्शनल कोचों को, जिन्हें रास्ते में जोड़ने तथा काटने की आवश्यकता हो, दो ब्रेक वैनों के बीच जोड़ा जाए। रेल प्रशासन के सभी स्तरों पर सुरक्षा बोध के स्तर को अधिक जागृत के लिये निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं, तथा रात्रि निरीक्षणों को बढ़ाना, निरीक्षणों के स्तर में सुधार करना, अनुशासनात्मक मामलों का तेजी से निपटारा तथा निवारक दंड देना।

बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटकों पर भी कई दुर्घटनायें हुई हैं। देश में लगभग 22,000 बिना चौकीदार वाले रेल फाटक हैं। हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं कि हम इन सभी पर चौकीदार रख सकें। इनमें से हमने 1600 ऐसे फाटकों का पता लगाया है जहां

[श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी]

चौकीदार रखने की आवश्यकता है। इनमें से 1200 पर रेलवे के खर्चे पर आदमी रखे जायेंगे। केवल 400 के लिए राज्य सरकारों को खर्चे में हिस्सा वहन करना पड़ेगा। इस बात के प्रयत्न किये जा रहे हैं कि उपलब्ध संसाधनों के भीतर इनमें से जितने अधिक से अधिक फाटकों पर व्यक्ति रखे जा सकें, उतने पर रखे जायें। इसी बीच, हम रेल फाटकों पर टेलीफोन तथा बेहतर रोशनी व्यवस्था का प्रावधान कर रहे हैं ताकि स्थिति में सुधार लाने में सहायता मिल सके।

श्री वसुदेव आचार्य ने उल्लेख किया था कि कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों ने अनेकों प्रदर्शन किए हैं। उन्होंने विशेष रूप से 1981 में लोको रनिंग कर्मचारी संघ द्वारा छेड़े गये आन्दोलन का उल्लेख किया था। श्री आचार्य द्वारा जिन प्रदर्शनों का उल्लेख किया है वे कर्मचारियों के उन संघों ने आरम्भ किए हैं जो श्रेणी के आधार पर बनाये गये हैं तथा जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है। ऐसे संघों को मान्यता प्रदान करने की नीति नहीं है क्योंकि वे केवल व्यक्तिगत श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे संघ धरनों, हड़ताल के आह्वानों तथा अन्य ही ऐसे टकराव के तरीकों द्वारा आन्दोलन का रास्ता अपना रहे हैं।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार कर्मचारियों की उचित मांगों पर विचार करने तथा इस उद्देश्य से कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त संघों से बातचीत करने के लिये सदैव तैयार है।

श्री वसुदेव आचार्य ने रेलवे कैन्टीनों के कर्मचारियों से सम्बन्धित उच्चतम न्यायालय के निर्देश का भी उल्लेख किया है और यह सुझाव दिया है कि असांविधिक कैण्टीनों पर भी इसे लागू किया जाना चाहिये।

उच्चतम न्यायालय का आदेश सांविधिक तथा दिल्ली स्थित 11 असांविधिक मान्यता प्राप्त कैन्टीनों के सम्बन्ध में है तथा इसे पूरी तरह कार्यान्वित किया जा चुका है। अन्य स्थानों की मान्यता-प्राप्त असांविधिक कैन्टीनों के कर्मचारियों का मामला उच्चतम न्यायालय में लम्बित है तथा न्यायाधीन है। तथापि, न्यायालय के अन्तरिम आदेश के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को रेलवे के वेतनमान दे दिए गए हैं।

कुछ सदस्यों ने रेल सेवा आयोगों के कार्यकरण का उल्लेख किया है। विशेष रूप से, 26 फरवरी, 1984 को होने वाली परीक्षा को स्थगित किये जाने जाने का जिक्र किया गया है। परीक्षा स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि विभिन्न सावधानियाँ बरतने के बावजूद परीक्षा-पत्र के लीक-आउट हो जाने की रिपोर्ट मिली थी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस मामले की छानबीन कर रहा है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित अनेक पदों को अनारक्षित किए जाने का उल्लेख किया है और इसके कारण जानने चाहे हैं।

मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि यद्यपि अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये आरक्षित कोटे को भरने के सभी प्रयत्न किये जाते हैं, जिनमें निर्धारित शर्तों में छूट देना तथा कोटे को पूरा करने के लिये त्वरित कार्यक्रम आरम्भ किया जाना शामिल है, परन्तु यदि अनुसूचित जाति/जनजाति के उपयुक्त अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं होते तो पदों को अनिश्चितकाल के लिये रिक्त नहीं छोड़ा जा सकता तथा अनारक्षण का सहारा लेना पड़ता है। वर्तमान नियमों के अनुसार, अनारक्षित पदों को बाद के वर्षों में भरने के लिये आगे ले जाया जाता है।

भारत सरकार के अन्य विभागों की तरह रेलवे विभाग भी इसी नीति पर अमल कर रहा है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों की सहायता तथा उनके सुझाव आमंत्रित करता हूं। यदि उनके पास अनुसूचित जाति/जनजाति के ऐसे अभ्यार्थियों के नाम हैं, जिन्होंने आवेदन किया था लेकिन जिन्हें नौकरी नहीं मिली, तो वे ऐसे नाम हमें भेज दें तथा हम उन पर गौर करेंगे। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री ने एक ऐसे मामले का उल्लेख किया है जिसमें डीजल लोकोमोटिव कारखाने में कई लाख रुपये की पीतल तथा तांबे के स्थान पर पत्थर आदि रखा हुआ पाया गया और आगे कहा है कि इस मामले में केवल एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को जिम्मेदार ठहराया गया है।

यह समाचार मिला है कि इस मामले में, तांबे और पीतल की ट्यूबों के 10 लाख रुपये के क्रयादेशों पर कलकत्ता की एक फर्म ने डीजल लोकोमोटिव वर्कस के साथ धोखाधड़ी करके तांबे और पीतल की ट्यूबों के स्थान पर लाल रेत सप्लाई कर दिया।

जिस समय वह वैगन जिसमें डी० एल० डब्ल्यू के लिये रेत बुक किया गया था अभी डी० एल० डब्ल्यू के परिसर में ही था, फर्म के एक प्रतिनिधि ने प्रत्यक्षतः डी० एल० डब्ल्यू के कुछ कर्मचारियों की मिली भगत से धोखाधड़ी करके तांबे तथा पीतल की ट्यूबों के लिए भुगतान प्राप्त कर लिया। दुराचार के संदेह में डीजल लोकोमोटिव वर्कस के तीन कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो, लखनऊ ने एक मामला दर्ज किया है तथा छानबीन चल रही है।

गाड़ियों, विशेषकर यात्री गाड़ियों की समय की पाबन्दी में सुधार लाने के लिए मांग की गई है। लम्बी दूरी की गाड़ियों की समय पाबन्दी में सुधार हुआ है, लेकिन स्थानीय

[श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी]

गाड़ियों के मामलों में हम महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त नहीं कर पाये हैं। हम ब्रांच-लाइनों की गाड़ियों की समय की पाबन्दी में सुधार लाने की ओर भी अधिक ध्यान देंगे। हम इस पर गम्भीरता से गौर करेंगे।

मेरा विचार है कि यदि हम और अधिक डीजलीकरण कर सके तो हम काफी हद तक सुधार कर सकते हैं क्योंकि भाप के इन्जन प्रायः खराब रहते हैं और उनमें कोई न कोई खराबी होती रहती है।

कुछ माननीय सदस्यों ने नई गाड़ियां चलाने की मांग की है। हम इस पर अवश्य विचार करेंगे। मैंने उनमें से कई सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे मेरे कार्यालय में आयें ताकि नई रेलगाड़ियां चलाने की सम्भावना का पता लगाने के लिये यातायात सदस्य तथा अन्य सदस्यों से बातचीत की जा सके।

श्री अराकल ने स्टेशनों पर लाइसेंसधारी कुलियों को सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्या उठाई है। यद्यपि, विभिन्न कारणों से कुलियों को रेल कर्मचारी मानना सम्भव नहीं हो पाया है, फिर भी जहां तक सम्भव हो पाया है, रेलवे ने उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है। इस समय लाइसेंसधारी कुलियों को चिकित्सा सुविधायें, आराम आश्रय-स्थलों का प्रावधान, बिल्लों का हस्तांतरण जैसी अनेक सुविधायें दी गई हैं।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि प्रधान मंत्री ने 16-11-85 को इस सदन में घोषणा की थी कि स्वतंत्रता सेनानियों को एक पास देने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि मैंने निर्णय किया है कि स्वतंत्रता सेनानियों को देश के भ्रमण के लिये एक प्रथम श्रेणी का पास दिया जायेगा जो छः मास तक मान्य होगा, यद्यपि प्रधान मंत्री के बयान में यह स्पष्ट नहीं है। भ्रमण के दौरान उन्हें उनके अनुरोध पर जहां तक सम्भव होगा, चिकित्सा सुविधायें भी उपलब्ध की जायेंगी। केन्द्र अथवा राज्य सरकारों से पेंशन पाने वाले सभी स्वतंत्रता सुनानियों को यह रियायत उपलब्ध होगी। मंडलीय रेल प्रबन्धक पास जारी करने से पूर्व अनुरोध की प्रामाणिकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेंगे।

श्री रामअवतार शास्त्री (पटना) : आप स्वतंत्रता सेनानियों को एक पास दे रहे हैं या दो ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : दो।

प्रो० मधु दंडवते : क्या इनमें वे भी शामिल हैं जो आपातस्थिति में स्वतंत्रता के लिये लड़े थे ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : माननीय सदस्य सदन के एक बहुत सम्मानित सदस्य हैं। इसलिए, मैं इस देश के लिए स्वराज्य दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानानियों को हंसी का पात्र बनाना नहीं चाहता।

महोदय, इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, मैं वाद-विवाद में सक्रिय रूप से भाग लेने तथा बहुमूल्य सुझाव देने के लिये माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं अपने उत्तर में, सदस्यों द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों को शामिल कर पाना मेरे लिये सम्भव नहीं हो पाया है। तथापि, मैं उन्हें एक बार फिर आश्वासन देना चाहता हू कि प्रत्येक मुद्दे को नोट कर लिया गया है और हमारे सामने आने वाली कठिनाइयों की सीमा के भीतर जहां तक सम्भव होगा, अधिक से अधिक सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए सभी प्रयत्न किये जायेंगे।

धन्यवाद !

6.12 म० प०

तदुपरांत लोक सभा बृहस्पतिवार, 8 मार्च, 1984/18 फाल्गुन, 1905 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : आकाश दीप प्रिन्टर्स, 20 दरियागंज, नई दिल्ली-2